FOR REFERENCE ONLY

विचार पत्रक (मॉड्यूल्स) सीमित उपयोग के लिये

वृहत् सेवारत शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम

1988

•

NIEPA DC
D04286

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली-110016

•

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश
6-माल एवेन्यू, लखनऊ-226001

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,Sri Aurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No D-7286
Date 12/8/88

मुद्रक : प्रेम प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ एवं हिन्दुस्तानी आर्ट कॉटेज, लखनऊ

आमुख

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा नीतियों के क्रियान्वयन के लिए बनायी गयी कार्य योजना (प्रोग्राम ऑफ एक्शन) के सन्दर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना (1986-90) के दौरान प्रति वर्ष पांच लाख अध्यापकों के लिए वृहत् विद्यालयी शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम को लागू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अध्यापकों में नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जागृति तथा क्षमताओं का विकास करना है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को इस कार्यक्रम के विभिन्न पक्षों के विकास तथा इसकी व्यवस्था को सुनियोजित करने का दायित्व सौंपा गया है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राज्य स्तर की नोडल एजेन्सियों की प्रमुख भूमिका है।

वृहत् विद्यालयी शिक्षा अभिनवीकरण कार्यक्रम की संरचना इस प्रकार की गई है कि अध्यापक प्रशिक्षण कार्य दस हजार प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा दस दिन की समयावधि में पूर्ण किया जा सके।

पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा दस हजार शैक्षिक कार्मिकों को शिक्षक अभिनवीकरण शिविरों के कोर्स डायरेक्टर तथा रिसोर्स पर्सन्स के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना है। एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा विषय विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही सेवारत अध्यापकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम और प्रशिक्षण विधाओं को इस प्रकार तैयार किया है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अध्यापकों को प्रशिक्षण के उद्देश्यों की पूरी जानकारी हो सके। राज्य स्तरीय/संघीय क्षेत्र की नोडल एजेन्सियां स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सेवारत प्रशिक्षण को उपयोगी बनाने के लिए संशोधित कर सकती हैं।

ऐसे सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण को पूर्णतः उपयोगी बनाने के लिए वर्ष 1986 में उक्त विषयक विचार पत्रकों (मॉड्यूलों) का निर्माण किया गया था जिससे सम्बन्धित अध्यापकों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो सके। वर्ष 1987 में भी उपरोक्त की भांति संशोधित रूप में कार्य सम्पन्न हुआ था। इस कार्यक्रम के विभिन्न पक्षों की विकास संबंधी नीतियों में परिवर्तन तथा नवीन अपेक्षाओं के समावेश के कारण क्रियान्वयन संबंधी परिवर्तन दृष्टिगोचर हुये हैं। वृहत् विद्यालयी शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम में अध्यापकों की विषय विशेष के लिए क्षमताओं के विकास पर इस वर्ष विशेष बल दिया गया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक नीति में संकल्पित लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक वातावरण के निर्माण को प्रमुखता प्रदान की गयी है। समुदाय और स्थानीय आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप नीतियों और विचारों में परिवर्तन के लिए अध्यापकों को स्वतंत्रता होनी चाहिये। इसके निमित्त अध्यापकों को पर्याप्त सामग्री लेखों के रूप में तथा सहायक सन्दर्भ पुस्तकों की जानकारी देकर की गई है तथा क्रियान्वयन स्तर पर परिवर्तन की आवश्यकता समझी गई। इसी के परिप्रेक्ष्य में अभिनवीकरण कार्यक्रम में अध्यापकों की विषय विशेष में क्षमताओं के विकास पर विशेष बल दिया गया है। इन विभिन्न विचार पत्रकों (मॉड्यूलों) तथा सन्दर्शिकाओं से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अध्यापक तथा सम्बन्धित सन्दर्भदाता लाभान्वित होंगे, ऐसी आशा है।

वृहत् विद्यालयी शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम अपने आप में एक उत्कृष्ट नवीन कार्यक्रम है। एन०सी०ई०आर० टी० ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् जैसी राज्य स्तरीय संस्थाओं के सहयोग से ही प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ऐसी सामग्री तैयार की है। अभिनवीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में 50 लाख अध्यापकों के सक्रिय योगदान के लिए एन० सी० ई० आर० टी० के विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुभवी विषय विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन के लिए उपयोगी सामग्री का निर्माण किया है।

मैं विशेष रूप से प्रो० ए० के० जलालुद्दीन, संयुक्त निदेशक, एन० सी० ई० आर० टी० एवं प्रो० ए० के० शर्मा,

अध्यक्ष (टीचर एजूकेशन, स्पेशल एजूकेशन तथा एक्सटेन्शन सर्विसेज) का आभारी हूँ जिनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम की योजना तथा अनुश्रवण का महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित हुआ। साथ ही मैं प्रो० एम० एम० चौधरी, संयुक्त निदेशक (सी० आई० ई० टी०) और उनके साथियों का भी आभारी हूँ जिनके सहयोग से दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जा सकेगा।

मैं एन० आई० ई० के विभागाध्यक्षों/यूनियन सैल्स तथा रीजनल कालेजस आफ एजूकेशन के प्रधानाचार्यों के सक्रिय सहयोग के लिए भी आभारी हूँ। डी० टी० ई० एस० ई० के डॉ० बी० आर० गोयल तथा डॉ० डी० डी० यादव को इस कार्यक्रम की संरचना, अनुश्रवण एवं परितुलना का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। प्रशिक्षण संबंधी सामग्री को योजनाबद्ध तथा विकसित रूप प्रदान करने के निमित्त उनका योगदान विशेष रूप से सराहनीय है। मैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रकाशन विभाग का भी इस चुनौती भरे कार्य को समय से सम्पादित कराने के लिए विशेष रूप से आभारी हूँ।

मैं आशा करता हूँ कि सम्बन्धित अध्यापक अपनी व्यावसायिक क्षमताओं की अभिवृद्धि के लिए प्रस्तुत सामग्री को अधिक उपयोगी पायेंगे तथा देश की विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता की अभिवृद्धि में भी यह सहायक सिद्ध होगी॥

डॉ० पी० एल० मल्होत्रा
निदेशक
एन० सी० ई० आर० टी०

●

शिक्षकों से—

" वृहत् सेवाकालीन शिक्षण अभिनवीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा के विभिन्न आयामों से शिक्षकों को परिचित कराना एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनके दायित्व बोध को रेखांकित करना है, ताकि शिक्षा नीति की संकल्पना को राष्ट्रीय जीवन में उतार कर मानव संसाधन को इस ढंग से विकसित किया जाए कि संविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षा सहायक हो, शिक्षा—जो वर्तमान और भविष्य के निर्माण का अनुपम साधन है—का उपयोग हम अनुपम ढंग से कर सकें।

प्रदेश स्तर पर वृहत् शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के तत्वावधान में एस० सी० ई० आर० टी०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा गत दो वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। 1986 में माध्यमिक तथा प्राइमरी स्तर के लगभग 72,000 तथा 1987 में माध्यमिक तथा प्राइमरी स्तर के लगभग 54,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 1988 में प्रशिक्षण के प्रथम दो सोपानों में माध्यमिक स्तर के 20 तथा प्राइमरी स्तर के 40 'की पर्सन्स' तथा माध्यमिक स्तर के 1,000 और प्राइमरी स्तर के 610 संदर्भदाताओं के पुनर्बोधन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि इन संदर्भदाताओं द्वारा माध्यमिक स्तर के लगभग 30,000 तथा प्राइमरी स्तर के 60,500 शिक्षकों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके। शिक्षा नीति के नवीन आयामों से परिचित कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा संदर्भ साहित्य के रूप में वर्ष 1988 के लिए 41 मॉड्यूल की रचना की गई है, जिसमें 18 मॉड्यूल माध्यमिक एवं प्राइमरी स्तर के लिये (कॉमन), 11 मॉड्यूल प्राइमरी स्तर तथा 12 मॉड्यूल माध्यमिक स्तर के लिए हैं।

इसी के तारतम्य में प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप एस० सी० ई० आर० टी०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्राइमरी तथा माध्यमिक स्तर के लिए 16 अतिरिक्त मॉड्यूल निर्मित किये गये हैं जिनमें 7 मॉड्यूल कॉमन (प्राइमरी तथा माध्यमिक दोनों के लिए), 7 माध्यमिक स्तर तथा 2 प्राइमरी स्तर के हैं। ये मॉड्यूल प्रदेश स्तर पर आधारिक संरचना सम्बन्धी सुविधाओं के प्रावधान, नवाचारी शिक्षण पद्धतियों और गुणात्मक सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी के इस्तमाल तथा अधिगम स्थितियों को सुदृढ़ बनाने से सम्बन्धित हैं, जो केवल विषय को व्याख्यायित ही नहीं करते वरन् आपकी भूमिका का निर्धारण भी करते हैं। इनके द्वारा चिंतन एवं मनन से आप अपने विश्वास का, विचार का और कार्य का पथ निर्धारित कर, बच्चों को वह नेतृत्व प्रदान कर सकेंगे जो आज के युग की सबसे बड़ी जरूरत है या यों कहें चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकारते हुए आप सही दिशा निर्देश कर सकें, यही मंगल कामना है।

प्रदेश स्तर पर इनकी रचना में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, विज्ञान और गणित विभाग, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग तथा पत्राचार विभाग ने जो सहयोग दिया उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रकाशन विभाग का भी आभारी हूँ, जिन्होंने इसे समय से प्रकाशित करने में अपना पूरा योगदान दिया।

मॉड्यूल के चिंतन एवं मनन के उपरान्त यदि इसमें कुछ जोड़ने या हटाने के संदर्भ में सुझाव हों तो कृपया परिषद् को अवगत कराएं। उससे हमें भविष्य में संदर्भ साहित्य निर्माण में दिशा मिलेगी।

डॉ० लक्ष्मी प्रसाद पाण्डेय
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्राक्कथन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन का प्रादुर्भाव भारतीय शैक्षिक जगत में एक महत्वपूर्ण घटना है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के प्रथम चरण में बृहत् विद्यालयी शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम द्वारा अध्यापकों को उनकी प्रस्तावित महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत कराते हुए योजनावधि 1986-90 के दौरान प्रतिवर्ष लगभग पांच लाख अध्यापकों का अभिनवीकरण-प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने उक्त प्रशिक्षण की विधाओं को विकसित किया है। साथ ही दस दिवसीय अभिनवीकरण प्रशिक्षण शिविरों के लिये विचार पत्रकों (मॉड्यूल्स) के रूप में प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण किया है और दूरदर्शन के माध्यम से भी इसे विकसित करके प्रसारण योग्य बनाया है। प्रशिक्षण के उद्देश्यों के स्वरूप में अध्यापक की क्षमताओं के विकास के अतिरिक्त उसके विषय विशेष से सम्बन्धित घटकों की जानकारी को महत्व प्रदान किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित सामग्री और प्रशिक्षण की रणनीति को अद्यतन कर सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये इसे उपयोगी बनाया गया है।

यह सामग्री प्राथमिक स्कूल (प्राइमरी स्कूल) के अध्यापकों, अपर प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये अलग-अलग खण्डों में हैं। प्रथम दो खण्ड एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों खण्डों में 41 विचार पत्रक हैं। प्रथम 18 विचार पत्रक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज दोनों स्तरों के लिये समान रूप में हैं। 11 विचार पत्रक विशेष रूप से प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों के प्रयोगार्थ हैं और 12 विचार पत्रक अपर प्राइमरी तथा माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के लिये हैं।

आशा हैं कि विचार एवं भावना की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सफल क्रियान्वयन में यह सामग्री अध्यापकों के लिये उपयोगी होगी। वृहत् विद्यालयी अभिनवीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन की व्यवस्था डिपार्टमेन्ट ऑफ टीचर एजूकेशन, स्पेशल एजूकेशन तथा एक्सटेन्शन सर्विसेज, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा की गयी है।

इस विभाग के डॉ० बी० आर० गोयल तथा डॉ० डी० डी० यादव प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने अपने अदम्य उत्साह, कर्मठता और योग्यता से कार्यक्रम की प्रस्तुत सामग्री को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। विभाग के मेरे अन्य साथियों ने भी कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को व्यवस्थित करने में अपना सहयोग प्रदान किया। कु० नम्रता भास्कर और कु० सविता कौशल तथा परियोजना के अन्य साथी सदस्य भी सराहना और धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने सांख्यिकी आंकड़ों की उपलब्धता एवं अन्य सहायता देकर सहयोग प्रदान किया हैं। श्री के० एन० माथुर ए० पी० सी० और विभाग के अन्य प्रशासकीय कार्मिकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहायता प्रदान की है।

ए० के० शर्मा
प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष
टीचर एजूकेशन, स्पेशल एजूकेशन
तथा एक्सटेन्शन सर्विसेज

विचार पत्रक (मॉड्यूल्स) अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विचार पत्रक (मॉड्यूल्स) संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	1 सी	राष्ट्रीय शिक्षा नीति—अध्यापकों के निहितार्थ ..	1
2.	2 सी	प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का स्वरूप—एक प्रस्तावना ..	9
3.	3 सी	वंचित वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में ..	15
4.	4 सी	महिलाओं को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना ..	19
5.	5 सी	पढ़ने-लिखने में कठिनाई अनुभव करने वाले बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति ..	27
6.	6 सी	छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण ..	41
7.	7 सी	बच्चों में जिज्ञासा कौशल का विकास ..	50
8.	8 सी	मूल्य-परक शिक्षा ..	58
9.	9 सी	हमारे राष्ट्रीय प्रतीक ..	67
10.	10 सी	राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन ..	74
11.	11 सी	अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना व मानवाधिकार शिक्षा ..	81
12.	12 सी	स्कूलों में छात्रों का प्रवेश एवं प्रतिधारण ..	85
13.	13 सी	संस्था योजना एवं व्यवस्था ..	90
14.	14 सी	शैक्षिक विकास के लिए सामुदायिक प्रतिभागिता ..	95
15.	15 सी	विद्यालय परिसर ..	102
16.	16 सी	ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड ..	107
17.	17 सी	अल्पव्ययी शिक्षण साधन ..	114
18.	18 सी	जन-माध्यम का प्रयोग ..	119
19.	रा 1 सी	उपचारात्मक शिक्षा तथा सहायक उपागम ..	126
20.	रा 2 सी	विद्यालय में खेलकूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन ..	152
21.	रा 3 सी	रेडक्रास : एक परिचय ..	170
22.	रा 4 सी	स्काउट एवं गाइड—नियोजन एवं संचालन ..	174
23.	रा 5 सी	सामाजिक वानिकी ..	183
24.	रा 6 सी	प्रदूषण तथा इससे बचाव ..	190
	रा 7 सी	एप्रोप्रियेट टेक्नालोजी ..	194

क्रम संख्या	विचार पत्रक (मॉड्यूल्स) संख्या	विषय		पृष्ठ संख्या
		माध्यमिक स्तर		
26.	19 एस	किशोरों की आवश्यकताएं और समस्याएं	..	1
27.	20 एस	माध्यमिक स्तर पर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन	..	6
28.	21 एस	माध्यमिक स्तर पर जनसंख्या शिक्षा	..	13
29.	22 एस	माध्यमिक स्तर पर कला-शिक्षा	..	20
30.	23 एस	माध्यमिक स्तर पर कार्यानुभव	..	26
31.	24 एस	द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का शिक्षण	..	33
32.	25 एस	माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन	..	39
33.	26 एस	माध्यमिक स्तर पर विज्ञान का अध्ययन	..	48
34.	27 एस	माध्यमिक स्तर पर गणित का अध्ययन	..	56
35.	28 एस	Teaching and Learning of English	..	64
36.	29 एस	माध्यमिक स्तर पर स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा	..	76
37.	30 एस	विद्यालय आधारित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	..	81
38.	रा 1	जनपदीय परीक्षा समिति	..	88
39.	रा 2	विद्यार्थी विकास समिति एवं उनके कार्यकलाप	..	99
40.	रा 3	छात्र कोषों का रख-रखाव	..	104
41.	रा 4	उत्तर प्रदेश में + 2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की संकल्पना	..	108
42.	रा 5	क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारूप एवं सम्भावनायें	..	111
43.	रा 6	छात्र स्व-मूल्यांकन	..	114
44.	रा 7	पत्राचार शिक्षा की उपयोगिता : प्रगति की सम्भावनायें	..	129
45.		वृहत् शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम, 1988 दस-दिवसीय समय-सारिणी	..	137
		परिशिष्ट		
		राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986	..	1

मॉड्यूल-1 बी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति--अध्यापकों के निहितार्थ

एक दृष्टिपात

इस मॉड्यूल में, संक्षेप में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के महत्वपूर्ण तत्वों व क्षेत्रों का विवरण तथा अध्यापकों के लिए उसके महत्त्व पर विचार किया गया है। प्रथमत: मॉड्यूल में नीति के निर्माण के पीछे राष्ट्रीय चिंता व आवश्यकता की रूपरेखा दी गई है। जब आप उस पर विचार करेंगे तो आप स्वीकार करेंगे कि राष्ट्र के विकास, उसके अस्तित्व की सुरक्षा तथा अच्छे विश्व समाज के निर्माण के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एक मात्र रास्ता है। तत्पश्चात् इस मॉड्यूल में उन विशेष तत्वों पर विचार किया गया है, जो अच्छी शिक्षा के लिए तत्काल जरूरी हैं। इन तत्वों के अन्तर्गत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विविध पहलू शिक्षा के अवसरों की समानता, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, छात्र केंद्रित शिक्षा, मूल्य शिक्षा, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा में सुधार, समुदाय का सहयोग, अध्यापक तथा अध्यापक का प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। इन विशेष तत्वों का अध्यापकों से सीधा संबंध है। अत: इस मॉड्यूल में अध्यापक के कार्य व निरंतर शिक्षा पर ध्यान दिया गया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में जरूरी है।

मॉड्यूल के अंत में विचार विमर्श के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का उद्देश्य अध्यापकों के बीच विचार विमर्श को प्रेरित करना है ताकि जानकारी बांटी व प्राप्त की जा सके।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित बातें जान सकेंगे :

-राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण तत्व,

-इस नीति के क्रियान्वयन में अध्यापक की भूमिका का महत्व,

-इस नीति के निर्माण की आवश्यकता,

-इस नीति के क्रियान्वयन में आपकी सक्रिय भागीदारिता की जरूरत।

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय संभावनाओं के विकास में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बदलते समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रत्येक देश अपनी शिक्षा व्यवस्था विकसित करता है। हमारे संदर्भ में विकासोन्मुख शिक्षा व्यवस्था हमारे अतीत के अनुभवों व वर्तमान की आवश्यकताओं पर आधारित होकर हमारी जनता के लिए, साथ ही मानवता के लिए एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकेगी।

हमारे आर्थिक व तकनीकी विकास के आधार पर यह संभव है कि हम सुनियोजित ढंग से तथा समुचित क्रियान्वयन के आधार पर सारी जनता तक पहुंच सकें, उसे शिक्षित कर सकें। इतिहास के इस मोड़ पर सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से यह अनिवार्य है कि हम इस दिशा में कदम उठा कर जनता की बढ़ती आकांक्षाओं की पूर्ति करें।

आगामी दस वर्षों में जीवन के सामने कई चुनौतियां एवं अवसर आएंगे। भावी पीढ़ी को ऐसी चुनौतियों एवं अवसरों का मुकाबला करने के लिए अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। उन्हें सोचने की क्षमता के विकास तथा नवीन विचारों

को रचनात्मक रूप से अपनाने के लिए तैयार करना चाहिए। उनके कार्य मानव मूल्यों एवं सामाजिक न्याय के प्रति दृढ़ निष्ठा से संचालित होने चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण व क्रियान्वयन इसी संदर्भ में देखा व समझा जाना चाहिए। एक अध्यापक के रूप में आप बच्चों के व देश के भविष्य के निर्माण में व्यस्त हैं। आपको इस व्यापक परिपेक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना होगा। इस नीति के क्रियान्वयन में अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है।

संसद ने 1986 के अपने बजट अधिवेशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार किया था। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य निर्देशों व विशेष महत्व के क्षेत्रों की ओर संकेत किया गया है। 1986 के वर्षाकालीन अधिवेशन में इसके क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रम को पेश किया गया था। क्रियान्वयन-कार्यक्रम इस नीति को लागू करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की ओर हमारा ध्यान खींचता है।

विशेष तत्व

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 इस मूलभूत सिद्धान्त पर आधारित है कि "शिक्षा वर्तमान और भविष्य में विशिष्ट पूंजी निवेश है"। इसका अर्थ है कि शिक्षा सभी के लिए है। शिक्षा, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता और प्रजातंत्र, जो हमारे संविधान के आदर्श हैं, के उद्देश्यों को आगे बढ़ा सकती है और शिक्षा अर्थ व्यवस्था के विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षित जन-शक्ति प्रदान कर सकती है।

शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय दृष्टिकोण

शिक्षा नीति शिक्षा के प्रति एक व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह इस बात की ओर संकेत करती है कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नों की जरूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का अर्थ एक समान व संकीर्ण व्यवस्था नहीं है। यह एक व्यापक ढांचे के अन्तर्गत काफी लचीला रुख अपनाने की अनुमति देती है। राष्ट्रीय शिक्षा के सिद्धान्त का अर्थ है :

(1) सभी के लिए शिक्षा, सफलता व उच्च स्तर प्राप्ति के अवसर,

(2) शिक्षा का समान ढांचा,

(3) एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, तथा

(4) हर चरण में एक निश्चित अध्ययन का स्तर।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की आवश्यकता की झलक हम राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनों में पाते हैं जब महात्मा गांधी ने आधारभूत शिक्षा का विचार सामने रखा था। 1986 की शिक्षा नीति ने भी समान स्कूली शिक्षा की ओर कदम बढ़ाने की सिफारिश की है।

समानता के लिए शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति असमान अवसरों को दूर करने तथा उन सभी लोगों को शिक्षा के समान अवसर देने पर जोर देती है जिन्हें अभी यह अवसर नहीं मिल पाया है।

(1) लड़कियों के लिए भेदभावरहित

राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्त्री के अधिकारों में वृद्धि करने के लिए सकारात्मक भूमिका निभायेगी। शिक्षा द्वारा स्त्रियों के सम्मान व स्तर में वृद्धि की जायेगी। स्त्रियों के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा उनके विकास के लिए सक्रिय कार्यक्रम अपनाए जायेंगे। स्त्रियों में अशिक्षा को दूर करने, शिक्षा के अवसर में आने वाली बाधाओं को दूर करने व उन्हें

आरंभिक शिक्षा में बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता दी जायेगी । इसके लिए विशेष साधन प्रदान किए जायेंगे तथा उसके बारे में निरंतर सूचना प्राप्त की जाएगी ।

(2) अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा

मैट्रिक से पूर्व उन छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना है, जिनके परिवार साफ सफाई, चमड़ा कमाने-आदि का काम करते हैं चाहें उनकी आमदनी कितनी ही क्यों न हो । अनुसूचित जातियों सहित समाज में पिछड़े वर्ग के सभी लोगों के लिए शिक्षा के समुचित क्षेत्र में प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है ।

अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए भावी शिक्षा प्राप्ति एवं रोजगार हेतु विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी । उन्हें हॉस्टल की सुविधा भी प्रदान की जायेगी । अध्यापकों का चयन भी अनुसूचित जातियों में से किया जायेगा ।

अनुसूचित जाति के बच्चों की भर्ती, उनके स्कूल में बने रहने तथा सफलता पूर्वक पढ़ाई समाप्त करने के लिए निरंतर नियंत्रण रखा जायेगा ।

अन्य कार्यक्रमों—जैसे "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम" और "ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम"—के अंतर्गत भी अनुसूचित जातियों के लोगों को शिक्षा की सुविधा दी जायेगी।

(3) अनुसूचित जन-जातियों के लिए शिक्षा

जन-जाति क्षेत्र में स्कूल खोलने को प्राथमिकता दी जाएगी । आरंभिक वर्षों के लिए विशेष पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी ताकि उन्हें क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने का प्रबंध हो सके । अनुसूचित जातियों की भांति यहां भी अध्यापक शिक्षित जन-जाति के युवकों में से चुने जाएंगे । निवास सहित स्कूल शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए विशेष व्यवस्था तथा सभी प्रकार का प्रोत्साहन जन-जातियों के बच्चों के लिए उपलब्ध होगा ताकि वे देश के बाकी लोगों के स्तर तक पहुंच सकें।

(4) अन्य पिछड़े वर्ग व क्षेत्र

शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में, समुचित प्रोत्साहन दिया जाएगा । दूर दराज के क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा ।

(5) अल्पसंख्यक

कुछ अल्पसंख्यक समूह शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं वे शिक्षा से वंचित हैं । इन समूहों के लिए शिक्षा की व्यवस्था पर अधिकाधिक ध्यान दिया जायेगा ।

(6) विकलांगों के लिए शिक्षा

जिला मुख्यालयों पर विकलांग छात्रों के लिए विकलांगों को व्यावसायिक शिक्षा देने के भी पर्याप्त प्रबंध होंगे । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अपंग लोगों की विशेष कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्राथमिक कक्षा के अध्यापकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है । जिन बच्चों की नजर खराब है, बोलने में कुछ कमी है, मानसिक तौर पर कोई दिक्कत है या हाथ-पांव में कोई दोष है तो उन बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाएगा ।

आरंभिक शिक्षा को सभी के लिए लागू करना

14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं । संविधान के नीति निदेशक सिद्धांत इसकी पुष्टि करते हैं । फिर भी हम सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने

के लक्ष्य से काफी दूर हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सभी बच्चों को भर्ती किया जाए। सभी को स्कूल में बनाए रखा जाए तथा शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जाए।

शिक्षा का समान ढांचा

शिक्षा आयोग (1964-66) ने 10+2+3 के रूप में सारे देश के लिए समान शिक्षा के ढांचे की सिफारिश की है। 1968 के बाद देश के अधिकांश राज्यों ने इस ढांचे को स्वीकार किया है और बाकी राज्य इसे अपनाने की प्रक्रिया में जुटे हैं।

इस उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सिफारिश की है कि प्रथम दस वर्षीय शिक्षा में 5 वर्ष प्राथमिक, 3 वर्ष उच्च प्राथमिक व 2 वर्ष माध्यमिक शिक्षा को दिए जाएं। 5 वर्ष प्राथमिक व 3 वर्ष उच्च प्राथमिक, इस प्रकार कुल मिलाकर 8 वर्ष की आरंभिक शिक्षा होगी।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति से एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूप रेखा बनाई है जिसमें कुछ समान तत्व होंगे और साथ ही कुछ ऐसे तत्व भी होंगे जहां लचीली नीति अपनाई जाएगी। आरंभिक व माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की आधारभूत विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(1) विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव संसाधनों का विकास।

(2) सभी बच्चों के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर तक व्यापक सामान्य शिक्षा का प्रावधान।

(3) प्राइमरी, उच्च प्राइमरी तथा माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई की समान रूप रेखा।

(4) पाठ्यक्रम में भारत का स्वतंत्रता आन्दोलन, संवैधानिक दायित्व, राष्ट्रीय अस्मिता को मजबूत बनाना, भारत की समान सांस्कृतिक परम्परा, समता, प्रजातंत्र, धर्म निरपेक्षता, स्त्री-पुरुष समानता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विभेद का निराकरण तथा वैधानिक स्वभाव का निर्माण ये प्रमुख तत्व हैं जो समान रूप से सभी स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे।

(5) प्रत्येक क्षेत्र के लिए न्यूनतम अध्ययन परिणाम परिभाषित किए जाएंगे।

(6) न्यूनतम अध्ययन परिणाम का स्तर प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम को लचीला बनाने का प्रावधान होगा।

(7) शिक्षा छात्र केन्द्रित व गतिविधियों पर आधारित होगी, अध्यापक-केन्द्रित नहीं।

(8) परीक्षा प्रणाली का पुनर्निर्माण तथा निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था होगी जिसमें बुद्धि व अन्य गतिविधियों का मूल्यांकन होगा।

(9) सारे देश में समान रूप से योग्य व दक्ष अध्यापकों के चुनाव के लिए सही तन्त्र जैसे (नेशनल टेस्टिंग सर्विस-एन० टी० एस०) की स्थापना की जाएगी।

(10) छात्र के भावी विकास के लिए, चाहे वह किसी भी तरीके व भाषा के माध्यम से पढ़े—पाठ्यक्रम सभी के लिए समान होगा।

(11) सभी स्कूलों/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पाठ्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए अनिवार्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

शिक्षा के क्षेत्र में जरूरी न्यूनतम स्तर

शिक्षा के सभी स्तरों पर सब जगह अपेक्षाकृत समान स्तर प्राप्त करने के लिए शिक्षा का जरूरी न्यूनतम स्तर

निर्धारित किया जाएगा। पाठ्यपुस्तकों के निर्माण, अध्यापन-सामग्री के चुनाव व मूल्यांकन में शिक्षा के न्यूनतम आवश्यक स्तर का ध्यान रखा जाएगा।

छात्र केन्द्रित शिक्षा

शिक्षा नीति में सिफारिश की गई है कि पाठ्यक्रम लागू करते समय पाठ रटने को प्रोत्साहन न देकर छात्र केन्द्रित एवं गतिविधि आधारित पढ़ाई को विशेष महत्व दिया जाएगा।

एक व्यक्ति के रूप में बच्चे की अपनी आवश्यकता, रुचि, दृष्टिकोण व क्षमताएं होती हैं। पाठ्यक्रम लागू करते समय इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। अध्यापक को कक्षा में पढ़ाई के लिए प्रेरक वातावरण का निर्माण करना चाहिए तथा बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सहायक होना चाहिए।

मूल्य शिक्षा

समाज में मूल्यों में तेजी से गिरावट तथा बढ़ते हुए स्तरीपन को देखते हुए ही शिक्षा नीति ने मूल्यों/आदर्शों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। एक सुपरिभाषित पाठ्यक्रम और उसे लागू करके शिक्षा को सामाजिक व नैतिक मूल्यों के विकास का महत्वपूर्ण "औजार" बनाया जा सकता है। शिक्षा द्वारा विश्वजनीन एवं शाश्वत मूल्यों को विकसित किया जाना चाहिए ताकि लोगों में एकता व मेल मिलाप सुदृढ़ हो सके। ऐसी मूल्य शिक्षा धार्मिक उग्रवाद, हिंसा, अंध विश्वास तथा भाग्यवाद को समाप्त करने में सहायक होगी। शिक्षा, जो विश्व व्यापी व शाश्वत मूल्यों जैसे ईमानदारी, सच्चाई, साहस, दृढ़निष्ठा, सहनशीलता, न्याय के प्रति प्रेम, दया आदि का विकास करती है वह निश्चय ही एक संतुलित व्यक्ति व समाज के निर्माण में सहायक होगी।

मूल्यांकन प्रक्रिया व परीक्षा प्रणाली में सुधार

मूल्यांकन प्रक्रिया तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। अध्यापन व अध्ययन प्रक्रिया का अविभाज्य अंग है : छात्र की शैक्षणिक प्रगति का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षा में सुधार लाने में सहायता कर सकती है। इसके लिए निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। यह मूल्यांकन बौद्धिक व अन्य गतिविधियों का होना चाहिए।

स्कूल स्तर पर, 10वीं व 12वीं कक्षा में सार्वजनिक परीक्षा होगी। राज्य के शिक्षा बोर्डों से आशा की जाती है कि वे छात्रों का विश्वसनीय एवं उचित मूल्यांकन करेंगे। प्रत्येक विषय में अलग से ग्रेड दिए जायेंगे तथा अंक देने की वर्तमान प्रणाली समाप्त की जाएगी।

सुविधाओं की व्यवस्था

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा के स्तर में सुधार। शिक्षा के क्षेत्र में समुचित स्थिति की स्थापना के लिए कई नीतियां अपनाई गई हैं। मुख्य ध्यान स्कूल के भवनों, अध्यापकों की नियुक्ति व स्कूल में अन्य सुविधाओं पर दिया गया है। "आपरेशन-ब्लैक बोर्ड" योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों में कम से कम दो बड़े कमरे, खिलौने व खेल कूद का सामान, ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट व अन्य पढ़ाई संबंधी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इस बात का प्रयास किया जाएगा कि सभी स्कूलों को खेल के मैदान की सुविधा दी जाए। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को, जहां अभी पूरी सुविधाएं नहीं हैं, वहां प्रयोगशालाओं व पुस्तकालयों की व्यवस्था की जाएगी ताकि पाठ्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा सके।

समुदाय का सहयोग

राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर जोर देती है कि शैक्षणिक प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय को सक्रिय रूप से शामिल किया जाये। माता पिता, समुदाय व स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के सहयोग से स्कूल व समुदाय के बीच निकट संबंध स्थापित होंगे। इससे स्कूल में अनुपस्थिति कम होगी, कम बच्चे स्कूल छोड़ेंगे तथा शिक्षा की प्रासंगिकता बढ़ेगी। इससे स्कूल के अच्छे प्रबन्ध में भी मदद मिलेगी।

अध्यापक व अध्यापक-प्रशिक्षण

शिक्षा नीति अध्यापक समुदाय में पूर्ण विश्वास रखती हैं। छात्र की आवश्यकताओं व योग्यताओं के संदर्भ में तथा समुदाय की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्यापक अपने अध्यापन में नवीन तत्वों का समावेश करने को स्वतंत्र होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत अध्यापकों के सम्मान व पद में वृद्धि, साथ ही अध्यापकों को अधिक उत्तरदायी बनाने के कदमों का सुझाव दिया गया है। इनमें से कुछ विशेष सुझाव इस प्रकार हैं :

- –अध्यापकों के चुनाव की पद्धति में सुधार।
- –अध्यापकों के लिए निवास तथा सेवा शर्तों में सुधार।
- –शिकायतों को दूर करने के लिए प्रभावशाली तंत्र का निर्माण।
- –शिक्षा की योजना व प्रबन्ध में अध्यापकों को शामिल करना।
- –अध्यापक के सम्मान को बनाए रखने, उनकी व्यावसायिक निष्ठा व व्यावसायिक उत्तरदायित्वहीनता को कम करने के लिए अध्यापक संघों को शामिल करना।
- –अध्यापकों के लिए व्यवसाय संबंधी आचार संहिता का निर्माण तथा यह ध्यान रखना कि अध्यापक स्वीकृत नियमों के अनुसार अपने कर्त्तव्य का पालन करते हैं या नहीं।
- –अध्यापकों में स्वायत्तता एवं नवीन शैली के प्रोत्साहन के लिए अवसर।

जहां तक अध्यापकों के प्रशिक्षण का प्रश्न है, सेवा से पूर्व प्रशिक्षण व सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण में परिवर्तन किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय नीति को लागू किया जा सके। आरंभिक स्कूल के अध्यापकों व अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों व प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के अध्यापकों के लिए सेवा से पूर्व प्रशिक्षण व सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यह प्रशिक्षण जिला शिक्षा संस्था द्वारा किया जायेगा। यह संस्था कुछ समय पश्चात् अन्य स्तरीय संस्थाओं का स्थान लेगी। अध्यापक-प्रशिक्षण-केन्द्रों को सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि वे माध्यमिक अध्यापकों को अच्छा प्रशिक्षण दे सकें।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देगी तथा उनके लिए पाठ्यक्रम व व्यवस्था का मार्ग निर्देशन करेगी।

अध्यापक की भूमिका

अब तक इस मॉड्यूल में जो कुछ कहा गया है उससे आपको यह पता चल गया होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में आपकी क्या भूमिका है।

जैसा कि आपको मालूम है, शिक्षा संस्था में अध्यापक को आधारभूत भूमिका है : बच्चों को प्रभावपूर्ण ढंग से शिक्षा व जानकारी देना। यह कार्य कक्षा में टूटोरियलस, व्यक्तिगत दिशा निर्देशन तथा बाहरी गतिविधियों द्वारा किया जा सकता है।

शिक्षा नीति में शिक्षा के स्तर के सुधार पर विशेष जोर दिया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम लागू करने की प्रक्रिया में सुधार करना होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नवीन पाठ्यपुस्तकें व शिक्षा सामग्री,

अध्यापक-गाइड तैयार किए जाएंगे। बच्चों की प्रभावी शिक्षा के लिए यह जरूरी है कि आप इस नवीन सामग्री से भली-भांति परिचित हों।

शिक्षा नीति में यह सुझाव दिया गया है कि स्कूलों में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए आवश्यक सुविधाओं को बढ़ाया जाए। पर सिर्फ आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था से काम नहीं चलेगा। उनका प्रभावी उपयोग भी महत्वपूर्ण है। आशा है कि आप इन सुविधाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाएंगे।

शैक्षणिक मूल्यांकन एक अन्य क्षेत्र है जिसमें अध्यापक को दक्षता प्राप्त करनी होगी। यह दक्षता छात्रों के निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में सहायक होगी।

आरंभिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक को अपने क्षेत्र के सभी बच्चों की भर्ती की दिशा में विशेष कदम उठाने होंगे। इसके अलावा सभी छात्रों को स्कूल में बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम भी उठाने होंगे। अध्यापक को स्थानीय समुदाय से निकट संबंध स्थापित करना होगा ताकि वह स्कूल के विकास व शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए स्थानीय समुदाय का भौतिक व जन सहयोग प्राप्त कर सके। इसके लिए उसे ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे निरंतर स्थानीय समुदाय का सहयोग मिल सके।

छात्रों को प्रभावपूर्ण ढंग से जानकारी देने के साथ ही अध्यापक को उन विविध गतिविधियों में भाग लेना होगा जो कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए स्कूल में आरंभ की गई हैं।

पाठ्यक्रम लागू करने के साथ ही अध्यापक को एक निश्चित व्यक्तिगत व सामाजिक भूमिका भी निभानी होगी ताकि छात्र अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकें। इसका अर्थ यह है कि अध्यापक को न केवल शिक्षण के तत्वों व पद्धति में योग्य होना चाहिए वरन् उसे व्यवसाय के लिए जरूरी मूल्यों/आदर्शों से भी शिक्षित होना चाहिए। शिक्षक संघों द्वारा व्यावसायिक आचार संहिता का निर्माण किया जाएगा जो व्यावसायिक व्यवहार व दायित्व को संचालित करेगी।

प्रभावशाली शिक्षक होने के लिए एक अध्यापक को नियमित रूप से अपने ज्ञान में वृद्धि तथा व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाना होगा। इसके लिए उसे समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेना होगा जो अध्यापकों के लिए सतत शिक्षा का हिस्सा होगी।

इस मॉड्यूल एवं बाद में अन्य मॉड्यूलों पर विचार विमर्श करने के बाद आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित विभिन्न मामलों व प्रमुख तत्वों पर विचार करने का अवसर मिलेगा। आशा है कि आप अपनी भूमिका के बारे में सकारात्मक रुख अपनाएंगे और शिक्षा के स्तर के सुधार में अपनी भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार बच्चे व समाज की सर्वांगीण प्रगति में अपना योगदान अभूतपूर्व होगा।

विचार के लिए कुछ प्रश्न

यहां कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यह मॉड्यूल पढ़ने के बाद आप इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकेंगे और इन पर चर्चा कर सकेंगे। अन्य प्रश्न भी लिये जा सकते हैं:

- –शिक्षा व्यवस्था की रूप रेखा के लिए नीति विषयक घोषणा को पहला कदम क्यों माना गया है?
- –एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 स्वीकृत होने के बाद "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" यह योजना क्यों बनायी गयी?
- –क्या राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाना जरूरी है?
- –जो लोग अब तक शिक्षा लेने से वंचित रहे हैं उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के अवसरों की समानता क्यों जरूरी है?
- –राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे में शिक्षा में समान तत्व राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है—विचार कीजिए।

–एक अध्यापक के रूप में अपनी प्रभावपूर्ण भूमिका के लिए समुदाय का सहयोग प्राप्त करने हेतु आप क्या कदम उठाएंगे ?

–छात्रों के मूल्यांकन के लिए आपको कौन से विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होगी ?

–अपने छात्रों में उचित मूल्यों/आदर्शों के विकास के लिए आपने समय-समय पर क्या गतिविधियां आयोजित की हैं ?

–जिला प्रशिक्षण संस्थान/शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र किस प्रकार आपको अपनी भूमिका को प्रभावी रूप में लागू करने में मदद करेंगे ।

–राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए एक अध्यापक के रूप में आपको क्या अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता की आवश्यकता होगी ?

प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का स्वरूप

एक प्रस्तावना

एक दृष्टिपात

स्कूली पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। समाज की बदलती स्थितियों में उसे भी बदलना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि पाठ्यक्रम में क्रियाशीलता व गतिशीलता होनी चाहिए अन्यथा उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। अतः राष्ट्र की प्राथमिकताएं एवं सहमति पाठ्यक्रम में समुचित रूप से परिलक्षित होनी चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के तत्वों व प्रक्रिया के बारे में नवीन निर्देशों एवं पुनर्निर्माण की व्यवस्था है। ये मार्ग निर्देशक सिद्धान्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में विस्तार से दिए गए हैं। ये सिद्धान्त एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा विकसित किए गए हैं। जब आप इस मॉड्यूल को पढ़ेंगे तो आप राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य व राष्ट्रीय उद्देश्य तथा स्कूली पाठ्यक्रम के बीच आपसी संबंध को जान सकेंगे। आप यह भी जान सकेंगे कि समय-समय पर स्कूली पाठ्यक्रम में परिवर्तन क्यों आवश्यक है। यहां आपको राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे की जरूरत तथा पाठ्यक्रम के विकास की विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया की भी जानकारी मिलेगी। एक अध्यापक के रूप में यह आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर विकसित पाठ्यक्रम को लागू करें। अतः यह जरूरी है कि आप राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के विविध पहलुओं से अवगत हों। इस मॉड्यूल में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा की मोटे तौर पर जानकारी दी गई है।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के पश्चात् आप जान सकेंगे कि :

(1) पाठ्यक्रम की प्रकृति व उसका अर्थ क्या है ?

(2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा की महत्ता क्या है ?

(3) राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के विशिष्ट तत्व क्या हैं ?

(4) शिक्षा की भूमिका के संदर्भ में मुख्य विषयों की जरूरत तथा महत्ता क्या है ?

(5) अध्यापक की बदलती भूमिका क्या है ? यहां आपको यह भी पता चलेगा कि अध्यापक मात्र ज्ञान देने वाला न होकर, जानकारी व समझ को बढ़ाने वाला भी है।

(6) राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य, शिक्षा के उद्देश्य तथा स्कूली पाठ्यक्रम के बीच आपसी संबंध क्या है ?

पाठ्यक्रम—अर्थ और प्रकृति

एक अध्यापक के नाते आप कक्षा के भीतर और बाहर अपना अधिकतम समय पाठ्यक्रम के निष्पादन में लगाते रहे हैं। आप अपने छात्रों के लिए विविध गतिविधियां (पाठ्यक्रम से संबंधित व अन्य) संगठित करते रहे हैं। छात्र इन्हीं गतिविधियों की सीढ़ियों से नया ज्ञान, समुचित दृष्टिकोण व दक्षता प्राप्त करते रहे हैं।

क्रियाकलाप–1

1. उन गतिविधियों की सूची बनाइये जो आप सामान्यतः स्कूल में करते हैं।	एकत्र कीजिए
2. उन गतिविधियों की सूची बनाइये जो आप अब करना चाहेंगे (यदि आपको आवश्यक सुविधाएं मिलें)।	मिलान कीजिए
	चर्चा कीजिए

इन गतिविधियों की सूची पर नजर डालने से पता चलेगा कि ये सूचियां बच्चों को जानकारी व अनुभव प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण साधन हैं। क्या आप इन सभी गतिविधियों को एक नाम दे सकते हैं ? यदि आपने "पाठ्यक्रम" शब्द सोचा है तो आप सही हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप शिक्षा संस्थाओं में जिन गतिविधियों का आयोजन करते हैं या जिनकी योजना बनाते हैं वही "पाठ्यक्रम" है।

पाठ्यक्रम का बदलता स्वरूप

आप में से कुछ लोग काफी अरसे से पढ़ा रहे होंगे। आप संभवतः जानते होंगे कि कुछ अन्तराल के बाद स्कूली पाठ्यक्रम से कुछ परिवर्तन व संशोधन किए गए थे। पाठ्यक्रम में इन परिवर्तनों का संबंध लक्ष्य, उद्देश्यों, तत्वों, शैक्षणिक प्रक्रिया व छात्रों के मूल्यांकन से रहा है। आज पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में रचनात्मक तथा स्वतंत्र विचार की क्षमता का विकास महत्वपूर्ण है। एक समय था जब स्कूलों में विज्ञान तथा गणित अनिवार्य विषय नहीं थे। लेकिन आज शिक्षा के सभी स्तरों पर ये स्कूली पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग हैं। शिक्षा आयोग रिपोर्ट (1964-65) के बाद सामान्य शिक्षा के अंग के रूप में पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव संबंधी गतिविधियों पर अधिक जोर दिया गया। +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को पुनः विशेष महत्व प्रदान किया गया। इन उदाहरणों से पता चलता है कि पाठ्यक्रम गतिशील व क्रियाशील है। समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के बदलने के साथ पाठ्यक्रम भी बदले व संशोधित किये जाते हैं।

क्रियाकलाप–2

1. पिछले दस वर्षों में स्कूली पाठ्यक्रम और आपके विषय के पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन हुए हैं उनकी सूची बनाइए।	चर्चा कीजिए
	एकत्र कीजिए
2. ये परिवर्तन क्यों हुए हैं ?	मिलान कीजिए

चिन्ताएं और प्राथमिकताएं

इस चिंता में वृद्धि हुई है कि मोटे तौर पर शिक्षा हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं व आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल नहीं हुई है। ये आवश्यकताएं एवं आकांक्षाएं क्या हैं ? हमारी इच्छा हैं कि समानता एवं न्याय पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो। आज हमें क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद आदि विभाजनकारी प्रवृत्तियों का मुकाबला करना है और अपनी सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय अस्मिता एवं एकता की रक्षा करनी है। साथ ही चरित्र निर्माण, संवैधानिक दायित्वों के प्रति सम्मान, विश्व व्यापी दृष्टिकोण के विकास, पर्यावरण की सुरक्षा, राष्ट्रीय प्राकृतिक सम्पदा की सुरक्षा तथा छोटे परिवार की विचारधारा के प्रसार की जरूरत है। सबसे पहले तो शिक्षा को ऐसा बनाया जाए जो निर्माणात्मक हो, बुराई से संघर्ष कर सके, स्वतंत्र चेतना में वृद्धि तथा एकता का निर्माण कर सके। निर्माणात्मक से हमारा अर्थ है : राष्ट्रीय एकता व सुदृढ़ता को प्रोत्साहन देने वाले उच्चकोटि के सिद्धान्तों एवं सुसंस्कृत

विचारों का क्रियान्वयन। संघर्ष से हमारा तात्पर्य है : समाज में व्याप्त विनाशकारी प्रवृत्तियों (व्यक्तिगत व वर्गगत) का सामना करना। स्वतंत्र चेतना का अर्थ है : अज्ञान एवं अंधविश्वास से मुक्ति, जबकि एकता का अर्थ समाज व छात्र के बीच एकता व अखण्डता का निर्माण करना है।

अध्ययन संबंधी गतिविधियां

आप आपस में वर्तमान भारत की प्राथमिकताओं व चिंताओं के बारे में विचार विमर्श करें। इन प्राथमिकताओं व चिन्ताओं से शिक्षा के क्या लक्ष्य सामने आते हैं ? शिक्षा के उन उद्देश्यों की सूची बनाइए जो आपके विचार विमर्श के बाद सामने आए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति

ऊपर जिन प्राथमिकताओं व चिंताओं का उल्लेख है वे स्थानीय प्रकृति की नहीं हैं। इनसे शिक्षा के प्रति एक विस्तृत राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास की बात सामने आती है और वह है स्कूलों के लिए शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की बात। हमें राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता इसलिए भी है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षणिक असमानताओं के बावजूद सभी छात्रों के लिए समान स्तर प्राप्त करना जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का एक लक्ष्य यह भी है कि सारे देश में शिक्षा का एक समान ढांचा हो।

राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का अर्थ एक संकीर्ण समानता नहीं है। इसका अर्थ है एक मोटे ढांचे के अन्तर्गत छात्रों के लिए समान शैक्षणिक उद्देश्य, समान शिक्षा का ढांचा व शिक्षा में समान स्तर का निर्माण। विभिन्न राज्य अपनी स्थानीय आवश्यकताओं एवं मांगों के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के ढांचे के अन्तर्गत अपनी शिक्षा नीति के निर्माण व क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र होंगे। हमारा देश अपनी भौगोलिक, भाषागत, धर्मगत एवं सांस्कृतिक विविधता से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। हमारी एकता भारतीय संस्कृति की विविधता एवं समृद्धि पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानताएं दूर करना तथा प्रत्येक बच्चे के लिए कम से कम शिक्षा के स्तर को सुनिश्चित करना है। इसके लिए अध्यापक, स्कूल तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी लचीला रुख अपना सकते हैं।

इस व्यवस्था के मुख्य अंग हैं:—

1. जातिगत, साम्प्रदायिक, स्थान व लिंग संबंधी भेदभाव के बिना सभी छात्रों को एक स्तर तक अच्छी शिक्षा दी जाए।
2. सभी को न केवल भर्ती करने के वरन् सफल होने के समान अवसर दिए जाएं।
3. सभी राज्यों में 10+ 2+ 3 की शिक्षा प्रणाली लागू हो।
4. राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा एक हो जिसमें कुछ प्रमुख विषय सब जगह समान हों। अन्य विषयों में लचीला रुख अपनाया जा सकता है।
5. हर स्तर पर शिक्षा में जानकारी का न्यूनतम स्तर निर्धारित हो।
6. छात्रों में भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों की विविध संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्था की जानकारी व समझ पैदा हो।
7. कार्य तथा व्यवस्था प्रबंधन क्षमता के बीच तालमेल हो।
8. छात्र को उच्च शिक्षा एवं व्यवसाय-प्रशिक्षण के लिए विभिन्न अवसर दिए जाएं।
9. राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था द्वारा राष्ट्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाए।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे को हमें राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग बनाना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर हम पाठ्यक्रम की केवल मोटी रूपरेखा बना सकते हैं ताकि राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम तैयार करने में समुचित लचीलापन लाया जा सके। देश के विभिन्न क्षेत्रों व राज्यों की आवश्यकताओं को देखते हुए एक समान पाठ्यक्रम का विकास प्रासंगिक नहीं होगा। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा तैयार किया गया है उसके विशिष्ट अंग हैं :

1. राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानव संसाधनों का विकास।
2. प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के सभी स्कूलों में व्यापक सामान्य शिक्षा।
3. आरंभिक (प्राइमरी व अपर प्राइमरी) तथा माध्यमिक स्तर पर एक समान शिक्षा योजना।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रस्तुत समान मुख्य विषय।
5. सभी स्तरों पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम जानकारी की परिभाषा।
6. न्यूनतम जानकारी की प्राप्ति के लिए विषयों के चुनाव में लचीलापन।
7. पाठ्यक्रम लागू करने में अध्यापक केन्द्रित दृष्टिकोण की बजाय छात्र केन्द्रित तथा गतिविधियों पर आधारित प्रक्रिया अपनाना।
8. पूरे शिक्षण समय को ध्यान में रखते हुए परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन तथा नियमित व विस्तृत मूल्यांकन की व्यवस्था जिसमें शैक्षिक व अशैक्षिक दोनों ही पहलुओं का समावेश हो।
9. एक समुचित व्यवस्था—जैसे समस्त राष्ट्र में दक्षता व योग्यता जांचने व परखने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन सेवा (नेशनल टैस्टिंग सर्विस) की स्थापना।
10. पढ़ने के ढंग, माध्यम, साधन व भाषा की विभिन्नता के बावजूद सभी छात्रों के लिए एक ही पाठ्यक्रम लागू हो और ऐसी योग्यता प्राप्ति की गारण्टी हो कि वह किसी भी क्षेत्र में प्रवेश कर सके।
11. सभी स्कूलों व अनौपचारिक शिक्षण केन्द्रों में पाठ्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था हो।

क्रियाकलाप–3

पाठ्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की एक सूची तैयार कीजिए।

समान प्रमुख तत्व

जब से उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध आरम्भ हुआ है तभी से राष्ट्रीय अस्मिता की खोज आरम्भ हुई। यह खोज अभी समाप्त नहीं हुई है। वस्तुतः आज इसकी आवश्यकता पहले से कहीं ज्यादा अनुभव की जा रही है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत संविधान में उल्लिखित राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने तथा राष्ट्रीय मूल्यों के विकास के संदर्भ में पाठ्यक्रम बनाने की जोरदार बात की जाए। इस संबंध में 10 प्रमुख तत्व हैं जिन्हें पाठ्यक्रमों में उतार कर राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित प्रमुख तत्व माने गए हैं जिन्हें देश के सभी स्कूलों में पढ़ाया जाना जरूरी है :

1. भारत की आजादी के आन्दोलन का इतिहास
2. संवैधानिक दायित्व

3. राष्ट्रीय अस्मिता को बढ़ावा देने व मजबूत करने वाले तत्व
4. भारत की समान सांस्कृतिक परम्परा
5. समानता, जनतंत्र व समाजवाद
6. स्त्री-पुरुष में समानता
7. पर्यावरण की सुरक्षा
8. सामाजिक विषमताओं व विभेदों का निराकरण
9. छोटे परिवार के सिद्धान्त का पालन
10. वैज्ञानिक स्वभाव का निर्माण

मूल्यांकन

स्कूल के बाहर से आयोजित दसवीं या बारहवीं कक्षा की परीक्षा व स्कूल में आयोजित सालाना परीक्षा संतुलित नहीं होती क्योंकि यह मौखिक नहीं अपितु लिखित विचार पर ज्यादा जोर देती है। ऐसी परीक्षा सिर्फ निम्न स्तरीय योग्यता (जैसे याददाश्त व किताबी जानकारी) पर आधारित होती है। ऐसी परीक्षा में स्वतंत्र या रचनात्मक विचारों पर जोर नहीं दिया जाता। विषय-गत मामलों में, व्यवसाय गत विषयों में, कार्य अनुभव में तथा शारीरिक शिक्षा में लिखित परीक्षा से ज्ञान की परीक्षा तो हो जाती है लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं हो पाता। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा में दिए गए अंक सदैव विश्वसनीय नहीं होते। राष्ट्रीय शिक्षा-नीति-1986 तथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के अन्तर्गत वर्तमान परीक्षा प्रणाली की अपूर्णताओं पर ध्यान देते हुए उसकी प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए कई सिफारिशें की गई हैं। प्रस्तावित परीक्षा प्रणाली में "आंतरिक", "निरंतर" एवं "व्यापक" मूल्यांकन पर विशेष जोर दिया गया है। अध्यापक द्वारा आंतरिक मूल्यांकन में मूल्यांकन के विविध तरीकों (मौखिक परीक्षा सहित) का समावेश होगा। निरंतर मूल्यांकन से जहां एक ओर पाठ्यक्रम पूरा करना संभव होगा वहां दूसरी ओर हम उसमें विभिन्न गतिविधियों का भी समावेश कर सकेंगे। व्यापक मूल्यांकन के अन्तर्गत व्यक्ति के संज्ञानात्मक पक्ष के साथ ही प्रभावपूर्ण एवं मनःप्रेरक पक्ष को ध्यान में रखना भी संभव होगा।

परस्पर विचार-विमर्श पूर्ण अध्यापन

एक अध्यापक के रूप में आपको अपनी कक्षा में पढ़ाने का अनुभव है। आप इससे सहमत होंगे कि अधिकांश कक्षाओं में पढ़ाने का ढंग सन्तुलित नहीं है। खासकर विभिन्न योग्यताओं और दक्षताओं के विकास में। यह पाठ्यक्रम के घोषित उद्देश्यों के साथ भी प्रासंगिक नहीं है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में स्वतंत्र चिंतन, मौलिकता, उत्पादकता, तार्किक विचार व वैज्ञानिक विचारधारा का विकास शामिल है लेकिन व्यवहार में इन योग्यताओं के विकास की दिशा में कम ही प्रयास किया जा रहा है। आजकल अधिकांशतः अध्यापन सूचनापरक होता है जो स्वतंत्र चिंतन विकसित करने के स्थान पर रट लेने पर ज्यादा जोर देता है। यह शैली अध्यापक को सूचना देने वाला और छात्र को सूचना ग्रहण करने वाला बना देती है। इस प्रकार इस व्यवस्था में छात्र व अध्यापक के बीच संवाद व पारस्परिक विचार विमर्श का अभाव रहता है। वास्तव में बाहर से परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था इस पद्धति के लिए काफी जिम्मेदार हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे के अन्तर्गत अध्यापक की भूमिका में परिवर्तन किया गया है। इसके अनुसार वह सूचना देने वाला न होकर ज्ञान व चिन्तन को बढ़ावा देने वाला होगा। अध्यापक व छात्र के बीच संवाद पर आधारित अध्यापन की उसमें सिफारिश की गई है। यह कहा गया है कि अध्ययन-अध्यापन में विभिन्न तरीके व गतिविधियां अपनाई जाएं जैसे प्रेक्षण, सामग्री व सूचना एकत्र करना, प्रदर्शन व प्रयोग करना, खास विषय पर लेख लिखना, खेलकूद, शैक्षणिक

खेल, शैक्षणिक यात्राएं, नाटक, सामूहिक वाद-विवाद, साप्ताहिक गतिविधियां, समस्याओं का निदान, विचार-विमर्श, खोज आदि। इन गतिविधियों से छात्र-केन्द्रित पाठ्यक्रम लागू करने में भारी सहायता मिलेगी।

समीक्षा व परिशोधन (फीड बैक)

1. हम राष्ट्रीय स्तर पर ही पाठ्यक्रम ढांचा क्यों तैयार करें ?
2. पाठ्यक्रम निर्माण में विकेन्द्रीकरण के क्या लाभ हैं ?
3. पाठ्यक्रम के विकास में अध्यापक की क्या भूमिका है ?
4. प्रमुख तत्वों में और क्या तत्व शामिल किए जा सकते हैं ?
5. शिक्षा की व्यवस्था/शैली में सुधार की आवश्यकता है ?

विस्तृत अध्ययन के लिए सुझाव

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अध्ययन कीजिए तथा उसके विशेष तत्वों का परिचय दीजिए।
2. राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे का अध्ययन कीजिए तथा उसकी विभिन्न सिफारिशों पर अपनी टिप्पणी दीजिए।
3. प्रशिक्षण के दौरान आपने अध्यापन के तरीकों पर जो पुस्तकें पढ़ी हैं उन्हें पुनः पढ़िये।

स्कूली स्थिति पर पुनर्विचार

1. वर्तमान पाठ्यक्रम के बारे में अपने विचार बताइये।
2. आप जो कक्षाएं पढ़ाते हैं उनके पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दीजिए।
3. क्या आप सोचते हैं कि यह वैयक्तिक व सामाजिक विकास की जरूरतों के लिए प्रासंगिक हैं ?

●

मॉड्यूल–3 सी

वंचित वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के संदर्भ में

एक दृष्टिपात

1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा में समानता लाने की आवश्यकता एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में समझी गयी है। इस बात पर बल दिया गया है कि "न केवल सबको समान अवसर मिले बल्कि उनके लिए सफलता प्राप्त करने की परिस्थितियां भी समान बनें"। इस संदर्भ में अध्यापक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।

"शिक्षण के अवसर सबको समान रूप से प्रदान करने" का अर्थ अभी तक यह लगाया जाता था कि बच्चों के लिए इतनी दूरी पर स्कूल खोले जाएं जहां तक वे पैदल जा सकें, बच्चों को विद्यालय में आवास की सुविधा दी जाये, स्कूलों में हर संप्रदाय के बच्चों को दाखिला मिले, पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने और उन्हें स्कूल में बनाये रखने की दर बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाएं, जो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र उपलब्ध कराये जाएं, मैट्रिक से पूर्व और मैट्रिक के बाद की कक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, बच्चों की पढ़ाई के लिए विभिन्न सहायक सेवाएं उपलब्ध करायी जायें आदि। अक्सर यह देखा गया है कि या तो लाभकर्ताओं द्वारा इन सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं उठाया गया है या इन्हें सही संदर्भ में नहीं समझा गया है। दूसरी ओर भारतीय समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के शैक्षणिक विकास में लोगों की आर्थिक गरीबी प्रमुख बाधा होते हुए भी एकमात्र बाधा नहीं है। कई अन्य कारण भी हैं, जैसे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिबन्ध, बच्चों की उनकी शिक्षा के लिए प्रेरणा देने का अभाव, उनके माता-पिता का स्वयं को हीन समझने का भाव, पिछड़े समुदायों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति के प्रति अध्यापकों का उदासीन रवैया। आमतौर पर, यदि अध्यापक इन समुदायों के शैक्षणिक विकास में सक्रिय भाग लें और विशेषकर उनके बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें, तो शिक्षा में उनकी सफलता का मार्ग निश्चय ही प्रशस्त होगा।

आइये हम देश में गैर-अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जन जातियों की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की शैक्षणिक प्रगति को देखें। 1981 की जनगणना के अनुसार, पूरे भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की साक्षरता दर क्रमशः 21.38 और 16.35 प्रतिशत थी जबकि गैर-अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जन जातियों की साक्षरता दर 41.20 प्रतिशत थी। इन समुदायों की महिलाओं की शिक्षा में प्रगति तो और भी शोचनीय है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की महिलाओं में साक्षरता दर क्रमशः 10.93 और 8.04 प्रतिशत थी जबकि शेष अन्य समुदायों की महिलाओं की साक्षरता दर 29.43 प्रतिशत थी। इन समुदायों में उच्च शिक्षा विभिन्न समुदायों में तो नहीं के बराबर है।

बीच शैक्षणिक विकास की असमानताएं कई सामाजिक और आर्थिक बुराइयों को जन्म देती है। इससे आमतौर पर देश में मानव संसाधन विकास में गिरावट आती है और विद्यार्थी के व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता।

लक्ष्य

इस मॉड्यूल का अध्ययन करने पर आपको निम्न बातें समझने में सहायता मिलेगी :—

–अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों में शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण यह है कि आजादी से पूर्व इनन समुदायों को सामाजिक उपेक्षा और आर्थिक गरीबी का शिकार बनाया गया।

–भारतीय समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों और अन्य वर्गों के बीच शैक्षणिक विकास की असमानताओं को विशेष प्रयासों [illegible]

–अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के बच्चों के प्रति यदि अनजाने में भी व्यवहार संबंधी भेदभाव दिखाया जाये तो उसका परिणाम यह होता है कि इन बच्चों की पढ़ाई से अरुचि हो जाती है, वे जल्दी पढ़ाई छोड़ देते हैं और उनमें हीन भावना घर कर जाती है।

–इन वर्गों के बच्चों की शिक्षा के प्रति, विशेषकर पहली पीढ़ी के विद्यार्थियों के प्रति अध्यापकों की विशेष भूमिका है।

–अध्यापकों को चाहिये कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों और माता-पिता को उनके लाभार्थ बनायी गयी योजनाओं और दिये जाने वाले प्रोत्साहनों के बारे में समझाएं तथा अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित करें।

–समान व्यावहारिक साक्षरता का अल्पकालिक कार्यक्रम चलाने और अध्यापकों की हार्दिक भागीदारी से भारतीय समाज में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के बीच शिक्षा संबंधी असमानताओं की खाई पट सकेगी।

क्रियाकलाप–1

आपने कक्षा में और कक्षा से बाहर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के बच्चों के प्रति किसी न किसी प्रकार का भेदभाव परिलक्षित किया होगा। वे परिस्थितियां कौन सी हैं? इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का कारण क्या है? विद्यालय की दैनिक गतिविधियों में इस प्रकार के व्यवहार का क्या औचित्य है? स्कूल में और समुदाय में बिना भेदभाव का वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक से क्या भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है?

इस पर चर्चा करने से कई ऐसी परिस्थितियां सामने आयेंगी जब विद्यार्थी, अध्यापकगण और समुदाय के अन्य सदस्य बिना सोचे-विचारे या अनजाने में कुछ समुदायों के छात्रों को उनके जाति नाम से बुलाएंगे और इस तरह उन्हें अपमानित करेंगे। इसे रोका जाना चाहिये और स्कूल में अनुकूल सामाजिक परिवेश तथा शैक्षणिक वातावरण बनाया जाना चाहिये।

नीचे कुछ सुझाव दिये गये हैं, जिनसे स्कूल में ऐसा परिवेश बनाने में मदद मिलेगी जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के बच्चों की शिक्षा में प्रगति के लिए सहायक होगा।

(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों के प्रति अध्यापक के अपने व्यवहार का उदाहरण ही अनुकूल वातावरण बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है।

(2) नियमानुसार, स्कूल के अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य वर्गों के बीच भेदभाव मिटाने का संकल्प करना चाहिये।

(3) हाजिरी लेते समय या बच्चों को बुलाते समय उनके जाति नामों या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

(4) अध्यापकों को चाहिए कि वे सभी बच्चों को स्कूल की पाठ्यक्रम संबंधी, सांस्कृतिक और खेल-कूद संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए समान रूप से प्रोत्साहित करें।

(5) स्कूल के कर्मचारियों, अध्यापकों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के बच्चों के माता-पिता के बीच अक्सर बैठकें होनी चाहियें। इन बैठकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों

में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बनायी गयी योजनाओं को समझाया जाना चाहिये। उनके ऊपर यह प्रभाव डाला जाना चाहिये कि वे अपने बच्चों की शिक्षा जारी रखें। उन्हें लड़कियों को शिक्षा दिलाने के लिए प्रेरित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

(6) यदि स्कूल में या उसके आसपास कोई प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र हो तो अध्यापकों द्वारा अशिक्षित माता-पिता को वहां व्यावहारिक साक्षरता कक्षाओं में जाने का सुझाव दिया जाना चाहिये तथा उसके लाभ बताए जाने चाहिये।

क्रियाकलाप–2

स्कूल की निम्न स्थिति की कल्पना कीजिए—

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के बहुत से बच्चे पहली पीढ़ी के विद्यार्थी हैं। वे अपेक्षाकृत गरीब वातावरण से आते हैं। वे उतने साफ और चुस्त नहीं हैं। वे स्थानीय बोली के शब्दों को बड़े सुस्पष्ट ढंग से बोलते हैं। हो सकता है कि अपने सहपाठियों की तुलना में वे मान्य भाषा का बहुत अच्छा प्रयोग न कर पाते हों और उनका शाब्दिक ज्ञान कम विकसित हो। हो सकता है उनकी प्रारंभिक गणित की धारणाएं न बनी हों। दूसरी ओर, हो सकता है काम निकालने की उनकी कुशलता बेहतर विकसित हो। वे अपने अवलोकन में तेज और स्पष्ट हो। वे कुछ काम करने के लिए अधिक उत्साहित रहते हों और बैठ कर बस सुनते रहना उन्हें कठिन लगता हो। घर में अनुकूल वातावरण न होने के कारण और घर में सुविधा के अभाव में हो सकता है कि ये बच्चे अपना गृहकार्य पूरा करने की स्थिति में नहीं। दूसरी तरफ, चूंकि उनके माता-पिता अक्सर भूमिहीन मजदूर होते हैं या दूसरे शारीरिक श्रम या कृषि संबंधी कार्यों में लगे होते हैं, इसलिए ये बच्चे शिक्षित व्यक्तियों के रूप में अपने भविष्य की कल्पना नहीं कर पाते। वे अपने आपको नीचा समझते हैं क्योंकि उनके सामने कोई ऐसा उदाहरण नहीं होता जिसे देख कर वे कुछ बनने की महत्वाकांक्षा पाल सकें।

ऐसी स्थिति में एक अध्यापक शिक्षा का स्तर कैसे बनाए रख सकता है? विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे एक ग्रुप में कैसे घुल-मिल सकेंगे? गरीब घर की पृष्ठभूमि के कारण उपजी प्रारम्भिक कठिनाइयों को कैसे हटाया जा सकता है? यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के बच्चे अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते तो क्या किया जाना चाहिये? अपने बारे में स्वस्थ धारणा बनाने में इन बच्चों की मदद कैसे की जा सकती है?

गरीब घर की पृष्ठभूमि से आने वाले और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के बच्चों को तैयार करने के लिए अलग से कुछ प्रारम्भिक कक्षाएं ली जाने की आवश्यकता है। ये कक्षाएं सामान्य दाखिले शुरू होने के 2 से 3सप्ताह पहले ली जा सकती हैं। अध्यापक स्वास्थ्य, स्वभाव, व्यक्तिगत और वातावरण की सफाई, खाने की आदतें आदि के बारे में पाठ पढ़ा सकता है। बच्चों को बहस, कहानी सुनाने, कविता पाठ करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये। उन्हें शब्दों का उच्चारण सुधारने और मान्य भाषा का प्रयोग करने में मदद दी जानी चाहिये। गणित की प्रारंभिक धारणाओं से भी उनका परिचय कराया जाना चाहिये। तैयारी के लिए प्रारम्भिक कक्षाएं शुरू करने का उद्देश्य यह है कि इन बच्चों की स्कूल में प्रवेश लेने की योग्यता बढ़े ताकि अध्यापक को ऐसी कक्षा मिले जो समरूप हो। अन्य कक्षाओं में भी यदि अध्यापक को ऐसा लगता है कि सीखने के स्तर में एकरूपता नहीं हैं तो कुछ समय के लिए पिछड़े विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए अलग से कक्षाएं चलायी जा सकती हैं, जिनसे उन्हें काफी मदद मिल सकती है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों से आने वाले छात्र शैक्षिक क्षेत्रों में भी कमजोर हो सकते हैं। उन्हे सहायक शिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता होती हैं। विद्यालय कुछ सहायक शिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करा सकता है। ये अल्पकालिक आधार पर और विषय-वस्तु के लिए कुछ एकांशों को ले कर तैयार किये जा सकते हैं। पढ़ाने के लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाकर, जैसे सहपाठियों के साथ ग्रुप में सीखना, कक्षानायक की सहायता से कुछ सीखना,

निदान करके परीक्षण करना तथा पढ़ाना आदि से विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर सुधारा जा सकता है।

बाहर खेले जाने वाले खेल तथा अन्य गतिविधियां, पाठ्यक्रम की सहायक गतिविधियां तथा अनुभव देने वाले अन्य क्रियाकलापों की व्यवस्था होने पर भी बच्चों को स्कूल में बनाये रखने में सहायता मिलती है। उनमें पढ़ाई जारी रखने की रुचि भी जागृत होती है।

क्रियाकलाप–3

आइये हम फिर से एक नजर शिक्षा में समानता के सिद्धांत पर डालें, जिसका निरूपण राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे जैसे दस्तावेजों में किया गया है। इसकी व्याख्या निम्न प्रकार से की गयी है :

(1) सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएं, केवल शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि सफलता प्राप्त करने की स्थितियां बनाने में भी।

(2) लड़के-लड़कियों के बीच समानता लाई जाए और भेदभाव दूर किया जाए।

(3) पहली पीढ़ी के छात्रों की विशेष जरूरतों पर ध्यान दिया जाए।

(4) शिक्षा के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान किए जाएं।

(5) गरीब परिवारों को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वे अपने बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से स्कूल भेजें।

(6) निरंतर सूक्ष्म-नियोजन और पुष्टिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों की भर्ती करने, पढ़ाई जारी रखने और पाठ्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य किसी भी अवस्था में अधूरा न रह जाये।

माता-पिता और समुदाय के सदस्यों की प्रोत्साहनों की योजना के बारे में समझाने में अध्यापकों को अहम् भूमिका निभानी है। केवल अध्यापक ही माता-पिता के संपर्क में आता है। वह उन्हें छात्रों की जरूरतों और उनके वर्तमान और भविष्य के जीवन में शिक्षा के योगदान के बारे में समझा जा सकता है। कई माता-पिता इन प्रोत्साहनों और मैट्रिक पूर्व तथा मैट्रिक बाद की कक्षाओं के लिए मिलने वाली वृत्ति का दुरुपयोग करते हैं। वे बच्चे के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा की भूमिका को समझ ही नहीं पाते। उन्हें अपने भविष्य की जरूरतों का कोई भान नहीं होता। अध्यापक की भूमिका एक मिशनरी, एक परिवर्तन लाने वाले एजेंट, एक सुविधा देने वाले की है। माता-पिता के लिए अध्यापक से बढ़कर विश्वसनीय व्यक्ति कोई दूसरा नहीं हो सकता।

निम्न स्तर पर शैक्षिक योजना की नयी धारणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्वीकार कर ली गयी है। शिक्षा में विकास की गतिविधियों को बनाने, आयोजित करने, लागू करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए जिला शिक्षा संस्थान और जिला शिक्षा बोर्ड स्थापित किये जा रहे हैं। निम्न स्तर पर योजनाएं बनाने का अधिकतम लाभ शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों और वर्गों को मिलेगा। हालांकि निम्न स्तर पर योजना बनाने की प्रशासनिक इकाई जिला स्तर की होगी पर वास्तविक इकाई अध्यापक की गतिविधियां होंगी क्योंकि वही सबसे पहले और सबसे तेज कार्य करता है। इस कार्यक्रम की सफलता उसके प्रयास में ही निहित है।

क्रियाकलाप–4

अपने क्षेत्र के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के समुदायों में लड़कियों की शिक्षा के पक्ष में राय बनाने के लिए ग्रुप में क्रियाकलाप तैयार कीजिए। क्रियाकलापों की सूची बनाइये और इन्हें अपने सहयोगी अध्यापकों में बांट दीजिए। आप अपने शिविर में इस क्रियाकलाप का अभिनय करके अभ्यास कर सकते हैं।

महिलाओं को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना

भारत की नारी ने बहुत से उतार-चढ़ाव देखे हैं। इतिहास साक्षी है कि वैदिक काल में नारी को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त थे। वे धार्मिक विधि-विधानों में भाग लेती थीं। यज्ञ करती थीं। धर्म में वे पुरुष की समानाधिकारिणी थी। युद्धक्षेत्र में जाती थीं, वीरता से लड़ती थीं, सब त्योहारों में भाग लेती थीं, दर्शनशास्त्र पर वाद-विवाद करती थीं, विवाह की इच्छा न होने पर अविवाहिता रह जाती थीं, इस दृष्टि से उन्हें किसी प्रकार का कोई सामाजिक भय न था।

परन्तु समय ने करवट ली, उनकी स्थिति का ह्रास हुआ, उनका स्तर गिर गया। मनुस्मृति में तो यहां तक कहा गया है कि "..................नारी स्वतंत्रता की अधिकारिणी नहीं है।"[1]

हालांकि नारी के संबंध में ऐसे भी उदाहरण हमें मिलते हैं :—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।।[2]

(जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता बसते हैं।
जहां इनकी पूजा नहीं होती, वहां सब विधि-विधान असफल हो जाते हैं।)

यह सच है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। अगर दोनों सामंजस्यपूर्ण जीवन बिताते हैं और मिल-जुल कर काम करते हैं तो दोनों की दुनिया बदल सकती है। दोनों इन्सान हैं, दोनों सुख-दुख, कष्ट और आनन्द की अनुभूति करते हैं, तो फिर हमारे समाज में यह भेदभाव क्यों ? हमें आश्चर्य होता है कि आज के स्वतंत्र भारत में नारी के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक का सा व्यवहार किया जाता है। वह दीन-हीन नहीं है, उसे दया नहीं चाहिए, वह अबला भी नहीं है तो फिर उसके साथ अबलाओं का सा व्यवहार क्यों ?

शिक्षाशास्त्रियों के लिए एक लम्बे अर्से से यह चिन्ता का विषय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति '86 में कहा गया है कि असमानता को दूर करने के लिए और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लड़कियों को समान अवसर दिए जाएंगे।

इसे करने का एक तरीका यह है कि पाठ्यपुस्तकों में स्त्री-पुरुष में भेदभाव की रुढ़िगत नीति को समाप्त किया जाए। (पृष्ठ 107:5 (जी)

1. स्त्री-पुरुष में भेदभाव की नीति की समाप्ति

I. भूमिका

इस मॉड्यूल को पढ़ने के पश्चात् आप समझ सकेंगे कि पाठ्यपुस्तकों में "स्त्री-पुरुष में भेदभाव की नीति" का क्या अर्थ है। इसमें हम आपका ध्यान उन साधनों और मार्गों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जिनके माध्यम से आप लड़के-लड़कियों के प्रति समभाव बरत सकें। इससे आपका अपने छात्रों के प्रति रवैया व व्यवहार बदलेगा और छात्रों

1. मनुस्मृति 1: श्लोक 3; मैक्सम्यूलर: पुनर्मुद्रित 1964, पृष्ठ 328।
2. गिरिजा खन्ना, "इंडियन विमेन टु डे"; नई दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ 2।

के आपसी व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। पाठ्यसामग्री एवं बच्चों की अन्य पुस्तकों में नारी की दीन-हीना छवि ही प्रतिबिम्बित होती है। इस स्थिति को बदलने के लिए सामाजिक चेतना बढ़ रही है। सरकार की तरफ से संवैधानिक व्यवस्था एवं प्रयास किए जा रहे हैं। अतः अब आवश्यक हो गया है कि पाठ्यसामग्री में स्त्री-पुरुष के इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाएं क्योंकि बच्चों के मनमानस के निर्माण में पाठ्यसामग्री की महत्वपूर्ण भूमिका है।

II. उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के पश्चात् आप :

(क) पाठ्यसामग्री का मूल्यांकन कर सकेंगे कि वहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति को अपमानजनक ढंग से प्रस्तुत किया गया है या नहीं ?

(ख) विषयसूची में ऐसी सामग्री ढूंढ़ सकेंगे जो ऊपर से तो ठीक लगती है पर वास्तव में है नहीं।

(ग) पाठ्यसामग्री में इन दो बातों का मूल्यांकन कर सकेंगे :
—क्या सामग्री लिंग भेद के प्रतिकूल है ? (नकारात्मक पहलू)।
—क्या सामग्री स्त्री-पुरुष के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने वाली है ? (सकारात्मक पहलू))।

III. नकारात्मक व सकारात्मक पहलू का स्पष्टीकरण

(क) नकारात्मक पहलू

स्त्री-पुरुष भेदभाव और पक्षपात का कारण है—स्त्री की भूमिका के प्रति समाज का पूर्वाग्रह और विभिन्न स्तरों पर नकारात्मक रवैया। इस प्रकार का भेदभाव पाठ्यसामग्री की विषय वस्तु, भाषा और सामग्री के प्रस्तुतिकरण में हो सकता है।

(1) विषय वस्तु

हो सकता है, पुस्तकों में स्त्री से संबंधित प्रकरण असंतुलित हों। हो सकता है कि स्त्री से संबंधित प्रकरण पपर ज्यादा जोर न दिया गया हो। हो सकता है कि पुस्तक में पुरुषों की अपेक्षा स्त्री-पात्रों की संख्या बहुत कम हो। हो साकतता है कि किसी विशेष स्थल पर स्त्री को घिसे-पिटे और दीन-हीन रूप में ही दर्शाया गया हो।

वस्तुतः पुस्तक की समीक्षा करते समय प्रत्येक पाठ/अध्याय का इस दृष्टि से मूल्यांकन किया जाना चाहिए तिकि उसमें महिला को समान स्तर व समान रूप से प्रस्तुत किया गया है या नहीं।

(2) भाषा संबंधी विषय वस्तु

विषय वस्तु की अभिव्यक्ति भाषा से होती है। भाषा संबंधी पाठ्यपुस्तकों में भाषाई तत्व प्रमुख होते हैं और वहहां विषय सिर्फ एक माध्यम होता है। जब कोई लेखक विभिन्न श्रेणियों, अवसरों या व्यक्तियों के लिए उपयुक्त व्याकरएण के विभिन्न नियमों को समझाने के लिए और शब्दावली को स्पष्ट करने के लिए किसी विचार विशेष का प्रयोग कारतता है तो उसमें भी उसका व्यक्तियों या चीजों के प्रति रवैया प्रतिलक्षित होता है। इसलिए भाषा संबंधी विषयवस्तु, कथनन या लाक्षणिक अभिव्यक्ति में जहां कहीं भी महिला की छवि को नीचा दिखाया गया हो, विषय वस्तु में जहां कहीं भीभी महिला की छवि कलुषित हो और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे वहां उस अंश को विशेष रूप से रेखांकित किया जानना चाहिए।

(3) प्रस्तुतिकरण

किसी विषय पर विचार के प्रस्तुतिकरण का अपना खास ढंग होता है, उसके लिए आप भाषा का सहारा लेते हैं। प्रस्तुतिकरण का अपना विशेष महत्व है। इस पर पुस्तक के मूल्यांकन के समय ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रस्तुति का सबका अपना-अपना ढंग होता है—उससे व्यक्ति की छवि को जहां एक ओर ऊपर उठाया जा सकता है वहीं दूसरी ओर उसे नीचे भी गिराया जा सकता है।

हमें पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ में इस पर ध्यान देना होगा कि वहां महिला की छवि को चित्रित करते समय कहीं पक्षपातपूर्ण रवैया तो नहीं अपनाया गया है? अगर हां तो उसे किस प्रकार बदला जा सकता है?

2. स्त्री-पुरुष भेदभाव के क्षेत्र

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिला की भूमिका को माता-पिता, परिवार के अन्य सदस्यों, सास-ससुर, समाज और आश्चर्य की बात तो यह है कि स्वयं महिला द्वारा गलत समझा गया है। नकारात्मक रवैये का मुख्य कारण है: सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और शैक्षणिक क्षेत्र में महिला की उल्लेखनीय भूमिका को अपेक्षाकृत कम महत्व देना। आज भी उसे परिवार पर बोझ समझा जाता है, अबला माना जाता है और उसके साथ दूसरे दर्जे के नागरिक का सा व्यवहार किया जाता है।

3. सामाजिक बुराइयां

हमारे आज के समाज की अधिकांश बुराइयों में महिला के प्रति पुरुष के पक्षपातपूर्ण रवैये की झलक मिलती है। दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति, बाल-विवाह और गलत धारणायें जैसी सामाजिक बुराइयां समाज के लिए अभिशाप हैं और देश की प्रगति में बाधक हैं। दहेज प्रथा से पता चलता है कि महिला आज भी एक संपत्ति का टुकड़ा है जिसे पुरुष अपनी मामर्जी से खरीदता है।

4 कलंक का टीका

विधवा और विधुर, अविवाहिता स्त्री और अविवाहित पुरुष के प्रति आज जो समाज का रवैया है उसमें "दो भांति" की नीति स्पष्ट दिखाई देती है। इसी प्रकार बच्चा न होने पर स्त्री के साथ जो सलूक किया जाता है वह भी पक्षपात-पूर्ण है। काम करती स्त्रियों और स्कूल जाती लड़कियों के माथे पर जो कलंक का टीका लगाया जाता है, उसे भी जड़मूल से समाप्त किया जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों में इस प्रकार के सन्दर्भों को ढूंढ़ कर रेखांकित किया जाना चाहिए।

5 अक्षमताएं और अयोग्यताएं

आज भी बड़े पैमाने पर यह सोचा जाता है कि महिला जीवन के कई क्षेत्रों में पुरुष का मुकाबला नहीं कर सकती। आज भी कहा जाता है कि वह प्रबन्ध एवं नेतृत्व में पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती, हालांकि यह बात स्त्री-पुरुष दोनों पर ही लागू हो सकती है। जहां एक ओर बहुत से पुरुष ऐसे होंगे जो दब्बू और दुर्बल हैं तो वहीं दूसरी ओर बहुत सी महिलाएं दृढ़निश्चयी, सौम्य, ओजस्वी और बुद्धिमती हैं। इसलिए चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, किसी के साथ भी भेदभाव ठीक नहीं। पाठ्यपुस्तकों में अगर इस प्रकार का कोई नकारात्मक पहलू है तो उसे नोट किया जाना चाहिए।

6 पुरुष पर निर्भरता

आज भी यह सोचा जाता है कि महिला स्वतंत्ररूप से जीवन पालन नहीं कर सकती, वह स्वतंत्ररूप से निर्णय नहीं ले सकती। इस प्रकार के दकियानूसी विचारों को भी नोट किया जाना चाहिए।

7. चित्र

चित्र विषय से संबंधित होने चाहिए, विषय के स्पष्टीकरण में सहायक, मूल्यवर्धक व अनुपूरक होने चाहिए। महिलाओं को उनमें "सेक्स-सिम्बल" के रूप में नहीं अपितु प्रतिष्ठित ढंग से दर्शाया जाना चाहिए। चित्र उद्देश्यपूर्ण एवं अर्थपूर्ण होने चाहिए।

(ख) सकारात्मक पहलू

(1) योग्यता

महिलाओं ने सिद्ध कर दिया है कि वे शारीरिक और बौद्धिक रूप से अगर पुरुष से बेहतर नहीं तो कम भी नहीं हैं। प्रशासन, प्रबन्ध व्यवस्था या नेतृत्व में वे पीछे नहीं हैं। पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करते समय ऐसे सब सन्दर्भों को ढूंढ निकालना जरूरी है।

(2) आत्मनिर्भरता

महिला आत्मनिर्भर भी हो सकती है। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहां उन्होंने डटकर परिस्थितियों का सामना किया है, अपनी आत्म-निर्भरता का सबूत दिया है और प्रेरणा का स्रोत बनी हैं। मूल्यांकन करने वाले को ऐसे सन्दर्भों को रेखांकित करना चाहिए।

(3) भावात्मक संबंध

जहां तक भावनाओं का संबंध है, हमें महिलाओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वह अपने परिवार के लिए अपने को भुलाकर क्या कुछ नहीं करती, क्योंकि उसे अपने परिवार से मोह है। उसके साथ सिर्फ इसलिए दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए कि वह इस मोह बन्धन में बंधी है। यह तो एक ऐसा गुण है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

(4) समान अवसर और वेतन

संविधान में स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसरों की गारण्टी दी गई है। उसमें यह भी कहा गया है कि दोनों को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक या वेतन मिलना चाहिए। हालांकि व्यावहारिक रूप से अभी भी भेद भाव की नीति अपनाई जाती है। स्त्री और पुरुष दोनों के व्यक्तित्व-विकास के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक एवं वांछनीय है।

महिला को सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में समान अवसर दिए जाने चाहिए और इनका उल्लेख भी किया जाना चाहिए।

(5) पारस्परिक सहकारिता

परिवार समाज का एक अभिन्न अंग है। इसलिए परिवार और समाज की प्रगति पारस्परिक सहकारिता, प्रेम और एकता की भावना पर निर्भर करती है। स्पष्टत: परिवार और समाज से संबंधित मामलों में दोनों को अच्छे से मिलजुलकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने कर्त्तव्य को निभाना चाहिए। अगर दोनों आपसी विचार विमर्श के बाद निर्णय लेते हैं तो सफलता की संभावना दुगुनी हो जाती है।

(6) सामाजिक कलंक का निराकरण

महिला के प्रति पारम्परिक दृष्टिकोण, बांझ और विधवा के प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैये और विधवा के पुनर्विवाह की नामंजूरी की भरसक निन्दा की जानी चाहिए। पाठ्यपुस्तकों में उन अंशों को विशेष रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए जहां इन बुराइयों को समाप्त करने पर जोर दिया गया है।

(7) महिलाएं अपनी स्थिति स्वयं सुधार सकती हैं

महिलाएं अपनी समस्याएं हल करने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। इस संदर्भ में उन महिलाओं की प्रशंसा की जनी चाहिए जिन्होंने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से नारी को ऊपर उठाने, महिला-कल्याण और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है।

(8) महिला-प्रेरणा का स्रोत

भारत में शिवाजी की मां जीजाबाई, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली जैसी स्त्रियों ने जन्म लिया है जो अपने बच्चों व पति के लिए प्रेरणा का स्रोत थीं। ऐसा किसी भी सामान्य व्यक्ति के जीवन में हो सकता है और होता है। ऐसे उदाहरणों को विशेषरूप से उभारा जाना चाहिए।

(9) महिला-प्रेम और त्याग का प्रतीक

ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां महिलाओं ने अपने पति, बच्चों, समाज और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किय है। ऐसे उदाहरणों को रेखांकित किया जाना चाहिए।

(10) महिला-पात्रों का सही ढंग से प्रस्तुतिकरण

पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में और सही ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेखिकाओं का आज जान-माना स्थान है और ऐसी महिलाओं की भी कमी नहीं है जो सबल, सशक्त एवं आत्मनिर्भर नारी का प्रतिरूप हैं।

IV शिक्षा गतिविधियां

आप कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं और कक्षा में बच्चों के साथ आपने कई सफल अनुभव किए हैं। अब आप यह बात अच्छी प्रकार जानते हैं कि पाठ्यसामग्री में लड़के और लड़कियों को लेकर कितना भेदभाव है।

आइए अब हम कुछ पल को रुक कर उन्हें ढूंढ़ निकालने की कोशिश करें।

क्रियाकलाप-1

–आप वर्षों से पढ़ा रहे हैं। क्या आपने पाठ्यसामग्री में इस प्रकार के स्त्री-पुरुष भेदभाव पर ध्यान दिया है ? –एक अलग पत्र पर उन्हें लिखिए।	एकल कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

अब आपके सामने ऐसे कुछ अंश हैं जहां स्त्री-पुरुष को लेकर भेदभाव और पक्षपात सुस्पष्ट है, जिसका कारण है महिला की भूमिका के प्रति समाज का पूर्वाग्रह और विभिन्न स्तरों पर नकारात्मक रवैया। आइए इन पर दृष्टिपात करें और इस बात का पता लगाएं कि :

.........पाठ्यसामग्री में यह भेदभाव विषयगत हैं, भाषागत है या दोनों ही दृष्टियों से है ? या फिर क्या यह भेदभाव विषयवस्तु की शैली व प्रस्तुतिकरण में है ?

"नकारात्मक एवं सकारात्मक पहलुओं" के अन्तर्गत चर्चा की जा चुकी है कि विषयगत एवं भाषागत भेदभाव से हमारा क्या तात्पर्य है।

क्रियाकलाप-2

"विषयगत भेदभाव" से आप क्या समझते हैं, कुछ वाक्य लिखिए।	एकल कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

इस चर्चा के पश्चात् पाठ्यपुस्तकों में आप देख सकेंगे कि महिलाओं से संबंधित प्रकरणों में कितना असंतुलन है।

आप यह भी देखेंगे कि महिलाओं सें संबंधित प्रकरणों को कम महत्व दिया गया है। पुस्तकों में महिला पात्रों की संख्या भी पुरुष-पात्रों की अपेक्षा कम है। स्पष्टतः प्रत्येक पुस्तक का प्रत्येक पाठ/अध्याय हमें इस दृष्टि से जांचना होगा कि वहां स्त्री को समान स्थान दिया गया है या नहीं (अध्यायों की संख्या सहित)।

आप चर्चा से समझ गए होंगे कि विषयवस्तु में स्त्री-पुरुष को लेकर जो पक्षपात हैं वह बांझ, अविवाहितता एवं विधवा के प्रति नकारात्मक सामाजिक रवैये से जुड़ा है। जहां तक शिक्षा या ऐसे ही अन्य अवसर प्रदान करने का सवाल है, लड़कियों के साथ लड़कों से भिन्न व्यवहार किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, दहेज प्रथा, वधू की कीमत, बाल विवाह, अन्धविश्वास, गलत धारणाएं, स्त्री की पुरुष पर निर्भरता आदि ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जो स्त्री-पुरुष में भेदभाव व पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण पनपी हैं।

पाठ्यसामग्री एवं बच्चों की पुस्तकों से वे सब अंश, जहां लड़कियों के साथ लड़कों से भिन्न व्यवहार की झलक मिलती है, निकाल दिए जाने चाहिए जिससे लड़के और लड़कियां जीवन में कन्धे से कन्धा मिलाकर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। इस प्रकार यहां हमारा उद्देश्य नकारात्मक रवैये का पता लगाना है जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और शैक्षिक क्षेत्र में महिला की उल्लेखनीय भूमिका को काटता है।

क्रियाकलाप–3

क्या आप "विषय वस्तु" में से ऐसे अंशों की सूची बना सकते हैं जिन्हें बदला जाना चाहिए ? और क्या आप ऐसे सुझाव दे सकते हैं जिनसे कक्षा में छात्रों के दिमाग से स्त्रियों के प्रति इस नकारात्मक रवैये को दूर किया जा सके ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

जी हां, निश्चित रूप से, अब आप यह जान गए होंगे कि आज हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उनका मुख्य कारण स्त्री के प्रति पुरुष का प्रतिकूल रवैया है। दहेज प्रथा और वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक बुराइयां समाज के लिए अभिशाप हैं और हमारे राष्ट्र की प्रगति में बाधक हैं। ये बुराइयां इस बात का प्रमाण हैं कि स्त्री आज भी संपत्ति का एक टुकड़ा है जिसे पुरुष मनमाने ढंग से स्वीकारता है।

क्रियाकलाप–4

अगर पाठ्यसामग्री में ऐसे स्थल आते हैं तो आप व्यवहार में संतुलन लाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाएंगे, कुछ वाक्यों में लिखिए। और आप बच्चों का ध्यान इस बुराइयों की ओर कैसे मोड़ेंगे जिससे वे महिलाओं को सकारात्मक पहलू से देखना शुरू कर सकें ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

आपने पाठ्यसामग्री में भेदभाव और पक्षपातपूर्ण अंश ढूंढ़ लिए हैं, अब आप उन गलतियों को ठीक कर सकते हैं जो छात्रों में स्त्रियों/लड़कियों के प्रति गलत रवैये को जन्म देती हैं। यही समय है जबकि लड़के-लड़कियों को इस तथ्य से अवगत कराया जाना चाहिए कि महिलाएं शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से पुरुष से कम नहीं हैं। प्रशासन, व्यवस्था या नेतृत्व में वे पुरुष का समरूपेण मुकाबला कर सकती हैं। इस काम को करने के दो रास्ते हैं :

क्रियाकलाप–5

पाठ्यसामग्री/बच्चों की अन्य पुस्तकें पढ़िए। वे स्थल ढूंढ़ निकालिए जहां महिलाओं की सकारात्मक छवि है। नकारात्मक अंशों की भी सूची बनाइए जहां आप अपने छात्रों को यह बताना चाहेंगे कि समय बदल चुका है, ऐसी कई महिलाएं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आई हैं जिन्होंने यह प्रमाणित कर दिया है कि वे पुरुषों से कम नहीं।

अब आपके पास एक "गणक" तैयार हो गया है। इससे आप छात्रों का ध्यान आसानी से इस ओर मोड़ सकेंगे कि आज की नारी अधिक आत्म-निर्भर, आत्मप्रेरक और आत्मनिर्देशी है।

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिला की भूमिका को माता-पिता, परिवार के अन्य सदस्य, समाज और आश्चर्य तो इस बात का है कि महिला स्वयं अच्छी प्रकार समझ नहीं पाई है।

अब समय आ गया है कि हम अपने बच्चों को इस तथ्य से अवगत कराएं कि महिला भी आत्मनिर्भर बन सकती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां उसने संघर्ष कर अपने आपको और अपनी आत्मनिर्भरता को सिद्ध कर दिया है और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है।

क्रियाकलाप–6

पाठ्यसामग्री एवं बच्चों की अन्य पुस्तकों में महिला की छवि से संबंधित भाषागत स्थल ढूंढ़ कर लिखिए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

आप कोई भी विषयवस्तु भाषा की सहायता से किसी एक विशेष ढंग से प्रस्तुत करते हैं। लेखक द्वारा विषय-वस्तु के प्रस्तुतिकरण एवं उसकी लेखन शैली का अपना विशेष महत्व है इसलिए पुस्तक की जांचते समय इन दोनों बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कोई बात किस तरह कही गई है, इसका व्यक्ति की छवि पर बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक पाठ में हमें सिर्फ इस बात का पता लगाना है कि महिलाओं के प्रति पक्षपात की नीति तो नहीं अपनाई गई है। अब समय आ गया है कि आप अपने बच्चों को यह बताएं कि हमारे संविधान में स्त्री-पुरुष दोनों के व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर की गारण्टी दी गई है। उनमें यह भी कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक या वेतन दिया जाए। स्त्री-पुरुष दोनों के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक एवं वांछनीय है। महिला को सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में समान अवसर दिए जाने चाहिए और छात्रों के सामने ऐसे सन्दर्भ रखने की कोशिश की जानी चाहिए।

क्रियाकलाप–7

पुस्तक में अगर कहीं परिवार के सदस्यों में सामंजस्यपूर्ण संबंधों का कोई प्रमाण है तो उसे लिखिए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

अपने छात्रा क दिमाग में यह भरने की कोशिश कीजिए कि परिवार समाज का एक अभिन्न अंग है। अतः परिवार और समाज की प्रगति मुख्यतः पारस्परिक सहयोग, प्रेम और एकता की भावना पर निर्भर करती है। परिवार और समाज से संबंधित मामलों में पति को कन्धे से कन्धा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए और प्रभावपूर्ण ढंग से कर्त्तव्य निभाना चाहिए। अगर दोनों आपस में विचार-विमर्श कर निर्णय लेते हैं तो जीवन कहीं अधिक सुखद और सफल बन सकता है।

क्रियाकलाप–8

ठहरिए और सोचिए कि क्या आप अपने छात्रों में लड़के-लड़कियों दोनों के साथ समान व्यवहार करते हैं? उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनमें आपके सभी छात्रों ने समान रूप से भाग लिया है। उदाहरण के लिए पाठ्यक्रम और सह-पाठ्यक्रमी के क्रियाकलाप जैसे खेलकूद, नाटक, ललित कलाएं (गायन, नृत्य, ड्राइंग और पेंटिंग) लेखन आदि ॥

अब समय है कि आप अपने अन्तर्तम में झांककर देखें कि क्या आप अपने छात्रों के साथ समान व्यवहार कर रहे हैं या नहीं, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के समान अवसर दे रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो कारण दीजिए और अन्त में स्वयं से पूछिए :

क्या लड़के-लड़कियों में अन्तर करना और उनके साथ भेदभाव बरतना उचित है? अगर नहीं तो आपने स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया है और भाषा पढ़ाने वाला अध्यापक स्त्री-पुरुष में भेदभाव मिटाने के लिए कौन सी भूमिका अदा कर सकता है?

●

मॉड्यूल–5 सी

पढ़ने-लिखने में कठिनाई अनुभव करने वाले बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति

एक दृष्टिपात

हमारी कक्षाओं में ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें सहज रूप से पढ़ने-लिखने में कठिनाई होती है। इन बच्चों की न सीख पाने की समस्या के दो कारण हैं या तो उनमें यह दोष जन्मजात होता है या फिर वह वातावरण दोषपूर्ण है, जहां वे शिक्षा पा रहे हैं। ये दोनों कारण एक साथ भी हो सकते हैं। इस मॉड्यूल का उद्देश्य है पिछड़े हुए बच्चों के एक विशेष वर्ग की समस्याओं को जानना और उनकी शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के तरीकों पर गौर करना। उन्हें पढ़ाने के लिए हमें निम्नलिखित कदम उठाने होंगे :—

(1) व्यक्तिगत रूप से लिखने-पढ़ने का अभ्यास कराना,

(2) मिल-जुल कर समूह में अभ्यास कराना, और

(3) पूर्ण बैठकों में विचार विमर्श करना।

पढ़ते हुए आपको कई रोचक लिखित अभ्यास कराने होंगे। इन अभ्यासों में आपको आनन्द आयेगा। इसलिए पढ़ना शुरू करने से पहले लेखन सामग्री अपने पास रखें। मॉड्यूल पूरा होने के बाद आपको यह मूल्यांकन करना होगा कि आपने क्या और कितना सीखा है। इसके लिए अंत में प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर देने का प्रयास करें।

उद्देश्य

मॉड्यूल पूरा होने के बाद :

(1) कम से कम एक ऐसा नया सुझाव दें, जिससे आप अपनी कक्षा के उन बच्चों की समस्याएं समझ सकते हैं, जिन्हें कुछ लिखने-पढ़ने में दिक्कत होती हैं।

(2) जिन बच्चों में न सीख पाने की समस्या जन्मजात है, उनके कारणों का पता लगाने के लिए सही तरीके का विस्तार से वर्णन करें और इन कारणों के अनुसार बच्चों का वर्गीकरण करें।

(3) नियमित अध्यापकों के लिए कम से कम तीन ऐसे सुझाव दें जिनसे वे क्रमांक (2) वाले बच्चों की शिक्षा संबंधी जरूरतें पूरी कर सकें।

(4) उन एजेंसियों और संस्थाओं की सूची बनाएं, जरूरत होने पर जिनकी सहायता लेकर अध्यापक क्रमांक (2) वाले बच्चों की शिक्षा संबंधी जरूरतें पूरी कर सकें।

(5) अपनी कक्षा के ऐसे बच्चों की शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप क्या कदम उठाना चाहेंगे? सुझाव दें।

शिक्षण गतिविधियां

आप कुछ समय से एक अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं, अपने शिक्षणकाल के दौरान आप ऐसे बच्चों से जरूर टकराए होंगे जिनकी योग्यता संतोषजनक रही होगी। साथ ही आपका वास्ता ऐसे बच्चों से भी पड़ा होगा, जो आप

द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने के बावजूद आपकी आशा के अनुरूप न कुछ सीख सके होंगे और न ही उनका कार्य संसंतोष-जनक रहा होगा। जाहिर है कि इन बच्चों की कुछ न सीख पाने की अपनी समस्याएं हैं। अन्य अध्यापकों ने भी अआपसे औपचारिक या अनौपचारिक बातचीत के दौरान ऐसी समस्याओं का जिक्र किया होगा। इन समस्याओं पर विचारार करें और अध्यापक के रूप में अपने अनुभव के आधार पर उन कारणों की सूची बनाएं, जिनसे इन बच्चों में ये समस्याएं ं होती हैं।

कक्षा में कुछ न सीख पाने की समस्या के सम्भावित कारण

क्रियाकलाप–1

मेरे विचार से मेरे छात्रों की न सीख पाने की समस्या के कारण निम्नलिखित हैं :

1.	2. ....
3.	4. ....
5.	6. ....
7.	8. ....
9.	10. ....

आपने अपने छात्रों की न सीख पाने की समस्या के कारणों की सूची बना ली है। कुछ समान बातों के आधारार पर आप इन कारणों का वर्गीकरण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, गरीब और अशिक्षित माता-पिता को सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। कृपया प्रयत्न करें। यदि आप चाहें तो अपने सहयोगियों से भी इसस पर विचार-विमर्श कर सकते हैं। सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के बाद आपका वर्गीकरण इस प्रकार दिखाई देगा :

क्रियाकलाप–2 : शिक्षा संबंधी समस्याओं का वर्गीकरण

वर्ग	वर्ग के अन्तर्गत रखी गयी शिक्षा संबंधी समसस्या
(1)	1. ....
	2. ....
	3. ....
	4. ....
(2)	1. ....
	2. ....
	3. ....
	4. ....
(3)	1. ....
	2. ....
	3. ....
	4. ....
(4)	1. ....
	2. ....
	3. ....
	4. ....

(5) .... 1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

जिन कारणों की सूची आपने बनायी है और जिनका वर्गीकरण किया है, उनकी जांच करने से पता चलता है कि इनमें से कुछ का संबंध स्कूल या घर के शिक्षा संबंधी परिवेश से है और कुछ बच्चे के व्यक्तित्व से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए माता-पिता का नकारात्मक रुख या सामाजिक पिछड़ापन घर और समुदाय के शिक्षा संबंधी परिवेश को ओर इंगित करता है। दूसरी ओर, अपर्याप्त अध्यापन-कार्य स्कूल के शैक्षणिक वातावरण से संबंधित है। कम बुद्धि, श्रवण दोष या दृष्टि दोष बालक के व्यक्तित्व से संबंधित हैं। इन कमियों से बच्चे को पढ़ने-लिखने में कठिनाई होती है। हालांकि, इन कारणों की जिम्मेदारी भी बच्चे के परिवेश पर डाली जा सकती है क्योंकि इन दोषों* को सुधारने के लिए या तो कदम उठाए ही नहीं गये या फिर उठाए भी गए तो वे पर्याप्त नहीं थे। लेकिन आप एक शिक्षक के रूप में इन बच्चों की उपेक्षा नहीं कर सकते। उनकी कमियां दूर करने या सुधारने के लिए समुचित उपाय करने ही होंगे। यदि ऐसे कदम न उठाये गये तो इन बच्चों की शिक्षा ग्रहण न कर पाने की समस्याएं बढ़ती ही जायेंगी और कुंठा के दबाव में आकर देर-सबेर वे पढ़ना ही छोड़ देंगे। यदि माता-पिता के दबाव में आकर वे पढ़ाई नहीं भी छोड़ते तो उनमें आक्रामक प्रवृत्ति का विकास हो सकता है। इससे उनके व्यवहार में ऐसे दोष आ जायेंगे जो न केवल स्वयं उनके हितों की हानि करेंगे बल्कि दूसरे बच्चों की पढ़ाई में भी बाधा डालेंगे।

इस मॉड्यूल का प्रमुख लक्ष्य सामान्य स्कूलों में उन बच्चों को पढ़ाना है। दूसरे कारणों पर अलग से विचार किया गया है। हो सकता है कि ऐसे शारीरिक अक्षमता वाले कुछ बच्चे आपकी कक्षाओं में अब भी हों। इनमें से अधिकतर बच्चों में छोटे-मोटे दोष होते हैं—जैसे मानसिक पिछड़ापन, अपने आस-पास के वातावरण में स्वयं को ठीक से न ढाल पाना, ठीक से न सुन पाना, आंखें कमजोर होना, हाथ पैरों में कोई दोष होना आदि। स्वाभाविक है कि आप ऐसे बच्चों का ज्ञान और कार्य क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जरा सोचें और इन कार्यों की सूची बनाएं। इस पर भी विचार कीजिए कि इस दिशा में और क्या किया जा सकता है।

क्रियाकलाप–3 : अध्यापक के कार्य : विकलांग बच्चों की सहायता

विकलांगता	कार्य जो किया जा रहा है	कार्य जो किया जा सकता है
1—**अंग दोष** : हाथ पैरों में कोई कमी होना	1.	1. ....
	2.	2. ....
	3.	3. ....
	4.	4. ....

***शारीरिक दोष**

शारीरिक दोष का अर्थ है शरीर के किसी अंग का क्षतिग्रस्त होना जिससे शरीर के सामान्य कार्यों में बाधा पड़ती है। बच्चे में समझने की क्षमता की कमी या स्मृति दोष आदि का भी इसमें समावेश किया जा सकता है।

अपंगता

इससे व्यक्ति की काम करने की क्षमता कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। अतः व्यक्ति की यह "अक्षमता" ही "अपंगता" है।

विकलांगता	कार्य जो किया जा रहा है	कार्य जो किया जा सकता है
2—बुद्धि दोष	1....................	1....................
	2....................	2....................
	3....................	3....................
	4....................	4....................
3—श्रवण दोष	1....................	1....................
	2....................	2....................
	3....................	3....................
	4....................	4....................
4—वाक् दोष (गूंगा होना, हकलाना आदि)	1....................	1....................
	2....................	2....................
	3....................	3....................
	4....................	4....................
5—दृष्टि दोष (नजर कमजोर होना)	1....................	1....................
	2....................	2....................
	3....................	3....................
	4....................	4....................

आप जैसे कई अध्यापकों ने सामान्य कक्षाओं में ही विकलांग बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्याएं सुलझाने केके कई प्रयास किये हैं। इस मॉड्यूल सें यह बताया जायेगा कि उन्होंने ऐसे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कैसे प्रयास किये।

इन बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्याएं दूर करते की दिशा में सबसे पहला कदम है: ऐसे बच्चों का पता लगाना। शारीरिक कमी कभी-कभी बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए पतले सुकड़े पैर, कूबड़ या भैंगापन। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हर दम बीमारी, सिरदर्द, थकान आदि की शिकायत करते हैं और स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई में हमेशा पिछड़े रहते हैं। हो सकता है इन बच्चों में कोई दोष हो। ऐसे बच्चों के स्वभाव, चरित्र और व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षक उनकी समस्याओं को प्रमाणित कर सकता है। अगर ऐसे बच्चों का पता लगा लिया जाता है तो आपको उन बच्चों को ढूंढ़ निकालने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी जिनकी शिक्षा अक्षमता का कारण विकलांगता है। इन बच्चों को डॉक्टर के पास भेजा जाता हैं। उनका इलाज जरूरी है। उदाहरण के लिए, जो बच्चे ठीक से सुन नहीं पाते, हो सकता है उन्हें चिकित्सा की जरूरत हो या स्पिरिंग एड की। जिन बच्चों की नजर कमजोर है, हो सकता है उन्हें लैंस या चश्मे की जरूरत हो। जो बच्चे चलने से लाचार हैं, उन्हें बैसाखियों या पहिये वाली कुर्सी की जरूरत हो सकती है। कुछ बच्चों को सही ढंग से लिखने के लिए किसी ऐसे यंत्र की जरूरत हो सकती है जिसकी सहायता से वे ठीक से लिख सकें।

उपचारात्मक और सुधारात्मक कदमों के साथ ही पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रक्रिया में भी सुधार किये गये हैं जिससे ये बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह ही पाठ्यक्रम को समझ सकें। विशेष रूप से इसी परिप्रेक्ष्य में विकलांगता के या शारीरिक दोष के हर पहलू पर विचार किया गया है। इन बच्चों में शारीरिक दोष का पता लगाने और उनकी शिक्षा में सुधार लाने के लिए निर्देश दिये गये हैं।

अंग दोष वाले बच्चे

शारीरिक रूप से पिछड़े हुए कुछ बच्चों को अंग-संचालन में कठिनाई हो सकती है। यह मांसपेशियों या जोड़ों से संबंधित समस्या है। इसका प्रभाव हाथों, पैरों और बाह्य अंगों पर पड़ता है। इन बच्चों को चलने फिरने में कठिनाई हो सकती है। अन्यथा उसमें भी सामान्य बच्चों जैसी ही सीखने की क्षमता होती है। हालांकि उनकी कुछ खास समस्याएं हो सकती हैं, उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे की उंगलियों की मांसपेशियां जकड़ गई हैं तो उसे लिखने में परेशानी होगी। कुछ बच्चे ठीक से उठ, बैठ या खड़े नहीं हो सकते जिससे ये जल्दी थक जाते हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य गतिविधियों में भी उनकी भागीदारिता सीमित रह जाती है। ऐसे बच्चों का दूसरे सामान्य बच्चे अक्सर मजाक उड़ाते हैं और उनसे अलग अलग रहते हैं, जिससे इन बच्चों को स्वयं को अपने परिवेश के अनुकूल ढालने में दिक्कत होती है। ऐसे बच्चों को पहचानना आसान है क्योंकि अक्सर उनकी विकलांगता साफ दिखाई पड़ती है।

(क) पहचान

1. दृश्य-विकलांगता

गर्दन	....	....
हाथ	....	....
उंगलियां	....	....
कमर	....	....
टांगें	....	....
2. बैठने, खड़े होने और चलने में परेशानी होती है।	....	....
3. चीजों को उठाने, पकड़ने और जमीन पर रखने में कठिनाई होती है।	....	....
4. प्राय: जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है।	....	....
5. लिखने के लिए कलम पकड़ने में कठिनाई होती है।	....	....
6. झटके से चलता है।	....	....
7. अंगों में अवांछित हलचल है।	....	....
8. शरीर का कोई अंग कटा है।	....	....

अध्यापक को चाहिये कि वह बच्चों के माता-पिता के सहयोग से बच्चे की इन कमियों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाये या उन्हें सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करे। ये सेवाएं जिला पुनर्वास केन्द्रों में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त अस्पतालों से भी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के जरिये ये सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

(ख) शिक्षा

यह आवश्यक है कि शिक्षक खुद ऐसे बच्चों को स्वीकार करे। उसे स्वयं किसी बच्चे की अपंगता का मजाक नहीं बनाना चाहिये और न ही उसकी कमियों के लिए उसे ताने देने चाहिये। इसके अलावा जिन बच्चों को ऐसा व्यवहार करते हुए पाया जाये, उन्हें ऐसा करने से रोका जाना चाहिये। परन्तु साथ ही विकलांग बच्चे को यह अहसास कभी नहीं होना चाहिये कि उसे अतिरिक्त रियायतें दी जा रही हैं। उसे अपने साथ के बच्चों के साथ ही शिक्षा संबंधी सभी गतिविधियों में समान रूप में भागीदार बनाना चाहिये। उससे भी अन्य बच्चों की तरह ही काम कराये जाने चाहिये। अध्यापक को चाहिये कि वह सभी सहपाठियों को आपसी सम्मान, सहायता और सहयोग के आधार पर घुलने-मिलने

के लिए प्रेरित करे। यदि दूसरे बच्चे विकलांग बच्चे की कमजोरी को समझ लेंगे तो उन्हें आपसी मेल-जोल बढ़ाने में मदद मिलेगी।

कक्षा में बच्चे की विकलांगता के अनुसार उसे बैठाने का प्रबंध करना चाहिए। उदाहरण के लिए, बैसाखी यश पहियेदार कुर्सी वाले बच्चों को आगे दायीं ओर बैठाना चाहिये ताकि अन्य बच्चों के आने-जाने में बाधा न पड़े। यहां उसे बैसाखियों को दीवार के सहारे खड़ा करने की सुविधा भी मिल जायेगी। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जिससे बच्चा स्वतंत्रता से हिल-डुल सके और शिक्षा का लाभ उठा सके। यदि कोई बच्चा पहियेदार कुर्सी पर आता है तो उसके लिए स्कूल व कक्षा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रबंध करना होगा।

यह भी देखा गया है कि विकलांगता की वजह से स्कूल में इन बच्चों के मनोरंजन की आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये कि उनकी कार्य क्षमता के अनुसार उन्हें खेलों, शारीरिक क्रियाओं और मनोरंजन के लिये की जाने वाली गतिविधियों में भाग लेने के पर्याप्त अवसर दिये जायें। उनके सहपाठियों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये कि वे इन बच्चों के साथ उनकी गतिविधियों में हिस्सा लें।

जिन बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्या यह है कि वे अपने अंगों को आसानी से हिला-डुला नहीं सकते, तो उन्हें विशेष अभ्यास करवाया जाना चाहिये। उदाहरण के लिए अगर लिखने के लिये हाथ में किसी सहायक उपकरण की जरूरत पड़े तो इसके लिए क्रमिक अभ्यास कराने और अतिरिक्त सहारा देने की आवश्यकता होती है। इन बच्चों के कार्य का मूल्यांकन करते वक्त, विशेषकर उन्हें ग्रेड या नंबर देते समय, उनकी विकलांगता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये। यदि उन्हें लिखने में कठिनाई होती है तो उन्हें अतिरिक्त समय दें और यदि जरूरी हो तो उनकी मौखिक परीक्षा भी ली जा सकती है। कुछ विषयों में उनके उत्तर कैसेट में रिकार्ड किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, इतिहास के पेपर में जहां भाषा में हिज्जों की गलतियां नहीं मानी जातीं, उनके उत्तर कैसेट पर रिकार्ड किये जा सकते हैं। संभव होने पर उन्हें वर्ड-प्रोसेसर की सुविधा भी दी जा सकती है।

क्रियाकलाप–4 : अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करें

क्या अध्यापक के रूप में आपको किसी ऐसे बच्चे को संभालना पड़ा है जो अंग-संचालन दोष से ग्रस्त हो ?

यदि हां, तो आपने अपने अध्यापन-कार्य और कक्षा में क्या कदम उठाये हैं ? इसका विवरण लगभग 25 शब्दों में दें।

(क) चलने-फिरने में कठिनाई महसूस करने वाले बच्चे :

....

....

....

....

(ख) मांसपेशियों में तनाव के कारण उठने, बैठने, खड़े होने में कठिनाई महसूस करने वाले बच्चे :

....

....

....

....

(ग) अध्ययन-गतिविधियों में मांसपेशियों की जकड़न के कारण कठिनाई महसूस करने वाले बच्चे :

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

दृष्टि दोष वाले बच्चे

कुछ बच्चे अंधे होते हैं। वे अपना रास्ता भी नहीं खोज सकते। वे सामान्य किताब नहीं पढ़ सकते, उन्हें ब्रेल में लिखी किताब की जरूरत होती है जो स्पर्श द्वारा पढ़ी जाती है। इन बच्चों की पहचान बड़ी आसानी से हो जाती है। कुछ बच्चों की नजर कमजोर होती है। इन बच्चों की दृष्टि चश्में से ठीक की जा सकती है। लेकिन कुछ बच्चे 18 प्वाइंट या उससे बड़े आकार के अक्षरों को ही पढ़ सकते हैं। कुछ को पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है। कुछ बच्चों की दृष्टि का क्षेत्र सीमित होता है। ऐसे बच्चों का पता लगाना और पढ़ने में उनकी विशेष सहायता करना आवश्यक है।

(क) पहचान

शैक्षणिक योग्यता पाने के लिए किताबों से बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। ब्लैकबोर्ड का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। दृष्टि कमजोर होने से शिक्षा संबंधी कई समस्याएं पैदा होती हैं। इन बच्चों का पता लगाना आवश्यक है। व्यवहार में दिखाई पड़ने वाले लक्षण हैं :—

1—ठीक से दिखाई न पड़ना

2—बारम्बार आंखें मलना

3—बार-बार आंखों का लाल होना

4—एक आंख को ढकना और सिर को आगे झुकाना

5—किताब आदि को आंखों के करीब रखना

6—ब्लैकबोर्ड से कुछ लिखते समय दूसरे बच्चों से पूछना

7—आंखें झपकाना

8—कनखी मारना

9—आंखों में पानी भरा रहना

10—आंखों पर जोर पड़ने वाले काम करने के बाद सिरदर्द की शिकायत करना

11—लोगों या चीजों से टकराना।

यदि अध्यापक को लगे कि किसी बच्चे के व्यवहार में ऐसे कुछ लक्षण हैं तो वह उसे आंखें दिखाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल भेज सकता है। उसके माता-पिता को सूचित करना भी आवश्यक है। ऐसे मामलों में इलाज जरूरी है।

(ख) शिक्षा

अध्यापक को चाहिये कि वह ऐसे बच्चों को आगे की पंक्तियों में बिठाये ताकि वे आसानी से ब्लैकबोर्ड पढ़ सकें। उसे बड़े-बड़े अक्षरों में लिखना चाहिये जो सरलता से पढ़े जा सकें। अध्यापक जो ब्लैकबोर्ड पर लिखता है, उसे जोर

से बोल भी सकता है। 18 प्वाइंट या उससे बड़े अक्षरों वाली पुस्तकें पुस्तकालय में होनी चाहिये ताकि इन बच्चों की जरूरतें पूरी हो सकें। जिला पुनर्वास केन्द्रों और अस्पतालों से उन बच्चों के लिये हाथ के लेंस या आवर्धक लेंस आदि लिये जा सकते हैं, जिनकी दृष्टि चश्मे की सहायता से ठीक नहीं हो सकती।

कमजोर दृष्टि वाले बच्चों पर से पढ़ने का बोझ घटाने के लिए, उन्हें एकाग्र होकर सुनने और समझने का प्रशिक्षण देना चाहिये। रेडियो प्रसारणों का समय बताकर उन्हें सुनने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। संभव हो तो उन्हें कैसेट सुनाये जाने चाहिये। विभिन्न विषयों के कैसेट पाने के लिए राजकीय शैक्षणिक तकनीकी संस्थान, राजकीय शिक्षा संस्थान, राजकीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् और केन्द्रीय शैक्षणिक तकनीकी संस्थान, एन० सी० ई० आर० टी० से संपर्क किया जा सकता है।

अध्यापक की इन बच्चों से अलग स्तर का व्यवहार स्वीकार नहीं करना चाहिये। उन्हें अपने काम की जगह साफ रखनी चाहिये। दूसरे बच्चों की तरह, जब वे आसानी से घूम-फिर सकते हों तो उनसे भी वही काम लिये जाने चाहिये जो उनके सहपाठियों से लिये जाते हैं। उन्हें प्यार से अपना व्यवहार ठीक करने की याद बराबर दिलाते रहना चाहिये। उन्हें शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के अवसर देने चाहिये। कमजोर दृष्टि वाले बच्चों के लिए बुक-स्टैण्ड भी लगाये जा सकते हैं।

श्रवण दोष एवं वाक् दोष वाले बच्चे

(क) पहचान

संप्रेषण और शैक्षणिक ज्ञान के लिए भली-भांति सुन पाना महत्वपूर्ण है। ठीक से न सुन पाने का असर बच्चे की ग्रहण और कार्य क्षमता पर पड़ता है। जो बच्चे ठीक से सुन नहीं पाते, उन्हें बोलने में भी कठिनाई हो सकती है। इस लिए यह जरूरी है कि ऐसे बच्चों का पता लगाया जाये और उनकी शिक्षा संबंधी जरूरतें पूरी करने की व्यवस्था की जाये।

निम्नलिखित लक्षणों से ऐसे बच्चों को आसानी से पहचाना जा सकता है :

1—कान में ऊपर से दिखायी देने वाली कोई कमी
2—कान का बहना
3—कान में दर्द की शिकायत
4—कान खुजाना
5—सुनने के लिए एक ओर सिर झुकाना
6—बार-बार अध्यापक से निर्देश, प्रश्न आदि दोहराने का अनुरोध करना
7—श्रुतलेख में बहुत गलतियां करना
8—अध्यापक की बात सुनते वक्त ध्यान से उसका चेहरा देखना
9—बोलने में कठिनाई होना

जिन बच्चों में ऐसा व्यवहार देखा जाये, उन्हें चिकित्सा के लिए अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजा जाना चाहिये। उनके माता-पिता को भी सूचित किया जाना चाहिये।

(ख) शिक्षा

जिन बच्चों को ठीक से सुनने में कठिनाई होती हो, उन्हें अध्यापक को अपने पास बैठाना चाहिये ताकि वे अच्छी तरह सुन सकें। अध्यापक को चाहिये कि वह ऊँचे से बोले। शब्दों को बहुत धीमे न बोले। बहुत जल्दी-जल्दी भी न बोले। पाठ्यपुस्तक से पढ़ते वक्त इन बच्चों को अध्यापक के ओंठ हिलते हुए दिखाई पड़ने चाहिये ताकि ओंठों

Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 4286
Date 12/6/86

के हिलने से वे यह पता लगा सकें कि क्या कहा जा रहा है। इसी प्रकार, ब्लैकबोर्ड पर लिखते हुए जब अध्यापक कुछ बोल रहा हो तो उसका चेहरा छात्रों की ओर होना चाहिये, न कि ब्लैकबोर्ड की तरफ। इसी वजह से अध्यापक को बोलते समय घूमना नहीं चाहिये। सहपाठियों को प्रोत्साहित करें कि वे इन बच्चों में घुल-मिल जायें और सीखने में एक-दूसरे की सहायता करें। सामान्य अध्यापन के साथ ही इन बच्चों को अलग से या समूह में चित्रों वगैरह की सहायता से भी पढ़ायें।

यदि वाक् दोष के कारण बच्चों को बोलने में कठिनाई होती है तो उनका इलाज कराया जाना चाहिये। यदि श्रवण शक्ति कमजोर होने के कारण बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता तो उसे समुचित तरीके और अभ्यास से सही बोलने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

मन्द बुद्धि वाले बच्चे

(क) पहचान

कुछ बच्चे पढ़ाई में हमेशा पिछड़े रहते हैं। वे सामान्य बच्चों की तुलना में लगभग दो साल पीछे होते हैं। हो सकता है कि उनमें कोई शारीरिक कमी न हो। वे कक्षा में भी ठीक से घुल-मिल नहीं पाते।

निम्नलिखित लक्षणों से इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है :

1—पढ़ाई-लिखाई में पिछड़े रहते हैं।
2—कुछ समय बाद ही पढ़ा हुआ भूल जाते हैं।
3—कक्षा में ठीक से ध्यान नहीं दे पाते और इधर-उधर देखते रहते हैं।
4—ठोस वस्तुओं के दिखाने पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।
5—तुरन्त इनाम पाना चाहते हैं।
6—असफल होने से डरते हैं।
7—अपने को हीन समझते हैं।
8—आत्मविश्वास में कमी होती हैं।
9—बातचीत कम करते हैं।
10—सोचने और करने में सही तालमेल नहीं बैठा पाते।
11—उन्हें बारम्बार एक ही बात दोहराने और अभ्यास कराने की जरूरत पड़ती है।

(ख) शिक्षा

अध्यापक को चाहिये कि वह इन बच्चों को ठोस चीजों से अनुभव कराये। ये अनुभव सहज उपलब्ध चीजों से कराये जा सकते हैं या स्वयं अध्यापक कुछ चीजें बनाकर दिखा सकता हैं। वातावरण के बारे से प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए उन्हें कक्षा से बाहर खेतों, मैदानों आदि में ले जाना चाहिये।

इन बच्चों को अभ्यास और आवृत्ति की आवश्यकता सामान्य बच्चों से अधिक होती है। उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में पढ़ाएं। पढ़ाने के बाद उनका ध्यान महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर मोड़ें। पढ़ाते समय, उनसे कोई सरल प्रश्न पूछें जिसका सही उत्तर देकर उन्हें अपनी सफलता का अहसास हो। इन बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए तुरन्त इनाम का लालच दें। ऐसे बच्चों को निम्नलिखित लक्षणों सें तुरन्त पहचाना जा सकता है :—

—उसे अपना काम करने में कठिनाई होती है जैसे—खाना खाने, कपड़े पहनने, नहाने और तैयार होने में।
—जब बच्चे को कुछ करते के लिए कहा जाये और वह समझ न सके कि उससे क्या करने के लिए कहा गया है।
—अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में वह सुस्त या निष्क्रिय दिखता हैं।

–अपनी आयु के बच्चों की तुलना में उसे चीजें सीखने में कठिनाई होती है।
–उसे अमूर्त चीजों को समझने में कठिनाई होती है।
–उसे अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक दोहराव या अभ्यास की जरूरत पड़ती है।
–उसे काम सीखने में अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक समय लगता है।
–अपनी आयु के अन्य बच्चों के विपरीत कक्षा में विभिन्न कार्यों में हिस्सा लेने से जी चुराता है।
–ठोस उदाहरणों पर बहुत अधिक निर्भर है।

इन बच्चों को सामाजिक परिस्थितियों में अभ्यास द्वारा बातचीत में दक्षता पाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। अध्यापक को ऐसे कार्यकलापों की व्यवस्था करनी चाहिये जिनमें बच्चे अपने सहपाठियों के साथ समूह बना कर हिस्सा ले सकें। इन बच्चों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये कि वे जितनी बार संभव हो, इन परिस्थितियों में अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें। इन बच्चों का पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए उन्हें सरल और रोचक तरीकों से पढ़ाना चाहिए। इस कार्य के लिए यह जरूरी है कि उन्हें पढ़ना, लिखना और कंठस्थ करके बोलना अच्छी तरह सिखाया जाये। इन बच्चों से काम कराने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत थोड़े समय तक एक चीज पर ध्यान केन्द्रित कर पाते हैं। उनकी रुचि बनाये रखने के लिए उन्हें तरह-तरह के रोचक कार्य देने होंगे।

वे बच्चे, जिन्हें सीखने में कठिनाई होती है

ऐसे बच्चे भी होते हैं, जिनका बौद्धिक स्तर सामान्य से ऊंचा होता है। उनमें कोई श्रवण या दृष्टि दोष भी नहीं होता। पर फिर भी उन्हें पढ़ने, लिखने, हिज्जे करने या गणित में कुछ विशेष प्रकार की कठिनाइयां होती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ बच्चे हमेशा, "बी" को "डी", "नाम" को "मान", "21" को "12" पढ़ते और लिखते हैं (अर्थात् उल्टा पढ़ते और लिखते हैं)। उनकी ये समस्या कुछ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं (जैसे किसी चीज को ग्रहण करना और स्मरण रखना) में दोष के कारण पैदा होती है। इन बच्चों में शिक्षा संबंधी समस्या इनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में दोष के कारण है। इन बच्चों का पता लगाना और उन्हें पढ़ने में विशेष सहायता देना जरूरी है।

(क) पहचान

पढ़ने की अक्षमता

–ठीक से नहीं पढ़ता जबकि उसके मौखिक उत्तर सही होते है।
–हिज्जों में गलती करता है, विशेषकर शब्दों में अक्षरों को छोड़ देता है या उनका स्थान बदल देता है, जैसे—
"नाम" को "मान", "लड़की" को "लकड़ी", "आसमान" को "सामान" पढ़ता या लिखता है।
–अंक गलत लिखता है, जैसे—"12" को "21"।
–ध्यान नहीं रखता और अपना टाइम टेबिल भूल जाता है।
–हमेशा अव्यवस्थित रहता है, होमवर्क देर से देता है और कक्षा में देर से आता है।
–परीक्षा में अच्छा कार्य नहीं करता जबकि बुद्धिमान है और कोई शारीरिक कमी नहीं है।
–इतना उत्तेजित हो जाता है कि कोई भी काम पूरा नहीं कर पाता।
–पढ़ते वक्त शब्द और पंक्तियां छोड़ जाता है।
–अलग-अलग अक्षर पढ़ लेता है परन्तु उन्हें जोड़ कर शब्द पढ़ने में उसे कठिनाई होती है, जैसे—क/ल/म को "कमल" या क/प/ड़ा को "पकड़ा" पढ़ देता है।
–पढ़ते समय शब्दों को अनुमान से पढ़ देता है।
–अंकों को गलत पढ़ता है, जैसे—"3" को "8" या "6" को "9"।

निष्कर्ष

आपने अपने उन प्रयासों को रेखांकित कर लिया है जो आपने इन बच्चों की विकलांगता के कारण उत्पन्न उनकी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए किए हैं। क्रियाकलाप–3 में आपने सुझाव दिये हैं कि इस दिशा में और क्या कदम उठाये जा सकते हैं। अभी अभी आपने इन बच्चों के साथ अपने अनुभवों के आधार पर अन्य अध्यापकों और विशेषज्ञों के सुझावों को भी पढ़ा है। क्या आप अपनी कक्षा में से बच्चों की पढ़ाई में सुधार लाने के लिए कार्यों/सुझावों की सूची का पुनरावलोकन करना चाहेंगे ? आप अपने पहले सुझावों पर पुर्नविचार कर निम्नलिखित सूची पूरी कर सकते हैं।

क्रियाकलाप: क्रियाकलाप सूची 3 की समीक्षा

विकलांग बच्चे	विशेष जरूरतों वाले बच्चों की सहायता के लिए उठाए गए कदम
अंग-संचालन में कठिनाई	
श्रवण दोष और वाक् दोष	
दृष्टि दोष	
मन्द बुद्धि	
पढ़ने-लिखने की अक्षमता	

राष्ट्रीय संकल्प

मुख्यत: वे बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं जो किसी शारीरिक या मानसिक अथवा अन्य किसी कारण से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जबकि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में विशेष सहायता दी जाये जिससे वे असफल न हों और पढ़ाई न छोड़ें। जो बच्चे किसी शारीरिक कमी के कारण स्कूल नहीं जाते, उन्हें स्कूल में भर्ती किया जाना जरूरी है। यह आवश्यक हैं कि इन बच्चों में आत्मविश्वास पैदा हो ताकि वे अन्य बच्चों की तरह समाज में घुल-मिल सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ये लक्ष्य पूरा करने के लिए निम्न कदम उठाये जायेंगे :—

(1) जहां तक संभव होगा, मामूली विकलांगता वाले या उठने, बैठने, खड़े होने में कठिनाई महसूस करने वाले बच्चों को शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ ही दी जायेगी।

(2) जहां तक संभव होगा, पूरी तरह विकलांग बच्चों के लिए जिला मुख्यालय में छात्रावास सहित विशेष विद्यालय बनाए जायेंगे।

(3) विकलांग बच्चों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त प्रबंध किये जायेंगे।

(4) शिक्षकों को, विशेषकर प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुछ और चीजों का समावेश किया जायेगा, जिससे उन्हें विकलांग बच्चों की विशेष कठिनाइयों को समझने और उन्हें दूर करने में मदद मिले।

(5) विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्वेच्छा से किये जाने वाले हर प्रयास को हर संभव प्रोत्साहन दिया जायेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यक्रम में यह निर्धारित किया गया है कि केवल उन्हीं विकलांग बच्चों को विशेष पाठशालाओं में पढ़ाया जाये, जिनकी शिक्षा संबंधी जरूरतें साधारण स्कूलों में पूरी नहीं हो सकतीं। विशेष स्कूलों में पढ़ने

वाले बच्चों को भी आधारभूत शैक्षणिक दक्षता प्राप्त कर लेने पर और आत्मनिर्भर हो जाने पर सामान्य स्कूलों में ले आया जायेगा। इसका अर्थ यह है कि इन बच्चों को भी सामान्य विद्यालयों में पढ़ाया जायेगा। इसलिए हर अध्यापक को यह सीख लेना चाहिये कि उसे सामान्य बच्चों के साथ इन बच्चों को कैसे पढ़ाना है।

अनुवर्तन

चैक लिस्ट से अध्यापक को यह जानकारी मिल सकती है कि बच्चे में क्या कमी है और उसके कारण उसकी समस्या क्या है? लेकिन यह एक संकेत मात्र है। शारीरिक दोष की पुष्टि वह विशेषज्ञ ही करेगा जिसके पास इस बच्चे को ले जाया जायेगा। पुष्टि करने के अतिरिक्त, विशेषज्ञ यह परीक्षण भी करेगा कि बच्चे की कीर्य क्षमता का स्तर क्या है। इससे आपको यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या खास कदम उठाए जा सकते हैं। आपको इन बच्चों की शिक्षा संबंधी जरूरतों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी। निम्न-लिखित पुस्तकों से आप इस विषय में अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं :—

1—शर्मा, पी० एल० एण्ड जंगीरा, एन० के०—बुक फॉर ट्रेनिंग ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन, एन० सी० ई० आर० टी०, दिल्ली 1987

2—मुखोपाध्याय, एस० एण्ड जंगीरा, एन० के०—सोर्स बुक ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड, एन० सी० ई० आर० टी०, दिल्ली 1987

3—जंगीरा, एन० के० एण्ड मुखोपाध्याय, एस०—प्लैनिंग एण्ड मैनेजमेंट ऑफ आई० ई० डी० प्रोग्राम, एन० सी० ई० आर० टी०, दिल्ली, 1987

4—दि प्राइमरी टीचर, वोल्यूम 12, नं० 1, जनवरी, 1987 (एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा प्रकाशित विशेष अंक)।

5—भारतीय आधुनिक शिक्षा, वोल्यूम 5, नं० 1, जुलाई, 1987 (एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा प्रकाशित विशेष अंक)।

6—कम्युनिकेशन : इक्वल एजूकेशन ऑपरच्यूनिटी फॉर डिसएबल्ड, साप्ताहिक पी० आई० ई० डी० न्यूजलैटर फॉम एन० सी० ई० आर० टी०।

7—शर्मा, पी० एल० : हैण्ड बुक ऑन आई० ई० डी० फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स, एन०सी०ई०आर०टी०, दिल्ली (प्रेस में है)।

8—राष्ट्रीय विकलांग संस्थान द्वारा प्रकाशित सामग्री।

अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया इस पते पर लिखें :

1—प्रोफेसर, स्पेशल एजूकेशनल, एन० सी० ई० आर० टी०, श्री अरविन्द मार्ग, नयी दिल्ली-110016

2—ऑफीसर्स इंचार्ज, आई० ई० डी० सैल, राजकीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्/राजकीय शैक्षणिक संस्थान।

3—ऑफीसर्स इन्चार्ज, स्पेशल एजूकेशन।

(क) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैण्डीकैप्ड, 116, राजपुरा रोड, देहरादून-248001

(ख) नेशनल इंस्टीट्यूट फार मैन्टली हैण्डीकैप्ड, मनोविकास नगर, बोवन पल्ली, सिकंदराबाद-500011

(ग) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फार हियरिंग इम्पेयरमेंट, किशन चन्द मार्ग, बान्द्रा रिक्लेमेशन, बांद्रा (डब्ल्यू), बंबई-400050

(घ) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि फिजीकली हैण्डीकैप्ड, बी० टी० रोड, बॉन हुगली, कलकत्ता।

विकलांग बच्चों की शिक्षा में हो रहे विकास की जानकारी रखें। इन बच्चों और इनके माता-पिता को आपकी मदद की जरूरत है ताकि इनका विकास अन्य बच्चों की तरह हो सके और ये देश के सक्षम नागरिक बन सकें।

फीडबैक

निम्नलिखित प्रस्तावों को पढ़ें और उन पर निशान लगायें जो आपकी दृष्टि में बहुत अच्छे हैं :—

1. अंग-संचालन या हाथ-पैरों से मजबूर बच्चों को कक्षा में दायीं ओर के कोने में बैठाना चाहिये, ताकि :
   (क) वह अध्यापक से अच्छी तरह सामंजस्य स्थापित कर सके।
   (ख) दूसरे बच्चों के चलने-फिरने में बाधा न पड़े।
   (ग) वह ब्लैकबोर्ड अच्छी तरह देख सके।
   (घ) वह कक्षा से बाहर सुगमता से जा सके।

2. कक्षा में विकलांग बच्चे की सहायता का पहला कदम यह होना चाहिये कि :
   (क) उसे समुचित केन्द्र या संस्थान में भेजा जाये।
   (ख) उसकी शिक्षा संबंधी समस्याओं का निदान किया जाये।
   (ग) उसकी विकलांगता को जाना जाये।
   (घ) कक्षा में विशेष प्रबंध किये जायें।

3. अक्षमता का अर्थ है :
   (क) अंगों में किसी प्रकार का दोष होना या उनका ठीक प्रकार से काम न कर पाना।
   (ख) कार्य क्षमता में कमी।
   (ग) सक्रिय रूप से काम करने में कठिनाई।
   (घ) किसी बच्चे पर लगाया गया प्रतिबन्ध जिससे उसकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता हो।

4. विकलांगता का अर्थ है :
   (क) शरीर के किसी भाग का अस्वाभाविक होना।
   (ख) शारीरिक दोष के कारण कार्य क्षमता में कमी आना।
   (ग) किसी दुर्घटना में किसी अंग का क्षतिग्रस्त होना।
   (घ) शरीर के किसी भाग का ठीक काम न करना।

5. विकलांग बच्चे की शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने में माता-पिता का सहयोग आवश्यक है, क्योंकि:
   (क) उन पर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है।
   (ख) उन्हें घर पर भी विकलांगता के साथ तालमेल बैठाना है।
   (ग) माता-पिता ही बच्चों के उपचार का प्रबंध करेंगे।
   (घ) माता-पिता ही बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं।

6. नियमित अध्यापक को बच्चे की विकलांगता का पता होना चाहिये, क्योंकि :
   (क) विकलांगता के कारण बच्चे की पढ़ाई में बाधा पड़ती है।
   (ख) वह समाज की बेहतर सहायता कर सकता है।
   (ग) इससे उसके अध्यापन में सुधार होगा।
   (घ) इससे स्वयं को समझने में सहायता मिलती है।

7. मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे की सहायता अध्यापक निम्न प्रकार से कर सकता है :
   (क) उसकी समस्याओं को परखना ।
   (ख) उसे विशेष स्कूल में भेजना ।
   (ग) उसे उपचार के लिए विशेष कक्षा में भेजना ।
   (घ) उसे ठोस शैक्षणिक अनुभव प्रदान करना ।
8. कम सुनने वाले बच्चों को सामान्य कक्षाओं में पढ़ाने के लिए अध्यापक को चाहिये कि वह बोलते समय अपना चेहरा छात्रों के सामने रखे, ताकि :
   (क) अध्यापक और छात्र के बीच की भावनात्मक दूरी कम हो जाए ।
   (ख) छात्रों पर नियंत्रण रखा जा सके ।
   (ग) छात्रों को बेहतर सुनाई दे ।
   (घ) छात्र ओठों के हिलने-डुलने को पढ़ सकें ।
9. शिक्षा में पढ़ने-लिखने की अक्षमता के निम्न कारण हो सकते हैं :
   (क) निम्न बौद्धिक स्तर ।
   (ख) गरीब सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि ।
   (ग) मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की क्षति ।
   (घ) शारीरिक क्षति ।
10. पढ़ने-लिखने की अक्षमता से निम्नलिखित क्षेत्रों में समस्याएं सामने आती हैं :
   (क) सभी शैक्षणिक क्षेत्र ।
   (ख) पढ़ना और लिखना ।
   (ग) पढ़ना, लिखना और हिज्जे करना ।
   (घ) पढ़ना, लिखना और गणित ।

फीडबैक से संबंधित प्रश्नों की कुंजी

1(ब), 2(स), 3(अ), 4(ब), 5(द), 6(अ), 7(द), 8(द), 9(स), 10(द)

छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण

एक दृष्टिपात

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की यह मान्यता है कि "मानव एक सकारात्मक सम्पत्ति एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय साधन है जिसे सावधानी पूर्वक सहृदयता से पोषित एवं विकसित करना चाहिए" (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-86 पृष्ठ 2)। इस नीति से इस बात पर भी जोर दिया गया है कि हर स्तर पर "गर्भावस्था से श्मशान तक" प्रत्येक व्यक्ति के विकास की अलग-अलग समस्याएं एवं आवश्यकताएं हैं। कहने का अर्थ है व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं गरिमा का सम्मान होना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में उसकी आवश्यकता, रुचि, दृष्टिकोण व क्षमता का ध्यान रखा जाना चाहिए (पृष्ठ 2)।

भावी पीढ़ी को इस प्रकार शिक्षित करना होगा कि उनमें आत्म-विश्वास व दृढ़ता से समस्याओं के रचनात्मक समाधान की योग्यता विकसित हो। वे मानव मूल्यों व सामाजिक न्याय के प्रति निष्ठा रख सकें। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने "एक छात्र केन्द्रित अध्ययन प्रक्रिया" की वकालत की है। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति पृष्ठ 11) इस मॉड्यूल में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनके द्वारा छात्र केन्द्रित अध्ययन अध्यापन की स्थिति को समझा व अपनाया जा सके।

शिक्षा के प्रति छात्र-केन्द्रित दृष्टिकोण के अन्तर्गत अध्यापक की भूमिका में परिवर्तन किया गया है। अध्यापक शिक्षा प्रक्रिया को सहज बनाने तथा ऐसी शिक्षण पद्धति को प्रेरित करेगा जिससे छात्र में उत्सुकता तथा स्वतंत्र चिंतन का विकास होगा। उसमें समस्या के समाधान की दक्षता, योजना बनाने व क्रियान्वित करने की कुशलता, स्वयं अध्ययन द्वारा ज्ञान की प्राप्ति व अपने परिवेश का निरीक्षण करने और रचनात्मक चिंतन का विकास होगा (प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, पृष्ठ 6)।

आइए विचार करें कि क्या आपके द्वारा अपनाई गई अध्यापन पद्धति से छात्र में ऊपर लिखित विशेषताओं का विकास होगा या नहीं :

क्रियाकलाप–1

आप अब तक किस अध्यापन पद्धति व नीति का प्रयोग करते रहे हैं ? अलग पृष्ठ पर लिखें।	**एकत्र कीजिए** **मिलान कीजिए** **चर्चा कीजिए**

आपने उस अध्यापन पद्धति व नीति का उल्लेख किया है। आइये अब यह देखें कि क्या पद्धति एवं नीति से छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है या अध्यापक केन्द्रित दृष्टिकोण।

पर उससे पहले आइए हम देखें कि छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण का क्या अर्थ है।

क्रियाकलाप–2

कक्षा में छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने से आपका क्या अर्थ है ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

जैसा कि विचार विमर्श से हमने देखा है कि छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण का अर्थ यह है कि छात्र हमारे शैक्षणिक कार्यक्रम का मुख्य आधार हैं न कि अध्यापक। इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम छात्र की आवश्यकता, रुचि, दृष्टिकोण व क्षमताओं के आधार पर बनाया जाना चाहिए ताकि छात्र आवश्यक दक्षता, ज्ञान, दृष्टिकोण व मूल्य प्राप्त कर सके।

इस प्रकार मोटे तौर पर शिक्षा का लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्ति न होकर, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिये। जब हम बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो वास्तव में उसका क्या अर्थ हैं ?

क्रियाकलाप–3

क्या आप विकास के विविध पहलुओं की सूची बना सकते हैं जो पाठ्यक्रम में होनी चाहिए ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

हां, महात्मा गांधी ने कहा था "शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे व मनुष्य के गुणों–(शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक)– को पूरी तरह उभारना है"। अतः पाठ्यक्रम में शिक्षा के सभी पहलू–ज्ञान, दक्षता, दृष्टिकोण, स्वास्थ्य, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्य, सौन्दर्य एवं कार्य-अनुभव शामिल होने चाहिए।

अब यह स्पष्ट हो गया है कि छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण क्या है तो आइए हम क्रियाकलाप-1 की ओर लौटें और यह देखें कि आज तक हम कैसी शिक्षा पद्धति व नीति अपना रहे थे। वह छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण की ओर संकेत करती है या अध्यापक केन्द्रित दृष्टिकोण की ओर ?

क्रियाकलाप–4

कुछ वाक्यों में लिखिए–क्या आपका दृष्टिकोण छात्र केन्द्रित था या अध्यापक केन्द्रित ? कारण दीजिए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

सामान्यतया अब तक अध्यापकों का दृष्टिकोण अध्यापक केन्द्रित था, छात्र केन्द्रित नहीं। आज की पद्धति में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्कूल में उपस्थिति तथा रहने और तथ्यों को वापस लिखने पर मुख्यतया जोर दिया जाता है जैसे अध्यापक सीधे पाठ्यक्रम से पढ़ाता है और छात्र से आशा की जाती है कि वह पाठ्यपुस्तक में लिखे शब्दों को दुहराकर उत्तर लिखे।

दूसरी ओर छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण का तात्पर्य है कि हम अध्यापन-प्रक्रिया से हट कर अध्ययन प्रक्रिया पर बल दें। इसका अर्थ है कि "सीखने के लिए" सीखना की दक्षता का विकास करें यानी बच्चे में ऐसी क्षमता का विकास करें जिससे वह अपने आप सीखे तथा ज्ञान के बढ़ते भण्डार की मांग व चुनौती का सामना कर सके।

क्या आप सोचते हैं कि इस दृष्टिकोण के अपनाने से अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका प्रभावित होगी ?

क्रियाकलाप–5

कुछ वाक्यों में लिखिए कि इस प्रकार अध्यापक की भूमिका किस प्रकार बदलेगी ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

जैसा कि हमने विचार किया है कि इस दृष्टिकोण का अर्थ है अध्यापक की भूमिका में निश्चित परिवर्तन। अध्यापक की परम्परागत व वर्तमान भूमिका एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका है जो छात्र को तथ्य व ज्ञान प्रदान करता है । अब अध्यापक के लिए जो भूमिका प्रस्तावित की गई है वह सहायक व मार्ग निर्देशक की भूमिका है जिसके अन्तर्गत सही जानकारी, अनुभव व वातावरण का निर्माण किया जाएगा। छात्रों व अध्यापकों के बीच आदान-प्रदान की व्यवस्था होगी ताकि प्रेक्षण की क्षमता, सूचना संग्रहीत करने व उससे निष्कर्ष निकालने की वृत्ति का विकास हो। इस क्षमता से वे स्वयं पढ़ने के योग्य बनेंगे।

आइए एक उदाहरण लें। यदि तीसरी कक्षा के छात्र को विज्ञान की कक्षा में पौधे के विभिन्न अंगों का ज्ञान कराना है तो ये अध्यापक केन्द्रित व छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण दोनों द्वारा किया जा सकता है।

क्रियाकलाप–6

दो अलग कालमों में लिखिए कि यह पाठ दोनों दृष्टिकोणों से कैसे पढ़ाया जाएगा।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

जैसा कि आपने स्वयं विचार किया है इस पाठ में सिर्फ नोट्स के द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों का वर्णन नहीं करना चाहिए। इसके बजाए अध्यापक को बच्चों के लिए कुछ पौधों का प्रबंध करना चाहिए ताकि बच्चे स्वयं उसे देख सकें, छू सकें तथा अध्यापक की मदद से पौधे के विभिन्न अंगों को स्वयं खोज सकें तथा व्यवस्थित ढंग से अपने आप उन्हें नोट कर सकें।

स्वयं खोजने, देखने से छात्र में प्रेक्षण, निरीक्षण व व्याख्या करने की क्षमता तेज होगी और वे कई अन्य स्थितियों में इन क्षमताओं का प्रयोग कर अपना ज्ञान बढ़ा सकेंगे। दूसरी ओर नोट्स लिखा कर अध्यापक बच्चों को सिर्फ सीमित ज्ञान ही दे सकता है।

जैसा कि आप स्वीकार करेंगे कि भाषण देने, नोट्स व सारांश लिखने, अच्छे उत्तर लिखाने और ज्ञान देने व उसे कापी में दुहराने की मांग करने की वर्तमान पद्धति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

जब हम अध्यापक की भूमिका में परिवर्तन की बात करते हैं तो हमें उसे दूसरे दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। अध्यापक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए क्या कर सकता है ? हम यहां सामाजिक व भावनात्मक दोनों पहलुओं को लेते हैं।

क्रियाकलाप–7

संक्षेप में लिखिए कि अध्यापक छात्र के सामाजिक व भावनात्मक विकास में क्या योगदान कर सकता है।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

निश्चय ही हम अनुभव करते हैं कि बच्चों के बौद्धिक विकास के पक्ष के अलावा विकास में भी अध्यापक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को छात्रों के लिए साथ कार्य करने व खेलने संबंधी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तीसरी कक्षा के अध्यापक पर्यावरण संबंधी पाठ में "विभिन्न जानवरों के निवास केन्द्रों" की जानकारी के बारे में तैयारी करा सकता है। उसे कक्षा को तीन भागों में बांटना चाहिए और प्रत्येक समूह को (1) भूमि पर रहने वाले (2) आसमान में उड़ने वाले तथा (3) पानी में रहने वाले प्राणियों के बारे में लिखने को प्रेरित करना चाहिए। इस नीति से बच्चों में भागीदारी व सहयोग की भावना बढ़ेगी क्योंकि वे संयुक्त रूप से कार्य करेंगे।

आइए, इसी प्रकार अब हम बच्चों के भावनात्मक पहलू पर विचार करें। बच्चों के प्रति अध्यापक का सहृदयता पूर्ण व्यवहार बच्चों को अधिक जानकारी प्राप्त करने को प्रेरित करेगा। सजा देने या नकारात्मक रुख रखने पर छात्र के व्यक्तित्व व स्कूली शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा।

एक अन्य पहलू है छात्रों के मूल्यांकन पर विचार। क्या आप सोचते हैं कि परीक्षा प्रणाली वही रहनी चाहिए या इस दृष्टिकोण से उसे बदलना चाहिए।

क्रियाकलाप–8

संक्षेप में लिखिए वे क्या तरीके हैं जिनसे मूल्यांकन प्रणाली को बदलना चाहिए। कारण बताइए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

आप में से कुछ लोगों ने सही सोचा है। इस दृष्टिकोण में तथ्यों को रटने पर जोर नहीं दिया जाएगा। इसमें बच्चे के सभी पक्षों का विकास करने के लिए "क्षमता के विकास" पर जोर दिया जाएगा। ज्ञान से अधिक बच्चे की क्षमता-प्राप्ति का मूल्यांकन करना होगा यथा पहली और दूसरी कक्षा के छात्र की भाषा की पढ़ाई के लिए क्षमता विषयक सूची में यह ध्यान दिया जाएगा कि बच्चा विभिन्न अक्षरों को मिलाकर बने शब्दों को अर्थ-पूर्ण ढंग से पढ़ सकता है या नहीं ? पढ़ने की परीक्षा सिर्फ बच्चों को पाठ्य पुस्तकों में से पढ़ाकर ही नहीं लेनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक तो उसने कक्षा में कई बार पढ़ी है और उसे बच्चे ने रट भी लिया है, उसे नये शब्द पढ़ने को देकर उसका मूल्यांकन करना चाहिए।

बच्चे का मूल्यांकन विकास के सभी क्षेत्रों में किया जाना चाहिए; चाहे वह पढ़ाई-लिखाई का क्षेत्र हो, योग्यता या क्षमता का क्षेत्र हो, सामाजिक या भावात्मक विकास का क्षेत्र हो या कार्य कुशलता का। बच्चा कितना मिलनसार है, उसमें नेतृत्व की कितनी क्षमता है, वह किस हद तक दूसरों के साथ मिल-जुलकर काम कर सकता है, उसमें कितना आत्मविश्वास है, इत्यादि इन सब दृष्टिकोणों से भी उसका मूल्यांकन किया जाएगा। आजकल के समान नहीं कि मुट्ठी भर विषयों की परीक्षा लेकर बच्चे को नम्बर दे दिए जाएं और रिपोर्ट कार्ड तैयार करके बच्चे का मूल्यांकन कर लिया जाए। उसमें बच्चों की विशेषताओं और समस्याओं से संबंधित एक अध्याय भी होगा। इससे पता चल सकेगा कि बच्चे को कहां विशेष ध्यान की या प्रोत्साहन की आवश्यकता है जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। इसीलिए बच्चे की लिखित योग्यता के अलावा मौखिक योग्यता और उसके पिछले रिकार्ड को भी देखा जाएगा। बच्चा कक्षा में प्रथम आया है अथवा दूसरे या तीसरे नम्बर पर–इससे बच्चों की योग्यता को नहीं जांचा जाएगा अर्थात् एक बच्चे की दूसरी बच्चे की योग्यता से तुलना नहीं की जाएगी अपितु उसके अपने पिछले रिकार्ड से तुलना की जाएगी जिससे यह पता चल सके कि उसने कितनी प्रगति की है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में

विशेष है, उसकी अपनी विशेषताएं हैं और अपनी कमजोरियां हैं इसलिए यह उचित नहीं कि बच्चों की आपस में तुलना कीजिए। इससे बच्चे के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचेगी और कक्षा में उसकी योग्यता बढ़ने के बजाय घटती जाएगी।

आइए अब हम पाठ्यक्रम की दृष्टि से छात्र केन्द्रित प्रणाली की चर्चा करें। जब हम इस प्रणाली की बात करते हैं तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि विभिन्न क्षेत्र के बच्चों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम होना चाहिए क्योंकि सैद्धांतिक रूप से उसे उनकी आवश्यकताओं और विशेषताओं पर आधारित होना चाहिए। नई विचारधारा में एक ही पाठ्यक्रम का विचार कैसे ठीक बैठ सकता है ?

यह सच है कि पाठ्यक्रम तैयार करते समय बच्चों की आवश्यकताओं और विशेषताओं को ध्यान में रखा जाएगा। पाठ्यक्रम सबके लिए एक होगा पर पद्धति और सामग्री भिन्न होगी। अन्य शब्दों में क्लासरूम के छात्रों की आवश्यकताओं एवं क्षेत्रीय संस्कृति व विशेषताओं को ध्यान में रखकर उस पाठ्यक्रम पर अमल किया जाएगा। उदाहरण के लिए पहली कक्षा का भाषा संबंधी पाठ्यक्रम लें। जहां तक भाषाई ज्ञान का सवाल है सभी राज्यों में एक ही पाठ्यक्रम लागू होगा, चाहे वह बिहार हो, राजस्थान हो या दिल्ली, परन्तु पठन सामग्री अर्थात् कहानियां, कविताएं, पुस्तकें और चार्ट भिन्न होंगे जिनका प्रयोग शिक्षक द्वारा बच्चे और पाठ्यक्रम में पहली कक्षा के लिए निर्धारित भाषाई जानकारी को हासिल कराने में किया जाएगा।

आइए अब हम संक्षेप में इसका पुनरावलोकन करें।

क्रियाकलाप–9

उपरोक्त विचार विनिमय को देखते हुये आपके विचार से शिक्षक का क्या लक्ष्य होना चाहिए ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

जैसा कि आप स्वयं जानते हैं, आजकल के अधिकांश शिक्षकों को पाठ्यक्रम को पूरा करने की चिंता रही है यद्यपि "छात्र केन्द्रित प्रणाली" के अनुसार प्रत्येक शिक्षक का लक्ष्य यह होना चाहिए कि उसकी क्लास का हर बच्चा सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त करे। शिक्षक को पाठ्यक्रम पूरा करने की चिंता नहीं होनी चाहिए (जैसा कि आजकल उससे आशा की जाती है) अपितु उसे विभिन्न सामग्री एवं पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे प्रत्येक बच्चा, जो कुछ उसे पढ़ाया जा रहा है, उसे अच्छी प्रकार समझ सके। शिक्षक को परीक्षा भी उसी ढंग से लेनी होगी।

आइए अब हम प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और सेकेण्डरी स्तर के बच्चों पर विचार करें और देखें कि उनके मानसिक विकास की स्थिति क्या है ? उनकी क्षमता क्या है ?

प्राथमिक स्तर

(क) प्राथमिक स्तर के बच्चे मुख्यतः दूसरों के व्यवहार से सीखते हैं।

(ख) बच्चों में मौखिक कौशलों का बहुत विकास नहीं होता इसलिए वे केवल तभी कुछ सीख सकते हैं जबकि उन्हें शारीरिक गतिविधि के लिए अवसर दिया जाए।

(ग) प्राथमिक स्तर के छात्र सिर्फ उन्हीं विचारों को समझ सकते हैं जो उनके इर्द-गिर्द के माहौल में विद्यमान हैं।

उच्च प्राथमिक स्तर

यह इस अवस्था में बच्चे बचपन से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। इस आयु के बच्चों के लिए मुख्य शिक्षण विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(क) अलग-अलग छात्रों का विकास स्तर अलग-अलग होगा। यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि लड़के इस अवस्था में प्रायः लड़कियों से पीछे होते हैं।

(ख) इस अवस्था से आप देखेंगे कि छात्रों में बड़ी गति से परिवर्तन आ रहा है।

(ग) छात्रों को स्वयं यह पता नहीं होगा कि वे बड़ों से बच्चों का सा व्यवहार चाहते हैं या वयस्कों का सा।

इन विशेषताओं से यह तथ्य सामने आता है कि समूचे समूह के और अलग-अलग छात्रों के व्यवहार में बहुत उतार-चढ़ाव होती है।

विकास संबंधी आवश्यकताओं के संदर्भ में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक छात्रों की उपर्युक्त विशेषताओं की इस प्रकार व्याख्या की जा सकती है:

(1) वे अपेक्षाकृत अस्थिर होते हैं। इसलिए समझदार अभिभावकों या बड़ों को उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उनमें स्थिरता या ठहराव आ सके।

(2) उन्हें वास्तविक दुनिया की प्रत्यक्ष जानकारी नहीं होती। इसलिए उन्हें अनुभव की आवश्यकता है जिससे वे दुनिया से प्रत्यक्ष रूप से परिचित हो सकें।

(3) उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में अपनी योग्यताओं व क्षमताओं को जांचने या परखने का अवसर नहीं मिला है। इसलिए उन्हें अवसर दिए जाने चाहिए जिससे वे अपनी योग्यता व क्षमता का पता लगा सकें।

(4) उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। इसलिए उन्हें जीवन में सफल अनुभव करने होंगे जिससे उनमें आत्मविश्वास पैदा हो सकें और उनके व्यक्तित्व का उचित विकास हो सके।

(5) उनके अपने बहुत से प्रश्न हैं, उनकी कुछ अपनी समस्याएं हैं, चिन्ताएं है। इसलिए यहां उन्हें बड़े बुजुर्गों के संग साथ की जरूरत हैं, अनुभव करने की जरूरत है जिनके माध्यम से वे अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकें, अपनी समस्याओं को हल कर सकें और अपनी चिन्ताएं मिटा सकें।

(6) उच्च प्राइमरी स्तर के बच्चों में यौन संबंधी समस्याएं भी पैदा होने लगती हैं। इस दृष्टि से लड़कियों का विकास लड़कों की अपेक्षा कुछ जल्दी होती है। ऐसी अवस्था में उन्हें समझदार बड़े बुजुर्गों की जरूरत होती है जिससे वे अपनी उन समस्याओं को हल कर सकें।

(7) बचपन में उन्होंने माता-पिता या बड़ों के जिन प्रतिबन्धों को सहर्ष स्वीकारा था, वे ही इस आयु में उनके विद्रोह का कारण बन जाते हैं। इसलिए उन्हें ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जिससे उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि वे प्रतिबन्ध के प्रति विद्रोह न कर बात को, वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश करें।

(8) इन बच्चों से आत्मज्ञान की कमी होती है। इसलिए उन्हें बहुत सें अनुभव करने की जरूरत है जिससे उन्हें पता चल सके कि वे कौन हैं, वे दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं और बड़े बुजुर्ग उनको कैसे लेते हैं।

सेकेण्डरी स्तर

सेकेण्डरी स्तर इस बात का संकेत देता है कि छात्र ने एक विशेष शैक्षणिक इकाई अर्थात् विकास की एक विशिष्ट मंजिल को पार कर लिया है। इस मंजिल को पार करने के बाद उससे आशा की जाती है कि वह अपने व्यक्तिगत व व्यावसायिक जीवन के बारे में सोच सकेगा और कोई निर्णय ले सकेगा। इस अवस्था सें उसे अपनी आवश्यकताओं को

पूरा करने की जल्दी रहती है, अपने भविष्य के लिए बहुत से रास्तों में से एक को चुनना होता है, इसके अलावा और भी कई प्रकार के दबाव उस पर रहते हैं। ऐसी स्थिति में इसका परिणाम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, वह फलोत्पादक अर्थपूर्ण निर्णय ले सकता है और संभ्रमित व व्याकुल भी हो सकता है। वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से सेकेण्डरी स्तर पर छात्र का शैक्षणिक, व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक मार्ग निर्देशन किया जाना चाहिए। इसकी अपनी विशेष भूमिका है। इस भूमिका का लक्ष्य छात्र की व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायता करना ही नहीं है, अपितु इससे छात्र जीवन का सामना कर सकेगा और समाज का एक फलोत्पादक व्यक्ति बन सकेगा। और इस प्रकार हमारे शैक्षणिक कार्यक्रम के लक्ष्य की भी प्राप्ति हो सकेगी।

हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी पेचीदा है साथ ही हमारा भौतिक एवं सामाजिक माहौल भी। छात्र जो 10 या + 2 परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा है, उसे आप चौराहे पर खड़ा पाइएगा। हमारा श्रम बाजार और शिक्षा पद्धति दोनों द्वारा उसके लिए कई रास्ते खोल दिए गए हैं, उसके सामने जीवन की कई संभावनाएं हैं। दूसरी ओर विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न रुचियां हैं, विभिन्न प्राथमिकताएं हैं, विभिन्न योग्यताएं एवं मूल्य हैं, अगर छात्र में इनमें से बहुत से गुण हैं तो कई व्यवसायों में जा सकता हैं। सेकेण्डरी स्तर पर चिन्ता के प्रमुख विषय हैं :

(1) प्रत्येक छात्र की सहायता किस प्रकार की जाए जिससे वह अपनी रुचियों, आवश्यकताओं, योग्यताओं और मूल्यों के प्रति (विशेष रूप सें जो उसके भावी जीवन से जुड़े हैं) सचेत हो जाए।

(2) प्रत्येक छात्र की सहायता किस प्रकार की जाए जिससे वह उचित निर्णय ले सके या प्रत्येक छात्र को निर्णय ले सकने के लिए अवसर कैसे प्रदान किया जाए ? इसके लघु एवं दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के फायदे हैं। हालांकि सेकेण्डरी स्तर पर तात्कालिक आवश्यकता यह विशेष निर्णय लेने की होती है कि अब आगे किस दशा में कदम रखा जाये। इस समय लिया गया निर्णय उसके आगे के निर्णयों के लिए लाभप्रद हो सकता है। छात्र को आगे कदम उठाने से पहले काफी सूचना और जानकारी एकत्रित कर उसे नाप तौल लेने की आवश्यकता सें परिचित होना चाहिए और हमारी शिक्षा का दीर्घकालीन लक्ष्य यह है कि हम पहले से छात्र की इसमें सहायता करें। हमारे श्रम-बाजार और तकनीकी क्षेत्र में निरंतर बिकास व परिवर्तन हो रहा हैं। इसलिए यह आवश्यक नहीं कि छात्र सिर्फ किसी एक व्यवसाय की योजना बना ले। उसे एक ही दशा में कई व्यवसायों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। भविष्य के लिए योजना बनाने की योग्यता को छात्र के एक महत्वपूर्ण "औजार" के रूप में देखा जाना चाहिए विशेष रूप से सेकेण्डरी स्तर पर जबकि जीवन का पहला पड़ाव सन्निकट है।

(3) विकास और परिपक्वता की दृष्टि से सेकेण्डरी स्कूल के छात्र में सोचने समझने की पर्याप्त योग्यता होती है। इसलिए इस स्तर पर उसे कई प्रकार से शिक्षा दी जा सकती है। वह पत्राचार वाली पद्धति द्वारा शिक्षा केन्द्र से दूर रहकर भी पढ़ सकता है।

(4) इस स्तर पर छात्रों को ऐसी सहायता की आवश्यकता रहती है जिससे वे बाह्य दबावों का सामना कर सकें जो विभिन्न दिशाओं सें उस पर पड़ रहे हैं। इसलिए उनकी सहायता की जानी चाहिए जिससे वे दबाव के भावात्मक पहलू अर्थात् उदासीनता, निःसहायता, असुरक्षा आदि से निपट सकें। व्यवसाय मार्गदर्शन के कुछ पहलुओं को दृष्टिगत करते हुए भी उनकी सहायता आवश्यक है। इससे भी उस पर भावात्मक दबाव कुछ हद तक कम हो सकेगा। अतः छात्रों के लिए तकनीकी कौशल, व्यावसायिक दक्षता हासिल करने के अवसर भी जुटाए जाने चाहिए: जैसे इन्टर्व्यू देने की दक्षता, निरीक्षण की दक्षता, बड़ों के साथ व्यवहार करने की बुद्धि आदि। इससे उसे कार्य क्षेत्र में अपने को फिट करने में कठिनाई नहीं आएगी और उसमें संतोष बढ़ेगा।

छात्र केन्द्रित पद्धति छात्र को कुछ सिखा सकी है या नहीं यह जानने के लिए आप स्वयं से निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकते हैं :

(1) आपने जिस शिक्षण अनुभव का आयोजन किया था क्या उससे छात्रों की विषय के ज्ञान का लाभ हुआ है और क्या उन्होंने नई परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग किया है ?

(2) क्या उनमें कुछ विशेष कौशलों का प्रादुर्भाव या परिष्करण हुआ है ?

(3) आपके प्रयास के परिणामस्वरूप क्या छात्रों में नई रुचियां एवं प्रवृत्तियां जागृत हुई हैं ? क्या आपके पास इसके कुछ प्रमाण हैं ?

(4) आपने छात्रों को शिक्षा का जो नया अनुभव कराया है क्या उससे छात्रों को स्वयं अपने ज्ञान का मूल्यांकन करने में सहायता मिली है ?

इस प्रकार छात्र केन्द्रित पद्धति में आप छात्र को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है ? आपको उन्हें अपने विचारों को, अपनी प्रवृत्तियों को स्वतंत्रता से प्रकट करने देना चाहिए, बिना नुक्ताचीनी के, बिना किसी टीका टिप्पणी के। शिक्षण क्रियाकलापों की योजना आप उनके लिए उनके साथ मिलकर बनाइए। कक्षा का वातावरण तनाव रहित बनाने की कोशिश कीजिए। छात्र केन्द्रित शिक्षा पद्धति के लिए वातावरण किसी एक प्रकार की अध्यापन क्रिया का परिणाम नहीं है। यहां आप ऐसे शिक्षण अवसरों को जुटा सकते हैं और अपनी सृजनात्मक क्षमता का परिचय दे सकते हैं जो आपके छात्रों की आवश्यकताओं के अनुकूल हों और उन्हें प्रोत्साहन दे सकें।

आप अब यह जानना चाह रहे होंगे कि उपरोक्त शैक्षणिक वातावरण को कैसे बनाया जाए ? इसका उत्तर दो तरह से दिया जा सकता है :

(1) सद्भावनापूर्ण एवं स्वीकृति सूचक वातावरण जो प्रत्येक छात्र के आत्म सम्मान एवं सोद्देश्य व्यक्तित्व को बढ़ावा दे सके। ऐसा वातावरण केवल तभी बनाया जा सकता है जबकि आप उन तत्वों से युक्त दर्शन का अनुसरण करें।

(2) आपको शुरू से ही अपनी क्लास में छात्रों को पढ़ाते समय उस दृष्टिकोण को अपनाना होगा या नया अनुभव छात्र के पहले शैक्षणिक अनुभव से भिन्न होगा। इसलिए आपको सावधानीपूर्वक इस बात पर विचार करना होगा कि नई तकनीक को किस तरह लागू किया जाए।

यहां महत्वपूर्ण यह है कि छात्रों को प्रेरित किया जाए, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। कक्षा की शुरूआत आप छात्रों की समस्याओं से कर सकते हैं। आम समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में उन पर चर्चा कर सकते हैं। हो सकता है कि छात्र अपनी समस्याएं आपके सामने डरते-डरते हिचक के साथ पेश करें, इसलिए आप बड़े इत्मीनान से सुनें और स्वीकार करें। सबसे पहले तो उन समस्याओं से जुड़े रवैये को स्पष्ट करना होगा। इन समस्याओं पर चर्चा करते समय इनमें से धीरे-धीरे स्वयं अन्य मामले सामने आएंगे और आप अपने पाठ्यक्रम विषय पर पहुंच जाएंगे।

जो छात्र आठ दस वर्षों से क्लास में उदासीन व निष्क्रिय रवैये का अनुभव करते आए हैं, वे शायद पहले पहले इस नई पद्धति से घबरा जाएं या गड़बड़ा जाएं या उन्हें यह पद्धति अच्छी न लगे। ऐसे में कटु नकारात्मक भावनाएं भी जागृत हो सकती हैं। पहले शायद वे कुछ न कहें क्योंकि वे अध्यापक को जवाब देने के या उसे सही करने के आदी नहीं हैं पर तनाव बढ़ेगा और कुछ साहसी बच्चे एकाएक क्लास में फट पड़ेंगे "हमारे ख्याल से हम अपना समय खराब कर रहे हैं। हमारे ख्याल से हमें विषय की एक रूपरेखा बनाकर उस पर चलना चाहिए और आपको हमें पढ़ाना चाहिए। हम यहां पढ़ने आते हैं, वाद-विवाद करने नहीं।" जब इस प्रकार के नकारात्मक पहलुओं को शिक्षक द्वारा समझ व स्वीकार कर लिया जाता है तब छात्र नये वातावरण में नए दृष्टिकोण को धीरे-धीरे समझने और स्वीकार करने लगते हैं। हो सकता है कुछ छात्रों को यह प्रक्रिया अच्छी न लगे, वे इसे हृदय से स्वीकार न करें पर हर छात्र कम से कम यह तो अनुभव करता ही हैं कि क्लास में स्थिति बदली हैं।

अध्यापक—जो क्लास में उपर्युक्त पद्धति से नया प्रयोग करना चाहता है—सोचता है कि वह उसे नहीं कर सकता क्योंकि उसकी क्लास को पहले के ही समान पहले वाली परीक्षा पास करनी है और उसे पाठ्यक्रम को पूरा करना है। ये कुछ मुद्दे हैं जो शिक्षक के रवैये पर प्रकाश डालते हैं। और साथ ही महत्वपूर्ण भी हैं। उदाहरण के लिए अगर उसकी क्लास को भी अन्य सेक्शनों के समान ही परीक्षा पास करनी है तो शिक्षक के रवैये को बदलना होगा। उसे पाठ्यक्रम को "छात्रों का पाठ्यक्रम" बनाना होगा और उसके लिए उन्हें प्रेरणा देनी होगी। यहां एक सीमा है जो शिक्षक के साथ साथ छात्र के लिए भी है। और वह है : परीक्षा जिसे पाठ्यक्रम समाप्ति के बाद प्रत्येक छात्र को पास करना है ।

संक्षेप में प्रत्येक समूह की कुछ सीमाएं हैं। ये सीमाएं नहीं लेकिन रवैया, छूट, स्वतंत्रता है जो उन सीमाओं के अन्दर है—और यही महत्वपूर्ण हैं। परिस्थितियों, सत्ता या शिक्षक द्वारा थोपी गई सीमाओं के भीतर ही छूट का, स्वतंत्रता का एक स्वीकार्य वातावरण बनाया जा सकता है। व्यवहारात्मक दृष्टि से एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका इस प्रकार हो सकती है :

–क्लास में आप अपने विश्वास के आधारभूत सिद्धान्तों से विश्वास का एक माहौल बना सकते हैं। इसे कई सूक्ष्म तरीकों से किया जा सकता है।

–सभी लक्ष्यों को स्वीकारते हुए आप छात्रों के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण कर सकते हैं।

–शिक्षा के पीछे स्वशक्ति के रूप में इन उद्देश्यों के क्रियान्वयन की छात्र की इच्छा पर आप भरोसा कर सकते हैं।

–छात्र जिन संसाधनों का पढ़ने के लिए प्रयोग करना चाहता है उन्हें जुटाने के लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं।

–आप स्वयं को एक लचीला साधन समझें जिससे छात्र समूह आपको अर्थपूर्ण ढंग से इस्तेमाल में ला सके। यहां यह जरूरी है कि उनका आपके साथ सुखद अनुभव हो।

–आपको यहां बौद्धिक विषयवस्तु एवं भावनात्मक रवैये को अपनाना होगा और प्रत्येक पहलू पर व्यक्ति व समूह को देखते हुए बल देना होगा।

–जब क्लास में स्वीकार्य वातावरण बन जाए, तब आप अपनी भूमिका बदल सकते हैं और समूह के भागीदार, समूह के सदस्य बन सकते हैं और एक व्यक्ति के रूप में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

–छात्रों की गहरी भावनाओं से ओत-प्रोत अभिव्यक्तियों के प्रति सचेत रहें और उन्हें वक्ता के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें।

–जब समूह में भावनाओं से ओत-प्रोत अन्तः क्रिया शुरू हो जाए तो आपको तटस्थ रहकर समझदारी से काम लेना होगा। वहां विद्यमान विभिन्न भावनाओं को स्वीकारना होगा।

–आप इन विभिन्न परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करते हैं, विभिन्न स्थितियों को किस तरह संभालते हैं, यह आपकी अपनी प्रतिभा पर निर्भर होगा।

●

मॉड्यूल–7 सी

बच्चों में जिज्ञासा कौशल का विकास

एक दृष्टिपात

बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं। वे जो देखते हैं, अनुभव करते हैं तथा समाज में जिससे टकराते हैं, उनके संबंध में बहुत अधिक प्रश्न करते हैं। वे मूलतः अपने आसपास के वातावरण की खोज करने और उसे समझने के लिए प्रश्न करते हैं। बच्चों का मस्तिष्क अधिक से अधिक जानकारी चाहता है। आयु के साथ उनकी प्रश्न करने की क्षमता बढ़ती जाती है। वस्तुतः वे जितने प्रश्न पूछेंगे उनके व्यक्तित्व का उतना ही विकास होगा। उनकी यह उत्सुकता उन्हें समाज का क्रियाशील सदस्य बनाती है। प्रत्येक उन्नतिशील कदम के पीछे जिज्ञासु मस्तिष्क होता है। इस कारण यह अनिवार्य है कि शिक्षक प्रत्येक बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान करें कि वह प्रश्न पूछने, खोज करने तथा रचनात्मक कार्य करने के लिए आगे बढ़े जिससे इस प्रवृत्ति का उत्तरोत्तर विकास हो।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम का ढांचा (जो कि एन० सी० ई० आर० टी० ने विकसित किया है) विद्यार्थियों में जिज्ञासा, स्वतंत्र रूप से ज्ञान प्राप्त करने तथा उनमें वैज्ञानिक रुचि जागृत करने पर जोर देता है। जिज्ञासा के विकास के लिए अध्यापन के अनेक तरीके हैं। इस मॉड्यूल में बच्चों में जिज्ञासा विकसित करने के अनेक अध्यापन तरीकों में से एक का उल्लेख है। कोई घटना या कहानी सुना कर शिक्षा देने की प्रणाली पर इसमें जोर दिया गया है। सामाजिक ज्ञान, विज्ञान, गणित, भाषा और ललित कलाओं जैसे किसी भी विषय में किसी को भी पढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह सभी अध्यापकों के लिए उपयोगी होगा।

इस मॉड्यूल को पढ़ते समय आपको कुछ लिखित कार्य करते होंगे। आपको ये कार्य करने में आनन्द आयेगा। उन्हें छोड़ मत दीजियेगा। पत्र-पेन्सिल अपने पास रखिये तथा पढ़ने के लिए भी तैयार रहिये।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पूरा करने के बाद आप निम्न कार्य कर सकेंगे :—

1—विद्यार्थियों में जिज्ञासा के विकास के लिए किये जा रहे विशिष्ट शिक्षण प्रयत्नों के पक्ष में कम से कम तीन तर्क दे सकेंगे।

2—यहां उल्लिखित जिज्ञासा के विकास के लिए शिक्षण तरीकों के कम से कम दो लक्ष्य लिख सकेंगे।

3—जिज्ञासा विकसित करने के शिक्षण के लिए उठाये गये कदमों का उचित क्रमानुसार विवरण दे सकेंगे।

4—आपके द्वारा पढ़ाये जा रहे पाठ्यक्रम में से जिज्ञासा प्रशिक्षण के लिए उचित विषय का चुनाव कर सकेंगे।

5—अध्यापन में प्रयोग करने के लिए जिज्ञासा प्रशिक्षण पाठों की योजना बना सकेंगे।

शिक्षण गतिविधियां

आइये, एक अध्यापक के अनुभव से अध्यापन के लिए ली गयी कहानी की जांच करें। इसे ध्यान से पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा।

घटना—1

शांता का परिवार छुट्टियां मनाने बाहर गया हुआ था। लौटने पर उन्हें यह देख कर बहुत सदमा पहुंचा कि उनका बाग उजड़ा पड़ा है। जो बेलें कभी दीवारों पर चढ़ी हुई थीं, वे अब जमीन पर पड़ी हैं। फूल पौधे बुरी तरह तहस नहस हो गये हैं। लेकिन दरवाजे पर लगा ताला सही-सलामत है। ताला खोलकर वे बैठक में गये। दो बड़ी तस्वीरें फर्श पर गिरी हुई थीं और उनके शीशे टूट गये थे। सारे फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी।

उन्होंने खिड़कियों की ओर देखा। खिड़कियां बन्द थीं। हरेक के चेहरे पर एक ही प्रश्न था कि यहां क्या हुआ होगा। आप यह अनुमान लगाकर कि छुट्टियों में उनकी अनुपस्थिति में उनके बाग और बैठक में क्या हुआ होगा, शांता के परिवार की मदद कर सकते हैं।

कक्षा में इस विषय पर हुए वार्तालाप की रिपोर्ट अध्यापक की डायरी से लेकर यहां दी जा रही है। "क्या हुआ होगा ?" कक्षा के अध्यापक जोशी जी ने पूछा।

"वहां हमारे जैसे बच्चे रहे होंगे," एक बच्चे ने तुरन्त उत्तर दिया।

"क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तूफान आया हो ?" मीना ने पूछा।

"क्यों न संभावनाओं पर विचार करें?" जोशी जी ने सुझाव दिया।

"क्या हुआ होगा, मास्टर जी ?" एक अन्य बच्चे ने पूछा।

"मैं नहीं बता सकता। तुम खुद अनुमान लगाओ, " जोशी जी ने कहा।

"क्या बाग में आवारा पशुओं के पैरों के निशान दिखायी पड़ते थे ?" एक बच्चे ने पूछा।

"नहीं," अध्यापक ने जवाब दिया।

"क्या किसी पालतू जानवर को बैठक के अन्दर बंद छोड़ दिया गया था ?"

"नहीं।"

"क्या कोई चीज गायब थी ?"

"नहीं।"

"फिर तो चोरी का संदेह नहीं किया जा सकता।" एक बच्चे ने निष्कर्ष निकाला।

"तूफान की संभावना से तो इंकार नहीं किया जा सकता।" एक अन्य बच्चे ने कहा।

"क्या इस दौरान तूफान आया था ?"

"तुम सिद्ध कर सकते हो," अध्यापक ने सुझाव दिया।

"क्या खिड़कियां बन्द थीं ?"

"हां"।

(ऊपर देखते हुए) "और रोशनदान ?"

"नहीं"।

"सच यही है, तेज हवा रोशनदान से अन्दर घुसी होगी और तसवीरें नीचे गिर गयी होंगी।"

"क्या तुम इसकी और जांच-पड़ताल कर सकते हो ?" अध्यापक ने पूछा।

"क्या इस दौरान स्थानीय अखबार में तूफान आने की खबर छपी थी ?"

"हां"।

"इससे उपरोक्त संभावना की पुष्टि होती है।"

जिज्ञासा बढ़ाने के कई रास्ते हैं। यहां एक विशेष तरीके का उल्लेख किया गया है। विद्यार्थियों को यह रुख विकसित करने में मदद दी जाती है कि सारा ज्ञान अस्थायी है। विद्वत् जन व्याख्या करते और सिद्धांत बनाते हैं। इससे

बच्चों को परिकल्पनाओं की जांच करने, प्रश्न पूछने, खोज करने, बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान लगाने और व्याख्या करने में मदद मिलती है। जिज्ञासा बढ़ाने के लिए पांच कदम उठाये गए हैं।

कहानी के माध्यम से पढ़ाने के इस तरीके का निरीक्षण करने से पता चलता है कि जब कोई समस्या सुलझानी पड़े या दिमाग की उलझाने वाली किसी घटना का सामना करना पड़े, तो दिमाग में कई संभव हल उभरते है। शुरू में विद्यार्थी अपने अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हैं और उसका कोई कारण नहीं दे पाते। पूछताछ की एक खास प्रणाली द्वारा (जिसमें वे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, जिनका जवाब हां/ना में दिया जा सकता है) वे और अधिक जानकारी इकट्ठी करते हैं तथा उसकी व्याख्या करते हैं, जिसका कोई आधार होता है। इसी व्याख्या की अपेक्षा अध्यापक को होती हैं।

इससे बच्चों को तर्कपूर्ण विचार करने, वैज्ञानिक ढंग से योग्यता प्राप्त करने, प्रासंगिक जानकारी और आंकड़े एकत्र करने, उन कारणों को पहचानने, उनकी जांच करने, सूचना और आंकड़ों को सुव्यवस्थित करने, संभव व्याख्या (परिकल्पना) तैयार करने, एकत्रित जानकारी के संदर्भ में व्याख्या की वैधता परखने, निष्कर्ष निकालने आदि में सहायता मिलती है। प्रश्न करने के इस तरीके से उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की रचनात्मक कला तथा स्वतंत्र रूप से सीखने की क्षमता भी विकसित होती है। इसके साथ ही, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति में शाब्दिक कुशलता की भी वृद्धि होती है। इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप जिज्ञासा विकसित करने के लिए अध्यापन के लक्ष्यों का निर्धारण कर सकते है :

जिज्ञासा विकसित करने के लिए अध्यापन के लक्ष्य निम्न है :

1—. . . . .

2—. . . . .

3—. . . . .

4—. . . . .

जाहिर है कि जिज्ञासा विकसित करने के लिए अध्यापन के मूल में कई पूर्वानुमान होंगे। उदाहरण के लिए, एक पूर्वानुमान यह हो सकता है कि सारा ज्ञान अस्थायी है। जैसे-जैसे नयी जानकारियां मिलती हैं, समस्याओं की व्याख्या और उनके हल बदल जाते हैं। इससे यह अर्थ निकलता है कि किसी खास प्रश्न का कोई एक ही उत्तर नहीं हो सकता। इसके आगे यह पूर्वानुमान भी किया जाता है कि मानव जाति स्वभाव से ही जिज्ञासु है और प्रश्न करने की उसकी कुशलता को योजनाबद्ध अध्यापन तथा प्रशिक्षण से और भी तीक्ष्ण बनाया जा सकता है। यह पूर्वानुमान भी लगाया गया है कि मिल-जुलकर समूह में आगे बढ़ने से (कक्षा के साथ या कक्षा में छोटे-छोटे समूहों में बंट कर) प्रश्न करने की क्षमता समृद्ध होती है। इसलिए व्यक्तिगत स्तर के स्थान पर एक साथ मिलकर समस्याओं के हल ढूंढ़ना बेहतर हैं। आप इन पूर्वानुमानों के बारे में क्या सोचते हैं ? क्या आप इनसे सहमत हैं ? अपने दृष्टिकोण के पक्ष में दिये जाने वाले तर्कों पर विचार कीजिए।

जिज्ञासा विकसित करने के तरीके के पूर्वानुमानों के बारे में मेरा दृष्टिकोण यह है कि :

जिज्ञासा विकसित करने का तरीका

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, जिज्ञासा विकसित करने के कई तरीके हो सकते हैं। यहां एक विशेष तरीका अपनाया गया था। इसमें विद्यार्थियों के सामने एक जटिल स्थिति या कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है। कोई समस्या या पेचीदा घटना प्रस्तुत करने के बाद, विद्यार्थियों को अध्यापक से ऐसे प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वह उनका उत्तर "हां" या "ना" में दे सकें। विद्यार्थी की एक साथ क्रमानुसार कई प्रश्न पूछने की छूट दी जाती हैं ताकि वह अपनी जिज्ञासा के सहारे आगे बढ़ सके। आरम्भ में विद्यार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्न अक्सर खोजपूर्ण होते हैं। इस जानकारी के आधार पर विद्यार्थी विशेष परिकल्पना (युक्तिसंगत व्याख्या) करते हैं। यह परिकल्पना उस

समस्या, जिसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है, के अस्थायी कारणों के संबंधों पर आधारित होती है । फिर इन परिकल्पनाओं की जांच करने के लिए वे "हां" या "ना" जवाब वाले प्रश्नों के जरिये और अधिक जानकारी (आंकड़े) इकट्ठी करते हैं । ऐसा वे मौखिक प्रयोगों द्वारा यह जांचने के लिए करते हैं कि यदि················ तो·············संयोगवश संबंध है । दूसरे शब्दों में कहें तो वे अंतिम व्याख्या तक पहुंच जाते हैं । इस प्रकार वे उस घटना की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत विकसित कर लेते हैं, जिसे सुलझाया जाना हैं । अभ्यास करने से विद्यार्थियों में तर्क संगत विचार और जिज्ञासा की क्षमता विकसित होती है । यह विधि किसी भी क्षेत्र में प्रयुक्त की जा सकती है, चाहे वह सामाजिक ज्ञान हो, विज्ञान हो या साहित्य हो ।

जिज्ञासा विकसित करने की प्रणाली के पांच चरण हैं । इस मॉड्यूल में इन पांच चरणों का विवरण दिया गया है ।

1. समस्या से सामना

अध्यापक कोई समस्या या उलझी हुई घटना कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है । यह प्रस्तुतिकरण मौखिक हो सकता है या ब्लैकबोर्ड अथवा कागज पर लिखा भी जा सकता है । इसे प्रोजेक्टर पर भी पेश किया जा सकता है । सुविधाओं की उपलब्धि के अनुसार अध्यापक प्रस्तुतिकरण का माध्यम चुन सकता है । कागज पर लिखित प्रस्तुतिकरण देने पर हर विद्यार्थी को समस्या से संबंधित पर्याप्त जानकारी मिल सकती है । इस संदर्भ का उपयोग वह खोज करने के अपने मार्ग को निर्धारित करने और फिर विभिन्न स्तरों पर खोज के तरीके की जरूरतों के अनुसार अपना मार्ग बदलने के लिए कर सकता है । यदि यह सुविधा उपलब्ध न हो तो इसे ब्लैकबोर्ड पर दर्ज किया जा सकता है । कागज पर लिख लेने से समस्या के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हमेशा विद्यार्थियों के पास रह सकते हैं ।

अध्यापक पहले कक्षा को तैयार करता है और फिर समस्या को प्रस्तुत करता है । समस्या को प्रस्तुत करने के साथ ही अध्यापक विद्यार्थियों को पूछताछ करने के नियम या तरीके समझाता हैं । नियम या तरीके निम्न हैं :

(1) प्रश्न ऐसे ढंग से पूछे जायें कि उनका जवाब "हां" या "ना" में दिया जा सके ।

(2) एक बार में विद्यार्थी जितने चाहे प्रश्न पूछ सकता है और उसके बाद ही दूसरे विद्यार्थी को प्रश्न करने के लिए बुलाया जाता है । यह आवश्यक है क्योंकि रचनात्मक सोच विचार में समय लगता है और निरंतरता की आवश्यकता होती है । उसे पूछताछ करने के अपने रास्ते पर चलने के लिए क्रमबद्ध तरीके से कई प्रश्न पूछने चाहिये ।

(3) अध्यापक उन वक्तव्यों पर "हां" या "ना" में जवाब नहीं देगा जिनमें पूछताछ के दौरान किसी परिकल्पना पर अध्यापक की सहमति लेने की कोशिश होगी ।

(4) विद्यार्थियों को एक-दूसरे से सलाह करने की छूट होनी चाहिये । यदि वे चाहें तो विचार विमर्श के लिए छोटे-छोटे दल बना सकते हैं ।

(5) किसी खास परिस्थिति में आवश्यकता होने पर, विद्यार्थी चाहें तो उन्हें प्रायोगिक सामग्री, विचार पुस्तकों और संसाधन पुस्तकों के साथ कार्य करने की अनुमति दी जा सकती हैं ।

2. आंकड़े एकत्र करना (अन्वेषण)

जिस समस्या का समाधान किया जाना है उसके संबंध में संभव परिकल्पनाएं बनाने हेतु आवश्यक सूचना जुटाने के लिए विद्यार्थी अपनी स्मरण शक्ति का सहारा लेते हैं । अध्यापक उन्हें संकेत और प्रोत्साहन देकर संबंधित जानकारी चुनने में उनकी मदद करता है, जैसा कि पहले दी गयी घटना में किया गया था ।

3. आंकड़े इकट्ठे करना (परीक्षण)

दूसरे चरण में आंकड़े एकत्र करने का कार्य जारी रहता है। अंतर यह है कि संबंधित कारणों (अस्थायी कारणों) को अलग करके विद्यार्थी परिकल्पना बनाते हैं, उनका परीक्षण करते हैं और कारण तथा उसके प्रभाव के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रक्रिया में, यदि आवश्यक हो तो, पूछताछ की प्रणाली विकसित होने पर गहन जानकारी मिलने से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर परिकल्पना में संशोधन भी किया जा सकता है।

4. परिकल्पना को प्रतिपादित करना

तीसरे चरण के आधार पर, उलझी हुई घटना की व्यावहारिक परिकल्पना प्रतिपादित की जा सकती है या समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है।

5. पूछताछ करने की प्रणाली का विश्लेषण

विद्यार्थी स्वयं अपनायी गयी प्रणाली का विश्लेषण करते हैं ताकि उसके गुण-दोषों की जांच की जा सके। प्रश्न पूछने का जो उपरोक्त तरीका हमने चुना है, क्या वही एक रास्ता है या हम इसके विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं? इन विकल्पों में से कौन-सा बेहतर है? यदि ऐसा है तो किस प्रकार से यह विकल्प बेहतर है? प्रश्न पूछने की प्रणाली से क्या पूछताछ के अधिक प्रभावशाली तरीके ढूंढने में तथा समस्या का समाधान करने में सहायता मिलेगी? (उपर्युक्त घटना में यह चरण नहीं लिया गया था)।

घटना—2

एक घटना नीचे दी गयी है। इसे पढ़ें और उन तथ्यों को पहचानने की कोशिश करें जो इस घटना में लिये गये हैं।

पश्चिमी भारत के पहाड़ों में बहुत से हिरण थे, जो संख्या में कहीं कम तो कहीं अधिक थे। पहाड़ों में भेड़िये भी रहते थे। एक गांव के कुछ लोगों ने भेड़ियों के एक झुण्ड को हिरणों के समूह से दो छोटे हिरण झपट कर ले जाते हुए देखा। यह देख कर गांव वाले डर गये और उन्होंने सोचा कि ये भेड़िये तो सारे हिरणों का सफाया कर देंगे। इसलिए गांव वालों ने भेड़ियों को खत्म करने का अभियान चलाया। भेड़ियों को समाप्त करने के कुछ वर्षों बाद उन्होंने पाया कि हिरणों की संख्या भी काफी कम हो गयी है। जब भेड़िया हिरण का प्राकृतिक भक्षक है, तो ऐसा क्यों होना चाहिये?

अध्यापक : क्या हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ जानकारी खोज सकते हैं?

कीर्ति : क्या दूसरे जानवर भी हिरणों को मारते हुए देखे गये हैं?

अध्यापक : हां, वे भी मारते हैं।

कीर्ति : अलग-अलग तरह के जानवर?

अध्यापक : हां।

संजय : मुझे एक विचार आया है, अध्यापक जी।

अध्यापक : बहुत अच्छा, संजय (मुस्कराता है) पर कृपया कीर्ति की बात पूरी होने तक प्रतीक्षा करो।

कीर्ति : क्या शिकार और शिकारी के संतुलन का कोई संबंध इस समस्या से है?

अध्यापक : क्या तुम इसके पक्ष में कुछ तथ्य जुटा सकते हो?

कीर्ति : जी हां, मुझे कोशिश करने दीजिए।

जब भेड़ियों को खत्म कर दिया गया तो तेंदुए, चीते और चील जैसे बड़े पक्षी हिरण का शिकार अधिक सफलता से करने लगे होंगे। इसलिए उनकी संख्या कम हो गयी होगी। (कीर्ति ने शायद अपनी बात पूरी कर ली थी, इस लिए अध्यापक ने संजय की ओर देखा)।

संजय : मेरा विचार दूसरा है ।

अध्यापक : अच्छा, चलो बताओ ।

संजय : जब हिरणों के भक्षकों को मार दिया गया तो उनकी आबादी बहुत बढ़ गयी होगी । इसलिए उनके प्राकृतिक वातावरण में उन्हें जिन्दा रहने के लिए जो आवश्यक चीजें चाहिए, उनकी कमी हो गयी होगी । इससे वे भूख से मरने लगे होंगे और उनकी संख्या कम हो गयी होगी ।

अध्यापक : ठीक है, क्या हम तुम्हारे विचार के पक्ष में कोई जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं ?

किपू : क्या भेड़ियों को खत्म कर दिये जाने के बाद हिरणों के प्राकृतिक वास में अधिक तेंदुए देखे गये थे ।

अध्यापक : नहीं ।

किपू : और चीते ?

शोरी : क्या भेड़ियों को खत्म कर देने के बाद उस क्षेत्र में बहुत से छाल रहित पेड़ पाये गये थे ?

अध्यापक : हाँ ।

कीर्ति : क्या ऐसे पेड़ भेड़ियों को मारे जाने से पहले भी थे ?

अध्यापक : हाँ ।

कीर्ति : क्या बाद में ऐसे पेड़ों की संख्या बढ़ गयी ?

अध्यापक : हाँ ।

कीर्ति : क्या मरे हुए हिरण दुबले पतले से ?

अध्यापक : हाँ, अवश्य ही कुछ ऐसे थे ।

विनीत : क्या उस क्षेत्र के हिरण नर थे ?

अध्यापक : हाँ ।

कुमार : क्या चीलें वयस्क हिरण को भोजन के लिये मारती हैं ?

अध्यापक : शायद नहीं ।

पिंकी : क्या उस क्षेत्र में काफी सर्दी पड़ती है ?

स्मिथ : हाँ ।

अध्यापक : जो परिकल्पना तुमने सुझायी है, उस पर विचार करो और देखो कि ये सूचनाएं उसमें ठीक बैठती हैं या नहीं ।

सुधीर : मेरे ख्याल से पहली परिकल्पना छोड़ देनी चाहिये ।

अध्यापक : ऐसा क्यों, सुधीर ?

सुधीर : उस परिकल्पना के अनुसार यह सुझाया गया था कि हिरणों की संख्या घटने का कारण दूसरे शिकारी जानवर थे । लेकिन हमने पाया कि तेंदुओं की आबादी नहीं बढ़ी थी ।

अध्यापक : शाबाश, सुधीर ।

पिंकी : (उत्सुकता से हाथ उठाते हुए) मेरे विचार से हमें दूसरी परिकल्पना को भी थोड़ा-सा बदलना होगा ।

अध्यापक : अच्छा, तो तुम बताओ ।

पिंकी : हमने पाया कि कुछ हिरण जरूर भूख से मरे होंगे क्योंकि दुबले-पतले अस्थि पिंजर अपंग थे, जिससे प्रतीत होता है कि कुछ हिरण बीमारी से भी मरे होंगे । मेरे विचार से परिकल्पना यह होनी चाहिये कि हिरण के शिकारियों को मार दिये जाने के बाद, उनकी आबादी इतनी बढ़ गयी कि प्राकृतिक साधनों की कमी पड़ गयी और वे भूख और बीमारियों का शिकार होने लगे । भेड़िये सबसे कमजोर सदस्यों को ले जाते हैं और कुल मिला कर हिरणों का पूरा झुण्ड स्वस्थ है ।

अध्यापक : बहुत अच्छा, पिंकी ।

आलम : हमें यह नहीं मालूम कि भेड़िये ऐसा करते हैं। क्या भेड़ियों को खत्म किये जाने से पहले भी हिरणों के अस्थि पिंजर मिलते थे ? क्या वे छोटे या वृद्ध होते थे या हर आयु के होते थे ?

अध्यापक : हाँ ।

शाह : फिर तो यह ठीक बैठता है। यह पिंकी का विचार मजबूत करता है कि भेड़िये झुण्ड के सबसे कमजोर हिरणों को ले जाते हैं ।

कक्षा को संतुष्टि हो गयी कि इस परिकल्पना की पुष्टि तथ्यों से होती है ।

जिज्ञासा विकसित करने का प्रशिक्षण देने के लाभ

हालांकि जिज्ञासु बनाने का प्रशिक्षण आरंभ में प्राकृतिक विज्ञान के लिए विकसित किया गया था, लेकिन इसके तरीके हर विषय के क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से प्रयुक्त किये जा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में समस्याएं विकसित करने की अनेक संभावनाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछने की कला का प्रशिक्षण देने के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं । इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज-विज्ञान में अनेक समस्याएं है जिनका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए तैयार की गयी समस्याओं के रूप में किया जा सकता है ।

कोई उलझी हुई समस्या बनाना अध्यापक के लिए एक कठिन कार्य है, क्योंकि उसे पाठ्यक्रम के विषयवस्तु की ही ऐसी समस्याओं में परिवर्तित करना होगा, जो विद्यार्थियों को हल करने के लिए दी जा सकें। लेकिन यह देखा गया है कि प्रशिक्षण पाने के बाद अध्यापक विषयवस्तु का उपयोग करके रोचक और उलझाने वाली समस्याएं बनाते हैं।

यह जरूरी नहीं है कि इस प्रणाली में पूरे पाठ्यक्रम का समावेश किया जाये। परन्तु हमें विद्यार्थियों को पूरा अवसर देना चाहिये ताकि वे प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित कर सकें और इस कला में दक्षता प्राप्त कर सकें ।

समेकित अभ्यास

(1) जो पाठ्यक्रम आप पढ़ाते हैं, उसमें से एक ऐसी उलझी हुई समस्या चुनिये, जिसे आप विद्यार्थियों की जिज्ञासा विकसित करने के लिए प्रयुक्त करना चाहते हैं। उनके लिए तथ्यों की सूची बनाइये। अपने सहयोगियों को विद्यार्थियों के रूप में लेकर उनके साथ प्रश्नोत्तर कीजिए ।

(2) जो विषय आप पढ़ाते हैं, उसमें से एक रहस्यमय कथा लेकर कम से कम दो ऐसी समस्याएं बनाइये, जिनका प्रयोग आप प्रशिक्षण कार्यक्रम से लौटने के बाद अपनी कक्षा को प्रश्न करने का प्रशिक्षण देने के लिए करेंगे।

यह जानने के लिए कि हमने जिज्ञासा विकसित करने के प्रशिक्षण के मॉड्यूल को कहां तक समझा है, हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए :—

1—निम्न में से कौन सा तथ्य समस्याओं से सामना करने के लिए सही नहीं है :

अ—विद्यार्थियों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिये जिनका उत्तर "हां" या "ना" में दिया जा सके ।

ब—विद्यार्थी अपनी बारी आने पर जितने चाहे प्रश्न कर सकते हैं ।

स—प्रश्न करते समय विद्यार्थी किसी भी समय किसी भी व्याख्या की जांच-परख कर सकते हैं ।

ब—विद्यार्थी एक-दूसरे से सलाह-मशवरा नहीं कर सकते ।

2—एक अकेली घटना के लिए तथ्य इकट्ठे करने को कहा जाता है :

अ—परिस्थितियों का परीक्षण करना ।

ब—प्रयोग करना ।

स—पुष्टि करना।

द—तथ्यों के आधार पर व्याख्या करना।

3—यदि विद्यार्थी यह कहे कि "संतृप्त वसा असंतृप्त से बेहतर है" तो वह :

अ—एक स्थिति को सही सिद्ध कर रहा है।

ब—सिद्धान्त प्रस्तुत कर रहा है।

स—परिकल्पना कर रहा है।

द—एक प्रासंगिक अस्थायी तथ्य को अलग कर रहा है।

4—यदि विद्यार्थी यह बिल्कुल ठीक बताता है कि पानी के उबलने के तापमान पर दबाव का क्या असर पड़ता है, तो वह :

अ—प्रयोग कर रहा है।

ब—अवलोकन कर रहा है।

स—तथ्य इकट्ठे कर रहा है।

द—सार प्रस्तुत कर रहा है।

5—यदि विद्यार्थी अपने निरीक्षण के आधार पर यह कहे कि "सुंदर माता-पिता के बच्चे हमेशा सुंदर होते हैं", तो वह :

अ—परिकल्पना कर रहा है।

ब—एक प्रासंगिक अस्थायी तथ्य को अलग कर रहा है।

स—सिद्धान्त प्रस्तुत कर रहा है।

द—एक स्थिति को सही सिद्ध कर रहा है।

मूल्यांकन प्रश्नों की कुंजी

1(अ), 2(स), 3(ब), 4(अ), 5(अ)

मॉड्यूल–8 सी

मूल्य-परक शिक्षा

भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया हैं कि "समाज में अनिवार्य मूल्यों में निरंतर कमी तथा बढ़ते हुए सनकीपन के कारण पाठ्यक्रम में परिवर्तन आवश्यक हो गया है ताकि शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को विकसित किया जा सके।

सार्वजनिक जीवन में नैतिकता व सामाजिक मूल्यों के ह्रास के प्रति पहली बार चिंता प्रकट नहीं की गई है न ही पहली बार इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि मूल्यों के प्रति निष्ठा जगाने में शिक्षा का भारी महत्व है। जब से देश स्वतंत्र हुआ है कई समितियों तथा शिक्षा आयोगों ने शिक्षा के विविध पहलुओं पर विचार किया है तथा मूल्य-परक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है।

इस बारे में दो राय नहीं हैं कि नैतिक, आध्यात्मिक एवं सौन्दर्य परक मूल्यों के विकास में शिक्षा की विशेष भूमिका है। न कोई इस बात से इन्कार कर सकता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में अध्यापकों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। लेकिन मूल्य परक शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से कार्य करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिये कि मूल्य-परक शिक्षा क्यों, कैसे और किस प्रकार हो। इस मॉड्यूल में हम आपको यही बताना चाहते हैं।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के पश्चात् आप :

–शिक्षा और मूल्यों के बीच संबंधों को समझ सकेंगे।

–मूल्य-परक शिक्षा की आवश्यकता को समझ सकेंगे।

–स्कूलों में मूल्य-परक शिक्षा के उद्देश्य व सीमा को समझ सकेंगे।

–राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा सुझाये गए मूल्यों को जान सकेंगे।

–मूल्य-परक शिक्षा के विभिन्न स्रोतों को जान सकेंगे।

–मूल्य-परक शिक्षा को जटिल प्रक्रिया को समझ सकेंगे।

–मूल्य-परक शिक्षा के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत हो सकेंगे।

–एक शिक्षक के रूप में मूल्य-परक शिक्षा की भूमिका समझ सकेंगे।

–बच्चों में मूल्य-परक शिक्षा के विकास के लिए समुचित अध्यापन-अनुभव कर विकास कर सकेंगे।

मूल्य एवं शिक्षा

हमारा पहला प्रश्न है कि मूल्य और शिक्षा का क्या रिश्ता है। मूल्य का सबंध उन चीजों से है जिसकी हम कामना करते हैं या इच्छा करते हैं और उन्हें उचित मानते हैं। ये मूल्य भौतिक हो सकते हैं (जैसे घर की, अच्छे भोजन की इच्छा) या अमूर्त गुण या आदर्श हो सकते हैं जैसे सत्य, आनन्द, शांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विद्यार्थी के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन लाने में सहायक होती है। विद्यार्थी के चिंतन में, व्यवहार में परिवर्तन द्वारा एक अच्छे

जीवन का आरम्भ किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चों में ऐसे विशेष गुणों, दृष्टिकोणों, मूल्यों तथा व्यवहार का विकास किया जा सकता है जो उसके लिए एवं समाज के लिए हितकारी हैं। शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य और लक्ष्य मानव संसाधनों का विकास, मानवीय मूल्यों के प्रति निष्ठा, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक स्वभाव, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वतंत्रता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र ये सब अच्छे जीवन के हमारे सिद्धान्त हैं। इन सिद्धान्तों की प्राप्ति के लिए हम शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना बनाते है। बच्चों में गुणों, ज्ञान एवं दृष्टिकोण का विकास करते हैं जो हमारी सांस्कृतिक परम्परा से विकसित होते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि शिक्षा—(अपने उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं पद्धति में)– मूल्यों से पूर्णतः जुड़ी हुई है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य वह है कि शिक्षा के माध्यम से ही मानव-समाज अपने मूल्यों को सुरक्षित रखता है, उन्हें आगे बढ़ाता है।

क्रियाकलाप–1

–शिक्षा पद्धति में मूल्यों का प्रवेश कैसे होता है ?
–आधुनिक युग के संदर्भ में एक आदर्श शिक्षित युवा का आप कैसे वर्णन करेंगे ?
–हमारी शिक्षा को हमारे बच्चों में क्या विकसित करना चाहिए ?
(मस्तिष्क, हृदय, स्वभाव या विभिन्न कलाओं से संबंधित गुण)
–क्या आप प्रचार को शिक्षा मानते हैं ? क्यों और क्यों नहीं ?
–समस्त शिक्षा एक अर्थ में मूल्य-परक शिक्षा है, कैसे ?

मूल्य-परक शिक्षा की जरूरत

यदि शिक्षा के हर सिद्धान्त में मूल्य बुन दिये जाएं, जैसा कि हमने ऊपर कहा है, तो फिर मूल्य-परक शिक्षा की अलग से क्या जरूरत है ?

निःसंदेह हरेक अच्छी शिक्षा मूलतः मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास—(बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक)– की प्रक्रिया है। लेकिन विभिन्न कारणों से इन दिनों समग्र व्यक्तित्व के विकास के प्रति उदासीनता बरती जा रही है। आजकल शिक्षा मात्र जानकारी देने वाली प्रक्रिया बन गई है जिसका एकमात्र उद्देश्य परीक्षा पास कर डिग्री हासिल करना रह गया है। अतः जब हम मूल्य-परक शिक्षा की बात करते है तो हम शिक्षा के प्रभावपूर्ण उद्देश्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें मानव-व्यक्तित्व के सामाजिक, नैतिक, सौन्दर्यगत एवं आध्यात्मिक विकास का समावेश है। यही वह पक्ष है जिसकी आजकल हमारे द्वारा अवहेलना हो रही है।

दूसरे, हम अपने सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें हमारे सदियों से चले आ रहे स्वीकृत मूल्यों को खतरा उत्पन्न हो गया है। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, जनतंत्र एवं व्यावसायिकता, नैतिकता पर अधिकाधिक दबाव बढ़ रहा है। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है :—औपचारिक शिक्षा एवं हमारी समृद्ध व विविध परम्पराओं के बीच विभेद बढ़ रहा है। आधुनिक तकनीक के प्रति हमारा मोह हमारी नवीन पीढ़ी को उसकी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जड़ों से अलग न कर दे, हमें इसका ध्यान रखना है। हमें संस्कृति हीनता, अमानवीयता एवं अलगाव की भावना का हर कीमत पर मुकाबला करना होगा। समाज व राष्ट्र में व्याप्त विघटनकारी शक्तियां हमारी जनतांत्रिक पद्धति की कड़ी परीक्षा ले रही हैं। जनसंख्या में वृद्धि से जनता के जीवन स्तर में कमी आ रही है। उसके कारण सामाजिक तनाव व अशांति बढ़ रही है। अपराध, हिंसा व्याप्त पीड़ा और यातना जीवन के हर क्षेत्र में फैल रही है। सामाजिक जीवन में पूर्वाग्रह और दुराग्रह का बोलबाला है। जन्मगत उच्चता समानता की प्रगति में आड़े आ रही है। हमारा भौगोलिक वातावरण—(नदियां, पहाड़, वन, पौधे तथा पशु जीवन) दूषित हो रहा है। प्राकृतिक सम्पदा व साधनों में कमी आ रही है जिससे हमारा जीवन स्तर नीचे गिरता जा रहा है।

संकीर्ण जातीयता, सम्प्रदायवाद, भाषावाद एवं क्षेत्रीय दृष्टिकोण भारतीय जनता को विभाजित कर रहे हैं तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास में बाधा डाल रहे हैं। आज विश्व के सामने विश्व व्यापी परमाणु विनाश का संकट खड़ा है। आज हमें शांति एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। इन सभी समस्याओं का समाधान संकीर्ण एवं टुकड़ों में किये गए प्रयासों से नहीं हो सकता चाहे वे प्रयास शैक्षणिक हों या सामाजिक। आज जरूरत हैं आमूल चूल परिवर्तन की। हमें यह परिवर्तन अपने दृष्टिकोण, अपने जीवन तथा अपने वातावरण में लाना है। इसीलिए हमारी शिक्षा में मूल्यों के विकास की दिशा में सजग प्रयास की आवश्यकता है।

क्रियाकलाप-2

(i) क्या आप सोचते हैं कि आज हमारी शिक्षा में प्रभावपूर्ण उद्देश्यों के प्रति उदासीनता बरती जा रही है ?

(ii) इनमें बढ़ोत्तरी के क्या कारण हैं :

 (क) छात्र-अनुशासनहीनता

 (ख) हिंसा

 (ग) साम्प्रदायिक विभेद

 (घ) हमारे समाज में अपराधों में वृद्धि ?

(iii) क्या आप सोचते हैं कि हमारे समाज में मूल्यों का संकट है ?

(iv) क्या हमारी शिक्षा पद्धति में मूल्यों पर जोर देना जरूरी है ? क्या आप सोचते हैं कि वर्तमान मूल्यों के संकट का शिक्षा द्वारा समाधान किया जा सकता है।

मूल्य-परक शिक्षा के क्षेत्र

जब हम मूल्य-परक शिक्षा की बात करते हैं तो हमारा इरादा पाठ्यक्रम में एक और नया विषय जोड़ने का नहीं है। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि समुचित मूल्यों, दृष्टिकोणों, भावनाओं एवं व्यवहार-पद्धति का शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से विकास किया जाए और उसे ईमानदारी से क्रियान्वित किया जाए। हमारा कहना है कि शिक्षा निर्माण के लिए होनी चाहिए, जानकारी, प्रशिक्षण और कोरे तथ्यों के लिए नहीं। यहां समस्या यह है कि ऐसी शिक्षा में क्या हो और स्कूली शिक्षा में इसकी क्या सीमा हो।

(क) प्रथमतः यह ध्यान रहे कि मूल्य-परक शिक्षा या निर्माण के लिए शिक्षा वह है जो हमारे व्यक्तित्व के तीन पक्षों—(जानना, अनुभव करना एवं काम करना)— को छूती हो। बच्चे को सही मूल्यों, सही भावनाओं, सही विचारों और कार्यों से अवगत कराया जाना चाहिए।

(ख) कुछ गुण बच्चे में आदतों के रूप में ढालने होंगे जैसे सफाई, समय पर कार्य एवं सच्चाई। मूल्यों को तार्किक ढंग से समझने का कार्य उस समय के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए जब बच्चा तर्क करने की स्थिति में हो। मूल्य-परक शिक्षा बच्चे की मनोवैज्ञानिक तैयारी और अनुभव से जुड़ी होनी चाहिए।

(ग) ऊपर हम जिन मूल्यों का उल्लेख कर चुके हैं (जैसे वैज्ञानिक मनोवृत्ति, समानता, पर्यावरण संरक्षण, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता) वे सभी स्तरों पर शिक्षा के लिए जरूरी हैं। सिर्फ हमारा तरीका और गतिविधियां बच्चे की उम्र और कक्षा के स्तर की होनी चाहिए। आरंभिक स्तर पर मूल्य-परक शिक्षा ठोस गतिविधियों एवं जीवन की परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए ? बड़े होने पर छात्र स्वयं मूल्यों की तार्किकता को समझ सकेगा और उन्हें विचार व कार्य रूप में ढाल सकेगा। इसके लिए हमें उसे व्यवहार व विचार के लिए उचित अवसर देने होंगे।

सामान्यतया स्कूलों में मूल्य-परक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित होने चाहिए :

(क) बच्चों में नैतिक, सौन्दर्यगत, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक भावनाएं विकसित करना।

(ख) छात्रों में जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता व वैज्ञानिक दृष्टिकोण की समझ विकसित करना।

(ग) बच्चों में इन मूल्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना।

(घ) छात्रों को ऐसे अवसर प्रदान कराना कि वे इन मूल्यों को जीवन में उतार सकें।

क्रियाकलाप–3

(i) क्या स्कूलों में मूल्य-परक शिक्षा एक अलग विषय होना चाहिए ?	
(ii) प्राथमिक स्कूलों में मूल्य-परक शिक्षा के कौन से मुद्दे उचित होंगे ?	**एकत्र कीजिए**
(iii) माध्यमिक स्तर पर मूल्य-परक शिक्षा के कौन से मुद्दे उचित होंगे ?	**मिलान कीजिए**
(iv) प्राथमिक स्कूल के बच्चों में आप अन्य किन मूल्यों को आदतों के रूप में देखना चाहेंगे ?	**चर्चा कीजिए**

शिक्षा किन मूल्यों पर जोर दे

वे कौन से मूल्य हैं जिन्हें हम बच्चों में विकसित करना चाहेंगे। उनकी सूची बनाने का प्रयास करने से पहले हमें एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि मानव अकेला "शून्य" में नहीं रहता। वह एक वर्ग का, समाज का, राष्ट्र व विश्व समुदाय का सक्रिय सदस्य है। अत: एक व्यक्ति की मूल्य-परक शिक्षा उसके विशिष्ट सामयिक व सांस्कृतिक संदर्भ से जुड़ी होनी चाहिए। साथ ही साथ वह विश्वजनीन व शाश्वत मूल्यों से भी संबद्ध होनी चाहिए।

आज हमारे सामाजिक व राष्ट्रीय प्रश्न क्या हैं और वे मूल्य-परक शिक्षा से क्या मांग कर सकते हैं ? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है :

"हमारे बहु-वर्गीय समाज में शिक्षा को सर्वव्यापी और शाश्वत मूल्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि भारतीय जन में राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़े और संकीर्ण सम्प्रदायवाद, धार्मिक अतिवाद, हिंसा, अन्धविश्वास व भाग्यवाद को समाप्त किया जा सके।

इस संघर्षपूर्ण भूमिका के अलावा मूल्य-परक शिक्षा में हमारी सांस्कृतिक परम्परा, राष्ट्रीय उद्देश्य तथा विश्वजनीन सिद्धान्तों पर आधारित सकारात्मक तत्व भी होने चाहिए। इस पक्ष पर हमें सर्वाधिक बल देना चाहिए।"

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार उपरोक्त सर्वव्यापी मूल्य हमारे संविधान में मौजूद हैं। ये मूल्य हैं: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जनतंत्र, समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता। सभी भारतीयों को इनके प्रति निष्ठा होनी चाहिए।

शिक्षा द्वारा मानव मूल्यों को विकसित किया जाना चाहिए, यह विचार हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल अंग है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें ऐसे राष्ट्रीय मूल्यों का निर्माण करना चाहिए जो सभी को मान्य हों तथा उनसे एक ऐसी मान्यता एवं मूल्य पद्धति की रचना होनी चाहिए जो भारतीय व्यक्तित्व को मजबूत कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल सिद्धान्तों के अन्तर्गत भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, संवैधानिक उत्तरदायित्व तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले आवश्यक विषय शामिल होंगे। ये मूल सिद्धान्त विविध पाठ्य-विषयों के साथ जुड़े होंगे तथा उनका उद्देश्य होगा :—

—हमारी समान सांस्कृतिक विरासत

—समानता, जनतंत्र एवं समाजवाद

—स्त्री-पुरुषों की समानता

—पर्यावरण की सुरक्षा
—सामाजिक विभेदों को दूर करना
—छोटे परिवार के सिद्धान्तों का पालन
—वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास

इन मूल्यों के अतिरिक्त हम यह भी चाहेंगे कि भारतीय जनता धर्मनिरपेक्षता, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, राष्ट्रीय एकता तथा श्रेष्ठता की खोज जैसे मूल्यों को भी विशेष महत्व दे।

क्रियाकलाप–4

(i) आपके विचार से हमारी शिक्षा में किन मूल्यों को प्रमुखता दी जानी चाहिए ? (ii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता व समानता की व्याख्या कीजिए। (iii) निम्नलिखित मूल्यों के विकास का औचित्य बताइए : प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक परम्पराओं के प्रति सम्मान, छोटा परिवार, वैज्ञानिक दृष्टि-कोण, सामाजिक विभेद की समाप्ति, शांति एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग। (iv) हमारे संविधान में किन मूल्यों का उल्लेख है ? उनकी महत्ता बताइए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

मूल्य-परक शिक्षा की प्रक्रिया

मूल्यों का विकास कोई आसान काम नहीं है। हमारे पास ऐसी न कोई जादुई छड़ी है, न कोई तकनीक या समर-नीति है जिससे हाथों हाथ यह विकास हो सके। वस्तुतः मूल्य-परक शिक्षा की प्रक्रिया काफी कठिन है जो वंशगत एवं वातावरण के कई तत्वों से प्रभावित होती है। अधिक विस्तार में गये बिना आइए अब हम मूल्य-परक शिक्षा के कुछेक सामान्य तथ्यों का आकलन करें :

(क) व्यापक रूप में मूल्य-परक शिक्षा के अन्तर्गत इन सबका समावेश है : मूल्यों के प्रति संवेदना, जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों के संदर्भ में सही मूल्य चुनना, उन्हें आत्मसात करना, उन्हें जीवन में उतारना और उन्हें व्यवहार में लाना। अतः यह एक समय बद्ध कार्य नहीं है बल्कि जीवन भर हमें इसकी खोज करनी है और अपने जीवन में उतारते रहना है।

(ख) मूल्यों का विकास आस पास के वातावरण से प्रभावित होता है जैसे घरेलू वातावरण, साथी-सहयोगी, समुदाय, प्रचार तंत्र तथा समाज। शिक्षा हमारे समाज की एक सहायक पद्धति है जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती है लेकिन संकट के समय शिक्षा को एक रचनात्मक भूमिका निभानी होती है और सही मार्ग की ओर ले जाना होता है। अतः बच्चों को मूल्य-परक शिक्षा देने में स्कूलों की महत्व-पूर्ण भूमिका है। लेकिन स्कूल किस सीमा तक मूल्य-परक शिक्षा दे सकते है यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां का वातावरण कैसा है और अध्यापक कितने आदर्शवादी हैं।

(ग) अन्य अर्थों में भी मूल्य-परक शिक्षा जटिल प्रक्रिया है। इसमें सभी मानवीय पक्ष (जानना, विचारना तथा करना) शामिल हैं। बच्चों को न केवल सही और अच्छी बातें जाननी चाहिए लेकिन उन्हें सही बातों के प्रति भावनात्मक लगाव होना चाहिए तथा सही बातें जीवन से उतारनी भी चाहिए। दूसरे शब्दों में मूल्य-परक शिक्षा ज्ञान के सभी क्षेत्रों को छूती हैं। उसमें तार्किक ढंग से सोचने का, भावनाओं का तथा इच्छा शक्ति का विकास होता है।

(घ) बच्चों को "मूल्यों" का ज्ञान क्रमशः होता है। नैतिक शिक्षा में शोध से पता चलता है कि विकास के तीन चरण हैं: (i) पूर्व-नैतिक चरण—जब बच्चा सजा से बचने तथा पुरस्कार पाने के लिए कार्य करता है। (ii) परम्परागत मूल्यों का पालन—इसके अन्तर्गत बच्चा दूसरे की पसंद या नापसंद को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है (iii) स्वतंत्र नैतिकता का चरण—इसमें बच्चा अपनी आत्मा की आवाज व दूसरों के प्रति सम्मान के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करता है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल्य-परक शिक्षा के प्रति हमारा दृष्टिकोण बच्चे के विकास क्रम को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।

क्रियाकलाप-5

(i) ऊपर जो सामान्यीकरण किया गया है उसके उदाहरण दें।

(ii) "यदि हम जानते हैं कि सही क्या है तो हम सही काम करेंगे।" क्या आप इससे सहमत हैं ?

(iii) "भावनाओं की शिक्षा" से आपका क्या अर्थ है ?

(iv) "हम छात्रों से सही व्यवहार चाहते हैं और ऐसा सही कारणों सें चाहते हैं।"—क्या आप इससे सहमत हैं ?

(v) छोटे और बड़े बच्चों में निम्नलिखित दुर्गुणों के क्या कारण हैं :
झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना।

(vi) बच्चों में मूल्य-परक शिक्षा के विकास में आप परिवार का सहयोग कैसे लेंगे ?

(vii) प्रचार तंत्र में मूल्यों के विकास के विरुद्ध जो हो रहा है उसका आप किस प्रकार प्रतिरोध करेंगे ?

(viii) प्रत्येक मूल्य के प्रति बच्चे में ज्ञानपूर्ण समझ, सही भावना का विकास तथा उसे व्यवहार में लाने की ललक जगानी चाहिए। जानना, विचारना तथा इच्छा करना—इस संदर्भ सें पर्यावरण चेतना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य मूल्यों को समझाइये।

मूल्य-परक शिक्षा के स्रोत

इसके कई स्रोत हैं और अध्यापक को उनका समुचित उपयोग करना चाहिए। प्रथमतः स्कूली पाठ्यक्रम के नियमित विषयों में मूल्यों का भण्डार छिपा है। हर विषय के अन्तर्गत मूल्य, दृष्टिकोण और पद्धति होती है जो उसकी अपनी विशेषता है। उदाहरण के लिए विज्ञान के साथ स्वतंत्र खोज, सत्य के प्रति निष्ठा तथा गणित में तार्किक विचार, सुघड़ता एवं संक्षिप्तीकरण का गुण है। इसी प्रकार साहित्य और इतिहास के अपने विशिष्ट मूल्य हैं। एक विषय का उचित अध्यापन सिर्फ जानकारी देना ही नहीं है बल्कि बच्चे सें उस विषय के साथ जो तार्किक व भावना संबंधी मूल्य हैं उन्हें समझाना है। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हमेशा हर विषय के मूल्यगत पक्ष को ही उजागर किया जाए। कहने का अर्थ यह है कि विषय का अच्छी तरह से अध्यापन मूल्यों को समझाए बिना नहीं होता। मूल्य उसका अविभाज्य हिस्सा है।

विषयों के अतिरिक्त कई ऐसी सहायक गतिविधियां भी है जो बच्चों में मूल्यों के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। स्वशासन, विभिन्न क्लबों व संघों का निर्माण, एन० सी० सी०, स्काउट, गर्ल्स गाइड, रेडक्रास, खेलकूद, भ्रमण तथा सेवा व सफाई कार्य आदि से भी बच्चों में समान लक्ष्यों व आदर्शों के लिए मिल-जुलकर काम करने की भावना उत्पन्न होती है। बच्चों में रचनात्मक एवं विशिष्ट बौद्धिक विकास, सामाजिक व सांस्कृतिक रुचि जगाने के साथ ही साथ अन्य गतिविधियों द्वारा उनमें जनतांत्रिक भावना, उत्तरदायित्व, सहयोग, सहिष्णुता तथा धर्म निरपेक्षता की भावना जगाई जा सकती है। इन गतिविधियों से उन्हें व्यावहारिक जीवन में मूल्यों को सीखने का अवसर मिलता है। ऐसी गति-विधियों का आयोजन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे उद्देश्य क्या हैं।

कई बार स्कूल का वातावरण ही मूल्यों का सृजन करता है। टैगोर तथा गांधी जी ने बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षण संस्थाओं में रचनात्मक वातावरण के निर्माण पर बल दिया है। स्कूल वातावरण का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। स्कूल कहां स्थित है ? उसकी कार्य पद्धति, परम्पराएं व आदर्श क्या हैं ? अध्यापक, छात्र, माता-पिता कैसे हैं ? दूसरे शब्दों में स्कूल की प्रकृति क्या है ? जहां उच्च आदर्श स्कूल को संचालित करते हैं, वहां अध्यापक निष्ठापूर्वक अपना कर्त्तव्य निभाते हैं, जहां छात्रों, माता-पिता, अध्यापक व समुदाय में आपसी सम्मान, स्नेह और प्यार है वहां बच्चों में मूल्यों व आदर्शों का स्वतः विकास होता है। लेकिन यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे वातावरण का निर्माण धीरे-धीरे होता है और उसके लिए छात्रों, अध्यापकों एवं माता-पिता का सहयोग आवश्यक है। बड़े-बड़े शिक्षा-विशेषज्ञ अपनी संस्थाओं में अपने व्यक्तिगत प्रयास व कठिन श्रम से ही ऐसा वातावरण बना सके थे।

क्रियाकलाप–6

(i) मूल्य-परक शिक्षा का कोई अन्य स्रोत बताइये।

(ii) उन मूल्यों का उल्लेख कीजिए जिन्हें इतिहास व साहित्य के अध्ययन द्वारा विकसित किया जा सकता है।

(iii) ऐसी घटनाओं (इतिहास में या किसी महापुरुष के जीवन में या वर्तमान सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में) का उल्लेख कीजिए जिनके द्वारा आप प्रजातंत्र, धर्म निरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लैंगिक समानता, श्रम की महत्ता प्रकट कर सकते हैं।

(iv) उन सभी तत्वों का उल्लेख कीजिए जो मिलकर अच्छे स्कूली वातावरण का निर्माण करते है।

(v) एक ऐसी लिखित योजना बनाइए जिसके द्वारा:
–पर्यावरण चेतना—सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति रुझान व
–शांति का महत्व बताया जा सके।

(vi) अध्यापन व सीखने की उप-पद्धति का उल्लेख कीजिए जिसके द्वारा :
–अंधविश्वास
–पूर्वाग्रह व
–भाग्यवादी दृष्टिकोण का मुकाबला किया जा सके।

एकत्र कीजिए
मिलान कीजिए
चर्चा कीजिए

मूल्य-परक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

मूल्य-परक शिक्षा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या प्रसंगवश दी जा सकती है। प्रत्येक मूल्य-परक शिक्षा सोच-विचार कर, व्यवस्थित ढंग से एक विशेष समय में स्कूल में दी जाती है। कई राष्ट्रों में नैतिक शिक्षा इसी प्रकार दी जा रही है। जिन मूल्यों पर जोर देना होता है उन्हें दृष्टिगत करते हुए कहानियों, लोक कथाओं, चुटकुलों व नैतिक समस्याओं तथा वास्तविक जीवन में घटित घटनाओं को चुना जाता है। अप्रत्यक्ष मूल्य-परक शिक्षा नियमित विषयों तथा विविध गति-विधियों द्वारा दी जा सकती है। प्रसंगवश मूल्य-परक शिक्षा का सहारा किसी विशेष घटना या स्थिति में लिया जाता है जैसे स्कूल के किसी बच्चे ने साहस या बहादुरी का कोई कार्य किया हो या अनुशासन भंग किया हो या नैतिक दृष्टि से गलत कार्य किया हो, जैसे चोरी, बेईमानी आदि। ऐसी स्थिति में अच्छी बात को आदर्श रूप में तथा गलत बात को अस्वीकृति के रूप में निरूपित किया जाता है।

हर दृष्टिकोण की अपनी अच्छाइयां व कमजोरियां हैं। उनका उचित उपयोग होना चाहिए। यहां इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चों में कितनी परिपक्वता है और वे दिल, दिमाग व इच्छा से उसमें शामिल होते हैं या नहीं। चरित्र-निर्माण की शिक्षा सम्पूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित होती है। इसके लिए अध्यापकों को कई गतिविधियों व नीतियों का सहारा लेना पड़ता है। इनमें प्रमुख हैं :

–अध्यापन, विश्लेषण व विचार विमर्श (ताकि नैतिक, सौन्दर्यगत एवं सांस्कृतिक वातावरण के संबंध में ज्ञान को बढ़ाया जा सके)।

–अच्छी आदतों का प्रशिक्षण।

–कलाकृतियों, प्राकृतिक सौन्दर्य एवं नैतिक कार्य (ताकि मूल्यों की भावना जगाई जा सके)।

–ऐसी स्थितियों व अवसरों का निर्माण (जिससे मूल्यों की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित किया जा सके और मूल्यों के प्रति उनमें संवेदना जगाई जा सके)।

स्कूल के भीतर और बाहर विविध अनुभव बच्चों को मूल्यों को जीवन, कार्य व व्यवहार में उतारने की प्रेरणा देंगे।

क्रियाकलाप–7

विचार विमर्श के लिए प्रश्न

(i) पर्यावरण, शांति, जनतंत्र, धर्म निरपेक्षता व समानता की भावना के प्रसार के लिए कुछेक अनुभवों व घटनाओं का उल्लेख कीजिए।

(ii) उन घटनाओं/स्थितियों की सूची बनाइए जो स्कूल में हो सकती हैं और जिनका उपयोग प्रसंगवश मूल्य-परक शिक्षा के लिए किया जा सकता है।

(iii) उन विविध सहायक गतिविधियों का उल्लेख कीजिए जिनके आयोजन से बच्चों में मूल्यों को प्रेरित किया जा सके।

(iv) जनतांत्रिक मूल्यों के प्रोत्साहन के लिए आप अपनी कक्षा में क्या करेंगे ?

अध्यापक की भूमिका

मूल्य-परक शिक्षा में आपकी क्या भूमिका हैं ? प्रथमतः आपके लिए यह जानना जरूरी है कि मूल्य-परक शिक्षा आपके अध्यापन की सभी गतिविधियों से अलग चीज नहीं है। स्कूल के भीतर और बाहर विभिन्न गतिविधियों (अध्यापन, छात्रों के साथ सम्पर्क व अन्य गतिविधियों) द्वारा मूल्यों का सतत निर्माण होता है। स्कूल के सामान्य ढर्रे व तथाकथित "अदृश्य" गतिविधियों द्वारा भी मूल्यों का विस्तार होता है। अतः यह आवश्यक है कि अध्यापक अध्यापन व्यवसाय के सर्वोच्च आदर्शों को लेकर ही आगे बढ़ें। इससे स्कूल का वातावरण अच्छा बनेगा। इससे ऊँचे आदर्शों एवं मूल्यों के निर्माण में सहायता मिलती है। मूल्य-परक शिक्षा के जिन विविध पहलुओं पर हमने ऊपर विचार किया है उसका सारांश तथा अध्यापक की भूमिका निम्नलिखित निर्देशों (करें/न करें) में स्पष्ट है :

(क) स्कूल में प्रेम, विश्वास व सुरक्षा का वातावरण पैदा करें (याद रहे बच्चे डर के कारण झूठ बोलते हैं, असुरक्षा की भावना आक्रामक व्यवहार पैदा करती है)।

(ख) बच्चे को समझें। उसके विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अपनी अध्यापन-पद्धति का निर्माण करें (छोटे बच्चे झूठ, कल्पना व सत्य के बीच भेद नहीं कर सकते न वे सत्य का सिद्धान्त समझते हैं। इसी

प्रकार चोरी करना बुरा है, इस बात का बच्चों के लिए तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक वह सम्पत्ति के सिद्धान्त को नहीं समझता) ।

(ग) मूल्य-परक शिक्षा को ठोस स्थितियों के साथ जोड़ें । विशेष परिस्थितियों को छोड़कर हमेशा उपदेशक व आह्वानकर्त्ता न बनें ।

(घ) मूल्य-परक शिक्षा सह-पाठ्यक्रम की गतिविधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से दें । बच्चों को जीवन की परि-स्थितियों से सीखने दें ।

(ङ) जानबूझकर प्रत्यक्ष मूल्य-परक शिक्षा का सावधानीपूर्वक प्रयोग करें । उपदेशात्मक पद्धति की अपनी सीमाएं हैं ।

(च) यह न भूलें कि कोई भी विषय पढ़ाते समय आप (जाने या अनजाने में) मूल्य-परक शिक्षा देते हैं । छात्र को विषय के समस्त पहलुओं (जानकारी, तर्क, बौद्धिक तत्व) से परिचित कराएं ।

(छ) याद रहे आप अपने समस्त व्यक्तित्व से छात्र को प्रभावित करते हैं । आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन खण्डों में नहीं अपितु पूर्ण व्यक्ति के रूप में होता है । अपने व्यक्तित्व का विकास करें ।

(ज) आप उदाहरण बनें । इसका अर्थ यह नहीं हैं कि आप गुणों के भण्डार ही हों । इसका अर्थ हैं कि आप छात्रों के प्रति व्यवहार में ईमानदार रहें । यदि आपको अपने विषय से प्रेम है तो बच्चा भी उससे प्रेम करेगा । यदि आप समय पर आते हैं, उत्तरदायी हैं, उदार हैं तो छात्र भी आपका अनुसरण करेगा ।

(झ) याद रहे मात्र अनुसरण ही शिक्षा नहीं है । हम तो यह चाहते हैं कि बच्चा अन्धश्रद्धा, परम्परा व रिवाजों के आधार पर कार्य न करे वरन् तर्क के आधार पर व्यवहार करे । यही मूल्य-परक शिक्षा का सारांश है ।

क्रियाकलाप–8

1. स्कूल के वातावरण को सुधारने के लिए आप नया कदम उठा सकते हैं । कुछ सुझाव दीजिए । 2. ऊपर (क) और (ग) में दिए गए सुझावों को दृष्टिगत करते हुए अपने स्कूल में वर्तमान स्थिति की समीक्षा कीजिए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

●

हमारे राष्ट्रीय प्रतीक

एक दृष्टिपात

भारत एक स्वतंत्र देश है। विश्व के सभी स्वतन्त्र देशों का अपना झण्डा, गीत और चिह्न हैं। भारत का भी अपना तिरंगा झण्डा है। अपना गीत है "जन गण मन" और अपना चिह्न हैं "अशोक चक्र"। ये हमारे राष्ट्र के तीन राष्ट्रीय प्रतीक हैं। ये हमारी एकता और पहचान के प्रतीक हैं। ये देश के स्वतन्त्रता-संग्राम से जन्मे हैं। इस मॉड्यूल का उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाना है।

उद्देश्य

यह मॉड्यूल पढ़ने के पश्चात् आप :

(1) बच्चों को राष्ट्रीय प्रतीकों का अर्थ व महत्व बता सकेंगे।

(2) ऐसी गतिविधियों का आयोजन कर सकेंगे जिनसे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

हमारा राष्ट्रीय झण्डा

आपने देश के सभी शासकीय भवनों पर राष्ट्रीय झण्डा देखा होगी। देश के बाहर आपको यह भारतीय दूतावासों के भवनों पर लहराता मिलेगा। आपके स्कूल में भी स्वतन्त्रता समारोह के अवसर पर सम्मान व आदर से इसे लगाया जाता है।

हमारा राष्ट्रीय झण्डा 22 जुलाई 1947 में अस्तित्व में आया था। इसमें समान चौड़ाई की तीन पट्टियां हैं, जिनके रंग हैं—भगवा (नारंगी), सफेद और हरा। इसमें तीन रंग हैं इसलिए इसे "तिरंगा" भी कहते हैं।

यह आयताकार है। इसकी लम्बाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसका मतलब है, अगर लम्बाई 15 सेन्टीमीटर है तो चौड़ाई 10 सेन्टीमीटर होगी। सबसे ऊपर भगवा रंग है। इस रंग का अपना लम्बा इतिहास व परम्परा है। यह उन वीरों की देश भक्ति व बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में अपनी बलि दी है। अतीत में राजपूत सैनिक युद्धभूमि पर जाते समय भगवा रंग के कपड़े पहनते थे। साधु-संन्यासी भी यही रंग पहनते हैं। अतः यह त्याग व पराक्रम का प्रतीक है।

इसके बीच का रंग सफेद है। यह सत्यता और शुद्धता का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि हमारे शब्द एवं कार्य सत्य पर आधारित होने चाहिए। हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। महात्मा गांधी कहते थे : सत्य ही ईश्वर है। इन दोनों गुणों को सभी धर्मों में रेखांकित किया गया है। सफेद रंग हमें प्रेरणा देता है : सत्यता, शुद्धता और सरलता की। यह "शान्ति" का भी परिचायक है।

इसके नीचे का रंग हरा है। हरा रंग जीवन और समृद्धि का द्योतक है। यह हमें हमारे देश की उपजाऊ मिट्टी की याद दिलाता है जो कि प्रकृति का वरदान है। हमें इस उपजाऊ धरती पर कड़ी मेहनत करनी है जिससे ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजाया जा सके। तभी हम निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष कर सकते हैं और देश में समृद्धि ला सकते हैं। हरा रंग "विश्वास" का द्योतक भी है।

इस प्रकार हमारा तिरंगा हमें हमारे गौरवपूर्ण अतीत की याद दिलाता है, सत्यनिष्ठा, शुद्धता व सरलता के लिए प्रेरित करता है और प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए कड़ी मेहनत का आह्वान करता है।

आप देखेंगे कि इसके बीचों बीच सफेद पट्टी पर नीले रंग का एक चक्र बना है। इसकी अपनी ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि है। वाराणसी के पास सारनाथ में सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में एक स्तम्भ बनवाया था। यह अशोक स्तम्भ के नाम से प्रसिद्ध है।

राष्ट्रीय झण्डे में जो चक्र बना है वह अशोक स्तम्भ से ही लिया गया है। झण्डे में यह चक्र श्वेत पट्टी की चौड़ाई का होता है। इसमें 24 अरे होते हैं। अशोक स्तम्भ में चक्र धर्म का प्रतीक है। चक्र गति और प्रगति का द्योतक है। हमारे झण्डे में जो चक्र है वह हमारी जनता को धर्म के पथ पर प्रगति की प्रेरणा देता है।

यह झण्डा हमें स्वतन्त्रता संग्राम की भी याद दिलाता है। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस का झण्डा भी लगभग ऐसा ही था। उसमें सिर्फ इतना अन्तर था कि चक्र के स्थान पर चरखा बना था। चरखा महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था। उन्हें विश्वास था कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी चरखे की सहायता से स्वतन्त्रता संग्राम में अपना योगदान दे सकता है। स्वतन्त्रता के बाद चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली। इस प्रकार यह ध्वज हमारे वर्तमान को अतीत से जोड़ता है।

क्या आप तिरंगे झण्डे से मिलते-जुलते अन्य राष्ट्रीय ध्वजों का पता लगा सकते हैं ? राष्ट्रीय झण्डे को सम्मान व आदर देना हमारा कर्त्तव्य है। पर क्या आप जानते हैं कि आप यह सम्मान व आदर कैसे दे सकते हैं ? राष्ट्रीय झण्डे को फहराते समय हमें कुछ सुनिश्चित नियमों का पालन करना होता है। सबसे पहले ब्लैकबोर्ड पर अपनी जानकारी के मुताबिक इन नियमों की सूची बनाएं। उसके बाद नीचे दी गई सूची से उसकी तुलना करें और देखें कि आपने सभी नियमों का उल्लेख किया है या नहीं।

सूची

–झण्डा लगाते समय भगवा रंग ऊपर होना चाहिए।
–कोई भी झण्डा या चिह्न राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर या दाईं ओर नहीं रखा जाना चाहिए।
–अन्य झण्डे राष्ट्रीय ध्वज के बाईं ओर लगाए जाने चाहिए।
–अगर झण्डे एक लाइन से लगाए जाते हैं तो राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊंचा होना चाहिए।
–जलूस या परेड में राष्ट्रीय ध्वज दाईं तरफ होना चाहिए या और झण्डों के एकदम मध्य में।
–सामान्यतः राष्ट्रीय झण्डा उच्च न्यायालय, सचिवालय, उच्चायुक्त और समाहर्ता कार्यालय जैसे प्रमुख सरकारी भवनों पर ही लगाया जाना चाहिए।
–गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस, गांधी जयन्ती एवं अन्य राष्ट्रीय दिवसों पर आप अपने यहां राष्ट्रीय झण्डा फहरा सकते हैं। लेकिन इन अवसरों पर भी कारों या अन्य वाहनों पर इसे नहीं लगाया जाना चाहिए।
–राष्ट्रीय झण्डा या इसकी प्रतिकृति व्यापार या व्यवसाय के लिए इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए।
–राष्ट्रीय झण्डे को सूर्यास्त के समय उतार लेना चाहिए।

हमारा राष्ट्रीय चिह्न

अगर आपकी जेब में कोई सिक्का या नोट है तो उसे निकाल कर गौर से देखिए। आपको उस पर राष्ट्रीय चिह्न दिखाई देगा। छोटे से छोटे सिक्के और बड़े से बड़े नोट पर यह चिह्न अंकित है। यह सभी सरकारी पत्रों और पुस्तकों पर भी आपको मिलेगा। यह चिह्न वस्तुतः शासन की "आत्मा" है।

राष्ट्रीय चिह्न सारनाथ में बने अशोक स्तम्भ से लिया गया हैं। इसका हम राष्ट्रीय झण्डे के संदर्भ में पीछे उल्लेख कर चुके हैं। अशोक स्तम्भ में मूलतः चार सिंह हैं लेकिन राष्ट्रीय चिह्न में केवल तीन ही सिंह दिखाई पड़ते हैं। चौथा हम नहीं देख सकते। चक्र के दाईं ओर एक बैल बना है और बाईं ओर एक घोड़ा। अगर आप इस चिह्न को ध्यान से देखें तो एकदम दाईं और बाईं तरफ अन्य चक्रों की रेखाएं दिखाई पड़ेंगी। चक्र के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा है : "सत्यमेव जयते" जिसका अर्थ है—केवल सत्य की जय होती है।

राष्ट्रीय झण्डे के समान राष्ट्रीय चिह्न का भी बहुत महत्व हैं। चक्र, जैसा कि आप जानते ही हैं, गति और प्रगति का प्रतीक है। सिंह शक्ति और ओजस्विता का द्योतक है तो घोड़ा ऊर्जा व गति का और बैल कठोर श्रम एवं स्थिरता का। यही वे गुण है जिन्हें हमारे देश के लोगों में होना चाहिए जिससे हमारी दुनिया बेहतर बन सके। आपने सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा है। क्या आप जानते हैं कि अंतिम युद्ध ने सम्राट अशोक का मन-मानस बदल दिया था और वह अहिंसा, शांति और भ्रातृत्व का पुजारी बन गया था। उसी के बाद उसने अपने बेटे, बेटी और अन्य लोगों की शान्ति व भ्रातृत्व के सन्देश के प्रचार व प्रसार के लिए भेज दिया था। सम्राट अशोक का यह स्तम्भ-शीर्ष अपनाकर हमने शांति और भ्रातृत्व में अपने विश्वास को उजागर किया है।

राष्ट्रीय गीत

आपने देखा होगा स्कूल में स्वतन्त्रता दिवस मनाते समय राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। वस्तुतः राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत आपस में एक-दूसरे से संबंधित हैं। राष्ट्रीय झण्डा फहराने के बाद आप राष्ट्रीय गीत गाते हैं। राष्ट्रीय झण्डे की तरह राष्ट्रीय गीत भी एकता का सन्देश देता है।

हमारे राष्ट्रीय गीत की रचना महान कवि रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने की थी। अपने विद्यार्थियों से पूछिए कि रवीन्द्र नाथ ठाकुर को अपनी पुस्तक 'गीतांजलि' के लिए नॉबेल पुरस्कार कब मिला था। महान कवि को ब्रिटिश राजा द्वारा 'नाइट' की पदवी से सम्मानित किया गया था—इस घटना के बारे में भी जानकारी हासिल कीजिए। उनके संबंध में और अधिक पढ़ने से आपको पता चलेगा कि वे केवल महान कवि ही नहीं, अपितु महान देशभक्त भी थे।

संविधान समिति में राष्ट्रीय गीत के प्रश्न पर भी चर्चा की गई थी। कई गीतों पर विचार किया गया था। अन्ततः 24 जनवरी 1950 में इस गीत को चुना गया था। मूलतः इसमें 5 पद हैं। लेकिन राष्ट्रीय गीत के रूप में केवल पहला पद ही लिया गया है। 27 दिसम्बर 1911 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवसर पर यह पहली बार गाया गया था।

राष्ट्रीय गीत में हमारी मातृभूमि की प्रशंसा है। इसमें सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता का संदेश हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय जैसे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है वैसे ही इसे गाते समय या जब इसकी धुन बजाई जाती है तब निम्नलिखित कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है :

—जब राष्ट्रीय गीत गाया जाता हैं या इसकी धुन बजाई जाती है तो सबको सीधे खड़े होना चाहिए।
—राष्ट्रीय गीत याद होना चाहिए एवं इसका अर्थ आना चाहिए। इसे ठीक से गाया जाना चाहिए।
—समूह में इसे सबको एक स्वर में पूरी शक्ति से गाना चाहिए।
—सब जगह और सब अवसरों पर शांत सीधे खड़े होकर और स्वर में गाकर इसके प्रति आदर दिखाया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय गीत

जन-गण-मन अधिनायक जय है,
भारत भाग्य विधाता।

पंजाब-सिन्धु-गुजरात मराठा
द्राविड़-उत्कल बंग
विन्ध्य हिमाचल यमुना-गंगा
उच्छल-जलधि तरंग
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे,
गाहे तव-जय-गाथा।
जन-गण-मंगलदायक, जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय-जय-जय, जय हे।

उद्देश्य

1—स्कूल में गणतन्त्र दिवस एवं स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बच्चों को बताया जा सकता है। इन अवसरों पर स्कूलों में प्रायः झण्डा फहराया जाता है और राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। बच्चों का झण्डे के आकार-प्रकार और रंग से तो परिचय होगा ही। ऐसे अवसर पर ही उन्हें बताया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय गीत गाते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। यह आवश्यक है कि बच्चे राष्ट्रीय गीत का अर्थ जानें। आप उन्हें यह भी बताएं कि इसे कैसे गाया जाता है।

2—प्रत्येक स्कूल का अपना चिह्न होता है जिसमें स्कूल द्वारा चुना गया "आदर्श वाक्य" लिखा रहता है। स्कूल के मुख्याध्यापक, शिक्षक, छात्र और अन्य कर्मचारियों से आशा की जाती है कि वे उसका आदर करें। वह चिह्न स्कूल की "पहचान" और "एकता" का प्रतीक होता है। इन भावनात्मक विशिष्टताओं के कारण ही स्कूल शैक्षणिक परिणामों, खेल-प्रतियोगिताओं और पाठ्येतर गतिविधियों में अच्छे से अच्छा करना चाहता है। इसी प्रकार देश का राष्ट्रीय चिह्न भी हम से सर्वोच्च आदर व सम्मान की आशा करता है। हमारे राष्ट्रीय चिह्न पर यह वाक्य लिखा है "सत्यमेव जयते" जिसका अर्थ हैं : केवल सत्य की जय होती है। यह वाक्य मुण्डक उपनिषद् से लिया गया है। इसके तीन भाग (मुण्डक) है। और प्रत्येक भाग के दो खण्ड हैं। तीसरे मुण्डक में कहा गया है—

"सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
येनाकमन्त्यृषये ह्या पृकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥"
(सिर्फ सत्य की जय होती है, झूठ की नहीं।
सिर्फ सत्य ही हमारे देश को प्रगति व समृद्धि के मार्ग पर ले जाएगा।)

3—राष्ट्रीय गीत के अलावा राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत अन्य गीत भी हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। राष्ट्रीय जीवन में उनका भी अपना महत्व है। वे विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। छात्रों को उन्हें जानना चाहिए और गाना आना चाहिए। आप बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कि वे भारत के राष्ट्रीय ध्वज से मिलते-जुलते अन्य राष्ट्रीय झण्डे अपनी कापी में बनाएं। पहले आप उन झण्डों को ब्लैकबोर्ड पर बनाइए, उनमें रंग भरिए और प्रत्येक झण्डे के नीचे देश का नाम लिखिए।

4—15 अगस्त 1947 को लाल किले पर पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था।

उसकी रिपोर्ट नीचे दी जा रही है। बच्चों को वह रिपोर्ट पढ़वाएं। पहले स्वतन्त्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर दिए गए भाषण के बारे में उन्हें बताएं और उसका सारांश लिखवाएं।

जब लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया

15 अगस्त 1947 को स्वतन्त्र भारत के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय झण्डा फहराया था। इस अवसर पर 15 अगस्त 1947 के 'नेशनल हेरल्ड' में प्रकाशित रिपोर्ट इस प्रकार है :

> "प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने अर्थात् भारतीय शासन ने प्रातः 8.30 बजे लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस समय लगभग ढाई लाख लोग वहां उपस्थित थे।"

भारी जन समूह को सम्बोधित करते हुए पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने कहा :

> "आप हिन्दुस्तान की आजादी की निशानी, इस झण्डे को इज्जत देने के लिए यहां जमा हुए हैं। सिर्फ आपकी ही नहीं, सारी दुनिया के लाखों-करोड़ों लोगों की आंखें इस पर लगी हैं।"

वे प्रातः ठीक 8.10 पर लाल किले पहुंचे। सरदार बलदेव सिंह (रक्षा मंत्री) और दिल्ली क्षेत्र के कमाण्डर मेजर जनरल करिअप्पा ने उनका स्वागत किया। लेडी माउण्टबेटन, सरदार पटेल और डॉ० राजेन्द्र प्रसाद भी वहां उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने आर० आई० ए० एफ०, सिख इन्फेन्ट्री और आर० आई० एन० के "गार्ड ऑफ ऑनर" का निरीक्षण किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा :

> "कल से हिन्दुस्तान और उसके सभी शहरों व गांवों के लिए नई जिन्दगी शुरू हुई है। आपको मालूम है कि पिछले 27 सालों में क्या कुछ हुआ है। इस झण्डे के नीचे हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है और खून की बलि चढ़ाई है। मुझे यहां इतिहास को नहीं दोहराना है। आज यह न आपकी जीत है न मेरी, यह सारे मुल्क की जीत है। लड़ाई का हमारा तरीका है, हम अपने दुश्मनों से भी दोस्ती करें ······हमारी आजादी एशिया के कई दूसरे मुल्कों की आजादी की तरफ हमारा ध्यान मोड़ती है। यह सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोगों की खुशी का दिन है।
>
> इस किले ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं लेकिन आज हम यहां वह लेने आए हैं जो हमारा अपना है।" सशस्त्र सेनाओं के संबंध में उन्होंने कहा कि वे राष्ट्र के लिए गर्व का विषय हैं। वे राष्ट्र की थीं, किसी बाहरी ताकत की नहीं। राष्ट्र और इसके झण्डे के सम्मान की रक्षा करना उनका कर्त्तव्य है।
>
> आप सब कसम खाएं—हम मिलजुल कर रहेंगे और अपनी आजादी और अपनी तरक्की के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हालांकि हमने आजादी हासिल कर ली है लेकिन यह हमारे सफर का सिर्फ पहला कदम है, हमारा यह सफर अभी बहुत लम्बा है ·······"

भारत के राष्ट्रीय ध्वज की कहानी भी नीचे दी गई है। अध्यापक को इसे बच्चों के सामने पढ़कर सुनाया जाना चाहिए। अध्यापक को बच्चों को यह भी बताना चाहिए कि राष्ट्रीय झण्डे को इस रूप में यूं ही एकाध गोष्ठियों में विचार विमर्श करके नहीं अपना लिया गया बल्कि वर्षों के वाद-विवाद के बाद इसके विकास के कई चरणों को ध्यान में रखते हुए संविधान समिति द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। इसके विभिन्न रंगों का मतलब विभिन्न समुदायों से नहीं है। इसके रंग तो समूची भारतीय जनता की भावनाओं के प्रतीक हैं।

राष्ट्रीय ध्वज का विकास

भारत के राष्ट्रीय ध्वज की कहानी इस प्रकार है :

1906 : तीन रंग : भगवा, सफेद और हरा। भगवा रंग पर आठ सितारे बने थे, सफेद रंग पर "वंदे मातरम्" लिखा

था और हरे रंग पर दाईं ओर चन्द्रमा और बाईं ओर सूरज बना था। भारत के राष्ट्रीय झण्डे की यह कल्पना इंग्लैण्ड और फ्रान्स में रहने वाले कुछ भारतीयों की थी। भारत में इसे स्वीकार नहीं किया गया।

1916 : दो रंग : लाल और हरा। इस पर पांच लाल और चार हरी पट्टियां थीं; बड़े भालू का चिह्न बना था। ऊपर बाईं ओर "यूनियन जैक" था। "स्वदेशी राज" वाले दिनों में यह प्रचलित हुआ था।

1921 : तीन रंग : सफेद, हरा और लाल। सब रंगों पर एक चरखा बना था। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के विजयवाड़ा अधिवेशन के समय गांधी जी इसे लाये थे। कांग्रेस अधिवेशनों में 1931 तक इसका प्रयोग किया जाता रहा, हालांकि अधिकारिक रूप से कांग्रेस द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया था।

1931 : एक रंग : भगवा। इसमें ऊपर बाईं ओर चरखा बना था। कराची कांग्रेस के बाद कार्यकारी समिति द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। उसने इस झण्डे का प्रस्ताव रखा। लेकिन कार्यकारी समिति ने उसे मान्य नहीं किया।

1931 : अगस्त : तीन रंग : भगवा, सफेद और हरा। बीच में नीले रंग का चरखा बना था। इसका आकार था 3:2। कार्यकारी समिति ने इसका सुझाव रखा था। गांधी जी ने जिस झण्डे का सुझाव दिया था, उसी में कुछ परिवर्तन करके यह बनाया गया था। इसमें रंगों के क्रम और चरखे की स्थिति को बदल दिया गया था। बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा इसे स्वीकार किया गया। रंग विभिन्न समुदायों के प्रतीक नहीं हैं। भगवा रंग साहस और त्याग का, सफेद रंग सत्य और शान्ति का, हरा रंग विश्वास और समृद्धि का द्योतक है। चरखा जनता के कल्याण का प्रतीक है।

1931 से 26 अप्रैल "राष्ट्रीय झण्डा दिवस" के रूप में मनाया जाने लगा।

1947 : 22 जुलाई : नया झण्डा अस्तित्व में आया। इसमें चरखा की जगह बीच में अशोक चक्र बना था। पं० जवाहर लाल नेहरू द्वारा इसका सुझाव रखा गया और संविधान सभा द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई।

5—अगर आप एक भारतीय नोट अपनी जेब से निकाल कर देखें तो पाएंगे कि उस पर बहुत सी दिलचस्प चीजें बनी हैं। इस पर राष्ट्रीय चिह्न भी अंकित है। प्रत्येक नोट हिन्दी और इंग्लिश में छापा जाता है। हिन्दी और इंग्लिश के अलावा अन्य भाषाएं भी उस पर छपी हैं। उदाहरण के लिए एक रुपये के नोट की पिछली तरफ भारत की 13 विभिन्न भाषाओं में "एक रुपया" लिखा है। बच्चों को इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(1) नोट पर इतनी सारी भाषाएं लिखने का क्या प्रयोजन है ?
(2) नोट पर कौन-कौन सी भाषाएं हैं ?
(3) क्या नोटों पर भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं को स्थान दिया गया है ?

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 15 भाषाओं का उल्लेख है :

1—आसामी	6—काश्मीरी	11—संस्कृत
2—बंगला	7—मलयालम	12—सिंधी
3—गुजराती	8—मराठी	13—तमिल
4—हिन्दी	9—उड़िया	14—तेलगू
5—कन्नड़	10—पंजाबी	15—उर्दू

क्या राष्ट्रपति भवन की कार की नम्बर प्लेट पर "अशोक चक्र" का प्रयोग उचित है ? यह प्रश्न लोक सभा में उठाया गया था। कहा गया था कि अशोक चक्र को सदैव सम्मानित स्थान दिया जाना चाहिए। विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए यह दिया जाता है। हो सकता है कि छात्र इस या ऐसे अन्य प्रश्नों पर आपसे चर्चा करना चाहें।

मुख्य प्रश्न

(1) हमें राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर क्यों करना चाहिए ? एक कारण दीजिए।
(2) राष्ट्रीय झण्डे के तीन रंगों का क्या अर्थ है ?
(3) चरखे की जगह चक्र क्यों बनाया गया ?
(4) हमारा राष्ट्रीय चिह्न हमें हमारे अतीत की याद क्यों दिलाता है ?
(5) वह सर्वसाधारण स्रोत कौन सा है जहां से हमारे बच्चों को राष्ट्रीय चिह्न के बारे में जानकारी मिल सकती है ?
(6) हमारे राष्ट्रीय गीत का अर्थ क्या है ?
(7) राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय और राष्ट्रीय गीत गाते समय हम उनके प्रति अपना सम्मान कैसे प्रकट कर सकते हैं ?
(8) हमारा राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय फूल कौन सा है ?

रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रचना—"जन-गण-मन"

रवीन्द्र नाथ ठाकुर की कविता, जिसका पहला पद राष्ट्रीय गीत के रूप में लिया गया है, इस प्रकार है :

जन-गण-मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
पंजाब-सिन्ध-गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मांगे,
गाहे तव जय गाथा।
जन-गण-मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे, जय-जय-जय, जय हे।

1919 में कवि द्वारा स्वयं अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया था जिसका हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है :

तुम जनमानस के अधिनायक हो, भारत के भाग्य के विधाता हो। तुम्हारा नाम पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, द्राविड़, उड़ीसा और बंगाल के जनमानस को आह्लादित करता है, विंध्य और हिमालय की चोटियों में प्रतिध्वनित होता है, जमुना और गंगा के पानी के साथ कल कल करता है। हिन्द महासागर की लहरें उसका गान करती हैं। वे तुमसे तुम्हारा आशीर्वाद मांगते हैं, तुम्हारे प्रशस्ति में गीत गाते हैं। तुम जनता के मंगल की कामना करने वाले हो, तुम भारत के भाग्य विधाता हो। जय जय जय, तुम्हारी जय हो।

●

मॉड्यूल–10 सी

राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन

एक दृष्टिपात

विभिन्न आयोगों और समितियों द्वारा शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने की बात बार-बार दुहराई जाती रही है। कोठारी कमीशन में इस बात पर जोर दिया गया है। शिक्षा का एक मूल उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को तेजी से आगे बढ़ाना भी है।

राष्ट्रीय एकता परिषद् की गजेन्द्र गडकर कमेटी ने कहा है कि प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक शिक्षा के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार होने चाहिए :

–देशवासियों में भारतीय एकता और परस्पर आधीनता का भाव जागृत करना।

–लोकतंत्र के सिद्धान्तों में विश्वास उत्पन्न करना।

–देश में पारस्परिक समाज के आधार पर एक नए समाज की संरचना करना।

इस संबंध में नवीनतम सूचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दी गई है। शिक्षा के सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए कहा गया हैं :

"शिक्षा की भूमिका छात्र को आगे बढ़ाने की होती है। इसके माध्यम से उन विचारों और भावनाओं का विकास होता है जो देश की एकता, वैचारिक शक्ति, मन-मस्तिष्क की स्वतंत्रता को बढ़ावा देती हैं और इस प्रकार वे समाज-वाद, धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्र (जो हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं) के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं।"

देश में शिक्षा की एक नीति को बढ़ावा देने के लिए हमें राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का अनुसरण करना होगा जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे मुख्य विषय होंगे जिन्हें सभी राज्यों में लागू किया जा सकेगा और कुछ तत्व ऐसे भी होंगे जिन्हें विभिन्न राज्य अपनी आवश्यकतानुसार मोड़ दे सकेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में उल्लिखित मुख्य विषय हैं :

–भारत के स्वतंत्रता-संग्राम का इतिहास

–संवैधानिक अनुबंध पत्र

–राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक विषय-वस्तु

–भारत की समान सांस्कृतिक विरासत

–समानता, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता

–स्त्री और पुरुष की समानता

–पर्यावरण-सुरक्षा

–सामाजिक रुकावटों को दूर करना

–छोटे परिवार के विचार को बढ़ावा देना

–वैचारिक क्षमता उत्पन्न करना।

मूल्यों की शिक्षा के संबंध में दिए गए अध्याय "शिक्षा के विषय और प्रक्रिया का पुनर्गठन" में कहा गया है :

"विभिन्न संस्कृतियों वाले हमारे समाज में शिक्षा का उद्देश्य ऐसे सर्वव्यापी और सनातन ग्रन्थों को बढ़ावा देना होना चाहिए जो देशवासियों की एकता में सहायक हों। इस प्रकार के मूल्यों की शिक्षा से धार्मिक कट्टरता, सुधार विरोधी तत्व, हिंसा, अंधविश्वास और भाग्यवादिता के उन्मूलन में सहायता मिलेगी।"

राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण यह आवश्यक है कि शिक्षक इसके अर्थ व इसके मूल्य की भली-भांति समझें और अपने स्कूलों में ऐसे उपायों का प्रयोग करें जिससे शिक्षा के इन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक निभाया जा सके।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप:

–राष्ट्रीय एकता की भावना को समझ सकेंगे।

–विभिन्नता में एकता की भावना की सराहना कर सकेंगे।

–यह समझ सकेंगे कि जाति, धर्म, भाषा तथा संस्कृति के तुच्छ भेद किस प्रकार राष्ट्र के वृहत्तर हितों को हानि पहुंचा सकते हैं।

–विभिन्न विषय पढ़ाते समय राष्ट्रीय एकता से संबंधित मूल्यों और भावनाओं पर बल दे सकेंगे।

–राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने वाली सहपाठ्यक्रमी क्रियाओं का आयोजन व मूल्यांकन कर सकेंगे।

–स्कूल में ऐसा वातावरण उत्पन्न कर सकेंगे जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले।

शिक्षण गतिविधियां

विचार:

आपने राष्ट्रीय एकता के विषय में बार-बार सुना होगा और उस पर चर्चा की होगी। आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा और कई बार इसके संबंध में वाद-विवाद भी किया होगा। आइये, अब हम एक सुनियोजित ढंग से कुछ प्रश्नों का हल ढूंढें।

क्रियाकलाप–1

राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? इस संबंध में एक पैराग्राफ लिखें।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

भारतीय समाज विभिन्नताओं से भरा समाज है। यहां लोग अलग-अलग भाषायें बोलते हैं। उनके विभिन्न धर्म हैं। अलग-अलग संस्कृति हैं। इस विभिन्नता में एकता का एक ऐसा तार है जो हम सबको एक माला में गूंथ देता है। भारतीय होने की भावना, इस देश से जुड़े होने की अनुभूति, इसकी प्राप्ति और इसकी एकता में ही यह शक्ति निहित है। लोक कल्याणकारी समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता का भी यहां अपना स्थान है। भारतीय संस्कृति की विविधता उसका बल है, उसकी कमजोरी नहीं। जब कभी लोगों में जाति, धर्म, समुदाय या भाषा के प्रति संकीर्ण निष्ठा उभरती है, तब यह विविधता निश्चय ही एक कमजोरी का रूप धारण कर लेती है।

"विविधता" और "एकता" के इन दो पहलुओं के बीच हमें एक संतुलन बनाए रखना है। जब भी यह संतुलन बिगड़ता या डगमगाता है तो विघटनकारी शक्तियां एक होकर देश की शांति को भंग कर देती हैं। राष्ट्रीय एकता का

तात्पर्य है विविधता और विभिन्नता की सराहना करना। यह एक सकारात्मक पहलू है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ विभिन्नता से रहित अनम्य एकता नहीं हैं। इसमें विभिन्नता और विविधता का अपना महत्व है। यह तो केवल ऐसे सामाजिक संघर्ष का विरोध करती है जो संकीर्ण विचारों के कारण उत्पन्न होता है। इसका लक्ष्य जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर उत्पन्न होने वाले पूर्वाग्रहों को कम करना है। एक अच्छा इन्सान बनने के लिए यह आवश्यक है कि दूसरों की भावनाओं तथा उनके मूल्यों का आदर किया जाए। प्यार, सहानुभूति और सहनशीलता मानवीय व्यवहार के आवश्यक गुण हैं। इनके माध्यम से ही स्वस्थ समाज की संरचना हो सकती है। भारत के इतिहास और उसकी सांस्कृतिक परम्परा में एकता का बल हैं। देश से भूख, गरीबी और रोगों का निवारण कर देशवासियों को आर्थिक और सामाजिक न्याय देकर हम इस एकता को ठोस बना सकते हैं।

राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता

इस धारणा को समझने के बाद यह जानना आवश्यक हो जाता है कि यह हमारे देश के लिए आवश्यक क्यों हैं।

क्रियाकलाप–2

राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है ?	एकत्र कीजिए
विघटनकारी शक्तियां जोर क्यों पकड़ने लगती हैं ?	मिलान कीजिए
दोनों प्रश्नों के उत्तर में एक-एक पैराग्राफ लिखें।	चर्चा कीजिए

समाज में शांति स्थापित होने पर मानव मन को मुक्ति प्राप्ति होती है। शांति स्वतंत्रता तथा समाज के प्रगति और विकास के विषय में सोचने का अवसर प्रदान करती हैं। इतिहास साक्षी है कि शान्ति के समय राज्य अथवा देश के विद्वानों द्वारा नए विचार प्रतिपादित किए गए हैं, वैज्ञानिकों द्वारा अन्वेषण किए गए हैं और मानव समाज द्वारा आध्यात्मिक तथा भौतिक प्रगति की गई है। जो देश संघर्षों और झगड़ों से ग्रस्त है और जहां लोगों को अपनी जान-माल की सुरक्षा की चिन्ता लगी है, उस देश के निवासी अपने समाज की प्रगति तथा कल्याण में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं ?

ब्रिट्रिश शासकों ने "फूट डाल कर" राज करने की नीति पर चलकर देश के विभिन्न सम्प्रदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न किया और खूब फूले-फले। समस्त देश गरीबी और असमानता का शिकार हो गया। तब समस्त देशवासी एक जुट होकर ब्रिटिश शासन का विरोध करने और स्वतंत्रता पाने के लिए आगे बढ़े। लम्बे संघर्ष और बलिदान से 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। शीघ्र ही देशवासियों द्वारा बनाया गया संविधान भी लागू हुआ। संविधान लागू करते समय देशवासियों ने समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र के सिद्धान्तों पर आधारित नई समाज व्यवस्था लाने का संकल्प लिया था। हालांकि पूंजीपतियों, कट्टर धर्मपंथियों और सत्ताधारियों को यह डर लगा रहता है कि कहीं नई सामाजिक क्रांति के कारण उनके अधिकारों और सुविधाओं में कमी न आ जाये, इसलिए वे बार-बार नई समाज की संरचना में बाधायें डालते हैं और उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। बार-बार जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के नाम पर झगड़े होते हैं और नए समाज की संरचना में बाधा पड़ती है। आजकल ये शक्तियां बहुत बढ़ गई हैं और देश के सामने एक चुनौती लेकर खड़ी हैं। यदि लोगों को धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र के मूल्यों में आस्था हो, तो इन विघटनकारी शक्तियों को नाकाम किया जा सकता है। आज समय की मांग हैं कि लोग एकता के सूत्र में बंध जाने और एक प्रगतिशील व कल्याणकारी समाज के निर्माण का प्रयास करें।

शिक्षा की भूमिका

आइये, हम देखें कि राष्ट्रीय एकता की भावना के मूल्यों को प्रोत्साहित करने में शिक्षा एव शिक्षक की भूमिका क्या है ?

क्रियाकलाप–3

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में शिक्षा की क्या भूमिका है ? राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहन देने में शिक्षक की भूमिका का उल्लेख कीजिए । दोनों विषयों पर अलग-अलग एक पैराग्राफ लिखिए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में शिक्षा की एक प्रमुख भूमिका हो सकती है। वस्तुतः अच्छी शिक्षण प्रणाली स्वतः राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में सक्षम होती है। राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना स्कूलों के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए। स्कूलों में बच्चों को विभिन्न विषय पढ़ाते समय व विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते समय एकता की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वस्तुतः स्कूल का पूरा वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों के मन में वह भावना घर कर ले। स्कूल में ऐसा वातावरण बनाने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को बच्चों के मन-मस्तिष्क में भरने के लिए सूक्ष्मता की आवश्यकता है। भाषणों अथवा उपदेशों से छात्रों में राष्ट्रीय एकता के मूल्य नहीं भरे जा सकते। इसके लिए शिक्षकों को कक्षा में तथा कक्षा के बाहर दोनों ही स्थानों पर ऐसे कार्यक्रमों व गतिविधियों का आयोजन करना होगा जिनसे धीरे-धीरे राष्ट्रीय एकता की भावना को छात्रों में भरा जा सके। शिक्षकों को स्कूल में एवं अपने समुदाय में ऐसे अवसर खोजने होंगे जिनका वे अपने शिक्षण कार्यक्रमों में प्रयोग कर सकें।

कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल के बाहर विघटनकारी शक्तियां इतनी प्रबल हों कि शिक्षक का प्रयास स्कूल में व्यर्थ हो जाए। पर यहां यह जान लेना भी जरूरी है कि अगर स्कूल बाह्य प्रभावों का मुकाबला नहीं करता तो बढ़ते बच्चों के दिमाग में विघटनकारी प्रवृतियां स्थायी हो जायें। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए अपनी सकारात्मक भूमिका को जारी रखे।

शिक्षक को स्वयं छात्रों के सम्मुख आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना होगा। उसे स्वयं को राष्ट्रीय एकता का एक जीता जागता प्रतीक बनना होगा। उसे स्वयं की जाति, धर्म, भाषा और स्त्री-पुरुष के भेद-भाव से ऊपर उठना होगा।

शिक्षक की विशेष भूमिका

आइये, अब हम देखें कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक की भूमिका क्या है ?

क्रियाकलाप–4

किन विषयों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के मूल्यों तथा भावनाओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है ? और क्यों ? प्रत्येक विषय पर एक-एक पैराग्राफ लिखिए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

भाषा और साहित्य

भाषा और साहित्य में राष्ट्रीय एकता को बल देने की अधिक क्षमता है। प्रारम्भिक कक्षाओं में, जहां भाषा सम्बन्धी ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है, वहां शब्द, वाक्य, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग जाति, धर्म, क्षेत्र अथवा भाषा सम्बन्धी पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। जिन उदाहरणों द्वारा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले, उन्हें उभार कर सामने लाया जाना चाहिए। उच्च कक्षाओं की भाषा की पाठ्य-पुस्तकों के लिए प्रायः विभिन्न विधाओं वाली साहित्यिक कृतियों का चयन किया जाता है। साहित्य में राष्ट्रीय एकता की भावना की कमी नहीं है। निश्चित रूप से उसका उपयोग देश की एकता से संबंधित भावों को जागृत करने के लिए किया जा सकता है। कभी-कभी विगत साहित्य उस समय के विशेष पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। यदि पाठ्य-पुस्तकों में ऐसे अंश हों, तो शिक्षक को उस समय की परिस्थितियों के संदर्भ में उन अंशों को छात्रों के सम्मुख रखना चाहिए, जब वे लिखे गए थे। इस प्रकार के अंशों के माध्यम से जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर जो सामान्य धारणाएं बना ली जाती हैं, वे पूर्णतः सही नहीं भी हो सकतीं। साहित्य को पढ़ाते समय इन बिन्दुओं को स्पष्ट करना आवश्यक है। लेख लिखवाने के लिए ऐसे विषयों का चयन किया जाना चाहिए जिनके माध्यम से छात्रों को राष्ट्रीय एकता की भावना को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो सके।

भाषा-शिक्षा के समय शिक्षक को अन्य भाषाओं का ज्ञान होना भी आवश्यक है। उसे इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वह अन्य भाषाओं के लेखकों और उनकी रचनाओं के विभिन्न सन्दर्भों का समय-समय पर उपयोग कर सके। उसे उन पुस्तकों का नाम भी मालूम होना चाहिए जिन्हें वह छात्रों को पढ़ने के लिए बता सके।

इतिहास

भारतीय इतिहास के अध्ययन-अध्यापन को राष्ट्रीय एकता के सन्दर्भ में अधिक विस्तृत परिपेक्ष्य में देखना चाहिए। आज इतिहास का अर्थ केवल राजा-रानियों की कहानियों अथवा लड़ाइयों का वर्णन मात्र नहीं रह गया है। इसका ध्येय छात्रों को यह समझने में सहायता करना है कि मानव समाज का विकास किस प्रकार हुआ हैं जिससे वे मानव की उपलब्धि की सराहना कर सकें। इस प्रकार की सूझ-बूझ से उन्हें वर्तमान को ठीक ढंग से समझने और एक परिष्कृत भविष्य बनाने में सहायता मिलेगी। इस दृष्टिकोण के कारण स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों की विषयवस्तु में परिवर्तन आए हैं। फिर भी आपको कुछ पाठ्य-पुस्तकें ऐसी मिलेंगी जिनमें पारम्परिक ढंग से विषय वस्तु को प्रस्तुत किया गया है। इन पुस्तकों में जातीय, क्षेत्रीय और अन्य प्रकार के पक्षपात हो सकते हैं। ऐसी पुस्तकों को पढ़ाते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी।

यदि भारत के इतिहास को सही परिपेक्ष्य में पढ़ाया जाए, तो विविधता में एकता पर बल देना होगा। इससे छात्र भाषा व साहित्य संबंधी तथा सांस्कृतिक विभिन्नताओं की सराहना करना भी सीख लेंगे। उन्हें यह भी ज्ञान हो जाएगा कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने भारतीय संस्कृति और परम्पराओं में कितना योगदान दिया है।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम (जो हमारे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है) के अध्ययन से छात्रों में अपने पूर्वजों द्वारा किए गए त्याग की सराहना करने की क्षमता उत्पन्न होगी और वे इतने संघर्षों द्वारा प्राप्त की गई स्वतन्त्रता के मूल्यों को समझ सकेंगे।

भूगोल

भूगोल से क्षेत्रीय व प्रादेशिक निर्भरता को स्पष्टतः देखा जा सकता है। एक क्षेत्र में उत्पन्न कच्चे माल का उपयोग दूसरे क्षेत्रों में कार्यरत फैक्टरियों में होता है। इस आदान-प्रदान से लोग एक दूसरे के निकट आते हैं।

भूगोल से हमें खान-पान, रहन-सहन, घर-बार, रीति-रिवाज, तीज-त्योहार में विभिन्नता की प्रक्रिया का ज्ञान होता है। इससे विभिन्न लोगों एवं जातियों के मेल-मिलाप की जानकारी भी मिलती है। अतः भूगोल के माध्यम से भौगोलिक एकता समझाई जा सकती है और समस्त देश को एक सूत्र में बांधा जा सकता है।

नागरिक शास्त्र

नागरिक शास्त्र लोगों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराता है। इसके माध्यम से देश के संविधान का ज्ञान भी कराया जाता है जिससे एकता की धारणा को बढ़ाया जा सकता है। संविधान देशवासियों की इच्छा और देश की एकता का प्रतीक होता है। नागरिकता, मूल अधिकार, कर्तव्य, लोकतांत्रिक पद्धति, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आदि ऐसे विषय हैं जिनके माध्यम से देश की एकता को बल मिलता है।

अर्थशास्त्र

देशवासियों का आर्थिक कल्याण हमारा एक महत्वपूर्ण ध्येय है जिसके लिए समूचा देश प्रयत्नशील है। अर्थ-शास्त्र के शिक्षण द्वारा क्षेत्रीय परावलम्बन का ज्ञान होता है। इससे शान्ति की आवश्यकता भी महसूस होती है जो आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय को पढ़ाने से एक समृद्ध देश की स्थापना करने का ध्येय परि-लक्षित होता है। गरीबी हटाना, वंचित और कमजोर वर्गों को संरक्षण देना, रहन-सहन को बेहतर बनाना, जनसंख्या को सीमित रखना, धन का समान वितरण करना कुछ ऐसे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए हर देशवासी को, चाहे वह किसी भी धर्म, सम्प्रदाय या क्षेत्र का क्यों न हो, आगे आना है। किसी भी प्रकार से यदि शान्ति भंग होती है तो सफलता की ओर बढ़ते कदमों की गति धीमी हो जाती है। अर्थशास्त्र में इन्हीं सब पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है।

विज्ञान

विज्ञान के शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि इसके द्वारा छात्रों में तर्क व युक्ति से सोचने की क्षमता आती है। इससे उनकी तर्कबुद्धि का विकास होता है। हमारे बहुत से पूर्वाग्रह जो क्षेत्रीयता की देन है और जिनका कोई ठोस आधार नहीं है, इस प्रकार की तर्कबुद्धि द्वारा दूर हो सकते हैं।

विषयवस्तु के औपचारिक शिक्षण से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। पर फिर भी इसमें स्कूल के समूचे वातावरण का अपना विशेष महत्व व उत्तरदायित्व है। इस वातावरण की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों द्वारा की जा सकती है। हम सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि स्कूलों में ऐसे कार्यकलाप कराए जाएं जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हो सके। आइए, अब हम देखें कि राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए हम किन गति-विधियों, कार्यक्रमों या योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं।

क्रियाकलाप–5

कुछ ऐसे क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनके माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बल मिल सकता है।
राष्ट्रीय एकता के विषय से संबंधित एक "प्रोजेक्ट" तैयार कीजिए।

स्कूलों में प्रस्तावित गतिविधियां

1—स्कूलों में शिक्षक/विषय समितियों को पाठ्य-पुस्तकों में से राष्ट्रीय एकता विरोधी तत्वों को ढूंढ़ निकालना होगा। शिक्षकों को इस प्रकार की सामग्री बच्चों को पढ़ाते समय सावधानी बरतनी होगी। उन्हें पुस्तकों

में से ऐसे अंश या स्थल भी ढूंढ़ निकालने चाहिए जिनका प्रयोग राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने के लिए शिक्षण कार्यक्रमों में किया जा सके।

2—शिक्षक विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं और "प्रोजेक्ट" हाथ में ले सकते हैं जिनसे देश या उसके विभिन्न राज्यों में विभिन्न लोगों के रहन-सहन को समझने में सहायता मिल सकती है। प्रोजेक्ट समस्त स्कूल के लिए या कुछ कक्षाओं के लिए हो सकता है। इन गतिविधियों और प्रोजेक्ट्स को क्रियान्वित करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनको योजना बनाने एवं उन्हें साकार करने में छात्र की भूमिका प्रमुख हो। इनमें माता-पिता और समुदाय के सहयोग की भी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। गतिविधियां सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। छात्रों को पास-पड़ोस में ले जाना चाहिए जिससे उन्हें सीधा अनुभव हो सके। इसी प्रकार समुदाय को भी स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।

3—स्कूल के दैनिक कार्यक्रमों में सुबह विशेष सभाओं का आयोजन किया जा सकता है जिसमें समुदाय के लोग छात्रों के साथ मिल कर धर्म निरपेक्षता की भावना से ओतप्रोत गीत गा सकते हैं। राष्ट्रीय एकता पर शिक्षक-छात्र वार्तालाप भी स्कूली कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा सकता है।

●

मॉड्यूल–11 सी

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना व मानवाधिकार शिक्षा

एक दृष्टिपात

हमारे स्कूलों के आज के बच्चे 21वीं सदी की दुनिया देखेंगे। कैसी होगी वह दुनिया ? उसके लिए हमारे बच्चों को कैसी शिक्षा चाहिए होगी ? अगर आज की दुनिया का रुख देखें तो लगता है कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देना होगा। अभूतपूर्व वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति के कारण, विनाश की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अपरिहार्य हो गया है। ये दो मुख्य तत्व हैं जिनके कारण विश्व शांति और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देना अत्यावश्यक है। साथ ही हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि छात्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए हम किन नीतियों और तरीकों का सहारा ले सकते हैं।

उद्देश्य

यह मॉड्यूल पढ़ने के बाद आप समझ सकेंगे कि :

1. छात्रों में अन्तर्राष्ट्रीय समझ और मानवाधिकारों के प्रति चेतना जगाना क्यों आवश्यक है ?
2. अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना और मानवाधिकारों के प्रति चेतना को बढ़ावा देने के लिए आप किन विभिन्न तरीकों का सहारा ले सकते हैं और उन पर किस तरह अमल कर सकते हैं।

क्रियाकलाप–1

आज विश्व-शांति और सद्भावना को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है ? आज के युग में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सहयोग किन मुख्य तत्वों पर आधारित हैं ?	चिन्तन कीजिए चर्चा कीजिए

हमारे सिर पर आणविक-युद्ध के बादल छाए है। अगर ये बादल बरस गए तो सारी मानव जाति और संस्कृति का अन्त हो जाएगा। हालांकि देशों के बीच तनावपूर्ण धमकियों और लड़ाइयों के समाचार तो हम आए दिन पढ़ते हैं। ये विश्व युद्ध का रूप भी धारण कर सकती हैं। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो अब परमाणु और अन्तरिक्ष युग में प्रवेश कर चुकी है। विज्ञान और तकनीक की नई खोजों ने वैयक्तिक और सार्वजनिक जीवन में अभूतपूर्व सम्भावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने 20वीं और 21वीं सदी की शिक्षा को दृष्टिगत करते हुए एक बार कहा था– "मुझे उन लड़के-लड़कियों से ईर्ष्या है जो उस काल में जिएंगे। वह हमारे बच रहे लोगों के लिए बहुत रोमांचक काल होगा।"

आज दुनिया में जहां समानताएं हैं वहां बहुत सी असमानताएं भी हैं। रहन-सहन और सैन्य शक्ति की दृष्टि से देशों के बीच असंतुलन भयावह है। वास्तव में कोई भी देश, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, विकासशील हो या विकसित, दुनिया से कटकर नहीं रह सकता। एक देश की समस्याएं सारे विश्व की समस्याएं हैं। आणविक हथियारों की होड़, मानवाधिकारों की सुरक्षा, नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, पर्यावरण-प्रदूषण जैसी बहुत सी समस्याएं आज हमारी चिन्ता का विषय हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि छात्रों में अन्तर्राष्ट्रीय समझ एवं भावना

जागृत की जाए। विश्वशांति और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की आवश्यकता व महत्व को देखते हुए ही "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986" में कहा गया है : "भारत ने हमेशा देशों के बीच शांति व सद्भावना स्थापित करने के लिए कदम उठाया है। सारे विश्व को एक परिवार समझा है। इस पुरानी परम्परा का पालन करते हुए शिक्षा का उद्देश्य दुनिया की इस विचार-धारा को मजबूत बनाना है, और युवा पीढ़ियों का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग व शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की तरफ आकर्षित करना है। इस पहलू की अवहेलना नहीं की जा सकती।"

क्रियाकलाप–2

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए अपने स्कूल में आप कौन से क्रियाकलाप करेंगे? आप इन क्रियाकलापों व राष्ट्रीय एकता को अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के साथ कैसे जोड़ेंगे ?	मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

भारत बहुजातीय, बहुभाषीय व बहुधर्मीय देश है। इसलिए यहां के बच्चों को राष्ट्रीय एकता का जो पाठ पढ़ाया जाता है वही वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना-शिक्षा का आधार बन सकता है। भारत के विभिन्न हिस्सों को जानने के लिए जिस सहिष्णुता और सम्मान की आवश्यकता है वही सहिष्णुता और सम्मान अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। "यदि हम पाठशाला और विश्वविद्यालय में एक संघीय और बहु-सामुदायिक देश के नागरिक होने के नाते "मानव की सांस्कृतिक विविधता" इस उक्ति के औचित्य को सही मायनों में समझ लेते है तो यह उक्ति अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी हमें याद रहेगी—जहां हम विभिन्न लोगों, धर्मों, संस्कृतियों व भाषाओं से टकराते है।*

एन० सी० ई० आर० टी० के 1975 में प्रकाशित दस वर्षीय स्कूल-पाठ्यक्रम में भी राष्ट्रीय चेतना और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।

दुनिया के प्रमुख धार्मिक ग्रन्थों में आश्चर्यजनक समानता मिलती है। उदाहरण के लिए हिन्दू धर्म का यह स्वर्णिम सिद्धान्त ही लीजिए:

श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैतावधारयेत् ।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥ (वेदव्यास)
धर्म का अर्थ है, जो कार्य अपने प्रतिकूल है वह दूसरों के लिए भी न करें।

क्रियाकलाप–3

इससे मिलता-जुलता सिद्धान्त आपको कितने धर्मों में मिल सकता है ? विभिन्न धर्म-ग्रन्थों पर दृष्टिपात कीजिए और इससे मिलता-जुलता सिद्धान्त ढूंढ़ निकालिए।	मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

बौद्ध धर्म :

"जिस बात से आपको कष्ट पहुंचता है उससे दूसरों को भी कष्ट न पहुंचाएं।"

ईसाई धर्म :

"आप दूसरों से जैसा व्यवहार करेंगे, दूसरे वैसा ही व्यवहार आपसे करेंगे।"

---

*शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, भारत सरकार, 1966 पृष्ठ 17.

इस्लाम :

"संसार में वह तब तक सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वह अपने ही भाई को स्वयं जितना प्रेम न करे।"

ऐसे सिद्धान्त अन्य धर्मों में भी ढूंढ़े जा सकते हैं। इसी प्रकार की अन्य गतिविधि विभिन्न देशों के राष्ट्रीय प्रतीकों पर आधारित हो सकती है।

हर देश का अपना राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गीत है। संयुक्त राष्ट्र संघ का भी अपना अलग झण्डा है।

भारत के राष्ट्रीय प्रतीक शान्ति, मैत्री, त्याग और सत्यता के प्रतीक हैं। इसी तरह दूसरे देशों के राष्ट्रीय चिह्न भी जनता की भावनाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। अत: जैसे हम अपने राष्ट्रीय चिह्नों का मान करते हैं, हमें चाहिए कि हम दूसरे देशों के राष्ट्रीय प्रतीकों का भी आदर करें। ऐसा करने से भावात्मक समानता उजागर होगी। अत: विभिन्न देशों के राष्ट्रीय ध्वजों व राष्ट्रीय गीतों के बारे में विस्तृत जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है।

क्रियाकलाप–4

10 दिसम्बर प्रति वर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है ? क्या आप अपने स्कूल में भी यह दिन मनाते हैं ? यदि हां, तो कैसे ? क्या आप अपने देश के भीतर या बाहर मानवाधिकारों के उल्लंघन का कोई उदाहरण दे सकते हैं ?	मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

मानवाधिकारों से संबंधित विश्वव्यापी घोषणा-पत्र को संयुक्त राष्ट्र संघ की बृहत सभा में 10 दिसम्बर 1948 में सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तभी से 10 दिसम्बर का दिन प्रति वर्ष सारे विश्व में "मानवाधिकार दिवस" के रूप में मनाया जाता है। इस घोषणा-पत्र में एक प्रस्तावना और 30 लेख हैं। उसमें उल्लिखित मानवाधिकार और स्वतंत्रता संबंधी नियम विश्व की समूची जनता को बिना किसी भेदभाव के लागू होते हैं। अब आपको यह ढूंढ़ निकालना है कि ये मानवाधिकार क्या हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार प्रपत्र

मानवाधिकारों के सर्वव्यापी घोषणा-पत्र के बाद 1966 में दो प्रपत्र और निकाले गए :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार प्रपत्र और

(2) अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक व राजनैतिक अधिकार प्रपत्र।

इन प्रपत्रों में मानवाधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण और सदस्य देशों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

इन दो प्रपत्रों के अलावा "अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक व राजनैतिक विपत्र से संबंधित एक "वैकल्पिक संलेख" भी तैयार किया गया। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय तंत्र के गठन का उल्लेख है, जिसका काम है मानवाधिकारों के उल्लंघन का शिकार बनने वाले लोगों की शिकायतें सुनना और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाना। विश्वव्यापी घोषणा-पत्र, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार प्रपत्र, अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक व राजनैतिक अधिकार प्रपत्र और वैकल्पिक संलेख "अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विपत्र" के रूप में देखे जाते हैं।

विश्वव्यापी घोषणापत्र अपने समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र है। इसने भारत के साथ-साथ अन्य देशों के संविधानों को भी प्रभावित किया हैं। इस घोषणापत्र में उल्लिखित अधिकांश नागरिक व राजनैतिक अधिकार आपको भारतीय संविधान में भी मिलेंगे। इन सामाजिक आर्थिक अधिकारों का समावेश "डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पोलिसी" से संबंधित अध्याय में किया गया है।

मानवाधिकारों का सबसे अधिक उल्लंघन दक्षिणी अफ्रीका में हो रहा है जो काले लोगों के प्रति रंगभेद के रूप में सामने आता है। यह दुःख की बात है कि दक्षिणी अफ्रीका की इस रंगभेद की नीति की निन्दा तो की जाती है पर विश्वव्यापी स्तर पर उसके विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ की कई संस्थाओं ने उसके विरोध में कई प्रस्ताव सामने रखे हैं और कई अपीलें की हैं। अपने देश में आप भी हर रोज मानवाधिकारों के अर्थात् बच्चों, महिलाओं, कमजोर वर्गों, जनजातियों के अधिकारों के उल्लंघन की खबरें पढ़ते हैं। आपको इन मामलों पर अपने छात्रों से चर्चा करनी चाहिए और उसका एहसास कराया जाना चाहिए। छात्रों को उसका एहसास कराने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें गरीबों की बस्तियां दिखाई जाएं और उनकी दीन-हीन दशा से परिचित करवाया जाए।

मूल्यांकन

1. आपकी दृष्टि से विश्व शान्ति व सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है ?
2. छात्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना जगाना क्यों आवश्यक है ?
3. आपकी दृष्टि से किन क्रियाकलापों द्वारा छात्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है।
4. किन क्रियाकलापों द्वारा छात्रों में मानवाधिकारों के प्रति चेतना लाई जा सकती है ?

मॉड्यूल–12 सी

स्कूलों में छात्रों का प्रवेश एवं प्रतिधारण

एक दृष्टिपात

यह मॉड्यूल उन बच्चों के बारे में है जो विद्यालय नहीं जाते। ऐसे बच्चों की संख्या बहुत बड़ी है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में यह एक बड़ी समस्या है।

इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं के बारे में आप में चेतना जगाना है। इसका आशय सभी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने और 14 वर्ष की आयु तक सफलतापूर्वक शिक्षा पूरी करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है।

मॉड्यूल में सुझाए गए कार्यकलापों में भाग लेने के बाद आप छात्रों की भर्ती तथा पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करने में शिक्षक की भूमिका को समझ सकेंगे।

शैक्षिक कार्यनीतियों और विद्यालय के वातावरण में उनकी कमियों का पता लगाया जाएगा तथा उन पर चर्चा की जाएगी, जिनसे स्कूल का वातावरण अनाकर्षक बनता है। इससे आपको वैकल्पिक शैक्षिक कार्यनीतियों की सोचने और विद्यालय के वातावरण में सुधार के लिए योगदान करने का अवसर मिलेगा।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप :

–बच्चों को विद्यालय से अलग रखने वाले कारणों को बता सकेंगे।
–समुदाय के उन वर्गों का पता लगा सकेंगे, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते।
–बच्चों के स्कूल में प्रवेश और पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करने में अपनी भूमिका की चर्चा कर सकेंगे।
–समुदाय के स्कूल न जाने वाले बच्चों का पता लगा सकेंगे।
–शिक्षा के लिए माता-पिता/बच्चों को प्रेरित करने वाली तकनीकों को समझ सकेंगे तथा उन्हें काम में ला सकेंगे।
–स्कूल को अनाकर्षक बनाने वाली शैक्षिक कार्यनीतियों और स्कूल के वातावरण में कमियों का विश्लेषण कर सकेंगे।
–शिक्षा को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से स्कूल के वातावरण में सुधार के लिए वैकल्पिक शैक्षिक कार्यनीति सुझा सकेंगे।

अध्ययन गतिविधियां

आप पर्याप्त समय से शिक्षक का कार्य कर रहे हैं। आपके स्कूल के द्वार समुदाय के सभी बच्चों के लिए खुले हैं। आप जानते हैं कि आपके समुदाय के कितने बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। साथ ही आप इस तथ्य से भी भलीभांति परिचित हैं कि ऐसे कई बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जाते। कई बार आपने सोचा भी होगा कि ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते ? आपने उनके स्कूल न जाने के कारणों का अनुमान भी लगाया होगा।

क्रियाकलाप–1

क्या आप उन कारणों को याद कर सकते हैं ? यदि हां, तो एक अलग पत्र पर ऐसे सभी कारण लिखिए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

आइए, इस समस्या को हम अब एक दूसरे दृष्टिकोण से देखें। विद्यालय न जाने वाले ये बच्चे लड़के और लड़कियां दोनों हो सकते हैं। वे समुदाय के विभिन्न वर्गों से हो सकते हैं। आशा है आप इस बात से परिचित होंगे। आपने बारीकी से इसका अवलोकन भी किया होगा।

निम्न दो प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए :

क्रियाकलाप–2

विद्यालय न जाने वाले बच्चों में लड़के अधिक हैं अथवा लड़कियां ? इसके क्या कारण हैं ? समुदाय के किन वर्गों के बच्चे सबसे कम संख्या में स्कूल जा रहे हैं ? इसके क्या कारण हैं ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

देखा गया है कि समुदाय के स्कूल न जाने वाले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की संख्या प्राथमिक स्तर पर बहुत अधिक पाई जाती है। पढ़ाई छोड़ देने की इस ऊंची दर के अनेक कारण हो सकते हैं। ये कारण शैक्षिक भी हो सकते हैं और गैर-शैक्षिक भी।

क्रियाकलाप–3

इस प्रकार पढ़ाई छोड़ देने के शैक्षिक कारण लिखिए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

अब आप इन बच्चों के स्कूल न जाने के कारणों से परिचित हो चुके हैं। आप यह भी जानते हैं कि ये बच्चे समुदाय के किन वर्गों से हैं।

यह केवल आपकी समस्या नहीं है। दूसरे शिक्षकों को भी ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ता है। यह राष्ट्रीय समस्या है। वस्तुस्थिति यह है कि बच्चों की एक बड़ी संख्या, जिसे प्राथमिक/प्रारम्भिक स्कूलों में पढ़ते होना चाहिए था वे स्कूल के बाहर हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 6-14 आयु वर्ग के लगभग 5 करोड़ बच्चे पाठशाला नहीं जाते। (शिक्षा मंत्रालय की 1982 की रिपोर्ट) इस समस्या का व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे एक प्रकार से युद्ध स्तर पर हल किया जाना है।

हमारे राष्ट्रीय नेता इस समस्या के प्रति सचेत थे। स्वाधीनता प्राप्ति से पहले ही उन्होंने इसके हल की आवश्यकता पर जोर दिया था। गोपालकृष्ण गोखले और महात्मा गांधी इस समस्या को जनता की दृष्टि में लाए। इस चिन्ता का भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

–सभी के लिए शैक्षिक सुविधाओं का प्रावधान

–सभी के लिए स्कूल में प्रवेश का आश्वासन

–सभी के लिए स्कूल में उपस्थिति का आश्वासन

–सभी के लिए पढ़ाई जारी रखने का आश्वासन

–सभी के लिए प्राथमिक चरण की शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने का आश्वासन

–शिक्षा में सुधार द्वारा सभी के लिए सुशिक्षा का आश्वासन।

आइए, अब हम एक प्राथमिक शिक्षक के निजी अनुभव पर विचार करें। सत्र के प्रारम्भ में बच्चों ने कक्षा में काफी बड़ी संख्या में प्रवेश किया। लगभग एक मास तक वे नियमित रूप से कक्षाओं में आते रहे। धीरे-धीरे उपस्थिति गिरनी शुरू हो गई। कुछ छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी। कुछ अनियमित हो गए। अंततः अनियमित रूप से विद्यालय जाने वाले छात्रों ने भी पढ़ाई छोड़ दी। उपस्थिति में गिरावट पर शिक्षक को चिन्ता हुई। उसने उन बच्चों को विद्यालय में वापस लाने के लिए कुछ उपाय अपनाए।

क्रियाकलाप–4

–क्या आप प्राथमिक शिक्षक द्वारा पढ़ाई छोड़ कर बैठ रहे छात्रों को स्कूल में वापस लाने के लिए अपनाए गए उपायों का अनुमान लगा सकते हैं ?

–आपके विचार से शिक्षक को पढ़ाई छोड़ कर बैठ रहे छात्रों को अपनी कक्षा में वापस लाने के लिए किस बात से प्रेरणा मिली ?

–ऐसी स्थिति में स्कूल न जाने वाले और पढ़ाई छोड़ कर बैठ रहने वाले बच्चों को वापस लाने में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है ?

–जिन बच्चों ने स्कूल में कभी प्रवेश नहीं लिया उन्हें स्कूल में लाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है ?

इस दिशा में पहला कदम समुदाय में स्कूल न जाने वाले बच्चों का पता लगाना होगा।

क्रियाकलाप–5

–उन व्यक्तियों का उल्लेख कीजिए जिनसे आप ऐसे बच्चों का पता लगाने के लिए सम्पर्क करना चाहेंगे। –ऐसे बच्चों का पता लगाने के लिए आप किन साधनों तथा उपायों को काम में लाएंगे ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

स्कूल न जाने वाले बच्चों का पता लगाने के लिए आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं :

1—उपस्थिति रजिस्टर देखना।

2—उपस्थिति अधिकारी से सम्पर्क करना।

आपके सर्वेक्षण में निम्न बातें हो सकती हैं :

(क) बच्चों/माता-पिता से सूचना प्राप्त करना

(यह सीधी बातचीत से संभव हो सकता है)

(ख) एकत्र की गई सूचना को दर्ज करना।

यह सूचना आगे प्रदर्शित प्रपत्र में दर्ज की जा सकती है।

(1) बच्चे का नाम ··········
(2) आयु ···············
(3) पिता/अभिभावक का नाम ···············
(4) परिवार की आय का साधन ···············
(5) काम, जिसमें बच्चा लगा है ···············
(6) क्या बच्चा कभी स्कूल गया है ? (हां/नहीं) ···············
(7) स्कूल छोड़ने का कारण ·······················
(8) क्या वह स्कूल/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र में पढ़ने
को उत्सुक है ? (हां/नहीं) ···················
यदि नहीं तो क्यों ·······················

समुदाय में स्कूल न जाने वाले बच्चों का पता लगा लेने के बाद आपके मस्तिष्क में अगला यह प्रश्न पैदा होता है कि उन्हें किस स्कूल में लाया जाए। इसके लिए माता-पिता और बच्चों को सही ढंग से प्रेरित करने की आवश्यकता है। इसके कुछ निम्न उपाय हो सकते हैं :

(1) माता-पिता/अभिभावकों से नियमित रूप से मिलना और बात-चीत करना ताकि उन्हें समझाया जा सके कि बच्चे का स्कूल जाना कितना और क्यों आवश्यक है।
(2) हिचकिचाहट दिखाने वाले समुदाय के सदस्यों को प्रभावित और शिक्षित करने के लिए समुदाय के ऐसे लोगों से मिलना जिनकी राय को महत्वपूर्ण समझा जाता है, जैसे बुजुर्ग लोग, पढ़े-लिखे लोग आदि।
(3) स्कूल के नियमित कार्यक्रमों को देखने और कुछ विशेष उत्सवों में भाग लेने के लिए माता-पिता/अभिभावकों को आमन्त्रित करना।
(4) मेलों/त्योहारों या कुछ ऐसे ही अवसरों पर छात्रों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं व अन्य सूचनाओं का प्रदर्शन करना।
(5) माता-पिता/बच्चों को स्कूल जाने पर उपलब्ध प्रोत्साहन योजनाओं से परिचित कराना।

आप समझ गए होंगे कि स्कूल छोड़ने का एक कारण नीरस पढ़ाई और विद्यालय का नीरस वातावरण हो सकता है। शिक्षक के नाते यहां आपके लिए यह एक अवसर है कि अपनी शैक्षिक कार्यनीतियों का विश्लेषण करें। साथ ही स्कूल के वातावरण को बेहतर बनाने में योगदान करें जिससे बच्चे पढ़ाई जारी रखें।

क्रियाकलाप–6

उन कदमों का उल्लेख कीजिए जो आप अपनी शैक्षिक कार्यनीतियों में सुधार के लिए उठा सकते हैं। उन उपायों को सुझाइये जो आप स्कूल व वातावरण में सुधार के लिए काम में ला सकते हैं।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

हम आरम्भ से मानते रहे हैं कि आप इन समस्याओं से कुछ सीमा तक परिचित हैं और उनके संबंध में सुझाव दे सकते हैं। हमें आशा है कि इस विचार-विमर्श से इस विषय के विभिन्न पहलुओं के संबंध में आपकी समझ और दृष्टि-कोण में वृद्धि हुई होगी और वस्तुस्थिति और अधिक स्पष्ट हो गई होगी। यदि यह सही है तो आपके समुदाय के स्कूल जाने वाले और स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए आपकी चिन्ता बढ़ी होगी। अपने स्कूल के संदर्भ में अब आप ऐसे कार्य-सूत्र तैयार कर सकते हैं जिनसे स्कूल में भर्ती बढ़े तथा बच्चे स्कूल में बने रहें।

प्रश्न

1—वे क्या कारण हैं जो बच्चों को स्कूल जाने से रोकते हैं ?

2—स्कूलों में प्रवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कौन-कौन से सम्भावित उपाय अपनाए जा सकते हैं ?

3—बच्चे पढ़ाई जारी रखें, इसके लिए स्कूल के वातावरण और शिक्षा में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है ?

4—कुछ बच्चों को स्कूल आकर्षक क्यों नहीं लगता ?

मॉड्यूल–13 सी

संस्था योजना एवं व्यवस्था

एक दृष्टिपात

आमतौर पर देखा गया है, अगर कोई काम ठीक से योजना बनाकर किया जाता है तो उसका नतीजा बिना योजना के ही किए गए काम से कहीं अधिक अच्छा रहता है। योजना बनाते समय वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए कि सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। यहां हमें उन कठिनाइयों को भी न भूलना चाहिए जो काम करते समय हमारे रास्ते में आएंगी। योजना बनाते समय हमें निरीक्षण व मूल्यांकन की पद्धति पर ध्यान देना होगा, बीच-बीच में आने वाली अड़चनों को देखना होगा और इस पर विचार करना होगा कि समय-समय पर सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा सकेंगे।

हमारे देश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास-योजना की शुरूआत 35 वर्ष पहले हुई थी। शिक्षा-योजना इसी का एक हिस्सा है। इन सालों में हम हमेशा "ऊपर से नीचे" की नीति अपनाते आए हैं। इसका परिणाम यह रहा है कि हमारे अधिकांश स्कूल राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई विकास-योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाए है। शिक्षा आयोग (64-66) ने ठीक ही कहा है: "कोई भी व्यापक शिक्षा कार्यक्रम तब तक स्वीकार्य नहीं हो सकता जब तक उसमें सभी शिक्षा संस्थाओं और संबंधित व्यक्तियों अर्थात् शिक्षक, छात्र और स्थानीय समुदाय का समावेश न हो (पृ० 157)।

संस्था स्तर पर यदि शिक्षा योजना और व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाता हैं तो हमारे लिए ऐसी योजना बनाना संभव होगा जिसमें सभी शिक्षा-अधिकारी जैसे स्कूल के मुख्याध्यापक, शिक्षक, छात्र, माता-पिता और समुदाय के अन्य सदस्य सक्रिय भाग ले सकेंगे और वहां प्रत्येक की अपनी विशेष भूमिका होगी।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप:

–समझ सकेंगे कि संस्था योजना का अर्थ क्या है?

–योजना प्रक्रिया में सभी संबंधित व्यक्तियों को शामिल करने के महत्व का अनुभव कर सकेंगे।

–खण्ड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बहु-स्तरीय योजना के संदर्भ में संस्था-योजना की भूमिका की सराहना कर सकेंगे।

–समझ सकेंगे कि योजना की "ऊपर से नीचे" वाली प्रणाली के मुकाबले "नीचे से ऊपर" वाली पद्धति बेहतर है।

–संस्था संबंधी आवश्यकताओं को समझ सकेंगे और इसके विकास के लिए परियोजना व कार्यक्रम बना सकेंगे।

संस्था-योजना व व्यवस्था का विचार

योजना तीन प्रकार की होती है: लघु, मध्य और दीर्घ कालीन। स्कूल स्तर पर संस्था योजना अधिकांशत: लघु या मध्यकालीन होगी। लघुकालीन योजना की अवधि एक वर्ष होती है और मध्यकालीन योजना की 2–3 वर्ष।

संस्था-योजना का विचार इस दृष्टि से विशेष है कि इसमें संस्था के सभी लोग शामिल होते हैं जैसे मुख्याध्यापक, शिक्षक, छात्र, माता-पिता एवं समुदाय के अन्य सदस्य।

इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक संस्था अपनी समस्याओं एवं आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर सकेगी, अपनी समस्याओं का हल ढूंढ़ सकेगी तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजनाएं व कार्यक्रम बना सकेगी।

कभी-कभी स्कूल कलैण्डर को ही "संस्थान योजना" समझ लिया जाता है जो कि गलत है। स्कूल कलैण्डर में तो मुख्याध्यापक अपने स्टाफ को दिए जाने वाले काम का लेखा-जोखा रखता है। इसमें शक नहीं कि स्कूल कलैण्डर अपनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह संस्था-योजना से भिन्न है। इसका स्कूल में शिक्षा के विकास से कोई वास्ता नहीं है। संस्था-योजना में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कई विकास कार्यक्रम शामिल होते हैं जिनसे शिक्षा स्तर में सुधार लाया जा सके और शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके।

इस मॉड्यूल में प्रयुक्त "व्यवस्था" शब्द "प्रशासन" का समानार्थी है। इसमें व्यक्तिगत प्रशासन, वित्तीय प्रशासन और मुख्याध्यापक की ऐसी गतिविधियों का समावेश होता है जो दिन-प्रतिदिन स्कूल चलाने के लिए जरूरी हैं।

क्रियाकलाप–1

अपने शब्दों में संस्था योजना की परिभाषा लिखिए और इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

संस्था योजना के उद्देश्य

संस्था योजना के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं :

1– बढ़ती जनसंख्या वाले उन क्षेत्रों में विभिन्न आयु के बच्चों को शिक्षा सुविधायें प्राप्त कराना, जहां संस्थाएं हैं।

2– मात्रा, गुणवत्ता और व्यय की दृष्टि से सुधार के लिए योजना बनाना। मात्रा की दृष्टि से सुधार का अर्थ है : अपव्यय और गतिरोध को समाप्त करना। व्यय की दृष्टि से सुधार का मतलब है : प्रति छात्र व्यय कम करना अर्थात् प्राप्त संसाधनों को बेहतर ढंग से प्रयोग में लाना। गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार का अर्थ है : योजना में ऐसे कार्यक्रमों को शामिल करना जिनसे छात्रों के ज्ञान और योग्यता में वृद्धि हो सके और उनका नैतिक, सामाजिक व शारीरिक प्रशिक्षण अधिक प्रभावात्मक बन सके।

संस्था योजना की मूल विशेषतायें

- यह सहभागी योजना के सिद्धांत पर आधारित है अर्थात् यह सिर्फ मुख्याध्यापक की नहीं अपितु सभी शिक्षकों, छात्रों, माता-पिता और स्थानीय समुदाय की योजना है।
- यह संस्था की अपनी आवश्यकताओं पर और स्कूल की समस्याओं पर आधारित है।
- इसमें संसाधनों (मानव और वस्तुओं दोनों) को इस्तेमाल में लाने का प्रयत्न किया जाता है चाहे वे स्कूल के भीतर हों या स्कूल के बाहर समुदाय में।
- यह लचीली है।
- यह वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें सभी तथ्यों और आंकड़ों पर ध्यान दिया जाता है।
- यह मांगों का घोषणापत्र नहीं वरन् सच्चे अर्थों में एक व्यावहारिक योजना है।

क्रियाकलाप–2

आपकी संस्था की जो हालत है उसे देखते हुए संस्था योजना के उद्देश्य क्या होने चाहिए ? क्या आप ऐसी कुछेक विशेषताओं की सूची बना सकते हैं जो आपके स्कूल द्वारा तैयार की जाने वाली योजना में होने चाहिए ?	एकल कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

संस्था योजना की तैयारी

संस्था योजना की तैयारी के लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं :

1– प्राप्त भौतिक सुविधाओं, शिक्षा कार्यक्रमों, पर्यवेक्षण आदि का सर्वेक्षण करना और इन सभी क्षेत्रों में कमियों का पता लगाना ।

2– भविष्य में छात्रों की भर्ती की परियोजना बनाना ।

3– भौतिक सुविधाओं और स्टाफ की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना ।

4– एक निश्चित अवधि में सरकारी और गैरसरकारी आर्थिक संसाधनों का मूल्यांकन करना ।

5– भावी आवश्यकताओं और निर्धारित संसाधनों को देखते हुए प्राथमिकताएं एवं उनके विकल्प निश्चित करना ।

6– निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों व परियोजनाओं पर सूक्ष्मता से विचार करना ।

7– मूल्य वृद्धि और प्राप्त संसाधनों के उचित प्रयोग को दृष्टिगत करते हुए विस्तार और सुधार कार्यक्रमों के व्यय का मूल्यांकन करना ।

8– प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यक्रमों और लागत व्यय को क्रमबद्ध करना ।

9– योजना की प्राथमिकताओं व कार्यक्रमों पर वाद-विवाद के लिए योजना को समुदाय के सामने रखना ।

10– जनमत को ध्यान में रखते हुए योजना को अंतिम रूप देना ।

क्रियाकलाप–3

अगर आप अपने स्कूल में संस्था योजना पद्धति शुरू करना चाहते हैं तो आप क्या कदम उठाएंगे ? इनकी क्रमबद्ध सूची बनाइए ।	एकल कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

संस्था योजना का निर्माण, कार्यान्वियन, संचालन और मूल्यांकन

संस्था योजना सिर्फ मुख्याध्यापक द्वारा नहीं बनाई जाएगी, वरन् इसमें सभी शिक्षकों, छात्रों, माता-पिता एवं स्थानीय समाज का हाथ होगा, इसलिए आशा है कि इसका कार्यान्वियन प्रभावपूर्ण होगा । इसके लिए जरूरी होगा कि इससे जुड़े सभी व्यक्तियों की नियमितरूपेण सभा बुलाई जाए, जिससे आवश्यकताओं का पता लग सके और इनकी पूर्ति के लिए संसाधनों का मूल्यांकन किया जा सके । हो सकता है कि एक बार में ही संस्था के समूचे विकास के लिए एक योजना न बनाई जा सके । लेकिन संस्था की सभी विचारणीय आवश्यकताओं को तो जाना ही जा सकता है और कुछेक प्राथमिकताओं का निश्चय करने के बाद वर्तमान एवं अतिरिक्त संसाधनों (जिन्हें हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं होगा)

को देखते हुए एकाध परियोजनाओं या कार्यक्रमों को शुरू किया जा सकता है। इनके लिए हमें अलग से रूपरेखा तैयार करनी होगी। ऐसी सब परियोजनाओं व कार्यक्रमों का कुल योग ही वस्तुत: संस्था-योजना है।

विभिन्न परियोजनाओं की रूपरेखा बनाते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा :

1– परियोजना की आवश्यकता व औचित्य।

2– परियोजना के विशेष उद्देश्य (अगर संभव हो तो कम से कम शब्दों में)।

3– परियोजना में शामिल व्यक्तियों का ब्यौरा।

4– कार्यान्वियन का समय।

5– संसाधन।

6– जांच एवं मूल्यांकन के तरीके।

7– सुधार के लिए सुझाव।

प्रत्येक परियोजना को विभिन्न गतिविधियों में बांटा जाएगा और ऊपर दिए गए सात तत्वों में से प्रत्येक की जानकारी परियोजना की रूपरेखा में दी जाएगी।

क्रियाकलाप–4

हो सकता है आप अपनी संस्था में सुधार लाने के लिए कुछ परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम हाथ में लेना चाहें। ऐसी परियोजनाओं/कार्यक्रमों की प्राथमिकता को देखते हुए सूची बनाइए। कम से कम एक परियोजना के संदर्भ में इन विशेष बातों का उल्लेख कीजिए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

संस्था योजना के काम का मूल्यांकन भी महत्वपूर्ण है। उद्देश्यों को देखते हुए प्रत्येक योजना, परियोजना या कार्यक्रम का जब तब मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से प्राप्त अनुभव का आगे चल कर योजना के परिष्करण के लिए लाभ उठाया जा सकता है। मूल्यांकन स्वयं स्कूल अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है या किसी बाहरी एजेन्सी द्वारा। यह भी संभव है कि दोनों द्वारा मूल्यांकन किया जाए।

क्रियाकलाप–5

मॉड्यूल के अध्ययन के बाद आवृत्ति अभ्यास के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए :	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

1– संस्था योजना के विचार की व्याख्या कीजिए।

2– संक्षेप में उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए जो खण्ड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाने वाली योजना के विपरीत संस्था-योजना के अंतर्गत आते हैं।

3– इस मॉड्यूल में उन कुछ कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है जिन्हें संस्था-योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा सकता है। क्या आप अपनी संस्था को ध्यान में रखकर कुछ अन्य विस्तार व सुधार संबंधी कार्यक्रमों का सुझाव दे सकते हैं ?

4– भागीदारिता संबंधी योजना और व्यवस्था के मुख्य लक्षण क्या हैं ? ये किस हद तक व्यावहारिक हैं ?

5– संस्था-योजना की तैयारी के लिए आप क्या कदम उठाएंगे और उसकी तकनीक क्या है ?

6– संस्था-योजना संस्था के अधिकतम विकास के लिए प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और संभावित सभी संसाधनों का प्रयोग करती है । आप इससे कहां तक सहमत हैं ?

7– संस्था-योजना की जांच व मूल्यांकन की आवश्यकता एवं उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। अपने स्कूल से संबंधित संस्था-योजना के किसी एक कार्यक्रम के निरीक्षण एवं मूल्यांकन की रूपरेखा बनाइए।

●

मॉड्यूल–14 सी

शैक्षिक विकास के लिए सामुदायिक प्रतिभागिता

एक दृष्टिपात

इस मॉड्यूल का उद्देश्य है : शिक्षा के कार्यक्रमों में सामुदायिक प्रतिभागिता के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षकों में अन्तर्दृष्टि पैदा करना और कार्यक्रमों के लिए सामुदायिक समर्थन पाने की उनकी क्षमता को बढ़ाना।

हमारे लिए समुदाय का अर्थ एक ऐसे वर्ग से है जिसके सदस्यों की रुचियां एवं आवश्यकताएं एक जैसी हैं और जो एक विशिष्ट क्षेत्र/ग्राम संस्थान में शिक्षा के प्रसार के काम में लगे हैं।

कुछ समय से आप शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक रूपों के विकास के लिए काम कर रहे है और इस काम के लिए आप समुदाय का समर्थन एवं प्रतिभागिता पाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आपने उन कारणों की व्याख्या न की हो जिनसे सामुदायिक प्रतिभागिता व्यवस्थित रूप से प्रभावित होती है। ऐसा देखा गया है कि जो कार्यक्रम सरकारी एजेन्सियों द्वारा आरम्भ किये गये हैं और जिन्हें पर्याप्त सामुदायिक समर्थन प्राप्त नहीं है वे प्रायः अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। यह बात शैक्षिक कार्यक्रमों में भी लागू होती है। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए हमें कई काम करने होंगे। एक ओर शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करना होगा और दूसरी ओर समुदाय की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन करने होंगे। इनके लिए सामुदायिक प्रतिभागिता एवं सहयोग आवश्यक है।

उद्देश्य

इस प्रशिक्षण-मॉड्यूल को पूरा करने के बाद आप :

- सामुदायिक प्रतिभागिता के प्रकार एवं अर्थ को समझ सकेंगे।
- शैक्षिक कार्यक्रमों में सामुदायिक प्रतिभागिता की आवश्यकता को समझ सकेंगे।
- शैक्षिक कार्यक्रमों में समुदाय की अपर्याप्त प्रतिभागिता के कारणों का विश्लेषण कर सकेंगे एवं उसका उपचार कर सकेंगे।
- उन क्षेत्रों की पहचान सकेंगे जहां सामुदायिक प्रतिभागिता की आवश्यकता पड़ सकती है और उसे प्राप्त किया जा सकता है।
- स्कूल और समुदाय के संबंधों को सुधारने के काम में स्कूल की भूमिका को समझ सकेंगे और समुदाय की प्रतिभागिता की प्राप्त कर सकेंगे।
- सामुदायिक प्रतिभागिता के मौलिक पक्षों की समझ सकेंगे।
- सामुदायिक प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए समुदाय से सम्पर्क स्थापित करने के तरीके जान सकेंगे और उनको अपने काम में ला सकेंगे।

शिक्षण गतिविधियां

काफी समय से आप शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। आपने विभिन्न शैक्षिक क्रियाओं में सामुदायिक प्रतिभागिता प्राप्त करने का भी यत्न किया होगा। इस बात पर विभिन्न लेखों में जोर दिया गया है। अनेक प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्रियों ने भी इस पर बल दिया है।

सामान्यतः हम यह सोचते हैं कि समुदाय जो सहायता देता है वही उसकी प्रतिभागिता है। किन्तु यह बात हमेशा सही नहीं होती। प्रतिभागिता का व्यापक अर्थ है : कार्यक्रम में भाग लेने के लिए समुदाय की भावना और इच्छा की दृष्टि से प्रतिभागिता विभिन्न प्रकार की हो सकती है। आइए, अब हम इसे निम्नलिखित गतिविधियों द्वारा और अधिक अच्छी तरह समझने की कोशिश करें।

क्रियाकलाप–1

सामुदायिक प्रतिभागिता के अर्थ एवं उसके प्रकार के बारे में सोचिए। एक अलग कागज पर उन्हें लिखिए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

यह आवश्यक नहीं कि हर मौके पर समुदाय के सदस्य अपना योगदान दें। कभी-कभी वे केवल स्कूल के समारोह में शामिल हो सकते हैं, नियमित हाजिरी के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, आपकी शैक्षिक क्रियाओं में सहायता कर सकते हैं, आपसे सलाह लेने के लिए आ सकते हैं, सामुदायिक समारोहों को आयोजित करने के लिए स्कूल पर निर्भर हो सकते है। अर्थ यह हुआ कि यह दो तरफा प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में यह परस्पर सहभागिता की प्रक्रिया हैं।

आपने अपने अनुभव से देखा होगा कि सामुदायिक प्रतिभागिता कभी तो ऐच्छिक होती है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि वह समुदाय पर थोपी जा रही है। प्रतिभागिता निम्न प्रकार की हो सकती हैं :

1—**स्वतः स्फूर्त या स्वजात** :—लोग बिना किसी बाहरी सहायता या दबाव के स्वयं भाग लेने के लिए आगे आते हैं।

2—**प्रायोजित** :—कुछ लोग इसलिए भाग लेते हैं कि उन्हें आधिकारिक रूप से या सरकार की ओर से आदेश आया है। उन्हें काम के लिए विवश नहीं किया गया है पर प्रेरणा बाहर से आई है।

3—**अनिवार्य** :—लोग प्रतिभागी इसलिए बनते हैं कि प्रतिभागिता अनिवार्य कर दी गई है। इसकी अवहेलना करने पर जबरदस्ती की की जा सकती है।

अब हम एक ऐसी विशेष स्थिति को लेंगे जिसमें सामुदायिक प्रतिभागिता की आवश्यकता होगी। वह प्रतिभागिता उक्त तीनों में से किसी एक प्रकार की हो सकती है। इससे ये तीन स्थितियां ठीक से समझ में आ सकेंगी। कल्पना कीजिए कि एक स्कूल को समुदाय को आवश्यकता है। समुदाय उसकी आवश्यकता को समझकर धन तथा सामग्री इकट्ठी करने का निश्चय करता है। अपने बच्चों की स्कूल में भरती करवाता है। यह स्वजात प्रतिभागिता का एक उदाहरण है। यदि उसी काम के लिए अधिकारीगण समुदाय को प्रेरित करते हैं, उसे प्रोत्साहन देते हैं (जैसे भवन निर्माण, स्कूल के शिक्षकों तथा सुविधाओं की बढ़ाने के लिए अनुदान) तो यह प्रायोजित प्रतिभागिता है। अगर माता-पिता को भवन निर्माण हेतु पैसा देने के लिए विवश किया जाता है और उनके द्वारा ऐसा न किए जाने पर उनके बच्चों को स्कूल से निकाला जा सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके परिणाम को घोषित न किया जाए आदि। यह अनिवार्य प्रतिभागिता का उदाहरण है। इसी प्रकार स्कूल के अधिकारी या समुदाय के सदस्य माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने का आदेश देते हैं और वैसा न करने पर उन पर जुर्माना किया जाता है, उनके कुछ फायदे बंद कर दिए जाते हैं या उन्हें दण्ड दिया जाता हैं तो यह भी अनिवार्य प्रतिभागिता होगी।

हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में अनिवार्य प्रतिभागिता ठीक नहीं है। स्वजात या स्वतः स्फूर्त और प्रायोजित प्रतिभागिता में स्वजात सबसे अच्छी है। यह अधिक दिन चल सकेगी और इससे आदर्श, सहकारी एवं सहभागी स्थिति पैदा होगी।

सामुदायिक प्रतिभागिता के अर्थ और प्रकार जानने के बाद यह उचित होगा कि हम शैक्षिक कार्यक्रम में सामुदायिक प्रतिभागिता की आवश्यकता को समझें। यह देखा गया है कि कोई भी विकास-योजना, विशेष रूप से शैक्षिक विकास योजना, जब समुदाय पर आधारित होती है तब वह अधिक सफल होती है। सफलता का कारण यह होता है कि लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपनी सहभागिता प्रदान करते हैं। आपके सामने भी ऐसी स्थिति आई होगी जब आपने देखा होगा कि केवल सरकारी सहायता पर्याप्त नहीं है। आप चाहते होंगे कि आपको समुदाय की सहायता प्राप्त हो और उसके लिए आप कुछ प्रयत्न करें। आइए हम ऐसी स्थिति पर पुनः विचार करें और शैक्षिक कार्यक्रम में सामुदायिक प्रतिभागिता की आवश्यकता पर चर्चा करें।

क्रियाकलाप–2

अपने अनुभव से कुछ ऐसी स्थितियों को याद कीजिए जहां आपको समुदाय की सहायता सहभागिता की आवश्यकता महसूस हुई हो।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

स्कूल ऐसी संस्था है जिसमें बच्चे सीधे अपनी मां की गोद से और परिवार जैसी सर्वव्यापी संस्था से आते हैं। उनके यहां आने का उद्देश्य उनके व्यक्तित्व का निरंतर विकास है। कुछ समाजों में विशेष रूप से जनजातीय समुदायों में बच्चों को शिक्षा देने का उत्तरदायित्व कई परम्परागत संस्थाओं में बंटा हुआ है। अतः इसके लिए समुदाय की सहायता एवं सहभागिता अत्यावश्यक है।

एक शैक्षिक संस्था के सभी कामों के लिए समुदाय की प्रतिभागिता आवश्यक है, जैसे विविध गतिविधियों का संगठन एवं आयोजन, भौतिक सहायता, नियमित कार्य, निष्पक्षता, छात्रों की संख्या में वृद्धि, पर्यवेक्षण, शैक्षिक विकास में सहायता आदि।

नई शिक्षा नीति में, अन्य बातों के अतिरिक्त शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक अवसरों की असमानताओं का निवारण, शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना, प्रबंध का विकेन्द्रीकरण आदि। ये उद्देश्य समुदायों की सक्रिय सहभागिता के बिना पूरे करने कठिन हैं। नई शिक्षा नीति "विकेन्द्रीकरण" पर बल देती है और शैक्षिक क्रियाओं के लिए स्वायत्तता की भावना पैदा करना चाहती है।

यदि आप स्कूल द्वारा समुदाय की सहभागिता प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयत्नों पर विचार करें तो आप देखेंगे कि अधिकांश शिक्षक इस बात की शिकायत करते हैं कि समुदाय से संपर्क स्थापित करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं है पर यदि यह पहलू आवश्यक है तो इसके लिए उन्हें समय निकालना चाहिए। स्कूलों में जिन समारोहों का आयोजन होता है उनमें से ज्यादातर आधिकारिक होते हैं। उनमें समुदाय की सहभागिता अपर्याप्त होती है। लेकिन बहुत से स्थानों पर समुदाय की आदर्श सहभागिता भी देखी गई है।

हम पहले ही सामुदायिक प्रतिभागिता की संक्षेप में विवेचना कर चुके हैं। अब हम उन क्षेत्रों में समुदाय की सहायता प्राप्त करने की संभावना की चर्चा करेंगे जहां पर उसकी सर्वाधिक आवश्यकता है।

क्रियाकलाप–3

संस्थाओं के प्रबंध एवं शैक्षिक कार्यक्रमों के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों/पक्षों की सूची बनाइए जिनमें समुदाय की प्रतिभागिता की आवश्यकता है।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

जिन क्षेत्रों में समुदाय की सहभागिता या सहायता की आवश्यकता पड़ती है वे स्कूल के शैक्षिक, प्रबंधात्मक एवं प्रशासनिक पहलुओं से जुड़े हैं। आइए, अब हम अपने अनुभवों का विश्लेषण करें :

1. यदि समुदाय से उपयुक्त संबंध हो तो वह अपने सदस्यों को इस दृष्टि से अभिप्रेरित करने तथा उन्हें मनाने में अच्छी खासी सहायता दे सकता है कि वे अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती कराएं। समुदाय बच्चों के नियमित रूप से स्कूल में आने एवं पढ़ते रहने में सहायता दे सकता है। कभी-कभी समुदाय माता-पिता पर दबाव भी डाल सकता है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें।
2. स्कूल समुदाय का एक अंग है। अतः वह स्कूल को भौतिक सुविधाएं देने में सहायक हो सकता है। जैसे स्कूल के भवन का निर्माण एवं उसकी मरम्मत। कक्षाओं के लिए स्थान, डेस्क, सहायक सामग्री, शिक्षकों के लिए निवास स्थान आदि। वह स्कूल के विभिन्न समारोहों के लिए धन दे सकता है। वह विशेष रूप से ग्रामीण और जन-जातीय क्षेत्रों में मुफ्त श्रम देकर स्कूल की सहायता कर सकता है।
3. समाज में अपने कुशल कारीगर होते हैं। वे स्कूल की कार्य अनुभव जैसी क्रियाओं में सहायता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के अभाव में शिक्षित लोग स्वेच्छा से अध्यापन के काम के लिए आगे आ सकते हैं।
4. यह देखा गया है कि उस गांव में जहां समुदाय का शिक्षा की ओर रुझान है या उसे शैक्षिक क्रियाओं में रुचि है, वहां समुदाय स्कूलों के नियमित संचालन में सहायता करता है। स्कूल को दिन-प्रतिदिन की आकस्मिक समस्याओं का समाधान करता है, उसका निकट से निरीक्षण आदि करता है।
5. स्कूल में अनुकूल वातावरण बनाए रखने में समुदाय सहायक होता है। वह शिक्षकों के आपसी झगड़ों तथा शिक्षकों और अभिभावकों के झगड़ों आदि में हस्तक्षेप करके उन्हें निपटाता है। वह कुछ सामाजिक अवांछित समस्याओं तथा अशान्ति को दूर करने में भी सहायता करता है।
6. कई बार समाज स्कूल की प्रशासनिक समस्याओं को भी सुलझाता है। यह देखा गया है कि ऐसे मौकों पर पंचायत के अथवा समुदाय के सदस्य स्कूल की सहायता करते हैं।
7. शैक्षिक मामलों में भी समुदाय योगदान कर सकता है। क्रियाओं की योजना बनाने तथा उनको कारगर करने में वह बहुमूल्य सुझाव दे सकता है। समुदाय का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि वह स्कूल की कई तरह की प्रामाणिक प्रतिपुष्टि दे सकता हैं। बच्चों के अध्यापन तथा सह-शैक्षिक क्रियाओं आदि के बारे में भी वह सहायता दे सकता है। इससे अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन करने में सहायता मिल सकती है।

और भी अनेक पहलू है जहां समुदाय सहभागी हो सकता है और एक शैक्षिक संस्था की सहायता कर सकता है।

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, सहभागिता दो तरफा कार्य है। आइए अब हम स्कूल-समुदाय के संबंधों को सुधारने तथा समुदाय की सहभागिता को बनाए रखने में स्कूल की भूमिका का विश्लेषण करें।

क्रियाकलाप–4

उन क्रियाओं का उल्लेख कीजिए जिनकी सहायता सें स्कूल समुदाय के साथ अच्छे संबंध रख सकता है और उसकी सहभागिता प्राप्त कर सकता है।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

समुदाय की सहभागिता पाने में स्कूल एक निश्चित भूमिका निभा सकता है। इसके लिए उसे समुदाय के निकट आना होगा। निम्नलिखित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें स्कूल समुदाय की सहायता कर सकता है :

1. स्कूल अपनी भूमिका का विस्तार कर सकता है और गांव/क्षेत्र के सभी निवासियों के लिए शिक्षा का केन्द्र बन सकता है। इसके लिए स्कूल को चाहिए कि वह अपने को अपने विद्यार्थियों की औपचारिक शिक्षा तक ही सीमित न रखें, बल्कि समुदाय के सदस्यों की भी पढ़ने में सहायता करें। यदि ये सदस्य स्कूल से शैक्षिक सहायता लेना चाहें, तो स्कूल उनकी सहायता करे और साथ ही उनको आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। इस तरह स्कूल समुदाय का केन्द्र बन सकता है।
2. अधिकांश स्थानों पर स्कूल ही एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपनी सभाएं व समारोह कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में स्कूल समुदाय को कुछ सुविधाएं दे सकता है जैसे पुस्तकालय, खेल का मैदान आदि। पर ऐसा करते समय स्कूल की अपने नियमित कार्यक्रमों की भंग नहीं करना चाहिए।
3. गांवों एवं बस्तियों में शिक्षकों को विद्वान एवं ज्ञानी समझा जाता है। लोग उनके पास सलाह और मार्ग-दर्शन के लिए आते हैं। उनकी सहायता की जानी चाहिए।
4. समुदाय में परिवर्तन के साधन के रूप में स्कूल की भूमिका का विस्तार किया जाना चाहिए। उससे समुदाय में शिक्षा एवं विकास के कामों तथा गतिविधियों के बारे में नए विचार संकलित करने तथा उन्हें फैलाने के काम में सहायता मिल सकती है। कभी-कभी स्कूल लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्संबंधी विभागों से सम्पर्क स्थापित करने में भी उनकी सहायता कर सकता है।
5. स्कूलों में बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी भी की जा सकती है। माता-पिता को उन्हें देखने के लिए आमन्त्रित किया जा सकता हैं। इससे वे प्रसन्न होंगे। वे भी स्कूल के काम को, प्रयोगों की एवं गतिविधियों की देख कर कुछ सीख सकते हैं।

अब तक हमने उन क्षेत्रों की विवेचना की है जिनमें स्कूल और समुदाय एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। आइए अब हम अपने विचारों का संश्लेषण करें तथा कुछ मौलिक कारणों की व्याख्या करें जिससे समुदाय की सहभागिता पर प्रभाव पड़ता है।

क्रियाकलाप–5

आपके विचार से समुदाय की सहभागिता को प्रभावित करने वाले मूलभूत तत्व कौन से हैं ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

चर्चा से लगता है कि निम्नांकित कारणों से समुदाय की सहभागिता प्रभावित होती है :

1. स्कूल और समुदाय को सहभागियों के रूप में काम करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि समुदाय स्कूल के मामलों में भाग लें। जब तक समुदाय के सदस्यों में अपनत्व की भावना पैदा नहीं होगी तब तक वे भाग लेने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं होंगे। स्कूल की सभी प्रक्रियाओं में उनकी सहभागिता होनी चाहिए। यह सहभागी आयोजन तथा प्रबन्ध की प्रक्रिया कहलाती है।
2. समुदाय के स्तर पर एक संगठन होना चाहिए जिसके माध्यम से समुदाय की सहभागिता को आगे बढ़ाया जा सके। आपने देखा होगा कि लगभग सभी गांवों एवं बस्तियों में इस काम के लिए समिति बनाई जाती है। उस समिति के अनेक नाम हो सकते हैं जैसे स्कूल-समिति, समन्वय-समिति, अभिभावक-शिक्षक संघ आदि। किन्तु समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने में उन समितियों का समुचित प्रयोग नहीं हो पाता।
3. आपने देखा होगा कि जिन स्थानों पर नवयुवक या युवा पीढ़ी शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आगे आई है, समुदाय की सहभागिता बढ़ी है। इस पहलू पर और अधिक बल दिया जाना चाहिए।

4. उन लोगों ने जो दूरस्थ जनजातीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, देखा होगा कि वहां कुछ परम्परागत संस्थाएं हैं, जैसे : धर्मशालाएं। यदि इन संस्थाओं का सफल प्रयोग किया जाए तो समुदाय की सहभागिता की गति तेज हो सकती है।
5. समुदाय की सहभागिता को बढ़ाने में स्वयंसेवी संगठनों का योगदान उत्साहवर्धक रहा है। जहां कहीं भी इस प्रकार के संगठन हों, उनसे सम्पर्क किया जाना चाहिए।
6. समुदाय की सहभागिता की सीमा को जानने और बढ़ाने के उद्देश्य से यह वांछनीय है कि समुदाय/बस्ती का सर्वेक्षण किया जाए और समुदाय के साधनों का पता लगाया जाये। इस सर्वेक्षण में समुदाय का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, शैक्षिक स्तर, समुदाय की शैक्षिक आवश्यकताएं, सामुदायिक समूहों का गठन, मानव साधन, गांव के अधिकारी, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के कारण आदि सम्मिलित होने चाहिए। इससे स्कूल के सुधार में तथा स्कूल और समुदाय के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए सामुदायिक संसाधनों का लाभ उठाने में सहायता मिलेगी।

उक्त कारणों के अतिरिक्त और भी कारण हो सकते हैं जिनसे समुदाय की सहभागिता पाने में सहायता मिल सकती है। समुदाय से सम्पर्क स्थापित करते समय शिक्षक इन कारणों को जान सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं।

क्रियाकलाप–6

आपने देखा होगा कि आपमें से कुछ को समुदाय की सहायता मिल जाती है जबकि औरों को इसमें कठिनाई होती है। क्या आपने कभी समुदाय के साथ काम करने के महत्वपूर्ण तरीकों को ढूंढ़ा है और उनका विश्लेषण किया है? अगर नहीं तो आइए करके देखें।

आपके विचार में समुदाय से सम्पर्क स्थापित करने और समुदाय की सहभागिता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण तरीके क्या हैं? कृपया संक्षेप में उनका उल्लेख कीजिए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

सामुदायिक कार्य के लिए अनेक तरीके ढूंढ़े गए हैं। वे सभी लाभदायक हैं। फिर भी आइए हम अपने अनुभवों का संश्लेषण कर कुछ सामान्य तरीकों का उल्लेख करें:

1. समुदाय से पूरी तरह सम्पर्क स्थापित करने से पहले यह आवश्यक है कि हम उस समुदाय को अच्छी तरह जान लें। जब आपकी नियुक्ति नए स्थान पर हो, तब उस स्थान के सामाजिक ढांचे, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक प्रतिबन्ध, राजनीतिक संगठन, समस्याओं आदि को समझने की कोशिश करें।
2. केवल समुदाय को जानना ही पर्याप्त नहीं है। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि आप अपने को समुदाय के समरूप बनाएं। समुदाय के साथ समानता के स्तर पर सम्बन्ध स्थापित करें और समुदाय के सदस्यों का सम्मान करें।
3. यह बात महत्वपूर्ण है कि आप समुदाय या व्यक्तियों की समस्याओं को समझें। उनकी समस्याओं को बिना समझे अपने विचार उन पर न थोपें। आपका इस प्रकार का व्यवहार आपको समुदाय के निकट लाएगा।
4. बच्चों के माता-पिता से उनके विरुद्ध शिकायत न करें। उन्हें निश्चित सुझाव दें। ये सुझाव उन दोनों को अच्छे लगेंगे।
5. आप उभरते हुए नेताओं का, जो अधिकतर युवक और शिक्षित हों, सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करें। समुदाय के विशिष्ट सदस्यों की सहायता लाभप्रद होगी।

6. बस्ती में आयोजित सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य समारोहों में भाग लेने से शिक्षकों को समुदाय के निकट आने में सहायता मिलती है।

7. प्रत्येक स्कूल में सक्रिय "अभिभावक शिक्षक संघ" या "समन्वय समिति" होनी चाहिए।

उक्त तरीकों के अतिरिक्त कुछ और भी ढंग हैं जैसे हंसमुख स्वभाव, बात करने का ढंग, सदस्यों के प्रति आदर आदि जिनकी समुदाय के साथ घनिष्टता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। समस्याओं के समाधान के लिए कोई निश्चित तरीके नहीं हैं। वे विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति या शिक्षा द्वारा लिये गए निर्णयों पर निर्भर करते हैं। आपकी भूमिका केवल कक्षा में निर्देशन तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। आपको समुदाय का मार्गदर्शक एवं सहायक भी बनना होगा।

माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए इस मॉड्यूल में सुझाई गई गतिविधियों के अतिरिक्त अभिभावक शिक्षक संघ के साथ और अधिक समीपी सम्बन्ध की सलाह भी दी जाती है।

●

मॉड्यूल–15 सी

विद्यालय परिसर

भूमिका

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986" और तत्संबंधी "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" का कहना है कि शिक्षा संबंधी योजना और व्यवस्था पद्धति की भलीभांति जांच पड़ताल को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्थानीय स्तर पर शिक्षा नीति के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन पर विचार करते समय "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" ने विद्यालय परिसर को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया है। "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" ने कहा है :

विद्यालय परिसर की क्रियान्वयन पद्धति लचीली होगी जिससे विभिन्न संस्थाओं और सहक्रियात्मक गठबंधन के रूप में सुचारु रूप से काम किया जा सके, शिक्षकों में व्यावसायिक भावना को बढ़ावा मिल सके, अनुभवों व सुविधाओं का आदान-प्रदान किया जा सके और नियमों का विधिवत् पालन किया जा सके। इस मॉड्यूल में उन स्कूल शिक्षकों के लिए कुछ जानकारी देने का प्रयास किया गया है जो "सहक्रियात्मक गठबन्धन" का आधार होंगे।

इस मॉड्यूल को पढ़ने के पश्चात् आप :

(1) विद्यालय परिसर के विचार की और उसकी तार्किकता (विवेक) की प्रशंसा कर सकेंगे।

(2) जान सकेंगे कि निम्नतम स्तर पर शिक्षा में सुधार लाने के लिए प्रशासन और शैक्षणिक योजना के विकेन्द्रीकरण से विद्यालय परिसर का क्या स्थान है ?

(3) विद्यालय परिसर के कार्य में प्रभावपूर्ण ढंग से सहयोग दे सकेंगे।

(4) विद्यालय परिसर में भाग लेने वाले स्कूलों को जो सुविधाएं, सेवाएं और सहायता दी जा सकती हैं उनका आप प्रयोग व समर्थन कर सकेंगे।

(5) अध्ययन-अध्यापन-प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए विद्यालय परिसर के अपने सहयोगियों के साथ मिल जुलकर काम कर सकेंगे।

नीति विषय

सहक्रिया का अर्थ है : दो या उससे अधिक गतिविधियों को मिलाना। ऐसी धारणा है कि अगर हम कुछ गतिविधियों को मिलाकर आगे बढ़ते हैं तो हमें बनिस्पत अलग-अलग काम करने के इसमें अधिक सफलता मिल सकती है। इस दृष्टि से "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86" व्यवस्था संबंधी कुछेक आधारभूत सिद्धान्तों और प्रक्रियाओं को अपनाना चाहती है। विद्यालय परिसर की योजना और व्यवस्था के लिए निम्नलिखित मुद्दे महत्वपूर्ण हैं :

–विकेन्द्रीकरण

–भागीदारिता

–स्वायत्तता आदि

इस कार्य के लिए जो नीति अपनाई जाएगी उसे साकार करने के लिए "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" द्वारा आधारभूत संस्थाओं के अध्यक्षों और शिक्षकों के लिए नई भूमिका नियत की गई है। इसके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में वांछनीय परिवर्तन तभी आ सकता है जबकि शिक्षकगण उसमें सक्रिय भाग लें।

विकेन्द्रीकरण

विभिन्न कार्य विभिन्न व्यक्तियों द्वारा (जो उस काम को करते आए हैं) अधिक अच्छे से किए जा सकते हैं इसलिए विकेन्द्रीकरण आवश्यक बन जाता है। उदाहरण के लिए प्रेरणा का काम शिक्षकों को सौंपा जाना चाहिए जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जा सके और संस्थाओं के तंत्र में लचीलेपन का बढ़ावा मिल सके।

भागीदारिता

व्यवसायवाद, सुविधाओं एवं अनुभवों के बंटवारे और संचालन संबंधी नियमों के पालन को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षकों को विभिन्न सेवाओं और गतिविधियों के प्रबन्ध में लगाना होगा। उदाहरण के लिए नियमों और प्रक्रियाओं और संस्थानिक पद्धति में सुधार के आम मामलों की रूपरेखा प्रस्तुत करते समय शिक्षकों का योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है।

स्वायत्तता

इसका मतलब हैं—शिक्षण संबंधित व्यक्तियों, समुदायों और उत्पादक क्षेत्रों में स्वतंत्रता को बढ़ावा देना।

विद्यालय परिसर : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

शिक्षा-व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें कई नए मार्गों व साधनों को अपनाना होगा। यहीं "विद्यालय परिसर" के विचार का जन्म होता है। विचार एकदम नया नहीं है। इसे शिक्षा आयोग (1964-66) द्वारा बाकायदा पेश किया गया था। इससे पहले भी अर्थात् स्वतन्त्रता पूर्व के दिनों में अजमेर राज्य (जो आगे चलकर राजस्थान राज्य में आ गया था) में और बम्बई प्रान्त के कुछ भागों में (जहां आसपास के स्कूलों को बीच वाले स्कूल से जोड़ दिया जाता था) इसका अस्तित्व था। आसपास के स्कूल बीच वाले स्कूल के साथ मिलकर एक खण्ड बन जाते थे।

कोठारी आयोग (1964-66)

"विद्यालय परिसर" के विचार को कोठारी आयोग (1964-66) द्वारा उभारा गया था। मोटे तौर पर क्रियान्वयन के लिए कुछेक महत्वपूर्ण नीतियों के साथ बड़े व्यवस्थित ढंग से पांच से दस मील के ग्रामीण घेरे में एक माध्यमिक स्कूल, पांच उच्च प्राथमिक स्कूलों और 28 निम्न प्राथमिक स्कूलों तथा 80-100 शिक्षकों का मोटा अनुमान लगाकर आयोग ने सोचा कि इतना छोटा समूह आपस में मिलजुल कर अच्छे से काम कर सकेगा। एक दूसरे के समीप होने के कारण प्रबंध व्यवस्था में भी कठिनाई नहीं होगी। आयोग द्वारा यह सुझाव भी सामने रखा गया कि स्कूलों को दो स्तरों में जोड़ा जाए, इससे शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सहकारिता के प्रयास में सहायता मिलेगी। आयोग ने कहा : उच्च प्राइमरी स्कूल के मुख्याध्यापक अपने अधीनस्थ निम्न प्राथमिक स्कूल को भी अपनी अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करेगा। वे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं—यह देखना उसकी जिम्मेदारी होगी। इस काम के लिए एक समिति होगी। उस क्षेत्र के प्रत्येक निम्न प्राथमिक स्कूल का मुख्याध्यापक उस समिति का सदस्य होगा। उच्च प्राथमिक शाला का मुख्याध्यापक उस समिति का अध्यक्ष होगा। वह समिति एक अकेले परिसर के रूप में सभी स्कूलों की योजना व विकास के लिए उत्तरदायी होगी। दूसरे स्तर पर एक और समिति होगी जिसकी अध्यक्षता माध्यमिक स्कूल का मुख्याध्यापक करेगा। उस क्षेत्र में स्थित सभी उच्च और निम्न प्राथमिक स्कूलों के मुख्याध्यापक उसके सदस्य होंगे। इसका काम कार्ययोजना बनाना होगा और प्रत्येक उच्च प्राथमिक स्कूल कॉम्पलैक्स (निम्न प्राथमिक स्कूलों के साथ मिलकर) द्वारा इस कार्य का क्रियान्वयन किया जायेगा। स्कूलों और शिक्षकों को अपना कार्यक्रम बनाने की पूरी स्वतंत्रता होगी हालांकि वे कार्यक्रम निरीक्षण स्टाफ का सामान्य मार्ग निर्देशन उन्हें प्राप्त होगा।

आयोग की सिफारिश और प्रेरणा पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र ने प्रयोग के तौर पर कुछ "विद्यालय परिसर" बनाए।

विद्यालय परिसर : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 और "प्रोग्राम ऑफ एक्शन"

विद्यालय परिसर के विचार को पुनर्जीवित किया गया है। उसके प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन के लिए नई नीतियों और मार्गों को खोजकर उसे बढ़ावा दिया जा सकेगा। "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986" और "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" द्वारा आगे कहा गया है कि विद्यालय परिसर क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत निम्नतम जीवनक्षम यूनिट के रूप में काम करेगा। यह 8-10 स्कूलों का एक "समूह" होगा जिसमें विभिन्न स्कूल संसाधनों, व्यक्तियों, शिक्षण सामग्री एवं साधनों आदि का मिल-जुलकर प्रयोग कर सकेंगे और एक दूसरे की सहायता कर सकेंगे।

विद्यालय परिसर दो प्रकार के होंगे। पहले प्रकार के परिसर में प्रत्येक माध्यमिक स्कूल अपने आसपास के 3-5 प्राथमिक स्कूलों से जुड़ा होगा। दूसरे प्रकार के परिसर में एक ही क्षेत्र के 8-10 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल एक सेकेण्डरी/उच्च सेकेण्डरी स्कूल से जुड़े होंगे। हालांकि कम आबादी वाले क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में और रेगिस्तान में लचीली नीति अपनाई जा सकती है जहाँ स्कूलों की संख्या मैदानी क्षेत्रों की तुलना से कहीं कम होगी। घने बसे क्षेत्रों में भी एक परिसर में स्कूलों की संख्या औसत से कुछ कम होगी। विद्यालय परिसर की प्रबन्ध व्यवस्था में लचीली पद्धति पर विशेष जोर दिया गया है। परिसर में किन स्कूलों को "केन्द्र" बनाया जाये इसका निश्चय करते समय हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा :

(1) उस क्षेत्र में स्कूल न जाने वाले बच्चों और प्रौढ़ लोगों के लिए बनाए गए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों सहित पोषक स्कूलों की संख्या
(2) मुख्य स्कूल और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के बीच बहुत कम दूरी (5-8 किलोमीटर के लगभग)
(3) स्टाफ, भवन, फर्नीचर आदि की दृष्टि से योगदान की क्षमता
(4) शैक्षणिक स्तर
(5) प्रशासनिक क्षमता
(6) मुख्य स्कूल को सामान्य रूप से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव। लचीली नीति के अन्तर्गत कहीं प्राथमिक स्कूल को, तो कहीं माध्यमिक या सेकेण्डरी स्कूल को मुख्य स्कूल की भूमिका निभानी होगी।

स्वायत्तता की नीति को दृष्टिगत करते हुए यह कहा जा रहा है कि समय के प्रवाह में जब "विद्यालय परिसर" का पूर्ण विकास हो जाएगा तो वे निरीक्षण का बहुत सारा काम भी अपने ऊपर ले लेंगे जिससे भागीदारी स्कूलों, मुख्याध्यापकों और शिक्षकों के बीच अच्छा खासा तालमेल संभव होगा।

विद्यालय परिसर : शिक्षकों के लिए कुछ प्वाइन्ट्स

"विद्यालय परिसरों" से स्थानीय स्तर पर स्कूल शिक्षा की योजना एवं व्यवस्था में सुधार की आशा की जा रही है। उसमें शिक्षा के स्तर को बाकायदा बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्वाइन्ट्स इस प्रकार हैं :

(1) विद्यालय परिसर प्रत्येक स्कूल के शिक्षक की दैनिक व्यवसायगत समस्याओं को सुलझा सकेगा।
(2) वह विभिन्न स्तरों पर स्कूलों व शिक्षकों में विचारों के आदान-प्रदान से शिक्षण को प्रभावपूर्ण बना सकेगा। यहां उसके द्वारा सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा और स्कूलों एवं शिक्षकों द्वारा शैक्षणिक सामग्री, पुस्तकालय आदि का मिलजुल कर प्रयोग संभव होगा।

(3) इसके द्वारा शिक्षकों की गोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनों, फिल्मों और सेमिनारों के आयोजन को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके।

(4) उन स्कूलों में विज्ञान संबंधी प्रदर्शनियों का आयोजन संभव होगा जिनके पास परिसर में सबसे अधिक विज्ञान संबंधी सामग्री है।

(5) स्कूलों के शिक्षक सेकेण्डरी, उच्च या निम्न प्राथमिक स्कूलों में जाकर अनुभवों का आदान-प्रदान कर सकेंगे, उनका मार्ग निर्देशन कर सकेंगे और उनकी सहायता में हाथ बंटा सकेंगे।

(6) यह शिक्षकों में शैक्षणिक नेतृत्व की भावना को उभारने में सहायक होगा। इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में प्रयोगों और नवीकरण का आदान-प्रदान भी संभव होगा।

(7) डी० आई० ई० टी० द्वारा विभिन्न विषयों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाएगा लेकिन विद्यालय परिसर सामान्य रूप से मूल्य-शिक्षा, राष्ट्रीय एकता आदि जैसे विषयों में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने में सहायक होगा।

(8) अगर कोई शिक्षक छुट्टी पर जाता है तो विद्यालय परिसर द्वारा यह व्यवस्था की जाएगी कि वह दूसरे स्कूल के शिक्षक को उस स्कूल में भेज दे। यह मुख्य स्कूल के मुख्याध्यापक द्वारा सिर्फ अस्थायी तौर पर ही किया जाएगा। इस प्रकार के मामलों पर अन्य सह-स्कूलों के मुख्याध्यापक भी उत्तरदायी भूमिका निभाएंगे।

(9) अगर शिक्षक का स्थानान्तरण हो जाता है या वह प्रशिक्षण के लिए जाता है तो इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय परिसर के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को भेजी जाएगी।

(10) शक्ति के विकेन्द्रीकरण से यह संभव होगा कि शिक्षकों को औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए बहुत घूमना नहीं पड़ेगा।

(11) इससे शिक्षकों की छुट्टियों (पैसा आदि) से संबंधित समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकेगा। इसके लिए शिक्षकों एवं मुख्याध्यापकों की मासिक गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा। राज्य शिक्षा विभाग के और जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इसमें उपस्थित होंगे।

(12) शिक्षक परीक्षाओं में अध्यक्ष की सहायता कर सकेंगे।

(13) समय पालन, शिक्षकों के नियमित रूप से स्कूल आने, शिक्षण में उनके और अधिक योगदान, बेहतर माहौल आदि से संबंधित नियम बनाना आसान होगा।

शिक्षकों की धारणा

कुछ शिक्षक समझते हैं कि "विद्यालय परिसर" से शिक्षकों की और शिक्षण सामग्री की कमी हो जाएगी। आपस में मिल बांटने से और मुख्याध्यापकों के तानाशाही रवैये से स्कूल के भवनों की हालत खराब हो जाएगी, कक्षाओं और फर्नीचर की कमी हो जाएगी, खेल के मैदानों की कमी पड़ जाएगी आदि। पर इस धारणा को हमें समाप्त करना होगा। जैसा कि हमने पहले कहा है विद्यालय परिसर द्वारा उल्टे उन कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा।

नियोजकों और प्रशासकों के लिए गाइडलाइन्स

कई विशेषज्ञ स्कूल कॉम्पलैक्स के पहलू को क्रियान्वित करने के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर वाद-विवाद कर चुके हैं। इसके परिणामस्वरूप विद्यालय परिसर के नियोजकों और प्रशासकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आए हैं। इनका इस मॉड्यूल में उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि शिक्षकों को यह पता होना चाहिए कि विद्यालय परिसर शैक्षणिक व्यवस्था की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

अभ्यास

क्रियाकलाप–1

अगर आपके क्षेत्र में विद्यालय परिसर है तो विभिन्न तरह के विद्यालय परिसर के शिक्षकों की आवश्यकताओं की निम्नलिखित बातों पर ध्यान देते हुए सूची बनाइए :

(क) आपको रुचि के विषय के लिए पाठों का प्रदर्शन
(ख) कला-शिक्षा और राष्ट्रीय एकता पर एक गोष्ठी
(ग) समूह गान पर आधारित एक सांस्कृतिक प्रदर्शन
(घ) अगर संभव हो तो योगाभ्यास

क्रियाकलाप–2

आपके क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए विद्यालय परिसर के अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक और सेकेण्डरी स्कूलों के बीच शैक्षणिक सहकारिता के संबंध में एक "एक्शन प्लान" तैयार कीजिए।

क्रियाकलाप–3

आपके क्षेत्र के विद्यालय परिसर के अन्तर्गत विभिन्न स्कूलों द्वारा भौतिक सुविधाओं के प्रयोग के बारे में सुझाव दीजिए।

सन्दर्भ

यह मॉड्यूल कई प्रपत्रों के आधार पर तैयार किया गया है जैसे : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, राष्ट्रीय शिक्षक आयोग रिपोर्ट, एन० आई० ई० पी० ए० गाइडलाइन्स फॉर स्टेट गवर्नमेन्ट्स और शिक्षा व्यवस्था पर उप समितियों में हुए वाद-विवाद। "भारत में विद्यालय परिसरों को पुनर्जीवित करना"—लेखक डॉ० आर० पी० सिंघल (कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली 1983)"। यह आधारभूत संदर्भ पुस्तक है। स्कूल कॉम्प्लैक्सेस : फोर्मुलेशन ऑफ गाइडलाइन्स—विद्यालय परिसरों पर राष्ट्रीय कार्यशाला में वाद-विवाद के लिए तैयार किया गया पेपर। इसके लेखक हैं—श्री वी० वी० चिपलुंकर। विद्यालय परिसरों की योजना और व्यवस्था—यह मॉड्यूल डॉ० सी० एल० सप्रा और श्री एस० एस० दुदानी द्वारा तैयार किया गया है, आदि आदि।

मॉड्यूल–16 सी

ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड

"प्रारम्भिक शिक्षा सबको दी जाए" यह हमारी शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। हमारे संविधान में 14 वर्ष की आयु तक के सब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। यह 1986 के "20 सूत्री कार्यक्रम" और "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" का एक भाग है। "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986" में भी "सर्वव्यापी प्रारम्भिक शिक्षा" को प्राथमिकता दी गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के विचार की रूपरेखा बनाई गई है। उसमें शिक्षा पद्धति में आज जो विभिन्नताएं हैं उन्हें दूर करने पर जोर दिया गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि स्कूल के वातावरण को बेहतर बनाया जाना चाहिये जिससे सभी बच्चों को चाहे वे गरीब हों या अमीर, अच्छी शिक्षा मिल सके। "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" के अन्तर्गत शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रिया में सुधार द्वारा शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय सुझाए गये हैं। उसमें अध्ययन के न्यूनतम स्तर निर्धारण पर और अधिक शिक्षकों की व्यवस्था एवं स्कूलों को और अधिक सुविधाएं देने पर बल दिया गया है।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप :

–"ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" का अर्थ समझ सकेंगे एवं कार्यान्वियन नीति को जान सकेंगे।

–इस नीति के कार्यान्वियन में केन्द्र/राज्य सरकारों की भूमिका को जान सकेंगे।

–योजना को और अधिक प्रभावात्मक बनाने में स्थानीय समुदाय की भूमिका को समझ सकेंगे।

–समझ सकेंगे कि इसे सफल बनाने में आप क्या भूमिका निभा सकते हैं।

शिक्षण गतिविधियां

ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड और उसके तत्व

जैसा कि आप जानते ही हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा को सभी दृष्टियों से सुधारने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। इनमें से एक है : "आपरेशन ब्लैकबोर्ड"। यह प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। इसका लक्ष्य है प्राथमिक स्कूलों को दी जाने वाली सुविधाओं में आवश्यक सुधार। "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" में अभी तक के सभी प्राइमरी स्कूलों को दी जाने वाली कम से कम सुविधाओं का स्तर निश्चित किया गया है।

इसमें यह भी कहा गया है कि भविष्य में खुलने वाले सभी स्कूलों को कम से कम कितना पैसा दिया जाना चाहिए।

"ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" के ये तीन मुख्य तत्व हैं :

(1) प्रत्येक प्राथमिक स्कूल को कम से कम दो बड़े कमरे दिए जाएं, जो हर मौसम में काम में आ सकें। उसके साथ एक बड़ा बरांडा और 2 टॉयलेट होने चाहिए—एक लड़कों के लिए और दूसरा लड़कियों के लिए।

(2) प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में कम से कम दो शिक्षक होने चाहिए। अगर सम्भव हो तो उनमें से एक महिला होनी चाहिए।

(3) प्रत्येक प्राथमिक स्कूल को आवश्यक अध्ययन-अध्यापन सामग्री दी जाए।

क्रियाकलाप-1

आप प्राथमिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं या आपके कुछ साथी प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हैं। स्कूल के वातावरण और कार्य स्थिति को देखते हुए आवश्यक अध्ययन-अध्यापन सामग्री की सूची बनाइए जिससे शिक्षण को अधिक प्रभावपूर्ण एवं रोचक बनाया जा सकता है।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

क्रियान्वयन

हम सब जानते हैं कि पिछले 40 वर्षों में संवैधानिक निर्देशों एवं विभिन्न प्रयासों के बावजूद प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं हुआ हैं। इस असफलता के कई कारण हैं। इनमें से कुछ मुख्य कारण ये हैं :

स्कूल के लिए उचित भवनों, शिक्षकों और शिक्षण सामग्री का अभाव। "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" का उद्देश्य है कि प्रत्येक प्राथमिक स्कूल के लिए इनका प्रावधान किया जाए।

आर्थिक कमी के कारण सभी स्कूलों की एक साथ ये सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकतीं इसलिए तीन वर्षों के समय में इसे पूरा करने का निश्चय किया गया है। 1987-88 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केवल 20 प्रतिशत सामुदायिक विकास खण्डों और नगरपालिकाधीन क्षेत्रों में इसे क्रियान्वित किया जा सकता है। 1988-89 में 30 प्रतिशत खण्डों एवं नगरपालिकाधीन क्षेत्रों को कवर किया जा सकेगा और शेष 50 प्रतिशत को 1989-90 में।

"ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" योजना शासकीय, स्थानीय, पंचायती संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे सभी प्राथमिक स्कूलों के लिए है।

स्कूल-भवनों, आवश्यक शिक्षा सामग्री एवं एक-शिक्षक स्कूलों में दूसरे शिक्षक की आवश्यकता संबंधी सूचना इकट्ठी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कहा गया हैं कि वे एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए प्रारूप के मुताबिक वर्तमान सुविधाओं का सर्वेक्षण करें। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है।

ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के क्रियान्वयन में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बड़ी जिम्मेदारी को अपने पर लिया है। "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारें मिलजुल कर काम कर रही हैं।

(1) स्कूल भवनों का निर्माण

स्कूल भवनों के निर्माण के लिए पैसे की व्यवस्था राज्य-सरकारों द्वारा उन योजनाओं के अन्तर्गत की जाएगी जिनके लिए भारत सरकार द्वारा पैसा दिया जा चुका है। राज्यों की स्कूल भवनों के निर्माण के लिए आठवें वित्तीय आयोग द्वारा दिए गए पैसे के प्रयोग से संबंधित रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा गया है। प्राथमिक स्कूलों के भवन निर्माण को प्राथमिकता देने के लिए उच्च स्तर पर उस धनराशि के न्यायिक आवंटन पर निर्णय भी लिया जा चुका हैं जो राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को दिया गया हैं।

स्कूल भवनों को बनाने के लिए राज्यों को निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिए गए हैं :

(क) प्रत्येक कमरे का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर होना चाहिए। बराण्डे की चौड़ाई लगभग 8-10 फीट होनी चाहिए। अगर पुराने बने 2 कमरों का क्षेत्रफल इससे कम है तो उन्हें दोबारा बनाया जाना चाहिए।

(ख) लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए जाएं। शौचालय इस प्रकार के बनाए जाने चाहिए जिससे बच्चों में अच्छी आदत डाली जा सके।

(ग) स्कूल भवनों में विस्तार की गुंजाइश होनी चाहिए। जहां तक संभव हो, निर्माण में स्थानीय सामग्री का ही प्रयोग किया जाए जिससे लागत कम आए। भवन आडम्बरहीन परन्तु माहौल के अनुकूल हो। उसमें वस्तुएं रखने के लिए स्टोर भी होना चाहिए। साथ ही कमरों में और बराण्डे में दोनों ओर बढ़िया ब्लैक-बोर्डों का निर्माण भी किया जाए।

योजना में स्थानीय समुदाय की भूमिका का उल्लेख इस प्रकार है :

(क) स्कूल के भवन और खेल के मैदान के लिए जमीन स्थानीय समुदाय द्वारा दी जाए।

(ख) स्थानीय समुदाय को, जहां तक संभव हो, वहां की ग्राम शिक्षा समिति को औपचारिक रूप से भवन के रख-रखाव और मरम्मत का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना होगा।

(ग) यह भी स्थानीय समुदाय की ही जिम्मेदारी होगी कि स्कूल के अहाते के चारों तरफ दीवार बनाई जाए या तार वगैरह लगाया जाए।

क्रियाकलाप–2

आप जानते हैं कि मात्र योजना बना लेने से वांछित फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिक्षक होने के नाते आप इस योजना में स्थानीय समुदाय का अधिकाधिक एवं सतत सहयोग पाने के लिए क्या कदम उठाएंगे ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

(2) एक-शिक्षक-स्कूल में दूसरे शिक्षक की व्यवस्था

पिछले दस वर्षों से एक-शिक्षक-स्कूलों को कम करने की कोशिश की जा रही है। यहां यह बता देना जरूरी है कि आज देश में ऐसे स्कूलों की संख्या बहुत बढ़ी-चढ़ी है। "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कहा गया है कि सारे एक-शिक्षक-स्कूलों में दूसरे शिक्षक की नियुक्ति की जाए। भारत सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यों को दूसरे शिक्षक के वेतन के लिए अतिरिक्त पैसा देगी।

इसके क्रियान्वयन के लिए :

–राज्य सरकारों को केन्द्र को विश्वास दिलाना होगा कि नए खुलने वाले सभी प्राथमिक स्कूलों में दो शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

–जहां तक संभव होगा दूसरे शिक्षक के रूप में महिलाओं को ही लिया जायेगा। प्रत्येक स्कूल में कम से कम एक महिला शिक्षक का होना अच्छा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर यह संभव न हो तो दूसरा शिक्षक भी पुरुष हो सकता है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने के लिए हमें शहरी एवं अन्य क्षेत्रों में भी यह कदम उठाना होगा।

–शिक्षकों की नियुक्ति के समय कुछ विशेष आवश्यकताओं का हमें ध्यान रखना होगा। दूर-दराज के क्षेत्रों में प्रशिक्षित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित विशाल नीति का उल्लंघन न हो। इसीलिए अनुसूचित जातियों/जन जातियों के प्रशिक्षित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जानी जरूरी है।

–नियुक्ति के समय यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिक्षक ने प्रशिक्षण हासिल किया है या नहीं। अगर उसे दो-तीन वर्ष हो गए हैं और इस बीच उसने शिक्षक का काम नहीं किया है तो उसे लगभग एक महीने का

पुनः प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक तैयारियां तुरन्त की जानी चाहिए। "शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम" के लिए एन० सी० ई० आर० टी ० द्वारा तैयार की गई सामग्री के साथ ही अन्य स्रोतों को भी जोड़ा जाना चाहिए।

क्रियाकलाप–3

इस प्रशिक्षण काल से प्राथमिक शिक्षा की नई विषयवस्तु और प्रक्रिया आपके सामने आएगी। नए नियुक्त किए गए शिक्षकों के लिए आयोजित नये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण क्षेत्रों व गतिविधियों की सूची बनाइए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

(3) कम से कम आवश्यक शिक्षण सामग्री

प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक कम से कम शिक्षण सामग्री की सूची इस मॉड्यूल के अन्त में दी गई है। यह समूचे देश के स्कूलों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा पर्याप्त कारण दिए जाने पर कुछ छूट दी जा सकती है बशर्ते उससे लागत में वृद्धि न हो। इस सामग्री को खरीदने के लिए केन्द्र द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक शत-प्रतिशत पैसा दिया जायेगा। उसके बाद इसके लिए राज्यों को स्वयं पैसा लगाना होगा।

इस तत्व के क्रियान्वयन के संदर्भ में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित रूपरेखा बनाई गई है :

(क) "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" के अन्तर्गत जो भी सामग्री खरीदी जाए वह बढ़िया किस्म की होनी चाहिए। प्रत्येक चीज कैसी होनी चाहिए इसका निश्चय एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा किया जा चुका है। इसी बीच राज्य सरकारें भी अपने अनुसार 1987-88 के दौरान खरीदी जाने वाली सामग्री का विवरण तैयार करेंगी।

(ख) एम० एच० आर० डी०—एन० सी० ई० आर० टी० और भारतीय मानक केन्द्र के साथ मिलकर अच्छी किस्म की चीजों के कुल व्यय का आकलन किया है। यह आकलन व्यावहारिक रूप से भारत में हर भाग के लिए लागू होगा। केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता उपरोक्त "कुल व्यय आकलन" तक सीमित होगी। राज्यों को उसी के अनुसार शिक्षण सामग्री खरीदनी होगी।

(ग) उच्च प्राइमरी स्कूलों और माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पाठशालाओं में "कार्य अनुभव कार्यक्रम" के अन्तर्गत बच्चे भी "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" के लिए आवश्यक यथासंभव ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं बना सकते हैं। "पढ़ते समय कमाइए" इस योजना के अन्तर्गत पोलिटेकनिक संस्थाओं एवं आई० टी० आई० को "उत्पादन यूनिट" बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(घ) वस्तुओं की आपूर्ति का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों या स्थानीय संघों का होगा। इसके लिए पैसा आठवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू में विधिवत ढंग से दिया जाएगा।

(ङ) शिक्षकों को भी इसके लिए प्रशिक्षित करना होगा जिससे वे स्कूल में उचित वातावरण का निर्माण कर सकें और सरकार द्वारा दी गई सामग्री का अच्छी तरह प्रयोग कर सकें और स्वयं बच्चों के साथ मिलकर कुछ शिक्षण सामग्री तैयार कर सकें। सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षक शिक्षण कार्यक्रमों में इस मुद्दे को जोड़ा जाना चाहिए।

(च) सामग्री के उचित प्रयोग के लिए एस० सी० ई० आर० टी०/एस० आई० ई० द्वारा सरल-सरल पुस्तिकाएं प्रकाशित की जानी चाहिए।

क्रियाकलाप–4

इस योजना के अन्तर्गत आपके स्कूल को मिलने वाली आवश्यक सामग्री की सूची की आप जांच कर चुके हैं। एक सूची बनाएं कि आप इस सामग्री से स्वयं को और बच्चों को अधिक से अधिक फायदा किस तरह पहुंचा सकते हैं।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

निष्कर्ष

इस मॉड्यूल को पढ़ने के पश्चात् आप जान गए हैं कि "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना है। इसके अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों के लिए भवनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त द्रव्य राशि नहीं दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० एवं अन्य विशेष विकास योजनाओं (जैसे जनजातीय उप-योजना, पहाड़ी क्षेत्र व सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रमों) का एक भाग होगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, केन्द्रीय सरकार आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए और एक-शिक्षक-स्कूलों में दूसरे अध्यापक की नियुक्ति के लिए शत-प्रतिशत पैसा देगी। उसके बाद यह उत्तरदायित्व राज्यों का होगा। इस समय राज्यों के ये-ये उत्तरदायित्व हैं :

–प्रत्येक स्कूल को प्रतिवर्ष 500/- देना।

–स्कूल के भवन के लिए जमीन देना और उसके अहाते की दीवाल बनाना।

–यह आश्वासन कि भविष्य में सभी प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए और कम से कम उतनी शिक्षण सामग्री के लिए पैसा राज्य सरकारें स्वयं देंगी जिनका "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" में उल्लेख है।

–सामग्री की पुन: आपूर्ति के लिए पैसा राज्य सरकारों को देना होगा।

राज्य सरकारों को प्रारम्भिक स्कूलों में (जो कि "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" की योजना का आधार है) सभी बच्चों की भर्ती और उन्हें स्कूलों में बनाए रखने के लिए विस्तृत "माइक्रो-प्लेनिंग" भी बनानी होगी। उन्हें इसके लिए भी कदम उठाने होंगे कि सिर्फ योजना निर्माण एवं ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के क्रियान्वयन में ही नहीं अपितु प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को पूरा करने में भी शिक्षक एवं स्थानीय समुदाय महत्वपूर्ण योगदान दें। इसके लिए प्रशासनिक ढांचे को भी शक्तिशाली बनाना होगा।

ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की योजना

प्राइमरी स्कूलों के लिए आवश्यक सामग्री की सूची

		संख्या	धनराशि (रु० में)
1.	शिक्षकों के लिए सामग्री	संख्या	धनराशि (रु० में)
	(क) सिलेबस	1 सैट	05
	(ख) पाठ्य पुस्तकें	एक प्राइमरी सैट	15
	(ग) शिक्षक निर्देश-पुस्तिका	,,	15
2.	कक्षा में शिक्षण सामग्री	संख्या	धनराशि (रु० में)
	(क) नक्शे–जिला, राज्य, देश, विश्व	प्रत्येक एक	175
	(ख) प्लास्टिक ग्लोब	1	100
	(ग) शैक्षणिक चार्ट (स्वास्थ्य, समाजशास्त्र, भाषा)	एक सैट	90

खेल सामग्री और खिलौने		
(क) विजडम ब्लॉक्स (तरह-तरह के)	3 सैट	120
(ख) पक्षियों और जानवरों से संबंधित पहेलियां (जिगसां पज़ल)	3 सैट	60
(ग) खिलौने (गुड़िएं, आदमी, जानवर, वैज्ञानिक खिलौने)	2 सैट	300
खेल सामग्री		
(क) कूदने की रस्सी	10	60
(ख) गेंदें–फुटबाल	02	70
बालीबॉल	02	70
रबड़ बाल	10	50
(ग) एअर पम्प	01	35
(घ) छल्ला	05	50
(ङ) टावर सहित झूलने की रस्सी	01	35
(च) प्राइमरी साइन्स किट (एन० सी० ई० आर० टी० का)	01	400
(छ) छोटा औजार बैग (एन० सी० ई० आर० टी० का)	01	300
(ज) मैथेमैटिक किट	01	300
(झ) पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	02	100
क—संदर्भ पुस्तकें (कोश, ज्ञानकोश)	01	100
ख—बच्चों की पुस्तकें (कम से कम 200) (एन० बी० टी०, चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट, नेहरू बाल पुस्तकालय एवं अन्य)		1600
ग—शिक्षकों और बच्चों के लिए पत्रिकाएं, जर्नल और समाचार पत्र (एक समाचार पत्र एवं पत्रिका और एक व्यावसायिक जर्नल)		450
(ञ) स्कूल की घण्टी	01	50
(ट) वाद्य यन्त्र		
ढोलक या तबला	01	100
हार्मोनियम	01	500
मजीरे	02	50
(ठ) संभाव्य व्यय के लिए पैसा (छात्रों व शिक्षकों के लिए चटाइयां और फर्नीचर, एक शिक्षक के लिए एक मेज और एक कुर्सी और कुछ बड़े डिब्बे)		रेकरिंग
–शिक्षक के लिए	02 सैट	700

–चटाइयां	–	375
–डिब्बे	02	300
(ड) ब्लैकबोर्ड (पिन अप बोर्ड कैनवास)*	02 02*	400 50*
(ढ) चॉक और डस्टर		30
(ण) पानी के लिए ग्लास, घड़े और पानी निकालने का डब्बू		100
(त) कचरे के लिए डिब्बे	10	50
	कुल योग	7,215/-

मॉड्यूल–17 सी

अल्पव्ययी शिक्षण साधन

एक दृष्टिपात

भारत में 6,00,000 प्राथमिक स्कूलों में से लगभग पचहत्तर प्रतिशत गांवों में हैं। इन स्कूलों के पास साध जुटाने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता। अतः शिक्षा को सुसंगठित और प्रभावी बनाने के लिए शायद यह आवश्यक है अल्पव्ययी साधनों की सहायता ली जाए। ये साधन स्कूल के निकट वातावरण में उपलब्ध सामान्य सामग्री त स्थानीय टैक्नोलॉजी से बनाए जा सकते हैं। आवश्यकता होने पर इसके लिए हम गांव के कलाकारों की सहायता भी सकते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि शिक्षकों को अल्पव्ययी शिक्षण साधनों को बनाने की, उनके प्रयोग की तथा उ मूल्यांकन की विधि आती हो जिससे उनकी कक्षा अधिक प्रासंगिक एवं प्रभावी बन सके। इस मॉड्यूल में शिक्षा को समस्याओं का उल्लेख है जो गांव में स्कूलों के शिक्षकों एवं बच्चों के सामने आती हैं। उनकी शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करने के तरीकों और साधनों पर भी यहां प्रकाश डाला गया है।

छात्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक ही इसका निश्चय कर सकता है कि कक्षा में सहायक उपकर की जरूरत है या नहीं। आवश्यकता के मुताबिक ही शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई जा सकती है। यो बनाते समय भी हमें अपने क्षेत्र में उपकरण के लिए आवश्यक चीजों की प्राप्यता और परिस्थिति की प्रासंगिकता पर ध्य देना होगा। छात्र को स्कूल में तभी रुचि होती है जबकि वह शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेता है। शिक्षण ग विधियों में शिक्षण साधन के प्रयोग के लिए अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जैसे: (शिक्षण-साधन द्वारा सरलता से सम सकने के लिए) कठिन विचार को ढूंढ़ निकालना, आस-पास उपलब्ध वस्तुओं की सूची बनाना, उन्हें इकट्ठा कर शिक्षण-उपकरण तैयार करना, बच्चों, शिक्षक एवं समुदाय के सहयोग से उसका परीक्षण व प्रयोग करना जिससे स समय पर वैसे उपकरण बनाए जा सकें।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप:

- कठिन विचारों को सरलता से समझने हेतु साधन तैयार करने के लिए आस-पास की उपलब्ध सामग्री का प कर सकेंगे।
- स्थानीय स्रोतों व संसाधनों की सूची बना सकेंगे, जैसे: स्थानीय कारीगर/शिल्पी, बढ़ई, लुहार आदि तथा स्था सामग्री, जैसे: बांस, दियासलाई, शंख, फलों के बीज, साइकिल की पुरानी तीलियां, बल्ब, ट्यूब आदि।
- शिक्षा में अल्पव्ययी साधनों का मूल्य समझ सकेंगे।
- अल्पव्ययी साधनों के निर्माण के लिए स्थानीय कारीगरों तथा प्रतिभाशाली लोगों की सहायता प्राप्त करने तरीके ढूंढ़ सकेंगे।
- कम से कम पांच साधन तैयार कर सकेंगे और उन्हें तैयार करने को प्रक्रिया एवं उसके प्रयोग के बारे में लिख स

अल्पव्ययी साधन क्या हैं ? एक चर्चा

अल्पव्ययी साधनों से हमारा तात्पर्य उन उपकरणों से है जो साधारण सामग्री से बनाए जाते हैं जिनकी

बहुत कम होती है और जिनके निर्माण में बच्चे और कारीगर दोनों भाग लेते हैं। भारत की कला और शिल्प के क्षेत्र में समृद्ध परम्परा भौतिक वातावरण में पनपी है, जैसे पेड़-पौधे, नदी-तालाब और समुद्र।

खाली दियासलाई, बुझे हुए बिजली के बल्ब, टीन के डिब्बे, बीज, शंख आदि ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने यहाँ आसानी से मिल सकती हैं और इन पर आपको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। अल्पव्ययी साधनों में चार्ट, मॉडल और अन्य सस्ते साधन भी शामिल हैं। इन्हें आप सरलता से थोड़े से या बिना पैसे खर्च किए बना सकते हैं। इससे शिक्षा को प्रभावपूर्ण, बोधगम्य व रोचक बनाया जा सकता है।

विभिन्न शिक्षण गतिविधियां

कुछ समय से आप विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। इस दौरान कुछ ऐसे विचार या उप-विचार आपके सामने आए होंगे जिन्हें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थियों को बिना मॉडलों, चार्टों, प्रयोगों या सहायक उपकरणों के समझाने में आपको कठिनाई हुई होगी। आप ऐसे विचारों या उप-विचारों की सूची बना सकते हैं जिन्हें समझने में बच्चों को कठिनाई होती है। आप उन साधनों या गतिविधियों का भी उल्लेख कर सकते हैं जिन्हें आप अपने स्कूलों में करवा रहे हों। आपके स्कूल में भी कुछ मॉडल होंगे। क्या आप इन्हें खरीद कर लाए हैं या आपने इन्हें स्कूल में खुद बनाया है? ऐसे मॉडलों और चार्टों का उल्लेख कीजिए। क्या आप ऐसे साधनों का प्रयोग कर रहे हैं? क्या आप उन कठिन विचारों को स्पष्ट करने के लिए प्रयोगों का सहारा लेते हैं या पुस्तकों द्वारा ही उन्हें समझाने को कोशिश करते हैं?

अल्पव्ययी साधनों के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका मुख्य है। सहायक साधन बनाने में वह कारीगरों और बच्चों को लगा सकता है। सामग्री जुटाने के लिए उसे पहल करनी होगी। आवश्यक साधनों के बारे में विचार देना होगा। उसके निर्माण की योजना बनानी होगी। वैज्ञानिक विधि से परीक्षण या गतिविधि का आयोजन करना होगा।

उपकरण बनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि जो विचार पुस्तकों द्वारा स्पष्ट नहीं किए जा सके हैं उन्हें कैसे समझाया जाए। बिना उपकरणों के बच्चों को विचारों या उप-विचारों के समझने में कठिनाई हो सकती है। बाजार से बने बनाए उपकरण खरीदने में पैसे की कमी हो सकती है। यह भी संभव है कि उस वातावरण में वे साधन न हों। यह भी हो सकता है कि बने बनाए उपकरणों का प्रयोग आप विश्वासपूर्ण ढंग से न कर सकें क्योंकि आपने उन्हें स्वयं नहीं बनाया है। उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनकी वजह से आपको विचारों के स्पष्टीकरण के लिए साधनों का प्रयोग करने में रुकावट आती है। आप अपने संसाधनों की उपकरण, सामग्री, सहायता, समय और पैसे की दृष्टि से जांच कीजिए।

अल्पव्ययी शैक्षिक साधनों के निर्माण पर विचार

विषय के आधार पर आप अपने "विचारों" का वर्गीकरण कीजिए। कुछ कारण एक जैसे हैं। उन्हें आप आसानी से ढूंढ़ सकते हैं। उनमें से मुख्य हैं:

विषय का स्वरूप और अपर्याप्त प्रशिक्षण

अक्सर आप यह महसूस करते होंगे कि वर्तमान पाठ्यक्रम इतना भारी है कि आपको उसे पूरा करने में भी मुश्किल होती है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर शिक्षण सामग्री की सहायता से आप उसी समय में अधिक पढ़ा सकते हैं। आपने विज्ञान की एक विषय के रूप में भले ही न पढ़ा हो, किन्तु प्राथमिक स्तर पर आपको सभी कक्षाओं को यह पढ़ाना पड़ता है। यदि आप विज्ञान और सरल गणित समझते हैं तो विज्ञान और गणित के कठिन विचारों को आसानी से पहचान सकते हैं।

अपर्याप्त धन और सामान्य परिस्थितियां

प्राथमिक स्कूलों को बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। उसी से आपको खड़िया, झाड़न, झाड़ू आदि खरीदना पड़ता है।

उसके बाद सहायक-उपकरण खरीदने के लिए आप के पास पैसे नहीं बचते। स्कूलों में प्राय: एक ही कमरा होता हैं। कभी-कभी उसी में आपको एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता है। स्कूल में प्राय: शिक्षण सामग्री भी नहीं होती। स्कूल में गोदाम भी नहीं होता। ऐसी स्थिति में उपलब्ध सामग्री को ठीक से रखना भी कठिन होता है। प्रशासन ऐसे साधनों के प्रयोग के लिए खास प्रोत्साहन भी नहीं देता।

सहायक सामग्री के लिए सुविधाएं

कई बार स्कूल में ब्लैकबोर्ड-पेन्ट या झाड़न आदि के अभाव में आपको ब्लैकबोर्ड जैसे मूल साधन का प्रयोग करते भी हिचकिचाहट होती है। हो सकता है कि आप अपने हाथों से कभी कुछ करना या बनाना चाहें। क्या आपको उन कारीगरों या शिल्पकारों के साथ काम करने में हिचक होती है जो आपके स्कूल के लिए कोई सहायक सामग्री बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि बच्चे प्रश्न न करें? क्योंकि आप डरते हैं कि कभी-कभी आपको उनका उत्तर देने में कठिनाई होती है।

शिक्षा में सहायक उपकरणों का स्थान

वर्तमान शिक्षा पद्धति में सहायक उपकरणों को प्राथमिकता नहीं दी जाती। यद्यपि इन साधनों द्वारा वास्तविक सहभागिता से बच्चों को पढ़ने में रुचि आती है। क्या आप ऐसे तरीके व साधन ढूंढ़ सकते हैं जिनसे शिक्षण सामग्री के निर्माण और प्रयोग के लिए प्रेरणा मिल सके? इसके लिए समुदाय का सहयोग आवश्यक होगा और विज्ञान व गणित में प्रयोगों/गतिविधियों के लिए आपको समय निकालना होगा।

अल्पव्ययी साधनों के कुछ सरल उदाहरण

"गरम होने पर धातुओं के विस्तार" के विचार को आप साईकिल की तीली, आरे के ब्लेड, दंत मंजन के ढक्कन, मोमबत्ती तथा दियासलाई की सहायता से आसानी से समझा सकते हैं। इसी प्रकार झाड़ू की सींखों की सहायता से आप गुणन के विचार को स्पष्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सींखें नीचे दिए गए ढंग से रखनी होंगी। झाड़ू की सींखें आड़ी और खड़ी रखने से खाने बन जाएंगे जिन्हें आप आसानी से गिन सकते हैं।

उत्तर होगा : $3 \times 4 = 12$ अर्थात 12 खाने।

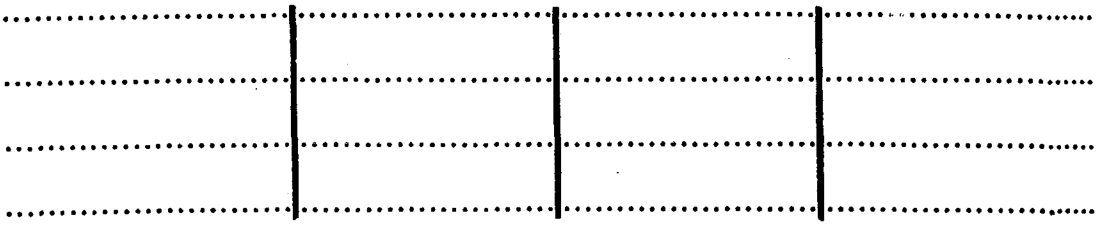

झाड़ू की सींख से रेखागणित के विचार को भी स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे अधिककोण, न्यूनकोण तथा समकोण।

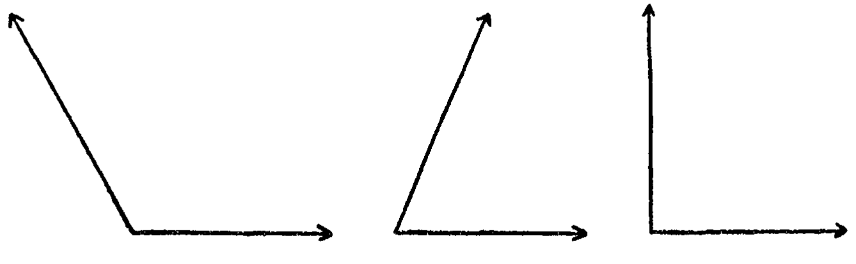

न्यूटन की डिस्क के स्पष्टीकरण के लिए आपको सिर्फ सफेद गत्ता, पानी के रंग, ब्रुश और धागा चाहिए। "स्थान मूल्य", "जोड़" और "गुणन" के विचार को "गणक" की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। गुणक साईकिल की तीलियों, लकड़ी के तख्ते, गत्ते, रंगीन कागज के टुकड़ों, कुछ तिनकों आदि जैसे साधारण सामान से बनाया जा सकता है। रेखागणित की आकृतियां बच्चों को दियासलाई की तीलियों, साईकिल के वाल्व ट्यूब आदि की सहायता से समझाई जा सकती हैं। गरम करने पर गैस के विस्तार के विचार को सीधे सादे प्रदर्शन से स्पष्ट किया जा सकता है। एक बिजली का फ्यूज बल्ब लीजिए। उसके अन्दर की चीजों को निकाल दीजिए। बल्ब के मुंह पर गुब्बारा लगा दीजिए। ज्यों ही आप बल्ब को गरम करेंगे गुब्बारा उड़ जायेगा।

पेड़ों, घरों, खम्बों आदि की ऊंचाई नापने के लिए आपको सिर्फ एक कोणमापक (जो एक गत्ते से भी बनाया जा सकता है), एक लकड़ी की डंडी (25 सेमी × 2 सेमी × 2 सेमी), डोरा (25 सेमी), एक छोटी कील और एक छोटा बाट चाहिए। कोणमापक लकड़ी की डंडी से चिपका दीजिए। कोणमापक का चपटा हिस्सा डंडी के एक छोर पर रख दीजिए। कोणमापक में वहां एक छेद कर दीजिए जहां 0° और 90° रेखाएं मिलती हैं। छेद में कील ठोक दीजिए जिससे कि वह लकड़ी में चली जाए। धागे में एक छोटा सा बट्टा लटका दीजिए और उस धागे को कील से बांध दीजिए। खम्बे की लंबाई का अनुमान लगाइए। मान लीजिए उसकी लम्बाई x मीटर है। लकड़ी के डंडे की लम्बाई के साथ-साथ खम्बे के ऊपरी सिरे को देखिए। थोड़ा आगे-पीछे हटिए जिससे कि नीचे वाले धागे से कोणमापक पर 45° का कोण बन जाए। खम्बे से अपनी दूरी नापिए। अब आपको खम्बे की ऊँचाई मालूम पड़ जायगी।

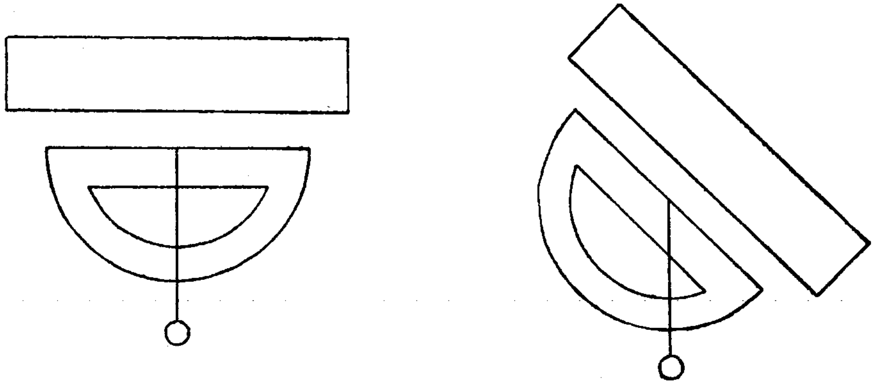

विज्ञान पढ़ाने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास आसानी से बनाया जा सकता है। एक फ्यूज बल्ब में पानी भरिए। पानी के विद्युत अपघटन (इलेक्ट्रोलिसिस) को दिखाने के लिए वोल्टामीटर, कोकोनट-शैल और बैटरी के प्रयुक्त सेल की कार्बन राड से बनाया जा सकता हैं। इसी प्रकार आप और भी कई चीजें आसानी से मुफ्त में बना सकते हैं और इनके द्वारा अपनी कक्षा में कठिन विचारों को आसानी से समझा सकते हैं।

क्रियाकलाप

बच्चों को एक ऐसे अल्पव्ययी साधन का सुझाव दीजिए जिसे आप अपने इलाके में उपलब्ध चीजों से बना सकते हों। आवश्यक सामग्री की सूची तैयार कीजिए। उसकी लागत का अनुमान लगाइए। उसे बनाने की प्रक्रिया समझाइए और उन्हें बताइए कि उसका किस संदर्भ में प्रयोग होगा।

अल्पव्ययी साधनों पर किया गया कार्य

एन० सी० ई० आर० टी० के केन्द्रीय शैक्षिक टैक्नोलॉजी संस्थान ने भारत के विभिन्न राज्यों में चुने हुए ग्रामीण

प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए अल्पव्ययी साधन से संबंधित कई कार्यक्रमों का राज्य शिक्षा विभागों तथा ग्रामीण स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिल कर आयोजन किया है। उन्होंने निम्नलिखित काम किए हैं :

–यूनेस्को द्वारा भारत में अल्पव्ययी/उपयोगी शैक्षिक सामग्री और उपकरण पर किए गए अध्ययन का संकलन किया है।

–अल्पव्ययी साधनों पर लेख छापे हैं और 20 चार्टों की श्रृंखला निकाली है।

–अल्पव्ययी साधनों की शैक्षिक टैक्नोलॉजी पर एक टेप एवं स्लाइड कार्यक्रम तैयार किया है।

–विज्ञान एवं गणित के 25 विचारों से संबंधित अल्पव्ययी उपकरणों की एक सचित्र पुस्तिका छापी है। इस पुस्तिका का शिक्षकों के साथ औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थितियों में परीक्षण किया गया है।

–हाल ही में अल्पव्ययी साधनों पर 12 वीडियो प्रोग्राम तैयार किए गए हैं।

–अल्पव्ययी साधनों पर कीथ वारेन की पुस्तक "प्रीपरेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग" का सी० आई० ई० टी० द्वारा हिन्दी में अनुवाद करवाया गया जिसे युनिसेफ ने प्रकाशित किया है।

ये लेख, पुस्तिका एवं पुस्तकें सी० आई० ई० टी०, एन० सी० ई० आर० टी० (आई० पी० विंग), 10-बी, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध है।

आप अपने अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए सी० आई० ई० टी० से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इस क्षेत्र में जो स्वयंसेवी संगठन/संस्थाएं महत्वपूर्ण काम कर रही हैं उनमें से कुछ के नाम और पते इस प्रकार हैं :

–किशोर भारती, पालिया पिपरिया ग्राम, बनखेडी, जिला होशंगाबाद (म० प्र०)।

–विक्रम ए० साराभाई कम्यूनिटी साइन्स सेन्टर, नवरंगपुर, अहमदाबाद (गुजरात)।

–सोशल वर्क एण्ड रिसर्च सेन्टर, टिलोनिया, अजमेर।

–मित्र निकेतन, वेल्लानाद, जिला त्रिवेन्द्रम।

–स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, उदयपुर (राजस्थान)।

वाद-विवाद के लिए कुछ प्रश्न

(1) आप अपने वातावरण में उपलब्ध ऐसी दस वस्तुओं की सूची बनाइए जिनसे शिक्षण सामग्री तैयार की जा सकती है।

(2) क्या आप कारीगरों को दस साधन बनाने के लिए सुझाव दे सकते हैं ? यदि हां तो कैसे ?

(3) क्या शिक्षण उपकरणों से वास्तविक सहभागिता द्वारा बच्चों को पढ़ाई में प्रोत्साहन मिलता है ?

(4) साधनों के निर्माण की कीमत को ध्यान में रखते हुए क्या आप सोचते है कि भारतीय स्कूली व्यवस्था में ये बड़े पैमाने पर बनाए जा सकते हैं ?

(5) अध्ययन को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए अल्पव्ययी साधनों के निर्माण के लिए चार प्रमुख आवश्यकताएं कौन सी हैं ?

(6) क्या आप बता सकते हैं कि शिक्षक द्वारा अल्पव्ययी साधनों के प्रयोग में किन कारणों से बाधा आती है ?

मॉड्यूल–18 सी

जन-माध्यम का प्रयोग

एक दृष्टिपात

इस मॉड्यूल का उद्देश्य आपको कुछ बातें समझने में सहायता करना है, जैसे जन-माध्यम का अर्थ क्या है ? शिक्षा में जन-माध्यम की क्या भूमिका है? शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए स्कूल और उसके बाहर जन-माध्यम का किस प्रकार सफल प्रयोग किया जा सकता है ?

पुराने जमाने में शिक्षक ही एक ऐसा माध्यम था जिससे बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता था। वह मौखिक रूप से अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता था। बाद में छपाई की तकनीक का विकास हुआ। पुस्तकें छपने लगीं। पुस्तकों से शिक्षकों को पढ़ाने तथा विद्यार्थियों को ज्ञान-प्राप्त करने में बहुत-लाभ हुआ है। दिन प्रतिदिन अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनसे उन्हें निश्चय ही विभिन्न बातों और घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इधर कुछ दिनों से हमारे देश में शिक्षा के लिए रेडियो और टेलीविजन जैसे जन-माध्यम का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। जन-माध्यम का शिक्षा के स्तर को सुधारने तथा शिक्षा के प्रसार के लिए और अधिक उपयोग किया जा सकता हैं।

हमारा विशाल देश है। इसकी जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ती जा रही है। बच्चे काफी बड़ी संख्या में स्कूलों में जाते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते या शुरू में ही स्कूल छोड़ देते हैं। यदि हम शिक्षा के परम्परागत तरीकों पर ही निर्भर रहेंगे तो हम प्रत्येक बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाएंगे।

आपको मालूम है कि मनुष्य के ज्ञान की सीमाएं बढ़ रही हैं। उसमें बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अतः अनेक विषयों के पाठ्यक्रमों में समय-समय पर परिवर्तन किए जाते हैं और उसे नया रूप दिया जाता है। परन्तु इस पाठ्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षकों के ज्ञान में परिवर्तन होना भी आवश्यक हैं। हो सकता है वे अपने आप नया ज्ञान प्राप्त न कर सकें। अध्यापन के नए तरीकों और नई विषय-सामग्री के बारे में शिक्षकों को बताने तथा जानकारी देने के लिए जन-माध्यम से बहुत सहायता मिल सकती है।

इससे पहले कि शिक्षक जन-माध्यमों का अपनी और अपने बच्चों की भलाई के लिए सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकें, यह आवश्यक है कि वे इसमें विशेष ज्ञान और योग्यता प्राप्त करें। इस मॉड्यूल में हम कक्षाओं में रेडियो और टेलीविजन के सही प्रयोग की तकनीकों की भी चर्चा करेंगे। इस मॉड्यूल के उद्देश्य हैं :

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप :

–अनेक शैक्षिक माध्यमों का अर्थपूर्ण वर्गीकरण कर सकेंगे।

–अध्यापन में जन-माध्यम के प्रयोग के लाभ को समझ सकेंगे।

–अध्यापन में रेडियो और टेलीविजन का प्रयोग कर सकेंगे।

–"फीड बैक रिपोर्ट" तैयार करके संबंधित एजेंसी को भेज सकेंगे।

गतिविधियां

आपने अपने प्रशिक्षण एवं अध्यापन काल में विभिन्न शैक्षिक माध्यमों का प्रयोग किया होगा और उनके बारे जानकारी भी प्राप्त की होगी। क्या आप उन शैक्षिक माध्यमों को याद कर उनकी सूची बना सकते हैं ?

क्रियाकलाप–1

एक अलग कागज पर विभिन्न शैक्षिक माध्यमों की सूची बनाइए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

इस तरह बनाई सूची को पढ़िए। आप देखेंगे कि इन माध्यमों को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है जैसे—मुद्रित एवं अमुद्रित माध्यम, मुक्त, सस्ता और महंगा माध्यम, प्रक्षेप्य एवं अप्रक्षेप्य माध्यम इत्यादि।

क्रियाकलाप–2

विभिन्न शैक्षिक माध्यमों का वर्गीकरण कीजिए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

इन माध्यमों का एक व्यापक वर्गीकरण निम्नांकित तरीके से किया जा सकता है :

मुद्रित माध्यम **टिप्पणी**

1—किताबें
2—कार्य पुस्तिका आदि

माध्यम जिनमें मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है

1—खिलौने
2—खेल
3—चार्ट
4—नक्शे
5—रेखाचित्र
6—कट-आउट्स
7—चित्र
8—फ्लैश कार्ड
9—फलानेल कार्ड
10—मॉडल
11—नमूने

ये खरीदे जा सकते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी आस-पास मिलने वाली कम कीमत या मुफ्त की वस्तुओं से भी उन्हें बना सकते हैं।

माध्यम जिनके लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है

1—स्लाइड
2—फिल्म
3—पारदर्शी चित्र
4—टेप अथवा कैसेट (श्रव्य)
5—टेप अथबा कैसेट (दृश्य)

जन-माध्यम

1—फिल्म (16 एम० एम०, 35 एम० एम०)
2—रेडियो
3—टेलीविजन

इस मॉड्यूल में हम अधिकतर रेडियो व टेलीविजन और श्रव्य-दृश्य कैसेटों की चर्चा करेंगे।

आपको कक्षा में रेडियो व टेलीविजन तथा श्रव्य-दृश्य कैसेटों के प्रयोग करने का कुछ अनुभव तो होगा ही। आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग पचास वर्षों से रेडियो का उपयोग शैक्षिक लाभ के लिए किया जा रहा है। 44 के लगभग आकाशवाणी केन्द्र स्कूल के बच्चों के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। कुछ अन्य आकाशवाणी केन्द्र (लगभग चौंतीस) उन प्रोग्रामों को रिले करके अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं।

आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा स्कूलों के लिए बनाए गए कार्यक्रम निम्नलिखित श्रोता वर्गों के लिए होते हैं :—

1—शिक्षक
2—उच्च माध्यमिक कक्षाओं के बच्चे
3—माध्यमिक कक्षाओं के बच्चे
4—प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे
5—छोटे बच्चों के लिए सामान्य लाभ के कार्यक्रम
6—माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक छात्रों को परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए पाठ।

कोई भी आकाशवाणी केन्द्र इन सबको या इनमें से कुछ कार्यक्रमों को तैयार कर प्रसारित कर सकता है। ये पाठ्यक्रम प्रायः सुबह प्रसारित किए जाते हैं, दूसरी पारी के विद्यार्थियों के लिए अपराह्न में वे फिर प्रसारित किए जाते हैं।

इस प्रोग्रामों की विषय सामग्री तथा शीर्षकों का चुनाव विभिन्न श्रोताओं के लिए संबंधित आकाशवाणी केन्द्रों से प्रतिवर्ष होता है। इस काम के लिए इन केन्द्रों ने अपनी-अपनी सलाहकार समितियां बना रखी हैं। उन समितियों में राज्य के शिक्षा विभागों तथा अन्य शैक्षिक एजेन्सियों के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में काम करते हैं।

अधिकतर आकाशवाणी केन्द्र ही शैक्षिक प्रोग्राम तैयार करते हैं। कुछ शैक्षिक संस्थाएं भी जैसे एन० सी० ई० आर० टी० नई दिल्ली, सी० आई० ई० एफ० एल० हैदराबाद, सी० आई० आई० एल० मैसूर शैक्षिक प्रोग्राम तैयार करती हैं। आकाशवाणी केन्द्र उन्हें भी प्रसारित करते हैं।

अधिकांश आकाशवाणी केन्द्र या राज्यों के शिक्षा विभाग स्कूल प्रोग्रामों के प्रसारण की सूची प्रकाशित करते हैं और उस सूची को सूचनार्थ उन स्कूलों को भेज देते हैं जिनका नाम उनके यहां रजिस्टर पर चढ़ा है।

क्रियाकलाप–3

अपने राज्य के उस आकाशवाणी केन्द्र (केन्द्रों) का पता लगाइए जो स्कूलों के लिए कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। उस केन्द्र द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के स्वरूप, प्रकार तथा प्रसारण के समय का पता लगाइए। उस एजेंसी का भी पता लगाइए जो स्कूलों के लिए सूची छाप कर वितरित करती है। उनसे संपर्क स्थापित कीजिए तथा उनसे निवेदन कीजिए कि वे आपका नाम अपनी डाक सूची में शामिल कर लें।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

प्रत्येक राज्य के बहुत से ऐसे स्कूलों के नाम लिखिए जिनके पास कार्यक्रमों को सुनने के लिए रेडियो है। कुछ स्कूलों को शिक्षा विभाग से रेडियो मिलते हैं। अन्य स्कूल अपने पैसों से रेडियो खरीद लेते हैं। यह भी संभव है कि किसी स्कूल को किसी स्वैच्छिक या समाज सेवी संस्था से रेडियो मिल जाये। राजकीय शैक्षिक तकनीकी एकक/राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान स्कूलों को सलाह देते हैं कि उनके लिए किस प्रकार के रेडियो अच्छे रहेंगे।

क्रियाकलाप–4

यदि आपके पास पहले से रेडियो सैट नहीं है, तो अपने स्कूल के लिए एक रेडियो प्राप्त करने की संभावना का पता लगाइए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

रेडियो की तरह टेलीविजन भी पिछले पच्चीस वर्षों से हमारे देश में शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए काम में लाया जा रहा है। पहली बार 1961 में दिल्ली के स्कूलों में टेलीविजन का प्रयोग किया गया था। बाद में इस योजना का बंबई, मद्रास और श्रीनगर के दूरदर्शन केन्द्रों ने अनुकरण किया। ये केन्द्र प्रायः मध्य स्तर और उसके ऊपर के बच्चों के लिए ही प्रसारण करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ प्राथमिक स्कूलों के लिए भी काम करते हैं।

सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के अधिकतम बच्चों तक इन कार्यक्रमों को पहुंचाने के लिए पहली बार 1975-76 में टेलीविजन का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। उसके लिए सैटलाइट प्रशिक्षण, टेलीविजन परीक्षण (एस० आई० टी० ई०) के समय एक अमरीकी सैटलाइट–ए० टी० एस०-6 की सहायता ली गई थी। यह परीक्षण एक वर्ष तक चलता रहा। इससे छः राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के बीस जिलों के 2330 गांवों के बच्चों को लाभ हुआ। स्कूलों में उन बच्चों द्वारा प्रतिदिन बीस मिनट का कार्यक्रम टेलीविजन पर देखा गया। 1975 में दशहरे की छुट्टियों में बारह दिन तक सैटलाइट का प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को विज्ञान में प्रशिक्षित करने के लिए प्रयोग किया गया। उसमें चौबीस हजार से भी अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। 1975 की गर्मी की छुट्टियों में वही प्रशिक्षण अन्य शिक्षकों को भी दिया गया।

उक्त परीक्षण के बाद जयपुर, रायपुर और मुजफ्फरपुर में स्थित ग्राउण्ड ट्रांसमीटरों की सहायता से कुछेक स्कूलों के लिए ये कार्यक्रम प्रसारित किए जाते रहे।

अप्रैल 1982 में भारतीय राष्ट्रीय सैटलाइट (इन्सैट) की स्थापना की गई। उसकी सहायता से प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए टेलीविजन का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। शैक्षिक टेलीविजन सेवा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से आरम्भ की गई थी। बाद में उसका महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार में विस्तार किया

गया। इन राज्यों के कुछ चुने हुए जिलों के स्कूलों के लिए भारत सरकार ने छः हजार से अधिक टेलीविजन उपलब्ध कराए हैं।

अक्तूबर 1964 के मध्य से शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम अधिक शक्तिशाली तथा कम शक्तिशाली प्रेषित्रों की सहायता से उक्त छः राज्यों तथा हिन्दी भाषी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी प्रसारित किए जा रहे हैं। इन प्रसारण क्षेत्रों में आने वाले अन्य स्कूलों के लिए राज्य सरकारें अतिरिक्त सामुदायिक टेलीविजन का प्रबंध कर रही हैं। आपको मालूम होगा कि अब देश में 186 टेलीविजन प्रेषित्र हैं, उनसे सत्तर प्रतिशत जनता इन प्रसारणों को देख सकती है।

क्रियाकलाप–5

पता कीजिए कि क्या आपका स्कूल शैक्षिक टेलीविजन प्रोग्राम के प्रसारण क्षेत्र में आता है। उन प्रसारणों का समय क्या है? इस विषय में स्थानीय दूरदर्शन केन्द्र और राजकीय शैक्षिक टैक्नोलॉजी संस्थान, राजकीय शैक्षिक टैक्नोलॉजी सैल आपकी सहायता कर सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए सप्ताह में पांच दिन प्रातः पैंतालीस मिनट का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। उसमें बीस-बीस मिनट के दो कार्यक्रम हैं—एक पांच से आठ वर्ष के बच्चों के लिए और दूसरा नौ से ग्यारह वर्ष के बच्चों के लिए। सप्ताह में एक दिन शनिवार को शिक्षकों के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है।

आप सोच रहे होंगे कि स्कूलों में ब्लैकबोर्ड, किताबें, चार्ट आदि तो पूरी तरह उपलब्ध हैं नहीं तो फिर शिक्षा के लिए जन-माध्यम पर इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है।

क्रियाकलाप–6

शिक्षा में रेडियो और टेलीविजन के प्रयोग के संभावित लाभों पर विचार कीजिए। उन लाभों की एक सूची बनाइए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

समस्त संसार में अनुभव से पता चलता है कि सही प्रयोग करने पर रेडियो और टेलीविजन से शिक्षा का बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा सकता है। बच्चे अपनी इन्द्रियों का जितना प्रयोग करेंगे उनका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा।

रेडियो कानों को अच्छा लगता है। अतः इससे बच्चों को भाषा और संगीत के विकास में विशेष सहायता मिल सकती है। ऐतिहासिक नाटकों द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं को भी आसानी से समझाया जा सकता है। टेलीविजन तो और भी अधिक सशक्त माध्यम हैं क्योंकि वह श्रव्य भी है और दृश्य भी। टेलीविजन के अनेक लाभ हैं। उससे विविध विषयों को दिखाया जा सकता है। विभिन्न विचारों को स्पष्ट किया जा सकता है। बच्चों की रुचियों और मूल्यों को उभारा जा सकता है। सही जानकारी एवं तथ्यों को रोचक ढंग से बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। रेडियो और टेलीविजन की सहायता से बाहरी दुनिया को कक्षा में लाया जा सकता है। बच्चों के अनुभव और उनकी बौद्धिक सीमाओं को विस्तृत किया जा सकता है। अन्य माध्यमों से इतना सब कुछ करना संभव नहीं है।

शिक्षा में रेडियो और टेलीविजन के प्रयोग के अनेक लाभ हैं। लेकिन दोनों माध्यमों की कुछ सीमाएं भी हैं। क्या आप उन सीमाओं की कल्पना कर सकते हैं?

क्रियाकलाप–7

शैक्षिक रेडियो एवं टेलीविजन की सीमाओं पर विचार कीजिए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

आपने ठीक ही सोचा है कि इन माध्यमों की निम्नलिखित महत्वपूर्ण सीमाएं हैं :

1—इनसे एक तरफा संचार होता है, दर्शक न तो प्रश्न पूछ सकते हैं और न तुरन्त स्पष्टीकरण ही प्राप्त कर सकते हैं ।

2—दर्शकों को प्रसारण की गति के साथ-साथ चलना होगा । वे न पीछे जा सकते हैं और न ही किसी विचार को दोहराने के लिए कह सकते हैं । पुस्तक पढ़ते समय हम पीछे के पन्ने भी पढ़ सकते हैं और आगे के भी । परन्तु रेडियो और टेलीविजन में यह संभव नहीं है ।

3—दोनों ही माध्यम जन-माध्यम हैं। उनके कार्यक्रम श्रोताओं की बड़ी संख्या को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। हो सकता है कि वे किसी विशेष समुदाय के बच्चों के अनुभव के अनुकूल न हों । हम जानते हैं कि जब कोई विचार/सूचना बच्चों के अपने अनुभव और उनके निकट के वातावरण से जुड़ी होती है तब वे उसे बड़ी अच्छी तरह और जल्दी समझ लेते हैं । लेकिन रेडियो और टेलीविजन के कार्यक्रमों द्वारा यह हमेशा संभव नहीं हो सकता । सौभाग्य से इन कमियों को काफी हद तक दूर करने के कई उपाय हैं। क्या आप ऐसे उपाय ढूंढ़ सकते हैं ?

क्रियाकलाप–8

शैक्षिक रेडियो और टेलीविजन की विभिन्न कमियों को दूर करने के तरीकों पर विचार कीजिए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

वास्तव में जन-माध्यमों में इन कमियों के कारण ही आपकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है । आप बच्चों की सहायता कर सकते हैं, उनका मार्ग दर्शन कर सकते हैं । सबसे पहले तो आप बच्चों को रेडियो और टेलीविजन से सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें रेडियो सुनने और टेलीविजन देखने के लिए बढ़ावा दे सकते हैं । बच्चे उन्हें तभी सुन और देख सकेंगे जब आप उन्हें चालू करेंगे । आपको चाहिए कि आप बच्चों की ऐसी आदत डालें कि वे नियमित रूप से इन माध्यमों का लाभ उठा सकें ।

दूसरी बात यह है कि आप कार्यक्रम सूची देखें और यदि संभव हो तो आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के विषय को पढ़ व समझ लें । प्रसारण समय से दस मिनट पहले आप बच्चों के साथ अमुक विषय पर चर्चा कर लें। इससे एक तो बच्चों को पिछला कार्यक्रम याद आ जाएगा और दूसरे आप उन्हें आगे के कार्यक्रम को सावधानी से समझने के लिए प्रेरित एवं तैयार कर सकेंगे ।

आप बच्चों के साथ बैठकर कार्यक्रम सुनें और देखें। उसके विभिन्न पक्षों के बारे में बच्चों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें।

प्रसारण के बाद आपको चाहिए कि आप बच्चों के साथ कार्यक्रम की चर्चा करें। उनके संदेह दूर करें। उस कार्यक्रम को कक्षा-कार्य, बच्चों के पुराने अनुभवों एवं वातावरण से जोड़ें । उन्हें कुछ ऐसी क्रियाएं सुझाएं जिनसे उन्हें आगामी कार्यक्रम को समझने में सहायता मिल सके ।

कार्यक्रम के प्रसारण के समय आपकी उपस्थिति से एक और लाभ होगा। बच्चे ठीक से बैठकर उसे सुन सकेंगे। प्रसारण के समय बच्चों को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, हालांकि कुछ शिक्षक उन्हें अकेला छोड़ देते हैं।

इसके अतिरिक्त शिक्षकों का कहना है कि बच्चों के लिए बने कार्यक्रमों को सुनने और देखने से उन्हें भी बहुत लाभ होता है। वे इन कार्यक्रमों से बहुत सी नई बातें सीखते हैं।

धीरे-धीरे आप देखेंगे कि बच्चे कार्यक्रम देखने-सुनने में माहिर हो गए हैं। वे अपने आप उनसे लाभ उठाना भी सीख जाते हैं। वे आगे भी इन माध्यमों का प्रयोग कर लाभान्वित हो सकते हैं।

आपको एक और भूमिका निभानी पड़ेगी। आप इन कार्यक्रमों के निर्माताओं को अपनी और अपने बच्चों की प्रतिक्रियाएं भेजें। इससे उन्हें उन कार्यक्रमों के स्तर को सुधारने में सहायता मिलेगी। वे उन्हें बच्चों के लिए अधिक उपयोगी, सार्थक एवं रोचक बना सकेंगे। इसके लिए आप प्रत्येक कार्यक्रम के लिए फीडबैक फार्म भर कर संबंधित एजेंसी को भेज दें।

इसी तरह एक और महत्वपूर्ण काम आपको करना होगा वह यह कि आपको समय-समय पर यह देखना होगा कि उपलब्ध उपकरण ठीक से काम कर रहा है या नहीं। जब भी उसमें कोई खराबी आए, उसे तुरन्त ठीक कराएं। कुछ राज्यों के पास उन्हें ठीक कराने के लिए विशेष प्रबंध है। महाराष्ट्र और गुजरात की ग्रामीण प्रसारण सेवाएं इसका उदाहरण हैं। कुछ राज्यों में गैर-सरकारी एजेन्सियों को इन उपकरणों की देखभाल का ठेका दे दिया गया है। आपके पास उनका पता होना चाहिए जिससे खराबी होने पर आप उन्हें सूचित कर सकें।

अंत में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बच्चों को रेडियो और टेलीविजन के सामने बिठाने का सही तरीका आना चाहिए। वह तरीका कक्षा में सामान्य रूप से बैठने के तरीके से भिन्न होगा। रेडियो सुनने के लिए बच्चों को रेडियो के आस-पास गोलाकार या अर्द्ध-गोलाकार पंक्तियों में बैठाया जा सकता है।

बच्चों के लिए टेलीविजन के सामने बैठने का आदर्श तरीका यह होगा कि वे 30 डिग्री के कोण के अंदर बैठें। यदि उनकी संख्या अधिक हो तो उन्हें 40 डिग्री के कोण के अंदर बिठाया जा सकता है। इस बात का भी ध्यान रखिए कि टेलीविजन और बच्चों की पहली पंक्ति में कम से कम छः-सात फीट का अंतर हो। यदि वे टेलीविजन के अधिक नजदीक बैठेंगे तो उनकी आंखें खराब हो सकती हैं। इसी तरह अंतिम पंक्ति में बैठे बच्चे टेलीविजन से पच्चीस फीट से अधिक दूरी पर न हों।

जिस स्थान पर टेलीविजन रखा जाए उसकी ऊंचाई बच्चों की आंखों की सीध से थोड़ी सी अधिक होनी चाहिए। यदि बच्चे फर्श पर बैठे हैं तो टेलीविजन दो-तीन फीट की ऊंचाई पर रखा जा सकता है।

सिनेमा हॉल की तरह यह ज़रूरी नहीं है कि टेलीविजन वाले कमरे में अंधेरा किया जाये। कमरे में कुछ रोशनी रखी जा सकती है। लेकिन वह रोशनी सीधी टेलीविजन के पर्दे पर नहीं पड़नी चाहिए। दरवाजे और खिड़कियों को बंद करने से कमरे में घुटन हो सकती है, विशेष रूप से गर्मी के दिनों में।

स्पष्ट है कि शिक्षक के रूप में शिक्षा में जन-माध्यम के सफल उपयोग के लिए आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हैं। आपकी पहल व प्रेरणा के बिना बच्चे उससे लाभ नहीं उठा सकेंगे।

प्रश्न

1—शिक्षा में जन-माध्यम के प्रयोग के क्या लाभ हैं ?

2—शैक्षिक काम के लिए आपको अपने शहर/गांव में किस प्रकार के माध्यम की सहायता मिल सकती है ?

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र० द्वारा निर्मित

मॉड्यूल–रा 1 सी

उपचारात्मक शिक्षा तथा सहायक उपागम

पृष्ठभूमि

उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों ?

1.0 सार्वभौमिक शिक्षा किसी भी जनतन्त्र का लक्ष्य होता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात लक्ष्य की पूर्ति और जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि के कारण विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। परन्तु सीमित साधनों के कारण विद्यालयों और शिक्षकों की संख्या, शैक्षिक उपकरणों और अन्य आवश्यक सुविधाओं में आनुपातिक वृद्धि उपलब्ध न करा पाने के कारण कक्षाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि कर शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। परिणामस्वरूप आज किसी भी शिक्षक के लिए छात्रों पर वैयक्तिक ध्यान देना असम्भव नहीं तो अत्यधिक कठिन अवश्य है। हमारे शैक्षिक प्रशिक्षण में भी गुणात्मक ह्रास हुआ है। यह भी कटु सत्य है कि हम शिक्षक भी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में अपने पूरे प्रयास नहीं कर रहे हैं। सामान्य छात्र को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य के सिद्धांत के कारण हम निम्न और उच्च स्तर के छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति में असफल हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में छात्रों की क्षमताओं का समुचित विकास और उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। फलतः शैक्षिक जगत में अपव्यय (वेस्टेज) के लक्षण स्पष्ट दृष्टि-गोचर हो रहे हैं।

1.1 साथ ही सामाजिक जटिलताओं में क्रमिक वृद्धि असमायोजन एवं संवेगात्मक समस्याओं को जन्म दे रही है। पारिवारिक स्थितियां, सामाजिक परिवेश तथा अन्य अनेक कारण भी छात्रों की समुचित प्रगति और क्षमताओं के अनुरूप शैक्षिक सम्प्राप्ति में बाधक हैं। परिणामस्वरूप ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसके कारण शिक्षा जितनी प्रभावी होनी चाहिए थी वह तो हो ही नहीं पाई है, वरन् पढ़ाई में पिछड़ेपन की समस्या उत्तरोत्तर चिन्तनीय होती जा रही है। समय रहते हमें कोई ऐसी रणनीति अपनानी होगी, जिसके क्रियान्वयन से पिछड़ेपन की समस्या तथा इस अपव्यय को दूर किया जा सके। छात्र अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करें राष्ट्र के निर्माण में योगदान कर सकें।

1.2 शिक्षा में बालक को केन्द्र बिन्दु न बना पाने तथा वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में न रख पाने के कारण धीमी गति से सीखने वाला छात्र (slow learner) तथा उच्च क्षमता वाले छात्र लाभान्वित नहीं हो पाते। धीमी गति से सीखने वाला बालक सामान्य गति से न सीख पाने के कारण कक्षा में पिछड़ता ही जाता है जबकि उच्च क्षमता वाला छात्र अधिगम प्रक्रिया को अपनी गति के अनुरूप न पाकर ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाता और इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सूत्रों को पकड़ नहीं पाता और सामान्य छात्र से पिछड़ जाता है।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पूरा करने के बाद आप समझ सकेंगे—

1. पिछड़ेपन की समस्या का समाधान उपचारात्मक शिक्षण द्वारा किस प्रकार किया जा सकता है।
2. इसके द्वारा त्रुटि-निवारण और सम्बन्धित क्षमता का विकास भली प्रकार किया जा सकता है।
3. उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की अपेक्षित उपलब्धि में वृद्धि की जा सकती है।

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बालक कौन है ?

2.0 आइये, विचार करें कि पिछड़ा बालक किसे माना जाये। क्या विषयों में छोटी-मोटी कमजोरियों वाले बालक को पिछड़ा बालक कहना उचित होगा, जिन्हें बालक स्वयं या मामूली सहायता से दूर कर सकता है। कक्षा के अन्य बालकों के समान स्तर पर आ सकता है। ऐसा दृष्टिकोण उचित नहीं है।

पाश्चात्य एवं भारतीय शिक्षा मनीषियों के अनुसार उन बालकों को पिछड़ेपन की श्रेणी में रखा जाना चाहिए जो अपने शैक्षिक स्तर के अनुरूप शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करने में असफल रहते हैं, अथवा जिनकी शैक्षिक सम्प्राप्ति अपनी अवस्था के अन्य बालकों तथा स्तर से काफी कम होती है। वार्टन हाल के अनुसार जिन बालकों की सम्प्राप्ति उनकी क्षमताओं के स्तर से काफी निम्न होती है, पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। उपर्युक्त के अनुसार पिछड़ेपन के दो आयाम उभर कर विचारगत आते हैं।

वे छात्र जो अपनी सीमित क्षमता के कारण पाठ्य सामग्री को सामान्य बालकों की अपेक्षा समझने में अधिक समय लेते हैं उनके अधिगम की प्रक्रिया धीमी गति की होने के कारण वे प्रायः कक्षा में पिछड़ जाते हैं। ऐसे बालक सामान्यतः सभी विषयों में कमजोर होते हैं।

दूसरे वे छात्र जिनकी सम्प्राप्ति सामान्य तो हो सकती है परन्तु उनकी क्षमताओं की तुलना में बहुत कम होती है। ऐसे छात्रों को अल्पार्जी (under achiever) की संज्ञा दी जाती हैं। ऐसे छात्रों पर यदि समय रहते वैयक्तिक ध्यान न दिया जाय तो बहुधा शैक्षिक सम्प्राप्ति में सामान्य बालकों से भी पिछड़ जाते हैं।

2.1 यद्यपि सर्वेक्षण के आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं फिर भी अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि ऐसे छात्रों की संख्या वर्तमान परिस्थितियों में बढ़ ही रही हैं। यह हम सबके सामने एक चुनौती के रूप में है जिसे हमें स्वीकार करना ही होगा तथा हमें वे पग उठाने होंगे और उन उपायों को क्रियान्वित रूप देना होगा जिनसे इस समस्या से प्रभावी रूप से निपटा जा सके। शिक्षक वर्ग तथा मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता के सम्मिलित प्रयासों से समस्या का निदान सम्भव है। इस प्रक्रिया में शिक्षक निदानात्मक शिक्षण कार्य से छात्र की विषयगत मूलभूत कमजोरियों, कठिनाइयों, त्रुटियों और दोषपूर्ण शिक्षण को तथा परामर्शदाता संवेगात्मक असमायोजन, वैयक्तिक समस्याओं एवं परिवेश सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। प्रायः यह देखा जाता है कि पिछड़ेपन में जहां शैक्षिक कारण होते हैं वैयक्तिक समस्याएं भी इसका कारण हो सकती हैं। अतएव शिक्षक एवं परामर्शदाता के समन्वित प्रयास ही समस्या का एक मात्र उपाय हैं।

कार्यपत्रक–1

आपके विचार से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक कौन हो सकते हैं ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

उपचारात्मक शिक्षण का स्वरूप

3.0 इस विचार पत्रांक में हम मुख्यतः उपचारात्मक शिक्षण पर ही ध्यान केन्द्रित करेंगे। सर्वप्रथम हम इसके स्वरूप तथा उद्देश्यों पर विचार करेंगे।

"ब्लेयर के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण अनिवार्यतः वह उत्तम शिक्षण है जिसमें बालक एवं उसकी आवश्यकतायें केन्द्र बिन्दु होती हैं। यह बालक के स्वयं के स्तर से प्रारम्भ करके उसे निरन्तर अभिप्रेरित करता हुआ उसको क्षमतानुकूल वांछित शैक्षिक स्तर तक पहुंचाता है। उपचारात्मक शिक्षण के दो मुख्य पक्ष हैं। प्रथम निवारण पक्ष, दूसरा संवर्द्धित क्षमता पक्ष।"

3.1 त्रुटि निवारण पक्ष के अन्तर्गत शैक्षिक दोष शिक्षण, अधिगम की दोषपूर्ण प्राविधियां, शैक्षिक कमियों, दोषपूर्ण आदतें, अस्वस्थ अभिवृत्तियों और त्रुटिपूर्ण अर्जित कौशलों का पुनः शिक्षण करना है।

3.2 संवर्द्धित क्षमता पक्ष के अन्तर्गत अल्पार्जी छात्रों की अन्तर्गत अन्तर्निहित क्षमता के अनुरूप शैक्षिक स्तर को बनाये रखने के लिए उन आदतों, अभिवृत्तियों एवं कौशलों का शिक्षण करना है जो उनके लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं।

इस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण में त्रुटि निवारण और संवर्द्धित क्षमता का विकास दोनों ही निहित है। उपचारात्मक शिक्षण उच्च कोटि की वह विकासोन्मुखी शिक्षा प्रक्रिया है, जिसमें छात्र की विशेषताओं और आदतों को महत्व दिया जाता है, जिसके द्वारा छात्र की शैक्षिक उपलब्धि में अपेक्षित वृद्धि होती है।

कार्यपत्रक–2

आपकी दृष्टि से उपचारात्मक शिक्षण का स्वरूप क्या होना चाहिए—बिन्दु में लिखें।	**एकत्र कीजिए** **मिलान कीजिए** **चर्चा कीजिए**

उपचारात्मक शिक्षण के सोपान, शिक्षण प्रक्रिया का क्रियान्वयन

4.0 उपचारात्मक शिक्षण के लिये सर्वप्रथम कक्षा के पिछड़े बालकों को चयनित करना होता है। प्राय: प्रत्येक अध्यापक भली-भांति जानता है कि कक्षा में कौन-कौन बालक पढ़ाई में पिछड़े हुये है। मन्द गति से सीखने वाले छात्र तो प्रत्येक शिक्षक की दृष्टि में सहज ही आ जाते हैं। समस्या उन छात्रों को चयन करने की मुख्य रूप से हैं जो अपनी क्षमताओं के अनुरूप प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। पिछड़े बालकों को चयनित करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जानी अपेक्षित है।

मानसिक क्षमता परीक्षण

4.1 इन परीक्षणों द्वारा विश्वसनीय रूप से छात्रों की क्षमताओं का आंकलन करना सम्भव है तदुपरान्त उनकी शैक्षिक संप्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कौन-कौन छात्र अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

विषयगत शैक्षिक सम्प्राप्ति परीक्षण

4.2 इन परीक्षणों द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि कौन-कौन छात्र किस-किस विषय में और किस सीमा तक कमजोर हैं।

निदानात्मक परीक्षण

4.3 विषयगत कमजोरी और उसके क्षेत्र की जानकारी के पश्चात् उपचारात्मक शिक्षण से पूर्व यह ज्ञात करना भी आवश्यक है कि छात्र की दुर्बलता का स्वरूप एवं विस्तार क्या है। इसका कुछ आभास तो गृह कार्य की जांच से मिल ही जाता है फिर भी निदानात्मक परीक्षण इसमें अधिक सहायक होते हैं। ये परीक्षण विषय के मूलभूत ज्ञान, सिद्धान्तों और प्रक्रियाओं के आधार पर निर्मित किये जाते हैं। इनसे छात्रों की मूलभूत कठिनाइयों, त्रुटियों तथा दोषपूर्ण अधिगम प्रक्रियाओं की जानकारी मिलती है। कुछ निदानात्मक परीक्षण परिशिष्ट में संलग्न हैं।

जीवनवृत्त अध्ययन

4.4 जैसा कि पूर्व में संकेत किया जा चुका है कि पाठ्य विषयों में शिक्षणेतर कारण भी होते हैं। इसके लिये छात्र के गृह परिवेश और संवेगात्मक विकास का अध्ययन किया जाना चाहिए। बालक तथा अभिभावकों के साक्षात्कार से यह जानकारी सहज उपलब्ध होना सम्भव हैं। परिस्थिति अनुरूप कुछ वैयक्तिक प्रश्नावलियों द्वारा भी सूचना एकत्र की जा सकती है।

प्राय: देखा जाता है कि दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया तथा समायोजन सम्बन्धी समस्या एक दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। अतः उपचारात्मक शिक्षण में इन दोनों आयामों की ही लेना होगा।

उपरोक्त विधियों द्वारा पिछड़े बालकों को छांट कर उन्हें विद्यालय समय के अतिरिक्त वैयक्तिक सहायता प्रदान कर उनकी कठिनाइयों को दूर कर उनकी समुचित शिक्षण प्रक्रिया को विकासोन्मुखी बनाना होगा।

उपचारात्मक शिक्षण के कुछ सैद्धांतिक महत्वपूर्ण बिन्दु

5.0 उपचारात्मक शिक्षण से पूर्व अध्यापकों को निम्नलिखित कुछ बातों को केन्द्र बिन्दु बनाना होगा :—

5.1 वे छात्र को उस ही रूप में मान्यता दें, जैसा वह है। उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनायें। इससे छात्रों के मन से हीनता व निराशा के भावों को दूर करना सम्भव होगा। वे अपने आप को सही परिप्रेक्ष्य में समझने योग्य हो सकेंगे, निःसंकोच होकर अपनी कठिनाइयों तथा दुर्बलताओं को आपके समक्ष रख सकेंगे और आप उनका निवारण अधिक सशक्त रूप से कर सकेंगे।

5.2 अभिप्रेरण अधिगम का प्राण है। अभिप्रेरण के बिना अधिगम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना सम्भव ही नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण में तो इसका और भी महत्व है। पिछड़े छात्रों के सबल पक्ष को प्रोत्साहित करके उनके शैक्षिक विकास को क्रमिक रूप से आगे बढ़ाया जाना सम्भव है। अभिप्रेरण से इन छात्रों में ज्ञानार्जन की प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

5.3 वैयक्तिक विभिन्नतायें मनोवैज्ञानिक सत्य हैं। स्किनर के अनुसार वैयक्तिक भिन्नता के स्वरूप के ज्ञान के आधार पर शिक्षक सभी प्रकार की योग्यता के बालकों के शैक्षिक उन्नयन में सहायक हो सकता है। अतः हमें प्रत्येक छात्र को इकाई के रूप में लेकर उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था करनी होगी। छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देना होगा। छात्र को केन्द्र बिन्दु बनाना होगा।

5.4 उपचारात्मक शिक्षण के लिये छात्र की रुचियों और क्षमताओं को आधार बनाना होगा। शैक्षणिक सामग्री [illegible] चयन तथा उपयोग भी उनकी रुचि के अनुरूप किया जाना चाहिये, तभी शैक्षिक उन्नयन रूपी भवन का निर्माण [illegible]म्भव है।

5.5 उपचारात्मक शिक्षण कार्य में रत शिक्षक का अधिक धैर्यवान और सहनशील होना आवश्यक है। पिछड़े [illegible]त्रों के अधिगम की गति सामान्य बालकों के समकक्ष नहीं होती, वे पाठ्य सामग्री को समझने में अपेक्षाकृत अधिक समय [illegible]ते हैं। थोड़ा सा भी अधैर्य या मुख पर खिन्नता के तनिक भाव भी उस सकारात्मक तादात्म्यता को समाप्त कर देंगे, [illegible] शिक्षक ने बड़े प्रयत्न से स्थापित किये हैं। सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण से ही शैक्षणिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना सम्भव [illegible]।

[illegible]लयों में उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था कैसे की जाये ?

6.0 उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम सामान्य शिक्षण के साथ सम्भव नहीं है। इसके लिये पढ़ाई में पिछड़े बालकों [illegible] अलग कर (चयन प्रक्रिया का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है) विद्यालय में अतिरिक्त समय देकर, उनके छोटे-छोटे [illegible]ह बनाकर ही कार्यक्रम को अपनाया जा सकता है। मन्द गति (slow learner) से सीखने वाले छात्रों को एक [illegible] समूह में रखना चाहिए। छोटे-छोटे समूहों में ही शिक्षक व्यक्तिगत ध्यान देकर उनकी विषयगत कठिनाइयों का [illegible]रण कर सकता है। अतः उपचारात्मक शिक्षण कक्षा में लगभग 15 छात्रों को सम्मिलित किया जा सकता है। यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि उपचारात्मक शिक्षण विद्यालय का ही दायित्व है, उनका अपना कार्यक्रम है [illegible]लये शिक्षकों को कुछ अतिरिक्त समय देकर इसका निर्वाह करना है।

मंद गति से सीखने वाले बालकों का शिक्षण

6.1 सीमित क्षमता होने के कारण ऐसे छात्रों की सामान्य शिक्षा से बहुत लाभान्वित होने की कम ही सम्भावना रहती है फिर भी उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया द्वारा ऐसे छात्रों की सीमित क्षमताओं का पूर्ण प्रस्फुरण तो सम्भव है ही। वे जितना भी जिस गति सें सीखने योग्य हैं, सिखाया जा सकता है। उन्हें अपने योग्य बनाया जा सकता है। लम्बे उपचारात्मक शिक्षण से उन्हें सामान्य बालकों के समकक्ष लाने के प्रयास किये जा सकते हैं। ऐसे बालकों के शिक्षण के लिये अध्यापकों को अधिक सहनशील और धैर्यवान होना चाहिए। उनके शिक्षण हेतु स्थूल एवं मूर्त उपकरणों (जिनका उल्लेख आगे किया जायेगा), क्रियात्मक एवं प्रयोगात्मक क्रियाओं को माध्यम बनाना प्रभावी होता है।

संवर्धित क्षमता के अल्पार्जी बालकों का शिक्षण

6.2 ऐसे बालक प्रारम्भ में प्राय: त्रुटिपूर्ण अधिगम प्रक्रिया के कारण अथवा प्रतिकूल परिवेश के कारण एक अथवा दो विषयों सें पिछड़ जाते हैं और यदि उन पर समय से ध्यान न दिया जाये तो धीरे-धीरे सभी विषयों में उनकी सम्प्राप्ति में ह्रास हो जाता है। इन अल्पार्जी बालकों के लिये उपचारात्मक शिक्षण का विशेष महत्व है। इन्हें थोड़े समय के शिक्षण से सामान्य बालकों के समकक्ष बनाना सम्भव है। ऐसे बालक सामान्य कक्षा में अध्ययन करते हुए विषयगत दुर्बलताओं को दूर करने के लिये अतिरिक्त समय में उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था से लाभान्वित हो सकते हैं। उच्च क्षमताओं वाले छात्रों को तो सामान्य से उच्च स्तर पर लाना भी सम्भव है और वे अपनी क्षमताओं के अनुरूप शैक्षिक सम्प्राप्ति अर्जित करने में सफल होते हैं।

कार्यपत्रक—3

उपचारात्मक शिक्षण में आप किन बातों का ध्यान रखेंगे।	एकल कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

उपचारात्मक शिक्षा-सहायक उपागम

7.0 उपचारात्मक शिक्षण का लक्ष्य सुधारात्मक है, अत: उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया उस स्तर से प्रारम्भ की जानी चाहिये, जहां से त्रुटिपूर्ण अधिगम प्रारम्भ हुआ है। इसके अन्तर्गत जहां एक ओर छात्र के विषयगत ज्ञान को बढ़ाना है वहां दूसरी ओर त्रुटिपूर्ण अर्जित ज्ञान एवं कौशलों की समाप्त (unlearn) भी कराना है। यह कार्य सामान्य रूप से अधिगम प्रक्रिया की अपेक्षा कठिन तो है परन्तु शिक्षक के सकारात्मक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से सम्भव अवश्य है।

पाठों की क्रमबद्धता

7.1 उपचारात्मक शिक्षण छात्र के अपने स्तर से प्रारम्भ होगा। पाठ छोटे रहेंगे, साथ ही पाठ्य वस्तु को पहले से ही योजनाबद्ध कर क्रमिक कठिनाई के अनुसार शिक्षण व्यवस्था करनी होगी। पाठों की क्रमिकता सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात के आधार पर होगी। अनेक विभिन्न दृष्टान्तों द्वारा किसी सिद्धान्त अथवा निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया उपयोगी होगी।

व्याख्यान विधि अथवा क्रियात्मक विधि

7.2 पुस्तकीय शिक्षा ऐसे बालकों के लिये उपयुक्त नहीं होती, अत: हस्त कौशल और क्रियात्मक कार्यों पर बल देना होगा। इससे सीखे गये कौशलों एवं ज्ञान में स्थायित्व आयेगा। पाठ्य वस्तु को वास्तविक जीवन से सम्बद्ध क॰ उसे सोद्‌देश्य बनाना सही दिशा में कदम होगा।

प्रोजेक्ट विधि

7.3 प्रोजेक्ट प्रणाली से उपचारात्मक शिक्षण को प्रभावी, आनन्ददायी और रुचिकर बनाना सम्भव है, साथ ही विभिन्न विषयों का ज्ञान भी कोई एक निर्धारित प्रोजेक्ट लेकर दिया जा सकता है। उदाहरणार्थ कृषि पर प्रोजेक्ट लेकर कृषि के अतिरिक्त विज्ञान, गणित, भूगोल तथा भाषा का शिक्षण सहज और सुगम बनाया जा सकता है। जीवनोपयोगी होने के साथ-साथ शिक्षण अधिक व्यावहारिक और प्रभावी होता है।

खेल विधि

7.4 खेल भी सीखने का सशक्त माध्यम हैं फिर क्यों न हम इन्हें पिछड़े बालकों के शिक्षण में अपनायें। संगीत, अभिनय, कलाचित्र आदि का सहारा लेना भी उपयुक्त होगा।

सहायक सामग्री

7.5 उपचारात्मक शिक्षण में सहायक सामग्री और दृश्य-श्रव्य साधनों का अधिकाधिक प्रयोग आवश्यक है। सामग्री का चयन बालकों की रुचियों के अनुरूप किया जाना चाहिये। इससे शिक्षण को गति मिलेगी और उसकी ग्राह्यता बढ़ेगी। माडल, चित्र, स्लाईड्स, फोटोग्राफ, पोस्टर्स, चार्टस, ग्राफ, मानचित्र, टेप्स आदि अन्य अनेक सहायक सामग्री से शिक्षण को रुचिकर बनाया जाना चाहिए।

प्रयोग विधि

7.6 उपचारात्मक शिक्षण में करके सीखना (learning by doing) के सिद्धान्त को अपनाना होगा। इसके लिये प्रयोगशालाओं का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिये। पर्यटन तथा प्रदर्शनियां भी इसमें सहायक होंगी।

चलचित्र

7.7 चलचित्र शिक्षण के सशक्त माध्यम बनाये जा सकते हैं। शिक्षा सम्बन्धी फिल्मों को तो काफी पहले से ...का माध्यम बनाया जाता रहा है। शासन तथा शिक्षाविदों की सहायता से ऐसे अनेक चलचित्र बनाकर प्रदर्शित ...या जाना चाहिए।

...डियो

7.8 रेडियो पर क्रमबद्ध रूप से भाषा शिक्षा के रोचक कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। इसमें विभिन्न भारतीय ...षाओं का ज्ञान सरल और रोचक ढंग से दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य विषयों पर वार्तायें भी सुनने को मिलती हैं। ...ज संसार में ज्ञान का तीव्र गति से विस्फोट हो रहा है। रेडियो इसके प्रसारण में प्रभावशाली है। उपचारात्मक शिक्षा पाठ योजनाबद्ध ढंग से रेडियो के माध्यम से इन बालकों के शिक्षण में सहायक हैं।

...विजन का युग

7.9 टेलीविजन प्रसारण का दृश्य एवं श्रव्य आधुनिकतम प्रभावी माध्यम है। विद्यार्थियों के लिये ज्ञानवर्धक ... रोचक कार्यक्रम बहुधा टेलीविजन पर देखने को मिलते ही हैं। उपचारात्मक शिक्षण में भी इससे सहायता लेना ...क्षित है।

...ास पुस्तिकायें

7.10 चित्रकला और सुलेख के लिये अभ्यास पुस्तिकाओं का प्रयोग तो होता ही रहा है। भाषा, विज्ञान, गणित, ...ल आदि विषयों के शिक्षण में भी इनका उपयोग लाभकारी होगा।

पुनर्बलन

7.11 उपचारात्मक शिक्षण में पुनरावृत्ति का अपना महत्व है। सामान्य शिक्षा में भी जब इसको नकारा नहीं जाता तो पिछड़े बालकों के सीखने की प्रक्रिया में तो यह अति आवश्यक है। पिछड़े बालक किसी भी पाठ को सीखने-समझने में अपेक्षाकृत अधिक समय और पुनरावृत्ति चाहते हैं। पुनरावृत्ति से उनके ज्ञानार्जन में स्पष्टता और स्थायित्व आता है।

अनुवर्ती कार्यक्रम

7.12 उपचारात्मक शिक्षण में अनुवर्ती कार्यक्रम की व्यवस्था भी आवश्यक है। अध्यापक को समय-समय पर यह जांच करते रहना होगा कि छात्र अपने अपेक्षित शैक्षिक स्तर को बनाये रखता है। जो भी ज्ञान उसने अर्जित किया है उसका विस्मरण तो नहीं हुआ है। यदि ऐसा होता है तो पुनः प्रभावी शिक्षण की आवश्यकता होगी।

शोध परिकल्पनाएं

8.0 उपचारात्मक शिक्षण के लाभ तथा प्रभाव को दर्शाने के लिये योजनाबद्ध ढंग से शोध एवं सांख्यकीय अध्ययन की आवश्यकता है। इस प्रकार के अध्ययन से शिक्षण के लाभ को अध्यापकों के सम्मुख प्रस्तुत कर ऐसे शिक्षण की ओर उन्मुख एवं उत्साहित किया जा सकेगा। साथ ही यह फीडबर्क का कार्य भी करेगा। हमें अन्तर्दृष्टि प्राप्त होगी कि हमारे कार्यक्रम में कहां कितनी कमी रह गयी है जिसका निराकरण कर इसे अधिक सुचारु रूप से चलाना सम्भव होगा।

8.1 ऐसा एक अध्ययन राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद में वर्ष 1973-74 से 1976-77 तक उपचारात्मक शिक्षण के आधार पर किया गया था, जिसके अन्तर्गत कक्षा 9 व 11 की गृह परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण छात्रों को क्रमशः 253 तथा 133 छात्रों को ग्रीष्म कालीन अवकाश में यह शिक्षण दिया गया और इन्हें अग्रिम कक्षा में प्रोन्नति दे दी गयी। अगले वर्ष जब वे छात्र हाई स्कूल एवं इण्टर परीक्षाओं में सम्मिलित हुये तो इनमें क्रमशः 100 (40%) और 87 (43%) छात्र उत्तीर्ण हुये। इससे उनके बहुमूल्य एक वर्ष का अपव्यय होने से बच गया।

इसी प्रकार विस्तृत और गहन अध्ययन किये जाने अपेक्षित हैं। हम सबके समन्वित प्रयासों से इस दिशा में आशातीत सफलता की पूर्ण सम्भावना है। शिक्षा में हो रहे अपव्यय को एक सीमा तक कम करने में हम अपना योगदान कर सकेंगे। उपचारात्मक शिक्षण निराश छात्रों के लिए एक किरण बन सकेगी।

परिशिष्ट

निदानात्मक परीक्षणों के प्रतिदर्श

1—गणित	कक्षा—8
2—बीजगणित	कक्षा—9
3—भाषा (हिन्दी)	कक्षा—5
4—सामाजिक विषय (भूगोल)	कक्षा—7
5—सामाजिक विषय (ना० शास्त्र)	कक्षा—7
6—सामाजिक विषय (इतिहास)	कक्षा—7

निदान सूचक परीक्षण

गणित (अंकगणित)

कक्षा–8

प्रकरण (केवल अनुपात)

छात्र का नाम ....

कक्षा ....

विद्यालय ....

प्राप्तांक .... पूर्णांक ....

निर्देश—(निम्नलिखित निर्देश छात्रों को दिया जाता है)

1—इस परीक्षण का तुम्हारे वार्षिक परीक्षाफल से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका उद्देश्य तुम्हारी कमियों का पता लगाना है जिससे उन्हें दूर किया जा सके।

2—सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करो।

3—जो प्रश्न हल न कर सको उसे छोड़कर आगे बढ़ो।

4—प्रश्न का उत्तर निर्दिष्ट स्थान पर ही लिखना है।

खण्ड (क)

अनुपात को साधारण भिन्न में लिखो :—

1. 3:4 =
2. 12:7 =
3. रु० 72 : रु० 55 =
4. 50 किग्रा० : 63 किग्रा० =
5. 1 मीटर : 50 सेमी० =
6. 1.5 सेमी० : 2.2 सेमी० =

निम्न भिन्नों को अनुपात में लिखिए :—

7. 3/12 =
8. $\frac{12}{16}$ =
9. $\frac{44}{330}$ =
10. $\frac{225}{425}$ =
11. $\frac{104}{52}$ =
12. $\frac{40.80}{510}$ =

निम्न के मूल्य बताइए :—

13. 72 का $\frac{3}{8}$ =
14. 75 का $\frac{1}{5}$ =
15. 66 किग्रा० का $\frac{15}{33}$ =
16. 48 का $\frac{15}{24}$ =
17. 2 किग्रा० का $\frac{3}{4}$ =
18. 160 का $\frac{16.8}{39.2}$ =

खण्ड (ख)

मान ज्ञात करो :—

19. एक बर्तन वाले ने जस्ता और तांबा मिलाकर 40 किग्रा० पीतल तैयार किया। यदि जस्ते और तांबे की मात्रा का अनुपात 7:3 हो

तो अनुपाती संख्याओं का योग=

जस्ते की मात्रा का पीतल की मात्रा से अनुपात=

तांबे की मात्रा=किग्रा० 40 का=

20. एक कुर्सी और एक मेज के मूल्यों में अनुपात 4:7 है। यदि एक कुर्सी और एक मेज के मूल्यों का योग 55 रु० हो तो

अनुपाती संख्याओं का योग=

एक कुर्सी के मूल्य का कुर्सी और मेज के मूल्यों के योग से अनुपात=

एक मेज के मूल्य का कुर्सी और मेज के मूल्यों के योग से अनुपात=

एक कुर्सी का मूल्य=

एक मेज का मूल्य=

21. क्रिकेट के एक खेल में राजेश और उमेश के रनों का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों ने मिलकर कुल 87 रन बनाये तो

अनुपाती रन संख्याओं का योग=

रमेश के रनों का दोनों के रनों के योग से अनुपात=

उमेश के रनों का दोनों के रनों के योग से अनुपात=

राजेश के रनों की संख्या=

उमेश के रनों की संख्या=

22. एक आयत की लम्बाई और चौड़ाई में अनुपात 11:7 का है। यदि आयत का परिमाप 72 सेमी० हो तो

अनुपाती संख्याओं का योग=

आयत की लम्बाई का उसके परिमाप के आधे से अनुपात=

आयत की चौड़ाई का उसके परिमाप के आधे से अनुपात=

लम्बाई=

चौड़ाई=

(2) गणित (बीजगणित) (दो पदों के योग का वर्ग)

कक्षा–9

निर्देश—(छात्रों हेतु)

(1) प्रश्नों का उत्तर प्रश्न पत्र में रिक्त स्थान पर दो।

(2) सभी प्रश्नों का उत्तर देना है।

(3) यदि कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसे छोड़कर अगला प्रश्न करो। बाद में पुन: ऐसे प्रश्नों के लिए प्रयत्न करो।

उप परीक्षण	पूर्णांक	प्राप्तांक
1	30	
2	27	
3	30	
4	30	
5	9	
6	15	
7	25	

(4) इस परीक्षण का ध्येय तुम्हारी त्रुटियों को जानकर उसका सुधार करना है। इससे प्राप्तांक का प्रभाव तुम्हारी परीक्षा पर नहीं पड़ेगा।

(5) सफाई का विशेष ध्यान रखें। रफ कार्य प्रश्न पत्र की दूसरी ओर कर सकते हो।

(6) अब पृष्ठ उल्टो और प्रश्नों का उत्तर देना आरम्भ करो।
(वास्तविक प्रश्न पत्र में प्रश्नों को दूसरे पृष्ठ से आरम्भ किया जाता है।)

प्रश्न 1—निम्नांकित का मान ज्ञात करो :—

(क) 2^2
(ख) 3^2
(ग) 11^2
(घ) $(1/2)^2$
(ङ) $(1/5)^2$
(च) $(1/2)^2$
(छ) $(2/3)^2$
(ज) $(4/9)^2$
(झ) $(11/13)^2$
(ञ) $(-1)^2$
(ट) $(-1/2)^2$
(ठ) $(-2/3)^2$
(ड) $2 \times .5 \times \frac{1}{3}$
(ढ) $2\ (1/4) \times 6$
(ण) $2 \times (1/2) \times (-\frac{2}{3})$

(त) $2 \times (-1/4) \times 6$

(थ) $2 \times (-1/2)\ (-3/5)$

(द) (ग)^2

(ध) $(22)^2$

(न) (5ल)^2

(प) (4/7क)^2

(फ) (3/11ख)^2

(ब) $(6/11)^2$

(भ) $(7/8)^2$

(म) (य^2)^2

(य) (3 क ख)^2

(र) (5/6न य)^2

(ल) (य)^2+(र)^2=

(व) (2 क)^2+ (3 ख)^2=

(श) (3/2 क)^2+ (3 ख)^2=

(ष) य+(र)^2+2य × (र) =

(स) (3य)^2+ 2 × (3) × (2र) + (2र)^2=

(ह) $\left(\frac{3य}{क}\right)^2 + 2\left(\frac{3य}{क}\right) + \left(-\frac{क}{य^2}\right)\quad\left(-\frac{क}{य^2}\right)^2 =$

2—निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो :—

(क) (क+ख)^2=

(ख) (2य+ 3र)^2=

(ग) $\left(\frac{य}{र} + \frac{र}{य}\right)^2 =$

(घ) (6य+ 5रल)^2=

(च) $\left(\frac{2}{ज} + \frac{5}{ब}\right)^2 =$

(छ) (कख+ 2गघ)^2=

(ज) $\left(\frac{2य}{3} + \frac{3र}{4}\right)^2 =$

(झ) $\left(\frac{3क}{4ख} + \frac{क}{ख}\right)^2 =$

3—निम्नांकित में खाली जगहों को भरो :—

(क) (य+र+ल)^2=

= . . . . + ...

= . . . . + ...

(ख) $(\text{य}+2\text{र}+3\text{ल})^2=$

$= \dots\dots\dots\dots + \dots\dots\dots\dots + \dots\dots\dots$

$= \dots\dots\dots\dots + \dots\dots\dots\dots + \dots\dots\dots$

$= \dots\dots\dots\dots + \dots\dots\dots\dots + \dots\dots\dots$

(ग) $\left(\frac{\text{य}}{3}+\frac{\text{र}}{4}+\frac{\text{ल}}{5}\right)^2=$

$= \dots\dots\dots\dots + \dots\dots\dots\dots + \dots\dots\dots$

$= \dots\dots\dots\dots + \dots\dots\dots\dots + \dots\dots\dots$

$= \dots\dots\dots\dots + \dots\dots\dots\dots + \dots\dots\dots$

4—निम्नांकित का वर्ग पदों के योग का वर्ग वाला सूत्र प्रयोग करके ज्ञात करो :—

(क) $(201)^2=$
(ख) $(91)^2=$
(ग) $(103)^2=$
(घ) $(201/4)^2=$
(ङ) $(501/3)^2=$
(च) $(802/3)^2=$

5—निम्नांकित में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाय :—

(क) $\text{य}^2+\text{र}^2$ उत्तर=
(ख) $9\text{य}^2+16\text{र}^2$ उत्तर=
(ग) $25\text{अ}^2+49\text{ब}^2$ उत्तर=
(घ) $816+18\text{कख}$ उत्तर=
(ङ) $\frac{4}{9}\text{क}^2+\frac{8}{9}\text{क}$ उत्तर=
(च) $\frac{\text{य}^2}{\text{र}^2}+2$ उत्तर=
(छ) $20\text{पर}+25\text{र}^2$ उत्तर=
(ज) $8\text{कख}+4\text{क}^2$ उत्तर=
(झ) $\frac{3\text{यर}}{5}+\text{र}^2$ उत्तर=

6—सूत्र प्रयोग कर सरल करो :—

(क) $(\text{य}+\text{र})^2+(2\text{य}+\text{र})^2+2(\text{य}+\text{र})(2\text{य}+\text{र})$
(ख) $(\text{य}+\text{र})^2+2(\text{य}+\text{र})\text{क}+\text{ख}^2$
(ग) $(26+3\text{ख}+4\text{ग})^2+2(2\text{क}+3\text{ख}+4\text{ग})^2(2\text{क}-3\text{ख}-4\text{ग})-(2\text{क}-3\text{ख}-4\text{ग})^2$

7—मान निकालो :—

(क) $य^2 + \frac{1}{य^2}$ का यदि $य + \frac{1}{य} = 3$

(ख) $य^2 + \frac{1}{य^2}$ का यदि $य + \frac{1}{य} = 4$

(ग) $य^2 + \frac{4}{य^2}$ का यदि $य + \frac{2}{य} = 5$

(घ) $य + र$ का यदि $य^2 + र^2 = 41$ तथा $य + र = 20$

(ङ) $य\ र$ का यदि $य^2 + र^2 = 13$ तथा $य + र = 5$

निदानात्मक परीक्षण

(3) भाषा—हिन्दी

कक्षा–5

प्रकरण—शब्द भण्डार-परीक्षण

स्तर—कक्षा–9

1—नीचे लिखे शब्दों के विलोम उनके सामने लिखे शब्दों में ढूंढ़ कर रेखांकित कीजिए :—

(क) निराकार··························आकार, परोपकार, साकार, निराधार

(ख) निर्मल··························कोमल, मलीन, दुर्बल, स्वच्छ

(ग) पराधीन··························परतन्त्र, स्वतन्त्र, आश्रित, अधीन

(घ) साहस··························दु:साहस, भीरुता, निर्बलता, सत्साहस

2—निम्नांकित के पर्याय ढूंढ़ कर उन्हें रेखांकित कीजिए :—

(क) सलिल··············सरिता, पानी, पवन, निर्झर

(ख) भास्कर··············दिन, नक्षत्र, सूर्य, चन्द्रमा

(ग) अम्बर··············पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग, आकाश

(घ) शतदल··············गुलाब, पंकज, ब्रह्मा, सौ का समूह

3—दिए हुए शब्दों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करो :—

(क) तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की··············की थी।
(निर्माण, अनुसंधान, रचना, आविष्कार)

(ख) भारतीय कृषकों की दशा अत्यधिक················है।
(दरिद्र, निर्धन, शोचनीय, कमनीय)

(ग) भारत का अतीत अत्यन्त··············था।
(सांस्कृतिक, उज्ज्वल, जगतगुरु, निर्बल)

(घ) वायुयान, रेल आदि से हमें··············में बहुत सुविधा है।
(वार्तालाप, आवागमन, समाचार)

4—निम्नलिखित शब्द समूह से परस्पर विलोमार्थी शब्द छांटकर पास-पास लिखें :—

(क) में लिखा हुआ है।

शब्द समूह—

उत्थान, पराया, मृदु, अपमान, विकास, पतन, कठोर, मरण, मान, ह्रास, अपना, जीवन।

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

(ङ)

(च)

(छ)

स्तर—कक्षा–8

5—निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठकों के अन्तर्गत दिए हुए शब्दों में से ठीक शब्द चुनकर उस पर सही का निशान लगाओ तथा अनुपयुक्त शब्द को काट दो :—

(क) किसी से (ईर्ष्या/स्नेह) करना ठीक नहीं है।

(ख) विद्वान सभी स्थानों में (पूज्य/निन्दित) होते हैं।

(ग) हमें बड़ों की आज्ञा का (पालन/उल्लंघन) करना चाहिए।

6—रात दिन शब्दों में जो सम्बन्ध है इसी प्रकार के संबंध वाले शब्द नीचे दी हुई सूची में से छांटकर उन पर सही का चिह्न लगाओ :—

पाप-पुण्य, काम-धाम, खेल-कूद, रोटी-ओटी, छोटा-बड़ा।

7—चित्रकूट एक दर्शनीय स्थल है। इस वाक्य में दर्शनीय शब्द पर ध्यान दो जो मूल शब्द 'दर्शन' से बना है। अब इसी प्रकार निम्नांकित शब्दों से उपयुक्त शब्द बनाकर उनके सामने लिखो :—

(क) गमन

(ख) अनुकरण

(ग) पठन

(घ) कथन

स्तर—कक्षा–7

8—सुसंग तथा कुसंग शब्द 'संग' में कु और सु लगाकर बने हैं। इसी प्रकार कु, सु से बने चार-चार शब्द एवं उनका अर्थ लिखो :—

'सु' से प्रारम्भ होने वाले

शब्द	अर्थ
क—	
ख—	
ग—	
घ—	

'कु' से प्रारम्भ होने वाले

शब्द	अर्थ
क—	
ख—	
ग—	
घ—	

9—'गीता' एक धार्मिक ग्रन्थ है। इस वाक्य में धार्मिक शब्द पर ध्यान दो। यह धर्म शब्द से बना है। आप इसी प्रकार निम्न शब्दों से उपयुक्त शब्द बनाकर उनके अर्थ लिखो :—

बनाया गया शब्द	अर्थ
क—अर्थ	
ख—संसार	
ग—परिवार	
घ—समाज	

10—हरिश्चन्द्र की कीर्ति पताका उनकी प्रतिज्ञा पूर्ति के कारण फहरायी। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द इस वाक्य से ढूंढ़ कर लिखो :—

(क) ध्वजा
(ख) यश
(ग) प्रण

निदानात्मक परीक्षण

(4) सामाजिक विषय—भूगोल

कक्षा–7

प्रकरण—धरातल का बदलता स्वरूप (2)—वाह्य शक्तियों द्वारा परिवर्तन

छात्र का नाम ....

पता ....

विद्यालय का नाम ....

दिनांक ....

प्राप्तांक .... हस्ताक्षर परीक्षक ....

छात्र के लिए सामान्य निर्देश

1—इस परीक्षण से तुम्हारे वार्षिक परीक्षा-फल से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका उद्देश्य इस प्रकरण में तुम्हारी कमजोरियों का पता लगाना है, जिससे उन्हें दूर किया जा सके।

2—इस प्रश्न-पत्र के सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करो।

3—जिन प्रश्नों का उत्तर समझ में न आये उन्हें छोड़कर आगे के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करो।

4—समय बचने पर पुनः कठिन समझ कर छोड़े गये प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करो।

5—प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उसके आगे निर्दिष्ट स्थान में दो।

6—प्रश्नों के उत्तर देते समय उसके सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों को ध्यान से पढ़ो।

7—जब कहा जाय प्रश्नों का उत्तर लिखना प्रारम्भ कर दो।

खण्ड (क)

निर्देश—निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो :—

1—धरातल पर कौन सी प्रमुख स्थलाकृतियां पाई जाती हैं ?

....

2—इन आकृतियों के निर्माण में कौन-कौन सी शक्तियां कार्य करती हैं ?

....

3—वाह्य परिवर्तनकारी शक्तियां कौन-कौन सी हैं ?

....

4—वाह्य शक्तियां धरातल पर क्या कार्य करती हैं ?

....

निर्देश—प्रश्न संख्या 5 से 9 तक का उत्तर उनके नीचे लगभग चार पंक्तियों में दो :—

5—अनाच्छादन किसे कहते हैं ?

....

....

....

....

6—ऋतु अपक्षय किसे कहते हैं ?

....

....

....

....

7—आवरण क्षय में कौन-कौन सी क्रियायें होती हैं ?

....

....

....

....

8—निक्षेपण किसे कहते हैं ?

....

....

....

....

9—निक्षेपण का कार्य करने वाली प्रमुख वाह्य शक्तियां कौन-कौन सी हैं ?

....

....

....

....

खण्ड (ख)

निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में लिखो :—

10—नदी के पूरे मार्ग को किन-किन भागों में बांटते हैं ?

....

11—जलोद मिट्टी के बड़े मैदान नदी के किस भाग में अधिक बनते हैं ?

....

12—जल वितरिकायें अधिकतर कहां बनती हैं ?

....

13—भारतवर्ष की ऐसी तीन नदियों के नाम बताइये जो डेल्टा बनाती हैं।

....

निर्देश—खाली जगह भरो :—

14—नदी की धारा तेज रहने पर .... अधिक होता है और उसकी धारा मन्द रहने पर .... कार्य अधिक होता है।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग चार पंक्तियों में दो :—

15—जल प्रपात किस प्रकार बनता है ?

....

....

....

....

16—खड्ड या गार्ज का निर्माण कैसे होता है ?

....

....

....

....

17—क्या कारण है कि पर्वतीय भाग में

....

....

....

....

18—गोखुरझील मैदानी भाग में ही क्यों पाई जाती है ?

....

....

....

....

19—एश्चुअरी का निर्माण कैसे होता है ?

....

....

....

....

20—नदी के पूरे मार्ग के प्रमुख कार्य लिखो।

....

....

....

....

21—निम्नलिखित के अन्तर बताओ :—

(अ) डेल्टा और एश्चुअरी

....

....

....

....

(ब) जल वितरिका और सहायक नदी

....

....

....

....

(स) घाटी और खड्ड (गार्ज)

....

....

....

....

22—नीचे नदी के मार्ग से सम्बन्धित कुछ आकृतियां दी गई हैं, उनके सही जोड़े बनाओ :—

नदी का मार्ग	भू-आकृति
पर्वतीय भाग	त्रिभुजाकार छोटे जलोद मैदान
मैदानी भाग	जल-वितरिकायें
डेल्टा भाग	जल-प्रपात
डेल्टा भाग	झाड़न झील

23—नीचे कुछ कथन दिये गये हैं और उनके सामने कुछ पारिभाषिक शब्द दिये गये हैं, उनके सही जोड़े बनाओ :—

भूतल का घिसना	परिवहन
घर्षित पदार्थों को ले जाना	निक्षेपण
घर्षित पदार्थों को दूसरे स्थान पर जमा करना	घर्षण

खण्ड (ग)

24—नीचे हिमानी की परिभाषा देने का प्रयास किया गया है। इनमें से केवल एक ही परिभाषा सही है। जो परिभाषा सही हो, उसके सामने कोष्ठक में (√) का चिह्न लगाओ:—

(1) हिमानी समुद्र में तैरता हुआ बर्फ का पहाड़ है। ( )

(2) हिमानी बर्फ से ढकी हुई पहाड़ की चोटी है। ( )

(3) हिम के क्षेत्र में बर्फ का भार अधिक हो जाने पर हिम धीरे-धीरे खिसकने लगता है। इस प्रकार के प्रवाहित हिम को हिमानी कहते हैं। ( )

(4) जिस क्षेत्र में वर्ष भर हिमपात होता है वहां हिम का पिघलना कम हो जाता है और हिम का स्थायी आवरण बन जाता है, उसे हिमानी कहते हैं। ( )

निर्देश—कोष्ठ में दिये हुए शब्दों में से सही शब्द छांटकर खाली जगह भरो :—

25—हिमानी द्वारा निर्मित समुद्र तटीय घाटियां जब समुद्र में डूब जाती हैं, तो उन्हें .... कहते हैं। (निमग्न तट, फियोर्ट, खाड़ी)

26—हिमानी भारतवर्ष में .... में पाये जाते हैं। (विन्ध्याचल, हिमालय, दकन के पठार)

27—नीचे हिमोद की परिभाषा देने का प्रयास किया गया है। इनमें से एक ही परिभाषा सही है। सही परिभाषा के आगे कोष्ठक में (√) का चिह्न लगाओ :—

(क) हिमानी द्वारा घर्षित घाटी को हिमोद कहते हैं। ( )

(ख) हिमानी द्वारा निर्मित खड्ड को हिमोद कहते हैं। ( )

(ग) हिमानी द्वारा तट पर छोड़े निक्षेप को हिमोद कहते हैं। ( )

(घ) हिमानी जहां पिघल जाता है, उसे हिमोद कहते हैं। ( )

28—विश्व के तीन ऐसे देशों के नाम लिखिए, जहां हिमानी द्वारा झीलें बनी हैं :—

(1) (2) (3)

खण्ड (घ)

29—पवन धरातल पर परिवर्तन के कौन-कौन से कार्य करता है ?

....

....

....

....

निर्देश—प्रश्न संख्या 30 से 33 तक उत्तर लगभग चार पंक्तियों में दो :—

30—नरम भूमि में मिट्टी के कण आसानी से ढीले और पृथक् क्यों हो जाते हैं ?

....

....

....

....

31—बालू के टीलों का निर्माण कैसे होता है ?

....

....

....

....

खण्ड (ङ)

32—पुलिन या बीच की रचना कैसे होती है ?

....

....

....

....

33—पश्च-जल क्षेत्र (लैगून) कैसे बनता है ?

....

....

....

....

34—रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से करो :—

बालू और बजरी से बनी .... कभी-कभी सागर के एक भाग या खाड़ी को मुख्य सागर से पृथक् कर देती है। इस तरह की बनी झीलों को .... या .... जल के क्षेत्र कहते हैं।

35—नीचे चार भू-आकृतियां दी हुई हैं। प्रत्येक का निर्माण करने वाली बाह्य परिवर्तनकारी शक्ति का नाम उसके सामने लिखो :—

भू-आकृति	निर्माण करने वाली वाह्य परिवर्तनकारी शक्ति
1—कियोई	....
2—डेल्टा	....
3—लोएस का मैदान	....
4—लैगून	....

(5) सामाजिक विज्ञान—नागरिक शास्त्र

कक्षा–7

छात्र का नाम ....

कक्षा ....

विद्यालय का नाम ....

दिनांक ....

प्राप्तांक ....

सामान्य निर्देश

1—सभी प्रश्न करना अनिवार्य है।

2—प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उसके आगे निर्दिष्ट स्थान पर दो।

3—जिन प्रश्नों का उत्तर समझ में न आये, उन्हें छोड़कर आगे के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करो।

4—जब कहा जाय, प्रश्नों का उत्तर लिखना आरम्भ कर दो।

1—शासन के प्रमुख तीन अंग कौन-कौन से हैं ?

....

2—उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापिका में कितने सदन हैं ?

....

3—दोनों सदनों के अलग-अलग क्या नाम हैं ?

....

4—दोनों सदनों को मिलाकर किस नाम से पुकारा जाता है ?

....

5—उत्तर प्रदेश में विधान सभा के कुल कितने सदस्य हैं ?

....

6—वे लोग कहां से निर्वाचित होकर आते हैं ?

....

7—एक क्षेत्र से एक साथ कितने सदस्य विधान सभा के लिए चुने जाते हैं ?

....

8—इन सदस्यों को कौन से लोग निर्वाचित करते हैं ?

....

9—विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है ?

....

10—विधान सभा के सदस्य कौन से लोग हो सकते हैं ?

....

11—विधान सभा में किन लोगों के लिए स्थान सुरक्षित हैं ?

....

12—विधान सभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है ?

....

13—विधान सभा के अध्यक्ष को किस नाम से पुकारते हैं ?

....

14—स्पीकर की अनुपस्थिति में सभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है ?

....

15—विधान परिषद् के सदस्यों का चुनाव कौन करता हैं ?

....

16—राज्यपाल किस प्रकार के लोगों को विधान परिषद् का सदस्य मनोनीत करता है ?

....

17—उत्तर प्रदेश की विधान परिषद् में सदस्यों की संख्या कितनी है ?

....

18—विधान परिषद् के एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है ?

....

19—विधान परिषद् के सदस्य कौन लोग हो सकते हैं ?

....

20—विधान परिषद् के सदस्यों की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए ?

....

21—विधान परिषद् की कार्यवाही का संचालन कौन करता है ?

....

22—विधान मण्डल का मुख्य कार्य क्या है ?

....

23—प्रदेश के आय-व्यय के लेखों को कौन पारित करता है ?

....

24—मंत्रि परिषद् को विधान मण्डल किस प्रकार त्याग-पत्र देने के लिए विवश करता है ?

....

25—शासन के ऊपर वास्तविक नियन्त्रण किसका होता है ?

....

26—रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिये हुए सही शब्द चुनकर करो :—

(क) विधान मण्डल की बैठक .... में होती है ? (इलाहाबाद/आगरा/लखनऊ/मथुरा)

(ख) विधान मण्डल द्वारा पारित कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है, जब तक कि उस पर .... की स्वीकृति न हो । (मुख्य मंत्री/राज्यपाल)

(ग) .... विधान सभा/विधान परिषद् की बैठक भी बुलाता है ? (राज्यपाल/मुख्य मंत्री/न्यायाधीश)

(घ) विधान सभा का अध्यक्ष .... होता है और विधान परिषद का अध्यक्ष .... होता हैं। (स्पीकर/मुख्य मंत्री/राज्यपाल/सभापति)

(ङ) विधान सभा के सदस्यों का कार्यकाल .... का होता है। (3 वर्ष/5 वर्ष/8 वर्ष)

निदानात्मक परीक्षण

(6) सामाजिक विषय—इतिहास

कक्षा–7

प्रकरण—सल्तनत काल

छात्र का नाम ....

कक्षा ....

विद्यालय का नाम ....

दिनांक ....

प्राप्तांक ....

सामान्य निर्देश

(1) सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है।

(2) प्रश्नों का उत्तर उनके सामने दिये गये रिक्त स्थानों में लिखिए।

(3) खण्ड संख्या 1 से 5 तक के अन्तर्गत दिये गये सभी प्रश्न एक-एक अंक के हैं। खण्ड 6 के अन्तर्गत दिये गये सभी प्रश्न दो अंक के हैं।

(1) निर्देश

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उनके सामने लिखिए :—

1—सिकन्दर महान बनने तथा विश्व विजय की इच्छा किस सुल्तान की थी ?

....

2—दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का परिवर्तन किस सुल्तान ने करवाया ?

....

3—इब्नबतूता नामक अफ्रीकी यात्री किस सुल्तान के शासन काल में आया ?

....

4—जियाउद्दीन बर्नी किस सुल्तान के समय के प्रसिद्ध इतिहास लेखक थे ?

....

5—तुगलक वंश का अन्तिम शासक कौन था ?

....

6—सल्तनतकालीन केन्द्रीय शासन में सर्वश्रेष्ठ पद किसका होता था ?

....

(2) निर्देश

निम्नलिखित वाक्यों में दिये गये कथनों को पूरा कीजिए :—

7—दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुबमीनार .... ने पूरी करवाई।

8—नासिरउद्दीन महमूद ······························ अपना जीवन निर्वाह करता था।

9—सुल्ताना रजिया ·················· की पुत्री थी।

10—बलबन ने विद्रोही अमीरों से निपटने के लिए ······················ के दल को भंग कर दिया।

11—मुहम्मद तुगलक ने सोने-चांदी की जगह ················ के सिक्के चलवाये।

12—फीरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा ·························· नामक पुस्तक में लिखी थी।

(3) निर्देश

स्तम्भ 'अ' में दिये हुए तथ्यों का 'ब' स्तम्भ में दिये गये तथ्यों से सही सम्बन्ध स्थापित कीजिए :—

(अ)	(ब)
13—मुकद्दम	शासन के सभी विभागों की देख-रेख करता था।
14—वजीर	सेना विभाग का अध्यक्ष होता था।
15—कोतवाल	न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था।
16—आरज	प्रान्तों के सूबेदार होते थे।
17—मुख्य काजी	गांव का मुखिया होता था।
18—नायब सुल्तान	नगर में शान्ति व्यवस्था का प्रबन्ध करता था।

(4) निर्देश

निम्नलिखित घटनायें किस सुल्तान के शासन काल में हुई :—

19—चालिस गुलामों के दल का संगठन ································

20—तुगरिल बेग की मृत्यु ································

21—वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण ································

22—दोआब में किसानों पर कर-वृद्धि ································

23—दास विभाग की स्थापना ································

24—तैमूर का भारत पर आक्रमण ································

(5) निर्देश

निम्नलिखित सुल्तानों के नाम उनके राज्यकाल के कालक्रम के अनुसार लिखिए :—

25—नासिरुद्दीन महमूद ································

26—फीरोजशाह तुगलक ································

27—अलाउद्दीन खिलजी ································

28—इल्तुतमिश ································

29—गयासुद्दीन तुगलक ································

30—बलबन ································

(6) निर्देश

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पांच पंक्तियों में लिखिए :—

31—सिंहासन पर बैठने के समय इल्तुतमिश के सामने कौन-कौन सी कठिनाइयां थीं ?

....
....
....
....
....

32—सुल्ताना रजिया के चरित्र की चार प्रमुख विशेषताएं लिखिए।

....
....
....
....
....

33—बलबन ने विद्रोही अमीरों से निपटने के लिए क्या किया ?

....
....
....
....
....

34—अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर व दक्षिण भारत के किन-किन राज्यों पर विजय प्राप्त की ?

....
....
....
....
....

35—अलाउद्दीन खिलजी के दो प्रमुख सैनिक सुधारों का उल्लेख कीजिए।

....
....
....
....
....

36—अलाउद्दीन खिलजी के दो प्रमुख आर्थिक सुधारों का उल्लेख कीजिए।

....
....
....
....
....

37—मुहम्मद तुगलक को तांबे के सिक्के चलाने से क्या हानि हुई ?

38—फीरोज तुगलक द्वारा किये गये प्रजा की भलाई के किन्हीं चार कार्यों का उल्लेख कीजिए।

39—सल्तनत कालीन शासन में हिन्दू स्त्रियों की क्या स्थिति थी ?

40—सल्तनत काल के प्रमुख उद्योग-धन्धों का उल्लेख कीजिए।

41—सल्तनत काल के चार प्रमुख साहित्यकारों के नाम लिखिए।

42—सल्तनत काल की दो प्रसिद्ध इमारतों के सम्बन्ध में उल्लेख कीजिए।

43—दिल्ली के सुल्तान भारतवासियों की राजभक्ति क्यों नहीं प्राप्त कर सके ?

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र० द्वारा निर्मित

मॉड्यूल–रा 2 सी

विद्यालय में खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन

भूमिका

बालक-बालिका के सर्वांगीण एवं सर्वतोमुखी विकास के लिए खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन की उपयोगिता अपरिहार्य है। बालकों को बौद्धिक विकास के लिए जहां पुस्तकीय ज्ञान देना आवश्यक है, वहीं उनको व्यावहारिक ज्ञान तथा सामाजिक कार्यकुशलता में निपुणता प्राप्त करने के लिए, खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन विद्यालयों में किया जाना आवश्यक है। बच्चों में अन्तर्निहित विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियों, अभिरुचियों को विकसित एवं मुखरित करना आवश्यक है और यह कार्य खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों से ही सम्भव है।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आपको :

(1) खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की उपयोगिता की पूरी जानकारी हो जाएगी।

(2) खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन से बालकों में कौन-कौन से सद्‌गुणों का विकास हो जाता है, का ज्ञान हो जाएगा।

(3) जीवन के लिए शारीरिक स्वस्थता तथा मानसिक स्वस्थता दोनों ही आवश्यक हैं, की अनुभूति हो जाएगी।

(4) खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन करने की विधा की जानकारी हो जाएगी।

(5) खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं के आयोजन में किन-किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, का आभास ही जायेगा।

(6) खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों के आयोजन हेतु किन-किन उपकरणों, सामानों तथा साधनों की आवश्यकता पड़ सकती है, की परिचयात्मक जानकारी प्राप्त हो जायेगी।

(7) विद्यालय में खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की व्यवस्था तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन सरलतापूर्वक कर सकेंगे।

संक्षिप्त विवरण

वैसे प्रारंभ से ही विद्यालयों में खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। जनपदीय, मण्डलीय, राज्य, राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, किन्तु इनमें सभी बच्चों की सहभागिता नहीं हो पाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत खेल-कूद, योगासन, स्काउट-गाइड, रेडक्रास तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की व्यवस्था एवं आयोजन पर विशेष बल दिया गया है।

क्रियापत्रक–1

खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी कार्यकलाप की आवश्यकता, महत्त्व बताइए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

(1) प्रतियोगिता के आयोजन में विचारणीय प्रकरण

1—भाग लेने वाली टीम की प्रविष्टि हेतु सूचित करना तथा संबंधित प्रेस नोट आदि जारी कराना।

2—संख्या के अनुसार फिक्श्चर तैयार करना। नाक आउट प्रणाली में विजेता तथा उप विजेता की अलग-अलग हाफ में रखा जाएगा। लीग आधार पर हर एक टीम का आपस में मैच होता है।

3—प्रतियोगिता के लिए मैदान और उससे संबंधित उपकरण की व्यवस्था करना।

4—समय से मैदान की मार्किंग कराना।

5—प्रतियोगिता के संचालन के लिए निर्णायकों का प्रबंध करना।

6—प्रतियोगिता की नियमावली सरल तथा स्पष्ट रूप से तैयार करना। टीमों तथा निर्णायकों को सूचित करना ताकि उसी के अनुरूप प्रतियोगिता निर्विवाद करायी जा सके।

7—खेल में निर्णायकों का निर्णय अन्तिम होता है, फिर भी किसी तकनीकी प्रकरण पर विवाद हो सकता है जिसके लिए प्रोटेस्ट समिति का गठन कर लिया जाना चाहिए।

8—उद्घाटन की औपचारिकतायें भी आवश्यक होती हैं। मुख्य अतिथि से समय ले लिया जाए और उनके प्रतियोगिता के स्थान पर पहुंचने के पूर्व सभी व्यवस्था पूर्ण होनी चाहिए।

9—समारोह में भाषण का स्थान तथा समय बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। आवश्यक प्रसारण के पश्चात् खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि से परिचय कराकर खेल प्रारंभ कराना चाहिए।

10—खेल के स्तर तथा बजट के अनुरूप ही व्यवस्था करायी जानी चाहिए। यहां पर विशेष ध्यान देने की बात है कि व्यय में मितव्ययता बरती जाए और खेल में तकनीकी पक्ष पर विशेष बल दिया जाए।

11—खेले गये मैच आदि का विवरण रखा जाए और परिणाम समाचार पत्र आदि के माध्यम से प्रसारित कराया जाए। खेल पत्रकारों को आमंत्रित कर सहयोग लिया जाए।

12—समय-समय पर पुराने खिलाड़ियों को आमंत्रित किया जाए और उनके सुझाव भी लिये जाएं ताकि आगामी आयोजनों में स्तर बढ़ सके और आयोजन की कमियों को दूर किया जा सके।

13—यदि प्रतियोगिता के आधार पर उच्चस्तरीय प्रतियोगिता हेतु टीम का चयन किया जाना हो तो जानकार लोगों की चयन समिति पहले से ही गठित कर ली जाए। खिलाड़ियों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर ही सुनिश्चित किया जाये।

14—आगे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आयोजकों को समय से सूचना भेज दी जाए।

15—समापन समारोह की व्यवस्था समय से की जाए तथा पुरस्कार आदि की व्यवस्था पहले से ही रहे और उसको ठीक प्रकार से लगाया जाए ताकि वितरण के समय कोई कठिनाई न हो।

16—यहां पर यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि भाषण आदि का कार्य पुरस्कार के वितरण के पूर्व करा लिया जाए अन्यथा पुरस्कार वितरण के बाद कोई भाषण ध्यान से नहीं सुनता और अव्यवस्था तथा अनुशासनहीनता दिखलाई पड़ने लगती है।

17—यदि कभी खुली प्रतियोगिता करनी हो तो खेल विशेष के संघ से लागू नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण कराना आवश्यक है। स्तर के अनुसार जनपदीय, प्रदेशीय अथवा राष्ट्रीय संघ से मान्यता लेनी होती है और उसके लिए पहले से ही इसी माध्यम से आवेदन करना होता है।

खेल-कूद प्रतियोगिताओं के आयोजकों को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?	एकत्र कीजिए विचार कीजिए मिलान कीजिए

(2) (वार्मिंग अप) पूर्व शारीरिक गर्माहट

स्पोर्ट्स में जब हम कोई भी खेल खेलते हैं तो उससे पूर्व शारीरिक गर्माहट का होना अति आवश्यक है क्योंकि खिलाड़ी को अपने आपको शारीरिक एवं मानसिक तौर पर जो भी व्यायाम करना है उसके लिये तैयार करना अति आवश्यक है। मानव शरीर विभिन्न मांसपेशियों से बना हुआ है जैसे स्कूटर चलाया जाता है तो सर्वप्रथम फर्स्ट गेयर फिर दूसरा गेयर और अन्त में तीसरा गेयर लगाया जाता है। इसी प्रकार शरीर भी एक मशीन है। इसको भी किसी खेल में खेलने से पूर्व गर्म करना अति आवश्यक है। शरीर में जो मांसपेशियां बनी हुयी हैं वार्मिग अप करने से इनकी क्षमता बढ़ जाती है। शारीरिक गर्माहट दो प्रकार की होती है :—

1. साधारण शारीरिक गर्माहट (जनरल वार्मिग अप)
2. विशेष शारीरिक गर्माहट (स्पेसिफिक वार्मिग अप)

1. साधारण शारीरिक गर्माहट

जनरल वार्मिग अप हर खिलाड़ी के लिये अति आवश्यक है। यह दस से पन्द्रह मिनट के बीच होनी चाहिए। सबसे पहले मन्द गति दौड़ (स्लो जौगिंग) से प्रारंभ की जायेगी। इसके बाद अल्प काल के लिए मध्यम गति दौड़ (रनिंग स्लो पेस) पर की जायेगी। इसके बाद शारीरिक व्यायाम, फैलाव संबंधी लचीलापन तथा व्यायाम (फिजिकल एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग तथा फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज) की जायेगी। उसके बाद दो-तीन मिनट विन्डस्प्रिन्ट लगाया जायेगा, जिसकी दूरी 70 मीटर होगी। पहले 30 मीटर मन्द गति दौड़, 20 मीटर तेज तथा 20 मीटर मन्द की जायेगी।

2. विशेष शारीरिक गर्माहट

साधारण वार्मिग अप करने के बाद विशेष वार्मिग अप की जाती है। यह हर खेल के अनुसार अलग-अलग होती है। जैसे हाकी के खिलाड़ी को कम से कम 6 व्यायाम क्रियाएं जो हाकी से संबंधित हों करना होगा। यदि वह धावक है तो वह अपने इवेन्ट से संबंधित व्यायाम क्रिया करेगा। जिस प्रकार एक धावक को 110 बाधा दौड़ (हर्डिल्स) में भाग लेना है तो वह धावक अपने इवेन्ट के अनुसार विशेष गर्माहट संबंधी व्यायाम क्रिया करेगा। विशेष वार्मिग अप हर खेल के लिए अलग-अलग होता है।

(3) (फिजिकल फिटनेस) शारीरिक क्षमता

स्पोर्ट्स में यह आवश्यक है कि खेल विशेष के अनुसार भाग लेने वाले खिलाड़ी में शारीरिक क्षमता विद्यमान हो। जैसे हाकी, फुटबाल, बैडमिण्टन, जिमनास्टिक, एथलेटिक्स, तैराकी आदि से खिलाड़ी को 2 घंटे से भी अधिक लगातार खेलना पड़ता है। यदि उसमें शारीरिक क्षमता नहीं है तो उसकी उपलब्धियों में गिरावट आ सकती है।

शारीरिक क्षमता की परिभाषा

शारीरिक क्षमता का सीधा सा अर्थ यह है कि वह शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो और अपने खेल के अनुसार शरीर को मजबूत रख सके तथा शरीर का संतुलन बनाये रखे।

स्पोर्ट्स में शारीरिक क्षमता बुनियाद का कार्य करती है। मकान बनाते समय नींव की गहराई के आधार पर ही इमारत बनायी जाती है। इसी प्रकार स्पोर्ट्स में शारीरिक क्षमता हर खेल में बुनियाद का कार्य करती है। शारीरिक क्षमता दो प्रकार की होती है :—

1. साधारण क्षमता (जनरल फिटनेस)
2. विशेष क्षमता (स्पेसिफिक फिटनेस)

साधारण क्षमता

साधारण क्षमता हर खिलाड़ी के लिये आवश्यक है। विशेष क्षमता हर खेल की अलग-अलग होती है। साधारण फिटनेस के लिये मुख्य रूप से निम्न चार गुणों का होना आवश्यक है :—

1. एन्ड्योरेन्स (गुणता)
2. स्ट्रेन्थ (बल)
3. स्पीड (गति)
4. फ्लेक्सिबिलिटी (लचीलापन)

1. शारीरिक गुणता (एन्ड्योरेन्स)

शारीरिक गुणता का तात्पर्य यह है कि अधिक समय तक थकान के उपरांत भी खेलते रहने की क्षमता, ताकि खेल में किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव न पड़े। शारीरिक गुणता निम्नलिखित साधनों से प्राप्त की जा सकती है :—

1. शारीरिक व्यायाम
2. दौड़ (रनिंग)
3. हिल रनिंग
4. सैन्ड रनिंग
5. स्टेयर रनिंग (सीढ़ियों पर दौड़)

2. स्ट्रेन्थ (बल)

बल से तात्पर्य है थकान न हो सकने की क्षमता प्राप्त करना। अगर मांसपेशियों में शक्ति नहीं है तो कोई भी खेल नहीं खेला जा सकता है। बल निम्नलिखित साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। स्ट्रेन्थ किसी भी खिलाड़ी की योग्यता है जब वह किसी बाधा के विरुद्ध कार्य करता है।

साधन

1. शारीरिक व्यायाम
2. मेडिसिन बाल एक्सरसाइज
3. पार्टनर एक्सरसाइज
4. रोप क्लाइम्बिग
5. हिल रनिंग
6. स्टेयर रनिंग तथा स्टेयर एक्सरसाइज

3. स्पीड (गति)

खिलाड़ी में स्पीड का होना अति आवश्यक है। आज के युग में हर खेल गति (स्पीड) तथा शक्ति (पावर) पर निर्भर करता है। गति का तात्पर्य ये है कि खेल में कोई भी मोटर ऐक्शन कम से कम समय में कर लें जैसे :—50 मी० की दौड़ लगायी जाय तो उसमें हर बच्चे का समय अलग-अलग आयेगा, उससे बालक की स्पीड (गति) देखी जा सकती है। यह गुण हर खिलाड़ी को जन्म से ही प्राप्त होता है। प्रशिक्षण द्वारा ये गुण केवल 15 प्रतिशत ही बढ़ाया जा सकता है। गति को बढ़ाने के लिये निम्न साधन प्रयोग किये जायेंगे। 20 मी० की शार्टस्प्रिन्ट, 40 मी० की शार्टस्प्रिन्ट, 60 मी० की शार्टस्प्रिन्ट, 80 मी० की शार्टस्प्रिन्ट, 100 मी० की शार्टस्प्रिन्ट।

4. फ्लेक्सिबिलिटी

खेल में यदि लचीलापन का गुण नहीं है तो खिलाड़ी को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शरीर में विभिन्न ज्वाइन्ट तथा मांसपेशियां हैं। उसमें जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ही उस समय खिलाड़ी में मूवमेन्ट का फैलाव बढ़ जायेगा। फ्लेक्सिबिलिटी का तात्पर्य है खिलाड़ी में गतिशीलता का प्रसार तथा लचीलापन का होना। फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त करने के निम्न साधन हैं :—

1. स्ट्रेंचिग एक्सरसाइज
2. जिम्नास्टिक एक्सरसाइज
3. हार्डलिंग एक्सरसाइज
4. हैण्डबाल, वालीबाल, आदि के खेलने से भी फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त होती है।

ऊपर लिखे ये चार गुण हर खिलाड़ी में होना आवश्यक है। हर खेल में एन्ड्योरेन्स, बल, गति, लचीलेपन की जरूरत है। जब किसी खिलाड़ी में साधारण शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है उसके बाद हर खेल के अनुसार उसको विशेष क्षमता अर्जित करायी जाती है।

(4) न्यूट्रीशन

स्पोर्ट्स में संतुलित आहार का बहुत ही महत्व है। जब एक खिलाड़ी खेल खेलता है उसको अच्छे आहार की जरूरत पड़ती है। यदि खिलाड़ी को अच्छा आहार नहीं दिया जायेगा तो उसके खेल का स्तर नहीं बढ़ सकता है। जब हम खेल में भाग लेते हैं तो उस समय बहुत सारी कैलरीज खर्च होती है। एक आदमी को जो दफ्तर में कार्य करता है उसको 2000 कैलरीज की आवश्यकता होती है तथा जो स्पोर्ट्स में भाग लेता है उसको 5000 से 6000 तक कैलरीज की आवश्यकता है ! किसी भी आयु पर सन्तुलित आहार स्वास्थ्य को पुनः लाभ प्रदान कर सकता है तथा पुनः सुधार सम्भव है। संतुलित भोजन में निम्नलिखित अवयवों का होना अति आवश्यक है :—

1. प्रोटीन
2. कार्बोहाइड्रेट
3. फैट्स (वसा)
4. विटामिन
5. खनिज पदार्थ
6. जल

भोजन में ताजी और साफ सब्जियों का होना आवश्यक है। तली हुई चीजों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। इससे लीवर को हानि पहुँचती है। खाने में हरा सलाद, सब्जियों, फल, दूध, पनीर, दही, शहद, जूस, मछली, मीट, अण्डा का प्रयोग करना चाहिए।

1. प्रोटीन

शरीर के लिए विभिन्न सेल्स टीशू टूटते रहते हैं। प्रोटीन उसको बनाने का कार्य करती है जैसे–जब हम मकान बनाते हैं तो ईंटों में गारा लगाया जाता है तो गारे से ईंट जुड़ जाती है उसी प्रकार प्रोटीन हमारे शरीर में सेल्स टीशू को बनाने का कार्य करती है। प्रोटीन मुख्य रूप से निम्नलिखित चीजों में प्राप्त होती है: सोयाबीन, पनीर, दूध, मटर, मीट, चना, साबूदाना इत्यादि ।

2. फैट्स

शरीर में तापमान को ठीक रखने के लिए फैट्स कार्य करती है। क्योंकि जब हम खेल में लंबे समय के लिए कार्य करते हैं उस समय फैट्स की आवश्यकता होती है। ये निम्नलिखित चीजों में पायी जाती है: मक्खन, घी, तेल, सूखा मेवा, दूध, चावल, अण्डा, मीट, मूंगफली, बादाम इत्यादि ।

3. कार्बोहाइड्रेट

खिलाड़ी के भोजन में 60 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए क्योंकि खिलाड़ी को स्पोर्ट्स में तत्पर ऊर्जा मिलने वाला आहार प्रयोग करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है तथा शरीर के तापमान को भी ठीक रखता है। कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित चीजों में पायी जाती है: शहद, चीनी, गन्ने का रस, गुड़, अंगूर, चावल, आलू, प्याज, गाजर, मूली, आम, केला इत्यादि ।

4. विटामिन

शरीर में बहुत सारी कमियां हो जाती हैं उन कमियों को पूरा करने के लिए भोजन में विटामिन का होना अति आवश्यक है। मुख्य रूप से विटामिन छः प्रकार के होते हैं। विटामिन–ए, विटामिन–बी, विटामिन–सी, विटामिन–डी, विटामिन–ई तथा विटामिन–एफ होते हैं। स्पोर्ट्स में विटामिन–बी, विटामिन–बी$_{12}$ तथा विटामिन–सी काम आता है। विटामिन मुख्य रूप से सब्जियों में, फलों में प्राप्त होते हैं। विटामिन–डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है ।

5. पानी तथा खनिज

जब हम व्यायाम करते हैं तो उसमें पसीना आता है। उससे क्लोराइड्स निकलते हैं। उसको पूरा करने के लिए नमक व पानी का लेना अति आवश्यक है। खिलाड़ी को पानी शुद्ध पीना चाहिए। यदि पानी में मिलावट हो तो उसको नहीं पीना चाहिए। यदि हो सके तो पानी फिल्टर या उबाला हुआ पीना चाहिए। खिलाड़ी को ज्यादा पानी पीना चाहिए।

खिलाड़ी को भोजन ज्यादा नहीं करना चाहिए। ज्यादा भोजन करने से शरीर में फैट्स बढ़ जायेगा तथा शरीर में भारीपन एवं सुस्ती आनी शुरू हो जायेगी, जो खिलाड़ी के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार खिलाड़ी को आवश्यकता से कम भोजन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन कम करने से उसके शरीर में कमजोरी आ जायेगी। भोजन का मुख्य सिद्धांत यह है कि जितनी कैलरीज हम लें उतने को हम खर्च करें। जैसे–एक खिलाड़ी को 5000 कैलरीज की जरूरत है, यदि वह 6000 कैलरीज ले रहा है तो 1000 कैलरीज जो बच गयी है वह फैट्स में परिवर्तित हो जायेगी। अतः सन्तुलित भोजन में भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, खनिज तथा पानी का होना अति आवश्यक हैं।

विशेष

खिलाड़ियों को सामान्यतया यह भ्रम होता है कि जब तक बहुत कीमती फल-फूल, मेवा आदि से परिपूर्ण भोजन न किया जाये अच्छा खिलाड़ी नहीं बना जा सकता है। वह यह भी सोचते हैं कि मांस, मछली, अण्डा से ही पौष्टिक तत्व प्राप्त किये जा सकते हैं। जबकि खिलाड़ियों को ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें सभी तत्व जैसे–प्रोटीन,

कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स तथा पानी पर्याप्त मात्रा में हो। साधारण भोजन जो सुपाच्य हो, प्रयोग करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। हम अपने खाद्य पदार्थ को इस प्रकार ग्रहण करें कि उनमें आसानी से कम कीमत में प्राप्त होने वाले सभी खाद्य-तत्व विद्यमान हों, जैसे दलिया, चना, सोयाबीन, हरी सब्जियां, मौसमी सस्ते फल आदि। लेकिन इन वस्तुओं का प्रयोग सही मात्रा, आवश्यकतानुसार करें तो हमें संतुलित आहार का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा और इससे न केवल शारीरिक ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगी बल्कि इससे शारीरिक विकास भी विधिवत होगा। अंकुरित चने के उपयोग से अधिक मात्रा में लाभ होगा। चने को पानी में भिगोकर, साफ कपड़े में बांधकर रखें एवं जब उसमें अंकुर निकल आयें तो उसका उपयोग करना श्रेष्ठकर होता है। इसी प्रकार से दलिया का सेवन अधिक लाभप्रद है एवं सुपाच्य है एवं इसमें अधिकांशतया सभी आवश्यक तत्व विद्यमान होते हैं। इसी तरह सब्जियों में पालक, गाजर, मूली, टमाटर, चुकंदर आदि का सेवन अधिक करना चाहिए। फलों का सेवन लाभप्रद है लेकिन इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि केवल महंगे फल ही ग्रहण किये जायें। मौसम के अनुसार आसानी से कम लागत पर प्राप्त होने वाले फल सभी आवश्यक गुणों से परिपूर्ण होते हैं और गुणवत्ता के हिसाब से कीमती फलों से किसी प्रकार कम नहीं होते हैं। इस प्रकार शुद्ध, स्वच्छ एवं शाकाहारी भोजन से हम सभी आवश्यक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें उसी प्रकार के भोजन की आदत डालनी चाहिए।

अब विश्व में भी जहां पर लोग मूलतः मांसाहारी भोजन को ही वरीयता देते हैं, वे भी आज इस शाकाहारी भोजन को महत्व देने लगे हैं। दूध का सेवन तो लाभप्रद है ही क्योंकि उसको अपने आप में संपूर्ण आहार माना जाता है। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि हम बहुत कीमती या गरिष्ठ भोजन से ही आवश्यक पोषण-तत्व पा सकते हैं। इस प्रकार सादा स्वच्छ, संतुलित मात्रा में भोजन लेने से हमें हमारे शरीर के लिये आवश्यक पूर्ति होती है। हमारे विद्यार्थी जो 12 से 18 वर्ष की आयु के हैं एवं विद्यालयों में अध्ययन करते हैं, उनकी जानकारी के लिये एक संतुलित शाकाहारी आहार की सारणी (मीनू) प्रस्तुत की जा रही है। इसके लिये इस प्रकार से प्रयोग लाभकारी एवं श्रेष्ठतम होगा।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए तथा शक्ति संचय के लिए हमें दलिया का प्रयोग करना चाहिए। अंकुरित चने पौष्टिक होते हैं तथा इनमें स्वाद भी रहता है। दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, इनका नियमित प्रयोग स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सामयिक मौसमी फलों के उपयोग की आदत हमें डालनी चाहिए। अनेक कच्ची सब्जियां जैसे—टमाटर, गाजर का प्रयोग भी स्वास्थ्यवर्धक है।

12 से 18 वर्ष तक आयु के खिलाड़ियों का शाकाहारी संतुलित आहार

प्रातः 7.00 बजे	नाश्ता 8.30 बजे	दोपहर का भोजन 12.00 बजे	सायं 5.00 बजे	रात्रि का भोजन 8.00 बजे
अंकुरित चना,	30 ग्राम दलिया	चपाती, चावल	सिकंजी	राजमा,
गेहूं, मूंग	35 ग्राम दूध	दाल	नींबू, चीनी, नमक,	सोयाबीन की बड़ी,
गुड़	30 ग्राम चीनी	सब्जी	मीठा दूध	मटर पनीर, दाल,
	4 डबल रोटी के टुकड़े	दही	एक गिलास	फली की सब्जी,
	20 ग्राम मक्खन	हरे पत्ते की सब्जी		सलाद, खीरा,
	2 केला/मौसमी	सलाद		हरी पत्ती, नींबू,
	का फल	फल		गुड़ या स्वीट डिश

रोटी—गेहूं, चना तथा सोयाबीन के आटे की बनानी चाहिए।

(5) फुटबाल प्रतियोगिता हेतु सामान्य ज्ञान

ग्राउन्ड

इसके लिये अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु 110 से 120 गज लम्बाई तथा 70 से 80 गज चौड़ाई निर्धारित है परन्तु उपलब्धता के आधार पर छोटी ग्राउन्ड बनाकर प्रतियोगिता की जा सकती है। हां, लम्बाई हमेशा चौड़ाई से अधिक रखनी होगी। इसका गोल 8 गज का होता है और उसकी ऊंचाई 8 फिट होती है। इस खेल में कहीं से सीधे मारकर गोल किया जा सकता है केवल उन स्थितियों को छोड़कर जिसमें इनडायरेक्ट फ्री किक दिया गया है।

खिलाड़ी

इसमें भी 11 खिलाड़ियों की टीम होती है। दो खिलाड़ी कभी भी बदले जा सकते हैं परन्तु एक बार बदला जा चुका खिलाड़ी दुबारा उस मैच में नहीं खेल सकता। छोटी ग्राउन्ड होने की दशा में कम संख्या के खिलाड़ियों की टीम बनाकर प्रतियोगिता कराई जा सकती है। बहुत छोटी ग्राउन्ड होने पर गोल पोस्ट की दूरी भी कम करना उचित होगी। दोनों ओर गोल पोस्ट से 18 गज की दूरी पर मार्किंग करके पेनाल्टी एरिया बनाया जाता है। इस अपने एरिया में गोलकीपर द्वारा हाथ का प्रयोग किया जा सकता है अन्यथा हर जगह उसके और दूसरे खिलाड़ियों के लिये हाथ का प्रयोग वर्जित है।

समय

पूरा मैच 90 मिनट का होता है जो कि 45 मिनट के दो भागों में विभाजित होता है और बीच में 10 मिनट का मध्यान्तर रहता है। बराबर रहने पर 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है और उसके पश्चात टाई ब्रेकर नियम लागू होता है। आवश्यकता तथा खिलाड़ियों की संख्या आदि को देखते हुए कम समय के मैच कराये जा सकते हैं।

निर्णायक

इसमें एक रेफरी तथा दो सहायक (लाइन्समैन) होते हैं जोकि अपने-अपने हाथ में फ्लैग दिखाकर रेफरी की सहायता करते हैं। रेफरी सीटी बजाकर अपना निर्णय देता रहता है। चौथा टेबुल आफिशल होता है जोकि रेकार्ड आदि रखता है और चेतावनी तथा खिलाड़ी परिवर्तन आदि भी नोट करता रहता है।

निर्णय

फुटबाल में भी जीत हार गोल के अन्तर से होती है। बराबर रहने पर अतिरिक्त समय दिया जाता है और उस पर भी निर्णय न हो पाने की दशा में टाई ब्रेकर नियम लागू होता है।

सामान्य नियम

खेल के अन्तर्गत नियम भंग करने पर विपक्षी टीम को फ्री किक लगाकर फिर खेल प्रारंभ करने का अवसर रेफरी द्वारा दिया जाता है। नौ ऐसे फाउल होते हैं जोकि पैनल अफेंस कहलाते हैं और जान बूझकर किये जाने पर डायरेक्ट फ्री किक दिया जाता है अर्थात् सीधे गोल में मार देने की दशा में गोल दिया जायेगा। यदि फाउल का स्थान अपने पेनाल्टी एरिया में किया जाय तो पेनाल्टी किक दी जाती है और वह केवल गोलकीपर को खड़े करके 2 गज की दूरी से विपक्षी टीम के एक खिलाड़ी द्वारा लगाई जाती है। इन दो खिलाड़ियों को छोड़कर सभी खिलाड़ियों को उस एरिया के बाहर खड़ा होना पड़ता है। इन नौ फाउल्स के अतिरिक्त नियम भंग करने पर रेफरी द्वारा 'इनडायरेक्ट किक' दी जाती है जिसका संकेत सीटी के साथ एक हाथ उठाकर देता है। इनडायरेक्ट किक में यह आवश्यक है कि बाल गोल में जाने से पूर्व किक

लगाने वाले खिलाड़ी के अतिरिक्त किसी अन्य ने भी छुआ हो अन्यथा गोल नहीं दिया जायेगा। पेनाल्टी किक के अवसर को छोड़कर फ्री किक के समय बाल से समस्त विपक्षी दस गज दूर खड़े होंगे। अपना खिलाड़ी नजदीक हो सकता है। पेनाल्टी में अपने खिलाड़ी को 10 गज दूर खड़ा होना आवश्यक है।

(6) हाकी प्रतियोगिता हेतु सामान्य ज्ञान

हाकी प्रतियोगिता का आयोजन सामान्य तथा राष्ट्रीय हाकी संघ के मान्य नियमों के अन्तर्गत होना चाहिये। परन्तु छोटे स्तर पर आयोजन हेतु सुविधानुसार परिवर्तन कर प्रतियोगितायें आयोजित की जा सकती हैं।

मैदान

इसके लिये 100 × 60 गज का पूरा मैदान होना चाहिये। दोनों ओर चौड़ाई की ओर बीच में गोल पोस्ट लगते हैं जिनकी आपस में दूरी 4 गज होती है और ऊंचाई 7 फीट। 16 गज की गोल से दूरी रखते हुये स्ट्राईकिंग सर्किल बनाया जाता है। इसी सर्किल के अन्दर से विपक्षी द्वारा बाल मार कर गोल में फेंकने पर गोल होता है। परन्तु हर जगह पूरी माप का मैदान उपलब्ध नहीं हो पाता तो छोटे ग्राउन्ड पर मैच कराये जायें और यथासम्भव माप के अनुपात में मार्किंग की जाय। ग्राउन्ड आयताकार होना चाहिये।

खिलाड़ी

मैच के लिये दोनों ओर ग्यारह-ग्यारह खिलाड़ियों की टीम होती है। यदि मैदान छोटा है तो कम खिलाड़ियों की संख्या रखकर प्रतियोगिता की जा सकती है। बहुत छोटी ग्राउन्ड में खिलाड़ियों की संख्या सीमित करने के साथ गोल पोस्ट भी कम दूरी पर लगाये जा सकते हैं। सुविधानुसार 6, 4 तथा 3 खिलाड़ी तक की टीम गठित कर प्रतियोगितायें कराई जा सकती हैं।

सामान्य नियम

सामान्यतया खेल के लागू नियमों के आधार पर प्रतियोगिता की जानी चाहिये। परन्तु खिलाड़ियों की संख्या कम होने की दशा में "आफ साइड" नियम शिथिल किया जा सकता है।

समय

पूरा मैच 70 मिनट के दो भागों में होता है। बीच में 35 मिनट के बाद 5 मिनट का विश्राम रहता है। खिलाड़ियों की संख्या तथा मैदान की माप के अनुसार कम समय का मैच निर्धारित किया जा सकता है परन्तु पूरा समय दो भागों में अवश्य विभाजित हो और मध्यान्तर के बाद साइड अवश्य बदली जाये।

निर्णायक

मैच को खिलाने हेतु दो निर्णायक होते हैं जिन्हें "अम्पायर" कहते हैं। सामान्यतया दोनों अपने-अपने क्षेत्र के नियमानुसार सीटी बजाकर निर्णय देते रहते हैं। यदि बहुत छोटी ग्राउन्ड में कम संख्या के खिलाड़ियों का मैच करना हो तो एक अम्पायर से भी काम चलाया जा सकता है।

निर्णय

मैचों के हार-जीत का फैसला गोलों के अन्तर के आधार पर होता है। पूर्ण समय तक बराबर रहने पर अतिरिक्त समय दिया जाता है और फिर फैसला न हो सके तो "टाईब्रेकर" नियम लागू करके निर्णय होता है। समयाभाव को देखते हुये पहले से ही बता कर सीधे टाईब्रेकर नियम लागू किया जा सकता है।

यदि आयोजन लीग प्रणाली के आधार पर किया जाता है तो हर टीम को हर टीम से खेलना पड़ता है। जीतने वाले को दो तथा हारने वाले को शून्य प्वाइन्ट मिलते हैं। बराबर रहने की दशा में एक-एक प्वाइन्ट दोनों को मिलते हैं। अधिक प्वाइन्ट पाने वाली टीम विजयी होती है।

नियम

हाकी स्टिक के चपटे वाले भाग की ओर का ही खेल में प्रयोग हो सकता है। शरीर के अंग का प्रयोग करना तथा स्टिक अथवा शरीर से विपक्षी को बाधा पहुंचाना वर्जित है। गोलकीपर रक्षा के लिये हाथ का प्रयोग कर सकता है। नियम का उल्लंघन करने की दशा में फ्री हिट, पेनाल्टी कारनर अथवा पेनाल्टी स्ट्रोक, स्थान व गम्भीरता के अनुसार, देकर अम्पायर उस टीम को दण्डित करता है।

(7) कबड्डी प्रतियोगिता हेतु सामान्य ज्ञान

ग्राउन्ड

इसके लिये 12.5 × 10 मी० के आयताकार मैदान की आवश्यकता पड़ती है, जिसे चूने आदि से मार्क करके प्रतियोगिता के लिये तैयार किया जा सकता है। मध्य रेखा के दोनों ओर "वाक लाइन" बोनस लाइन बनाई जाती है। खिलाड़ियों की पकड़ की दशा में ही प्रयोग हेतु 1 मीटर की चौड़ाई वाली साइड में लाबी बनाई जाती है। खेल के दौरान आउट होने वाले खिलाड़ियों के लिये कोर्ट के भाग के पीछे ब्लाक बनाया जाता है। ग्राउन्ड के रेखांकित सीमा के बाहर की भूमि के सम्पर्क में आने पर खिलाड़ी आउट हो जाता है।

समय

खेल बीस-बीस मिनट के दो भागों में बटा होता है। बीच में पांच मिनट का मध्यान्तर रहता है। बराबर रहने की दशा में पांच-पांच मिनट के दो भाग में अतिरिक्त समय दिया जाता है और फिर भी बराबर रहने पर पहला प्वाइन्ट बनाने वाली टीम विजयी होती है।

खिलाड़ी

सात-सात खिलाड़ियों की टीम होती है।

निर्णायक

इसमें एक रैफरी तथा दो अम्पायर होते हैं जो वास्तविक निर्णय देते रहते हैं। उनकी सहायता के लिये स्कोरर तथा लाक नियन्त्रक होते हैं।

सामान्य नियम

एक खिलाड़ी अपनी टीम की ओर से कबड्डी बोलते हुये विपक्षी के कोर्ट में कबड्डी बोलने जाता है। उसे एक सांस में कबड्डी शब्द का उच्चारण करते रहना होता है जिसे वह अपने कोर्ट से शुरू कर अपने ही कोर्ट में समाप्त कर सकता है अन्यथा उसे आउट कर दिया जायेगा। यदि वह किसी विपक्षी खिलाड़ी अथवा खिलाड़ियों को छूकर बिना सांस तोड़े अपने कोर्ट में सुरक्षित वापस आ जाता है तो वे सारे विपक्षी आउट कर दिये जायेंगे और उतने प्वाइन्ट उसकी टीम को मिल जायेंगे। बिना छुये वापस आने के लिये कबड्डी बोलने वाले को विपक्षी कोर्ट में वाक लाइन क्रास करना आवश्यक होता है वर्ना उसे आउट दे दिया जायेगा। खेल को तेज व संघर्ष पूर्ण बनाने के लिये कबड्डी बोलने वाले खिलाड़ी के बोनस लाइन क्रास करने पर एक बोनस प्वाइन्ट दिया जाता है। कबड्डी बोलने का अवसर बारी-बारी दोनों टीमों

को मिलता रहता है। खिलाड़ी जिस क्रम में आउट होकर अपने ब्लाक में बैठता है उसी क्रम में विपक्षी के आउट होने पर उठता है। पूर्ण टीम के आउट होने पर दो प्वाइन्ट लोना के रूप में विपक्षी टीम को दिया जाता है। यदि विपक्षी टीम के खिलाड़ी कबड्डी बोलने वाले खिलाड़ी को अपने कोर्ट में पकड़ लेते हैं और वह कबड्डी बोलते हुये वापस कोर्ट में सुरक्षित नहीं पहुंच पाता है तो वह आउट कर दिया जायेगा।

(8) खो-खो प्रतियोगिता हेतु सामान्य ज्ञान

ग्राउण्ड

इसके लिए 26× 15 मीटर ग्राउन्ड की आवश्यकता होती है। इसमें दो खम्भ दोनों चौड़ाई की लाइन से 2.70 मीटर पर बीच में गाड़े जाते हैं। फिर खम्भों से अन्दर की ओर 2.25 मीटर की दूरी पर दोनों ओर रेखा खींची जाती है और यहीं से 30 सें० मी० के आठ चौकोर ब्लाक बनाये जाते हैं जिनकी आपसी दूरी 2.30 मीटर होती है। इन्हीं आठों खानों में चेंजर टीम के आठ खिलाड़ी क्रमशः एक दूसरे के निर्धारित दिशा में ग्राउन्ड की लम्बाई की ओर मुंह कर बैठते हैं।

खिलाड़ी

मैच को नौ खिलाड़ियों की एक टीम खेलती है। मैच दो इनिंग का होता है। इस प्रकार प्रत्येक टीम दो बा रनर तथा दो बार चेंजर के रूप में ग्राउन्ड पर उतरती है। चेंज करने के समय आठ खिलाड़ी ब्लाक में बैठते हैं और एक एक्टिव चेंजर होता है। रनर टीम के खिलाड़ी तीन-तीन ग्रुप में आते हैं। पहले ग्रुप के तीनों खिलाड़ियों के आउट होने पर दूसरा ग्रुप मैदान में आता है।

समय

पूरा मैच 7 मिनट के चार इनिंग में विभाजित होता है। एक टीम के खेल लेने पर दूसरी टीम 2 मिनट के विश्रा के बाद खेलती है। दोनों टीम के पहले इनिंग के 5 मिनट बाद दूसरी इनिंग आरम्भ होती है। टास जीतने वाली टी का अधिकार होता है कि वह पहले रनर या चेंजर बनना चुने।

निर्णायक

इसमें एक रेफरी तथा दो अम्पायर मैच को सीटी बजाकर खिलाते हैं। स्कोरर तथा टाइमकीपर बाहर टेबुल से सहयोग देते हैं।

निर्णय

मैच में हार जीत प्वाइंट के आधार पर होती है। एक रनर को आउट करने पर एक प्वाइंट मिलता है। चेंज करने वाली टीम के खिलाड़ी जल्दी-जल्दी एक दूसरे को "खो" देकर रनर को छूने की कोशिश करते हैं। चेंजर के पास के पीछे की एरिया को छोड़कर लाबी से बाहर निकलते ही दिशा बदलने का अधिकार नहीं होता। एक बार जिस दिशा की ओर रुख कर लिया फिर उसी दिशा की ओर जा सकता है। उसका उल्लंघन करने पर निर्णायक सीटी बजाकर फिर उसी दिशा में भेजते हैं। इस प्रकार उस टीम का स्वयं समय नष्ट होता है। पोल के पीछे के ब्लाक में किसी भी दशा में घूम कर छू सकता है। रनर भी बैठे हुये चेंजर टीम के खिलाड़ियों को नहीं छू सकता है। इस प्रकार जीत दो इनिंग के योग के अनुसार अंकों के आधार पर होती है।

(9) एथलेटिक प्रतियोगिता हेतु सामान्य ज्ञान

ट्रैक

एथलेटिक्स के लिए 400 मीटर का ट्रैक बनाया जाता हैं। 100 मी० तथा 110 मी० हर्डिल्स की दौड़ सीधी रखी जाती है। 100 मी० से ऊपर की सब दौड़ ट्रैक में होती है। सभी खिलाड़ियों को समान अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से ट्रैक में होने वाली दौड़ हेतु बाहर वाले धावकों को क्रमशः बायें वाले धावक से आगे खड़ा कर दौड़ाया जाता है। इसे "स्टैगर्ड स्टार्ट" कहते हैं। ट्रैक की एक लेन 4 फीट की होती है। सामान्यतया ट्रैक में 6 या 8 लेन होती हैं। एक पूरा चक्कर 400 मी० का होता है। पहला एथलीट स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा होता है, दूसरा उससे 23'-½" आगे और उसके बाद वाले एथलीट क्रमशः अन्दर वाले से 25'-1½" आगे खड़े किये जाते हैं। 200 मी० दौड़ में यह "स्टैगर" आधा होता है। बशर्ते ट्रैक 400 मी० का ही हो। यदि 400 मी० ट्रैक बनाने का स्थान न हो तो 200 मी० का ट्रैक बनाया जा सकता है और नियमानुसार स्टैगर देकर दौड़ कराई जा सकती है।

इसके अतिरिक्त कूद के लिए अखाड़े या जम्पिग पिट तथा फेंक के लिए सर्किल तथा सेक्टर आदि बनाये जाते हैं। लम्बी कूद तथा हाप स्टैप व जम्प के लिए मैदान के समतल अखाड़ा बनता है और हाई जम्प तथा पोल वाल्ट के लिए ऊंचा करके पिट फूस, सैन्डबेग, फोम के टुकड़े तथा गद्दे आदि लगाकर इस प्रकार बनाये जाते हैं कि कूदने वाले को चोट न लगे। थ्रो में शाटपुट, हैमर तथा डिस्कस थ्रो गोले में से होता है और जेवलिन थ्रो एक आर्क बनाकर सीधी पट्टी में से होता है। शाटपुट तथा हैमर का 7 फीट तथा डिस्कस का 8'-2½" के डायमीटर का सर्किल होता है।

उपकरण

एथलेटिक्स मीट के लिए बहुत से उपकरणों तथा सामानों की आवश्यकता पड़ती है। इसका प्रबन्ध पहले से कर लिया जाए। उसे सुरक्षित इस प्रकार उपलब्ध रखा जाए कि आवश्यकतानुसार निश्चित स्थान पर पहुंचाया जा सके और कार्य के बाद वापस लाया जा सके। सामान्यतया चूना, होरी, कील, फीता, शाटपुट, डिस्कस, हैमर, जैवलिन, हाई जम्प तथा पोल वाल्ट स्टैण्ड, क्रास बार, स्टाप बोर्ड, टेक आफ बोर्ड, ट्रफ, बैटन, हर्डिल्स, सीटी, झण्डी, स्टार्टिंग पिस्टल, कार्क, ऊन, स्टाप वाच, फिनिश पोस्ट, विक्टरी स्टैण्ड, ट्रिब्यून आफ आनर, जजेस व टाइम कीपर्स स्टैण्ड, फावड़ी तथा स्टेशनरी आदि की आवश्यकता पड़ती है। मीट के स्तर के अनुसार इसका प्रबन्ध करना होता है।

निर्णायक

एथलेटिक्स प्रतियोगिता हेतु अनेक व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है और उन्हें विभिन्न निर्णायक का कार्य सौंपा जाता हैं। मुख्यतया एनाउन्सर, स्टार्टर, क्लर्क आफ द कोर्स, जज ऐंड फिनिश, टाइम कीपर, ट्रैक अम्पायर, लैप स्कोरर, जजेस (फील्ड), जम्प तथा थ्रो, जूरी आफ अपील, रेकार्डर आदि-आदि। लोगों को उत्तरदायित्व उनकी योग्यता, अनुभव तथा उपयुक्तता के आधार पर दिया जाता है।

उद्घाटन एवं समापन

एथलेटिक्स मीट के शुभारम्भ तथा समापन की विशेष औपचारिकताएं होती है। उद्घाटन के सबसे पहले मार्च पास्ट कराया जाता है और मुख्य अतिथि सलामी लेते हैं। टीमें मंच के सामने से गुजरते समय अपना झण्डा झुका कर अभिवादन करती हैं और एथलीट क्रमशः दाहिने फिर सामने देखा करते हैं। मार्च पास्ट के बाद टीमें सामने खड़ी कर दी जाती हैं। फिर संयोजक द्वारा स्वागत करते हुए मुख्य अतिथि से शुभारम्भ की उद्घोषणा के लिए अनुरोध किया जाता है। फिर मुख्य अतिथि द्वारा औपचारिक घोषणा की जाती है। उसके रहते मीट का झण्डा ऊपर चढ़ाया जाता है। कपोत तथा गुब्बारे आदि छोड़े जाते हैं। पटाखे भी दागे जाते है और उसके बाद शपथ ग्रहण किया

जाता है। स्थानीय टीम के कप्तान या वरिष्ठ खिलाड़ी को सब खिलाड़ियों की ओर से शपथ ग्रहण करने का सम्मान दिया जाता है और इसके बाद खिलाड़ी अपने स्थान पर चले जाते हैं। तत्पश्चात प्रतियोगिता आरम्भ होती है।

समापन के समय मार्च पास्ट सबसे अन्त में किया जाता है। प्रतियोगिता की आख्या प्रस्तुत की जाती है और मुख्य अतिथि का आशीर्वचन लिया जाता है और पुरस्कार वितरण होता है। सबसे अन्त में मुख्य अतिथि से समापन की घोषणा कराई जाती है और झण्डा उतारा जाता है।

नियम

प्रतियोगिता के कुछ विशेष नियमों पर ध्यान देना आवश्यक है। खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर हीट्स बनाई जाती हैं। उनके लेन आदि का लाट निकाला जाता है। दौड़ के स्टार्ट का बहुत महत्व होता है। "आन योर मार्क" कहने पर खिलाड़ी लाइन पर आता है, सेट पर बिल्कुल स्तब्ध अवस्था होनी चाहिए और फायर होने पर दौड़ना चाहिए। इसका उल्लंघन करने पर एक चेतावनी दी जाती है और दूसरी बार निकाल दिया जाता है।

दौड़ का निर्णय करने के लिए फिनिश लाइन से 5 मी० दूर स्टैण्ड रखकर जजेज बैठकर निर्णय करते हैं। फिनिश लाइन पर निगाह रखी जाती है और जिसका "टारसो" (सीने का भाग) सम्पर्क में पहले आता है वह जीतता है।

लम्बी कूद, हाफ स्टेप तथा चारों थ्रो में प्रत्येक को तीन अवसर दिये जाते हैं और सबसे अच्छे आठ प्रतियोगियों को तीन अतिरिक्त अवसर दिये जाते हैं एवं उनमें जो सबसे अच्छा माप होता है उसके अनुसार स्थान निर्धारित किया जाता है।

माप करने के लिए फीता का जीरो एंड, पिट अथवा उपकरण थ्रो में जहां गिरता है उस ओर रखकर नापना चाहिए। हर प्रयास को नापना तथा माप को घोषित करना चाहिए।

पोल वाल्ट तथा ऊंची कूद में प्रत्येक ऊंचाई पर तीन अवसर दिये जाते हैं और किसी भी समय लगातार तीन बार असफल रहने पर वह खिलाड़ी हटा दिया जाता है। सबसे अधिक ऊंचाई तक कूदने वाला विजयी होता है।

खिलाड़ियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कोई उपकरण इधर-उधर बिना आज्ञा के फेंकने नहीं दिया जाना चाहिए। थ्रो हो जाने पर उपकरण लेकर वापस फेंकने के स्थान पर पहुंचाना चाहिए, वापस फेंक कर नहीं लौटाना चाहिए।

नियमानुसार कार्य ठीक ढंग से चल सके इसलिए खेल नियमावली का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। चूंकि इस खेल में बहुत से माप आदि की आवश्यकता रहती है, इसलिए पुस्तक की मदद लेना अत्यन्त आवश्यक है।

पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन कैसे करें

1. प्रातः सभा

1. निर्धारित समय, निर्धारित स्थान पर सभा, उपस्थिति लेना, प्राचार्य द्वारा संचालन प्रार्थना, उद्बोधन सूचनाएं, राष्ट्रगान।
2. श्याम पट पर समाचारों का लिखना।
3. गणवेश—विद्यालय के लिए गणवेश का निर्धारण करना, उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय वस्त्र विक्रेताओं, टेलर्स आदि का सहयोग प्राप्त करना। अध्यापक/अभिभावक संघ का गणवेश की महत्ता पर प्रकाश डालना, स्वतंत्र गणवेश में विद्यालय में उपस्थित होने को अनिवार्य बनाना।
4. निरीक्षण के समय देखना कि विद्यालय में नित्य प्रातः सभा होती है। राष्ट्रीय गीतों का जिस विद्यालय में आदर्श रूप में गान होता है उसको टेप कराना और उसे अन्य विद्यालयों में उपलब्ध कराना।

5. सर्वधर्म प्रार्थनाओं और राष्ट्रीय गीतों का चयन तथा पुस्तकों के रूप में प्रकाशन, कैसेट्स का निर्माण एवं वितरण। सामूहिक गान प्रशिक्षण के लिये अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था।
6. राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल, इण्टर के छात्र-छात्राओं के लिये गणवेश निर्धारित करना।

2. सामूहिक पी० टी०

1. प्रत्येक शनिवार को प्रातः आधे घण्टे तक सामूहिक व्यायाम की व्यवस्था करना।
2. संभागीय रैली में सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन, संभागीय रैली में सामूहिक पी० टी० की प्रतियोगिता आयोजित करना।
3. बालिका विद्यालयों में जहां पद न हो, पी० टी० आई० के पद का सृजन।

3. खेल-कूद

1. विद्यालय क्रीड़ा क्षेत्रों का विस्तार करना।
2. क्रीड़ा शुल्क का समुचित उपयोग करना।
3. विद्यालयी स्तर पर हाउस सिस्टम के आधार पर प्रतियोगितायें आयोजित करना, अन्तर्विद्यालयी प्रतियोगिताओं में भाग लेना।
4. विभिन्न खेलों के कैप्टन तथा विशिष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कार देने की व्यवस्था करना।
5. इण्डोर गेम्स की व्यवस्था करना।
6. जनपदीय स्तर पर खेल-कूद प्रतियोगितायें आयोजित करना, उदार संस्थाओं के माध्यम से शील्ड्स की व्यवस्था करना, एन० आर० ई० पी० सेवाओं से क्रीड़ा स्थलों का निर्माण एवं विस्तार करना।
7. मंडल स्तर पर खेल-कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना।
8. क्रीड़ा अनुदान उपलब्ध करना, जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर रैलीज के लिये अनुदान स्वीकृत करना, विभिन्न स्तरों के लिये क्रीड़ा शुल्क निर्धारित करना जैसे कक्षा 1, 2 में 2 रु० प्रतिवर्ष, 3-5 में 3 रु० प्रतिवर्ष, 6-8 में 1 रु० मासिक, 9-12 में 1.50 मासिक क्रीड़ा शुल्क लगाने के लिये आदेश निर्गत करना। छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि करना।
9. अनुदान की व्यवस्था करना।

4. क्लब, परिषद, संघ आदि

1. साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक विधाओं से सम्बन्धित क्लबों, संघों, परिषदों, आदि का गठन। विविध क्रियाकलापों जैसे वाद-विवाद, भाषण, लेखन, अंकन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अभिनव सामूहिक गान आदि का आयोजन, विषय की महत्ता के अनुकूल शुल्क लेना।
2. निरीक्षण के समय इन क्लबों, परिषदों, संघों आदि के क्रियाकलापों से अवगत होना, उनको उन्नत बनाने के लिये सुझाव देना।
3. जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन।
4. प्रत्येक छात्र के लिये कम से कम एक क्लब, परिषद अथवा संघ का सदस्य होना अनिवार्य बनाना। सदस्यता शुल्क का निर्धारण।
5. संघ की सदस्यता शुल्क की दर निश्चित करके राजाज्ञा का निर्गत करना।

5. प्रदर्शनी

1. वैज्ञानिक, रचनात्मक, कलात्मक आदि प्रदर्शनियों का आयोजन, आवश्यकतानुसार प्रदर्शनियों के आयोजन के लिये प्रति छात्र अभिभावक प्रदर्शनी शुल्क लेना।
2. प्रदर्शनी प्रतियोगितायें आयोजित करना।
3. संभागीय स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन।

6. प्रीफेक्ट बोर्ड

1. विद्यालय के विविध कार्यकलापों जैसे स्पोर्ट्स, स्वास्थ्य एवं सफाई, पुस्तकालय सेवा, अध्ययन आदि के लिये छात्र प्रीफेक्ट्स (नायकों) का चयन करना। बोर्ड की मासिक बैठक में विद्यालय के क्रियाकलापों की समीक्षा करना।
2. प्रतियोगितायें आयोजित करना।

7. पुस्तकालयी सेवा

1. पुस्तकालय का संवर्द्धन, महापुरुषों की जीवनियों, साहसिक यात्राओं, चरित्र निर्माण सम्बन्धी साहित्य, पत्र-पत्रिकाओं को विशेष स्थान देना।
2. उत्कृष्ट पुस्तकों के सारांशों, उद्धरणों आदि का प्रकाशन, छात्र इसमें अधिक सहयोग दें, उन्हें पुरस्कृत करना, विषय कुछ भी जैस पुस्तकालय सेवा, कक्षा पुस्तकालय सेवा का गठन, कक्षा अध्यापक, पुस्तकालय का इंचार्ज हो। मानीटर, सहायक हो सकता है।
3. पुस्तकालय सेवा का निरीक्षण–उपयोग हुआ है अथवा नहीं। छात्रों द्वारा विशेष रूप से पढ़ी जाने वाली पुस्तकों का वीक्षण।
4. चरित्र निर्माण में सहायक पुस्तकों की सूचना प्रकाशित करना।
5. पुस्तकालय अनुदान में वृद्धि, चरित्र निर्माण सम्बन्धी साहित्य को सस्ते मूल्यों पर प्रकाशित करना, ऐसे प्रकाशकों की उत्कृष्ट पुस्तकों को पुरस्कृत करना।
6. उत्तम पुस्तकों को विद्यालयों के लिये संस्तुति।
7. राजकीय विद्यालयों के रीडिंग रूम शुल्क को छात्रों की निधि के रूप में परिवर्तित किया जाय।

8. अध्यापक अभिभावक संघ

1. विद्यालय का अभिभावकों से सम्बन्ध बढ़ाने के लिये अध्यापक अभिभावक संघ की स्थापना करना। संघ की सहायता से भौतिक एवं आर्थिक संसाधनों को जुटाना, संघ के माध्यम से निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों के लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विद्यालय के पाठ्यक्रमीय पाठ्येतर क्रियाकलापों के सम्पादन में सहायता प्रदान कराना।
2. निरीक्षण के समय अध्यापक अभिभावक संघ को सम्बोधित करना, उनकी समस्याओं को समझना और निराकरण करने हेतु समाधान निकालना।

9. विद्यालय प्रांगण का सौन्दर्यीकरण

1. छात्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों के सहयोग से विद्यालय परिसर की स्वच्छता, बागवानी, वृक्षारोपण, वृक्षों की सिंचाई, संरक्षण आदि की व्यवस्था।

2. निरीक्षण तथा वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जन कल्याण विभाग आदि से विद्यालय को सुविधायें उपलब्ध कराना।

10. विशिष्ट आयोजन

1. राष्ट्रीय पर्व, महापुरुषों के जन्म दिवस, महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों, वार्षिक उत्सव आदि का आयोजन करना, उत्कृष्ट प्रतिभागियों, (उत्कृष्ट प्रीफेक्ट्स, आदर्श छात्रों आदि) को कक्षा गौरव, कक्षारत्न, विद्यालय गौरव आदि की उपाधियों से सम्मानित करना।
2. अलंकरण समारोह का आयोजन।

11. राष्ट्रीय एवं समाज सेवा

1. एन० सी० सी०, स्काउट्स तथा फर्स्ट एड सर्विस, रेडक्रास आदि राष्ट्रीय एवं समाज सेवा सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, सामाजिक सेवा कार्य जैसे सामुदायिक कार्य, श्रमदान आदि।
2. निरीक्षण के समय इन सेवाओं को देखने तथा जिला कैम्प का आयोजन।

12. छात्र कल्याण की योजना

1. विद्यालय परामर्श सेवा उपलब्ध कराना।
2. प्रतिभावान छात्र की अन्तर्निहित क्षमता को विकसित करना।
3. विकारग्रस्त को उनके विकारों से मुक्त कराना आदि।
4. मण्डलीय मनोवैज्ञानिक से मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त कराना।

13. श्रव्य दृश्य उपकरण—टेलीविजन चलचित्र

1. साहसिक पुरुषों, अन्वेषकों, वैज्ञानिकों, महापुरुषों आदि के जीवन पर प्रकाश डालने वाले चलचित्रों का प्रदर्शन, दूरदर्शन पर आयोजित नैतिक शिक्षा सम्बन्धी विचार-विमर्श को दिखाना।
2. शैक्षिक चलचित्रों का निर्माण कराना, एतदर्थ आर्थिक सहायता प्रदान करना। दल द्वारा छात्र/छात्राओं में चरित्र निर्माण के सम्बन्ध में विद्यालय के सत्रीय कार्यक्रम की माहवार रूपरेखा तैयार की गयी जो निम्नवत् है :—

क्रियापत्रक–2

भिन्न-भिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन में किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ?	**एकत्र कीजिए** **मिलान कीजिए** **विचार कीजिए**

माह	**सत्र पर्यन्त पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का संचालन**
जुलाई	1. प्रधानाचार्य, अभिभावक, अध्यापक एवं छात्र/छात्रा संवाद।
	2. अध्यापक-अभिभावक संघ का गठन व प्रथम बैठक।
	3. वृक्षारोपण सप्ताह।

अगस्त
1. सदन प्रणाली का गठन।
2. विद्यालय की सभी समितियों तथा परिषदों का गठन तथा छात्र/छात्रा पदाधिकारियों का चयन मनोनयन।
3. सदन प्रणाली प्रतियोगितायें तथा शरदकालीन खेल-कूद प्रतियोगिताओं की तैयारी।
4. वृक्षारोपण।
5. स्वतन्त्रता दिवस का आयोजन।

सितम्बर
1. 5 सितम्बर, 8 सितम्बर राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन।
2. शरदकालीन प्रतियोगितायें।
3. सदन प्रणाली प्रतियोगितायें।
4. स्काउटिंग एवं गाइडिंग शिविर।
5. अध्यापक-अभिभावक संघ की बैठक।

अक्टूबर
1. 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर पर्वों का आयोजन।
2. सदन प्रणाली प्रतियोगितायें।
3. खेल-कूद, स्काउटिंग, गाइडिंग, जूनियर रेडक्रास एवं सेन्ट जान एम्बुलेन्स, जनपदीय रैली।
4. जनपदीय विज्ञान प्रदर्शनी।
5. दशहरा उत्सव।

नवम्बर
1. सदन प्रणाली प्रतियोगितायें।
2. शीतकालीन खेल-कूद प्रतियोगितायें।
3. मण्डलीय एवं राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगितायें।
4. मण्डलीय खेल-कूद प्रतियोगितायें।
5. पैगम्बर मुहम्मद का जन्म दिवस।
6. बाल-दिवस कार्यक्रम।
7. गुरु नानक जन्म दिवस।

दिसम्बर
1. राज्य स्तरीय खेल-कूद प्रतियोगिता।
2. वृक्षारोपण (शीतकालीन)।
3. अलंकरण समारोह।
4. सम्पूर्णानन्द वाद-विवाद प्रतियोगिता (जनपदीय एवं मण्डलीय)।
5. अध्यापक-अभिभावक संघ की बैठक।
6. क्रिसमस पर्व।

जनवरी
1. राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगितायें।
2. राज्य स्तरीय सम्पूर्णानन्द वाद-विवाद प्रतियोगितायें।
3. सदन प्रणाली प्रतियोगितायें।
4. गणतन्त्र दिवस का आयोजन।

फरवरी	1.	सदन प्रणाली प्रतियोगितायें।
	2.	वार्षिकोत्सव।
मार्च	1.	बसन्तोत्सव।
	2.	अध्यापक-अभिभावक संघ की बैठक।
अप्रैल	1.	बैसाखी पर्व का आयोजन।
	2.	ईस्टर पर्व का आयोजन।
मई	1.	अध्यापक-अभिभावक संघ की बैठक।
जून	1.	ईद मिलन।

प्रश्न

1. विद्यालय में पठन-पाठन के अतिरिक्त किन-किन अन्य क्रियाकलापों का आयोजन किया जाना चाहिए ?
   (क) ....
   (ख) ....
   (ग) ....

2. खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में भाग लेना क्यों आवश्यक है ?
   (क) ....
   (ख) ....
   (ग) ....

3. खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों से बालक-बालिकाओं में किन-किन मूल्यों का विकास होता है ?
   (क) ....
   (ख) ....
   (ग) ....

●

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र० द्वारा निर्मित

मॉड्यूल–रा 3 सी

रेडक्रास : एक परिचय

सन् 1859 में यूरोप के दो देशों फ्रांस तथा आस्ट्रेलिया के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें लगभग चालीस हजार सैनिक घायल हुए और अधिकांश की मृत्यु हो गई। इसी बीच स्विटजरलैण्ड के निवासी हेनरी ड्यूनाट उस रास्ते से गुजरे। यह सब खून-खराबा देख कर उनके मन में घायलों की सहायता का विचार उठा। आस-पास के किसानों को लेकर वह कई दिनों तक उनकी जान बचाने का प्रयत्न करता रहा। उसके मन में विचार आया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शान्ति काल में हम प्रत्येक देश में ऐसी समितियां बनायें जो युद्ध स्थल पर घायल होने वाले शत्रु-मित्र दोनों पक्षों के घायलों की एक समान देखभाल कर सकें। उसका यह विचार ही रेडक्रास का जन्मदाता था। काफी प्रयास करने के बाद वह अपने इस संकल्प में सफल हुए और सन् 1863 में रेडक्रास नामक अन्तर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य केवल युद्ध में पीड़ित या घायलों की सेवा ही नहीं, वरन् प्रत्येक स्थान की पीड़ित मानवता की सहायता करना था। धर्म, सम्प्रदाय एवं राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से एक दूसरे की सेवा कर जन-जन में सेवा भाव उत्पन्न करके विश्वबन्धुत्व की भावना का विकास करना है।

पीड़ा की अनुभूति ही रेडक्रास है। युद्ध भूमि में ही नहीं वरन् सार्वजनिक स्थानों, मेलों, त्योहारों व उत्सवों के साथ-साथ प्राकृतिक विपदाओं सूखा, बाढ़, आगजनी व दंगों आदि के समय भी इस संस्था की सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। भारतवर्ष में इसकी स्थापना 1920 ई० में हुई। इस समय संपूर्ण भारत में यह संस्था सेवारत है। लाखों की संख्या में वयस्क तथा अल्प वयस्क व्यक्ति इसमें कार्यरत हैं। इसका मुख्य कार्यालय 1, रेडक्रास रोड, नई दिली में स्थित है। प्रत्येक जनपद में रेडक्रास की एक समिति है जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी और सचिव मुख्य चिकित्साधिकारी होते हैं। यह समिति जनपद में रेडक्रास से संबंधित क्रियाकलापों को संचालित कराती है।

जूनियर रेडक्रास सोसाइटी

रेडक्रास के अन्तर्गत एक सब-कमेटी गठित की गयी जो केवल स्कूली बच्चों को रेडक्रास की शिक्षा देती है। इस सब-कमेटी का नाम जूनियर रेडक्रास सोसाइटी रखा गया। इसकी स्थापना सन् 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लीग आफ रेडक्रास सोसाइटी के अन्तर्गत कनाडा में की गई। भारत में इसका जन्म सन् 1925 में हुआ। जूनियर रेडक्रास को रेड-क्रास की एक कुमार शाखा के रूप में जाना जाता है। यह संस्था स्कूली छात्रों में रेडक्रास के भावों को उत्पन्न करने की चेष्टा करती है और एक प्रकार की ऐसी सेवा समिति है जिसके द्वारा बालक तथा नवयुवक अपने भाव प्रकट कर सकता है। संक्षेप में इसके मुख्य उद्देश्य यह हैं:—

1—स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा,

2—सेवा,

3—अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं मित्रता।

कार्यपत्रक–1

रेडक्रास शिक्षा से बच्चों में जिन जीवन मूल्यों को विकसित किया जा सकता है। संक्षेप में लिखें।

जनपद स्तर पर जूनियर रेडक्रास का संचालन करने के लिए एक समिति है, जिसके अध्यक्ष जिला विद्यालय निरीक्षक तथा सचिव उप विद्यालय निरीक्षक होते हैं।

जूनियर रेडक्रास का शुल्क विभिन्न स्तरों पर निम्नवत् है :—

क्र० सं०	स्तर	कक्षा	शुल्क दर
1.	प्राइमरी स्कूल	कक्षा 1 से 5 तक	कोई शुल्क नहीं
2.	जू० हा० स्कूल	कक्षा 6 से 8 तक	10 पैसे प्रति छात्र
3.	उ० मा० विद्यालय	कक्षा 9 से 12 तक	15 पैसे प्रति छात्र

सर्वप्रथम विद्यालय का पंजीकरण राज्य मुख्यालय से कराना चाहिए। इसका शुल्क जूनियर हाईस्कूल स्तर तक रु० 2/- प्रति वर्ष तथा माध्यमिक स्तर के विद्यालयों का रु० 4/- प्रतिवर्ष है। इसकी अवधि माह जनवरी से दिसम्बर के मध्य है। इसका प्रदेशीय कार्यालय रेडक्रास भवन, राजा नवाब अली रोड, कैसरबाग, लखनऊ में स्थित है। पंजीकरण कराने हेतु एक निर्धारित फार्म है जिस पर प्रार्थना पत्र दिया जाना चाहिए।

जूनियर रेडक्रास की शाखा सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए पहला काम यह है कि इसके उद्देश्य तथा वास्तविक महत्व को पूर्णत: समझ लिया जाय और अपने विद्यालय में शाखा स्थापित करने का निश्चय करने के उपरान्त सोसाइटी के प्रदेश मुख्यालय को पत्र लिख कर सदस्य बनने का प्रार्थना पत्र मंगाना चाहिए। प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाने पर विद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं, अध्यापकों तथा विद्यालय के पदाधिकारियों की सभा आयोजित कर जूनियर रेडक्रास के उद्देश्य से उन्हें भिज्ञ कराया जाना चाहिए। उन्हें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि जूनियर रेडक्रास स्कूल के समय में ही शिक्षकों की देख-रेख में छात्रों को अच्छी-अच्छी सेवाओं के लिए प्रेरणा प्रदान करेगा। सभा के अन्त में उन छात्रों को जो इसके प्रति जागरूकता दिखायें, उनके नाम लिख लिये जायं। फिर उनके सभासद होने का प्रार्थना पत्र भरकर अपने वार्षिक शुल्क के साथ पंजीकरण हेतु प्रादेशिक मुख्यालय भेजे जायं। मुख्यालय से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने पर संबंधित अध्यापक की सभी सभासदों की एक सभा करनी चाहिए, जिसमें वे अपने सभापति, उप सभापति और कार्याधीश आदि चुनेंगे और कार्यक्रम निर्धारित करेंगे।

ज्ञातव्य है कि इस कार्य के लिए उन्हीं छात्र/छात्राओं को चुना जाना चाहिए जो इस सेवा के कार्य में अपनी इच्छा व उत्साह से भाग लें। उन्हें यह प्रतिज्ञा करनी होगी :—

"मैं मर्यादापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं कि अपने और दूसरों के स्वास्थ्य की रक्षा करूंगा/करूंगी। दीन दुखियों और रोगियों विशेष कर बालक/बालिकाओं की सहायता करूंगा/करूंगी। दुनिया भर के बच्चों को अपना भाई/बहन समझूंगा/समझूंगी।"

शपथ लेने के बाद ये छात्र/छात्राएं सभासद होने के बटन पहनेंगे और मण्डली के कार्यों में भाग लेने के अधिकारी हो जाते हैं। प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या विद्यालय के एक योग्य अध्यापक/अध्यापिका को जूनियर रेडक्रास के कार्य के लिए चुनेंगे जो विद्यालय में दलों की स्थापना और जूनियर रेडक्रास की विभिन्न गतिविधियों का संचालन करायेगा। ये अध्यापक/अध्यापिका प्रशिक्षित होने पर 25 रु. प्रतिमाह पाने के अधिकारी होंगे। जो अध्यापक/अध्यापिकाएं विद्यालयों में जूनियर रेडक्रास की मंडली स्थापित कर परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें प्रदेशीय रेडक्रास मुख्यालय एवं दिल्ली रेडक्रास मुख्यालय से पारितोषिक भी प्रदान किये जाते हैं।

विद्यालय में स्थापित मंडली को जिला/मंडल तथा राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। इसके लिए :—

(अ) जिला/मंडल/राज्य स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन व संचालन एक सा होता है।

(ब) जूनियर रेडक्रास प्रतियोगिता हेतु स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित विषय प्रतिवर्ष स्टेट जूनियर रेडक्रास मुख्यालय तैयार करता है और उन विषयों को प्रदेश के सभी जनपदों के विद्यालयों को भेजा जाता है। विषयों के आधार

पर अध्यापक/अध्यापिकाएं (परामर्शदाता) जूनियर रेडक्रास पंजीकृत टीम से पोस्टर, मॉडल, एलबम तथा नाटक को तैयार करवाते हैं और उन सभी तैयार की गयी सामग्री को जिला/मंडल/स्टेट स्तर की प्रतियोगिता में ले जाते हैं। उन पर नियुक्त निर्णायकों द्वारा मूल्यांकन होता है। जो टीमें सबसे अधिक अंक प्राप्त करती हैं उन्हीं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान घोषित होता है। प्रत्येक दल में अधिकतम प्रतिभागियों की संख्या 5 होती है, परन्तु 4 ही सदस्य इन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में प्रत्येक विद्यालय से प्राइमरी स्तर, जूनियर हाईस्कूल स्तर तथा इण्टरमीडिएट स्तर की टोलियां सम्मिलित हो सकती हैं।

(स) प्रतियोगिता में निर्णायकों द्वारा 5 प्रश्न मौखिक पूछे जाते हैं और उन पर टीम को अंक दिये जाते हैं। यह मौखिक प्रश्न जिला स्तर, मंडल स्तर तथा स्टेट स्तर पर अलग-अलग तैयार किये जाते हैं।

(द) प्रतियोगिता में कुछ पारितोषिक भी निर्धारित हैं जो प्रतिवर्ष विजयी टीमों को अवश्य दिये जाते हैं।

प्रत्येक संस्था को जुलाई 1976 से जूनियर रेडक्रास के निमित्त प्राप्त शुल्काय के 50 प्रतिशत में से 2 प्रतिशत रेडक्रास संबंधी साहित्य के क्रय पर, 3 प्रतिशत बैज व फर्स्ट एड बाक्स के क्रय पर, 7 प्रतिशत यात्रा भत्ता पर, 7 प्रतिशत मॉडल, एलबम तथा चार्ट्स पर, 7 प्रतिशत जनपद एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु और 12 प्रतिशत जनपद एवं प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं पर व्यय करना चाहिए। शेष 50 प्रतिशत शुल्काय को क्रास चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्रतिवर्ष 1 सितम्बर व 1 फरवरी को अवैतनिक सचिव, जिला रेडक्रास शाखा को भेज दिया जाना चाहिए।

सेन्ट जान एम्बुलेंस एसोसियेशन

यह इण्डियन रेडक्रास का एम्बुलेंस विंग कहलाता है। इसमें फर्स्ट एड, होम नर्सिंग तथा और संबंधित विषयों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य डाक्टरों की मदद करना है। डाक्टर के आने से पूर्व या घायल को डाक्टर के पास ले जाने के बीच जो समय होता है उसमें यह संस्था प्राथमिक चिकित्सा देकर घायल या रोगी की मदद करती है तथा लोगों को स्वस्थ रहने के प्राथमिक सिद्धान्त तथा सफाई के विषय में प्रशिक्षण देती है। एम्बुलेंस कार्पस, नर्सिंग कार्पस तथा ट्रांसपोर्ट कार्पस स्थापित कर यह संस्था आम जनता की सहायता करती है।

1912 में स्थापना के बाद से इस संस्था ने लगभग लाखों लोगों को फर्स्ट एड, होम नर्सिंग, हाईजीन, सेनीटेशन, मदर क्राफ्ट तथा चाइल्ड वेल्फेयर में प्रशिक्षित किया। सेन्ट जान एम्बुलेंस तथा रेडक्रास जुड़वां भाइयों की तरह है और दोनों ही निःस्वार्थ भाव से पीड़ित लोगों की सहायता करती हैं। दोनों संस्थाओं को एक माध्यम से निर्देश दिए जाते हैं। सेन्ट जान एम्बुलेंस के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रतियोगिताएं विद्यालय स्तर पर आयोजित की जा सकती हैं :

1—फर्स्ट एड (जूनियर एवं सीनियर)

2—होम नर्सिंग (जूनियर एवं सीनियर)

3—मदर क्राफ्ट तथा चाइल्ड वेल्फेयर

4—हाईजीन तथा सेनिटेशन

5—मेकेंजी स्कूल कोर्स

जूनियर प्रतियोगिताओं में 16 वर्ष से कम तथा सीनियर प्रतियोगिताओं में 16 से अधिक आयु के छात्र/छात्राएं भाग ले सकते हैं। यह प्रशिक्षण केवल एम० बी० बी० एस० उत्तीर्ण डाक्टर, रजिस्टर्ड नर्सों तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही दिया जा सकता है। इन प्रतियोगियों का एक निश्चित पाठ्यक्रम है। फर्स्ट एड, होम नर्सिंग व हाईजीन तथा सेनिटेशन प्रत्येक के लिए 8 पाठ और मदर क्राफ्ट तथा चाल्इड वेल्फेयर के लिए 12 पाठ अनिवार्य हैं।

सेन्ट जान एम्बुलेंस ब्रिगेड

सेन्ट जान एम्बुलेंस एसोसियेशन के माध्यम से प्रशिक्षित व्यक्ति मिलकर सेन्ट जान एम्बुलेंस ब्रिगेड की स्थापना

करते हैं, जिसमें फर्स्ट एड सार्टीफिकेट धारक ही सदस्य बन सकते हैं। महिलाओं के पास होम नर्सिंग का सार्टीफिकेट भी होना अनिवार्य है। यह एसोसियेशन का ही एक अंग है। ब्रिगेड का मुख्य उद्देश्य फर्स्ट एड सार्टीफिकेट धारकों को एकत्र कर एम्बुलेंस एवं नर्सिंग के उद्देश्य से व्यक्तिगत प्रयत्न को सामूहिक रूप से जनता के हित में लगाना है।

ब्रिगेड एक ऐसे स्वयं सेवियों की टीम है जो स्थानीय प्रशासन के सहयोग से किसी भी आपात कालीन स्थिति का सामना करने के लिए तत्पर रहती है। इसका कार्य आपात काल में शासन, सेना या किसी अन्य संस्था को योग्य तथा प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध कराना है, जो कि फर्स्ट एड, एम्बुलेंस ड्रिल तथा नर्सिंग में प्रशिक्षित हों और अपनी इच्छा से सेवा कार्य करना चाहते हों।

रेडक्रास, सेन्ट जान एम्बुलेंस एसोसियेशन तथा सेन्ट जान एम्बुलेंस ब्रिगेड के उद्देश्यों की जानकारी से यह स्पष्ट है कि विद्यालयों में इसके माध्यम से छात्र/छात्राओं को स्वास्थ्य एवं तत्संबंधी विषयों का समुचित ज्ञान दिया जा सकता है। विद्यालयों में स्वास्थ्य के खेल खिलवाकर तथा स्वास्थ्य संबंधी निबन्ध प्रतियोगिताएं आयोजित करके छात्र/छात्राओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है। जूनियर रेडक्रास के परामर्शदाताओं से यह अपेक्षित है कि वे अपनी संस्था के समस्त छात्र/छात्राओं के लिए स्वास्थ्य कार्ड तैयार करें जिसमें प्रत्येक छात्र/छात्रा की जन्म तिथि, ऊंचाई, वजन, ब्लड ग्रुप आदि स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं अलग-अलग भरी जायं। यह भी अभीष्ट होगा कि उनके विद्यालय में प्रधानाचार्य एवं अधिकारियों के सहयोग से चिकित्सकों के विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर छात्र/छात्राओं की स्वास्थ्य की नियमित जांच करवायें। अच्छा होगा कि प्रत्येक संस्था में फर्स्ट एड की समस्त सुविधाओं के साथ-साथ एक सिक रूम हो, जिसमें दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली औषधियां उपलब्ध हों। विद्यालयों को यह प्रयास करना होगा कि उनके अधिक से अधिक छात्र/छात्राएं फर्स्ट एड, होम नर्सिंग, मदर क्राफ्ट तथा चाइल्ड वेल्फेयर, हाईजीन तथा सेनिटेशन और मेकेंजी स्कूल कोर्स उत्तीर्ण करें। प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर या अधिक से अधिक 15 जनवरी तक यह प्रतियोगिताएं आयोजित करा लेना चाहिए।

विद्यालयों में जूनियर रेडक्रास की स्थापना योग्य अध्यापक/अध्यापिकाओं का चयन और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए एक निश्चित समय सारिणी तैयार करनी भी आवश्यक प्रतीत होती है। शैक्षिक सत्र 1988-89 के लिए निम्नलिखित प्रस्तावना है :—

1—संस्था का पंजीकरण	31 जुलाई तक
2—विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन	15 सितम्बर तक
3—जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं	
4—प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताएं	

कार्यपत्रक-2

विद्यालयी परिवेश में रेडक्रास तथा सेन्ट जान एम्बुलेंस की शिक्षा की क्या आवश्यकता है ? अपने विचार संक्षेप में बिन्दु में लिखें।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, उ० प्र० द्वारा निर्मित

मॉड्यूल–रा 4 सी

स्काउट एवं गाइड–नियोजन एवं संचालन

1. भूमिका

स्वतन्त्रता के पश्चात् देश ने विभिन्न क्षेत्रों में तेजी के साथ प्रगति की है। मानव के रहन-सहन के स्तर में सुधार हुआ है। देश ने कृषि, उद्योग, यातायात, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एवं विश्व पटल पर प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया है। सामाजिक विकास में भी आशातीत प्रगति हुई है। किन्तु जो बहुमूल्य वस्तु हमने खोयी है वह है नैतिकता एवं मानवता। बढ़ती वैज्ञानिक उपलब्धियों, सामरिक क्षमताओं ने मानवता को आतंकित कर रखा है। ऐसी परिस्थिति में मानव, मानव कैसे रह सके, आपसी सद्भावना एवं सहयोग की वृद्धि कैसे हो सके आदि विचार मानवतावादी समाज के लिए एक चिन्ता के विषय बने हुए हैं। भारत सरकार इसके प्रति चिंतित एवं सजग है। वह विद्यालय एवं विद्यालय समाज के माध्यम से इस विचारधारा को प्रवाहित करना चाहती है। यही कारण है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा, कार्यानुभव एवं समाजोपयोगी कार्य, बालचर एवं रेडक्रास की शिक्षा तथा कलाओं की शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

इस विचारधारा के विकास एवं प्रसार के लिए स्काउटिंग एवं गाइडिंग एक अच्छा माध्यम हो सकता है।

2. उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के पश्चात् आपको निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी हो सकेगी :—

1—स्काउट/गाइड दर्शन तथा आज की आवश्यकता–स्तरवार
2—संगठन स्वरूप–कार्य क्षेत्र–स्तरवार
3—स्काउट/गाइड का विद्यालयों तथा अन्य इकाइयों में संगठन
4—स्काउट/गाइड का स्वरूप–टमटोला, कब, स्काउट, रोवर, बुलबुल, गाइड, रेंजर (दोनों का संक्षिप्त पाठ्यक्रम)
5—स्काउट/गाइड प्रशिक्षण–प्रारम्भिक–कैप्टेन तथा दक्षता बैज
6—स्काउट/गाइड प्रशिक्षण–समय एवं पाठ्यक्रम
7—प्रशिक्षण स्थल
8—शिविर, हाइक एवं अन्य साहसिक कार्यक्रम
9—सेवा के विभिन्न प्रकल्प
10—प्रार्थना, झण्डागान, गीत, नाद
11—स्काउट/गाइड के निर्माता–अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय
12—विद्यालयों, संस्थाओं में कार्य का प्रारम्भ, विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे चलाएं।

3. स्काउटिंग/गाइडिंग का दर्शन तथा आज की आवश्यकता

(क) आवश्यकता

वैज्ञानिक उपलब्धियों के फलस्वरूप हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भौतिकता के इस युग में मानवता का ह्रास दिखाई देने लगा है। अतः बालक/बालिकाओं में समय के सदुपयोग, चरित्र निर्माण, आदर्श नागरिकता की शिक्षा, सेवा-भावना की जागृति, अच्छी आदतें, विश्वसनीयता के गुण, उत्तम स्वास्थ्य, प्रतिभा का विकास,

प्रसन्न रहने की आदत तथा उनमें मानवीय मूल्यों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करने की आवश्यकता है। बालक/बालिकाओं में इन गुणों का विकास स्काउटिंग/गाइडिंग के माध्यम से सरलतापूर्वक किया जा सकता है।

(ख) स्काउटिंग/गाइडिंग का दर्शन

स्काउटिंग/गाइडिंग का दर्शन इस संस्था के संस्थापक लार्ड बैडेन पावेल आफ गिलवलि के निम्नलिखित उद्धरणों द्वारा स्पष्ट होता है :—

"यह मानव के हाथ में है कि वह अपने आपको शान्ति का वरदान तथा उसके कारण सबको समृद्धि एवं आनन्द प्राप्त कराये।"

"इसके लिए सबसे पहला कदम है ईर्ष्या, घृणा तथा द्वेष के स्थान पर मंगल कामना, सहनशीलता, सत्य एवं न्याय की भावना जागृत करना।"

"कुछ ही दिनों में हमारे आजकल के बालक अपने-अपने देश के नागरिक होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि इन स्काउटों को यह अवसर प्रदान किया गया है कि हम संसार का पलड़ा व्यावहारिक ज्ञान, प्रेम की उदारता एवं सेवा की ओर झुका दें।"

"हमारा आन्दोलन, सौभाग्यवश, एक विश्व-बन्धुत्व बन गया है, जिसमें परस्पर की समझदारी तथा भ्रातृत्व की भावनाएं पहले से विद्यमान हैं।"

यह विचार लार्ड बैडेन पावेल ने सन् 1939 में व्यक्त किये थे जो स्काउट/गाइड दर्शन को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करते हैं। इन्हीं भावनाओं, आदर्शों एवं विचारों पर इस संस्था के संगठन की नींव रखी गई है।

4. संगठन का स्वरूप—कार्यक्षेत्र एवं यूनीफार्म

(क) संगठन एवं कार्यक्षेत्र

स्काउट/गाइड कार्यपालिका में विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित एसोसियेशन हैं जो सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं :—

(1) **राष्ट्र स्तरीय एसोसियेशन**—राष्ट्र स्तर पर नेशनल एसोसियेशन होता है जिसका सम्बन्ध राज्य स्तरीय एसोसियेशन्स से सदा बना रहता है।

(2) **राज्य स्तरीय एसोसियेशन**—इस एसोसियेशन के निम्नलिखित पदाधिकारी होते हैं :—

1—अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2—चीफ कमिश्नर 3—कमिश्नर स्काउट्स 4—कमिश्नर गाइड्स 5—हेड क्वार्टर कमिश्नर 6—असिस्टेन्ट स्टेट कमिश्नर्स स्काउट और गाइड 7—स्टेट आर्गनाइजिंग कमिश्नर्स स्काउट-1 तथा गाइड-1 8—असिस्टेन्ट आर्गनाइजिंग कमिश्नर्स स्काउट-1 तथा गाइड-1 9—स्टेट ट्रेजरार 10—स्टेट सेक्रेटरी।

(3) **मण्डलीय एसोसियेशन**—प्रत्येक मण्डल में मण्डलीय एसोसियेशन होते हैं जिनमें मण्डलीय स्तर के पदाधिकारी राज्य स्तरीय एसोसियेशन की भांति होते हैं।

(4) **जिला स्तरीय एसोसियेशन**—1—अध्यक्ष 2—जिला सेक्रेटरी 3—जिला ट्रेजरार 4—टी० सी० स्काउट 5—सी० सी० गाइड्स 6—ए० डी० सी० स्काउट 7—ए० डी० सी० गाइड 8—डिस्ट्रिक्ट स्काउट मास्टर 9—डिस्ट्रिक्ट कम मास्टर 10—डिस्ट्रिक्ट रोवर लीडर 11—डिस्ट्रिक्ट फ्लाक लीडर 12—डिस्ट्रिक्ट रेंजर लीडर 13—डिस्ट्रिक्ट स्काउट आर्गनाइजर 14—डिस्ट्रिक्ट गाइड कैप्टेन 15—डिस्ट्रिक्ट गाइड आर्गनाइजर।

(ख) यूनीफार्म

1—स्कार्फ 2—बैज 3—रैन्क बैजेज 4—शोलडर स्ट्रिप्स 5—पैदल बैज 6—लेन यार्ड 7—कोर्ड 8—ग्रेडेड ट्रेनिक स्काउट्स/गाइड्स (ऐप्रो० भाग-2 के अनुसार)।

क्रियापत्रक–1

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय एसोसियेशन के पदाधिकारियों तथा उनके कार्य क्षेत्रों की जानकारी कीजिए तथा सूची तैयार कीजिए।	एकत्र कीजिए मिलाइए चर्चा कीजिए

5. विद्यालय स्तर पर स्काउट/गाइड संगठन

विद्यालय स्तर पर स्काउट/गाइड संगठन के निम्नलिखित स्वरूप होते है :—

(1) **कब/बुलबुल**—चार से लेकर छः शेर बच्चों/बुलबुल को मिलाकर एक सिक्स (छक्का) बनाया जाता है। दो से लेकर चार सिक्स को मिलाकर एंक कब-पैक/बुलबुल फ्लाक बनाया जाता है। इसमें कम से कम 12 और अधिक से अधिक 24 शेर बच्चे/बुलबुल रखे जा सकते हैं। प्रत्येक सिक्स सें एक सिक्सर तथा प्रत्येक पैक/फ्लाक में एक सीनियर सिक्सर होता है।

(2) **स्काउड/गाइड**—छः सें लेकर आठ स्काउट/गाइड को मिलाकर एक टोली (पैंट्रोल) बनाई जाती है। टोली में एक टोली नायक होता है। दो-तीन या चार टोलियों को मिलाकर एक दल (ट्रूप) बनाया जाता है। इसमें कम से कम 24 स्काउट/गाइड और अधिक सें अधिक 32 स्काउट/गाइड शामिल किये जाते हैं। प्रत्येक दल का एक दल नायक होता है।

(3) **रोवर/रेंजर**—चार से लेकर छः रोअर/स्काउट/रेंजर गाइड को मिलाकर एक रोवर/रेंजर पैंट्रोल और कम से कम दो पैंट्रोल को मिलाकर एक क्यू बनाया जाता है। प्रत्येक रोवर/रेंजर पैंट्रोल में एक रोवर मेट/रेंजर मेट और एक सहायक रोवर मेट/रेंजर मेट होता है। सीनियर मेट भी बनाया जाता है।

(4) **शिक्षक**—कबिंग/बुलबुल के शिक्षक को कब मास्टर/फ्लाक लीडर, स्काउट/गाइड शिक्षक को स्काउट मास्टर/गाइड कैप्टेन तथा रोवर/रेंजर शिक्षक को रोवर/रेंजर लीडर कहते हैं।

उपर्युक्त चारों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है। प्रत्येक ग्रुप में एक स्काउट/गाइड लीडर होता है, जो स्काउटिंग के विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन की व्यवस्था करता है।

क्रियापत्रक–2

आप अपने विद्यालय सें स्काउट/गाइड दल (ट्रूप), कब/बुलबुल पैक/फ्लाक का संगठन कीजिए। संगठन के आधारों के सुझाव प्रस्तुत कीजिए।	एकत्र कीजिए मिलाइए विचार-विमर्श कीजिए

6. स्काउट/गाइड का संक्षिप्त पाठ्यक्रम

(1) कब/बुलबुल का पाठ्यक्रम चार वर्गों में विभाजित है–(1) कोमल पंख (2) रजत पंख (3) स्वर्ण पंख (4) हीरक पंख। इनमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है।

(2) **स्काउट/गाइड पाठ्यक्रम**—उत्तर प्रदेश के कक्षा 6, 7 और 8 में संक्षिप्त पाठ्यक्रम इस प्रकार है—

कक्षा 6—स्वास्थ्य नियमों की जानकारी, झण्डागीत, सिंहनाद, खोज के चिन्ह, गाँठें, स्थानीय महत्वपूर्ण वस्तुओं की जानकारी, सेवा संस्थाओं की जानकारी, प्राथमिक सहायता।

कक्षा 7—शिविर के औजारों की जानकारी, आग से रक्षा के उपायों की जानकारी, खाना बनाना, कम्पास की

सहायता से 16 दिशाओं की जानकारी, दूर का अनुमान, शिविरों में भाग लेना, पट्टी बाँधना, सिगनल देना, स्ट्रेचर बनाना तथा जीवन रक्षक डोरी का प्रयोग, मेले में सेवा कार्य करना, जनसंख्या एवं प्रदूषण पर चर्चा करना।

कक्षा 8—शिविर लगाना, कुर्सी गाँठ तथा भारवाहक गाँठों का लगाना, तैरने का ज्ञान, तैरने में सुरक्षा नियमों का ज्ञान, ऊँचाई-गहराई का अनुमान लगाना, नक्शा बनाना तथा परम्परागत चिन्हों की जानकारी रखना, सर्वे नक्शों को पढ़ना, उसके अनुसार मार्ग पर चलना, सदमा/बेहोशी/डूबने/हड्डी टूटने का प्राथमिक उपचार, भोजन बनाना, कैम्प फायर में भाग लेना, कैम्प फायर का आयोजन करना, वृक्षारोपण तथा पर्यावरणीय शिक्षा पर विचार करना।

क्रियापत्रक–3

स्काउट/गाइड को प्रभावी प्रशिक्षण कैसे प्रदान कर सकते हैं ? प्रशिक्षण योजना तैयार कीजिए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

7. स्काउट/गाइड प्रशिक्षण

सामान्यत: यह प्रशिक्षण निम्नांकित सोपानों के अन्तर्गत पूरा होता है :—

प्रवेश—(1) प्रथम सोपान (2) द्वितीय सोपान (3) तृतीय सोपान (4) राज्य पुरस्कार (5) राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट/गाइड।

प्रवेश तथा प्रथम चरण का प्रशिक्षण स्काउट मास्टर/गाइड कैप्टेन्स करते हैं।

द्वितीय तथा तृतीय सोपान के प्रशिक्षण एवं प्रमाण-पत्र देने का अधिकार स्वयं वारंट प्राप्त स्काउट मास्टर/गाइड कैप्टेन को है।

तृतीय सोपान के प्रशिक्षण देने का अधिकार स्काउट मास्टर/गाइड कैप्टेन को या जिला कमिश्नर द्वारा नियुक्त व्यक्ति को है। परीक्षा तथा प्रमाण-पत्र जिला संस्था द्वारा दिये जाते है।

राज्य पुरस्कार का प्रमाण-पत्र प्रदेश के प्रादेशिक कमिश्नर द्वारा दिया जाता है।

राष्ट्रपति स्काउट/गाइड का प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिया जाता है परन्तु परीक्षा राज्य स्तर पर ली जाती है तथा प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय प्रधान केन्द्र के द्वारा दिया जाता है।

उपर्युक्त सोपानों में 7-10 दिन का प्रशिक्षण शिविरों को आयोजित करके किया जा सकेगा।

क्रियापत्रक–4

प्रशिक्षण के सम्बन्ध में आप क्या सुझाव रखना चाहते हैं ? ऐसे व्यावहारिक सुझावों की सूची तैयार कीजिए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए विचार-विमर्श कीजिए

8. स्काउटर/गाइडर के प्रशिक्षण का समय एवं पाठ्यक्रम

(क) समय

प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त मौसम चुनना चाहिए जिसमें स्काउटर/गाइडर का पूर्ण प्रशिक्षण निम्नलिखित शिविरों के माध्यम से पूरा किया जा सकेगा :—

(i) टोली नायक शिविर प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र के संगठन कमिश्नर द्वारा आयोजित होगा।

(ii) दक्षता बैज शिविर, प्रारम्भिक स्काउट/गाइड मास्टर/कैप्टेन, शिविर/प्रीहिमालय/वुड बैज शिविर, प्रादेशिक स्तर की हाइक इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के प्रोफिसियेन्सी बैज प्रशिक्षण हो सकते हैं।

(ख) पाठ्यक्रम

(i) प्रारम्भिक स्काउटर्स/गाइडर्स

(अ) **कब मास्टर**—कब नियमावली और प्रतिज्ञाएँ; सलामी, बधाइयाँ, हाथ मिलाना; टेण्डर्स टेस्ट, फर्स्ट स्टार टेस्ट, ध्वज एवं उनका सम्मान; राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, कैम्पस फाइट्स, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य रक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, कब के लिए झण्डी संकेत, खोज करना, मॉडल, रेखा चित्रण, कब के लिए खेल, वीर कहानियाँ, अभिनय, पोशाक और उसकी देख-रेख, पैक की प्रणालियाँ, पैक अनुशासन, पैक अभिलेख, पैक डेन, माता-पिता और पैक, ग्रुप प्रणाली, कब मास्टर–उसकी योग्यताएँ, अधिकार, कर्तव्य और दायित्व, पैक संचालन, टेण्डर पैक और फर्स्ट स्टार टेस्ट्स, सेकेण्ड स्टार टेस्ट्स।

(ब) **फ्लाक लीडर (महिला)**—छः प्रणाली, फ्लाक संचालन; अभिभावक जनता से सहयोग; बुलबुल परीक्षण; यूनिफार्म; परीक्षण कार्य; गाइड टेण्डर फुट टेस्ट्स; प्रकृति दर्शन एवं निरीक्षण; दिशाएँ–कम्पास के 16 बिन्दु; स्वास्थ्य के नियम–फर्स्ट स्टार टेस्ट; बुलबुल नियम, प्रतिज्ञा सूत्र, अच्छे कार्य का लेखन और सलामी; उत्सव, छः के संगीत, बुलबुल गीत, सैल्यूट, नाद, रंग, कलरव, बुलबुल ट्री; खेलकूद; हस्त-उद्योग; प्राथमिक सहायता।

(ii) **ट्रूप स्काउटर्स/कैप्टेन्स के लिए पाठ्यक्रम**—आदर्श, उद्देश्य, सिद्धान्त पद्धतियाँ; नियम और प्रतिज्ञा; स्काउट सलामी; संकेत देना, हाथ मिलाना, आदर्श सूत्र, अच्छे कार्यों का लेखा; ट्रूप का संगठन; टेस्ट्स प्रशिक्षण; रस्सी प्रयोग और देख-रेख, गांठें, राष्ट्र ध्वज, स्काउट और गाइड ध्वज–इनका अर्थ, प्रयोग, सम्मान; राष्ट्रगान; स्काउट स्टाफ (लाठी)–प्रयोग, रख-रखाव; वुड क्राफ्ट; संकेत चिह्न; सेकेण्ड क्लास टेस्ट्स; प्राथमिक चिकित्सा-ज्ञान और अभ्यास; झण्डी संकेत–क्यों और कैसे; स्काउट पेस–क्यों और कैसे; दिशा ज्ञान; कम्पास; स्टार और कान्टेवेशन्स; अग्नि संचयन और आग जलाना, उसकी सावधानियाँ, खतरे, खाना बनाना, वुड क्राफ्ट, खेल प्रतियोगिताएँ और शरीर और उसकी देखभाल; प्रकृति दर्शन; हाइक्स और आउटिंग; पैट्रोल प्रणाली; ग्रुपप्रणाली; ग्रुप अभिलेख, पैट्रोल बैठकें; स्काउट डेन; स्काउटिंग और धर्म; स्काउट और उत्सव; गुड टर्नस; प्रोफिसियेन्शी बैजेज; स्काउट मास्टर्से–योग्यताएँ, अधिकार; कर्तव्य तथा दायित्व; ट्रूप संचालन; पैट्रोल द्वारा एक दिन की हाइक।

क्रियापत्रक–5

उपरोक्त पाठ्यक्रम में वर्तमान आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में क्या सुधार/संशोधन/परिवर्तन करना चाहते हैं ? विचार करें तथा सूची बनाइए।	एकत्र कीजिए मिलाइए चर्चा कीजिए

9. प्रशिक्षण स्थल

स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण घर से बाहर आउटिंग के माध्यम से ही सम्भव है। अतः ऐसे स्थल का चुनाव अपेक्षित है जो बस्ती से दूर प्रकृति की गोद में हो। वातावरण स्वच्छ एवं वनस्पति पूर्ण हो। नदी तालाब/जल की सुविधा हो। आवश्यक सामान्य वस्तुओं की उपलब्धि हो सके। जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके। ऐसे स्थलों का होना इस प्रशिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे। स्थल का चुनाव करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि वहाँ टेण्ट आदि आसानी से लगाये जा सकें। परिस्थितिवश विद्यालय प्रांगण, धार्मिक स्थल, धर्मशालाओं आदि का भी उपयोग किया जा सकता है।

क्रियापत्रक–6

ऐसे स्थलों की सूची तैयार कीजिए जहां स्काउट/गाइड प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक आयोजित किये जा सकें। स्थल चयन बिन्दुओं पर भी सुझाव दीजिए।	एकत्र कीजिए तुलना कीजिए चर्चा कीजिए

10. शिविर हाइक एवं अन्य साहसिक कार्यक्रम

(क) शिविर

शिविर के आयोजन के लिए निम्नांकित बातों पर ध्यान अपेक्षित है :—

(1) प्रारम्भिक प्रशिक्षण तथा शिविर की तैयारियाँ जैसे—अभिभावकों, अधिकारियों, प्रधानाचार्यों की अनुमति।

(2) शिबिर स्थल का चुनाव—भीड़-भाड़ से दूर, संचार साधनों के समीप, जल के पास, जंगल का दृश्य, मैदान की सुविधा, छोटे बाजार की समीपता, जीव जन्तुओं से सुरक्षित तथा आस-पास कोई स्थायी निवास की सुविधा।

(3) शिविर संचालन कार्यक्रम का नियोजन करना।

(4) स्काउट शिविर सामग्री की व्यवस्था—व्यक्तिगत पैट्रोल तथा ट्रूप की आवश्यकताओं के अनुसार।

(5) भोजन आदि की व्यवस्था करना।

(6) शिविर नियमों का निर्धारण एवं कड़ाई के साथ पालन करते का निर्देश देना।

शिविर में प्रशिक्षण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कैम्प कमाण्डेण्ट की देख-रेख में सम्पादित होता है। इसकी सफलता शिविर नियमों तथा कार्यक्रम सारिणी के अनुपालन पर निर्भर करती है।

क्रियापत्रक–7

एक शिविर आयोजक के रूप में शिविर आयोजन तथा सफलतापूर्वक संचालन के लिए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।	एकत्र कीजिए मिलाइए चर्चा कीजिए

(ख) हाइक

विद्यालय अथवा शिविर के दौरान स्काउट/गाइड एक या दो दिन के लिए अपने दैनिक उपयोग की सभी सामग्री स्वयं अपने साथ लेकर मूल स्थान से 10-15 या 20 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर पूरा करते हैं। खाने-पीने की व्यवस्था अपने हाथ से पूरी करते हैं, जिसमें वे आपसी सहयोग का सहारा ले सकते हैं। निश्चित अवधि के पश्चात् वे पुनः अपने स्थान पर उसी तरह वापस लौटते हैं। हाइक के लिए अपेक्षाकृत दुर्गम मार्गों अथवा स्थलों का चयन किया जाता है, जिससे स्काउट/गाइड को शारीरिक परिश्रम एवं साहसपूर्ण कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है।

(ग) अन्य साहसिक कार्यक्रम

स्काउट/गाइड को अनेक प्रकार के साहसिक कार्यों को करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है, जो उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। तैरना, डूबते हुए को बचाना, आग बुझाना, जंगली खूंखार जानवरों से सुरक्षा करना, बियाबान जंगलों में मार्ग खोजना, खुफियागीरी करना, रहस्यमय तथ्यों का पता

लगाना, रस्सी से नदी पार करना, ऊँचे-नीचे सँकरे मार्गों में चलना आदि। इन कार्यों के लिए दक्षता बैज भी प्रदान किये जाते हैं। अनेक प्रकार के दक्षता बैजेज के पाठ्यक्रमों में इस प्रकार के ऐडवेन्चरस कार्यों को सम्मिलित किया गया है।

क्रियापत्रक-8

विद्यालय परिस्थितियों में आप किन साहसिक कार्यों की अपेक्षा करते हैं? सूची बनाइये।	एकत्र कीजिए मिलाइए चर्चा कीजिए

11. सेवा के विभिन्न प्रकल्प क्यों और कैसे?

स्काउट/गाइड सेवाओं के विभिन्न प्रकल्प हो सकते हैं। संस्थागत प्रकल्पों में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्रतिष्ठान, बैंकिंग सेवाओं, रेलवे विभाग, डाक विभाग, पुलिस एवं पी० ए० सी० तथा सैनिक सेवाएं तथा यातायात आदि कार्यों में स्काउट/गाइड की सेवाएँ महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। दैवी आपदाओं जैसे—बाढ़, तूफान, अतिवृष्टि, अकाल, महामारी, विदेशी आक्रमण आदि में इनकी सेवाओं को समझा जा सकता है। मेलों, राष्ट्रीय पर्वों, सामाजिक एवं धार्मिक स्थलों एवं आयोजनों में इनकी सेवाओं का बखूबी प्रयोग किया जा सकता है। इन प्रकल्पों में इनकी सेवाओं के समुचित उपयोग की व्यवस्था होनी चाहिए।

उपर्युक्त सभी प्रकल्पों में स्काउट/गाइड की सेवाएँ विश्वसनीय, साहस, लगन, निःस्वार्थपूर्ण तथा बिना किसी प्रकार के पूर्वाग्रह एवं भेदभाव के होती हैं। ये हर एक के साथ समान बर्ताव करते हैं।

इनकी सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए पूर्व नियोजन, संचालन कार्यक्रम तथा संगठन की नितान्त आवश्यकता है।

12. प्रार्थना, झण्डागान, गीत, नाद

(क) प्रार्थना

स्काउट/गाइड प्रशिक्षण के समय नियमतः प्रार्थना सभाएँ आयोजित की जाती हैं। यह कार्यक्रम का प्रारम्भ होता है। इसमें विभिन्न धर्मों/भाषाओं के प्रार्थना गीत पढ़े जाते हैं तथा सामूहिक रूप से अभ्यास किये जाते हैं। इस कार्यक्रम को संचालित करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि स्काउट/गाइड की विभिन्न प्रार्थनाओं का संकलन एवं आयोजन करें तथा प्रशिक्षणार्थियों को स्वर, लय एवं भाव के साथ गाने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित करें।

(ख) झण्डागान

प्रशिक्षण के समय भारत स्काउट एवं गाइड झण्डे का गीत गाया जाना आवश्यक है। प्रत्येक छात्र/छात्रा को यह गान कण्ठस्थ होना चाहिए तथा आरोह-अवरोह के साथ समूह में गाने का सही अभ्यास अपेक्षित है। स्काउट/गाइड झण्डा गीत के अतिरिक्त राष्ट्रीय ध्वज गान को भी सफलतापूर्वक सही आरोह-अवरोह के साथ गाने का अभ्यास आवश्यक है। यह स्काउट/गाइड के मन में संस्था एवं राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना एवं कार्य करने में प्रेरक सिद्ध होता है।

(ग) गीत

सभी स्काउट/गाइड को उपर्युक्त महत्वपूर्ण गानों के अतिरिक्त राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान तथा अन्य गीतों के गाने का अभ्यास कराना वांछनीय है। अन्य गीतों में राष्ट्र प्रेम, एकता एवं समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने वाले गीतों का अभ्यास कराना चाहिए। ये गीत समूहगान, मार्चगान, फॉग सांग होने चाहिए, जो इनमें सांस्कृतिक उत्साह भर सकें तथा सदैव प्रसन्न रख सकें। नाट्य नृत्य गानों का भी अभ्यास कराया जाना अपेक्षित है। कैम्प फायर के समूह प्रस्तुत किये जाने वाले सांस्कृतिक एकल एवं समूह सभी प्रकार के गीतों का समुचित गायन का अभ्यास कराया जा सकता है।

क्रियापत्रक–9

भारत स्काउट/गाइड झण्डागान का सही आरोह-अवरोह के साथ गाने का अभ्यास कीजिए तथा स्काउट/गाइड को सही लय के साथ सिखाइये।	एकत्र कीजिए मिलाइए चर्चा कीजिए

(घ) नाद

स्काउट/गाइड सदा प्रसन्न एवं साहसिक कार्यों में दिलचस्पी रखते हैं। अत: प्रेरणा एवं जोश प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के नादों का बार-बार दुहराना आवश्यक है। कब/बुलबुल, स्काउट/गाइड, रोवर/रेंजर सबके लिए अनेक अलग-अलग प्रकार के सिंहनाद एवं नाद इस संस्था द्वारा संकलित एवं निर्धारित किये गये हैं। जब भी इनका समूह एकत्र हो या एकत्र होने का अवसर मिले, कार्य के दौरान इन नादों का प्रतिदिन प्रयोग होना चाहिए। इससे उद्दीपन वैभिन्य होगा तथा कार्य में नव स्फूर्ति जागृत होगी।

क्रियापत्रक–10

स्तरानुसार विभिन्न प्रकार के नादों का संकलन कीजिए। नये नादों की रचना यदि सम्भव है तो करने का प्रयास करें जो समय, परिस्थिति के अनुकूल हों।	एकत्र कीजिए मिलाइए चर्चा कीजिए

13. स्काउट/गाइड के निर्माता—अन्तर्राष्ट्रीय-राष्ट्रीय

(क) अन्तर्राष्ट्रीय

इसके जन्मदाता लार्ड बेडेन पावेल थे, जिनका जन्म 22 फरवरी 1857 को इंग्लैण्ड में हुआ था। इनका जीवन आरम्भ से ही स्काउट जीवन था। ये जीवन पर्यन्त इस संस्था को समर्पित रहे तथा विश्व चीफ स्काउट भी रहे। इनकी बहन मिस एग्नेस बैडेन पावेल ने गाइडिंग का प्रसार प्रारम्भ किया। इनकी पत्नी श्रीमती ओलेव सेण्ट क्लेयर सोम्स ने अपना जीवन इस संस्था के प्रसार कार्य में व्यतीत किया।

इनके अतिरिक्त विश्व के अनेक महापुरुषों ने इस कार्य में रुचि दिखाई, जिनमें विलियम जे० डी० बॉयस, अर्नेस्ट टामसन सेटन, जी० एस० अरुण्डेल, टी० एच० बेकर, रिवरेण्ड अलेक्जेंडर, कैप्टेन टॉड, मेजर पैकन हूम वाल्श तथा डॉ० एनी बीसेन्ट ने अन्तर्राष्ट्रीय स्काउट आन्दोलन को सफल बनाने का जीवन पर्यन्त प्रयास किया।

(ख) राष्ट्रीय

भारत में स्काउट/गाइड का कार्य अनेक नामों से प्रारम्भ हुआ। मुख्य प्रसार कर्ताओं में पं० श्री राम बाजपेयी, डॉ० एनी बीसेन्ट, पं० मदन मोहन मालवीय, पं० हृदय नाथ कुंजरू का नाम इस संस्था के साथ भारत में सदैव सम्मान से लिया जाता रहेगा। अन्य व्यक्तियों में श्री सुब्रह्मनियम आइयर, मोहन सिंह मेहता, संजीव कामथ, यज्ञनारायण आइयर, सत्यानन्द राय, जे० एस० घोस, डी० एन० बासू, श्री निवास, सी० पी० रामास्वामी आइयर आदि का नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता हैं।

क्रियापत्रक–11

विश्व के प्रमुख तथा भारत के मुख्य स्काउट/गाइड निर्माताओं के जीवन तथा संस्था के प्रति कार्यों का संकलन कीजिए। उनके जीवन आदर्शों एवं कार्य प्रणालियों का भी संकलन कीजिए।	एकत्र कीजिए मिलाइए चर्चा कीजिए

14. विद्यालयों/संस्थाओं में कार्य का प्रारम्भ : विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे चलाएँ

(क) पूर्व माध्यमिक स्तर पर

पूर्व प्राइमरी अथवा नर्सरी विद्यालयों में बन्नी ब्रान्चेज की स्थापना कर टमटोला (दल) का संगठन किया जाना चाहिए। प्रत्येक टमटोला के लिए बन्नी आन्टी होनी चाहिए जो छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाएँ तथा बन्नी खेलों का संचालन करें।

(ख) जूनियर प्राइमरी स्तर पर

कब/बुलबुल दलों की स्थापना प्रत्येक जूनियर प्राइमरी विद्यालयों में की जानी चाहिए। इनके दल पैक/फ्लाक के संचालन हेतु विद्यालय के अध्यापक/अध्यापिकाओं में से कब मास्टर/फ्लाक लीडर प्रशिक्षित किये जाने चाहिए जो बच्चों को सेवा कार्यों (जैसे—पानी पिलाना, राह दिखाना, कक्षा में शान्ति स्थापित करना आदि) के माध्यम से स्काउटिंग का कार्य सिखा सकें। आवश्यकतानुसार विद्यालय परिसर में 2-3 दिवसीय शिविरों का आयोजन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था करके स्काउटिंग का प्रसार किया जा सकता है।

(ग) सीनियर प्राथमिक स्तर पर

पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सीनियर प्राथमिक स्तर के प्रत्येक विद्यालय में स्काउटिंग सिखाने का कार्यक्रम अनिवार्य रूप से चलाना चाहिए। यह कार्य पी० टी० कक्षाओं की भांति भी किये जा सकते हैं। धार्मिक स्थलों, सामाजिक केन्द्रों और स्टेशनों तथा मेलों में पानी पिलाने, राह दिखाने, सफाई करने आदि के कार्यों से छात्रों में सेवा की भावना विकसित की जा सकती है। इस तरह के स्थानीय शिविर भी आयोजित किये जा सकते हैं।

(घ) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इस कार्य को और सघन ढंग से चलाया जा सकता है। इनमें स्काउट/गाइड तथा रोवर/रेंजर्स आदि के निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार क्रियात्मक समाजोपयोगी कार्य कराये जा सकते हैं। इनके लिए अलग-अलग प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाय तथा स्काउट/गाइड के उपयुक्त एवं योग्य प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। दक्षता बैजेज हेतु कठिन परिश्रम एवं सघन कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। अतः इन कार्यों को कुशल एवं अभ्यस्त प्रशिक्षक ही करा सकते हैं।

(ङ) प्रशिक्षित एवं कुशल प्रशिक्षकों की उपलब्धता

प्रत्येक विद्यालय में स्काउटिंग/गाइडिंग के प्रचार/प्रसार एवं सुनियोजित कार्य संचालन के लिए प्रशिक्षित स्काउट/मास्टरों एवं प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी जिनका अभाव प्रायः सभी स्तर के विद्यालयों में है। इसके प्रसार के लिए आवश्यक होगा कि प्रत्येक स्तर के प्रत्येक विद्यालय में छात्र संख्या के अनुसार प्रशिक्षित स्काउट मास्टर उपलब्ध हों। इसके लिए प्रदेश व्यापी स्काउट मास्टरों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

इनके प्रशिक्षण के लिए कतिपय स्थानों पर प्रत्येक जिले से कम से कम 12 (4 प्राथमिक, 4 जू० हाई स्कूल तथा 4 उ० मा० वि० के अध्यापक) अध्यापकों को सन्दर्भ व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित किया जाना समीचीन होगा जो अपने जनपद के अपने स्तर से सम्बन्धित विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षित करेंगे। इस प्रकार प्रशिक्षित स्काउट मास्टरों द्वारा स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण को प्रदेश व्यापी बनाया जा सकता है।

क्रियापत्रक–12

उत्तर प्रदेश में स्काउट/गाइड प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिए जो व्यावहारिक तथा सुगम हों।	एकत्र कीजिए मिलाइए चर्चा कीजिए

●

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र० द्वारा निर्मित

माॅड्यूल–रा 5 सी

सामाजिक वानिकी

सिंहावलोकन

प्राथमिक स्तर पर "सामाजिक वानिकी" का समावेश करने का उद्देश्य, सामाजिक वानिकी के प्रति बच्चों में चेतना जागृत करना है। सामाजिक वानिकी से सम्बन्धित सामग्री के अध्ययन से बच्चे वनों और समाज के अभिन्न सम्बन्ध को समझ सकेंगे। उनमें वनों तथा वनस्पतियों के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न होगी। बच्चों में वृक्षों के प्रति लगाव उत्पन्न होगा। वे वनों की रक्षा एवं उनके सम्वर्धन में सक्रिय सहयोग देंगे। वनस्पतियों का संवर्धन तथा संरक्षण होगा। परिणामत: वनों की रक्षा से पर्यावरण संतुलित होगा, जिससे सम्पूर्ण प्राणि-जगत का कल्याण होगा, वातावरण और पारिस्थितिकी में संतुलन स्थापित होगा।

इस माॅड्यूल को पढ़ने के बाद आप :

—प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामाजिक वानिकी के समावेश के महत्व का पुन: स्मरण कर सकेंगे।

—सामाजिक वानिकी के अर्थ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे।

—उत्तर प्रदेश में वनों की स्थिति का अवलोकन कर सकेंगे।

—वृक्षारोपण हेतु पौध-प्राप्ति के स्थानों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे।

—विद्यालय में स्कूल नर्सरी की स्थापना एवं तत्सम्बन्धी व्यवस्था कर लेंगे।

—वृक्षारोपण से स्थानों का चयन कर लेंगे।

—वृक्षारोपण से जन-साधारण को होने वाले लाभों को जान सकेंगे।

सामाजिक वानिकी क्यों ?

वृक्ष जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथी हैं। मनुष्य प्राचीन काल से अद्यतन अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं वृक्षों से प्राप्त करता आ रहा हैं। यथा भवन-निर्माण हेतु इमारती लकड़ी, बांस, घासें, फर्नीचर की लकड़ी, औषधियां, खाने के लिए विभिन्न प्रकार के फल-फूल आदि।

पालतू पशुओं एवं वन्य जन्तुओं के लिए घास-पत्ती, फल-फूल तथा आवासीय सुविधाएं वृक्षों से ही प्राप्त होती हैं। मांसाहारी पशु शाकाहारी जन्तुओं पर आश्रित रहते हैं। शाकाहारी जन्तु वनस्पतियों पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार सभी जीवधारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर आश्रित रहते हैं।

अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल वृक्षों से ही प्राप्त होता है, जैसे दियासलाई, कागज, प्लाईवुड, पैकिंग केस, लाख, कत्था, तारपीन, विरोजा एवं खेलकूद के सामान तथा विभिन्न प्रकार के काष्ठोपकरण हेतु उपयोगी काष्ठ।

वृक्ष, प्राण वायु (आक्सीजन) प्रदान करते है। श्वसन में प्रत्येक जीवधारी अशुद्ध वायु (कार्बन डाइ-आक्साइड) छोड़ते हैं और शुद्ध वायु (आक्सीजन) ग्रहण करते हैं। वृक्ष अशुद्ध वायु (कार्बन डाइ-आक्साइड) को अपने भोजन बनाने में ग्रहण करते हैं और शुद्ध वायु (आक्सीजन) छोड़ते हैं। यह शुद्ध वायु हम सभी प्राणियों के लिए प्राण वायु है। इस तरह वृक्ष वायुमण्डल में विभिन्न गैसों का संतुलन बनाये रखते हैं। एक हेक्टेयर वन प्रति वर्ष सामान्यतया 3 मीटरिक टन अशुद्ध वायु (कार्बन डाइ-आक्साइड) ग्रहण कर 2 मीटरिक टन आक्सीजन प्रदान करते हैं।

वृक्षों से जलवायु का नियंत्रण एवं भूमि-संरक्षण होता है। वर्षा को संतुलित करना, गर्मी-सर्दी को अनुकूल रखना तथा हवा और पानी के वेग को नियंत्रित रखकर मिट्टी के कटाव (बहाव) को रोकना हमारे वृक्षों और वनों का ही काम है।

ईंधन के लिए लकड़ी उपलब्ध न होने पर कृषक गोबर के उपले बनाकर ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के लिए लकड़ी का प्रबन्ध हो जाय तो गोबर को बचाकर खाद के रूप में खेतों में डाला जा सकता है। इससे खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ेगा। खाद तथा बायो गैस हेतु गोबर को बचाने के लिए वृक्षों का लगाना अति आवश्यक है।

सुखमय भविष्य एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए वृक्षों का लगाना, वनों का संरक्षण एवं सम्वर्धन करना अति आवश्यक है। वृक्षों के द्वारा पर्यावरण के प्रदूषण को रोकना बहुत हद तक सम्भव है।

बढ़ती हुई जनसंख्या से बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ गयी हैं। वृक्षारोपण से रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। कंजी, महुआ, नीम आदि के वृक्षों से तेल निकाला जा सकता है। ग्राम वासी अपने ग्राम में कोल्हू स्थापित कर संदर्भित फलों से तेल निकाल कर अपनी जीविका का अर्जन कर सकते हैं। सहजन, अगस्त, जैती आदि वृक्षों की पत्तियों से कागज बनाने का कुटीर उद्योग चलाया जा सकता है। तेंदू के पत्तों का आर्थिक महत्व सर्वविदित हैं। शीशम, आम, सागौन, बबूल से गांव के बढ़ई फर्नीचर बनाने का उद्योग चला सकते हैं। बबूल के वृक्षों से गोंद निकाल कर उसे बेचकर आमदनी बढ़ायी जा सकती है।

अर्जुन व बबूल की छाल चमड़ा सिझाने के काम आती है। इन वृक्षों की छाल से गांव में चमड़े सिझाने का अच्छा व्यवसाय चलाया जा सकता हैं। रेशम के कीड़े शहतूत पर पाले जा सकते हैं।

सामाजिक वानिकी का अर्थ

वनों के समीप के ग्रामीण वनों से अनियंत्रित चारा तथा लकड़ी काटने लगे। ठेकेदार आदि लाभ के लोभ में वनों की कटाई गलत ढंग से करने लगे जिससे वनों का ह्रास होने लगा। वनों के विनाश को देखकर वन विभाग द्वारा वृक्षों के रक्षण की नीति अपनायी गयी। ग्रामीणों को चारा तथा लकड़ी काटने पर वन विभाग द्वारा रोक लगा दी गयी। इस तरह वन विभाग द्वारा वनों की काफी सुरक्षा होने लगी। वन विभाग की कड़ी सुरक्षा के कारण लोगों को असुविधा होने लगी जिसके फलस्वरूप सामान्य जन का वनों से लगाव कम हो गया। ऐसी स्थिति में वन नीति पर पुर्नविचार किया गया। यह अनुभव किया गया कि वनों का विकास तभी संभव है जब वनों तथा सामान्य लोगों के मध्य पारस्परिक निर्भरता तथा उत्तरदायित्व का विकास किया जाय, वनों को समाजोन्मुख बनाकर सम्वर्धन तथा संरक्षण की नीति को सामाजिक वानिकी की नीति कहा गया है। सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत जो वृक्ष लगाये गए हैं, उनसे एक तरफ तो समीप के ग्रामीणों को ईंधन, चारा, खाद्य, फल-फूल, छाजन के लिए घासें, मकान तथा कृषि उपकरण के लिए लकड़ी एवं औषधियां प्राप्त होती हैं दूसरी तरफ समाज के लोग स्वयं वृक्षों को लगाते है तथा वनों को सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा वनों के विकास में सहयोग देते हैं। यह योजना जन सहयोग पर आधारित है। लक्ष्य यह है कि कोई भी भूमि जहां पेड़ लग सकते हैं, पेड़ों से खाली न रहे। ग्राम-समाजों, विकास-खण्डों, जिला परिषदों तथा स्कूलों, कालेजों एवं विश्वविद्यालयों के माध्यम से वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

वर्ष 1986-87 का लक्ष्य 45 करोड़ पौधे लगाने का था। सितम्बर 86 तक 41.55 करोड़ पौधे लगाये जा चुके हैं।

प्रदेश में वनों की वर्तमान स्थिति

वातावरण के संतुलन हेतु देश के पूरे भूभाग के 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। परन्तु स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में 1/6 भाग पर ही वन हैं। ये वन भी उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, तराई क्षेत्र और दक्षिणी भूभाग में ही हैं। प्रदेश के विशाल मैदानी भाग में केवल 7 प्रतिशत ही वन हैं। अनेक जनपद वन से विहीन हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए मैदानी क्षेत्र के जनपदों में 1979 से सामाजिक वानिकी परियोजना लागू की गयी है। जनसंख्या तथा उद्योग धन्धों और विकास कार्यों के लिए भूमि की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए वनों के क्षेत्र को बढ़ाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। अस्तु हमारे सामने

एक ही विकल्प बचा है कि जहां कहीं भी सम्भव हो खाली क्षेत्रों में पेड़ लगाये जायँ तथा उनकी सुरक्षा की जाय। इस संदर्भ में कतिपय सुझाव इस प्रकार हैं :—

—सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, रेलवे लाइनों के किनारे, तालाबों के चारों ओर पेड़ लगाये जायं।

—विद्यालयों, पंचायत घरों, सार्वजनिक भवनों तथा सरकारी भवनों के अहातों में पेड़ लगाये जायं।

—निजी भवनों के सहन में, खेतों की मेड़ों पर तथा ग्राम समाज की खाली भूमि पर पेड़ लगाये जायं।

कौन से पेड़ कहाँ लगायें ?

आप सभी जानते हैं कि एक तरह की मिट्टी में हर प्रकार के पेड़ नहीं उगाये जा सकते हैं। इसी तरह हर प्रकार का पेड़ सभी जगह शोभा नहीं देता है। इसलिए आप अपनी सुविधा और वृक्षों की भी उपयोगिता तथा आवश्यकता के अनुसार ही पेड़ लगायें। जैसे खेतों की मेड़ों पर गहरी जड़ तथा हल्के छत्र के पेड़ लगायें जायं और सड़कों, नहरों आदि के किनारे पर छायादार व फलदार वृक्ष लगाये जायं। इस संबंध में कतिपय बिन्दु निम्नलिखित हैं :—

उपयोगिता के अनुसार वृक्षों का चुनाव

इमारती लकड़ी

मैदानी क्षेत्र—साल (साखू), सागौन, शीशम, महुआ, जामुन, नीम, बांस।

पर्वतीय क्षेत्र —तुन, चीड़, कैल, सुरई, देवदार आदि।

इंधन

मैदानी क्षेत्र —बबूल, ढाक, अर्जुन, विलायती बबूल, नीम, इमली, बकायन, यूकेलिप्टस।

पर्वतीय क्षेत्र —बांस, बांज, तिलोज (मोक) आदि।

फल

मैदानी क्षेत्र —आम, अमरूद, आंवला, कटहल, महुआ, जामुन, बेल।

पर्वतीय क्षेत्र —किमू, आड़ू, अखरोट, च्यूरा, नाशपाती, सेब, काफल आदि।

छाया

मैदानी क्षेत्र —मौलसिरी, अशोक, जामुन, नीम, पाकड़, बरगद, पीपल, इमली, आम, कजी, महुआ।

पर्वतीय क्षेत्र —तुन, पांगर आदि।

शोभा

मैदानी क्षेत्र —गोल्ड मोहर, जकरण्डा, कचनार, अमलतास, बोतल ब्रश, अशोक, पीपल, यूकेलिप्टस।

पर्वतीय क्षेत्र —पांगर, कोनेरा, सैलिक्स, बुरूंश, देवदार, चीड़ आदि।

चारा

मैदानी क्षेत्र —बबूल, नीम, सिरिस, कचनार, सहजन, पीपल।

पर्वतीय क्षेत्र —पांगर, खड़िक, भीमल, किमू, बांज आदि।

मिट्टी के अनुसार वृक्षों का चुनाव

मटियारी मिट्टी

ढाक, काला सिरिस, असना, अर्जुन आदि।

दोमट तथा बलुई मिट्टी

शीशम, सिरिस, बबूल, खैर, साल, सागौन, आम, कटहल, मौलसिरी, अशोक, पाकड़। बरगद, पीपल, इमली, कंजी, अमलतास, कचनार, आंवला, अमरूद।

नम मिट्टी

जामुन, ढाक, अर्जुन, असना, गुटेल आदि।

ऊसर भूमि

ढाक, विलायती बबूल, नीम, कंजी, सिरिस आदि।

शुष्क क्षेत्र

विलायती बबूल, सांदन, कंजी, झींगन, छिड़कर, बाकली, इमली, महुआ आदि।

पथरीली भूमि

(विन्ध्य तथा बुन्देलखण्ड)– महुआ, चिरौंजी, तेंदू, करघई आदि।

पहाड़ी क्षेत्र

चीड़, कैल, सुरई, देवदार, बांज, तिलौंज, पांगर, अखरोट, किमू, आड़ू, पापलर, कौनेरा, यूकेलिप्टस, भीमल, खड़िक, उतिस, आदि।

इस विषय में परामर्श तथा सहायता देने के लिए जिला स्तर पर वृक्षारोपण समितियां स्थापित की गयी हैं। प्रत्येक जिलाधिकारी, वन-अधिकारी तथा जिला उद्यान अधिकारी के विभिन्न कार्यालयों में वृक्षारोपण संबंधी सूचना एवं परामर्श केन्द्र स्थापित किये गये हैं। यहां सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। सामाजिक वानिकी विभाग द्वारा कृषकों को एक दिवसीय प्रशिक्षण देने का भी प्रबन्ध किया गया है। इस वर्ष अब तक प्रदेश में लगभग 90 हजार कृषकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

पौध कहाँ से प्राप्त करें ?

आपकी आवश्यकतानुसार पौधों को प्राप्त करने के लिए वन विभाग तथा उद्यान विभाग के निकटतम कार्यालय से सम्पर्क करना चाहिए। इन विभागों के अपने पौधालय (नर्सरी) हैं। शिक्षा विभाग और कहीं-कहीं जिला परिषदों के पास भी ऐसे पौधालय हैं। प्रत्येक विकास खण्ड में पौधालय (नर्सरी) स्थापित किये गये हैं, जहां आसानी से पौधे प्राप्त किये जा सकते हैं। सुविधा हेतु अब ग्राम पंचायत स्तर पर पौधालय स्थापित किये जा रहे हैं।

पौधों की कीमत

वृक्षारोपण योजना को प्रोत्साहन देने के लिए पौधों का मूल्य नाम मात्र ही रखा गया है।

पौधों का अग्रिम आरक्षण

वृक्षारोपण हेतु आवश्यक पौधों की जातिवार संख्या अप्रैल माह में अपने निकटतम राजि-अधिकारी/वृक्षारोपण अधिकारी को देकर पंजीकृत करवाया जा सकता है, तथा उनका मूल्य जमा कर पौध उठाने की तिथि मालूम की जा सकती है। अधिक पौधों की मांग करने वालों को वन कर्मचारी से रोपण स्थल का निरीक्षण करवाना हितकर होगा।

विद्यालय पौधालय

विद्यार्थियों को वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित करने एवं बच्चों में पेड़-पौधों के प्रति रुचि जागृत करने के लिये विद्यालयों में उपलब्ध भूमि पर नर्सरी स्थापित की जाती है। शिक्षा विभाग के अधिकारी वन विभाग से संपर्क कर नर्सरी के लिये विद्यालय का चयन करते हैं।

विद्यालय में नर्सरी स्थापित करते समय निम्नलिखित सुविधाओं का होना आवश्यक है :—

1—स्कूल के पास नर्सरी के लिये अपनी भूमि उपलब्ध हो।

2—सिंचाई की सुविधा हो।

3—सुरक्षा की व्यवस्था हो।

प्रशिक्षण—विद्यालय पौधशाला के लिये वन विभाग द्वारा प्रत्येक विद्यालय के एक अध्यापक तथा दो बच्चों और एक अंशकालिक माली के तकनीकी जानकारी हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।

कार्यपत्रक–1

क्या आप सुझाव दे सकते हैं कि विद्यालय पौधशाला में किन-किन वृक्षों की पौध तैयार की जाय।	**एकल कीजिए** **मिलान कीजिए** **चर्चा कीजिए**

कार्यपत्रक–2

पौधशाला के लिये आवश्यक संसाधनों की सूची बनायें।	**एकल कीजिए** **मिलान कीजिए** **चर्चा कीजिए**

पौधशाला में उपयोग हेतु सामग्री उपलब्ध कराना

स्कूल पौधशालाओं में पौध उगाने के लिए समस्त सामग्री—पौलीथीन बैग, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, पौध वाली डलिया, फावड़ा तथा गैंती आदि का प्रबन्ध वन विभाग द्वारा किया जाता है।

पौधशालाओं में श्रम का कार्य

स्कूल-पौधशालाओं में क्यारी बनाकर बीज बोना, पोलीथीन बैग भरना, पौध लगाना, पानी देना, निराई-गुड़ाई, पौध का स्थान परिवर्तन, ग्रेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था आदि कार्य प्रशिक्षित अध्यापकों एवं अंशकालिक माली के निर्देशन में स्कूल के बच्चों द्वारा किया जाता है।

पौधशालाओं की सुरक्षा

पौधशालाओं की सुरक्षा तार की बाड़ घेर करके अथवा खाई खोदकर उसके अन्दर की ओर मेड़ पर कंटीली झाड़ियां लगाकर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त रात्रि में तथा अवकाश के दिनों में अंशकालिक माली द्वारा सुरक्षा की जायगी तथा अवकाश के दिनों में माली सिंचाई भी करेगा।

स्कूल छात्रों को प्रोत्साहन देना

पौधशाला में पौध उगाने हेतु श्रम कार्य स्कूल के बच्चों द्वारा किया जाता है। अतः रोपण योग्य समस्त पौधों, जो वन विभाग द्वारा खरीदे जायेंगे, के लिए बच्चों को 10 पैसे प्रति पौध की दर से प्रोत्साहन स्वरूप दिया जायेगा।

वृक्षारोपण कैसे तथा किसके लिए ?

(अ) राजकीय भूमि पर

राजकीय भूमि पर जैसे सड़क, नहर तथा रेलवे लाइन की पटरियां एवं बंजर भूमि पर वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा किया जाता है।

(ब) ग्राम समाज भूमि पर

ग्राम समाज की भूमि पर वृक्षारोपण के लिए निम्न प्रक्रियाएं अपनायी जाती हैं :—

1—ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करके वृक्षारोपण हेतु भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित करती है।

2—वृक्षारोपण कार्यों में परामर्श देने तथा ग्रामीणों में लकड़ी का बंटवारा करने हेतु गांव के प्रधान की अध्यक्षता में एक ग्राम समिति का गठन किया जाता है।

3—ग्राम समिति के सुझाव पर गांव की आवश्यकता को देखते हुए वन विभाग उपर्युक्त भूमि पर वृक्षारोपण करवाता है।

4—ग्रामीणों के सहयोग से वन विभाग वृक्षारोपण का रख-रखाव एवं सुरक्षा करता है।

5—अनुबन्ध में जैसा उल्लिखित हो घास, पत्ता का चारा, महुवे का फूल एवं फल गांव वालों को मुफ्त दिया जाता है। शेष उपज को बेचकर वन विभाग और ग्राम समाज के मध्य बंटवारा होता है।

6—ग्राम समिति एवं वन विभाग में जो अनुबन्ध होता है उसके अनुसार आय का 20% धनराशि ग्राम समाज को दे दी जायगी। शेष धनराशि वन विभाग वृक्षारोपण के खर्च के लिये लेता है।

7—30 वर्ष या उसके पूर्व ही जब वृक्षारोपण की व्यय की गई धनराशि वन विभाग को वापस हो जाती है, तब सम्पूर्ण आय ग्राम समाज को मिलने लगती है तथा पूरी वन सम्पत्ति पर ग्राम समाज का अधिकार हो जाता है।

8—ग्राम समाज की भूमि में रोपी गई वनस्पति का चारा तथा इंधन का बंटवारा ग्राम समिति करती है।

9—उपर्युक्त उपज के बंटवारे, वृक्षारोपण करने एवं रख-रखाव करने के कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से अन्त्योदय तथा अनुसूचित जाति के परिवारों को वरीयता दी जाती है।

इस प्रकार ग्राम समाज को बिना खर्च किये आय का स्रोत तथा वृक्षों के रूप में सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है।

वृक्षारोपण का रोजगारपरक महत्व

टसर उत्पादन हेतु अर्जुन रोपण

ग्रामीण क्षेत्रों में अर्जुन के वृक्ष लगाकर उन पर टसर के कीड़े पालने का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। यदि यह कार्य ग्राम समाज की भूमि पर किया जाता है तो आय का बंटवारा उपर्युक्त ढंग से होता है।

सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत काफी बड़ी संख्या में कंजी, महुआ, नीम, सहजन, अगस्त, जैंती, शीशम, आम, सागौन, अर्जुन तथा बबूल आदि लगाये जाते हैं।

कंजी, महुआ, नीम आदि के वृक्षों के फल से तेल निकाला जाता है।

सहजन, अगस्त व जैंती आदि वृक्ष जिनकी पत्तियां चारे के काम में आती हैं, लकड़ी से कागज की लुगदी बनायी जा सकती है।

शीशम, आम, सागौन, बबूल आदि वृक्षों की लकड़ी से फर्नीचर का व्यवसाय चलता है।

बबूल के वृक्षों से गोंद निकाला जाता है।

अर्जुन व बबूल की छाल से चमड़े सिझाने का व्यवसाय चल सकता है।

(स) निजी भूमि पर वृक्षारोपण

निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए वन विभाग ने ब्लाक मुख्यालयों तथा न्याय पंचायत स्तर पर पौधालयों की स्थापना की है। इन पौधालयों से जनता को नाम मात्र के मूल्य पर ईंधन एवं फल वाले पौधे रोपण हेतु उपलब्ध कराये जाते है। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की समस्या दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। इस समस्या को हल करने के लिए निजी भूमि पर तथा खेतों की मेड़ों पर यूकेलिप्टस एवं बबूल के पौधों का रोपण किया जाना चाहिए। इस प्रकार के रोपण से प्रत्येक कृषक परिवार ईंधन एवं कृषि कार्यों के लिए लकड़ी हेतु आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

क्रियाकलाप–1

आप बच्चों को निम्नलिखित क्रियाकलाप करा सकते हैं :—

1—पौधघर का भ्रमण एवं निरीक्षण।

2—पौधघर तैयार कराने सें सम्बन्धित क्रियाकलाप।

3—पौध लगवा सकते हैं तथा उसकी देख-रेख तथा संरक्षण सम्बन्धी क्रियाकलाप करा सकते हैं।

क्रियाकलाप–2

आप बच्चों से ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं :—

1—पौधे प्राणियों के लिए क्यों आवश्यक हैं ?

2—वातावरण संतुलन में पौधों का क्या महत्व है ?

3—भूमि का कटाव रोकने में पौधों का क्या महत्व हैं ?

4—पौधों से प्रत्यक्ष लाभ क्या हैं ?

5—किन-किन भूमियों सें अलग-अलग उद्देश्यों से कौन-कौन से वृक्ष लगाये जा सकते हैं ?

6—औद्योगिक महत्व के वृक्षों पर विस्तार से लेख लिखें।

7—स्कूल नर्सरी पर एक लेख लिखें।

●

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण
परिषद, उ० प्र० द्वारा निर्मित

मॉड्यूल–रा 6 सी

प्रदूषण तथा इससे बचाव

सिंहावलोकन

पर्यावरण से हमारा तात्पर्य जीव के लिए एक दूसरे पर और भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर समस्त प्राणियों सहित व पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं। मनुष्य जिस स्थान पर रहता है वहां की वायु, जल तथा मिट्टी का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। इतना ही नहीं वरन् उसमें आस-पास के पेड़-पौधे, पशु-पक्षी भी उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। सन्तुलित पर्यावरण समस्त जीवों के अस्तित्व का आधार है किन्तु आज औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण एवं बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक रूप से पर्यावरण का अविवेक-पूर्ण दोहन एवं विध्वंस से पर्यावरण असन्तुलित हो रहा है। यदि समय रहते हुए इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो जीव मात्र का अस्तित्व ही समाप्त हो जायगा।

मनुष्य भी अपने पर्यावरण का एक अंग है इसलिए उसके ऊपर पर्यावरण का और पर्यावरण पर उसके कार्यों का प्रभाव पड़ता है।

पर्यावरण असन्तुलन की अभिव्यक्ति प्राकृतिक संकट—वायु प्रदूषण, भू-स्खलन, भू-क्षरण, बाढ़, सूखा बजट, रेगिस्तान, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ऋतुओं में अन्तर एवं सांस्कृतिक संकट के रूप में वन विनाश, जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, गंदी बस्तियां, ध्वनि प्रदूषण, अपराध, घातक एवं संहारक रोग, ऊर्जा संकट के रूप में दिखायी पड़ती है।

पर्यावरण की वर्तमान स्थिति भयानक हो गयी है और यह आवश्यक हो गया है कि इस दिशा में निष्ठापूर्वक प्रभावी उपाय अपनाये जायें। विद्यालयी शिक्षा में पर्यावरणीय प्रदूषण सम्मिलित करने का उद्देश्य बच्चों को प्रारम्भ से ही पर्यावरणीय प्रदूषण और उससे होने वाली हानियों का ज्ञान कराना तथा पर्यावरण के संरक्षण, पुनर्वास एवं विकास हेतु उचित आदतों, अभिवृत्तियों एवं कौशलों का विकास करना हैं।

इस मॉड्यूल का अध्ययन करने के बाद आप पर्यावरणीय स्वच्छता के महत्व और उसके प्रदूषण से होने वाली हानियों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे :

- –मनुष्य प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का अभिज्ञान कर सकेंगे।
- –मनुष्य पर्यावरण का अंग होते हुए भी जीवन के लिए आवश्यक पर्यावरणीय सन्तुलन को अस्त-व्यस्त कर रहा है इसकी अनुमति कर सकेंगे। पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अपने स्तर से किये जाने वाले उपायों को अपना सकेंगे।
- –बच्चों की पर्यावरणीय स्वच्छता बनाये रखने के लिए कूड़ा दान, सोख्ता गड्ढा के प्रयोग एवं वृक्षारोपण के लिए प्रेरित कर सकेंगे।

जहां तक पर्यावरण प्रदूषण का सम्बन्ध है हम जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए जल, वायु की कितनी आवश्यकता है। आज इनका प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि सम्पूर्ण विश्व चिन्तित हो उठा है। प्रदूषण की समस्या से विकसित और अविकसित दोनों ही प्रकार के राष्ट्र ग्रस्त हैं। अन्तर सिर्फ इतना है कि विकसित राष्ट्रों में यदि यह प्रदूषण स्वार्थ, सुविधा और अपने सर्वस्व को बनाये रखने के प्रयासों के कारण हुआ है तो विकासशील राष्ट्रों में अस्तित्व एवं विकास के लिए पर्यावरण के अविवेकपूर्ण दोहन एवं दुरुपयोग तथा अज्ञानता के कारण हुआ हे।

वायु को ही लें। अनेक अध्ययनों एवं परीक्षणों द्वारा यह पता चलता है कि वायुमण्डलीय प्रदूषण विश्वव्यापी स्तर पर एक समस्या बना हुआ है, खासतौर से औद्योगिकीकरण व नगरी क्षेत्रों में। नगरी क्षेत्रों में बड़े-बड़े कारखानों से

निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर, कार्बन डाई-आक्साइड, नाइट्रोजन-आक्साइड, यातायात के तेज एवं आधुनिक साधनों से निकलने वाला धुआं, धूल और गन्दगी वायु प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में चारों ओर बिखरा कूड़ा-करकट, नालियों में गन्दा जमा पानी, मलमूत्र उत्सर्जन आदि की समुचित व्यवस्था न होने के कारण है। वायु के आक्सीजन की पर्याप्त मात्रा ही हमारे लिए उपयोगी है। खुले एवं हरे-भरे वातावरण में इस प्रकार की वायु हमें बड़ी सरलता से उपलब्ध होती है। परन्तु घनी बस्तियों में तथा कारखानों के आस-पास वायु प्रदूषित हो जाती है उसमें आक्सीजन की मात्रा घट जाती है तथा कार्बन मोनो-आक्साइड व कार्बन डाई-आक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ये दोनों ही गैसें हमारे जीवन के लिए हानिकारक होती हैं। प्रदूषित वायु के दुष्परिणाम खांसी, दमा, टी० बी०, स्नोफीलिया, कैंसर आदि रोगों के रूप में दिखायी पड़ते हैं।

क्रियापत्रक –1

आपके विद्यालय के निकट वायु प्रदूषित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं ? संक्षेप में लिखें।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

आपने देखा कि प्रत्येक क्षेत्र में वायु प्रदूषित करने वाले कारक भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि गंदगी और चूल्हों से निकला धुआं है तो नगरों और महानगरों में यातायात के साधनों, बड़े-बड़े कल-कारखानों से निकला धुआं, धूल और अन्य विषैले पदार्थों के कण और गंदगी वायु को प्रदूषित कर रहे हैं।

वायु प्रदूषण के लिए दो बातें मुख्य रूप से आवश्यक होती हैं—वायु को प्रदूषित होने से रोकना और प्रदूषित वायु का शुद्धीकरण।

क्रियापत्रक–2

वायु प्रदूषित न हो इसके लिए क्या उपाय अपनाये जा सकते हैं ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

आपने ठीक ही विचार किया कि गंदगी के समुचित निस्तारण की व्यवस्था, धुएं को कम करने के उपायों जैसे घरेलू उपयोग में निर्धूम चूल्हे के प्रयोग, कारखानों के धुएं के शोधन से हम वायु को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं।

वायु को शुद्ध रखने में वृक्षों का बहुत महत्व होता है। वृक्ष वायुमण्डल से कार्बन डाई-आक्साइड लेकर उसे प्रकाश की सहायता से आक्सीजन में बदल देते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि विभिन्न कारणों से वनों का भयंकर विनाश किया गया है। वायुमण्डल को सन्तुलित बनाये रखने के लिए कुल भू-भाग पर एक तिहाई वन होने चाहिए किन्तु राज्य में इस समय केवल 17% भू-भाग पर ही अच्छे वन हैं।

क्रियापत्रक–3

हरीतिमा बढ़ाने के लिए हम अपने स्तर से कौन-कौन से उपाय अपना सकते हैं ?

आपने ठीक ही विचार किया कि हरीतिमा की रक्षा के लिए वृक्षों का कटना रोकने के साथ-साथ वृक्षों का लगाना भी आवश्यक है। खाली भूमि में वृक्षारोपण करके हम वायुमण्डल को शुद्ध रखने के साथ-साथ और भी अनेक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

इसी प्रकार प्रदूषण ने इस समय गंभीर रूप धारण कर लिया है। शुद्ध जल मनुष्य तथा सभी जीव-जन्तुओं के लिए आवश्यक है। एक अनुमान के अनुसार देश में केवल 30% लोगों को ही शुद्ध पेय जल उपलब्ध हैं। हम अपने विभिन्न कार्यों के द्वारा नदी, तालाब, कुआं, हैण्ड पम्प आदि के पानी को दूषित बना देते हैं। लोग प्रायः कपड़े धोने, बर्तन धोने, नहाने, पशुओं को नहलाने, शौच आदि कार्य जल स्रोतों के पास ही करते हैं। इसके अतिरिक्त पानी को प्रदूषित करने वाले मुख्य तत्व फैक्ट्रियों और कारखानों से निकले अनावश्यक द्रव्य एवं पदार्थ, शहर का कूड़ा-कचरा, सीवेर का पानी होता है जिसमें अन्य अनेक विषाक्त पदार्थ होते हैं।

सर्वेक्षण के आधार पर भारत में प्रति एक लाख व्यक्तियों पर 360 व्यक्तियों की मृत्यु का कारण अशुद्ध जल है। देश में हर दस व्यक्तियों में से 7 की मृत्यु का कारण हैजा, पेचिश, पीलिया आदि बीमारियां हैं, जो दूषित जल से ही फैलती हैं।

वायु की भांति ही मानव जीवन के लिए जल का बहुत महत्व है। पीने के अतिरिक्त जल का उपयोग हम विशिष्ट विभिन्न रूपों में करते हैं। आप यह भी जानते होंगे कि अनेक घातक रोग जैसे हैजा, टायफाइड, अतिसार, पीलिया आदि रोगों का मुख्य कारण संक्रमित जल उपयोग करना है।

क्रियापत्रक-4

हम जल किन स्रोतों से प्राप्त करते हैं ?

आपने चर्चा के मध्य देखा कि जल प्राप्ति के अनेक स्रोत हैं। कुएं, तालाब, नदियां, नहरें, हैण्ड पम्प, नल, प्राकृतिक सोते ऐसे ही प्रमुख स्रोत हैं जिनसे विभिन्न क्षेत्रों में लोग जल प्राप्त करते है। आपको जानकर कदाचित आश्चर्य होगा कि देश में केवल 30% लोगों को ही सुरक्षित पेय जल उपलब्ध हो पाता है। 70% लोग संक्रमित जल का उपयोग करते हैं।

आइये विचार करें कि जल संक्रमित कैसे हो जाता है।

क्रियापत्रक-5

जल दूषित होने के प्रमुख कारण लिखिए।

आपने चर्चा मध्य सुना कि जल स्रोतों के निकट मल त्याग, कपड़ा आदि धोना, पशु नहलाना या कूड़ा-करकट डालना, मनुष्य एवं पशु शव डालना तथा नगरों में बड़े-बड़े कारखानों से निकला हुआ विषाक्त जल, मल तथा गन्दे पानी के नाले आने से जल स्रोत प्रदूषित हो जाते है। बड़ी-बड़ी नदियां भी इससे नहीं बच सकी हैं। कहीं-कहीं तो नदियों का जल इतना प्रदूषित हो गया है कि उसमें जल के बीच जीव-जन्तु भी जीवित नहीं रह गये हैं।

क्रियापत्रक–6

जल प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय अपनाये जा सकते हैं ?

आपने ठीक ही विचार किया कि जल प्रदूषण रोकने के लिए जल स्रोतों की स्वच्छता आवश्यक है। कूड़े-कचरे, मल, गन्दे जल, शव विसर्जन, नदियों-तालाबों में नहीं किए जाने चाहिए। कुएं, नलों के पास स्वच्छता रखी जानी चाहिए। कल-कारखानों से निकला हुआ जल, जिसमें अनेक विषाक्त पदार्थ होते हैं, नदियों में नहीं प्रवाहित किये जाने चाहिए।

मृदा में प्राकृतिक रूप से कुछ तत्व पाये जाते हैं और इनका संतुलित मात्रा में होना आवश्यक होता है। परन्तु किन्हीं कारणों से जब यह संतुलन बिगड़ जाता है तो मृदा प्रदूषित हो जाती है। आज की पद्धति में कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके अधिक पैदावार लेने वाली फसलों और शीघ्र बढ़ने वाली वृक्ष प्रजातियों के लिए हम मिट्टी की प्राकृतिक क्षमता या उर्वरकता नष्ट कर रहे हैं। जहां भी एक बार उर्वरकों का प्रयोग हुआ वहां यदि नियमित रूप से उर्वरकों का प्रयोग न हो तो पैदावार पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। रासायनिक खादों से उत्पन्न पर्यावरण समस्या के प्रति चिन्ता का सबसे बड़ा कारण नाइट्रेट का जमीन से रिसकर नीचे चला जाना है। जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। कीटनाशक दवाओं द्वारा भूमि, पेड़-पौधों तथा जीव-जन्तुओं (केचुओं) पर पड़ने वाले कुप्रभाव भी स्पष्ट दिखायी देते हैं।

वातावरण में बढ़ रहा शोर ध्वनि प्रदूषण है। वर्तमान सभ्यता में औद्योगिक क्रान्ति के साथ शोर की मात्रा में दिनोंदिन वृद्धि होती जा रही है। मोटर-गाड़ियों के हार्न, कारखानों की मशीनों की स्पष्ट खटपट, रेलगाड़ी की सीटियां, निर्माण कार्यों में होने वाला तोड़-फोड़, लाउडस्पीकर, पटाखे, ट्रांजिस्टर, बाजे-गाजे की उबाऊ धुनें कानों को मात्र तीखी ही नहीं लगतीं वरन् स्वास्थ्य के लिए भी घातक हैं। ध्वनि प्रदूषण से कार्य क्षमता में कमी, झुंझलाहट, शारीरिक तनाव, मस्तिष्क एवं आमाशय पर प्रभाव, नींद में कमी होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाना, रक्त चाप का बढ़ना आदि कष्ट हो सकते हैं।

अनुसंधानों से पता चला है कि पर्यावरण में शोर की तीव्रता प्रत्येक 10 वर्षों में दुगुनी होती जा रही है।

इस प्रकार हमने देखा है कि प्रदूषण मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है और इनका दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर स्पष्ट पड़ता है। इतना ही नहीं, वायु, जल, भूमि, जन्तु तथा वनस्पति—ये पांचों तत्व एक दूसरे पर निर्भर होते हैं।

इस स्तर पर छात्रों को अपने जनपद तथा क्षेत्र विशेष की पर्यावरण की समस्याओं से भली-भांति परिचित कराते हुए उनके संरक्षण के प्रति उचित अभिवृत्ति विकसित की जा सकती है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र० द्वारा निर्मित

मॉड्यूल—रा 7 सी

एप्रोप्रियेट टेक्नालोजी

भारत ग्रामीण उद्योगों के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही धनी रहा है। आज के औद्योगिक युग में यद्यपि ये ग्रामीण उद्योग दब से गये हैं किन्तु फिर भी वे उद्योग पूरी तरह से लुप्त नहीं हुए हैं। बुनकर का करघा, कुम्हार का चाक, तेली का कोल्हू आदि आज भी तकनीकी दृष्टिकोण से व्यावहारिक और आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम हैं। इस क्षेत्र को नया जीवन प्रदान करने का श्रेय महात्मा गांधी को है। यह उन्हीं के सतत् प्रयासों तथा दिशा निर्देशन का फल है कि इन प्रौद्योगिकियों में सुधार आया और आज भी ये जीवित अवस्था में है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खादी एवं ग्रामोद्योग ने ग्रामीण तकनीक और औद्योगिकीकरण के लिए विशेष कार्य किया।

उत्तर प्रदेश राज्य नियोजन संस्थान, लखनऊ के विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग की स्थापना ग्रामीण प्रौद्योगिकी पर व्यवहार्य शोध को एक नयी दिशा देने के लिए की गयी और इसने इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य भी किया।

पिछले दशक से कौन्सिल आफ साइन्टीफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च, भारत सरकार की अनुसंधान प्रयोगशाला ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और ग्रामीणों की आय बढ़ाने हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किया है।

उपयुक्त प्रौद्योगिकी के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही 1976 में भारत के सर्वोदय नेता स्व० श्री जय प्रकाश नारायण और संसार में उपयुक्त प्रौद्योगिकी के जनक एवं "स्माल इज ब्यूटीफुल" के लेखक डा० ई० एफ० शुमाखर ने एप्रोप्रियेट टेक्नालोजी डेवलपमेन्ट एसोसियेशन (ए० टी० डी० ए०) की स्थापना की। इसका प्रधान कार्यालय गांधी भवन, लखनऊ, भारत है।

इसका प्रमुख उद्देश्य एप्रोप्रियेट टेक्नालोजी की देश-विदेश से एकत्र कर तुलनात्मक परीक्षण के पश्चात् उसका प्रचार व प्रसार करना था।

एप्रोप्रियेट टेक्नालोजी गांधी जी के सूत्र "विशाल उत्पादन के बजाय जन समूह द्वारा उत्पादन" में विश्वास करती है।

एप्रोप्रियेट टेक्नालोजी ने दस वर्षीय जीवन काल में अनेक ग्रामीण तकनीकों में सुधार किया है जैसे हस्त/पाद चालित सूत व ऊन कताई, चीनी मिट्टी व लाल मिट्टी से कुम्हारगीरी, सिंचाई के पाइप, तेल पिराई तथा गुड़ बनाना। सफेद रवेदार चीनी, पोर्ट लैण्ड सीमेन्ट, सूत कताई निर्माण प्रक्रिया की ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होने योग्य लघु पैमाने पर स्थापित कर दिया। कीचड़ और ईंटों के बरसात रक्षित और आग प्रतिरोधी आवासीय गृहों, घर की छतों, ग्रामीण स्वच्छता, जल आपूर्ति, धूप चूल्हे आदि के प्रारूपों की सूचनाएं एकत्र की हैं।

मनुष्य और पशु के मल-मूत्र के प्रयोग से बायोगैस तकनीक विकसित की है। सूखे पत्तों से दोने व पत्तल बनाने की नई विधि विकसित की गई है। नीचे कुछ उपकरण एवं उनकी उपयोगिता का विवरण दिया जा रहा है :—

धूप चूल्हा—इस चूल्हे के निर्माण का उद्देश्य ईंधन की बचत एवं सौर ऊर्जा का प्रयोग है। अतः धूप का होना अति आवश्यक है। इसके प्रयोग का समय जाड़ों में 9 बजे से 1 बजे तक तथा गर्मियों में सुबह 8 बजे से 2 बजे तक है। अर्थात् धूप चूल्हे में ऐसी जगह खाना पकाया जा सकता है जहां कम से कम तीन घण्टे धूप रहती है। चूल्हे को ऐसे रखना पड़ता है कि किरणें सीधी अन्दर बक्से में जायें। इस चूल्हे से भोजन बनाने में ईंधन की बचत होने के साथ

ही साथ एक बार खाद्य सामग्री को रखने के बाद उसकी सम्हाल या देख-भाल की आवश्यकता नहीं होती और खाने के समय खाना भी गर्म मिलता है। इस चूल्हे के प्रयोग में कुछ सावधानियां भी बरतनी आवश्यक हैं :

1. चूल्हे को रखने-उठाने में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कांच न टूट जाये।
2. चूल्हे को उठाते समय उसके अन्दर बर्तन न छोड़ें।
3. सोलर कुकर को धूप में इस प्रकार रखें कि धूप सीधी कुकर में जाये।
4. ढक्कन खोलते समय शरीर का कोई भी भाग उसके पास न लायें अन्यथा बदन गर्मी से जल सकता है।

धूप चूल्हे में ही थोड़ा सा सुधार करके बिजली से भी चलाने योग्य बनाया गया है। ताकि धूप के अभाव में बिजली से चलाकर खाना बनाया जा सके। खाना बनाने की विधि दोनों में एक सी ही है। बिजली से खाना पकाते समय 1 घंटे में चार सौ वाट बिजली खर्च होती है यानी 4 यूनिट। बिजली के चूल्हे से दो घंटे में खाना पक कर तैयार हो जाता है। दो घण्टा चलाने के बाद बिजली बन्द कर देनी चाहिए अन्यथा खाना जल जायेगा क्योंकि धूप चूल्हे की भांति इसमें नियन्त्रण व्यवस्था नहीं है। बिजली ऊर्जा बिना उतार-चढ़ाव के एक सी मिलती है। अतः खाना पकाने का समय निश्चित है। इस चूल्हे में रोटी तथा तले जाने वाले पदार्थ नहीं बनाये जा सकते।

निर्धूम चूल्हा—धुएं के प्रभाव से आंखों को बचाने हेतु इस चूल्हे का आविष्कार किया गया है। इसमें धुआं चिमनी द्वारा घर के बाहर चला जाता है। वैज्ञानिक आधार पर बने इस चूल्हे से 20 से 30 प्रतिशत तक ईंधन की बचत होती है तथा बार-बार फूंक भी नहीं मारनी पड़ती। इस चूल्हे में दो चीजें एक साथ बनायी जा सकती है। यह साधारण चूल्हे की भांति मिट्टी, भूसे तथा गोबर के मिश्रण से बनाया जाता है।

निर्धूम चूल्हे का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें :—

चूल्हे की चिमनी छत से कम से कम 2′ ऊपर निकलनी चाहिए। उसके पास घास-फूस नहीं होनी चाहिए अन्यथा आग लगने का डर रहता है। चूल्हे की चिमनी साफ रखनी चाहिए। इसे साफ करने के लिए रेत की पोटली को रस्सी से बांध कर या बोरे का टुकड़ा एक बांस में बांध कर चिमनी पाइप के अन्दर ऊपर से नीचे ले जाने से चिमनी साफ हो जाती है। आग से बचाने के लिए छत में मोटा गारा भरना चाहिए।

बायोगैस—गोबर के बने उपलों को जलाने से प्राप्त ऊष्मिक या तापीय क्षमता गोबर गैस की ऊष्मिक या तापीय क्षमता से कम होती है। गैस की ऊष्मिक क्षमता 60 प्रतिशत है जबकि उपले की 11 प्रतिशत होती है। गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त खाद साधारण खाद की अपेक्षा 43 प्रतिशत अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि डाइजेस्टर में गोबर अल्प मात्रा में ही नष्ट होता है। साधारण खाद बनाने में गोबर के अधिकांश तत्व नष्ट हो जाते हैं। संयंत्र से प्राप्त ताजी खाद में नाइट्रोजन तत्व 2 प्रतिशत अधिक होते हैं।

इस प्रकार ऐप्रोप्रियेट टेक्नालोजी ने ईंधन की बचत तथा ऐसी चीजों की ओर मानव का ध्यान आकर्षित किया जिनके प्रयोग से वह पर्यावरण प्रदूषण रोकने में सहयोग दे सकता है।

दोना बनाने की मशीन—दोना और पत्तल पर भोजन परोसने की प्रथा बड़ी पुरानी है। ये दोने व पत्तल हाथ से नीम की सूखी सीकों से पत्तों को जोड़ कर बनायी जाती हैं। दोना बनाने की मशीन द्वारा साल, ढाक के सूखे पत्तों से विभिन्न आकार व माप वाले दोना, तश्तरी बनाये जाते हैं। एक मशीन से दो आदमियों को काम मिलता है। वे एक दिन में 4000 दोने बना सकते हैं जिससे 35 रु० तक की आय हो जाती है। इससे कम समय व कम मेहनत से अधिक पूंजी प्राप्त की जा सकती है।

कोल्हू—एक सुधरा बैल चालित कोल्हू विकसित किया गया है। इससे 73 प्रतिशत रस निकलता है। एक सुधरी हुई भट्टी भी बनायी गयी है तथा एक वाष्पक भी विकसित हुआ है। इन सबकी मदद से गुड़ का अधिक उत्पादन व अच्छी श्रेणी का गुड़ बनने लगा है।

बाल बियरिंग चक्की—सामान्यत: घर में आटा पीसने वाली चक्की में काफी श्रम व समय लगता है। "बाल बियरिंग" लगाकर इस चक्की में सुधार लाया गया है। इसमें घर्षण शक्ति कम हो जाती है। अतः किसी भी चीज को पीसने में कम मेहनत लगती है। मोटा या महीन आटे के लिए स्क्रू को निर्धारित करने की भी व्यवस्था होती है। इस चक्की के प्रयोग से कार्य नीरसता भी कम होती है।

अअपरदनीय मिट्टी का प्लास्टर—मिट्टी की दीवालों को जलरोधी बनाने हेतु एक सरल तकनीक निकाली गयी है। इसमें दीवालों पर अअपरदनीय मिट्टी का प्लास्टर, जिसमें बिटूमेन (कोलतार) मिला होता है, लगा देते हैं।

अग्नि प्रतिरोधी छप्पर—छप्पर की जिन्दगी को 2-3 साल से बढ़ाकर 15-20 वर्ष तथा अग्नि प्रतिरोधी बनाने की विधि भी इसी टेक्नालोजी की देन है। अग्नि प्रतिरोधी छप्पर बनाने के लिए छप्पर बनाने के पदार्थ को प्रयोग करने के पहले रांसायनिक घोलों में भिगोकर सुखाया जाता है।

इस प्रकार एप्रोप्रियेट टेक्नालोजी के प्रयोग ने जीवन को सुगम बनाने में बड़ा सहयोग दिया है और निरन्तर होने वाले नये आविष्कार मानव को उसके श्रम व समय की बचत में बहुत बड़ा योगदान देते रहेंगे।

प्रश्न

1. एप्रोप्रियेट टेक्नालोजी द्वारा ईंधन की बचत के लिए किये गये प्रयासों पर प्रकाश डालिए।
2. "समय/श्रम की बचत में एप्रोप्रियेट टेक्नालोजी एक सफल प्रयास" इस कथन की पुष्टि कीजिए।

●

केवल माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के लिए

मॉड्यूल–१६ एस

किशोरों की आवश्यकताएं और समस्याएं

एक दृष्टिपात :

बच्चे विकास के कुछ चरणों से गुजरते हैं। यदि इन चरणों में बच्चे का सावधानी से लालन-पालन किया जाता है, तो उससे मानवीय शक्ति का विकास होगा अन्यथा उसके विकास की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। यदि प्रत्येक चरण को संतोषजनक ढंग से पूरा कर लिया जाता है, तो आगे के विकास की समस्याओं से सफलतापूर्वक निपटने में सहायता मिलती है। बच्चे के बढ़ने की प्रक्रिया उसकी कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं से देखी जाती है। पैदा होते ही बच्चे की आवश्यकताएं शुरू हो जाती हैं। जैसे : भोजन, प्यार, सम्पर्क, स्वच्छता आदि। यदि बच्चे की इन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में लापरवाही दिखाई जाए या उन्हें पूरा ही न किया जाए, तो इससे संकट उपस्थित हो सकता है। एक शिक्षक के नाते आपको बच्चों तथा किशोरों की आवश्यकताओं और समस्याओं को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करने में और उसकी समस्याओं को दूर करने में मदद करनी चाहिए।

उद्देश्य :

इस मॉड्यूल का अध्ययन करने और इसमें सुझाए गए क्रियाकलापों को करवाने के बाद आप :

–माध्यमिक विद्यालय के बच्चों की आवश्यकता और उनकी समस्याएं समझ सकेंगे।

–उन विभिन्न प्रकार की समस्याओं की सूची बना सकेंगे जो किशोरों के आगे आती हैं।

–उन समस्याओं की प्रकृति समझ सकेंगे।

–माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों और उनके माता-पिता की सहायता के लिए सीधे-सादे और व्यावहारिक उपाय सोच सकेंगे।

शिक्षण गतिविधियां :

आप में से बहुत से शिक्षक काफी देर से पढ़ा रहे होंगे और माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के साथ कार्य करने का अनुभव प्राप्त कर चुके होंगे। चूंकि आपको इस स्तर के बच्चों को नजदीक से देखने का सुअवसर प्राप्त है, इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चे विभिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं। वे एक विशेष प्रकार से व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चे उसी तरीके से व्यवहार की आवश्यकता महसूस करते हैं। एक दूसरे के प्रति स्नेह दिखाते हैं, क्योंकि दूसरों के प्रति स्नेह दिखाना मानवीय आवश्यकता है।

क्रियाकलाप–१

बच्चों की कुछ अनिवार्य आवश्यकताओं की सूची बनाइए।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

आवश्यकता एक प्रकार की इच्छा है जिसे व्यक्ति संतुष्ट करना चाहता है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए उस तरीके से काम करता है, जिसे हम "व्यवहार" कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवश्यकता प्रेरणा का क करती है जिससे एक व्यवहार-क्रम उत्पन्न होता है, जैसे—खाना-पीना, सोना, खेलना, लड़ना, दोस्ती करना, प्रेम दिख स्नेह प्रकट करना, दिखावा करना, भय प्रकट करना, प्रश्न पूछना, जिज्ञासा प्रकट करना, सुझाव देना आदि। आवश्यकता की सूची लंबी है।

क्रियाकलाप–२

पहले अच्छी तरह तुलना की गई आवश्यकताओं को समूहों में वर्गीकृत कीजिए। उदाहरण के लिए ऐसा ही एक समूह है : शारीरिक आवश्यकताएं।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

जैसा कि अब स्पष्ट हो गया है, भूख, प्यास आदि शारीरिक आवश्यकताओं की कोटि में आती हैं। दोस्ती कर झगड़ा करना, प्यार करना, दूसरों की चिंता करना, समूह में काम करना और खेलना—ये कुछ सामाजिक और भाव त्मक आवश्यकताएं हैं। इसी प्रकार परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए बच्चों द्वारा कठोर परिश्रम करने का प्रयत्न, क में ठीक तरह काम करने की चिंता और ऐसा न कर पाने पर उद्विग्न हो जाना—ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं। आप विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं और उनसे संबंधित व्यवहार-प्रदर्शन से परिचित हो गए हैं।

क्रियाकलाप–३

किशोरों में देखी गई खास आवश्यकताओं की परिगणना कीजिए।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

जैसे-जैसे किशोर परिपक्व होता है, आधारभूत आवश्यकताएं तो वही रहती हैं, पर प्रसुप्त आवश्यकताएं प्रमुख रूप से उभरने लगती हैं। शारीरिक परिपक्वता और गौण यौन-चिह्न किशोरों को व्यग्र कर सकते हैं और तब उ समझने और उनके साथ समझौता करने में आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती हैं। बहुत सी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता जैसे, मेल-मिलाप की, अपने को कुछ समझने की, अपनी पहचान बनाने की, स्वतंत्र होने की, अपने को और दूसरों समझने की आदि-आदि आवश्यकताएं भी प्रमुख हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त उनकी शिक्षा और भविष्य-निर्माण योजना बनाने की तथा निर्देशित अथवा स्वतंत्र निर्णय लेने की कुशलताएं भी उनकी आवश्यकताएं बन जाती हैं। वि थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में, उनको उपयुक्त संसाधन, सूचनाएं और विभिन्न विषयों की जानक और सहायता प्रदान करने में शैक्षिक संस्थान सशक्त माध्यम बन सकते हैं। आज के प्रतियोगितात्मक समाज में ये साधा सी दीखने वाली आवश्यकताएं आगे चलकर महत्वपूर्ण रूप धारण कर सकती हैं।

क्रियाकलाप–४

यदि विद्यार्थियों की ये आवश्यकताएं पूरी न हों, तो उनके सामने जो समस्याएं आएंगी, क्या आप उनकी कल्पना कर सकते हैं ?	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

आप इस बात की तो मानेंगे कि आवश्यकताओं की पूर्णता एक सुखी और संतुष्ट जीवन की सीढ़ी है, जबकि के पूरा न होने पर जीवन कुंठापूर्ण हो जाता है । इससे विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं न्न हो सकती हैं, शारीरिक परिवर्तन कुछ किशोरों को व्यग्र कर सकते हैं । वे शर्माने लगते हैं और अपने में ही सिमट ते हैं । कुछ किशोर अपने आपको सजाने-सँवारने में लगे रह सकते हैं जिससे सामान्य क्रियाकलापों और अध्ययन में धा पड़ सकती हैं । अपनी पहचान बनाने की, अपने को स्वीकार कराने की, मेल-मिलाप आदि की आवश्यकताएं पूरी होने का परिणाम यह हो सकता है कि वे विद्रोही बन जाएं और दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चीखने-चिल्लाने ं, दूसरों को तंग करें, लड़ें-झगड़ें या आवारागर्दी करें ।

याकलाप–५

आप जिस विद्यार्थी से भली-भाँति परिचित हैं, उसके किसी समस्यापूर्ण व्यवहार से संबंधित किसी घटना के बारे में सोचिए । उसके बारे में अपनी जानकारी के आधार पर उसकी समस्या के संभावित कारणों की सूची बनाइए और देखिए कि क्या आप इन लक्षणों का संबंध किसी खास कुंठित आवश्यकता से जोड़ सकते हैं ?	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए ।

शायद अब आप समझ सकते हैं कि कुंठित आवश्यकता खास किस्म के समस्यापूर्ण व्यवहार की जड़ है । इन स्याओं के परिणामस्वरूप कई लक्षण उभर कर सामने आते हैं । शारीरिक क्षेत्र में सिरदर्द की शिकायत, भाषा में र बोलने में गड़बड़ी, व्यक्तिगत लापरवाही, थकावट, कुपोषण आदि स्पष्ट दिखाई देने वाले लक्षण हैं । जहाँ तक मनो- ानिक पक्ष का संबंध है, बच्चों में ये-ये लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं । अपने को नकारना, अपने को दोष देना और हट, चिंता, नाखूनों को दाँत से काटना, लगातार बातें करते रहना, बेचैनी आदि । किशोरों में साधारणतया कुछ ऐसे वनात्मक लक्षण भी उभरकर सामने आते हैं, जैसे उत्तेजित हो जाना, अवज्ञा करना, चिढ़ाना, दुर्व्यवहार करना आदि । ऐसे उदाहरण भी हैं जो पढ़ाई से संबंधित हैं, जैसे पढ़ाई में ध्यान न देना, परीक्षा में नकल करना, परीक्षा से घबराना दि । परिणाम यह होता है कि बच्चा कक्षा और परीक्षा में अपेक्षित उपलब्धि नहीं कर पाता ।

अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों को समझने की आपकी प्रवृत्ति उनकी कितनी सहायता कर सकती । बच्चों की समस्याओं को समझकर उनकी ठीक देखभाल करना, उनके उचित विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है । धिकांश बच्चों के सामान्य विकास में जो बाधाएं आती हैं, शिक्षक उनका पता लगाने के लिए विविध तरीके अपना सकता । साधारणतया, यह जानते हुए भी कि बच्चों की क्षमता एवं रुचियां उससे भिन्न हैं, शिक्षक को उनके साथ मैत्रीपूर्ण, तनाव- हत, सहज और स्वाभाविक व्यवहार करना चाहिए । उन्हें कक्षा और कक्षा के बाहर के क्रियाकलापों में भाग लेने के ए प्रोत्साहित करना चाहिए । यदि कोई विद्यार्थी किसी काम को करने में आनाकानी करता है या असमर्थता दिखाता तो शिक्षक को उसके स्थान पर कोई दूसरा कार्य खोजना चाहिए । इसके अतिरिक्त वह विद्यार्थी के कंधे को थपथपा- र, उसके किसी वांछनीय व्यवहार पर मुस्कराकर, उसकी प्रशंसा कर, तथा उसकी समस्याओं के प्रति सहानुभूति जाकर उसकी समस्याओं को हल्का कर सकता है । शिक्षक को किसी भी हालत में नकारात्मक रवैया नहीं अपनाना हिए, जैसे : विद्यार्थी की नुक्ताचीनी करना, उसे दंड देना और लज्जित करना आदि ।

इस प्रकार शिक्षक को समझदारी दिखानी चाहिए और विश्वासपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करना चाहिए कोई समस्या खड़ी हो जाने की सूरत में उसे विद्यार्थी की अधिक से अधिक जानने-समझने का प्रयत्न करना चाहिए औ उन परिस्थितियों को उचित महत्व देना चाहिए जिनके कारण वह अवांछनीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। आप मानें कि विद्यार्थी के साथ प्रजातांत्रिक, स्नेहपूर्ण और अनुमोदक रवैया अपनाने से हम अपने लक्ष्य में कहीं अधिक सफल पा सकते हैं।

क्रियाकलाप–६

शिक्षक होने के नाते, आप विद्यार्थियों की शारीरिक, भावनात्मक तथा सामाजिक समस्याओं के साथ समझौता करने में सहायक दो विधियां बताइए।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

गलत तालमेल को दुरुस्त करने के उपाय हैं, लेकिन इसकी नौबत न आने देना सबसे अच्छा उपाय है, इसलि इसकी रोकथाम के लिए ऐसे कदम उठाने निहायत जरूरी हैं, जैसे : स्वास्थ्य संबंधी सामान्य विषय व पौष्टिक भोजन।

विद्यालय के डाक्टर के परामर्श से शिक्षक को उन विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें तुरन्त इलाज क आवश्यकता है। इसके लिए यदि आर्थिक सहायता चाहिए हो, तो उसका प्रबंध करने को भी संभावना खोजी जानी चाहिए

किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे बच्चों में आत्मविश्वास की भारी कमी होती है। आत्मविश्वास को बढ़ाव देने के लिए उन्हें विविध सामूहिक क्रियाकलापों में लगाया जाना चाहिए जैसे: हॉबी क्लब, सामूहिक खेल और नाटक उसे ऐसी भूमिका दी जानी चाहिए जिसमें नायक को अंत में सफलता मिलती हो। विद्यार्थियों को अपने आपको बेहत जान सकने में मदद करने के लिए उनसे कहा जाना चाहिए कि वे अपने बारे में कुछ लिखें और एक दूसरे के अनुभव सु और जानें। इस प्रकार खासकर वे छात्र, जो अपने को समाज से अलग-थलग समझते हैं, अपने व्यवहार में पर्याप्त अंत ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य लोकप्रिय बच्चों के साथ मेलजोल करने की प्रेरणा दी जानी चाहिए इससे भ उन्हें पर्याप्त लाभ हो सकता हैं।

कभी-कभी आपके सामने मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त बच्चों के मसले भी आते होंगे। ऐसे मसलों क मालूम करने में आपको पर्याप्त सतर्क होना होगा। ऐसी सूरत में आपको अस्पताल, क्लिनिक और समाज कल्याण संस्थ की सहायता लेनी होगी।

प्रायः किशोरों की समस्याओं की जड़ें घर में पाई जाती हैं। ऐसी सूरत में उन समस्याओं के निदान के लिए औ कारण समझने के लिए उनके माता-पिता की सहायता लेनी चाहिए। वस्तुतः माता-पिता ही अपने बच्चों में विश्वास पैद कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि वे उनके क्रियाकलापों में भाग लें। उनके साथ सैर-सपाटे को जाएं। उन्हें गृह-कार्य स्वच्छता, स्कूल ड्रेस, समय-पालन आदि के बारे में समय-समय पर प्यार से याद दिलाते रहें।

क्रियाकलाप–७

शैक्षिक समस्याओं के क्षेत्र में एक शिक्षक छात्रों की क्या खास मदद कर सकता है? इसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखिए।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

जैसा कि आपने अनुभव किया होगा, बहुत से बच्चों के सामने विद्यालय में कई तरह की समस्याएं आती हैं जैसे : न पढ़ने की आदत, कक्षा अथवा परीक्षा में ठीक से काम न कर पाना, विषयवस्तु को ठीक तरह न समझ पाना आदि

इसके लिए यदि पारम्परिक शिक्षण एवं विषय से परे हटकर छात्र पर ध्यान केन्द्रित किया जाए, तो इससे उसे भारी मदद मिलेगी। प्रश्न, चर्चा या किसी प्रोजेक्ट पर काम करने से विविध अवधारणाओं का स्पष्टीकरण संभव होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा के बाहर विषय-विशेषज्ञों, अपेक्षाकृत होशियार विद्यार्थियों और सहपाठियों की मदद से उपचार कार्य करें। आपको चाहिए कि आप विद्यार्थियों के लिए एक यथार्थपूर्ण और आवश्यकता पर आधारित अध्ययन कार्यक्रम तैयार करें। यहाँ पुस्तकालय का प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया जा सकता है।

माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर विद्यार्थियों के लिए अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को जानना बहुत आवश्यक है, ताकि वे उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बुद्धिमत्तापूर्वक अपने पाठ्यक्रम का चयन कर सकें। ऐसी ही एक और समान आवश्यकता है काम की दुनिया की जानकारी की जिससे वह आगे चलकर अपने मनपसंद का काम ढूंढ सकें। ऐसी जानकारी के अभाव में उसके सामने विद्यालय में अथवा भविष्य में समस्याएं उठ खड़ी हो सकती हैं। अक्सर बच्चों को विषयवस्तु बहुत कठिन प्रतीत होती है। इससे चिन्ता उत्पन्न हो सकती है, संप्राप्ति में कमी आ सकती है, पठन के प्रति रुचि में कमी आ सकती है या कुंठाएं घर कर सकती हैं। कोई पाठ्यक्रम समाप्त करने के बाद जब विद्यार्थी किसी ऐसे व्यवसाय में जाता है जो उसके लिए उपयुक्त नहीं है, तब भी कई समस्याएं उठ खड़ी हो सकती हैं।

क्रियाकलाप–८

ऐसे दो तरीके लिखिए जिसमें आप भविष्य की योजना बनाने से संबंधित समस्याओं में विद्यार्थियों की सहायता कर सकते हैं।	**एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।**

जैसा कि आप जान गए होंगे, विद्यालयी विषय भावी जीवन की सीढ़ी है। विषय पढ़ाते समय शिक्षक को यह सूचना विद्यार्थियों को देनी चाहिए। विभिन्न पाठ्यक्रमों और कामों के बारे में शिक्षक कई तरीकों से यह सूचना दे सकता है। इसके लिए कुछ क्रियाकलाप विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं और कुछ शिक्षक। इस विषय में कुछ क्रियाकलाप बहुत ही लाभकारी होंगे, जैसे : छात्रों से पढ़े हुए विषयों से संबंधित विभिन्न कामों और व्यवसायों की सूची बनवाना और उनसे नियुक्तिकर्ताओं से मिलने के लिए कहना, ताकि वे व्यवसाय संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकें। विभिन्न व्यवसायों के संबंध में जानकारी देने के लिए माता-पिता को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। समाज के अंग के रूप में माता-पिता भी विद्यालय में शिक्षक की प्रेरणा से बच्चों को व्यवसाय संबंधी काफी जानकारी दे सकते हैं।

क्रियाकलाप–९

इस मॉड्यूल से आपने क्या सीखा है, इसका मूल्यांकन करने के लिए कुछ उपाय लिखिए, जिन्हें बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से शिक्षक अपना सकते हैं?

प्रश्न :

1. माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों की क्या-क्या आवश्यकताएं और समस्याएं हैं?
2. बच्चों की समस्याओं को दूर करने में एक शिक्षक के नाते आप उनकी क्या सहायता कर सकते हैं?
3. अपने छात्रों की मदद करने के प्रयत्नों के काम में आप माता-पिता को किस प्रकार जोड़ेंगे?

●

मॉड्यूल–२० एस

माध्यमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन

भूमिका :

शैक्षणिक मूल्यांकन से जुड़े लोग दृढ़ता से महसूस करते हैं कि पारम्परिक शिक्षा-पद्धति और परीक्षा-प्रणाली छात्रों के लिए फायदेमन्द कम और नुकसानदेह अधिक है। इससे अपराधों में वृद्धि हुई है और इसका बहुधा अनुचित लाभ भी उठाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परीक्षाफलों का उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके लिए वस्तुतः वे नहीं हैं। यह भी एक तथ्य है कि इस पद्धति में परीक्षाओं को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता है।

अब समय आ गया है कि इस ढर्रे को बदला जाए और मूल्यांकन को अध्ययन-अध्यापन की पूर्ण प्रक्रिया का अविभाज्य अंग बनाया जाए। शैक्षिक और अशैक्षणिक दोनों ही क्षेत्रों में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए परीक्षा-प्रणाली को अधिक व्यापक बनाया जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि वह बोधगम्य, प्रभावपूर्ण व मनःप्रेरक हो।

पारम्परिक परीक्षाएं शैक्षिक क्षेत्रों तक ही सीमित हैं इसलिए अध्यापकों और छात्रों की कोशिश व ध्यान भी केवल इसी क्षेत्र पर केन्द्रित रहता है। इस प्रकार शिक्षा-कार्यक्रमों द्वारा जो योगदान आवश्यक है उसके अभाव में भी छात्रों के व्यक्तित्व के कई महत्वपूर्ण पहलुओं की अवहेलना होती है। निरन्तर व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य गैर-शैक्षिक क्षेत्रों के विकास पर जोर डालकर इस कमी को दूर करना है। इस प्रकार निरन्तर व्यापक मूल्यांकन सभी पहलुओं से छात्रों के अधिकाधिक विकास में सहायक बन सकता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि परीक्षाओं में छात्रों की श्रेणियों या डिवीजनों की बजाय उनकी सर्वांगीण उन्नति पर जोर डाला जाए। निरन्तर व्यापक मूल्यांकन में नियमित रूप से यूनिट-टेस्ट लिए जाते हैं जिससे छात्रों की प्रगति व योग्यता को जाँचा जा सके, उनमें जो कमियां रह गई हैं उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पर किसी बाहरी एजेन्सी द्वारा नहीं अपितु स्कूलों में ही किया जाता है।

उद्देश्य :

यह मॉड्यूल पढ़ने के पश्चात :

–आप समझ सकेंगे कि व्यापक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है ?

–आप समझ सकेंगे कि वार्षिक परीक्षा तथा (वर्ष में कई बार) समय-समय पर ली जाने वाली परीक्षाओं के बीच क्या अन्तर है और परिशोधन (फीडबैक) से हमारा तात्पर्य क्या है ?

–आप समझ सकेंगे कि अध्ययन-अध्यापन और परीक्षाओं में एक शिक्षक किस तरह सुधार ला सकता है ?

–आप परीक्षण के लिए साधन व तकनीक का जुगाड़ कर सकेंगे।

–आप यूनिट-टेस्ट की योजना बना सकेंगे और उसे विकसित कर सकेंगे।

निरन्तर व्यापक मूल्यांकन का विचार

(१) विषयवस्तु पर आधारित

जैसा कि आप जानते हैं मूल्यांकन विषयवस्तु पर आधारित होता है और इनका चुनाव हम अपने पर्यावरण से, सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक ढाँचे से, मनोवैज्ञानिक विकास से, सांस्कृतिक संपदा और राष्ट्रीय आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, अभिलाषाओं और मानव के ज्ञान-भण्डार से ही करते हैं। ये स्वभावतः शैक्षिक क्षेत्र तक सीमित नहीं हो सकते। (जैसा कि आपने कक्षा में अनुभव किया होगा।) ये स्वाभाविक रूप से शैक्षणिक या गैर-शैक्षणिक दोनों ही क्षेत्रों में छात्र के पूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित होते हैं। पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र में उसकी उपलब्धि और व्यक्तिगत व सामाजिक गुणों, रुचियों, प्रवृत्तियों व अन्य बातों में उसका विकास यह सब शिक्षा के ही अन्तर्गत आता हैं।

उपर्युक्त विषयवस्तुओं की तालिका को दृष्टिगत करते हुए हमें अध्ययन-अध्यापन की विषय-सूची और पद्धति को समुचित माहौल में विस्तृत बनाना होगा।

जब छात्र अध्ययन-अध्यापन के नए माहौल में घुलमिल जाएँ, तो हमें यह देखने का प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी यह पद्धति छात्र के मूल्यांकन में किस हद तक सफल हुई है। अगर अपेक्षित परिणामों में कोई कमी नजर आए, तो इसका अर्थ है कि पठन-पाठन और हमारे द्वारा प्रयुक्त नीतियां संतोषजनक या ठीक नहीं थीं। इस प्रकार जब तक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी।

इस तरह से मूल्यांकन विषयवस्तु पर आधारित होगा।

क्रियाकलाप–१

दो मुद्दे शैक्षिक और दो गैर-शैक्षिक क्षेत्र से चुनिए जो कक्षा में आपके विषय से संबंधित हों।

---

(२) व्यापक

पारम्परिक मूल्यांकन पद्धति की एक बड़ी कमी यह है कि यह सिर्फ शैक्षणिक क्षेत्र तक ही सीमित है। गैर-शैक्षणिक क्षेत्र अछूता रह जाता है। बच्चों के पढ़ाने के हमारे जो प्रयास हैं उनका दायरा बहुत सीमित हैं। हम गैर-शैक्षणिक क्षेत्र की अवहेलना करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि बच्चे के बहुमुखी विकास के सब साधन मौजूद होने के बावजूद बच्चे का विकास शैक्षणिक क्षेत्र तक ही सिमट कर रह जाता है। शैक्षणिक क्षेत्र में भी वह रट-रटाकर पास होने की कोशिश में रहता है और इस प्रकार छात्र के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का उद्देश्य आधा-अधूरा रह जाता है।

आपने ध्यान दिया होगा कि पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे विषयों को जोड़ा गया है जिनसे गैर-शैक्षणिक क्षेत्रों में भी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके; जैसे, कार्य-अनुभव, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। हमें गैर-शैक्षणिक क्षेत्र में भी स्कूल के अन्य विषयों और विशेषरूप से तैयार किए गए सह-पाठ्यक्रम की गतिविधियों से सामग्री जुटानी चाहिए। गैर-शैक्षणिक क्षेत्र में छात्र के विकास की जाँच और उसका मार्गनिर्देशन निरन्तर किया जाना चाहिए। यहाँ यह आवश्यक नहीं कि यह औपचारिक परीक्षा का ही अंग हो।

इसी संदर्भ में छात्र के विकास के विभिन्न पहलुओं पर आधारित व्यापक मूल्यांकन का विचार उभरा है। व्यापक मूल्यांकन से शिक्षा के दायरे में व्यक्तित्व के वे सब पहलू आ जाएंगे जिनका हम मूल्यांकन कर सकते हैं, जैसे :

(क) व्यक्तिगत और सामाजिक गुण (नियमितता, समयपालन, स्वच्छता, सहयोग और उत्तरदायित्व की भावना, कुछ काम शुरू करने की इच्छा, समाजसेवा, स्थिरता, दृढ़ता आदि)

(ख) अभिरुचियां (संगीत, चित्रकला, साहित्य आदि)

(ग) वांछित अभिवृत्तियां (धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, जनतंत्रवाद, राष्ट्रीय तादात्म्य, राष्ट्रीय एकता, शैक्षणिक कार्यक्रम, शैक्षणिक संपत्ति के प्रति रवैया आदि)

(घ) स्वास्थ्य (लम्बाई, वजन, छाती का विस्तार, आरोग्यता, स्वच्छता आदि)

(ङ) पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य गतिविधियों में योग्यता (अन्दरूनी और बाह्य गतिविधियां, जैसे वाद-विवाद प्रतियोगिता, नाटक, भाषण, क्लब के कार्यक्रम, खेलकूद, व्यायाम, तैरना, स्काउटिंग, जूनियर रेड क्रास आदि)

अगर हम स्कूल में व्यापक मूल्यांकन की एक योजना लागू करना चाहते हैं तो उसे लचीला बनाना होगा जिससे हम उसे भारत के बढ़िया से बढ़िया (सब सुविधाओं से युक्त) और घटिया से घटिया स्कूल के अनुरूप ढाल सकें। जिन स्कूलों में सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं वहाँ हमें निश्चय ही उसमें कुछ परिवर्तन करने होंगे। विकास के कुछ पहलू तो ऐसे हैं जिनका मूल्यांकन सभी छात्रों के लिए आवश्यक है। पर कुछ पहलू वैकल्पिक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए नियमितता, समयपालन और सफाई की आदत। ये पहलू ऐसे हैं जिनका मूल्यांकन सभी छात्रों के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार "खेलकूद" भी अनिवार्य होने चाहिए। आगे हम छात्रों को अपनी इच्छानुसार स्कूल में उपलब्ध गतिविधियों का चुनाव करने के लिए कह सकते हैं।

गैर-शैक्षणिक क्षेत्रों में मूल्यांकन विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है : जैसे, विभिन्न परिस्थितियों में (चाहे वे सच्ची हों या बनावटी) छात्र के व्यवहार से, अभिरुचि के रिकार्ड से, किसी काम में पहल करने की इच्छा से और उसकी रचनात्मकता से। संचयी रिकार्ड से छात्र के विकास का पूरा ब्यौरा मिल सकता है।

अगर प्रभावपूर्ण और मनःप्रेरक परिशोधन (फीडबैक) बहुत संरचनात्मक या मात्रात्मक नहीं है तो भी वह छात्रों, शिक्षकों, माता-पिता और समुदाय के लिए बहुत आवश्यक है, उसे हमें उन्हें उपलब्ध कराना ही चाहिए। माता-पिता और समुदाय इन पहलुओं के विकास और मूल्यांकन के लिए माहौल पैदा करने में मदद कर सकते हैं।

क्रियाकलाप–२

आप अपने छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए जिन साधनों या तरीकों का उपयोग करते आए हैं उनकी सीमाएं क्या हैं, लिखिए। आप मूल्यांकन को व्यापक बनाने के लिए और कौन-सी प्रणाली अपना सकते हैं?	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

(३) लगातार

वर्ष के अन्त में परीक्षा का आयोजन और छात्र को अगली कक्षा में भेजने के उद्देश्य से परिणामों की घोषणा का अनुभव हमारे लिए कोई नई बात नहीं। इसके कुछ अवांछनीय परिणामों से भी हम भली-भाँति परिचित हैं। अगर हम वर्ष के अन्त में परीक्षा लेते हैं तो छात्र पास होने के लिए यहाँ-वहाँ से छाँटकर कुछ अंशों का अध्ययन कर लेता है जो कि हमारे शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं करता। अगर हम लगातार मूल्यांकन को शिक्षा-प्रणाली का अभिन्न अंग बना देते हैं, तो उपर्युक्त समस्या का स्वतः समाधान हो जाता है। लगातार-मूल्यांकन द्वारा हम बच्चों की क्षमता व कमजोरियों को नियमित रूप से जान सकेंगे। इससे हमें उपचारात्मक और समुचित कदम उठाने में मदद मिलेगी, सही मायनों में शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति होगी और बच्चे के व्यक्तित्व का अधिकाधिक विकास संभव होगा। शिक्षक फीडबैक द्वारा छात्रों की उपलब्धि और योग्यता के स्तर को बेहतर बना सकेगा।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से शिक्षकों को अपने पढ़ाने के तरीके में समुचित परिवर्तन करने का मौका मिलेगा। लगातार फीडबैक द्वारा छात्रों और माता-पिता को भी अपने प्रयासों में प्रेरणा मिलेगी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फीडबैक की प्रक्रिया उन बच्चों के लिए काफी पहले से शुरू हो जाती हैं जो कक्षा में कमजोर हैं और जिनके लिए उपचारात्मक कदम उठाए जाने जरूरी हैं।

क्रियाकलाप–३

मूल्यांकन को सतत बनाने के लिए आप एक शिक्षक के रूप में क्या कदम उठा सकते हैं ?	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

अध्यापन और परीक्षण के लिए यूनिट-प्रक्रिया का प्रयोग

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विचार को व्यावहारिक रूप देने के लिए अध्यापन और परीक्षण में यूनिट-प्रक्रिया का अपना विशेष महत्व है।

यूनिट-प्रक्रिया की आवश्यकता :

यूनिट-प्रक्रिया से हम अध्यापन को अधिक उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। इससे हमें यह पता चल सकता है कि छात्रों की कमजोरियां क्या हैं और उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं। इससे यह परम्परा भी टूटेगी कि परीक्षा के लिए पाठ्य-पुस्तक में बीच-बीच से कुछ अंश चुनकर पढ़ लिये और काम हो गया। इससे शिक्षा के स्तर और प्रक्रिया दोनों में ही सुधार आएगा। मूल्यांकन सम्पूर्ण अध्यापन-अध्ययन प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन जाएगा जिसका लक्ष्य केवल पढ़ाई के परिणामों को आंकने के बजाय पढ़ाई को बढ़ावा देना होगा।

(१) एकांश क्या है ?

अध्ययन विषय का एक अंश ही "एकांश" है। छात्र थोड़े समय में इस अंश को सुविधापूर्वक पढ़ व समझ सकता है। निःसंदेह यह एक अंश छोटा या बड़ा हो सकता है। आम तौर से किसी विषय या निर्धारित पाठ्यक्रम के प्रमुख प्रकरण ही अध्ययन एकांश का आधार होते हैं और ऐसे अनेक एकांशों को मिलाकर पूरा पाठ्यक्रम बनता है।

(२) एकांश परीक्षा :

सामान्यत: एक पाठ्यक्रम की या उसके एक बड़े भाग की समाप्ति पर छात्र की प्रगति का अनुमान लगाने के लिए औपचारिक परीक्षा ली जाती है। ऐसे हर चरण पर पढ़ाई में हुई प्रगति की जाँच करना आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य यह मालूम करना है कि नया पाठ शुरू करने से पहले क्या बच्चों ने पिछले पाठ को ठीक से समझ लिया है। इसके लिए अनौपचारिक परीक्षा की जरूरत होती है। कमजोर छात्रों पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है। क्योंकि इससे उनकी कमजोरियों का आरम्भ में ही पता चल जाता है और उन्हें तुरन्त दूर किया जा सकता है।

एकांश परीक्षा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर ली जाने वाली परीक्षा से अलग एक शिक्षा-शास्त्रोन्मुख कल्पना है। एकांश परीक्षा में केवल एक ही ढंग के (निबन्ध, संक्षिप्त उत्तर, या विषयाश्रित प्रश्न) हो सकते है। एकांश परीक्षा के लिए कितना समय चाहिए यह स्वयं एकांश के विस्तार पर निर्भर होगा। वैसे इसके लिए आधे से एक घण्टे तक का समय पर्याप्त हो सकता है। एकांश परीक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:—

(क) यह मूल रूप से अनौपचारिक परीक्षा है, किन्तु सतर्कतापूर्वक एक औपचारिक परीक्षा के रूप में भी इसे अपनाया जा सकता है।

(ख) यह विषय के एक संक्षिप्त, सुसंगत और सुगठित छोटे अंश पर आधारित होती है।
(ग) यह अध्यापक द्वारा विषय का एक प्रकरण पूरा कर लिए जाने के बाद छात्र को तैयारी के लिए औपचारिक समय दिए बगैर ली जाती है।
(घ) पाठ्यक्रम पूरा होने पर ली जाने वाली परीक्षाओं की तुलना में इनमें अधिक लचीलापन है।
(ङ) एकांश परीक्षाओं में परिणामों से प्राप्त जानकारी का उपयोग तत्काल पढ़ाई में सुधार, शिक्षण में संशोधन और छात्र के अधिकतम विकास के लिए उपचारात्मक कार्य में किया जाता है।

क्रियाकलाप–४

आप जिस विषय को पढ़ाते हैं उसमें ऐसे अंशों का चुनाव कीजिए जिनके लिए आप एकांश परीक्षाएं तैयार कर सकते हैं। आप परीक्षा को संतुलित, प्रभावपूर्ण एवं पक्षपातहीन कैसे बना सकते हैं और इसके परिणामों द्वारा छात्र की उपलब्धि व योग्यता के स्तर को कैसे सुधार सकते हैं?	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

(३) एकांश परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में अन्तर

एकांश परीक्षाएं वार्षिक अथवा सरकारी परीक्षाओं से किस प्रकार भिन्न हैं? एकांश परीक्षा की तैयारी करते समय उन कदमों पर ध्यान रखा जाना चाहिए जो एक अच्छे प्रश्नपत्र की तैयारी करते समय आवश्यक होते हैं। किन्तु एकांश परीक्षाओं की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। उनकी तैयारी और कार्यान्वयन में इनका ध्यान रखा जाना चाहिए:—

१—सीमित पाठ्यक्रम अंश :

ऐसी परीक्षाओं के लिए चुने गए एकांश प्रायः छोटे होते हैं और छोटी परीक्षाओं द्वारा उन्हें अच्छी प्रकार से कवर किया जा सकता है।

२—समय :

ऐसी परीक्षाओं के लिए निर्धारित समय 30 से 40 मिनट तक का रहता है जिससे शिक्षक स्कूल के कार्य में बाधा डाले बिना परीक्षा ले सके।

३—अंक :

ऐसी परीक्षाओं के लिए अधिकतम अंक 20 से 25 तक हो सकते हैं।

४—विषयवस्तु का चुनाव :

शिक्षक को परीक्षाओं के लिए विषयवस्तु चुनने की पूरी स्वतंत्रता होती है। वह इनका चुनाव विशेष छात्र-समूह एवं विषयवस्तु के विशेष क्षेत्र को ध्यान में रखकर कर सकता है। छात्रों की प्रतिक्रिया कक्षा में उसके सामने उसकी अपनी सफलता का चित्र प्रस्तुत करेगी।

५—प्रश्नों के रूप :

शिक्षक प्रश्नों के जिस रूप को उपयुक्त समझता हो उसी को अपना सकता है ।

यदि शिक्षक एकांश परीक्षा तैयार करें और उन्हें काम में लें, तो वे छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए समान रूप से प्रेरणादायक होंगे ।

क्रियाकलाप–५

एक एकांश परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक कदमों का उल्लेख कीजिए ।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए ।

(४) एकांश परीक्षा की तैयारी और उपयोग के लिए कदम

एकांश परीक्षा की योजना बनाने और तैयारी करने में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :—

(क) परीक्षा की रूपरेखा बनाते समय विशिष्ट स्थलों, विषयवस्तु (उप-प्रकरण) के क्षेत्र, प्रश्नों के रूप, विकल्पों की प्रणाली और प्रश्न को खण्डों में बाँटने पर जोर दिया जाता है ।

(ख) नक्शा या चार्ट बनाना । इसमें विषयवस्तु को ध्यान में रखते हुए हर प्रश्न की स्थिति, प्रश्नों के रूप और हर प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का संकेत रहता है ।

(ग) प्रश्न बनाना ।

(घ) प्रश्नों को क्रमशः रखकर उनका सम्पादन करना ।

(ङ) वस्तुपरक प्रश्नों, संक्षिप्त उत्तरों तथा निबंध के लिए अंक देने की योजना बनाना ।

(च) प्रश्नों के अनुसार विश्लेषण करना ।

छात्र के शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के अतिरिक्त निरंतर व्यापक मूल्यांकन का लक्ष्य उसे स्वस्थ बनाना, उसके व्यक्तिगत तथा सामाजिक गुणों का विकास करना. उसमें अपेक्षित अभिवृत्तियां पैदा करना, वांछनीय रुचियां जागृत करने में सहायता देना और पाठ्यक्रम से अतिरिक्त कार्यकलापों में भाग लेने तथा सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना है ।

सभी शैक्षिक प्रयास छात्र पर केन्द्रित होते हैं, इसलिए एकांश परीक्षाओं द्वारा उसकी कमजोरियों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जाना चाहिए । अर्थात छात्र को जो कुछ समझ में नहीं आया है, उसे पुनः समझाया जाए । इस प्रकार निदानात्मक मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है । यह शैक्षिक और गैर-शैक्षिक विकास के दोनों ही क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए ।

निदान का संबंध कमजोरी और उपचार से है, लेकिन उसका विस्तार प्रतिभा और उच्च उपलब्धि का पता लगाने में क्रिया जाना चाहिए । प्रतिभाशाली छात्रों को अधिकतम विकास के लिए अध्ययन की ओर अधिक सुविधाएं और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

बाद में कुछ नए कदम उठाए गए । इनसे मूल्यांकन की क्या संभावना है ? यह हमें ढूंढ निकालना है जिससे उन्हें मूल्यांकन नीति व प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाया जा सके । इनमें से प्रमुख हैं : मौखिक परीक्षा, व्यावहारिक परीक्षा और खुली पुस्तक वाली परीक्षा ।

अभ्यास और प्रश्न

1. ऊपर (क) से (ङ) तक दिए गए कदमों के अनुसार एक छोटा प्रश्नपत्र तैयार कीजिए ।
2. पूरे वर्ष के लिए परीक्षाओं की एक योजना तैयार कीजिए ।
3. मनोवृत्तियों या मूल्यों में परिवर्तन के संबंध में प्रमाण एकत्र करने के उपाय और साधन सोचिए ।

●

मॉड्यूल २१ एस

माध्यमिक स्तर पर जनसंख्या-शिक्षा

एक दृष्टिपात :

विवाह एक सामाजिक संस्था है जो सिर्फ परिवार की शुरुआत ही नहीं बल्कि उच्चस्तरीय जीवन के शुभारम्भ की नींव भी है। इस संबंध में उनका यह निर्णय लेना कि किससे विवाह करें, किससे न करें, कब करें, कितने बच्चे हों और कब हों, यह एक गम्भीर विषय है। इसका प्रभाव उनके दाम्पत्य जीवन, बच्चों, परिवार, समाज व राष्ट्र पर पड़ता है।

हमारे समाज में विवाह के इन गम्भीर पहलुओं को कभी भी गम्भीरता से नहीं लिया गया। प्रायः हम देखते हैं कि विवाह परिवार के बड़े लोगों द्वारा निश्चित किया जाता है। लड़कियों से तो शायद ही कभी पूछा जाता हो। विवाह की उम्र पर विचार-विमर्श करते समय प्रायः शीघ्र विवाह पर जोर दिया है। यह सच है कि परिवार सीमित रखने के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, परन्तु अभी भी कुछ लोग परिवार के आकार को नियोजित करने के बारे में नहीं सोचते हैं। इसका व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन-स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय जीवन-स्तर राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति व प्रत्येक परिवार पर निर्भर करता है, इसलिए विवाह से संबद्ध व्यक्तिगत निर्णय का समूचे राष्ट्र के लिए अपना विशेष महत्व है।

उपर्युक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत मॉड्यूल का उद्देश्य है : विवाह संबंधी गंभीर विषयों पर प्रकाश डालना, जैसे : जीवनसाथी का चुनाव, विवाह की सही उम्र तथा अच्छे जीवनयापन व परिवार के आकार का संबंध। यह मॉड्यूल इन आशाओं-अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है कि वांछनीय प्रतिस्पर्धाओं का विकास पर अध्यापकगण इन विचारों को विभिन्न पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से और तदनुकूल कार्यकलापों में छात्रों को लगाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे।

उद्देश्य :

कुछ विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह मॉड्यूल संक्षेप में विवाह से संबंधित विचारों, मूल्यों और धारणाओं का बोध कराता है। इसमें समुचित गतिविधियों का भी समावेश है। इस मॉड्यूल के अध्ययन के बाद तथा प्रस्तावित कार्यकलापों में भाग लेने के बाद :

- विवाह और जीवन की गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बीच पारस्परिक रिश्ते से अवगत हो सकेंगे।
- विवाह की उम्र के जीवन-स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव को समझ सकेंगे।
- विभिन्न पाठ्यपुस्तकों में दिए गए इन तत्वों को पढ़ाते समय और विभिन्न कार्यकलापों को कराते समय आप उन विचारों को छात्रों तक पहुँचा सकेंगे।

विवाह (दो आधारभूत तत्व) :

हम सभी जानते हैं कि परिवार का शुभारम्भ तभी होता है जब लड़का-लड़की पति-पत्नी के रूप में एक साथ जीवनयापन करने का निश्चय करते हैं। समाज के सामने बंधन में बँधने की दोनों की स्वीकृति ही "विवाह" है। विवाह पति-पत्नी के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, साथ ही मूल्यवान सामाजिक व व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी।

विवाह के दो आधारभूत तत्व हैं : (1) जीवनसाथी का चुनाव, (2) विवाह की आयु।

(१) जीवनसाथी का चुनाव

जीवनसाथी का चुनाव एक संवेदनात्मक एवं महत्वपूर्ण निर्णय है । अन्य कई देशों के समान भारत में भी विवाह का निश्चय घर के बड़े-बूढ़े ही करते हैं । इस संदर्भ में कुछ ध्यानाकर्षक प्रश्न हैं :

1—जीवनसाथी का चुनाव बड़े-बूढ़ों को करना चाहिए या लड़के-लड़की को ?

2—जीवनसाथी का चुनाव करते समय किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ?

शिक्षण गतिविधियां

क्रियाकलाप–१

अपने अनुभवों से आपने देखा होगा कि बड़े-बूढ़े घर के बेटे-बेटियों के लिए जीवनसाथी चुनने को अपना उत्तरदायित्व मानते हैं । आप स्वयं से पूछ कर देखिए :

–लड़के-लड़की से पूछे बिना विवाह करना उचित है ?

–विश्वव्यापी मानवाधिकार पत्र के अनुच्छेद 16 में उल्लिखित इन शब्दों का फिर क्या अर्थ हुआ :

"विवाह लड़के-लड़की दोनों की स्वतंत्र एवं पूर्ण स्वीकृति से होना चाहिए ।"

–क्या विवाह लड़के-लड़की की मर्जी से नहीं तय होना चाहिए ?

आप अपने समूह में इन प्रश्नों पर चर्चा करें और उचित उत्तर ढूंढ निकालें । आप अपनी कक्षा में भी छात्रों से इस बारे में चर्चा करके उनके विचार जान सकते हैं ।

क्रियाकलाप–२

जीवनसाथी का चुनाव करते समय व्यक्ति कई बातों पर विचार करता है । इन बातों की सूची नीचे दी गई है । सूची के बाद दिए गए सुझावों का आप चाहें तो अनुसरण कर सकते हैं ।

आवश्यक पहलू	प्राथमिकता-क्रम
1—जीवनसाथी की आयु—	
क–लड़कियों के लिए 19+	
ख–लड़कों के लिए 21+	
ग–15 साल से कम उम्र	
2—शारीरिक गठन	
3—निवास-स्थान	
4—जायदाद	
5—स्वभाव, दृष्टिकोण व आदतें	
6—शैक्षिक स्तर	
7—रोजगार	

8—परिवार में कितने सदस्य हों ?

क–अधिक

ख—कम

9—जाति

10—धर्म

11—दहेज

12—अन्य (लिखें)

(क) उपर्युक्त सूची अपूर्ण है । आप अपने अनुभवों के आधार पर बढ़ा सकते है ।

(ख) अपने समूह में यह सूची बाँटकर आप उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि वे अपनी प्राथमिकता के क्रम से इन्हें सूची में रखें ।

(ग) प्रमुख सूचकों का पता लगा सकते हैं ।

आप इसके परिणामों पर चर्चा करके उन तथ्यों को रेखांकित कर सकते हैं जिन्हें उच्च प्राथमिकता दी गई है ।

विवाह के समय आयु

विवाह के समय लड़के-लड़की की उचित आयु अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । इस संबंध में निम्न प्रश्नों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित होता है :

(क) भारत में विवाह के समय औसत आयु की क्या स्थिति हैं ? और उसका क्या तात्पर्य हैं ?

(ख) भारत में किन कारणों से आज भी बाल-विवाह होते हैं, इसका व्यक्तिगत, पारिवारिक व राष्ट्रीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

(ग) विवाह की सही व कानूनी उम्र क्या है ? और उसका व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

क्रियाकलाप–३

भारत में विवाह की उम्र अपेक्षाकृत कम है । अनेक क्षेत्रों में छोटी आयु में विवाह या बाल-विवाह एक आम बात रही है। लेकिन विकसित देशों में लड़के-लड़कियां प्रायः २५-३० वर्ष की उम्र में विवाह करते हैं। उन देशों में विवाह की औसत आयु पर्याप्त अधिक है ।

आगे दी गयी तालिका से आपको भारत, बंगलादेश और कुछेक विकसित देशों में औसत विवाह की उम्र का .ता चलेगा । इससे आपको कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्युदर, तथा लैंगिक अनुपात से संबंधित तथ्यों की जानकारी मिलेगी । स्तावित क्रियाकलापों को करने के बाद आप औसत वैवाहिक आयु से संबद्ध जीवन-स्तर के कुछ अन्य पहलुओं को ो जान सकेंगे ।

तालिका 1

राष्ट्र	विवाह की औसत आयु	कुल जन्मदर	शिशु मृत्युदर	लैंगिक अनुपात प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या
1—स्वीडन	27·1	1·6	7	98
2—फिनलैण्ड	24·2	1·7	6	94
3—जापान	24	1·8	6	97
4—भारत	18·7	4·3	110	107
5—बंगलादेश	16	6·1	128	106

स्रोत :

संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व जनसंख्या चार्ट १९८५ और कुछ सह-पाठ्यक्रमीय क्षेत्रों से सम्बद्ध उदाहरण, एन०सी०ई० आर०टी० १९८७

उपर्युक्त डेटाशीट में जो तथ्य दिए गए हैं, समूह का प्रत्येक सदस्य उनका विश्लेषण कर सकता है और उसके बाद उन पर चर्चा की जा सकती है। डेटाशीट का विश्लेषण करते समय निम्न पहलुओं का मूल्यांकन भी करें :

—भारत में विवाह की औसत आयु का तुलनात्मक स्तर क्या है ?

—विभिन्न देशों में विवाह की औसत आयु और वहाँ की कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्युदर तथा लैंगिक अनुपात के संबंध में आपकी क्या राय हैं ?

—क्या आप समझते हैं कि जहाँ विवाह की आयु अपेक्षाकृत अधिक है, वहाँ कुल जन्मदर, शिशु मृत्युदर तथा लैंगिक अनुपात कहीं अधिक हितकर, संतोषजनक व वांछनीय है ?

आप इस गतिविधि को कक्षा में भी कर सकते हैं। आप छात्रों को आस-पड़ोस के परिवारों में आंकड़े व जानकारी एकत्र करने के लिए कह सकते हैं। हो सकता है कि वे परिवारों से महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी एकत्रित कर लाएं। उदाहरण के लिए : विवाह के समय माता-पिता की आयु क्या थी ? उनके कितने बच्चे पैदा हुए ? एक वर्ष तक की उम्र में कितने बच्चों की मृत्यु हुई ? घर में लड़के-लड़कियों की संख्या क्या है ? छात्रों की सहायता से आप ऊपर जैसी डेटाशीट तैयार कर सकते हैं। आप निम्न गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं :—

(क) प्रत्येक उस परिवार को एक नम्बर दीजिए जिससे वे आंकड़े एकत्र किए गए हों। उन्हें उसी क्रमानुसार रखें जिस प्रकार डेटाशीट में देशों को रखा गया हैं।

(ख) विभिन्न परिवारों के जनसांख्यिक सूचकों के संदर्भ में डेटा एकत्र करने के लिए निम्न फार्मूले के आधार पर गणना कर सकते हैं :—

$$\text{विवाह की औसत आयु} = \frac{\text{परिवार में जितने भी विवाहित लोग हैं उन सबकी विवाह के समय की आयु = कुल योग}}{\text{परिवार में विवाहितों की संख्या}}$$

$$\text{प्रजनन दर} = \frac{\text{एक वर्ष में 15 से 49 वर्ष की आयु की स्त्रियों से उत्पन्न बच्चों की संख्या}}{\text{15 से 49 की आयु वाली स्त्रियों की संख्या उसी वर्ष में।}} \times \frac{1000}{1}$$

$$\text{शिशु मृत्युदर} = \frac{\text{1 वर्ष में 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या}}{\text{1 साल की उम्र से कम जीवित पैदा होने वाले बच्चों की उसी वर्ष में संख्या}} \times \frac{1000}{1}$$

$$\text{लैंगिक अनुपात} = \frac{\text{परिवार में पुरुषों की कुल संख्या}}{\text{परिवार में स्त्रियों की कुल संख्या}} \times \frac{1000}{1}$$

(ग) जब उपर्युक्त तरीके से डेटाशीट तैयार हो जाए, तो छात्रों को आंकड़ों का विश्लेषण व एकत्रित सामग्री पर चर्चा करने को कहा जा सकता है। वे उपर्युक्त पहलुओं को भी ले सकते हैं।

क्रियाकलाप–२

कई स्थानों पर छोटी आयु में विवाह की प्रथा आज भी जारी है। हालांकि यह सच है कि देर से विवाह करने की नई प्रथा भारत के कुछ भागों में फैल रही है पर पिछड़े प्रदेशों में कम आयु में विवाह की रीति ज्यों की त्यों है। वे कौन से तत्व हैं जिनके कारण कम आयु में विवाह अब भी प्रचलित है? समूह में इस पर चर्चा की जा सकती है और तथ्यों की सूची बनाई जा सकती है। कुछ तथ्य इस प्रकार हो सकते हैं। समूह द्वारा इस सूची में और तथ्यों का समावेश भी किया जा सकता है।

(क) कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था के कारण यहाँ छोटी उम्र में विवाह की प्रथा बनी रही। विवाह बच्चों के लिए किया जाता था। वे सोचते थे, अगर लड़का होगा तो खेतों में काम करेगा और लड़की होगी तो घर के काम-काज में हाथ बटाएगी। माता-पिता का अपने बच्चों के प्रति प्राथमिक उत्तरदायित्व था—बच्चों का जल्दी से जल्दी विवाह।

(ख) परम्परागत रूप से लड़कियों को माता-पिता पर भारी बोझ समझा जाता था जिससे वे दूसरे परिवार को सौंप देना ही उचित समझते थे। अतः जितनी जल्दी उनकी शादी हो जाती थी उतनी जल्दी वे अपने को ऋणमुक्त समझते थे।

(ग) दहेज प्रथा ने भी छोटी उम्र में विवाह को बढ़ावा दिया है।

इस प्रकार की विस्तृत सूची तैयार हो जाने पर समूह में समसामयिक सामाजिक-आर्थिक विकास के संदर्भ में इन तथ्यों की प्रासंगिकता पर चर्चा की जा सकती है।

क्रियाकलाप–३

सामान्यतः जनता छोटी उम्र में होने वाले विवाहों के घातक दुष्परिणामों को नहीं जानती कि उसका जीवन-स्तर पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। छोटी उम्र में होने वाले विवाहों के दुष्परिणामों का वर्गीकरण निम्न तालिका में किया गया है। कुछ दुष्परिणाम हर क्षेत्र को लागू होते हैं जिससे आप अपने समूह में चर्चा के आधार पर अन्य दुष्परिणामों को ढूंढ सकें।

तालिका–2

क्षेत्र	दुष्परिणाम
स्वास्थ्य	(क) शीघ्र गर्भधारण, गर्भस्राव की संभावना
	(ख) मां के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट
	(ग) मां के छोटी उम्र में गर्भधारण करने से मृत्यु की आशंका
	(घ) उच्च शिशु मृत्युदर

सामाजिक अर्थव्यवस्था	(क)	सीमित शिक्षा, विशेषरूप से लड़कियों को
	(ख)	लड़कियों के लिए रोजगार के सीमित अवसर
	(ग)	लड़कियों की निर्भरता
शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक	(क)	विवाह के बाद शिक्षा का अधूरा रह जाना ।
	(ख)	स्त्रियों में बहुत अधिक निरक्षरता
	(ग)	मानसिक निष्क्रियता
	(घ)	छोटी उम्र की माताओं पर मानसिक दबाव एवं तनाव ।
सन्तानोत्पत्ति	(क)	छोटी आयु में विवाह—बड़े परिवारों का कारण
	(ख)	छोटी उम्र में विवाह करने वाली स्त्रियों के बड़ी उम्र में विवाह करने वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बार गर्भधारण की संभावना ।
	(ग)	इससे दो पीढ़ियों के बीच की दूरी कम हो जाती है ।
अन्य तत्व	(क)	
	(ख)	
	(ग)	
	(घ)	
	(ङ)	

क्रियाकलाप–४

छोटी आयु में विवाहों के उपर्युक्त दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिया गया है कि लड़के-लड़कियों का विवाह एक निश्चित उम्र के बाद ही होना चाहिए । विवाह के लिए सही उम्र 20–25 के बीच मानी गई है । भारत में कानूनी तौर पर भी विवाह की आयु निश्चित की गई है । कानूनी तौर पर यह उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष व लड़कों के लिए 21 वर्ष रखी गई है । इस नियम का उल्लंघन एक अपराध है । हालाँकि यह प्रश्न भी किया जा सकता है कि विवाह देर से क्यों करें ? सही समय पर विवाह करने के कई लाभ हैं । अपने समूह में चर्चा से आप उन लाभों को जान सकते हैं । जल्दी विवाह के दुष्परिणामों पर पहले की गई चर्चा से भी आपको लाभ हुआ होगा । नया वादविवाद आप इस तथ्य से शुरू कर सकते हैं कि सही उम्र में विवाह से कम बच्चे पैदा होते हैं, स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़ता परिवार आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सकता है तथा पति-पत्नी अपना जीवनस्तर बेहतर बना सकते हैं ।

पाठशालाओं द्वारा क्रियाकलापों का अनुसरण

इस मॉड्यूल का विषय अन्य विषयों के ही समान असाधारण नहीं । इसका उद्देश्य भी छात्रों का ध्यान विशे राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा की नई नीति की ओर मोड़ना हैं । इससे जुड़े अर्थपूर्ण विचारों द्वारा छोटे परिवा की संकल्पना को बढ़ावा दिया जा सकता है । इस मॉड्यूल द्वारा हमने निम्न विषयों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है :—

(क) छोटी आयु में विवाह से स्वास्थ्य संबंधी, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक व जनसांख्यिकीय समस्य उत्पन्न होती है, अतः कानून द्वारा तय की गई उम्र से पहले विवाह नहीं करना चाहिए ।

(ख) सही उम्र में विवाह से पति-पत्नी आदर्श माता-पिता बन सकते हैं। वे शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक रूप से परिपक्व होते हैं, इसलिए बच्चे का लालन-पालन अच्छी तरह कर सकते हैं।

(ग) माता-पिता को चाहिए कि वे परिवार को योजनात्मक ढंग से चलाएं।

शिक्षक इस मॉड्यूल के विचारों से छात्रों को अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिकशास्त्र, भौतिकी, जीवविज्ञान तथा गृहविज्ञान जैसे विभिन्न विषयों के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। भाषा इन विचारों को छात्रों में भरने का प्रभावपूर्ण साधन हो सकती है। उदाहरण के लिए इन विचारों पर वहाँ भी प्रकाश डाला जा सकता हैं जहाँ अर्थशास्त्र या भूगोल में जनसंख्या-वृद्धि के कारणों के रूप में शीघ्र विवाह का उल्लेख हो। जीवशास्त्र में पुनरुत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ाते समय शिक्षक इस पर चर्चा कर सकता है। अन्य विषयों में भी ऐसे कई अंश ढूंढे जा सकते हैं। शिक्षक कविताओं व कहानियों के माध्यम से उपर्युक्त सन्देशों को छात्रों तक पहुँचा सकता है।

शिक्षक ऐसे कई क्रियाकलापों का आयोजन कर सकते हैं जिनमें छात्र समरूप से भाग ले सकें। जो क्रियाकलाप इस मॉड्यूल के अंतर्गत दिए गए हैं उन्हें छात्रों के सहयोग से पूरा किया जा सकता है। छात्रों को निम्नलिखित परिवर्तनों को देखते हुए इससे संबंधित तथ्य एकत्र करने को भी कहा जा सकता है। ऐसा वे अपने पड़ोसी परिवारों का सर्वेक्षण करके कर सकते हैं।

ये परिवर्तनशील तथ्य इस प्रकार हैं :

(क) परिवार के मुखिया का नाम

(ख) स्त्री-पुरुषों की संख्या, आयु और उनका शैक्षिक स्तर

(ग) विवाहित सदस्यों की संख्या और यह जानकारी कि उनका विवाह किस आयु में हुआ था।

(घ) प्रति दम्पति बच्चों की संख्या, पति-पत्नी तथा बच्चों की उम्र

(ङ) प्रति दम्पति मृत बच्चों की संख्या

(च) स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या

(छ) स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या

(ज) नौकरी पेशा, खेतीबाड़ी या कोई अन्य काम-धंधा करने वाले सदस्यों की संख्या

(झ) नौकरी पेशा स्त्रियों की संख्या

(ञ) कोई अन्य

अध्यापक तालिका तैयार कर सकता है और छात्रों द्वारा आंकड़े एकत्र करवा सकता हैं। इस मॉड्यूल में चर्चित विचारों के साथ ही आप इन आंकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं।

छात्र अपनी बस्ती में उन नवदम्पतियों के बारे में भी सूचना एकत्र कर सकते हैं जिनका हाल ही में विवाह हुआ है। वे उनकी आयु, शैक्षिक स्तर तथा रोजगार संबंधी बातों की जानकारी भी इकट्ठी कर सकते हैं। वे उन दम्पतियों की आपस में तुलना भी कर सकते हैं जिनका विवाह 15 वर्ष की आयु से पहले हुआ था और जिनका विवाह 18 वर्ष के बाद हुआ है।

अध्यापक अन्य समयोचित कार्यकलापों का आयोजन भी कर सकता है।

•

मॉड्यूल २२ एस

माध्यमिक स्तर पर कला-शिक्षा

एक दृष्टिपात

कला जीवन के विविध पहलुओं की पूर्णता की प्रक्रिया है। यह महत्वपूर्ण शिक्षा है। यह जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करती है। यह वर्तमान की चुनौतियों का सामना करते हुए भविष्य को सृजनात्मक, उत्पादक व आनंदकारी रूप में पेश करती है।

आजकल पढ़ाई और परीक्षा पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। छात्रगण पढ़ने व ज्ञान प्राप्त करते में आनंद नहीं लेते। स्कूल के विभिन्न स्तरों पर जो कुछ पढ़ाया जाता है वह एक निश्चित फार्मूला, नियमों एवं पद्धतियों पर आधारित है। यह बच्चों की आंतरिक रुचि का विकास नहीं करते। ऐसी स्थिति में कला उन्मुक्त शक्ति प्रदान करने की भूमिका निभा सकती है।

कला के क्षेत्र में मूलभूत सिद्धांत यह है कि सब व्यक्ति अनोखे हैं, विशिष्ट हैं और उनमें सृजनात्मक विकास की संभावनाएं हैं। वे अपनी लय, ताल, योग्यता व अनुभव के आधार पर सीखते हैं, कार्य करते है। अतः उन्हें न तो एक-सा बनाना संभव है, न ही जरूरी। प्रत्येक व्यक्ति की तुलना प्रकृति में प्राप्त एक पेड़ से की जा सकती है। हर पेड़ अलग है, उसकी नकल या प्रतिलिपि नहीं मिलती। स्कूली शिक्षा में कला की पढ़ाई के समावेश के विचार के अन्तर्गत साधारणतया कला के सभी रूप और तत्व आ जाते हैं। इन्हें तीन भागों में बाँटा जा सकता है : दर्शनीय, क्रियान्वयनपूर्ण एवं भाषागत कला। इनके अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला, मिट्टी के खिलौने व बर्तन बनाने की कला, संगीत, नृत्य, नाटक, कविता, सृजनात्मक लेखन आदि कलाएं आती हैं।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल का अध्ययन करने के बाद आप जानेंगे :

—कला विषय की मोटे तौर पर समझ व सृजनात्मक प्रोत्साहन के लाभ।

—अध्ययन के वर्तमान दृष्टिकोण में परिवर्तन व संशोधन।

—कक्षा में विविध गतिविधियों का आयोजन।

कला के विभिन्न रूप बच्चे को सम्प्रेषण (ध्वनिगत व दृश्यगत) के विविध साधनों की खोज व जानकारी में सहायक होते हैं, उसे अपने ढंग से अभिव्यक्त करने को प्रेरित करते हैं, अपने पर्यावरण के प्रेक्षण की संवेदना तीव्र करते हैं। विभिन्न सामग्री के प्रति उसकी रुचि जगाते हैं, अभिव्यक्ति की शैली व व्यक्तिगत रूप की खोज व पहचान कराते हैं, अपने क्षेत्र या वातावरण में उपलब्ध कला के रूपों के प्रति चेतना जगाते हैं, कला संबंधी विभिन्न औजारों व वस्तुओं के प्रयोग को प्रेरित करते हैं। कला के रंग, रूप, रेखा से परिचय के साथ ही व्यक्ति में डिजाइन व सुव्यवस्था के प्रति चेतना जागृत होती हैं। उसमें व्यक्तिगत सौन्दर्य, स्वच्छता एवं घर, स्कूल व समुदाय को कलापूर्ण बनाने की भावना आती है।

छात्र-केन्द्रित दृष्टिकोण

कला की शिक्षा ज्ञानार्जन में आनंद देती है तथा उत्सुकता को बनाए रखती है । यह छात्रों व अध्यापकों को एक साथ सृजनात्मक कार्य करने को प्रेरित करती है । विषयगत विश्व (पदार्थ या जड़) को प्राणिमात्र प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श, संपर्क तथा गंध के माध्यम से जानता है । प्रभावी जानकारी एवं विकास प्रत्यक्ष अनुभव से होता है । ज्ञान-प्राप्ति पूरी तरह तभी होती हैं जब सभी ज्ञानेन्द्रियों, भावनाओं और भौतिक व ज्ञानात्मक क्षमताओं का जुड़ाव हो । अतः कला की शिक्षा के लिए प्रेक्षण, परिवर्तन के प्रति चेतना, विचारों और संवेदनाओं के विकास की पूर्ण समझ जरूरी होती है । सुनकर या पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त होता है वह आंशिक शिक्षा है जिससे सतही ज्ञान ही हो पाता है । कला बाहरी जीवन व आंतरिक विश्व के अनुभवों के बीच की खाई को पाटकर ज्ञान को आत्मसात करने का अनुभव प्रदान करती है । छात्रों को अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति की जरूरत होती है । अभिव्यक्ति में अतीत के अनुभव का संयोजन, संबंध, विचार तथा सिद्धांत सामने आते हैं ।

समझ व अभिव्यक्ति दोनों में व्यक्ति अनोखे व विशिष्ट होते हैं । एक ही फूल को अलग-अलग लोग अलग-अलग ढँग से देखेंगे, किसी को रंग, किसी को गंध, किसी को रूप व किसी को आकार या प्रकार पसंद आएगा । कुछ उसके विकास को देखकर आश्चर्य करेंगे । एक ही प्रतिक्रिया न सर्वोत्तम होती है न सही । हर व्यक्ति की अपनी समझ व उसकी अभिव्यक्ति होती है और संभवतः प्रत्येक व्यक्ति का जीवन को सुन्दर बनाने-सुधारने का अपना मानदण्ड होता है । शिक्षा में कला छात्रों को एक दूसरे से अलग होने का दुर्लभ अवसर देती है । फिर भी हर व्यक्ति बिना सही या गलत हुए अपना योगदान करता है । अध्यापक की भूमिका यह है कि वह छात्र को निर्भय व बिना किसी प्रतियोगिता के, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें । भाषा सिर्फ पढ़कर नहीं सीखी जाती । बोलकर, साहित्य का अध्ययन करने के बाद ही उस पर पूरा अधिकार होता है । यही बात कलात्मक अभिव्यक्ति की सभी भाषाओं और रूपों पर लागू होती है ।

बिना किसी बाहरी प्रभाव के कला के किसी भी रूप के बारे में मौलिक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए । नकल करने को एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने को बढ़ावा नहीं देना चाहिए ।

संगीत, चित्रकला, त्रिविमीय रचना, गति व अभिनय आदि सभी कला की भाषाएं हैं जो मनुष्य ने अपने आस-पास के परिवेश को समझने के लिए विकसित की हैं । शब्द साहित्य की भाषा का निर्माण करते हैं और संख्या गणित की भाषा का । कलाएं वे अन्य भाषाएं हैं जो हमारे सामने प्रस्तुत विश्व के विविध पहलुओं व कोणों को समझने व अभिव्यक्त करने के लिए बनाई गई हैं । मानव ध्वनियों, रंगों, शब्दों व संख्याओं के बारे में सोच सकता है, उनका निर्माण कर सकता है ।

कला संबंधी गतिविधियां व प्रक्रिया दृष्टिकोण

स्कूली शिक्षा से कला संबंधी जो रचनाएं होंगी उनकी तुलना उन कलात्मक वस्तुओं से नहीं की जा सकती जो संग्रहालयों या शास्त्रीय प्रदर्शनी, सिनेमा हॉलों, या रंगमंच, किताबों में छपे चित्रों और विज्ञापन के विशाल बोर्डों या पोस्टरों, संगीत व नृत्य सम्मेलनों या भवनों और मंदिरों, मुशायरों व कवि-सम्मेलनों में देखने को मिलती हैं । यह लोक-संगीत व दस्तकारी तथा लोकमंच के निकट होती है । उस समय अध्यापक एक रेखाचित्र बनाता था हम उसकी नकल करते थे या फिर किसी प्रसिद्ध चित्रकार—अजंता, एलोरा, मुगलशैली, राजपूत चित्रकला और नंदलाल बोस के चित्र या अन्य प्रसिद्ध कलाकारों की रचनाओं की नकल करते थे या फिर पुराने सिद्धान्तों के आधार पर फूल-पत्ते, ज्यामितीय डिजाइन, चित्र, मॉडल, और प्राकृतिक दृश्य को याद कर उसका चित्र बनाया करते थे जिसमें न कोई भावना जुड़ी होती थी न व्यक्तिगत अनुभव होता था और न ही कोई विचार । सृजनात्मक कला को ऐसे कार्य-अनुभव के साथ भी नहीं जोड़ा

जा सकता जिसके अन्तर्गत कुछ दस्तकारी-केन्द्रित गतिविधियों का आयोजन हो। रचनात्मक कला के अंतर्गत हम जो कुछ भी करेंगे उसका दृष्टिकोण, उसका उद्देश्य भिन्न होगा।

स्कूलों के सृजनात्मक कला कार्यक्रम बच्चों के स्वाभाविक कार्यों, खेलों व कला के विभिन्न रूपों के निर्माण से जुड़े हैं, बच्चे अपने ढंग से उनके प्रति दैनिक जीवन के अनुभवों तथा प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करेंगे, विविध माध्यम व सामग्री के साथ अपनी भावनाओं, विचारों, संवेदनाओं व कल्पनाजगत को रूप व सज्जा प्रदान करेंगे। यह स्वतःप्रेरित कला होगी जो व्यक्ति की भावनात्मक प्रतिक्रिया से निर्मित होगी।

ऐसे अनुभवों से हो सकता है कोई ऐसी वस्तु बने या न बने जिसके बारे में सोचा गया हो। कला की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि बच्चा स्वयं प्रक्रिया व अनुभव के आधार पर कुछ निर्माण करे।

कला-शिक्षा के स्रोत

स्कूलों में कला की शिक्षा में क्षेत्रीय सुगंध होनी चाहिए। संगीत, कविता, नाच, रंगमंच व रूपों का सृजन आरंभ से ही मानव जीवन का हिस्सा रहा है। यह कोई नई व अनोखी बात नहीं है, वरन् मानव अस्तित्व का अविभाज्य अंग है।

बच्चा जो कुछ जानता है उसकी अभिव्यक्ति का निकटतम एवं प्रियतम साधन बच्चे की मातृभाषा है। उसके अपने क्षेत्र के गीत, लोरियां, दीवारों पर बने चित्र आदि उतने ही महत्वपूर्ण हैं और उन्हें स्कूली शिक्षा में स्थान मिलना चाहिए। लेकिन कला के कार्यक्रम में संकीर्ण ढाँचे व स्तरीकृत कार्यक्रम का स्थान नहीं हो सकता। कलात्मक वस्तुएं बनाते समय स्थानीय क्षेत्र बाजार, या सामुदायिक साधनों से जो सामग्री मिले वही प्रयुक्त होनी चाहिए। उसका एकमात्र मानदण्ड यह होगा कि बच्चा उसका उपयोग कर सके तथा उससे प्रेरित हो सके। उसे अपने ढँग से कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए।

कला-शिक्षा का मूल्यांकन

पूर्व-शर्त, तुलना, प्रतियोगिता या परीक्षा कला की शिक्षा की मूल भावना को ही समाप्त कर देगी। मूल्यांकन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न कला-क्षेत्रों में विभिन्न सामग्री, तकनीक व जन-माध्यम का प्रयोग करने में छात्र ने कितनी सक्रियता व दिलचस्पी दिखाई है। सुघड़ता में स्थान के चुनाव के प्रति सामान्य चेतना में तथा पहले के स्तर से अब के स्तर में कितना विकास हुआ है यह भी देखा जाना चाहिए। निःसंदेह ऐसा करते समय कक्षा का स्तर, प्रक्रिया के साथ जुड़ाव व स्वतंत्र चुनाव पर ध्यान देना होगा।

सृजनात्मक गतिविधि का मूल्यांकन करते समय व्यक्तिगत गतिविधि पर नहीं, वरन् सामूहिक गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए। कलात्मक गतिविधि चाहे अकेले की जाए या समूह में हमेशा विभिन्न छात्रों की आपसी प्रतिक्रिया कलात्मक उत्पादन में झलकती है। मूल्यांकन में ऐसी सामूहिक व प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया में हिस्सा लेने को सकारात्मक माना जाना चाहिए।

क्रियाकलाप—१

कला की शिक्षा के मूल्यांकन का विस्तृत रिकार्ड रखने के लिए एक फार्म बनाइए।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

प्रत्येक वर्ष के अंत में शैक्षणिक कार्ड में अन्य विषयों के साथ कला की शिक्षा में उपलब्धियों का मूल्यांकन भी शामिल किया जाना चाहिए।

उच्च प्राथमिक कक्षा में कला की शिक्षा : कुछ स्मरणीय तथ्य

यह अवस्था बचपन से किशोरावस्था में प्रवेश का काल है । छात्रों में तर्क की योग्यता विकसित हुई है । हो सकता हैं कि स्वत:प्रेरणा व सृजनात्मकता उतनी अधिक न हो जितनी कि आरंभिक वर्षों में थी । वे अब विचारों और क्रियान्वयन के क्षेत्र में अध्यापक से मदद की आशा करने लगते हैं । लेकिन अध्यापक द्वारा छात्र को अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए स्वयं अपने साधन जुटाने को प्रेरित करना चाहिए । इस स्तर पर खोज व प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विविध जन-माध्यम व तकनीक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अप्रत्यक्ष तथा प्रेरित करने वाला मार्गनिर्देशन होना चाहिए जो खोज, सुधार, नए रूप व प्रयोग की दिशा में आगे बढ़ाए। इन पद्धतियों द्वारा धीरे-धीरे सौन्दर्य एवं अभिव्यक्ति के गुणों को बढ़ावा देने के लिए खोजपूर्ण प्रश्न करने चाहिए तथा अप्रत्यक्ष रूप से संगीत, नृत्य व दर्शनीय कला के आरंभिक रूप का ज्ञान कराया जाना चाहिए । दर्शनीय वस्तुओं के क्षेत्र में इस अवस्था में बच्चा संभवत: ग्राफिक सामग्री की तुलना में प्लास्टिक (खड़िया मिट्टी) संबंधी सामग्री का उपयोग करना चाहेगा । अत: कठपुतली, चीनी मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने आदि गतिविधियां अधिक उपयोगी होंगी ।

छात्रों को सामूहिक रूप से काम करने की जरूरत है ताकि उनमें टीम की भावना का विकास हो और स्कूली समाज में हिस्सेदारी व देखभाल की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले । कुछ विशेष प्रतिभाशाली बच्चों को चुनने के स्थान पर सभी छात्रों की रुचियों का पता लगाया जाए तथा उन्हें विविध प्रकार से कला संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए ।

सृजनात्मक कला के लिए गतिविधियों का सुझाव : अविभाज्य दृष्टिकोण

कठपुतली प्रदर्शन व नाटक अविभाज्य कला के रूपों के अच्छे उदाहरण हैं जो आगे जाकर बच्चों की विभिन्न रुचियों की पूर्ति करेंगे । इन्हीं में नाटक, संगीत, गीत, अभिनय, रेखाचित्र, माडलिंग व अन्य रचनात्मक कलाएं शामिल हैं । भव्य नाटकीय गतिविधियों, व्यावसायिक रंगमंच, खर्चीली प्रकाश-व्यवस्था, मंचनिर्माण, रूपसज्जा आदि की नकल नहीं करनी चाहिए । ये सभी स्थितियां कक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कम खर्च में जुटाई जानी चाहिए । छात्र अपने दैनिक अनुभवों, समाज व स्कूल की समस्याओं पर विचार-विमर्श कर नाट्य कथा का निर्माण कर सकते हैं । जो छात्र माडलिंग में दिलचस्पी रखते हैं वे कठपुतलियों का निर्माण कर सकते हैं । जहाँ तक संभव हो इसके लिए स्थानीय साधनों से सामग्री जुटाई जानी चाहिए । यदि नाटक सामाजिक समस्या से संबंधित हैं, तो छात्र अपने आस-पास के समुदाय में चेतना जगाने का कार्य कर सकते हैं ।

रचनात्मक कला-गतिविधियों के लिए सामग्री का सुझाव

(अ) टू-डाइमेन्शनल चित्र, रेखाचित्र, चित्रकला, कोलाज, छपाई आदि

(आ) थ्री-डाइमेन्शनल चित्र या मिट्टी की मूर्तियां, बर्तन, कागज से निर्मित वस्तुएं, कार्ड बोर्ड व बोर्ड बॉक्स, नरम लकड़ी व नरम पत्थर का उपयोग ।

(इ) प्रदर्शन कला—स्थानीय वास्तविक व काल्पनिक स्थितियों के बारे में क्षेत्रीय संगीत वाद्यों का उपयोग, शारीरिक अभिनय व भाव-मुद्रा ।

(ई) सामूहिक गान व नृत्य

(उ) रचनात्मक नाटक व कठपुतली खेल ।

अपने आस-पास के प्राकृतिक वातावरण को सौन्दर्यमय बनाने के लिए पेड़ लगाना, जमीन को ऊँचा या नीचा बनाना, पत्थरों व बेकार सामग्री के उपयोग से कुछ आकर्षक चीजें बनाना, स्कूल संग्रहालय आदि का निर्माण । इस कार्य में समस्त समुदाय की भागीदारी जरूरी होगी ।

प्रेरक-तकनीक

कक्षा की गतिविधियों में प्रेरक तकनीक का उपयोग होना चाहिए, जैसे—बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभव, क्षेत्र व समुदाय का सांस्कृतिक इतिहास, विभिन्न स्थितियों (जिसमें ये आश्चर्यचकित करने वाली स्थिति भी शामिल हो) की कल्पना, पर्यावरण का सांस्कृतिक व प्राकृतिक अध्ययन, समुदाय के व स्थानीय कलाकारों के साथ विचार-विमर्श, आस-पास ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की यात्रा, त्योहारों, प्रदर्शनियों व सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेना, आस-पास से अपनी रुचि की वस्तुएं संग्रहीत करना, स्थानीय कलात्मक एवं दस्तकारी की वस्तुएं एकत्रित कर स्कूल के संग्रहालय का निर्माण करना।

विभिन्न विषयों के चुनाव के लिए एक सूची नीचे दी जा रही है जिसमें अध्यापक और विषय जोड़ सकता है :—

सब्जी बाजार, डाकघर, आग बुझाना, खेलना, कारखाने-खेती संबंधी कार्य, त्योहार व अन्य समारोह, स्थानीय प्राकृतिक स्थान, जंगल प्रवास, सपना देखना, स्थितियों की कल्पना आदि ।

माध्यमिक कक्षाओं में कला की शिक्षा : स्मरणीय विचार

उच्च प्राथमिक स्तर के लिए जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं वे यहाँ भी लागू होंगे। यह बचपन की रचनात्मक अभिव्यक्ति तथा आगे आने वाली व्यवसाय-प्रधान शिक्षा के बीच संक्रमण काल है। इस स्तर पर आकर छात्र अपने आस-पास की दुनियां के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। बड़ों का प्रभाव अब अधिक पड़ता है।

कुछ छात्र कला के एक क्षेत्र विशेष में अपनी क्षमता बढ़ाने के इच्छुक होंगे। जैसे संगीत, नृत्य, रंगमंच, कठपुतली प्रदर्शन, माडलिंग व मूर्तिकला आदि में से एक विषय चुनना चाहेंगे। अध्यापकों की सीमित संख्या को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष प्रबंध करने होंगे ताकि विशेष शिक्षा दी जा सके। जैसे घुमंतू शिक्षक या अल्पकालिक (पार्ट-टाइम) शिक्षकों की व्यवस्था, आसपास के स्कूलों के समूह में से चुने गए शिक्षक की व्यवस्था। कुछ स्थानीय प्रतिभाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बेकरी या चीनी मिट्टी के बर्तनों की ग्लेजिंग के लिए स्कूल कॉम्पलेक्स के किसी एक स्कूल को चुना जा सकता है।

इस चरण में प्रवेश करने के बाद छात्रों को चुनौती की जरूरत होती है और वे अधिक से अधिक तकनीक व सामग्री का उपयोग करना चाहते हैं। अध्यापक इस स्तर पर बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रेरित करने पर अधिकाधिक ध्यान दें। अपनी अभिव्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने के लिए छात्र को अपने साधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तकनीक के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी न दें। इस स्तर पर छात्र में सामान्यतया सौन्दर्यगत संवेदना व सामाजिक मूल्यों के विकास की जरूरत होती है। यह कार्य प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा की रक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए छात्र को अवसर दें :—

–भारतीय संस्कृति का अध्ययन

–कलाकारों के साथ कार्य

–स्थितियों के मूल्यांकन में सौन्दर्यपूर्ण चेतना के विकास का अवसर

रचनात्मक कला की गतिविधियों के सुझाव

इस चरण में सभी छात्रों के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन होना चाहिए :—

–अपने पसंद की कला के क्षेत्र में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का अवसर।

–अधिकांश छात्र अपने भावी जीवन में कला को व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाएंगे। लेकिन वे जीवन के प्रति समझ को बढ़ाने, सौन्दर्य को समझने हेतु किसी विशेष कला में भाग लेना चाहेंगे।

–भारत तथा उसके विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन का अवसर।

–ग्रामीण/शहरी समुदायों द्वारा भारत की समन्वित संस्कृति के विकास का अध्ययन व उसके लिए कार्य।

–ऐसे रचनात्मक एवं प्रेरक कार्यक्रमों में छात्रों के भाग लेने व कला में उनकी रुचि को बनाए रखने के लिए जरूरी है :—

–ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की यात्रा, संग्रहालय, संगीत, नृत्य व लोककला के प्रदर्शन, कलाकारों के साथ समागम, स्थानीय कलाकारों से परिचय।

–छात्र त्योहारों व समारोहों का आयोजन कर सकते हैं।

–वे प्रदर्शनी का आयोजन कर सकते हैं। अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण को सुन्दर बनाने के लिए पेड़ लगा सकते हैं, जमीन की सतह को ऊँची व नीची कर आकर्षक बना सकते हैं, पत्थरों व बेकार सामग्री के उपयोग से कुछ सुन्दर वस्तुएं बना सकते हैं स्कूल संग्रहालय बनाने व सजाने में रुचि ले सकते हैं—जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, विज्ञान, समाज, धर्म व कला के बारे में जानकारी मिल सके।

जहाँ तक संभव हो सके इस चरण में छात्रों को कला के विविध रूपों से परिचित कराया जाना चाहिए ताकि वे अपनी रुचि के अनुसार एक को चुन सकें। कुछ छात्र व्यक्तिगत तौर पर कई कलाओं में भाग लेना चाहेंगे।

विभिन्न कलाओं के प्रति चेतना व प्रतिक्रिया जगाने के लिए छात्रों को विविध प्राकृतिक एवं पर्यावरण संबंधी परिवेश से प्रेक्षण व परीक्षण के अवसर दिए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार के पेड़ों के तनों, शाखाओं, पत्तियों, उनके रूप-आकार, विविध पौधों को देखना, पहाड़ी पर चढ़कर नीचे सड़क, पगडण्डी, नाले, झरने, बिजली के खम्भों आदि का अवलोकन करना, तूफान, समुद्री कौड़ियों, शंख, समुद्री जानवरों, प्राकृतिक झरनों, रेत के टीलों, वन की विविध वस्तुओं को देखना, और सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में विभिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्तियों से मिलना आदि।

छात्रों को अपने विचारों एवं अनुभवों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

कैम्प लगाते समय कलात्मक गतिविधियां

अध्यापकों से कहा जा सकता है कि वे सृजनात्मक शैली की विविध वस्तुएं तैयार करें, जैसे रेखाचित्र—स्कूल के भीतर व बाहर दृश्य अंकन, छपाई, कोलाज, चीनी मिट्टी के बर्तन, कठपुतलियां, तथा कक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य कलात्मक वस्तुएं।

बच्चों को कैम्पों में ले जाकर वे इन वस्तुओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऊपर सुझाई गई गतिविधियों पर विस्तार से विचार करने के बाद अध्यापक छात्रों के लिए स्कूल के कला कार्यक्रम की अपनी योजना बना सकता है।

●

मॉड्यूल २३ एस

माध्यमिक स्तर पर कार्यानुभव

इस मॉड्यूल द्वारा आपको सभी स्तरों पर विद्यालयी शिक्षा के आवश्यक अंग के रूप में कार्यानुभव के कार्यक्रम को समझने में सहायता मिलेगी । इसके माध्यम से आप कार्यानुभव के अर्थ, तथा विस्तार एवं उसके क्रियान्वयन में शिक्षा की भूमिका तथा सामुदायिक सहयोग आदि से परिचित हो सकेंगे ।

इस मॉड्यूल को पढ़ने तथा उसमें विस्तार से दिए गए क्रियाकलापों को सफलतापूर्वक करने के बाद आप भली-भाँति समझ सकेंगे कि कार्यानुभव का लक्ष्य भावी नागरिकों में वैयक्तिक गौरव, दक्षता, आत्मोत्कर्ष तथा समाजसेवा की भावना को सुदृढ़ करना है। कार्यानुभव संबंधी कार्यकलापों के चयन के मानदण्डों से आपको उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करते हुए सर्वाधिक उपयोगी क्रियाओं के चयन में सहायता मिलेगी । सुझाए गए कार्यों की सूची से आप यह जान सकेंगे कि कार्यानुभव का पाठ्यक्रमीय क्षेत्र कितना बड़ा है ।

आगे के पृष्ठों में आप देखेंगे कि इस मॉड्यूल में लिखने और बोलने की जगह कार्य करने की पद्धति का अनुसरण किया गया है । प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आपको कार्यकलापों में अपनी वैयक्तिक निपुणता दिखाने का अवसर मिलेगा और साथ कुछ ही चुने हुए कार्यों में आप सक्रिय भाग ले सकेंगे ।

विभिन्न कार्यक्षेत्रों में आपको नमूने के तौर पर कुछ सामग्री दी जाएगी ताकि अपने विद्यालय में वापस जाकर आप उनमें से कुछ पर तत्काल कार्य आरंभ कर सकें ।

उद्देश्य :

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप :

—कार्यानुभव कार्यक्रम के अर्थ, उद्देश्य और प्रमुख स्वरूपों को समझ सकेंगे और उन पर चर्चा कर सकेंगे ।

—उपयुक्त कार्यानुभव संबंधी क्रियाओं के चयन के लिए मानदण्ड निर्धारित कर सकेंगे ।

—कार्यानुभव संबंधी उत्पादनों को प्रभावी रूप से प्रयुक्त करने के तरीके निकाल सकेंगे ।

—कार्यानुभव कार्यक्रमों में सामुदायिक सहयोग के बारे में जानने और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकेंगे ।

—सही तरीके से कार्यानुभव संबंधी कार्यक्रमों की योजना बना सकेंगे और उन्हें क्रियान्वित कर सकेंगे ।

—छात्रों को सक्रिय रूप से व्यक्तिगत तथा सामूहिक कार्यों में शामिल कर सकेंगे ।

सिद्धान्त :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में "समाजोपयोगी उत्पादक कार्य" की महत्ता को पुनः स्वीकार किया गया है और उसे कार्यानुभव का नाम दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नलिखित नीतिविषयक घोषणा की गई है :—

शिक्षा के सभी स्तरों पर कार्य-अनुभव (उद्देश्यपूर्ण एवं उपयोगी शारीरिक श्रम) को शिक्षा प्रक्रिया का एक अविभाज्य हिस्सा माना गया है । इसके परिणामस्वरूप या तो वस्तु का उत्पादन होगा या समुदाय की सेवा । यह कार्य-अनुभव सुसंगठित व विभिन्न स्तर पर कराया जाएगा ।

"इसके अंतर्गत छात्रों की रुचियों, योग्यताओं, आवश्यकताओं, शैक्षिक स्तर के बढ़ने पर ज्ञान तथा कौशल में

ने वाली वृद्धि के स्तर के अनुरूप कार्यों का समावेश किया जाता है। यह अनुभव कार्य-जगत में प्रवेश करते समय सहायक सिद्ध होता है। निम्न माध्यमिक स्तर के पूर्वव्यावसायिक कार्यक्रमों से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक विषयों के चुनाव में सरलता होगी।"

उक्त घोषणा के अनुसार जो परिभाषा स्पष्ट होती है, वह है :

–सीखने की प्रक्रिया में कार्य का विशेष महत्व।

–कार्य से वस्तुओं का उत्पादन अथवा सेवा।

–विद्यालय तथा उसके बाहर कार्य की सार्वजनीन महत्ता।

–सुनियोजित तथा स्तरीकृत कार्यक्रमों की आवश्यकता।

–छात्रों की रुचियों, योग्यताओं और आवश्यकताओं से मेल खाती हुई गतिविधियों की जानकारी।

–शैक्षिक स्तर के अनुरूप दक्षता स्तर बढ़ाना।

इस कार्य-अनुभव का उद्देश्य है :

–कार्य-जगत में आसानी से दाखिल होना, और

–अधिकतर छात्रों द्वारा अपने झुकाव तथा रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा प्रस्तावित कार्यानुभव कार्यक्रम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्वव्यावसायिक कार्यक्रम का प्रावधान है।

माध्यमिक स्तर (उच्च प्राथमिक स्तर ६-१० सहित)

उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे उच्च दक्षता द्वारा कठिन कार्य करने के लिए प्रारम्भ से परिपक्व हो जाते हैं। मानव आवश्यकताओं के चुने हुए क्षेत्रों में वे सुनिर्दिष्ट परियोजनाएं हाथ में ले सकते हैं। वह कार्यानुभव कार्यक्रम के पूर्वव्यावसायिक अभिमुखीकरण आरंभ होने का सूचक है। पूर्वव्यावसायिक अभिमुखीकरण कार्यजगत तथा उत्पादक प्रक्रिया के गहन अध्ययन और साथ ही साथ उच्च स्तर—माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की पूर्ववृत्तियों का द्योतक है।

इस स्तर पर बच्चों को समस्या-समाधान पद्धति का प्रयोग सीखना चाहिए। औजारों, कच्चे माल और उपकरणों को जानने और वैज्ञानिक ढँग से उन्हें काम में लाने की योग्यता उनमें हो जानी चाहिए।

हाई स्कूल में उच्च प्राथमिक स्तर से अधिक विकसित लक्ष्य और ध्येय होने चाहिए। कार्य-अभ्यास का स्थान इस स्तर पर और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। पूर्वव्यावसायिक प्रशिक्षण अब स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होना चाहिए। इन पूर्वव्यावसायिक कार्यक्रमों में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक विषयों के चयन में सुविधा होगी।

इस स्तर पर कार्यानुभव कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जिनसे पर्यावरण सुधार एवं रक्षण, प्रदूषण में कमी, उचित पोषण, स्वास्थ्य एवं सफाई आदि का अर्थपूर्ण विकास हो सके।

क्रियाकलाप–१

स्कूल के भीतर और बाहर ऐसे कार्यों का सुझाव दीजिए जिनके आधार पर कार्य-अनुभव गतिविधियों का आयोजन किया जा सके। ऐसे कार्यों की सूची तैयार कीजिए।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

प्राथमिक स्तर की अपेक्षा उच्च प्राथमिक तथा हाई स्कूल स्तर पर उनमें दक्षता प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है। इससे छात्र को पूर्वव्यावसायिक ज्ञान हो जाता है। इसके बाद उसे कार्य-संलग्नता और तत्परता की आवश्यकता होती है।

क्रियाकलाप–२

समुदाय की आवश्यकता और छात्रों की परिपक्वता के अनुरूप लंबी अवधि (जैसे १ से ३ वर्ष तक) की कुछ परियोजनाओं की सूची बनाइए।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

गतिविधियों का चुनाव

मोटे तौर पर उच्च प्राथमिक स्तर के कार्यों के समुदाय के पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, उत्पादकता और आर्थिक स्तर का विकास होना चाहिए।

उपर्युक्त क्षेत्रों से संबंधित कार्यों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाना चाहिए कि वे परियोजना का रूप ग्रहण कर सकें और उन्हें एक से तीन वर्ष के बीच किसी निर्धारित समय में पूरा किया जा सके।

कार्यों और परियोजनाओं का चयन छात्रों के परिपक्वता-स्तर को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार होना चाहिए कि छात्रों और समुदाय दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

हाई स्कूल स्तर पर यद्यपि गतिविधियां वही रहती है जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए थीं, किन्तु पूर्वव्यावसायिक दृष्टि और कार्य-संलग्नता के कारण उनकी जटिलता बढ़ जाती है। इस स्तर पर कुछ विकसित गतिविधियों को हाथ में लेना चाहिए।

छात्रों के लिए कार्यकलापों का चुनाव करते समय विशेष सावधानी बर्तनी चाहिए। केवल उन्हीं कार्यकलापों को चुना जाये जो उनकी परिपक्वता-स्तर के अनुकूल हों, उनकी उत्सुकता को संतुष्ट कर सकें तथा वांछित कार्य और सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकें।

प्रत्येक गतिविधि के तीन रूप होंगे :—

(1) कार्य-स्थितियों में प्रतिभागिता और समस्याओं की पहचान।
(2) कार्य-स्थितियों में प्रतिभागिता और व्यर्थ सामग्री को उपयोगी अथवा सुन्दर वस्तुओं में बदलना।
(3) अधिक संख्या में उपयोगी सुन्दर वस्तुओं का निर्माण।

अब आपको कार्यों के प्रकार तथा उनके चुनाव की जानकारी मिल गई है। कृपया यह ध्यान रखें :

क्रियाकलाप–३

अपने विद्यालय की स्थिति में व्यवहार्य कुछ कार्य-अनुभव संबंधी कार्यों, योजनाओं पर विचार कीजिए। आप प्राइमरी तथा हाई स्कूल स्तर के लिए ऐसे कार्यों की अलग-अलग सूची तैयार कीजिए।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

आप सब अनुभवी शिक्षक हैं। आप अपने कुछ ऐसे सहयोगियों को चुन सकते हैं जो किसी कार्य में प्रवीणता हासिल कर चुके हों और पूरे समूह के सामने उसका प्रदर्शन करना चाहते हों।

क्रियाकलाप–४

ऐसे प्रवीण शिक्षकों तथा उनके द्वारा प्रदर्शित किए जा सकने वाले कार्यों की सूची बनाइए ।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए ।

आपने अनेक गतिविधियों का प्रदर्शन देख लिया है और अपने साथियों के साथ उन पर चर्चा भी कर ली है ।

क्रियाकलाप–५

उन ५-१० कार्यों की सूची बनाइए जिन्हें आप स्वयं करना और सीखना चाहते हैं ।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए ।

शिक्षक स्वयं को छोटे-छोटे (उदाहरण के लिए 5) समूहों में बाँट लें । उपर्युक्त सूची में से एक या दो का चुनाव कर लें और उन्हें संबंधित विशेषज्ञ शिक्षक के निर्देशन में व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से उसकी तैयारी शुरू कर दें ।

कार्यानुभव के अध्यापक

आपके विद्यालय में भाषा, विज्ञान, गणित तथा अन्य विषय पढ़ाने के लिए अध्यापक हैं, पर कार्यानुभव के लिए कोई विशेष अध्यापक नहीं है । तो कार्यानुभव कौन पढ़ायेगा ? कार्यों का आयोजन कौन करेगा ? कार्यानुभव ही एक ऐसा पाठ्यक्रमीय क्षेत्र है जिसमें विद्यालय के सभी अध्यापक भाग ले सकते हैं । निःसंदेह किसी विशेष कार्य में प्रशिक्षित अध्यापक की सेवाएं उत्पादनोन्मुख कार्यों में अधिक उपयोगी होंगी, किन्तु प्रत्येक विषय के अध्यापक अपने विषय में कुछ र्य सोच सकते हैं और उन पर योजना बना सकते हैं । ऐसे विषय-आधारित कार्य छात्रों के लिए सहायक होंगे । कार्यानुभव कार्यक्रमों के लिए कला शिक्षक की सहायता भी ली जानी चाहिए । कार्यक्रम के लिए व्यावसायिक कोर्स पढ़ाने वाले शिक्षकों की सेवाएं विशेष उपयोगी होंगी ।

क्रियाकलाप–६

ऐसे कार्यानुभव-कार्यों का सुझाव दीजिए जो विभिन्न विषय-अध्यापकों द्वारा आयोजित किए जा सकते हैं । विषयवार ऐसे कार्यों की सूची बनाइए ।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए ।

यह महत्वपूर्ण है कि कई तकनीकी क्षेत्रों में नियमित रूप से ऐसे अध्यापकों की अल्पकालिक सेवाएं ली जाएं जिन्हें किसी क्षेत्र विशेष का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान हो ।

विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुनिर्माताओं और उपभोक्ताओं को भी पाठ्यक्रम-निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए ।

संसाधन :

आपके विद्यालय में कार्यानुभव कार्यक्रम चलाने के लिए कुछ प्रारंभिक सुविधाएं दी जाएंगी। किन्तु विविध प्रकार के कार्यानुभव कार्यों के संचालन के लिए सामुदायिक संसाधनों की आपको स्वयं खोज करनी होगी।

क्रियाकलाप–७

समुदाय में सुलभ संसाधनों के बारे में सोचिए जिन्हें कार्यानुभव-कार्य के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इन संसाधनों (मानव तथा पदार्थ दोनों) की सूची बनाइए।

कार्यानुभव उत्पादनों का निपटान

बहुत से कार्यानुभव-कार्यों में कई चीजें बनकर हमारे सामने आएंगी। उनके निपटाने के लिए उचित साधनों की जरूरत पड़ेगी। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि वस्तु विशेष की माँग के अनुसार पहले से ही अनुमान लगाकर उचित मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। इन वस्तुओं की बिक्री विद्यालय के सहकारी भंडार द्वारा विद्यालयी समारोहों के अवसर पर प्रदर्शनी, स्थानीय दुकानदारों तथा अन्य विद्यालयों और संगठनों द्वारा की जा सकती है।

मूल्यांकन :

मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। संबंधित शिक्षक द्वारा आंतरिक मूल्यांकन होते रहना चाहिए और उसका उल्लेख छात्र के रिपोर्ट कार्ड में करना चाहिए। सिद्धांत और व्यवहार का मूल्यांकन एकीकृत रूप में होना चाहिए। वास्तविक व्यावहारिक कार्य के मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

कार्यानुभव संबंधी मूल्यांकन को वही महत्व मिलना चाहिए जो अन्य विषयों के मूल्यांकन को दिया जाता है। इस स्तर पर छात्रों के मूल्यांकन में सर्वाधिक महत्व दक्षता में उनके विकास को दिया जाना चाहिए। स्मरण रहे कि कार्यानुभव का संबंध कार्य से है, अतः सचमुच कार्यनिष्पादन पर ही सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

हाई स्कूल के बाद भी बाह्य मूल्यांकन कदाचित उपयुक्त नहीं। किन्तु यदि इस बात की आशंका हो कि बाह्य मूल्यांकन के अभाव में कार्यक्रम ठीक प्रकार से नहीं चल पायेगा तब बाहरी परीक्षकों द्वारा छात्रों का मूल्यांकन करवाया जा सकता है, पर इस स्थिति में भी परीक्षक उसी विद्यालय संघ में से चुना जाए जिस संघ का यह विद्यालय खुद सदस्य हो। पारम्परिक बाह्य परीक्षा की जगह यह तरीका बेहतर होगा।

शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों के कार्यानुभव का सुव्यवस्थित रिकार्ड रखें। प्रत्येक छात्र को अपना रिपोर्ट कार्ड सँभाल कर रखना चाहिए।

क्रियाकलाप–८

अपने विद्यालय के लिए एक व्यापक व्यावहारिक मूल्यांकन प्रपत्र तैयार कीजिए।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा ६-८) के लिए कार्यानुभव

उद्देश्य :

(1) विभिन्न उत्पादन-कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देना ।

(2) छात्रों में पूर्वव्यावसायिक जागरूकता उत्पन्न करना ।

(3) सकारात्मक अभिवृत्तियों और मूल्यों का विकास करना ।

(4) छात्रों को विभिन्न उत्पादन-प्रक्रियाओं में निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों से परिचित करना ।

प्रस्तावित कार्य

(क) आवश्यक कार्य

घर व विद्यालय की सफाई और रखरखाव, कूड़ा-करकट हटाना, स्वच्छता करना, सामुदायिक सेवा कार्यक्रम, जैसे सड़क की मरम्मत, वृक्षारोपण, छोटे बच्चों की देखभाल, घरेलू बिलों की अदायगी, प्रायमरी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की ऊँचाई और वजन लेना, रोगों की रोकथाम के लिए चार्ट और पोस्टर तैयार करना ।

(ख) वैकल्पिक कार्य

स्कूल का रखरखाव, विद्यालय के फर्नीचर की मरम्मत, घर का रखरखाव, कपड़ों की देखभाल, साबुन एवं धुलाई पाउडर आदि बनाना, स्टेशनरी संबंधी चीजें तैयार करना, जिल्दसाजी, खड़िया, स्याही, झाड़न, टोकरी आदि बनाना, सहकारी कैन्टीन का प्रबन्ध, गत्ते का काम, खिलौने बनाना, कुर्सी की बेंत बुनना, लकड़ी का काम, फूल-पौधे, साग-सब्जियां वगैरह लगाना, फलों को डिब्बों या बोतलों आदि में भरना, घरेलू सामान की मरम्मत, सिलाई करना, प्लास्टर आफ पेरिस से मूर्तियां बनाना ।

हाई स्कूल (कक्षा ९-१०) स्तर पर कार्यानुभव

उद्देश्य :

(1) छात्रों को निश्चित पूर्वव्यावसायिक प्रशिक्षण देना ।

(2) छात्रों में उत्पादन तथा सृजनात्मक दक्षता को विकसित करना ।

(3) समुदाय में पर्यावरण-संरक्षण, स्वास्थ्य और सफाई संबंधी भावना का विकास करना ।

(4) छात्रों में काम के प्रति निष्ठा एवं वांछित मूल्यों का विकास करना ।

प्रस्तावित कार्य

(क) आवश्यक कार्य

उच्च प्राथमिक स्तर पर सुझाए गए आवश्यक कार्यों के अतिरिक्त कुछ और कार्य इस प्रकार हैं :

बस/रेलवे टाइमटेबल का प्रयोग कैसे करते हैं, यह समझाना, शिक्षण सामग्री तैयार करना, स्कूल में प्रदर्शनी लगाने में सहायता करना, पिकनिक, भ्रमण-यात्रा का आयोजन करने में मदद करना, प्राथमिक चिकित्सा, यातायात नियंत्रण, वृक्षारोपण, कीटाणु नियंत्रण, समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्थिति का अध्ययन, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम, शिशुसदन में बच्चों की देखभाल, अस्पतालों, मेलों, बाढ़, अकाल, दुर्घटना आदि में स्वैच्छिक सेवाकार्य ।

(ख) वैकल्पिक कार्य

फूल, पौधे, साग-सब्जी उगाना, कलम तैयार करना, बांधना, मुर्गीपालन, बेकरी और कन्फेक्शनरी की चीजें तैयार करना, साग-सब्जियों तथा फलों को डिब्बों या बोतलों में संरक्षित करना। ऊर्जा के नए स्रोतों से संबंधित परियोजनाएं बनाना, मधुमक्खीपालन, रेशम के कीड़ों का पालन, मश्रूम की खेती, मछलीपालन, स्टेशनरी की चीजें तैयार करना, रंगाई और बंधाई का काम, स्क्रीन प्रिंटिंग, कपड़े सीना, घर में बिजली की चीजों की मरम्मत करना, फोटोग्राफी, कागज बनाना, प्लास्टर ऑफ पेरिस से सजावट की वस्तुएं बनाना, दरी बुनना, कढ़ाई का काम करना, टाइपराइटिंग, स्टेनोग्राफी, नलसाजी, सहकारी भंडार चलाना, छात्र बैंक व बुक बैंक।

●

मॉड्यूल २४ एस

द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का शिक्षण

प्रस्तावना

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। इसके अनुसार हिन्दीभाषी राज्यों में प्रत्येक विद्यार्थी को हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा एक अन्य भाषा आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में सीखनी होगी और अहिन्दीभाषी विद्यार्थियों के लिए अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का सीखना अनिवार्य होगा। इस समय लगभग सभी अहिन्दीभाषी राज्यों के विद्यालयों में हिन्दी-शिक्षण की व्यवस्था है। आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी के सीखने में जो समय और शक्ति लगाई जा रही है उसका अधिक से अधिक सार्थक उपयोग हो। क्योंकि हिन्दी सीखने का संबंध बच्चों के अंदर राष्ट्रीय चेतना के विकास से भी है, इसलिए इस भाषा के अच्छे शिक्षण द्वारा बच्चों में भारतीय नागरिकता के संस्कार डालने में भी सहायता मिलेगी। इस दृष्टि से हिन्दी के शिक्षण को विद्यालय के पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देने की आवश्यकता है।

वर्तमान स्थिति

आजकल सभी अहिन्दीभाषी राज्यों में द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी की शिक्षा मुख्यतया पाठ्यपुस्तक के पढ़ाने तक ही सीमित है। बच्चे प्रायः हिन्दी का पढ़ना और लिखना तो सीख लेते हैं, किन्तु उनकी मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता अधिकतर अविकसित रहती है। उनकी लिखित भाषा में भी प्रायः दोष रह जाते हैं। क्योंकि परीक्षा में हिन्दी को प्रायः उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि अन्य विषयों को, इसलिए भी हिन्दी का शिक्षण किसी हद तक उपेक्षित रहता है। अच्छी पुस्तकों के अभाव के कारण भी विद्यार्थियों की रुचि हिन्दी के अध्ययन की ओर वांछित सीमा तक नहीं बढ़ पा रही है।

शिक्षण में क्रमिकता

क्योंकि द्वितीय भाषा का शिक्षण मुख्यतया कुशलताओं के अर्जन पर आधारित है, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक कक्षा के अध्यापकों के सम्मुख भाषा की विभिन्न कुशलताओं की सम्प्राप्ति के बारे में स्पष्ट धारणा रहे। इसके लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा तैयार किए गए "द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी के पाठ्यक्रम" का अवलोकन उपयोगी रहेगा। यह पाठ्यक्रम मुख्यतः हिन्दी की प्रमुख वाक्य-संरचनाओं के क्रमनिर्धारण पर आधारित है। प्रत्येक कक्षा में कौन-कौन-सी वाक्य-संरचनाओं को सफलतापूर्वक सिखाया जा सकता है, वहाँ यह निश्चय किया गया है। साथ-साथ सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की भाषिक योग्यताओं में अपेक्षित स्तरों का भी संकेत है।

प्रारंभ में बहुत सरल वाक्य-संरचनाओं को लेते हुए धीरे-धीरे बच्चों को जटिल वाक्य-संरचनाओं की ओर ले जाना उपयोगी होगा। साथ ही शिक्षण-सामग्री में ऐसी रोचकता भी होनी चाहिए कि बच्चे स्वतः हिन्दी सीखने की ओर प्रवृत्त हों।

हिन्दी के सार्थक शिक्षण के लिए कुछ संकेत

(क) वातावरण

1. सबसे पहले आवश्यक है कि विद्यालय में हिन्दी के लिए उचित वातावरण बनाया जाए। बच्चों को लगे कि वे एक ऐसी जीवन्त भाषा सीख रहे हैं जिसके माध्यम से उनका संपर्क पूरे देश से हो सकता है। हिन्दी बच्चों के लिए सर्वथा अपरिचित भाषा नहीं है। उनकी अपनी मातृभाषा और हिन्दी में बहुत से शब्द समान हैं। रेडियो, फिल्म और टेलीविजन के माध्यम से इन बच्चों का कुछ न कुछ संपर्क हिन्दी से हो चुका होता है। इस पृष्ठभूमि का लाभ उठाते हुए हिन्दी के शिक्षण को अधिक रोचक और सार्थक बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
2. हिन्दी को केवल पढ़ाई और परीक्षा का एक विषय नहीं बना रहने देना चाहिए। हिन्दी के लिए विद्यालय में सक्रिय वातावरण होना आवश्यक है। हिन्दी जानने वाले अध्यापक कभी-कभी आपस में हिन्दी में बोलें। जो विद्यार्थी हिन्दी सीख गए हैं उन्हें कुछ समय हिन्दी में बात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विद्यालय की दीवारों पर कुछ आदर्श-वाक्य हिन्दी में हों और दीवार-पत्रिकाओं में भी कुछ बच्चों द्वारा हिन्दी में लिखे गए लेखों का समावेश हो। विद्यालय के पुस्तकालय में हिन्दी के अखबार और पत्रिकाएं भी आनी चाहिए। कभी-कभी किसी वक्ता को हिन्दी में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाए। इन सबसे विद्यालय में हिन्दी के लिए सक्रिय वातावरण बनाने में सहायता मिलेगी।

(ख) सुनना और बोलना

1. हिन्दी का शिक्षण मौखिक रूप से प्रारंभ करना अधिक उपयोगी होगा। इससे भाषा का रोजमर्रा का प्रचलित रूप बच्चों तक पहुँचेगा और हिन्दी में सुनने और बोलने के अनुभवों के द्वारा उनमें हिन्दी के संस्कार अधिक गहरे हो सकेंगे। प्रारंभ के कुछ दिनों में हिन्दी की पूरी शिक्षा मौखिक ही होनी चाहिए। पढ़ने और लिखने का अभ्यास एक महीने के बाद प्रारंभ कराना ठीक होगा।
2. भाषा का मूल रूप मौखिक ही है। यद्यपि आजकल पुस्तकों, अखबारों और पत्रिकाओं के माध्यम से भाषा का छपा हुआ रूप पहले से अधिक सामने आने लगा है, किन्तु भाषा के मौखिक रूप का महत्व भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गया हैं। जनतंत्र के इस युग में जहाँ समस्याओं पर सामूहिक विचार करना होता है, ऐसा होगा आवश्यक भी है। अध्यापकों का प्रयास होना चाहिए कि छात्र मातृभाषा के अतिरिक्त हिन्दी में भी मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता हासिल करें।
3. प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण पर बल देना आवश्यक है। एक बार पड़ गए गलत उच्चारण के संस्कार बाद में बड़ी मुश्किल से दूर किए जा सकते हैं। उन ध्वनियों पर बल देना विशेष आवश्यक है जो मातृभाषा की ध्वनियों से भिन्न हैं। शुद्ध उच्चारण की शिक्षा के लिए कैसेट रिकार्डर और रेडियो का उपयोग किया जाना अच्छा रहेगा।
4. विद्यालय के बाहर से भी कुछ व्यक्तियों को बुलाकर छात्रों के समक्ष हिन्दी में भाषण करवाना या कहानियां सुनवाना उपयोगी होगा। छात्रों को उनसे प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
5. हिन्दी की कक्षा में यथासंभव हिन्दी का ही प्रयोग करना वांछनीय है। प्रारंभ में बच्चों की मातृभाषा का कुछ सहारा अवश्य लेना होगा। पर धीरे-धीरे बच्चों द्वारा सीखी गई शब्दावली का प्रयोग करते हुए अध्यापक को कक्षा में अधिकाधिक हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए। प्रारंभ से ही बच्चों को भी स्कूल में और कक्षा में यथासंभव हिन्दी में ही बोलने के लिए कहना चाहिए।

6. समय-समय पर हिन्दी में कविता-पाठ, कहानी कहने, सुनाने, परिचर्चा, वाद-विवाद व भाषण आदि का आयोजन करने से भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति को बल देने में सहायता मिलेगी ।

7. हिन्दी की कक्षा में विद्यार्थियों को अधिक से अधिक बातचीत करने के अवसर प्रदान करने चाहिए । ये संवाद प्रश्नोत्तरों के रूप में कक्षा, घर तथा सामाजिक परिवेश की किन्हीं परिस्थितियों को आधार बनाकर करवाए जा सकते हैं । हिन्दी में बातचीत कर रहे विद्यार्थियों की झिझक और भाषा की कमियों को अध्यापक सहानुभूतिपूर्वक दूर करें ।

(ग) पढ़ना

1. जब बच्चे हिन्दी के कुछ सरल वाक्य बनाकर समझनें और बोलने लगें तब पढ़ने का प्रयास कराना वांछनीय होगा । प्रारंभ में कुछ बहुप्रयुक्त लिपि-चिह्न और उनके योग से बनने वाले ऐसे शब्दों को पढ़ने के लिए देना चाहिए जिनका चित्र आसानी से बन सके और जो, यदि संभव हो तो, बच्चे की मातृभाषा और हिन्दी के समान शब्द हों । इससे बच्चों की पढ़ने की क्षमता जल्दी बढ़ेगी । कुछ समय बाद वाक्यों और उनके योग से बनने वाले सरल अनुच्छेदों को छोटे-छोटे पाठों के रूप में पढ़ने के लिए दिया जा सकता है ।

2. प्रारंभ से ही मुखर वाचन पर बल दिया जाना चाहिए । इससे जहाँ एक ओर बच्चों का उच्चारण शुद्ध होगा वहीं दूसरी ओर बोलने में उनकी झिझक दूर होगी । पढ़ने में गति बढ़ने के साथ वे स्वत: मौन वाचन करने लगेंगे ।

3. पढ़ी हुई बात पर कक्षा में चर्चा होनी चाहिए । केवल कुछ प्रश्न और उनके उत्तरों से अध्यापक को संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए । छात्रों को पाठ की वस्तु के विषय में अपनी बात अपने ढँग से कहने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए ।

4. द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी की पाठ्यपुस्तकें बनाते समय शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से विषय-वस्तु के चयन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । शुरू में पाठ्यपुस्तकों के पाठ विद्यार्थियों के रोजमर्रा के जीवन की आवश्यकताओं और परिस्थितियों को आधार बनाकर अधिकांशत: संवाद रूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए । पाठों की शब्दावली और व्याकरणिक इकाइयां अनुस्तरित होनी चाहिए ।

5. हिन्दी शिक्षण के लिए निर्धारित आरंभिक पुस्तकें जितनी सुन्दर और चित्रमय होंगी, विद्यार्थी उतनी ही सहजता तथा रोचकता से हिन्दी भाषा का अधिग्रहण करेंगे ।

6. पाठ्यपुस्तक की अभ्यास-मालाओं में अत्यधिक व्याकरण शिक्षण से बचना चाहिए । इन अभ्यास-मालाओं के अभ्यास ऐसे होने चाहिए जिनकी सहायता से विद्यार्थियों में संप्रेषण की क्षमता पैदा हो सके ।

7. पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अन्य पठन-सामग्री भी अधिकाधिक मात्रा में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दी जानी चाहिए । अखबारों और पत्रिकाओं, विशेषकर बाल पत्रिकाओं का प्रयोग इसके लिए उपयोगी होगा ।

8. बच्चे जहाँ कहीं से कुछ भी पढ़ें उस पर बोलने और चर्चा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

(घ) लिखना

1. लिखने का प्रारंभ पढ़ना सीखने के कुछ समय बाद करना चाहिए । वास्तव में लिखने की योग्यता का विकास सबसे कम सीमा तक होता है, इसलिए प्रारंभ में लिखने पर बल देना आवश्यक नहीं है ।

2. जीवंत भाषाओं का सबसे अधिक प्रयोग हम लोग सुनने में, फिर बोलने में, उसके बाद पढ़ने में और सबसे कम लिखने में करते हैं । विद्यालय के पाठ्यक्रम में भी इन योग्यताओं को इसी क्रमानुपात से महत्व देना उपयोगी होगा ।

3. आजकल अन्य विषयों की तरह भाषा में भी सारी परीक्षाएं लिखित होती हैं जिससे भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति का पक्ष पूरी तरह उपेक्षित रह जाता है । इस बात की बहुत आवश्यकता है कि न केवल शिक्षा में अपितु परीक्षा में भी भाषा के मौखिक पक्ष को महत्वपूर्ण स्थान मिले । अच्छा हो, यदि भाषा की प्रत्येक परीक्षा में कम-से-कम 50 प्रतिशत अंक मौखिक परीक्षा के लिए निर्धारित हों ।

4. बच्चों को एक दूसरे के लिखित कार्य को पढ़ने का अवसर देना चाहिए । इससे वे एक दूसरे की गलतियां सुधार सकेंगे और उनका अपना भाषाज्ञान भी बढ़ेगा ।

5. बच्चों के लिखित कार्य का प्रदर्शन दीवार-पत्रिका पर करने से उनमें प्रतिस्पर्धा और प्रगति की भावना बढ़ेगी ।

6. द्वितीय भाषा सीखते समय शिक्षार्थी प्रायः उच्चारण तथा लेखन में अशुद्धियां करते हैं । भाषा सीखने की यह स्वाभाविक प्रक्रिया है । इन अशुद्धियों के अध्ययन से पता चलता है कि शिक्षार्थी अन्य भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा के प्रभाव से अथवा अन्य मनोवैज्ञानिक कारणों से विशिष्ट प्रकार की त्रुटियां को दूर करने के लिए अध्यापकों को इस योग्य होना चाहिए कि कक्षा में उपचारात्मक-शिक्षण के लिए वे स्वतः शिक्षण सामग्री का निर्माण कर सकें ।

(ङ) सहपाठ्यक्रमी क्रियाएं

1. हिन्दी के शिक्षण में सहपाठ्यक्रमी क्रियाओं का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए । प्रश्नोत्तर, वार्तालाप, परिचर्चा, कहानी कहना, कविता सुनाना, भाषण देना आदि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें अपनी अवस्था और योग्यता के अनुसार सभी बच्चे भाग ले सकते हैं । स्क्रेप-बुक का प्रयोग भी हिन्दी के शिक्षण के लिए हो सकता है । दीवार-पत्रिकाओं का संयोजन हिन्दी में बच्चों की रुचि बढ़ाने में सहायक होगा ।

2. रेडियो, टेलीविजन, कैसेट रिकार्डर का प्रयोग प्राप्त सुविधाओं के अनुसार अधिक से अधिक किया जाना चाहिए । इससे बच्चों में मौखिक भाषा के संस्कार बढ़ेंगे और हिन्दी के माध्यम से विविध विषयों को जानने में उनकी रुचि भी बढ़ेगी ।

3. हिन्दी में ऐसे खेलों का भी आयोजन किया जा सकता है जिनसे भाषा के सीखने में बच्चों की रुचि जगे और उनकी योग्यता का विस्तार हो ।

हिन्दी का शिक्षण और मुख्य पाठ्यक्रम

जैसा कि ऊपर कहा गया है द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का शिक्षण केवल भाषिक कुशलताओं के लिए ही नहीं अपितु छात्रों में राष्ट्रीयता उत्पन्न करने और उन्हें शेष भारत से भावनात्मक और वैचारिक स्तर -

जोड़ने के लिए भी है। इस दृष्टि से अन्य विषयों की तरह हिन्दी के शिक्षण में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार निर्धारित कॉमन कोर के मूल्यों को स्थान देना आवश्यक होगा। ये मूल्य निम्नलिखित हैं :—

1. हमारी समान सांस्कृतिक धरोहर
2. लोकतंत्र
3. धर्मनिरपेक्षता
4. स्त्री-पुरुषों के बीच समानता
5. पर्यावरण की संरचना
6. सामाजिक समता
7. सीमित परिवार का महत्व
8. वैज्ञानिक तरीकों पर अमल

द्वितीय भाषा के रूप में शिक्षण के लिए जो भी सामग्री तैयार की जाए उसमें यथासंभव इन मूल्यों को स्थान दिया जाना चाहिए। इनमें से हिन्दी जिस मूल्य की सबसे प्रभावी वाहिका हो सकती है वह है—हमारी समान सांस्कृतिक धरोहर। मातृभाषा की शिक्षा के द्वारा बच्चों का संबंध अपने परिवार, समाज और राज्य से जुड़ता है किन्तु हिन्दी सीखते समय उनकी दृष्टि अधिक व्यापक और राष्ट्रीय स्तर की होने लगती है। इसलिए जहाँ हिन्दी की भाषिक कुशलताओं को बच्चों की देना आवश्यक है, वहाँ यह भी जरूरी है कि वे हिन्दी शिक्षण द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों के जीवन और वहाँ की सांस्कृतिक परम्परा, भारत की संस्कृति के विविध पक्ष, भारत की आजादी और सुरक्षा के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों द्वारा किए गए योगदान का महत्व, देश की प्राकृतिक सम्पदा में उनकी बराबर भागीदारी और देश की उन्नति के लिए सबका समान दायित्व आदि विषयों पर उनका ध्यान केन्द्रित करें। कुछ ऐसे विषय, जिन्हें पाठ्यपुस्तकों और मौखिक शिक्षण में स्थान दिया जाना चाहिए, निम्नलिखित होंगे :—

(क) भारत के विभिन्न भागों के लोगों का जीवन।
(ख) देश के विभिन्न भागों के महापुरुषों की जीवनियां।
(ग) विभिन्न धर्मों की मुख्य बातों का ज्ञान।
(घ) भारत के सामाजिक जीवन की सामान्य समस्याएं।
(ङ) देश का प्राकृतिक वैभव और सम्पदा।
(च) विभिन्न भारतीय भाषाओं की कुछ प्रमुख साहित्यिक रचनाओं का परिचय।
(छ) राष्ट्रीय जीवन में हिन्दी का महत्व।
(ज) हिन्दी की व्यावहारिक और व्यावसायिक उपयोगिता।

स्पष्ट है कि इन मूल्यों के संस्कार केवल पाठ्यपुस्तकों के पढ़ने से नहीं पड़ सकते। इसके लिए आवश्यक होगा कि इन मूल्यों को आधार बनाकर कक्षा में समय-समय पर वार्ताएं और संवाद आयोजित किए जाएं और बच्चों को परिचर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इन विषयों पर हिन्दी में प्रकाशित सामग्री का चयन और उस पर टिप्पणी करने से भी बच्चों की इन क्षेत्रों में रुचि और योग्यता बढ़ेगी।

मूल्यांकन

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद अध्यापकों से निम्नलिखित प्रश्न किए जा सकते हैं :—

1. उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर हिन्दी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या होंगे ?
2. विभिन्न भाषिक योग्यताओं में अपेक्षित महत्व का निर्धारण आप किस प्रकार करेंगे ?

3. बच्चों को शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए आप क्या उपाय काम में लाएंगे ?
4. हिन्दी की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में आप किस-किस प्रकार के विषयों का समावेश करेंगे ?
5. द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी के शिक्षण के लिए कौन-कौन-सी सहपाठ्यक्रमी क्रियाएँ उपयोगी हो सकती हैं ?
6. बच्चों द्वारा हिन्दी के सीखे जाने को किस प्रकार अधिक सार्थक, रोचक और उपयोगी बनाया जा सकता है ?

●

मॉड्यूल २५ एस

माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन

एक दृष्टिपात

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र को भारत के अतीत के अध्ययन की दिशा में प्रेरित करना चाहिए जिसमें देश के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक विकास के मुख्य पक्षों से अवगत कराया जाता है। उसे भारत के विविध भागों में व्याप्त विभिन्न जीवनपद्धति, भाषा व खानपान के बीच फर्क तथा एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र पर और भारत व विश्व के बीच परस्पर निर्भरता से भी परिचित कराया जाना चाहिए। उसे नागरिक एवं राजनीतिक संस्थाओं, वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक दक्षताओं एवं नागरिक क्षमताओं का ज्ञान कराया जाना चाहिए ताकि वह सामाजिक व आर्थिक पुनर्रचना के कार्य में हिस्सा ले सके।

इस मॉड्यूल के अध्ययन के बाद आप :

–समकालीन विश्व की समस्याओं एवं महत्वपूर्ण विशेषताओं को जान सकेंगे।

–छात्रों की सामाजिक ज्ञान में रुचि बढ़ाने से संबंधित योजना बना सकेंगे।

–सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में समाचारपत्रों, नक्शों, चार्टों व चित्रों का उपयोग कर सकेंगे।

–सामाजिक ज्ञान के अध्ययन में रुचि लेने के लिए छात्रों को तैयार कर सकेंगे।

–छात्रों में प्रसंगानुकूल दक्षता के विकास की आवश्यकता को समझ सकेंगे।

–सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के लिए उचित प्रक्रिया का विकास कर सकेंगे।

माध्यमिक स्तर पर छात्र की मानव सभ्यता के विकास के विविध चरणों और ऐतिहासिक शक्तियों एवं तत्वों जिन्होंने आधुनिक सभ्यता को प्रभावित किया है, परिचित कराना चाहिए।

छात्रों में भारत की परम्परा व विरासत समकालीन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति समझ की ओर बढ़ाना चाहिए। मानव व पर्यावरण के परस्पर संबंधों के बारे में विश्वव्यापी समझ विकसित करनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों जैसे : भारतीय समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा वर्तमान भारत के समक्ष सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक चुनौतियों की छात्रों में समझ पैदा करनी चाहिए। इस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से समकालीन विश्व की समस्या का परिचय व विश्वशांति, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, उपनिवेशवाद की समाप्ति व मानव अधिकारों की रक्षा में भारत का योगदान बताना चाहिए।

सामाजिक विज्ञान के व्यापक क्षेत्र को देखते हुए उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर 4 महत्वपूर्ण विषय इस मॉड्यूल में प्रस्तुत किए गए हैं, वे हैं :

(1) समकालीन विश्व को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना

(2) नक्शों से संबंधित दक्षता बढ़ाना

(3) समाचारपत्रों का उपयोग करना

(4) प्रोजेक्ट बनाना तथा अर्थशास्त्र के अध्ययन में समाचारपत्रों का प्रयोग करना

(१) समकालीन विश्व ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है : भारत तथा विश्व में समकालीन विकास व समस्याओं को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बताना । द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद का युग मानव इतिहास में नवीन अध्याय आरंभ करता है । इस युग की कुछ विशेषताएं हैं : उपनिवेशवाद की पूर्ण समाप्ति, एशिया व अफ्रीका के देशों का स्वतंत्र राज्यों के रूप में उदय, इन देशों की विश्व में विशेष भूमिका, पुराने साम्राज्यवादी देशों की शक्ति व प्रभाव में कमी, मानव अधिकारों की रक्षा के प्रति बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय चिंता, विश्व अर्थव्यवस्था के न्यायोचित विकास की माँग तथा प्रत्येक देश में न्यायोचित सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, भारी विनाशकारी शस्त्रों का विकास तथा उनसे मानव जीवन व सभ्यता के अस्तित्व को खतरा, और इस खतरे के प्रति बढ़ती चेतना व शांति तथा निरस्त्रीकरण के लिए आन्दोलन आदि ।

इस मॉड्यूल में उपर्युक्त तत्वों में से एक तत्व यथा "एशिया व अफ्रीका का उदय व उसके बारे में ज्ञान व उसका महत्व" पर जोर दिया गया है । एशिया व अफ्रीका के देशों ने अपने साम्राज्यवादी शासकों के विरुद्ध लम्बे व कड़े संघर्ष के बाद आजादी हासिल की है । ये देश आज के विश्व में एक महत्वपूर्ण तत्व बन गए हैं तथा राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन की समझ, उनकी सफलता का प्रभाव व विश्व में उनकी भूमिका की समझकर ही समकालीन विश्व को समझा जा सकता हैं ।

उद्देश्य

इसका उद्देश्य ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समकालीन विश्व की महत्वपूर्ण विशेषताओं की जानकारी विकसित करना है । यहाँ जिस अध्ययन पद्धति का सुझाव दिया गया है उसमें उन गतिविधियों व योजनाओं के बारे में बताया गया है जिसे अध्यापक कक्षा में अध्यापन के दौरान प्रस्तुत कर सकता है । अध्यापक अन्य तरीके भी खोज सकता है जिससे अध्यापन प्रक्रिया में छात्र के सक्रिय सहयोग के बारे में गतिविधि व योजना बनाई जा सके ।

गतिविधियां

(1) विश्व के राजनीतिक नक्शे का तुलनात्मक अध्ययन करते समय 1914, 1945, 1960, 1978 व 1986 के वर्षों को ध्यान में रखिये । अध्यापक इस अध्ययन से प्रमुख निष्कर्ष निकाले व उन पर विचार-विमर्श करे । 1914 से 1986 के बीच विश्व में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, यह बताते समय उन मुख्य चरणों का वर्णन करें जिनके दौरान परिवर्तन हुए हैं । देखें, क्या अभी भी साम्राज्यवाद के अवशेष कहीं बाकी हैं ? हैं, तो वे क्या हैं ? क्या इनके बारे में समाचारपत्रों में कोई रिपोर्ट है । यदि है, तो ये रिपोर्टें क्या दर्शाती हैं ?

(2) 1986 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की सूची बनाइए । इस सूची की तुलना उस सूची से कीजिए जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था । संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन में पिछले चार दशकों में जो परिवर्तन हुआ हैं वह विश्व के राजनीतिक विकास को दर्शाता है । इसकी तुलना इतिहास के अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन यथा "लीग आफ नेशन्स" से, जिसका निर्माण प्रथम महायुद्ध के बाद हुआ था, कीजिए । क्या दोनों अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के गठन में कोई महत्वपूर्ण अन्तर है ?

(3) विश्व के कुछ चुनिंदा देशों के—जैसे इण्डोनेशिया, वियतनाम, अल्जीरिया और अंगोला के आजादी के आन्दोलन के अध्ययन के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक योजना बनाइए । अध्ययन में निम्नलिखित पहलुओं का ध्यान रखें :—

1—वे कब, कैसे और किसके द्वारा जीते गए ?

2—उनकी आजादी के आन्दोलन के महत्वपूर्ण चरण क्या थे ?

3—नेतागण व संगठन जिन्होंने आन्दोलन का नेतृत्व किया ।

4—जनता द्वारा आन्दोलन का तरीका व शासकों द्वारा अपनाई गई नीतियां, तथा

5—इस संघर्ष के दौरान दूसरे देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका ।

(4) एशिया व अफ्रीका के देशों की भूमिका के कुछ पहलुओं पर सामूहिक अध्ययन की योजना बनाई जा सकती है । इसमें हम ये विषय ले सकते हैं :—

1—विश्व समस्याओं के प्रति अपनाई गई समान नीतियों में आपसी तालमेल का प्रयास । उदाहरण के लिए बाण्डुंग सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन, अफ्रीकी एकता संगठन, समूह–77 (ग्रुप आफ 77) इत्यादि ।

2—गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के मूल तत्व, उसका गठन, शांति व निरस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद में रंगभेद तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों से सम्बद्ध समस्याएं और भारत की भूमिका ।

मूल्यांकन

1—द्वितीय महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति के विकास के क्या प्रेरक तत्व रहे हैं ? उन्नीसवीं शताब्दी की तुलना में वर्तमान विश्व राजनीतिक विकास में क्या अन्तर हैं ? एशिया व अफ्रीका के देशों की विदेश नीति की प्रमुख समस्याएं क्या हैं ? क्या वे उन्नीसवीं शताब्दी के यूरोप के देशों से भिन्न हैं ? यदि हाँ, तो कारण बताएं ।

2—समकालीन विश्व इतिहास या भारत के इतिहास से कोई अन्य विषय चुनिए तथा बताइए कि आप अपने छात्रों की सक्रिय भागीदारी व अध्यापन जानकारी-प्रक्रिया के लिए क्या गतिविधियां व योजनाएं बनाएंगे ।

(२) नक्शों के बारे में जानकारी में वृद्धि

भूगोल के अध्यापन के माध्यम से ऐसी दक्षता व ज्ञान प्रदान किया जाए जो छात्रों को समकालीन विश्व की समस्याओं को समझाने व व्याख्या करने में सहायक हो । अपने विस्तृत क्षेत्र के कारण भूगोल की पढ़ाई एक विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है । इस प्रकार यह छात्र की मानसिक क्षितिज में वृद्धि करता है तथा जीवन की यथार्थ स्थितियों में अच्छे ढंग से सोचने व कार्य करने में सहायता करता है ।

भूगोल की अध्यापन-जानकारी की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापक में उपयोगी व व्यावहारिक अनुभव को साकार करने की योग्यता होनी चाहिए । भूगोल में दक्षता के विकास का भारी महत्व है । इससे छात्र चित्रों, नक्शों तथा ग्राफों को देखकर तथ्यों व वर्णन की क्षमता विकसित करता है । चित्रों, नक्शों व ग्राफों की सहायता से विभिन्न प्राकृतिक वातावरण, उनके आपसी संबंध को समझा जा सकता है, उसकी व्याख्या की जा सकती है । इसकी उपयोगिता के बावजूद अधिकांश स्कूलों में इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया । अतः यह आवश्यक है कि कक्षा में भूगोल पढ़ाते समय अध्यापक इस बात पर ध्यान दें । इस उद्देश्य के लिए एटलस, बड़े नक्शे व पाठ्यपुस्तकों के अलावा अखबारों व पत्रिकाओं का उपयोग किया जाना चाहिए । इस मॉड्यूल में दो ऐसे तरीकों के उदाहरण प्रस्तुत हैं जिनके द्वारा छात्रों को देखने से वर्णन करने तथा वर्णन करने से नक्शे के निर्माण में सहायता मिल सकती है । यह कार्य बहुत आसानी से उपलब्ध सामग्री जैसे समाचारपत्रों व पत्रिकाओं की सहायता से किया जा सकता है ।

उद्देश्य

इस भाग की समाप्ति के बाद आप :

—कक्षा में पढ़ाई के समय नक्शों, चित्रों व ग्राफों का प्रभावशाली ढंग से उपयोग कर सकेंगे।

—तथ्यों व वर्णन से प्राप्त सूचना के आधार पर नक्शे व नक्शों के आधार पर तथ्य व वर्णन प्रस्तुत कर सकेंगे।

आज स्कूलों में ऐसा नहीं होता, अत: आधारभूत दक्षता प्राप्त करने की जरुरत पर बल दिया जाना चाहिए।

क्रियाकलाप—१ (नक्शा)

पृष्ठ 43 के नक्शे का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें :—

—इस नक्शे का विषय क्या है ?

—भारत के किस भाग से भारत की टोली अभियान पर निकली थी ?

—इसका लक्ष्य-स्थान कौन-सा था ?

—उस समुद्र का नाम बताइए जिसकी यात्रा भारतीय अन्टार्टिक टोली ने की थी ?

—अन्टार्टिका में भारतीय स्टेशन का क्या नाम है ?

—अन्टार्टिका पहुँचने के लिए भारतीय टीम ने कौन-सा मार्ग चुना था ?

—भारतीय टीम को कितने किलोमीटर की दूरी पार करनी पड़ी थी ?

—अक्षांश में इस दूरी को मापिए।

—किस माह में भारतीय टीम रवाना हुई थी और कब अन्टार्टिका पहुँची थी ?

—यह जानते हुए भी कि अन्टार्टिका अत्यधिक ठंडा प्रदेश है, भारतीय टीम सर्दियों में क्यों रवाना हुई ?

क्रियाकलाप—२

समाचार

आज तृष्णा की ५५,००० किलोमीटर यात्रा की समाप्ति

बम्बई, 9 जनवरी (पी.टी.आई.) तृष्णा—एक गहन इच्छा की प्राप्ति व पूर्णता, भारतीय सेना इंजीनियरी-सेपर्स की यह इच्छा थी एक छोटे से जहाज में सारे विश्व की यात्रा की जाए। यह इच्छा कल पूरी होगी जब तृष्णा का वापसी पर शानदार स्वागत होगा।

28 सितम्बर, 1987 में मेजर के. एस. राव (अब लेफ्टिनेंट-कर्नल के. एस. राव) द्वारा निर्मित तृष्णा जहाज को तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष स्वर्गीय ए. एस. वैद्य ने विदाई दी और इस प्रकार 30,000 समुद्री मील (55,000 किलोमीटर) की महान यात्रा आरंभ हुई। टोली में विकलांग मेजर ए. के. सिंह भी शामिल थे। इस टोली ने तीन बार भूमध्य-रेखा पार की। वे बम्बई से माले, मारिशस एवं आशा अंतरीप (केप आफ गुड होप) होते हुए सेंट हेलेना द्वीप पहुँचे। भूमध्यरेखा दुबारा पार करते समय वे ब्राजील के बन्दरगाह बेलेम भी गए जो रिओ पारा से 70 समुद्री मील दूर है।

समय से पूर्व ही ये जहाज यात्री कैरिबियन समुद्र से होते हुए पनामा नहर पार कर दक्षिण अटलांटिक समुद्र और उसके बाद गुलोपोगेस द्वीपसमूह में पहुँचे जहाँ चार्ल्स डार्विन ने प्राणी जीवन के विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।

दक्षिण की ओर भूमध्यरेखा पार कर पनामा नहर में जहाज की सर्विस करने के बाद वे पोलिनेशियन द्वीपसमूह पहुँचे। रास्ते में ह्वेल मछली और आँधी-तूफान का मुकाबला करना पड़ा। पिछले वर्ष दीवाली के अवसर पर बाली में तृष्णा के यात्रियों का वहाँ के भारतवासियों ने भावभीना स्वागत किया।

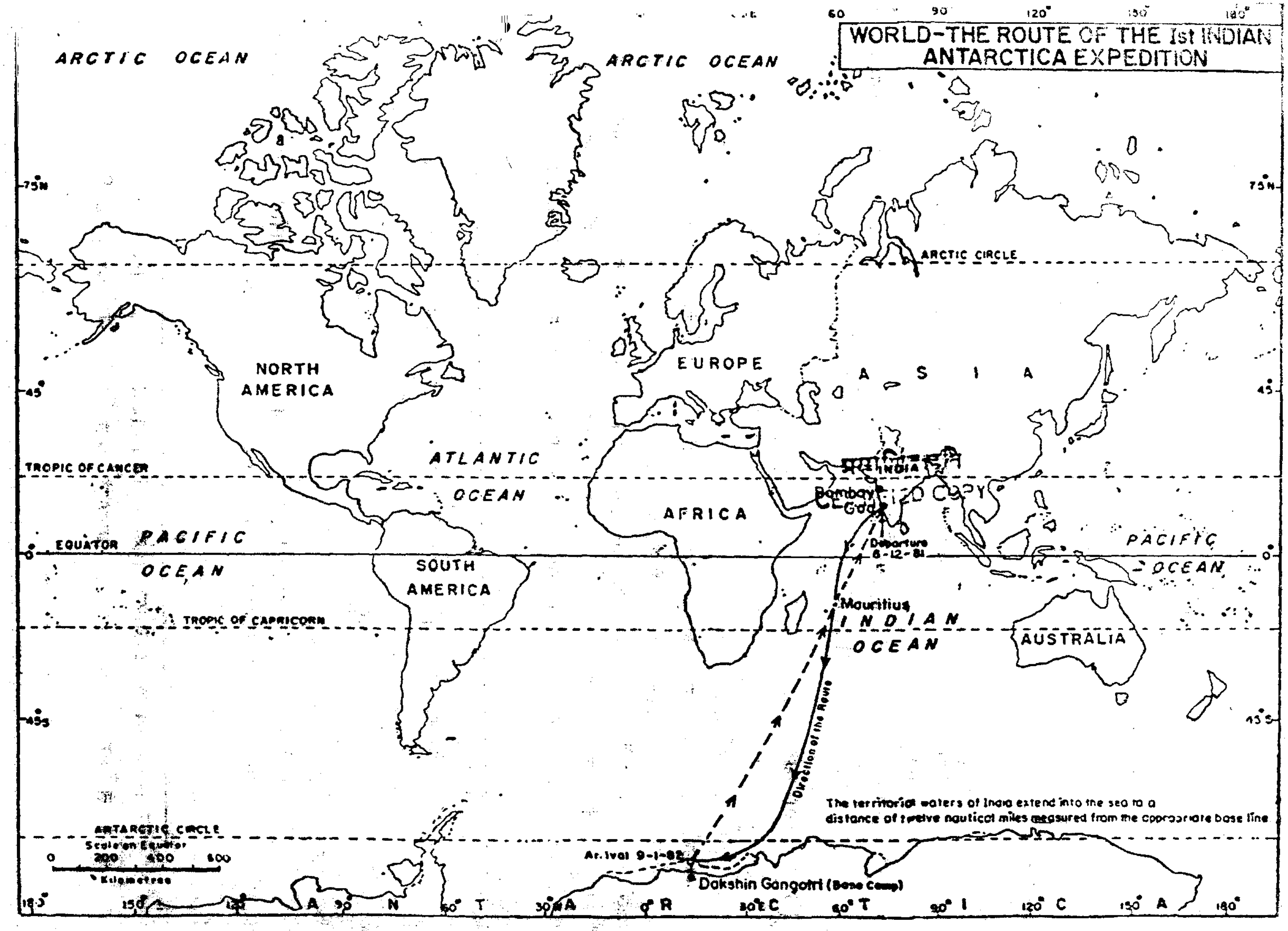
WORLD–THE ROUTE OF THE 1st INDIAN ANTARCTICA EXPEDITION
ARCTIC OCEAN
ARCTIC OCEAN
ARCTIC CIRCLE
NORTH AMERICA
EUROPE
A S I A
ATLANTIC OCEAN
TROPIC OF CANCER
INDIA
Bombay
Goa
AFRICA
EQUATOR
PACIFIC OCEAN
PACIFIC OCEAN
Departure 6-12-81
SOUTH AMERICA
Mauritius
INDIAN OCEAN
TROPIC OF CAPRICORN
AUSTRALIA
Direction of the Route
The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line
ANTARCTIC CIRCLE
Scale on Equator
0 200 400 600
Kilometres
Arrival 9-1-82
Dakshin Gangotri (Base Camp)
A N T A R C T I C A
75N
45
0
45S
60
90
120
150
180

चित्र 1

10 जनवरी, 1987 को एक स्थानीय समाचारपत्र में छपी उपर्युक्त खबर का अध्ययन कीजिए और आपस में निम्नलिखित पहलुओं पर विचार कीजिए :—

(अ) क्या इस खबर का कक्षा में उपयोग किया जा सकता है ?

(आ) इसके आधार पर छात्रों को क्या कार्य दिया जा सकता है ?

(ई) छात्रों में नक्शे संबंधी दक्षता बढ़ाने के लिए इस खबर का कैसे उपयोग किया जा सकता है ?

आपकी सुविधा के लिए सामने एक नक्शा पृष्ठ 45 पर दिया जा रहा है। आप बताएं कि तृष्णा की यात्रा के दौरान मुख्य स्थान कौन-से थे।

मूल्यांकन

(1) बच्चों में नक्शे के प्रयोग संबंधी किस प्रकार की दक्षता विकसित करनी चाहिए ? क्यों और कैसे ? बताएं।

(2) कोई भी नक्शा या लिखित सामग्री लीजिए जिसे भूगोल पढ़ाने से सम्बद्ध किया जा सकता है। नक्शे से लिखित सामग्री और लिखित सामग्री के आधार पर नक्शा तैयार करें।

(३) समाचारपत्रों का उपयोग

नागरिकशास्त्र की पढ़ाई का उद्देश्य ऐसे सुशिक्षित नागरिकों को तैयार करना है जो अपने समुदाय के मामलों में प्रभावी ढंग से हिस्सा ले सकें। ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि सामाजिक दृष्टि से आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो जिससे न केवल उन्हें नागरिक प्रक्रियाओं का ज्ञान हो, वरन् उनमें सामाजिक पूर्णता का विकास भी हो सके।

इस मॉड्यूल का उद्देश्य आप लोगों में यह चेतना पैदा करना है कि आप दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित खबरों, सम्पादकीय लेखों व कार्टूनों का उपयोग नागरिकशास्त्र की पढ़ाई में प्रभावपूर्ण ढंग से करें। नागरिकशास्त्र के विविध विषयों के अध्यापन से संबंधित कई तरीके हैं जो बहुत सरल और प्रभावशाली हैं। इस मॉड्यूल के अध्ययन व इसमें सुझाई गई गतिविधियों को पूरा करने के बाद आप कक्षा में अध्यापन के समय समाचारों का इस्तेमाल कर सकेंगे।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल के अध्ययन के बाद आप :

(1) नागरिकशास्त्र की पढ़ाई के लिए दैनिक समाचारपत्रों में सामग्री खोज सकेंगे, तथा

(2) सम्बद्ध सामग्री का नागरिकशास्त्र के विविध विषयों के अध्यापन में प्रभावशाली ढंग से उपयोग कर सकेंगे।

शिक्षण गतिविधियां

ऐसे कई तरीके व तकनीकें हैं (जैसे प्रश्न, विचारविमर्श, श्रवण व दृश्य यंत्रों का उपयोग व सामुदायिक साधनों का इस्तेमाल) जो नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम के प्रभावशाली अध्यापन के लिए जरूरी हैं।

क्रियाकलाप–१

नागरिकशास्त्र के अध्यापन में आप किन तकनीकों व तरीकों को सर्वाधिक प्रभावशाली मानते हैं ? क्यों ?	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

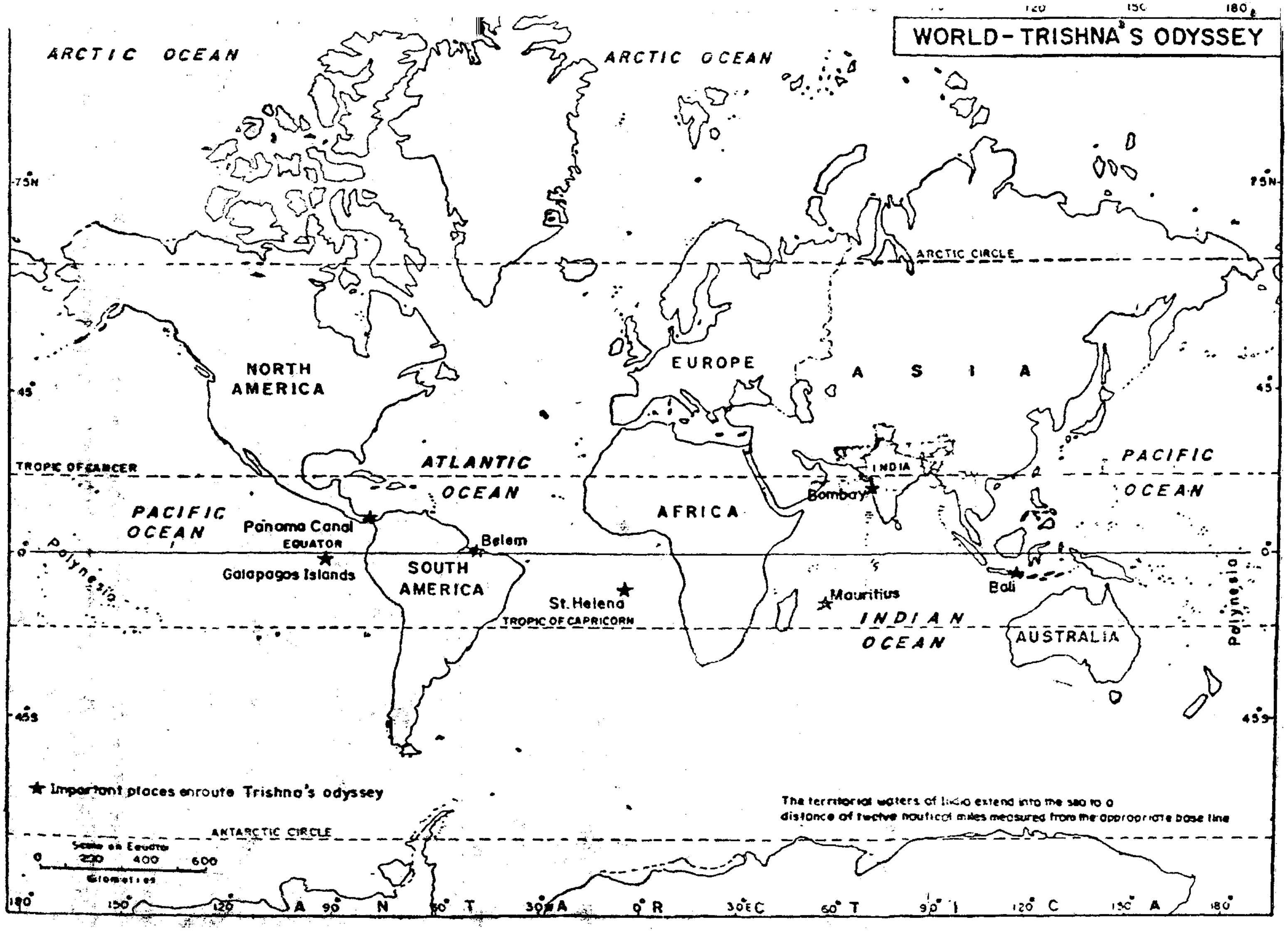
WORLD-TRISHNA'S ODYSSEY
ARCTIC OCEAN
ARCTIC OCEAN
ARCTIC CIRCLE
NORTH AMERICA
EUROPE
ASIA
TROPIC OF CANCER
ATLANTIC OCEAN
PACIFIC OCEAN
PACIFIC OCEAN
INDIA
Bombay
Panama Canal
EQUATOR
AFRICA
Belem
Galapagos Islands
SOUTH AMERICA
Polynesia
St. Helena
Mauritius
Bali
TROPIC OF CAPRICORN
INDIAN OCEAN
AUSTRALIA
Polynesia
★ Important places enroute Trishna's odyssey
ANTARCTIC CIRCLE
ANTARCTICA
The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line

चित्र 2

नागरिकशास्त्र पाठ्यक्रम में कई विषय ऐसे हैं जिन्हें दैनिक जीवन की घटनाओं से, जो हमारे आसपास घटित होती हैं, जोड़ा जा सकता है। ऐसी घटनाओं की अखबारों में कमी नहीं होती। नागरिकशास्त्र की पढ़ाई में क्यों न खबरों, सम्पादकीय लेखों व कार्टूनों का उपयोग किया जाए ?

उदाहरण के लिए निम्नलिखित खबर को लें :

"दो हरिजनों ने महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के पण्ढारपुर तालुका में स्थित सारकोली गाँव के भैरव मंदिर में प्रवेश किया। उन्होंने मंदिर के भीतरी भाग में नारियल भी तोड़ा। गाँव के सवर्ण हिन्दुओं ने इस बात को भारी अपराध माना। गाँव के सरपंच ने दोनों हरिजनों पर पाँच-पाँच सौ रुपये जुर्माना किया। मामला सरकारी अधिकारियों तक पहुँचा। सरपंच सहित 13 सवर्ण हिन्दुओं को गिरफ्तार किया गया। पण्ढारपुर के न्यायाधीश ने 5 व्यक्तियों को एक माह की कड़ी कैद व 100 रुपये जुर्माने की सजा दी।"

क्रियाकलाप–२

इस मुकदमे के संबंध में आप क्या प्रश्न उठाना चाहेंगे ? आप छात्रों में क्या समझ विकसित करना चाहेंगे ? नागरिकशास्त्र के अध्ययन में इस घटना का कैसे उपयोग करेंगे ?

इस मुकदमे के संदर्भ में नागरिकशास्त्र की कक्षा में जाति-व्यवस्था, जातिवाद व अस्पृश्यता से संबंधित प्रश्नों पर गंभीर विचार हो सकता है। विस्तृत विचारविमर्श के लिए संभवत: अध्यापक निम्नलिखित प्रश्न उठाना चाहें :—

क्या सरपंच को गाँव वालों पर जुर्माना करने का अधिकार है ?

हरिजनों को मंदिर में घुसने एवं पूजा करने से रोकने के कारण सरपंच एवं उसके सहयोगियों ने क्या अपराध किया ?

क्या आप सरपंच के कार्य से सहमत हैं ?

क्या हरिजनों को मंदिर में प्रवेश व पूजा का अधिकार नहीं है ?

मूल्यांकन

(1) नागरिकशास्त्र के अध्यापन के लिए आप कौन-से तरीके व तकनीक सहज एवं प्रभावशाली मानते हैं ? क्यों ? बताएं।

(2) कोई खबर लीजिए जिसे नागरिकशास्त्र के विषय के साथ जोड़ा जा सके। बताएं कि आप उस खबर का कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप क्या प्रश्न उठाना चाहेंगे ?

अर्थशास्त्र के अध्यापन की योजना व उसमें समाचारपत्रों का प्रयोग

आज भारत तीव्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार है। आर्थिक विकास से जनता के दृष्टिकोण व मूल्यों में परिवर्तन आता है। अत: अर्थशास्त्र पढ़ाने का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान प्रदान करना एवं उनके दृष्टिकोण को विकसित करना होना चाहिए जिससे वे आर्थिक समस्याओं को समझ सकें तथा हमारे समाज की आर्थिक पुनर्रचना में प्रभावशाली भागीदारी कर सकें।

अपने दैनिक जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी आर्थिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है। दैनिक समाचारपत्रों, रेडियो, टेलीविजन व कार्टूनों आदि में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित बहुत समाचार होते है। खबरों में अर्थव्यवस्था से संबंधित ढेर सारे आंकड़े होते हैं जो अर्थशास्त्र पढ़ाने के काम आ सकते हैं। अध्यापक छात्र को यथार्थ जीवन-स्थितियों के बारे में जानकारी दे सकता है। प्रस्तुत मॉड्यूल में मोटे तौर पर यही लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए नियत समय का कैसे प्रयोग करें

सामाजिक विज्ञान के 8 पीरियड (पढ़ाने की दृष्टि से 12 घंटे) होते हैं उनमें से 3-4 पीरियड इन मॉड्यूलों के अध्ययन में लगाए जा सकते हैं और बाकी समय इसमें उल्लिखित गतिविधियों को समझाने व कराने में। सामाजिक विज्ञान के विविध विषयों में भाग लेने वाले अध्यापकों को अपने विषय में से एक विषय लेने को तथा उसके बारे में एक संक्षिप्त योजना तैयार करने को कहें जिससे इन मॉड्यूलों के आधार पर छात्रों में ज्ञान, चेतना व दक्षता का विकास किया जा सके। हर प्रदर्शन के बाद विचारविमर्श होना चाहिए। इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र व अर्थशास्त्र में विभिन्न विषयों पर प्रदर्शन व विचारविमर्श इस बात पर निर्भर करेगा कि समय कितना है तथा उसमें भाग लेने वालों की संख्या कितनी है?

इस अभ्यास से अध्यापकों को अपनी दक्षता व क्षमताओं को व्यावहारिक रूप देने में मदद मिलेगी और यही इन मॉड्यूलों का उद्देश्य है।

●

मॉड्यूल २६ एस

माध्यमिक स्तर पर विज्ञान का अध्ययन

एक दृष्टिपात

इस मॉड्यूल का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति व अन्य सुझावों के अन्तर्गत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा के लक्ष्य को समझाना है ताकि स्वीकृत उद्देश्यों को प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। इसमें सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत विज्ञान के अध्यापन का उल्लेख है। स्वाभाविक है कि प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक अपने विषय भाग पर आपका ध्यान केन्द्रित करेंगे लेकिन उन्हें विज्ञान के बारे में पूर्ण विचार का ज्ञान होना जरूरी है।

भूमिका

(इस मॉड्यूल के प्रयोग से पूर्व यह विचार करें कि विज्ञान क्या है ? एक छात्र के लिए विज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है ?)

विज्ञान मानव प्रयास है। पिछले 150 वर्षों में इसने मानव समाज को बहुत प्रभावित किया है और अभी भी परिवर्तन जारी है। शोध द्वारा विज्ञान का तेजी से विकास हो रहा है और सभी शोध तकनीक का आधार बन रहे हैं। विज्ञान का प्रभाव इतना सर्वव्यापी है कि अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए विज्ञान से परिचय, वैज्ञानिक विचार एवं सम्बद्ध दक्षता अपरिहार्य है। विज्ञान आज वैज्ञानिक की बपौती नहीं। हमने देखा है कि सभी व्यक्ति प्रकृति के सिद्धान्तों और नियमों का अनुभव करते हैं और अधिकांश अनुभव सम्यक् ज्ञान के बिना हुए हैं। इसकी जानकारी से व्यक्ति की अपने पर्यावरण के साथ जुड़ने की क्षमता का विकास होता है।

विज्ञान एवं तकनीक में नई खोजों और उसे नवीन ढंग से समझने की जरूरत से समस्त वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आज यह आवश्यक हो गया है कि वैज्ञानिक शिक्षा प्रासंगिक एवं क्रियात्मक हो। विज्ञान के ज्ञान, उसमें दक्षता व क्षमता से एक ओर वैज्ञानिक एवं तकनीकी जनशक्ति का निर्माण होगा, तो दूसरी ओर आधुनिक युग में अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए समस्त नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विज्ञान की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया हैं और साथ ही निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं :—

शिक्षा व पर्यावरण

आज पर्यावरण के प्रति चेतना जगाना आवश्यक हो गया है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक और समाज के सभी वर्गों में यह भावना फैलनी चाहिए। समस्त शिक्षा प्रक्रिया में पर्यावरण चेतना को शामिल किया जाना चाहिए। (8.15)

गणित की शिक्षा

गणित का व्यवहार इस प्रकार किया जाना चाहिए कि बच्चे में तार्किक ढंग से सोचने, तर्क करने व स्वयं को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास हो। गणित एक विशिष्ट विषय तो है ही, पर इसके अलावा गणित का प्रयोग अन्य विषयों में भी विश्लेषण व तर्क के लिए होना चाहिए। (8.16)

इन दिनों स्कूलों में कम्प्यूटरों के उपयोग से विविध विषयों में कार्य-कारण संबंध को समझने के लिए गणित अध्यापन का समुचित रूप से पुनः निर्माण किया जा रहा है तथा उसे आधुनिक तकनीकी यंत्रों से जोड़ा जा रहा है। (8.17)

वज्ञान की शिक्षा

बच्चों में खोज, सृजन, निष्पक्षता, प्रश्न करने का साहस व सौन्दर्यगत संवेदना विकसित करने के लिए विज्ञान ो शिक्षा को मजबूत किया जाना चाहिए। (8.18)

विज्ञान की शिक्षा का कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले में समस्या के समाधान एवं निर्णय लेने की ।मता के साथ-साथ विज्ञान तथा स्वास्थ्य, विज्ञान तथा कृषि, उद्योग व दैनिक जीवन के विविध पक्षों के बीच संबंध जोड़ा ा सके। इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि विज्ञान की शिक्षा उन असंख्य लोगों तक पहुँचे जो ौपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं। (8.19)

क्रयाकलाप—१

१. सभी अध्यापकों ने विज्ञान पढ़ा है और काफी लम्बे अर्से से वे विज्ञान पढ़ा रहे हैं। विज्ञान की शिक्षा का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्या इससे पूर्व-निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हुई है? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?	
२. वैज्ञानिक प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए अन्वेषक का कार्य करते हैं। हर व्यक्ति जो विज्ञान पढ़ता है, क्या उसे अन्वेषक की तरह व्यवहार करना चाहिए? अन्वेषक बने बिना क्या प्रकृति के रहस्यों को नहीं समझा जा सकता?	
३. वैज्ञानिक खोज कैसे की जाती है? इसका एक ही उत्तर है—वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा और यह प्रक्रिया है: निरीक्षण, प्रश्न करना, कल्पना करना, परीक्षण करना, आंकड़े जमा करना, उनका विश्लेषण करना, परिणाम निकालना व अनुमान लगाना। क्या हम दैनिक जीवन में यही प्रक्रिया अपनाते हैं? कभी-कभी वैज्ञानिक के कार्य में प्रसंग, अन्तर्ज्ञान, सौभाग्य आदि महत्वपूर्ण भूमिका निबाहते हैं लेकिन क्या वह वैज्ञानिक कार्य का आरम्भ या अंत नहीं है? क्या वैज्ञानिक के लिए ईमानदारी, सच्चाई, उत्सुकता, दिलचस्पी, कठिन श्रम, सहिष्णुता जरूरी नहीं हैं? क्या भावी नागरिकों	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

में इन गुणों का होना जरूरी नहीं है ? क्या हम विज्ञान के आज के पाठ्यक्रम में ऐसी एक गतिविधि चुन सकते हैं और उसके बारे में दूसरी वैज्ञानिक प्रक्रिया बता सकते हैं ? क्या उससे दूसरी प्रभावी क्षमता का विकास हो सकता है ?

४. पर्यावरण के वे कौन से विभिन्न उदाहरण हैं जहाँ विज्ञान और तकनीक मौजूद हैं ? पिछले बीस वर्षों में उनमें क्या परिवर्तन हुए हैं ?

५. एक मोहल्ले में नागरिकों के कौन-से निर्णय व कदम संस्कृति एवं परम्परा से संचालित हैं ? क्या वे निर्णय आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक की दृष्टि से खरे उतरते हैं ?

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद :

—आप विज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान की प्रकृति तथा सामान्य शिक्षा में विज्ञान के अध्यापन के अर्थ को समझ सकेंगे

—आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अन्तर्गत विज्ञान के पाठ्यक्रम के विकास को समझ सकेंगे।

—आप विज्ञान को दैनिक जीवन, पर्यावरण और आम वैज्ञानिक वस्तुओं के साथ जोड़ने के उद्देश्य व तकनीक को समझ सकेंगे।

—आप विज्ञान को छात्र-केन्द्रित बना सकेंगे जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है और शैक्षणिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग के समुपयुक्त है।

—आप माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई के नए तरीके स्वीकार कर अध्ययन-अध्यापन के मूर्त से अमूर्त तरीके विकसित कर सकेंगे।

विज्ञान की पढ़ाई के उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने से पहले और बाद में काफी गहन अध्ययन और विचार-विमर्श के माध्यम से विज्ञान की शिक्षा का प्रभाव तथा विज्ञान की पढ़ाई का स्तर तय किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इन अनुभवों एवं सिफारिशों के प्रकाश में विज्ञान के अध्यापन के निम्नलिखित उद्देश्य तैयार किए गए हैं :—

निम्न प्राथमिक स्तर

—छात्रों की अपने निकटस्थ पर्यावरण के बारे में खोज व ज्ञान में सहायता करना।

—पर्यावरण से संबंधित कई चीजों के बारे में स्पष्ट व सूक्ष्म प्रश्न करना।

—मौखिक, लिखित व चार्टों द्वारा पर्यावरण का निरीक्षण करना और उसके संबंध में रिपोर्ट तैयार करना।

—किसी एक विशेष परिस्थिति में निरीक्षण या अन्य स्रोतों से सूचना एकत्रित करना।

—दो या तीन आधारों पर एक ही समय में वस्तु, घटना, परिस्थिति के बारे में सामाजिक व भौतिक आंकड़े तैयार करना।
—विविध प्रतिमानों व संबंधों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वस्तु व आंकड़ों को क्रमबद्ध करना।
—एक ठोस परिस्थिति पर आधारित आंकड़ों की व्याख्या करना और अस्थायी अनुमान लगाना।
—ठोस परिस्थितियों के विश्लेषण के आधार पर भविष्यवाणी करना।
—समस्या के समाधान के लिए साधारण प्रयोगविधि तैयार करना।
—विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों की देन की ओर ध्यान आकर्षित करना।
—अपने क्षेत्र में प्राकृतिक साधनों का पता लगाना तथा उनका समुचित उपयोग करना।
—प्राकृतिक साधनों का अपव्यय रोकने के लिए कदम उठाना तथा प्रदूषण को रोकना।
—समुदाय की सामाजिक व आर्थिक प्रगति में विज्ञान व तकनीक की देन पर विचार करना।

च्च प्राथमिक स्तर

—निम्न प्राथमिक स्तर में प्राप्त क्षमताओं को सुदृढ व संगठित बनाना।
—वैज्ञानिक ज्ञान की प्रकृति की समझने में छात्र की सहायता करना कि—
(*i*) यह दोहराया जा सकता है।
(*ii*) यह निरीक्षण पर आधारित है।
(*iii*) यह अन्वीक्षात्मक है।
(*iv*) यह अनुभवजन्य है।
(*v*) यह पूर्ण है।
—दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान व पद्धति की प्रासंगिकता पर बल देना।
—विज्ञान के सिद्धान्तों व व्यवहार के उपयोग के बारे में उचित वातावरण का निर्माण करना।
—विविध प्राकृतिक घटनाओं से छात्रों को अवगत कराना।
—चिह्नों व फार्मूलों की वैज्ञानिक भाषा को समझने की योग्यता बढ़ाना। साधारण प्रयोगों का ढाँचा बनाने की जानकारी देना।
—विज्ञान के उन सिद्धान्तों, नियमों, परिकल्पनाओं एवं मतों पर बल देना जो पर्यावरण के साथ संबद्ध हैं।
—विज्ञान के विविध विषयों में एकता को प्रक्रिया पर बल देना।
—वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सहयोग की भावना को विकसित करना।
—वैज्ञानिक पद्धति पर उचित निर्णय के लिए कदम उठाने पर जोर देना।
—छात्रों में समुचित सामाजिक व नैतिक मूल्यों के विकास में विज्ञान को साधन के रूप में अपनाना।

ध्यमिक स्तर

माध्यमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्य हैं :—
—उच्च प्राथमिक स्तर पर जो ज्ञान, क्षमता व दक्षता हासिल की गई है उसको सुदृढ़ व सुसंगठित बनाना।
—वैज्ञानिक सिद्धान्तों, परिकल्पनाओं व नियमों की समझना।
—यांत्रिक, आदान-प्रदान विषयक व समस्या के निदान से संबंधित दक्षता प्राप्त करना।
—वैज्ञानिक स्वभाव, वैज्ञानिक मार्ग एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास; जैसे, उदारमति या निष्पक्षता, बौद्धिक ईमानदारी, प्रश्न करने का साहस, मानव गरिमा के प्रति सम्मान व निर्णय क्षमता।

—सामाजिक, नैतिक, आचार संबंधी एवं सौन्दर्यगत मूल्यों को बढ़ाना ताकि व्यक्ति व समाज के जीवन उच्च स्तर का बनाया जा सके।

—वैज्ञानिकों की देन का मूल्यांकन करना, विज्ञान के संभावित उपयोग के प्रति संवेदना विकसित कर पर्यावरण तथा प्रकृति की सुरक्षा करना तथा विज्ञान के दुरुपयोग के विरुद्ध चेतना जगाना।

क्रियाकलाप—२

प्रत्येक वस्तु के बारे में विचार-विमर्श कर दो प्रश्नों का उत्तर दें: (*i*) वास्तव में क्या करना चा (*ii*) उसका क्या परिणाम होगा ? विचार-विमर्श के लिए नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं :—

1. पाँचवीं कक्षा तक छात्र ठोस वस्तुओं का निरीक्षण कर विज्ञान सीखते हैं। क्या प्राथमिक स्तर पर प्र ज्ञान, दक्षता व क्षमता की सूची बनाई जा सकती है ? जैसे :
   (*i*) क्या बच्चा अपने शरीर के विविध अंगों एवं उनके कार्यों को जानता है, पदार्थ के तीन (ठोस, द्रव्य, गैस), पर्यावरण के विविध रूपों तथा दैनिक जीवन में उपयोग में आने वा वस्तुओं, प्राकृतिक तथ्यों जैसे तूफान, वर्षा, ऋतु-परिवर्तन आदि के बारे में जानता है ?
   (*ii*) क्या बच्चा कार्य-कारण, मात्रा व कार्य में संबंध स्थापित कर सकता है ?
   (*iii*) क्या बच्चा प्राकृतिक घटनाओं व अच्छी चीजों की विवेचना कर सकता है ?
   (*v*) क्या बच्चा कोई चीज देखकर उसका वर्णन कर सकता है ?
2. वैज्ञानिक-ज्ञान की प्रकृति से हमारा क्या तात्पर्य है ? विज्ञान दोहराया जा सकता है, यह निरीक्षण आधारित है, यह अन्वीक्षात्मक है, यह अनुभवजन्य है, यह पूर्ण है—इनके प्रमाण में क्या उदाहरण जा सकते हैं ?
3. दैनिक जीवन में तकनीक, उपभोक्ता सामग्री, स्वास्थ्य, भोजन व पर्यावरण से संबंधित वास्त स्थितियों का विज्ञान के साथ क्या संबंध है ?
4. वैज्ञानिक पद्धति क्या है ? वैज्ञानिक कदम कौन-से हैं ? कुछ विशेष घटनाएं जैसे सौभाग्य, आकस्मिक आदि वैज्ञानिक खोज व अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। क्या हम दैनिक जीवन में नि लेते समय इन घटनाओं को मान्यता दे सकते हैं ?
5. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारा क्या अभिप्राय है ?
6. क्या विज्ञान की शिक्षा मूल्यरहित है ? वैज्ञानिक अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए काम करता है लेकिन उसके काम में विवेचना, प्रश्न करने का साहस, परिकल्पना का तार्किक निर्माण, प्रत्येक परिकल्प का ईमानदारी से सूक्ष्म परीक्षण, कठिन श्रम से आंकड़ों का संग्रह तथा तार्किक निष्कर्ष शामिल हैं।
7. वे कौन-से महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिन से व्यक्ति व समुदाय पर प्रभाव पड़ता है ? विज्ञान की वे कौन गतिविधियां हैं जो व्यक्तिगत और सामुदायिक निर्णय लेने तथा उन निर्णयों को कार्यरूप में बदलने क्षमता को दृढ़ करती हैं ?

विज्ञान की शिक्षा को दैनिक जीवन, पर्यावरण व विज्ञान—"सभी के लिए" से सम्बद्ध करना।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

1975 से 1985 में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान की शिक्षा को अर्थपूर्ण बनाने के संबंध में बड़े पैमाने पर पुनर्विचार हुआ है। पहले "विज्ञान सबके लिए" का अर्थ था विज्ञान कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों के लिए। आज "सभी" का अर्थ है समुदाय के सब सदस्यों के लिए। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ मात्र प्राकृतिक स्रोतों के बारे में शिक्षा देना नहीं है। इसका अर्थ है भौतिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तत्वों का विकास तथा पर्यावरण में उनकी अन्त:क्रिया। दक्षिण कोरिया में 1975 में यूनेस्को का जो सम्मेलन हुआ था उसमें विज्ञान की शिक्षा के लिए विषयों के चुनाव के बारे में निम्नांकित मानदण्ड प्रस्तुत किया गया था :—

(क) छात्र के जीवन व उसके कार्य-अनुभव से संगति।

(ख) एक व्यक्ति, परिवार व समुदाय के एक सदस्य के रूप में छात्र की आवश्यकता-पूर्ति की दृष्टि से उसकी महत्ता।

(ग) छात्र की परिपक्वता की दृष्टि से उसकी शक्यता तथा आवश्यक साधनों की उपलब्धि।

(घ) नए ज्ञान से उसका सामंजस्य।

1982 में एक अन्य यूनेस्को की बैठक में यह सुझाव दिया गया कि आत्मविश्वास एवं सतत विकास के लिए समस्त जनसंख्या को विज्ञान को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कहा गया कि विज्ञान की शिक्षा को पुनर्नियोजित किया जाए :

(क) ताकि उसकी आवश्यकता पर बल दिया जा सके।

(ख) ताकि विज्ञान का क्षेत्र, प्रकृति तथा तकनीक व विज्ञान की सीमाओं का निर्णय किया जा सके।

(ग) ताकि विज्ञान की विषय-वस्तु, दक्षता व दृष्टिकोण का परिचय प्राप्त किया जा सके।

(घ) ताकि विज्ञान के प्रचार के साधन विकसित किए जा सकें।

(ङ) ताकि इसकी प्राप्ति के लिए क्षेत्रीय सहयोग की रूपरेखा बनाई जा सके।

विस्तार से विचार के बाद निम्नलिखित सुझाव दिए गए :—

1. वास्तविक जीवन की परिस्थितियों (सांस्कृतिक, भौतिक, शारीरिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक) की जानकारी हासिल की जाए।
2. उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान के पाठ्यक्रम तथा अध्यापकों के अनुभवों के बीच तादात्म्य स्थापित किया जाए।
3. बच्चों की आवश्यकता, अभिरुचि एवं आकांक्षाओं को जाना जाए (छोटे स्तर पर)।
4. समाज की आवश्यकता, अभिरुचि व आकांक्षाओं को जाना जाए (बड़े स्तर पर)।
5. छोटे तथा बड़े स्तर को समन्वित किया जाए (तीसरे व चौथे सुझाव के अन्तर्गत)।
6. व्यवहारमूलक उद्देश्यों (संज्ञानात्मक, मन:प्रेरक एवं प्रभावी) को परिभाषित किया जाए।
7. अध्ययन व अध्यापन की विशेष पद्धति का चुनाव किया जाए जिससे सुझाई गई पद्धति एवं वांछित परिणाम की योजना बनाई जा सके और उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके।

संभवत: कोई भी विज्ञान की शिक्षा को दैनिक जीवन, पर्यावरण तथा "सभी के लिए" विज्ञान से जोड़ने तथा उस दिशा में बढ़ने के सुझावों का विरोध नहीं करेगा।

1. वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के विभिन्न तत्वों (सांस्कृतिक, भौतिक, शारीरिक, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक) की पहचान कीजिए।
2. कार्यकलाप-1 में निर्देशित अध्ययन-अध्यापन के क्या तत्व होंगे ?

3. उन बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं आकांक्षाओं की पहचान कीजिए, जिन्हें आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं।
4. समाज की जरूरतों, हितों व आकांक्षाओं की पहचान कीजिए।
5. विज्ञान की कक्षा में छोटे व बड़े स्तर को आप कैसे समन्वित करेंगे जैसा कि कार्यकलाप 3 व 4 में कहा गया है ?
6. व्यावहारिक दृष्टि से जानकारी के परिणामों को लिखिए (संज्ञानात्मक, मनःप्रेरक व प्रभावी)।
7. चुनिंदा जानकारी व परिणाम की प्राप्ति के लिए पद्धति व संगठन का सुझाव दीजिए जो एक अध्यापक के लिए आवश्यक हैं।

कक्षा में व बाहर विज्ञान की शिक्षा

आज विज्ञान की शिक्षा मात्र अध्यापक द्वारा छात्र को दी गई शिक्षा नहीं है। छात्र बिना अध्यापक के कई अन्य स्रोतों से भी विज्ञान की जानकारी पाता है। "अध्यापन" की आज की परिभाषा है—"छात्र की सीखने में सहायता करने की कला। इसमें सूचना व अन्य गतिविधियां शामिल हैं जो सीखने में सहायक होती हैं।"

क्योंकि जानकारी प्रमुख है, अतः अध्यापन व अध्यापन-कला को निर्माण व आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए अध्यापन एक ऐसी अन्तःक्रिया होनी चाहिए जो बच्चे की सीखने की योग्यता का ध्यान रख सके। अध्यापन सामान्य तथा बातचीत द्वारा होता है (प्रश्न करना, वक्तव्य देना तथा छात्र को स्रोतों से परिचित कराना)।

अध्यापक कक्षा में ऐसी गतिविधियों को भी सामने रखता है जिससे छात्र उससे पूछताछ करे, सलाह माँगे, अध्यापक से उसकी पुष्टि चाहे, पहचान या दिशा निर्देश की आशा करे।

अध्यापक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए :—

—अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता

—अभिव्यक्ति के विविध रूप

—उत्साह

—उपलब्धिजनक व्यवहार

—पहले से तैयारी

—छात्र के कार्य को मान्यता देना, उसे प्रोत्साहित करना

—रचनात्मक आलोचना व सुझाव देने की क्षमता

—सारांश प्रस्तुत करने की योग्यता

—विविध प्रश्न करने की क्षमता

—छात्र के उत्तरों के मूल्यांकन व उसमें बढ़ोतरी करने की योग्यता

—जानकारी देने में कठिनाई को समझने की क्षमता

आज अध्यापक को स्वयं को जानना होगा; छात्र, माता-पिता तथा समुदाय के अन्य सदस्यों की जरूरतों को जानना होगा। अध्यापक अगर चाहें तो कार्यकलाप "चार" पर विचार कर सकते हैं।

कार्यकलाप–४

- अध्यापक को अध्ययन एवं मानव व्यवहार के बारे में कौन-सा सैद्धान्तिक ज्ञान होना चाहिए ?
- जानकारी बढ़ाने के लिए कौन-सा दृष्टिकोण होना चाहिए ?
- एक अध्यापक अपनी विषय-वस्तु के बारे में कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है ?
- कक्षा के भीतर और बाहर आप विज्ञान किस-किस तरह से पढ़ा सकते हैं ?
- अध्यापक अपने अध्यापन व छात्रों का मूल्यांकन कैसे कर सकता है ? (खासकर प्रभावी व्यवहार के क्षेत्र में ।)
- "एक-अध्यापक स्कूल" में एक अध्यापक निम्न प्राथमिक कक्षाओं के लिए किस प्रकार "साइन्स कार्नर" बना सकता है ?
- छात्रों व समुदाय के लिए एक अध्यापक "स्कूल के बाहर" किन-किन गतिविधियों का आयोजन कर सकता है ?

एकत्र कीजिए,
मिलान कीजिए,
चर्चा कीजिए ।

●

मॉड्यूल २७ एस

माध्यमिक स्तर पर गणित का अध्ययन

एक दृष्टिपात

सामान्य शिक्षा में गणित पढ़ाया जाना चाहिए, इसमें कोई मतभेद नहीं है। लम्बे अर्से से "लिखना, पढ़ना और गणित" ये तीन विषय शिक्षा के अभिन्न अंग रहे हैं और आज भी हैं।

हम तकनीकी युग में रह रहे हैं। गणित में योग्यता मात्र प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है। आज हमें ठोस गणितज्ञों की आवश्यकता है। इसलिए गणित के पाठ्यक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किए जाते रहे हैं। छठे दशक में समूचे विश्व में और हमारे देश में भी आधुनिक गणित की लहर आई। "आधुनिक गणित" का कार्यक्रम सफल हुआ है या नहीं, यह जानना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। "गणित की शिक्षा को बेहतर बनाया जाए"—यह हमारी आज की माँग है।

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986" में स्कूलों में गणित की शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया है। आज हमारे ज्यादातर स्कूलों में जिस तरह से गणित पढ़ाया जा रहा है, संतोषप्रद नहीं है। गणित में फेल होने वाले छात्रों की संख्या अन्य विषयों की तुलना में कहीं अधिक है। बहुत से छात्रों को गणित बहुत कठिन लगता है, कारण चाहे कुछ भी हो।

सुधार के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर एन.सी.ई.आर.टी. और राज्य-स्तर पर एस.सी.ई.आर.टी./एस.आई.ई. ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। आप शायद राष्ट्रीय स्तर पर और विभिन्न राज्यों में बनाए गए गणित शिक्षक संघों के संबंध में जानते हैं (उदाहरण के लिए भारतीय गणित शिक्षक संघ)। ये बहुत लाभप्रद काम कर रहे हैं।

वे सेमिनारों की व्यवस्था कर रहे हैं, उपयोगी सामग्री प्रकाशित कर रहे हैं, गणित प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं, आदि-आदि। पर इस सबके बावजूद मुख्य भूमिका तो कक्षा के गणित अध्यापक की है। शिक्षक कक्षा में बहुत कुछ कर सकता हैं, वह गणित के अध्ययन को अधिक रोचक बना सकता है और स्कूलों में गणित-शिक्षा के स्तर में सुधार ला सकता है।

इस मॉड्यूल का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों एवं गणित के क्षेत्र में उनके क्रियान्वयन से परिचित करवाना है जिससे आप गणित-शिक्षा के कुछेक पहलुओं पर अपने साथियों के साथ अपने अनुभवों का आदान-प्रदान कर सकें और सामूहिक रूप से विचार-विमर्श कर सकें। यह केवल एक शुरुआत है। आपको अभी कई सौ मौके मिलेंगे जिनमें आप अध्यापन के विशिष्ट विचारों के तरीकों सहित अन्य कई मामलों पर विचार-विनिमय कर सकेंगे।

उद्देश्य :

इस मॉड्यूल पर विचार-विमर्श करने के बाद आप :

—गणित पढ़ाने के उद्देश्यों को अच्छी प्रकार समझ सकेंगे।

—गणित-शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन को समझ सकेंगे।

—गणित में अधिकांश छात्रों की उपलब्धि के निम्न स्तर के कारणों को समझ सकेंगे और उपचारात्मक कदम उठा सकेंगे।

—गणित की क्लास में क्रियाकलाप/खोज की प्रक्रिया का विकास कर सकेंगे।

—अपने स्कूल में गणित-प्रयोगशाला/कार्यशाला की योजना बना सकेंगे, छात्रों द्वारा प्रायः की जाने वाली गलतियों का पता लगा सकेंगे और उन्हें सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठा सकेंगे ।

शिक्षण गतिविधियां

आप एक अर्से से गणित पढ़ा रहे हैं । आप जानते हैं कि स्कूल में गणित पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं । उन पर, आइए, एक बार फिर दृष्टिपात करें ।

गणित पढ़ाने के उद्देश्य

हाई स्कूल के बाद :

—छात्र गणित की शब्दावली, विचार, सिद्धांत, प्रक्रिया, संकेत, चिह्न, आदि समझ सकेगा । गणनात्मक एवं अन्य आधारभूत प्रक्रियाओं पर भी उसका पूरा अधिकार होना चाहिए जो रोजमर्रा की जिन्दगी एवं गणित की उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक हैं ।

—छात्र ड्राइंग बना सकेगा, नाप-तौल सकेगा, अनुमान लगा सकेगा और प्रदर्शन कर सकेगा ।

—वह रोजमर्रा की जिन्दगी, गणित की उच्च शिक्षा एवं तत्संबंधी क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए गणित के ज्ञान का प्रयोग कर सकेगा ।

—वह सोचने, तर्क-विश्लेषण करने और जीवन के हर क्षेत्र में तालमेल बिठाने की योग्यता हासिल कर सकेगा ।

—गणित की शक्ति व सौंदर्य की सराहना कर सकेगा ।

—गणित प्रतियोगिताओं में भाग लेकर और उसका अध्ययन करके गणित में अपनी रुचि का प्रदर्शन कर सकेगा ।

—बड़े-बड़े गणितज्ञों, विशेष रूप से भारतीय गणितज्ञों, एवं उनके योगदान के लिए अपना आदर प्रकट कर सकेगा ।

—आधुनिक तकनीकी यंत्रों (जैसे कैल्क्युलेटर, कम्प्यूटर आदि) के प्रयोग के लिए आवश्यक योग्यता हासिल कर सकेगा ।

क्रियाकलाप—१

क्या आप उपर्युक्त उद्देश्यों से सहमत हैं ? क्या आप उनमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे ? टिप्पणी लिखिए और सामूहिक चर्चा में अपने विचार रखिए । स्कूली पुस्तकें और अन्य सामग्री इन उद्देश्यों की कहाँ तक पूर्ति करती है ? उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कौन-से कदम (अगर कोई हैं, तो) उठाए जाने आवश्यक हैं ? सामूहिक चर्चा में अपने विचार रखिए ।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्तमान शिक्षा पद्धति की सबलताओं व दुर्बलताओं को देखते हुए विशेषरूप से स्कूली स्तर पर उसमें परिवर्तन के निर्देश दिए गए हैं । राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेषरूप से गणित-शिक्षा के बारे में लिखा है :

"गणित एक ऐसा 'साधन' है जिसके माध्यम से बच्चा युक्तियुक्त ढंग से सोचने-समझने, तर्क-वितर्क, विश्लेषण एवं स्पष्टीकरण करने में योग्यता हासिल करता है । गणित रूप में एक विशिष्ट विषय है, पर इसके साथ ही

यह अन्य ऐसे विषयों से भी जुड़ा है जिनमें तर्क-वितर्क व विश्लेषण का विशेष स्थान है।" "अब विद्यालयों में कम्प्यूटरों का प्रवेश होने लगा है। इससे शैक्षिक कम्प्यूटरी का मौका मिलेगा। कार्य-कारण संबंध को और चरों की पारस्परिक क्रिया को समझने और सीखने की प्रक्रिया को नई दिशा मिलेगी। गणित-शिक्षण को इस प्रकार से पुनर्गठित किया जाएगा कि यह आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ सके।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सामान्य रूपरेखा के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। गणित के प्रत्येक शिक्षक को जानना चाहिए कि वह गणित पढ़ाते समय उनका प्रयोग कैसे कर सकता हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है—"समानता को बढ़ावा देने के लिए सबके लिए शिक्षा व सफलता के समान अवसर जुटाना आवश्यक है।"

अनुभवी गणित शिक्षाशास्त्रियों के अनुसार गणित की शिक्षा के लिए इस नीति-वक्तव्य को इस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है :

उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़ने के पश्चात छात्र गणित का अपने दैनिक जीवन में व्यावहारिक प्रयोग कर सकें। इसलिए पाठ्यक्रम बनाते समय हमें सबसे पहले उन विचारों, विषयों को ढूंढ निकालना होगा जो गणित की शिक्षा को अनिवार्य बनाते हैं। तत्पश्चात् हमें विशिष्ट अधिगम-बिन्दुओं का विश्लेषण करना होगा। इन अधिगम बिन्दुओं में से कुछ आधारभूत बिन्दु हैं। (वे व्यावहारिक प्रयोग के हैं और गणित की उच्च शिक्षा का आधार हैं)। इनका सभी छात्रों को अच्छे प्रकार ज्ञान करवाया जाना चाहिए। जहाँ तक इन बिन्दुओं के ज्ञान का प्रश्न है, इन पर छात्रों का 80 प्रतिशत से भी अधिक अधिकार होना चाहिए। यह "पूर्ण अधिकार" ही शिक्षा के न्यूनतम स्तर की कसौटी मानी जानी चाहिए और यह भी देखा जाना चाहिए कि प्रत्येक छात्र इस न्यूनतम स्तर को हासिल करे। शिक्षक को चाहिए कि वह इस पर पूरा ध्यान दें।

सेकेण्डरी स्तर पर गणित को सही ढंग से विद्या विशेष के रूप में पढ़ाना शुरू किया जाएगा। यहाँ भी "अनिवार्य अधिगम परिणाम", "न्यूनतम शिक्षण स्तर" और "विषय पर पूरे अधिकार" का विचार वैधिक एवं प्रासंगिक होगा।

आपने देखा होगा कि गणित में बहुत से बच्चे कमजोर होते है। उन्हें यह विषय कठिन और अरुचिकर लगता है। इसके क्या कारण हैं? क्या इसके कुछ सामाजिक, आर्थिक कारण हैं जिनका बच्चों की उपलब्धि पर असर पड़ता हैं?

क्या वर्तमान स्कूली परिस्थितियां इसकी जिम्मेदार हैं? शायद स्कूल से संबंधित एक मुख्य कारण है—गणित का भारी-भरकम पाठ्यक्रम।

गणित के पाठ्यक्रम में कई परिवर्तन किए जा रहे हैं। हो सकता है कि गणित के वर्तमान पाठ्यक्रम में कुछ नए प्रकरण जोड़े गए हों और उनसे आप परिचित न हों। अन्य विषयों में भी कुछ ऐसे बिन्दु हो सकते हैं जिन्हें लेकर आपको कुछ सन्देह हो। आइए अब हम अवसर का लाभ उठाकर उन सन्देहों और कठिनाइयों का स्पष्टीकरण करें और देखें कि क्या उन्हें उच्च स्तर पर पढ़ाया जाना आवश्यक है?

क्रियाकलाप—२

ऐसे कारणों की सूची बनाइए और इसमें सुधार के लिए क्या किया जा सकता है, कुछ सुझाव दीजिए। सामूहिक चर्चा में अपने विचार रखिए। सामूहिक चर्चा के बाद ऐसे महत्वपूर्ण कारणों पर एक टिप्पणी लिखिए, विशेषरूप से उन कारणों पर जो स्कूल की परिस्थिति की दृष्टि से अधिक प्रासंगिक हैं।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नया पाठ्यक्रम इस समय तैयार किया जा रहा है। पाठ्यक्रम में संभावित न्यूनतम अधिगम स्तर का उल्लेख किया जायेगा। न्यूनतम अधिगम स्तर के इस नए विचार का क्या अर्थ है ? आइए, इस पर विचार करें और इसे समझने की कोशिश करें। अब हम उच्च प्राथमिक सेकेण्डरी क्लास के पाठ्यक्रम से एक विषय प्रकारण लें और इसे पढ़ाने का अनिवार्य अधिगम परिणामों की सूची बनाएं। अन्य शब्दों में छात्र को प्रकरण पढ़ने के बाद किन विशेष कार्यों/समस्याओं को करने/सुलझाने में दक्ष होना चाहिए ? उन अनिवार्य अधिगम परिणामों में से आप किन्हें "न्यूनतम अधिगम स्तर" के अन्तर्गत रखेंगे ? आइए अब हम उच्च प्राथमिक/सेकेण्डरी स्तर से संबंधित एक टापिक लें और सेमिनार में या बाद में पहले के ही समान उस पर विचार करें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पर जोर देती है कि गणित से बच्चों में सोचने-समझने की, तर्क-वितर्क व विश्लेषण करने की और अपने विचार को तर्कसंगत ढंग से व्यक्त करने की क्षमता बढ़नी चाहिए। इसका अर्थ है कि गणित की शिक्षा कोई "किस्से कहानी कहने-सुनने" जैसी गतिविधि नहीं है। गणित मानव मस्तिष्क की खोज है और गणित की शिक्षा को काफी हद तक पुनर्खोज का आधार बनना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र इतना परिपक्व नहीं होता कि वह गणितीय प्रमाण की प्रशंसा कर सके।

पर फिर भी हमें इस स्तर पर बच्चों को गणित पढ़ाना चाहिए जिससे उसमें सोचने-विचारने और तर्क करने की बुद्धि का विकास हो सके। उच्च प्राथमिक/सेकेण्डरी स्तर पर रेखागणित की कई विशेषताओं से छात्रों को अवगत कराया जाता है। बच्चे इन्हें सरल प्रयोगों से आसानी से समझ सकते हैं। इनके लिए कुछ शिक्षण सामग्री की जरूरत होगी जिन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। अंकगणित और बीजगणित में कई सिद्धान्तों को "पैटर्न्स" द्वारा सीखा जा सकता है।

क्रियाकलाप—३

उच्च प्राथमिक/सेकेण्डरी स्तर पर कुछेक रेखागणित संबंधी तथ्यों का चुनाव कीजिए। टिप्पणी लिखिए कि इन तथ्यों को छात्र सरल प्रयोगों द्वारा कैसे ढूंढ सकते हैं। सामूहिक चर्चा के बाद टिप्पणी लिखिए। सर्वोत्तम सुझाव का भी उल्लेख करें। इसी प्रकार अंकगणित और बीजगणित में ऐसे कुछ नियम। प्रक्रियाएं ढूंढिए और बताइए कि छात्र "पैटर्न" पद्धति द्वारा उन्हें कैसे सीख सकते हैं। ऐसे अन्य तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनसे बच्चों के सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और तर्कसंगत ढंग से स्पष्टीकरण करने की क्षमता बढ़ती है।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

आधारभूत सुविधाएं

सभी स्कूलों में कम से कम आधारभूत सुविधाओं को तो दिया ही जाना चाहिए जिससे पाठ्यक्रम को प्रभाव-पूर्ण ढंग से पूरा किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस तथ्य से परिचित है और उच्च प्राथमिक/सेकेण्डरी स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में इसके लिए उचित कदम उठाया जाएगा। गणित के बहुत से सिद्धान्त "करने" से

जाते हैं। इसके लिए ड्राइंग, माप-तौल और आकलन जैसे विषयों को सिखाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से गणित-प्रयोगशाला/कार्यशाला बहुत आवश्यक है। उच्च प्राथमिक/सेकेण्डरी स्तर पर गणित की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, आइए देखें कि हम स्कूल में गणित प्रयोगशाला या कार्यशाला कैसे बना सकते हैं। उसके लिए क्या सामान चाहिए होगा ? वहाँ किस तरह की गतिविधियों को स्थान दिया जाएगा ? आदि, आदि।

क्रियाकलाप–४

कक्षाओं की दृष्टि से गणित प्रयोगशाला या कार्यशाला में की जा सकने वाली छात्र और शिक्षक की गतिविधियों की सूची बनाइए और साथ ही सामान (यंत्र, सामग्री, सहायक उपकरण आदि) का भी उल्लेख कीजिए। सामूहिक चर्चा में अपने विचार रखिए। (आप चाहें तो प्रदर्शन भी कर सकते हैं।) सामूहिक चर्चा के बाद इन विभिन्न गतिविधियों पर एक टिप्पणी लिखिए जिन्हें प्रयोगशाला या कार्यशाला में किया जा सकता है। गणित प्रयोगशाला के लिए आवश्यक सामान की सूची बनाइए।

सबके लिए गणित की शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है : शिक्षा वर्तमान और भविष्य की एक अद्वितीय लागत है। यह धर्म, जाति, स्थान और स्त्री-पुरुष असमानता की भावना से दूर रहकर सिर्फ सबको उपलब्ध ही नहीं करवाई जानी चाहिए बल्कि उसकी सफलता के लिए साधन भी जुटाए जाने चाहिए। यह स्पष्ट है कि सभी छात्रों को गणित पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब पूर्णरूपेण लागू हो जाएगी तो संभवतः उन बच्चों की संख्या और अधिक हो जाएगी जो पहली पीढ़ी के हैं (अपने कुटुम्ब में) और जो समाज के निर्धन वर्ग से हैं। यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं। अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे सभी छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। इस दृष्टि से कौन-से कदम उठाए जा सकते हैं ?

इसकी प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सुझाव यह है कि गणित की शिक्षा के लिए "मल्टी-मीडिया" दृष्टिकोण अपनाया जाए। इस संदर्भ में गणित शिक्षाशास्त्रियों ने एक अकेली पाठ्यपुस्तक के स्थान पर विविध शिक्षा-सामग्री का सुझाव रखा है। इसमें मुद्रित और अमुद्रित दोनों ही प्रकार की सामग्री होगी। जैसे :

—पाठ्य पुस्तक

—अनुपूरक समस्या-पुस्तिका जिसमें बुद्धिमान और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अतिरिक्त अभ्यास-सामग्री और गणित के कठिन प्रश्न होंगे।

—संवर्धन सामग्री (रोचक गणित सहित)—यह भी स्कूल में गणित कलन में प्रयोग के लिए बुद्धिमान और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए होगी।

—उपर्युक्त सामग्री पर आधारित शिक्षक-पुस्तिका।

—मॉडल, चार्ट, फिल्म आदि।

प्रत्येक कक्षा में कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिन्हें गणित में रुचि होती है और अच्छे अंक मिलते हैं। ऐसे छात्रों की प्रतिभा को क्लास में और क्लास के बाहर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए स्कूल में गणित क्लब बनाए जाने चाहिए। इनमें विविध गतिविधियों को स्थान दिया जाना चाहिए। यहाँ छात्र गणित की शिक्षा से संबंधित मॉडल बना सकते हैं; चुनौतीपूर्ण प्रश्नों के उत्तर निकालने के लिए प्रोत्साहित किए जा सकते हैं; वहाँ उन्हें गणित शिक्षक संघ द्वारा आयोजित गणित प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए तैयार किया जा सकता है; गणित के ज्ञान को बढ़ाने के लिए उन्हें विषय की अतिरिक्त जानकारी दी जा सकती है। प्रत्येक शिक्षक के पास चुनौतीपूर्ण समस्याओं का संग्रह होना चाहिए।

इनमें से बहुत से प्रश्न गणित प्रतियोगिता के प्रश्नपत्रों से इकट्ठा किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षक भी ऐसी समस्याओं को विकसित कर सकते हैं।

क्रियाकलाप–५

कक्षा में सभी तरह के छात्रों को आप गणित की अच्छी शिक्षा कैसे दे सकते हैं? अगर हैं, तो कठिनाइयों की सूची बनाइए और संभावित हल पर चर्चा कीजिए।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीचिए।

पाठ्य-सामग्री में संधारणात्मक गलतियां :

गणित में संधारणा संबंधी गलतियां छात्रों के भावी जीवन के लिए बहुत खतरनाक हैं। देखा गया है कि बहुत से लेखक ये पाठ्यपुस्तकें लिखते समय ऐसी गलतियां करते हैं और शिक्षक व छात्र इन अशुद्धियों के शिकार बनते हैं। दुर्भाग्यवश अधिकांश शिक्षकों को इनका पता नहीं चलता। इस प्रकार की संधारणात्मक अशुद्धियों पर शिक्षकों से विस्तारपूर्वक चर्चा की जानी चाहिए। ऐसी कुछ संधारणात्मक अशुद्धियां नीचे दी गई हैं :—

(1) मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन (बहुपद संहृति) को बहुत से लेखक "पॉलीनोमियल" समझते हैं। यह गलत है। पॉलीनोमियल का संबंध संहृति (एक्सप्रेशन) में चर के सकारात्मक पूर्णकीय फलन से है, पद की संख्या से नहीं। मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन का संबंध संहृति में पद की संख्या से होता है, संहृति में पूर्णकीय फलन चाहे कुछ भी हो। अतः सभी पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन मल्टीनोमियल हैं, लेकिन सभी मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। उदाहरण के लिए $2\sqrt{x} + \frac{3}{x}$ मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं।

(2) इसी प्रकार कई लेखकों द्वारा "विषम" (इनइक्वेशन) और "असम" (इनइक्वेलिटी) को समानार्थी माना जाता है, लेकिन गणित की दृष्टि से यह गलत है। दोनों में अंतर है। विषम (इनइक्वेशन) एक उक्ति हैं जो चरों के सभी मूल्यों के लिए सही नहीं हैं। लेकिन "असम" एक ऐसी उक्ति है जो चरों के सभी मूल्यों के लिए ठीक है। इस प्रकार $x+y \geqslant 1$ विषमता का उदाहरण है और $(x+y)^2 > x^2+2xy+y^2$ असमता का उदाहरण है, क्योंकि यह x और y के सभी मूल्यों के अर्थ में सही है। हम "विषम" को हल करते हैं और "असम" को सिद्ध करते हैं।

(3) $\frac{x^2-1}{x+1}$ और $x-1$ इन दोनों को बहुत से लेखक समान समझते हैं। पर यह भी गलत है। $\frac{x^2-1}{x-1} = x+1$ निर्धारित नहीं है जबकि $x-1$, $x+1$ के लिए निश्चित है।

(4) बहुत से शिक्षक कई बार $\sqrt{(x-y)^2} = x-y$ या $\sqrt{16} = \pm 4$ आदि लिखते हैं जोकि गलत है। वस्तुतः ($\sqrt{}$) चिह्न का अर्थ है "धन वर्गमूल", सिर्फ "वर्गमूल" नहीं। परिणामतः $\sqrt{16} = 4$ (और न कि ± 4) और $\sqrt{(x-y)^2} = |x-y|$ और न कि $\sqrt{(x-y)^2} = x-y$ अथवा $y-x$ या $\pm(x-y)$। लेकिन 16 (जिसे आप $\pm\sqrt{16}$ लिखते हैं) का वर्गमूल निश्चित रूप से ± 4 के बराबर है।

(5) रेखागणित में एक "गोले" का अर्थ है : एक स्थान जिसका कुछ क्षेत्रफल है । लेकिन यह धारणा गलत है । यह एक "वक्र" या "वक्ररेखा" है जो इस प्रकार से बनाई गई है कि इसके घेरे में अपना क्षेत्र है । "गोले का क्षेत्र" इस वक्तव्य से हमारा तात्पर्य घेरे से आवृत स्थान के क्षेत्रफल से है, वक्ररेखा के क्षेत्रफल से नहीं । उसका कोई अर्थ नहीं है ।

(6) अगर हम दो समानान्तर रेखाओं का अर्थ उन दो लाइनों के रूप में लेते हैं जो कभी नहीं मिलतीं, तो यह गलत है । हो सकता है कि दो रेखाएं आपस में कभी न मिलें लेकिन फिर भी वे समानान्तर नहीं हो सकतीं । समानान्तर रेखाओं की परिभाषा में जिस बात पर हमें जोर देना है, वह यह है कि वे समतलीय रेखाएं हैं । अतः समानान्तर रेखाओं की ठीक परिभाषा इस प्रकार होगी : दो रेखाएं यदि समतलीय हैं और एक दूसरे को नहीं काटतीं हैं, तो वे समानान्तर रेखाएं कहलाती हैं ।

(7) पाठ्यपुस्तकों में गणित के कुछ फार्मूले प्रतिबन्धों का उल्लेख किए बिना दिए रहते हैं जिनके उल्लंघन से आपका उत्तर गलत हो सकता है । इसके लिए शिक्षक या छात्र, हो सकता है, उचित स्पष्टीकरण न दें सकें क्योंकि उन्हें फार्मूले से संबंधित प्रतिबंध के बारे में पूरी जानकारी नहीं है ।

अतः ये फार्मूले अपूर्ण हैं और इसलिए अशुद्ध भी । शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि वे छात्रों को प्रतिबंधों के बारे में जानकारी दें । उदाहरण के लिए "घातांक नियम" का प्रसिद्ध फार्मूला $a^m b^m = (ab)^m$ ही लें । बीजगणित की किसी भी पुस्तक में यह आपको ए, बी और एम के मूल्य पर किसी भी संभावित प्रतिबंध के बिना मिलेगा । हम समस्या का हल दो विभिन्न प्रकार से दे सकते हैं । पहले हम ऊपर वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे । परिणाम यह होगा कि दो विरोधाभासी उत्तर हमारे सामने आएंगे । अगर छात्र या शिक्षक ए, बी और एम के मूल्य पर प्रतिबंध को जानता है, तो वह यह नहीं बता सकता कि हल के दो तरीकों में से कौन-सा सही है ।

$$\sqrt{-16}\ \sqrt{-4} = (-16)^{\frac{1}{2}}(-4)^{\frac{1}{2}} = [(-16)\times(-4)]^{\frac{1}{2}}$$

$$= 64^{1/2} \qquad = \sqrt{64} = 8 \qquad \text{(ऊपर वाले तरीके के मुताबिक)}$$

$$\sqrt{-16}\ \sqrt{-4} = 4\sqrt{-1}\times 2\sqrt{-1} = 8\sqrt{-1}\times\sqrt{-1} = -8$$

एक स्थान पर हमारा उत्तर 8 हैं और दूसरे स्थान पर -8 । प्रश्न है : कौन-सा उत्तर ठीक हैं ? और क्यों ?

वस्तुतः फार्मूला $a^m b^m = (ab)^m$ निम्नलिखित मामलों में ठीक है :

(1) अगर m पूर्णांक है तो a, b की नान-जीरो वैल्यू के लिए ऊपर वाला फार्मूला ठीक है ।

(2) अगर m, $\left(\frac{p}{2q+1}\right)$ रूप का भिन्न है और p एवं q पूर्णांक हैं और भिन्न निम्नतम है, तो वह फार्मूला a, b की नान-जीरो वैल्यू के लिए ठीक है ।

(3) अगर m, $\left(\frac{p}{2q}\right)$ रूप का भिन्न है जहाँ p और q पूर्णांक हैं, और भिन्न अपने निम्नतम रूप में है, तो फार्मूला सिर्फ तभी सही होगा जबकि a, b में से कम-से-कम एक नकारात्मक हो । यह फार्मूला ठीक नहीं । इस उदाहरण में 16 और 4 दोनों नकारात्मक हैं, तो पहली पद्धति में उपर्युक्त फार्मूले का प्रयोग ठीक नहीं । दूसरा हल (-8) ठीक है । इसी प्रकार ये $a^x = a^y = x = y$ और $a^x = b^x = a = b$ फार्मूले भी a, b, x, y के मूल्यों के लिए ठीक नहीं ।

हमने गणित की पुस्तकों में संधारणात्मक गलतियों के कुछ ही उदाहरण यहाँ दिए हैं । ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ लेखक की वजह से संधारणात्मक गलतियां हैं । आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे उदाहरण ढूंढ निकालिए और सुधार के लिए समूह में उन पर चर्चा कीजिए ।

मूल्यांकन

छात्र का सही मूल्यांकन शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है। इस समय छात्र की उपलब्धि को नापने का सिर्फ एक ही साधन है और वह है परीक्षा। हालाँकि यह तरीका पूर्णरूपेण ठीक नहीं है। वर्तमान परीक्षा पद्धति की सब कमियों के बावजूद हमें प्रश्नपत्र और प्रश्न के ढाँचे में सुधार लाकर इस पद्धति को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न बनाने के पुराने तरीकों को हमें नया रूप देना चाहिए जिससे गणित के विभिन्न प्रकरणों में छात्र की योग्यता को सच्चे अर्थों में जाँचा जा सके। प्रश्न विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जैसे : विषयवस्तु पर आधारित प्रश्न, छोटे उत्तरों वाले प्रश्न, बहुत छोटे उत्तरों वाले प्रश्न और निबंधनुमा प्रश्न। अच्छे प्रश्न बनाना अपने आपमें एक कला है और कभी-कभी प्रश्न बनाना उत्तर से भी ज्यादा कठिन होता है। विश्वव्यापी प्रश्नों को जाँचने के विचार से संबंधित कुछ उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं :

(1) क्या आप निम्नलिखित प्रश्न को ऐकिक ढँग से सुलझा सकते हैं ?

(क) अगर गणित के एक प्रश्न का उत्तर एक छात्र द्वारा एक मिनट में निकाल लिया जाता है, तो 15 मिनट में उसी प्रश्न को कितने छात्र सुलझा सकेंगे ?

(ख) अगर 30 मिनट में एक किलो चावल पकते हैं, तो 2 किलो चावल कितने मिनट में पकेंगे ? (प्रश्न में अगर कोई अस्पष्टता है, तो उसे बताइए।)

(2) क ने बाजार से कोई चीज रु. 100 में खरीदी और उसे एक साल बाद दूसरे बाजार में जाकर 110 रुपये में बेच दिया। ख ने 100 रुपए बैंक में डाल दिए और एक साल बाद उसे कुल राशि के रूप में 110 रुपये मिले। दोनों को भिन्न रूप से 110 रुपये मिले अर्थात दोनों का लाभ समान रहा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे ? "लाभ" शब्द की भी व्याख्या कीजिए।

क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं ? वस्तु को अधिक मूल्य पर बेचने के बावजूद (क) व्यक्ति को लाभ भी हो सकता है और (ख) हानि भी।

(3) सरलतम भिन्न के निम्नलिखित रूप को बताइए :—

$(2:1)^{4:2} + (4:2)^{3:1} - 9:3^{4:2} \div (9:3)^2 + 5:3^2$

●

MODULE 28 S

TEACHING AND LEARNING OF ENGLISH

Overview :

This module is primarily designed for the teacher and aims at strengthening the teaching and learning of English, and imparting communicative skills to students in secondary schools with special reference to the learner-centred approach.[1]

English serves as our 'window on the world'; as the language in which the latest accretions to different fields of knowledge are available. As a "library language", the functional role of English, highlighting reading and study skills, is underscored. As the associate official language and an international link language, English has important functions to serve internally.[2]

There has been in recent years an alarming deterioration in students' attainments in English, as is evident in the alarmingly high percentage of failures in English and the inadequate communicative abilities of learners.

Objectives :

After studying the module, the teacher should be in a position

—to make his/her teaching learner-centred.

—to play the role of a facilitator of learning.

—to assess his/her teaching objectively and pinpoint areas of weakness.

—to devise strategies for improving the teaching and learning of English.

—to help the child to read textual materials intelligently and imaginatively.

—to develop in the learner some basic values and attitudes to develop in both teacher and learner the habit of reading extensively and listening to radio broadcasts.

Topic 1

OBJECTIVES OF TEACHING AND LEARNING ENGLISH

Self-Check Questions

Ask yourself these questions :

1. Does teaching and learning English mean teaching the prescribed books only?
2. Does it mean securing pass marks in the examination?

---

1. National Policy on Education (5.6)
2. Syllabi for the Upper Primary and Secondary Stages—NCERT.

3. Is there any difference between English and subjects like History and Geography?
4. What procedures do you adopt for teaching English structures?
5. Do you make a conscious effort to enrich the learner's vocabulary?
6. Are language skills developed
   if you use the lecture method?
   if you explain rules of grammar?
   if you translate the text from English into the mother-tongue?
7. Is any time given to the learner to use English in the classroom? If so, how much?
8. Is the entry behaviour in linguistic terms of the students adequate?
9. Are they familiar with the 200 basic structures of English?
10. Have they a vocabulary repertoire of 1200 to 1500 words?
11. Have they acquired the abilities of listening, speaking, reading and writing?

Some Significant Points To Be Highlighted :

1. If the teaching of English means teaching the prescribed texts, the objectives are not attained. The objectives are the development of the four basic skills of English with reference to a certain limited corpus of language material. By concentrating on the text, the complexion of the subject is changed from a *skill* into a content subject.
2. Skills are developed through constant and continuous practice. If the teacher talks for a considerable length of time, the students will not obtain any opportunity to use the language. They will often sit like dummies in the class and will not utter a single word or write a single sentence. They, therefore, will fail to acquire the basic skills and the objectives of teaching English will not be achieved.
3. Grammar is a distinct discipline. It talks *about* the language, and does not help students to *use* the language. Teaching grammar gives the students some knowledge about the use of the language. They are able to identify parts of speech, but are not able to use these parts of speech in sentences for purposes of communication. The teaching of formal grammar is not one of the objectives of teaching English. Grammar should be taught, if at all, after the learner is able to handle the essential phrase- and sentence-patterns of English in speech and writing.
4. If the students' attainments in English are not adequate, it is essential to devise remedial courses like the Bridge Course Materials—*Let's Enrich Our English*, Books 1 to 8—prepared by NCERT.

5. It is essential to develop in the learner
   (*a*) communication skills which will enable him to handle the language effectively as a vehicle for sharing with others his/her thoughts, feelings and experiences.
   (*b*) the abilities of reading, writing, listening and speaking. Each of these abilities comprises a hierarchy of graded competencies, ranging from the elementary to the highly sophisticated. The reading ability, for example, ranges from decoding an isolated word like 'man', to interpreting and appreciating a literary piece, story, poem or play.
6. A conscious attempt should be made to highlight and further promote the ability to read English intelligently and imaginatively.
7. In the secondary school, some time should be devoted to consolidating and reinforcing the language materials already learnt, with special reference to tenses and question patterns.

Learning Activities :

(*A*) *Small Groups*—The class should be divided into four small groups. Each group should list the various competencies of the four basic language skills (refer to appendix 10).

(*B*) *Individual Level*—Each participant should list at least four grammatical items—two from the syllabus for Class VI to VIII and two from the syllabus for Class IX and X; which he/she finds very important (for example, the simple past and the simple present tense in the middle school, and reported speech and passive constructions in the secondary school).

Topic 2

Methods and Techniques of Teaching Grammatical Items—Passive Constructions

Self-Check Questions

1. How do children learn to use the grammatical items of the language spoken at home?
2. Are the grammatical items learnt, if the student
   (*a*) is exposed to them once or twice?
   (*b*) comes across them in the textbook and supplementary reader?
   (*c*) studies *about* them in a grammar book?
3. Are grammatical items taught in appropriate situations?
4. Are different situations, different techniques, different activities used to enable the learner to use the items with ease and facility in speech and writing?
5. Are new lexical items also taught with the new grammatical items?

Some Significant Points To Be Highlighted

1. (*a*) The passive is used in *objective, impersonal* pieces of speech and writing.
   (*b*) The passive is not a structural alternative to the active.
   (*c*) The agent with *by* is used only when a specific individual or the cause of an action or activity is mentioned. For example :

   The Ramayana was written *by Tulsidas.*

   The tree was destroyed *by lightning.*

   The agent is not mentioned when it is not known. For example :

   A native speaker of English would say—'The window-pane was broken', instead of 'The window-pane was broken *by someone.*' ('by someone' is vague)

2. An effective method of presenting grammatical items is contextualisation or teaching in situations—physical, verbal, pictorial. Situations could be used effectively to teach grammatical items. The presentation of language through situations is natural. Contextualisation is also a profitable method for teaching new vocabulary items, as the situation/context delimits the semantic coverage of words and invests them with specific meaning.

3. To make teaching grammatical items more meaningful,
   (*a*) the interdisciplinary approach should be adopted, i.e. situations should be borrowed from different disciplines.
   (*b*) different areas of experience and different media should be made use of such as newspapers, T.V. programmes and radio broadcasts.

A Sample Situation—Description of a Process

By means of questions and answers the teacher can help students to describe a process. While doing so, the student will be called upon to use passive constructions.

How Pea-Pulao is Made

Half a k.g. of peas *are shelled.* One k.g. of rice *is cleaned,* then, washed. It *is soaked* in water for 15 minutes. A pot *is put* on the fire and a spoonful of ghee *is put* in it and it *is heated.* Onions *are sliced* and put into the pot and fried. When they become brown, rice and peas *are added.* The contents *are fried* and half a spoonful of salt and pepper *is added.* After a couple of minutes a quarter k.g. of water *is poured* into the pot and it *is covered.* After about half an hour the pulao is ready. It *is served* in a rice dish and *is garnished* with green coriander and fried peanuts.

To illustrate how the passive operates in real-life situations, a news item should be examined and the passive construction underlined.

Hurt as Chimpanzee Stones Zoo Visitors

Two persons including a zoo official were hurt when a chimpanzee, irritated by the unusually large crowds which thronged the place today, threw stones at the visitors.

The incident happened when the chimpanzee picked up a stone weighing nearly two kgs and threw it at a man who leered at him. The man *was wounded* on the leg.

It did not spare the zoo official, Mr. Ninan when he went near it. But this time it was a small stone which *was hurled* at him and it fell on his back.

It *was also learnt* that a langur *had to be hospitalised* as it felt uneasy due to the disturbances caused by the large crowds.

Throughout the day, streams of people, mostly those from the rural areas of Delhi and towns who had come to watch the Republic Day parade, were seen moving inside the zoo.

The zoo *had been kept* open today even though the officials had wanted it *to be closed* to the public in order to save the animals from unnecessary discomfiture. The closure plan was reportedly *turned down by* the Environment Ministry officials.

Damaged Lawns

Apart from this, most of the newly-prepared lawns were *damaged* by people walking all over the place.

Picnic time for most of the people had turned the place upside down with tonnes of waste papers, food packets, and other garbage thrown all over.

However, some damage *was restricted* as the officials had kept the normally troublesome orang-outangs away from the public gaze. Also the Australian bird, the emu, which is presently sitting on its eggs, *was "confined"* to its enclosure.

Learning Activities :

(*a*) *Individual Level*

Each teacher should list the grammatical items which they find it difficult to teach.

(*b*) *Small Groups*

(*i*) These items should be grouped, the class divided into four groups, each group should devise a different situation to teach these items.

(*ii*) Each group should collect samples of the items from different sources, like newspapers.

Topic 3 :

Methods and Techniques of Teaching the Textbook and Supplementary Reader

Objectives :

—Using the textbook and ancillary materials as an aid to the teaching of language,

—Using the textual material to develop in students the faculty of analytical and critical thinking—interpretative comprehension.

—developing values and attitudes.

Self-Check Questions :

1. Does the teaching and learning of English mean just teaching the textbook?
2. Why are textbooks and supplementary readers prescribed?
3. Do you concentrate on teaching the content of the lessons in the textbook?
4. Do you use the mother-tongue to render the lessons from English into the mother-tongue?
5. Do you paraphrase each lesson of the textbook?
6. Do you emphasize the teaching of new grammatical and lexical items introduced in the textual materials?

Some Important Points To Be Highlighted

1. The textbook primarily should be read silently and taught by means of questions and answers.
2. Conscious efforts should be made to develop factual, interpretative and evaluative comprehension. If the child's thinking faculties are developed, English acquires an educative value.
3. New language items, both grammatical and lexical, should be highlighted.

A Sample of How To Teach the Prose Textbook

The following piece has been taken from the *Language Through Literature*—Textbook I—for the Class IX course B, published by NCERT.

"Far away," continued the statue in a low musical voice, "far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn and she has coarse red hands, all pricked by the needle, she is a seamstress. She is embroidering flowers on a satin gown for the

loveliest of the Queen's Maids of Honour, to wear at the next court ball. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying : 'Swallow, Swallow, little Swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move.'

—*The Happy Prince* by Oscar Wilde

Sl. No.	Questions by Teacher	Students' Response	Remarks
1.	How did the statue speak?	In a low musical voice.	Locating significant details
2.	(*a*) What is the opposite of 'far away'?	Near	Vocabulary enrichment
	(*b*) What is the synonym of 'low'?	Soft	—do—
3.	What is the difference between 'road' and 'street'?	A road is broad, while a street is narrow.	Sensitivity to the use of words
4.	Why were the hands of the woman red?	Because they had been pricked by a needle.	Developing intelligent comprehension.
5.	Who is the seamstress?	A woman who stitches, makes garments.	Deducing the meaning from the context.
6.	Frame a question whose answer is 'for the loveliest Queen's Maid of Honour.'	Who was she embroidering the gown for?	Developing sophisticated comprehensive skills through the use of grammatical items.
7.	What did the boy want?	Oranges	Developing factual comprehension.
8.	What did the statue want the swallow to do?	To help the sick boy	Developing intelligent comprehension
9.	What quality of the statue does this episode bring out?	Kindness, Sympathy	Developing interpretative comprehension

10. Do you think the Swallow carried out the request of the statue?	(different answers)	Making predictions.
11. Was the statue justified in asking the Swallow to carry out his wishes?	(different answers)	Developing in the students the ability to make value judgements.

Supplementary Reader

The main objectives of using the supplementary reader are :

—to instill in the learner a love of reading.

—to consolidate and reinforce the language material already taught.

Some Points To Be Highlighted.

1. A few questions may be given at the beginning to make reading purposeful. The students will then be motivated to read the text to find the answers to given questions.
2. Students should read the story/text to find answers to given questions.
3. Silent reading of the text should be underscored.
4. Composition exercises should emanate from the lessons in the supplementary reader, e.g. the students may be asked to do profile writing; description of situations; narration of stories, changing the endings of stories; etc.

Learning Activities

Each group should :—

(1) Pick out new grammatical items used in a lesson of the textbook they are using.

(2) Select new lexical items contained in the lesson.

(3) Prepare factual questions based on significant points of the text.

(4) Frame questions to enrich their vocabulary resources.

(5) Frame questions to develop interpretative and evaluative comprehension.

Topic 4 : Content Enrichment

—Reading for pleasure.

—Listening to taped materials.

Materials to be Used

1. Books (fiction, non-fiction) written for children.

2. Books written for teachers.
3. Radio broadcasts.
4. T.V. lessons.

Objectives

1. To promote professional growth of the teacher.
2. To develop in him/her the habit of extensive reading.
3. To improve their abilities of listening through the use of audio-visual media.

A Few Suggestions

1. During the ten-day course, each teacher should read at least two books.
2. There should be seminars and panel discussions on the books read. Teachers should discuss the theme, the characters in the books read, interesting incidents and events related in the books. The teacher should also evaluate the book and give his/her own personal assessment of it.
3. The teachers should listen to the news in English, watch T.V. programmes in English, and give a summary of what they have heard or watched.

Appendix 1

Learning Outcomes in the Upper Primary and Secondary School
(A Five-to-Six-Year Course)

Allocation of time : 6 periods a week

The terminal learning outcomes of English in the Upper Primary and Secondary School are that the student develops :

1. *The Ability to understand English when it is spoken :*

The Listening Ability

The student

—understands meanings of words, phrases and sentences in context.

—understands simple statements, questions, commands.

—follows directions given orally.

—follows simple narrations and descriptions.

—grasps the substance and central idea of what is spoken.

—listens attentively so as to be able to ask pertinent questions.

—maintains his/her listening attention for a reasonable length of time.

2. *The Ability To Speak Intelligibly* :

The Speaking Ability

—produces English speech sounds which are intelligible to all listeners.

—uses appropriate word stress, sentence stress and elementary intonation patterns.

—speaks intelligibly while making statements, asking questions, giving instructions and reporting events.

—puts ideas in correct sequence.

—evokes required responses in his listeners.

—narrates simple experiences and series of events.

—describes accurately what she (he) observes and experiences.

—converses in familiar social situations.

—uses polite expressions in appropriate situations, e.g.
Excuse me, I beg your pardon, etc.

3. *The Ability To Read English Intelligently and Imaginatively*

The Reading Ability

The student

—decodes phrases or sense groups.

—develops correct reading habits.

—grasps meanings of words, and sentences from the context.

—understands labels and simple notices and written instructions.

—undetstands the total underlying meaning in the context.

—locates significant details.

—follows sequences of ideas, facts, etc.

—makes inferences.

—predicts outcomes.

—responds to the passage read.

—acquires the ability to use a suitable dictionary.

—comprehends materials falling outside the prescribed text.

—forms the habit of reading for pleasure and/or information.

—consults informational matter such as time-tables, catalogues and brochures.

4. *The Ability To Write English Correctly*

The Writing Ability

The student

—masters the mechanics of writing—the use of elementary punctuation marks and capital letters.

—spells words correctly.

—writes neatly and legibly with reasonable speed.

—uses an appropriate vocabulary and grammatical items.

—writes paragraphs, letters, simple narrative pieces.

—writes accurate descriptions of people, places and things.

—displays imagination in writing semi-controlled compositions like stories, events, processes.

5. *Familiarity with Simple Rhymes and Verse* (*Upper Primary*)

Familiarity with Simple Poems (*Secondary*)

The student

—reads poems effectively, i.e. with proper rhythm and intonation.

—recites poems.

—enjoys reading poems aloud.

—grasps the theme of the poem.

6. *Interest in Library Reading and Listening*

The student

—reads widely on his own including books and magazines.

—listens to radio broadcasts, watches television programmes and films in English.

The overall objective is that the student *enjoys* acquiring and using various language abilities of comprehension and expression and acquires the habit of reading to learn for pleasure and information. Thus, English becomes a tool for life-long education.

मॉड्यूल–२९ एस

माध्यमिक स्तर पर स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा

दृष्टिपात

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा स्कूल पाठ्यक्रम का अंतरंग भाग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार बच्चा ही शिक्षा का केन्द्र है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि शिक्षक के मन में प्रत्येक छात्र के प्रति समुचित आदर हो और एक अच्छे मानव के रूप में बालक के विकास एवं उन्नति की भावना हो। छात्र-केन्द्रित नीति बालक के प्रति आदर की अपेक्षा करती है और परिणाम की अपेक्षा विधि पर अधिक बल देती है। उसी भावना से सभी शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि वे बालक के सम्मान, प्रतिष्ठा, गुण तथा सम्पूर्ण विकास की रक्षा करें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्वास्थ्य की परिभाषा मनुष्य के "शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास" से सम्बद्ध है। स्वास्थ्य का तात्पर्य बीमारी अथवा दुर्बलता से बचाव करना ही नहीं है, स्वास्थ्य एक सकारात्मक संकल्पना एवं धारणा है। इसका तात्पर्य है:

(1) बहुत अधिक मात्रा में क्रियाकलाप—शारीरिक क्रियायें जिससे गतिमान होने की क्षमता का विकास हो सके।

(2) सही मात्रा में पौष्टिक तथा संतुलित भोजन।

(3) पर्याप्त विश्राम, आराम तथा नींद।

(4) सुरक्षित रहने की भावना।

(5) सुखद मानवीय संबंध।

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा से संबंधित कार्यकलापों को यथासंभव स्कूल के सम्पूर्ण कार्यक्रमों में भलीभाँति पिरो दिया जाना चाहिए।

प्रस्तुत मॉड्यूल द्वारा आपको स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा से सम्बद्ध कार्यकलापों को व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी।

लक्ष्य :

इस मॉड्यूल के माध्यम से आप :

–उन सभी धारणाओं से अवगत हो जायेंगे जिनका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है,

–छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी साधारण समस्याओं से परिचित हो सकेंगे,

–स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आदत डाल सकेंगे,

–खेलकूद में भाग लेने की इच्छा जागृत कर सकेंगे,

–स्कूल में एक ऐसा वातावरण बना सकेंगे जिससे छात्रों में क्रीड़ा-कौशल उत्पन्न हो सके।

दशिकायें :

शिक्षकों के विचारार्थ कुछ बिन्दु यहाँ दिये जा रहे हैं :

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का सीधा संबंध अनौपचारिकता से है । इससे शिक्षक व छात्र दोनों को ही पर्याप्त स्वतंत्रता मिलती है। शिक्षक को चाहिए कि वह अनौपचारिक रूप से छात्रों के सर्वोच्च गुणों को उभारने का प्रयास करे। यदि स्कूल में एक या दो प्रकार के खेलों में अच्छी टीम बन गई है, तो शिक्षकों को उससे ही संतुष्ट नहीं ही जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ही छात्र सम्मिलित हो सकेंगे । स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा से संबंधित क्रियाकलापों को इस प्रकार व्यवस्थित करना होगा कि प्रत्येक छात्र अपनी क्षमता, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार उससे लाभान्वित हो सके। स्कूल को इस बात से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि केवल एक शारीरिक शिक्षक अपना कार्य सफलतापूर्वक कर रहा है। प्रत्येक अध्यापक को शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों में भाग लेना चाहिए। शिक्षकों को अपने प्रत्येक छात्र के व्यक्तित्व का ज्ञान होना चाहिए जिससे वे सभी छात्रों के स्वास्थ्य के विकास में सहयोग दे सकें। प्रायः देखा गया है कि स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम यह कहकर टाल दिए जाते हैं कि स्कूल में पर्याप्त साधन नहीं हैं। किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उपलब्ध वातावरण और सामुदायिक सहयोग द्वारा बिना लागत वाले अनेक कार्यकलाप आयोजित किये जा सकते हैं।

स्कूल के शिक्षकों को स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिए कम से कम निम्नलिखित कार्यक्रम बनाने चाहिए :

(1) उन छात्रों की सूची बनायें जिन्हें किसी भी प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता है—जैसे, आँखों संबंधी, श्रवण संबंधी, दांत संबंधी अथवा नाक, गला, त्वचा, बाल या अंगविन्यास संबंधी ।

(2) ऐसे सभी छात्रों को आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ या स्कूल के डाक्टर के पास या सिविल अस्पताल भेजें।

(3) बीमार छात्रों के विषय में डाक्टर, विशेषज्ञ अथवा अभिभावकों से चर्चा करें।

(4) चिकित्सक की राय के अनुसार छात्र का इलाज करवायें और देखें कि वह स्वस्थ हो रहा है या नहीं।

(5) इस बात पर जोर दें कि छात्रों को यथासमय डिफ्थीरिया, तपेदिक, टिटनेस, काली खाँसी, हैजा, पोलियो, टाइफाइड आदि के टीके लगवाये जायें । यह भी उचित होगा कि स्कूल में ही प्रतिरक्षण कार्यक्रम हो तथा बच्चों के परिवारों को भी प्रतिरक्षण की सुविधायें दी जायें।

(6) ऐसी खान-पान संबंधी तथा अन्य कमियों का पता लगायें जिनका बच्चों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। बच्चों के स्वास्थ्य का रिकार्ड रखें तथा उन्हें समय-समय पर उचित सलाह दें।

(7) बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे समूह बनायें जिनमें आवश्यकतानुसार शारीरिक शिक्षा संबंधी विभिन्न कार्यक्रम कराये जा सकें। अन्ततः इनमें से कुछ बच्चे शारीरिक शिक्षा के अनेक कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे।

शारीरिक शिक्षा संबंधी कार्यकलापों की एक योजना बना लेनी चाहिए। इस संबंध में कुछ कार्यकलापों का प्रस्ताव दिया जा रहा है :—

(1) रोजमर्रा के कार्यकलापों का प्रोग्राम बनाएं। स्कूल में उपलब्ध खुले स्थान में, बच्चों को आयु एवं क्षमता के अनुसार तीव्र गति से चलने एवं दौड़ने के लिए प्रोत्साहित करें।

(2) कार्यकलापों का एक ऐसा बृहद कार्यक्रम बनाएं जिसमें बाहर खेले जा सकने वाले खेलकूद, छोटे क्षेत्र में आयोजित किये जाने वाले खेल, व्यायाम, योग आदि सम्मिलित हों। इसके लिए छात्रों के समूह बनाएं। छात्रों को बारी-बारी सेसभी खेलों में भाग लेने की सुविधा दें।

(3) दोपहर में, अथवा खाना खाने के पहले या तुरन्त बाद शारीरिक कार्यकलाप करना उचित नहीं है। छात्रों की शारीरिक क्षमता और आवश्यकता को ध्यान में रख कर ही समय का चुनाव करना चाहिए।

(4) जिन स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के अध्यापक हैं उन्हें प्रत्येक कक्षा को सप्ताह में दो बार अवश्य लेना चाहिए। उन्हें छात्रों को आवश्यक मूल क्रियायें और विभिन्न क्रियाओं को करने के तरीके सिखाने चाहिए। अच्छा होगा यदि अन्य शिक्षक भी इन क्रियाकलापों को ध्यान से देखें।

(5) प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षण ही वह धुरी होनी चाहिए जिसके चारों ओर अन्य कार्यकलाप घूम सकें। अनौपचारिक वातावरण में आकर्षक खेलकूद कराने चाहिए जिससे बच्चे उनके प्रति आकर्षित हो सकें और उनमें रुचि ले सकें। वास्तव में छात्र के स्व-कार्यान्वियन में खेल का एक महत्वपूर्ण स्थान है।

कार्यकलापों के कुछ सुझाव

इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले सभी शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों के बारे में विचार-विमर्श करके उन्हें आयोजित कर सकते हैं :—

क्रियाकलाप–१

खाने की उन सभी चीजों की एक सूची बनायें जो प्रायः बच्चे एक सप्ताह में खाते हैं। बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके पौष्टिक तत्वों को नोट करें। आप माता-पिता की आर्थिक स्थिति, उनके रीति-रिवाजों को ध्यान में रखकर उनमें क्या परिवर्तन करना चाहेंगे ? चर्चा कीजिए।

क्रियाकलाप–२

आयु को ध्यान में रखकर आप जिन बच्चों को शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षित कर रहे हैं, उनके विकास की विशिष्टताओं की सूची बनायें। उनके आधार पर अपने स्कूल में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम बनायें।

क्रियाकलाप–३

आमतौर पर होने वाली संक्रामक बीमारियों के लक्षण क्या हैं ? चर्चा कीजिए। बच्चों व आसपास के लोगों को इनसे अवगत कराने के लिए कुछ पोस्टर बनायें, बुलेटिन बोर्ड के लिए सामग्री तैयार करें और कुछ संदेश लिखें।

क्रियाकलाप–४

प्रत्येक छात्र के लिए स्वास्थ्य संबंधी रिकार्ड का एक फार्म तैयार करें। आपस में अन्य शिक्षकों से इस पर परामर्श करें। इनका उपयोग अपने स्कूल में करें।

क्रियाकलाप–५

सत्र के आरम्भ में ही बच्चों को यह सिखाने के लिए कि यदि स्कूल, खेल के मैदान अथवा बाहर या विज्ञान प्रयोगशाला में कोई दुर्घटना हो जाये, तो वे किस प्रकार आचरण करें—इसके लिए एक दर्शिका तैयार कीजिए। इसमें यह भी बतायें कि ऐसी स्थिति में किस प्रकार प्राथमिक सहायता दी जानी चाहिए।

क्रियाकलाप–६

छात्रों के लिए ऐसी दर्शिका बनाइये जिसमें यह लिखा हो कि वे स्कूल के गलियारों में, बाथरूम अथवा शौचालयों में, हाथ धोने और पीने के पानी के संबंध में, नाश्ता अथवा भोजन करते समय, स्कूल के बाहर खोन्चेवालों से सामान खरीदते समय, ऊबड़-खाबड़ जमीन पर चलते समय, बिजली के पाइंट अथवा उपकरणों का प्रयोग करते समय, खिड़की-दरवाजों को खोलते-बन्द करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखें।

क्रियाकलाप–७

इस बात के लिए भी एक दर्शिका बनायें कि आवश्यकता पड़ने पर छात्र आसपास के क्षेत्र से चिकित्सा संबंधी सुविधा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें स्वयं स्वस्थ रह कर चिकित्सा से दूर रहने का भी ज्ञान देना आवश्यक है।

क्रियाकलाप–८

ऐसे कार्यकलापों की सूची तैयार कीजिए जिनके माध्यम से आप अपने छात्रों की स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में मदद कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कौन-से कार्यकलापों में आप उन्हें दक्षता प्राप्त कराना चाहेंगे ? अपने सहयोगियों से इस पर चर्चा कीजिए।

क्रियाकलाप–९

आप अपने क्षेत्र में अपने सहयोगियों और छात्रों की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम—विशेषकर तम्बाकू तथा अन्य नशीली वस्तुओं आदि से होने वाली हानियों को ध्यान में रखकर—किस प्रकार लागू करेंगे ? आस पास-पड़ोस के लोगों से, उनके अग्रगणियों से, अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं से इस कार्य में किस प्रकार सहयोग प्राप्त कर सकते हैं ?

माध्यमिक विद्यालयों के लिए शारीरिक शिक्षा संबंधी कुछ सुझाव

(अ) उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं के लिए

(1) छात्रों की आयु तथा क्षमता के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में सीखे हुए कार्यकलापों तथा गति-विधियों को आगे बढ़ाना।

(2) स्पर्धा के रूप में धीमे रूप से आयोजित होने वाले खेलकूद।

(3) विभिन्न खेलकूदों के लिए योग्यतायें बढ़ाना और इन योग्यताओं का सामुदायिक खेलों में प्रयोग करना।

(4) अम्पायर, रेफरी तथा लीडर के निर्णय को मानना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव उत्पन्न करना।

(5) लम्बी कूद, ऊँची कूद तथा डिस्क बगैरह फेंकने वाले खेल।

(6) बड़े मैदानों में होने वाले खेल : जैसे फुटबाल, हॉकी, हैंडबाल आदि।

(7) दो पार्टियों के बीच होने वाले खेल—जैसे बैडमिंटन, टेबिल टेनिस, कबड्डी, खो-खो।

(8) द्वंद्व—जैसे कुश्ती, मुक्केबाजी, जूडो इत्यादि।

(9) व्यायाम।

(10) उच्चस्तरीय योगासन।

(11) चट्टानों तथा पहाड़ों पर चढ़ना।

(12) लय तथा गति ।

(13) तैरना आदि (यदि सुविधा हो, तो) ।

(14) साइकिल चलाना आदि ।

(ब) माध्यमिक कक्षाओं के लिए

उपर्युक्त क्रियाकलापों के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य क्रियाकलापों का आयोजन किया जा सकता है :—

(1) फुटबाल, हॉकी, बॉस्केट बाल, वॉलीबाल, कबड्डी, खो-खो और अन्य टीमों वाले खेल जिनमें सभी नियमों का पालन करना होगा ।

(2) व्यायाम एवं कसरत : सभी ओलम्पिक खेल जिनमें सभी नियमों का पालन करना होगा ।

(3) द्वंद्व—कुश्ती, कराटे, जूडो, मुक्केबाजी आदि ।

(4) व्यक्तिगत तथा सामूहिक खेल जैसे बैडमिंटन, टेबिल टेनिस आदि ।

(5) चट्टानों तथा पहाड़ों पर चढ़ना, सड़कों पर साइकिल चलाना आदि ।

शिक्षक होने के नाते हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे छात्र एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें । हमें प्रत्येक छात्र के विकास का ध्यान रखना चाहिए । वे स्वस्थ रहें और उनका सर्वांगीण विकास हो, यही हमारा प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए ।

●

मॉड्यूल ३० एस

विद्यालय-आधारित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

भूमिका

हमें आशा है कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत हो गए हैं। आपने देखा होगा, इसमें अध्यापकों की शिक्षा में पूर्णरूपेण सुधार का सुझाव दिया गया है जिससे स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाया जा सके। इसमें इस तथ्य को भी रेखांकित किया गया है कि अध्यापकों को समय-समय पर प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है जिससे वे शिक्षण नीति में उल्लिखित महत्वपूर्ण दबाव का सफलतापूर्वक सामना कर सकें। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि शिक्षा पर राष्ट्रीय वाद-विवाद का एक सर्वाधिक उल्लेखनीय पहलू यह रहा है कि शिक्षकों को शिक्षा की सभी प्रक्रियाओं में भाग लेना चाहिए, जैसे : पाठ्यक्रम का निर्माण, मूल्यांकन और नीति-निर्धारण। इस प्रकार शिक्षक की छवि देश के नए संकल्प की सफलता के केन्द्र-बिन्दु के रूप में उभरकर हमारे सामने आती है क्योंकि शिक्षा सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसीलिए "प्रोग्राम आफ ऐक्शन" में समूचे समुदाय को, समूचे समाज को शिक्षित करने पर और साथ ही कार्य की दृष्टि से स्कूलों की स्थिति को सुधारने के लिए जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए "प्रोग्राम आफ ऐक्शन" में जिन नीतियों का उल्लेख है उनमें शिक्षकों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदमों का सुझाव दिया गया है। उसमें इसका विशेषरूप से उल्लेख है कि शिक्षकों को शिक्षा-योजना एवं व्यवस्था में सक्रिय भाग लेना चाहिए। पर इसके लिए हमें ऐसे अवसर जुटाने होंगे जिनसे शिक्षकों में स्वायत्तता एवं नवीनीकरण की भावना पैदा हो। यह तभी संभव हो सकता है जब शिक्षक स्वयं अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम बनाएंगे। शिक्षकों को शैक्षणिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका देकर धरातल तैयार किया जा चुका है। परन्तु शिक्षक सफलतापूर्वक यह कार्य कर सकें इसके लिए आवश्यक है कि प्रबन्ध, तकनीक और व्यवस्था प्रक्रिया में परिवर्तन और सुधार किया जाए। इसके लिए सबसे पहले हमें माहौल बनाना होगा जिससे शिक्षकों की प्रगति संभव हो और वे अपना काम सही ढंग से कर सकें। इसके लिए यह भी जरूरी है कि स्कूलों में सेवारत शिक्षकों के शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यापक व्यवस्था की जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय योजना बनाई गई है : विद्यालय-आधारित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण योजना। इस योजना के अंतर्गत शिक्षकों के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस वर्ष आप भी इसमें भाग ले सकेंगे। आप देखेंगे कि इन दस दिनों में आपने जो कुछ सीखा है उससे "राष्ट्रीय शिक्षा नीति" और "प्रोग्राम आफ ऐक्शन" के उद्देश्य की पूर्ति करते हुए स्कूल में आपको अपने काम में कितनी सहायता मिलती है। आप यह भी देखेंगे कि ये दस दिन आवश्यकताओं को देखते हुए आपके लिए पर्याप्त नहीं हैं। अतः हमें सभी शिक्षकों के लिए इस प्रकार के पर्याप्त अवसर जुटाने होंगे जिससे उनका ज्ञान और योग्यता बढ़ सके और वे छात्रों को सही ढंग से आज की आवश्यकता के अनुसार पढ़ा सकें। इसके लिए जरूरी है कि स्कूलों में ही सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। इसका फायदा यह होगा कि शिक्षक अपने काम के साथ-साथ प्रशिक्षण में ज्यादा अच्छी तरह से हिस्सा ले सकेंगे। इस मॉड्यूल का लक्ष्य है कि आप स्कूल में ही सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के विचार एवं लक्ष्य से परिचित हो सकें, कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों की कल्पना कर सकें और उन विभिन्न पहलुओं को समझ सकें जिनसे आपका काम आसान हो सके।

उद्देश्य :

यह मॉड्यूल पढ़ने के बाद आप :

–विद्यालय-आधारित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के विचार एवं आवश्यकता को समझ सकेंगे।

–इस कार्यक्रम के उन विशेष उद्देश्यों को समझ सकेंगे जिन्हें आप अपने स्कूल में ही प्राप्त कर सकते हैं ।

–विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रियाकलापों का चुनाव कर सकेंगे ।

–अपने ही स्कूल में दीर्घकालिक और लघुकालिक कार्यक्रम की योजना बना सकेंगे । और

–विशिष्ट आवश्यकताओं को रेखांकित कर सकेंगे जिससे आपको कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सुविधा हो ।

क्रियाकलाप–१

काम शुरू करने के बाद क्या आपको कभी और अधिक पढ़ाई एवं प्रशिक्षण की जरूरत महसूस हुई है ? अगर हाँ, तो शिक्षकों के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा के दौरान प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए ।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए ।

विद्यालय-आधारित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम :

मूल रूप से शिक्षकों के विकास को बढ़ावा देने के लिए यह एक उपयुक्त कार्यक्रम है । इसके अंतर्गत शिक्षक उसी स्कूल में प्रशिक्षण पा सकेंगे जिसमें वे पढ़ा रहे हैं । उन्हें बाह्य प्रशिक्षण केन्द्रों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा । यह एक आत्मनिर्भर, स्वत:पर्याप्त, स्वत:स्फूर्त एवं स्वत:प्रेरित कार्यक्रम है । शिक्षक अपना काम करते हुए ही यह प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे और अपनी योग्यता बढ़ा सकेंगे जिससे वे स्कूलों की आज की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें । यह शिक्षकों के ज्ञान को बढ़ाने और उनके कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा का ही एक रूप है ।

इस कार्यक्रम का विचार स्कूलों के दैनिक जीवन में शिक्षकों के सामने आने वाली समस्याओं और आवश्यकताओं को देखते हुए उभरा था । तभी समस्याओं से निबटने और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक योजना बनाने पर विचार किया गया जिससे सेवारत शिक्षकों का कार्य बेहतर बन सके । इसके लिए यह आवश्यक समझा गया कि स्कूलों में ही शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण का कार्यक्रम बनाया जाए और विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाए । स्कूलों में विभिन्न गतिविधियों द्वारा सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक के बीच खाई को पाटने पर भी विचार-विमर्श किया गया । संक्षेप में स्पर्धा अब स्वयं स्कूल में होगी । शिक्षक की शिक्षण आवश्यकताओं को स्वयं स्कूल में पूरा किया जाएगा । इसीलिए विद्यालय-आधारित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ आवश्यकताओं के अनुरूप आगे बढ़ना नहीं है बल्कि कार्यपद्धति पर बल देना भी है । इसके अलावा यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि इस कार्यक्रम का सुझाव ऊपर से नहीं आया हैं । वस्तुत: यह योजना के विकेन्द्रीकरण का, शिक्षक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन और मूल्यांकन का एक प्रयास है । संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि यह शिक्षकों द्वारा शिक्षकों के लिए शिक्षकों के विकास का कार्यक्रम है ।

क्रियाकलाप–२

आपके विचार से "विद्यालय-आधारित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम" "ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम" (जिसमें आप राष्ट्रीय सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत भाग ले रहे हैं) से अपने स्वरूप व गठन में किस प्रकार भिन्न होगा ?	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए ।

तर्काधार (मूलाधार)

"विद्यालय-आधारित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम" "सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण योजना" का विकल्प नहीं है। इसलिए इसके अस्तित्व में आने से अन्य कार्यक्रमों या योजनाओं के समाप्त होने का प्रश्न नहीं उठता। वस्तुतः शिक्षकों एवं पाठशालाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए यह एक अनुपूरक कार्यक्रम होगा। शिक्षकों की बड़ी संख्या को देखते हुए भी यह महत्वपूर्ण हैं। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्कूलों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इससे शिक्षकों की आवश्यकता बढ़ी है। इसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से शिक्षकों के प्रशिक्षण स्तर पर पड़ा हैं। इसलिए शिक्षकों के पुनर्प्रशिक्षण की आवश्यकता को प्रायः महसूस किया जाता है। इस विस्तार के अलावा ज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है जिसके कारण स्कूल के पाठ्यक्रम में कई परिवर्तन किए गए हैं। शिक्षक, जिन्होंने कुछ वर्ष पहले प्रशिक्षण लिया था, उनके लिए परिवर्तनों को देखते हुए बहुविध पुनर्प्रशिक्षण की आवश्यकता उठ खड़ी हुई है। केवल एक पद्धति या केवल एक कार्यक्रम से हम इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जरूरत है जिससे शिक्षकों को समय के अनुरूप आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा सके। विद्यालय-आधारित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक विशेष लाभ यह है कि इससे शिक्षकों की दैनिक व्यावसायिक आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी।

इस नए कार्यक्रम के कई फायदे हैं। सर्वप्रथम यह एक ऐसी पद्धति है जिससे सेवारत सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। दूसरे इसमें बहुत अधिक अतिरिक्त पैसे की जरूरत नहीं है। इसका तीसरा फायदा यह है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण के समय स्कूल से छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी जैसा कि अन्य रूढ़िगत बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान होता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, स्कूलों में वैसे ही शिक्षकों की कमी है और अगर अध्यापक प्रशिक्षण के लिए छुट्टी लेते हैं, तो समस्या और बढ़ जाती है। इसलिए अगर हम प्रशिक्षण को शिक्षण के साथ जोड़ देते हैं, तो शिक्षक पढ़ाने के साथ-साथ प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लेंगे। आपने देखा होगा कि पुरानी पद्धतियां और तकनीक स्कूल की वास्तविक आवश्यकताओं को सही मायनों में पूरा नहीं कर पातीं। नई पद्धति या नया कार्यक्रम बाह्य प्रशिक्षण की कमियों को पूरा कर सकेगा और स्कूली समस्याओं को ज्यादा अच्छे ढँग से सुलझा सकेगा। यह अधिक वास्तविक एवं स्वाभाविक होगा। अगर इसे अच्छी प्रकार विकसित किया जाता है, तो यह परिवर्तनशील, कल्पनाशील एवं प्रगतिशील बन सकता है। यह सच्चे अर्थों में एक आत्मनिर्भर कार्यक्रम होगा। शिक्षक का सिर्फ कार्यक्रम की योजना में ही नहीं बल्कि उसके क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में भी पूरा सहयोग अपेक्षित होगा।

क्रियाकलाप–३

"विद्यालय-आधारित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम" आपके द्वारा हाथ में लिए गए विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं को साकार करने में कैसे सहायक हो सकता है ? लिखिए।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

उद्देश्य :

नए कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों से भिन्न नहीं है। इससे शिक्षकों की व्यावसायिक कार्यकुशलता बढ़ेगी और कक्षा में पढ़ाने के ढँग में वांछनीय परिवर्तन आएगा। इन कार्यक्रमों से शिक्षकों के ज्ञान में वृद्धि होगी और उनकी अध्यापन योग्यता बढ़ेगी। इनसे स्कूलों का नवीकरण संभव होगा और शिक्षकों में नए-नए प्रयोग करने की एवं सहकारिता की भावना जागृत होगी। नए कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्यों की सूची हम नीचे दे रहे हैं :—

1–आत्मसुधार और सतत व्यावसायिक वृद्धि के लिए शिक्षकों में जागृति आएगी।

2–पठन-पाठन की नई-नई तकनीकों के विकास में शिक्षकों के स्वैच्छिक सहयोग से कक्षा में नवजीवन आएगा।

3–शिक्षक स्कूल के चहुमुखी विकास के लिए प्राप्त संसाधनों का पूरा-पूरा प्रयोग कर सकेंगे।

4–शिक्षकों की प्रगति के लिए स्कूल के मुखिया अपनी व्यावसायिक भूमिका समझ सकेंगे।

5–शिक्षकों में उत्तरदायित्व की भावना जागेगी, समस्याओं की हल करने की प्रवृत्ति आएगी और वे अपना अच्छा-बुरा समझ सकेंगे।

6–शिक्षकों में सहकारिता की भावना बढ़ेगी। स्कूल की समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिलेगी।

7–शिक्षक छात्रों की शिक्षा-संबंधी आवश्यकताओं को ज्यादा अच्छी प्रकार समझ सकेंगे और उनकी पूर्ति कर सकेंगे।

8–विद्यालय अधिक प्रभावशाली व्यावसायिक संस्थान और शिक्षा के उत्कृष्ट केन्द्र बन सकेंगे।

क्रियाकलाप–४

अपनी पाठशाला की परिस्थिति को देखते हुए आप "विद्यालय-आधारित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम" के लिए शुरू में किन लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्रासंगिक समझते हैं?	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

गतिविधियां

मोटे तौर पर नए कार्यक्रम की गतिविधियों की सामान्य गतिविधियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें स्कूल के विशिष्ट कार्यक्रम और शिक्षक की प्रत्यक्ष रूप से विकास से संबंधित विभिन्न गतिविधियां भी आ जाती हैं। इन गतिविधियों से शिक्षक की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक वृद्धि संभव होगी। "अप्रत्यक्ष" से हमारा तात्पर्य उन कार्यक्रमों से है जो छात्रों के विकास और विशिष्ट संस्थानिक आवश्यकताओं एवं उनके सिद्धांतों से जुड़े हैं। जबकि "प्रत्यक्ष" से हमारा तात्पर्य उन कार्यक्रमों से है जो सीधे शिक्षक के विकास से जुड़े हैं। अगर प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर विभिन्न पाठ्यक्रमीय गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, तो उससे शिक्षकों में व्यावसायिक जागृति आएगी। इनमें निम्नलिखित पाठ्यक्रमीय गतिविधियों का समावेश होगा, कक्षा में बच्चों को पढ़ाना, पढ़ाने की तैयारी करना, सहायक साधन बनाना, प्रश्नपत्र तैयार करना, होमवर्क जाँचना, शिक्षक द्वारा डायरी लिखना, बच्चों की कमियों या कमजोरियों पर ध्यान देना और उपचारात्मक कदम उठाना, शिक्षकों द्वारा अलग-अलग विषयवस्तु का विश्लेषण करना और बच्चों को शैक्षणिक खेल खिलाना आदि। इन गतिविधियों से शिक्षकों की प्रतिभा में निखार आएगा और उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता बढ़ेगी। अगर सही ढँग से इनकी योजना बनाई जाती है और सही ढँग से निर्देशन किया जाता है, तो स्कूल की प्रत्येक गतिविधि से शिक्षक की छात्र एवं विषय के बारे में जानकारी व समझ बढ़ेगी। स्कूल की सह-पाठ्यक्रमीय गतिविधियों से शिक्षक की अपने कार्य एवं उद्देश्यों के संबंध में भी जानकारी और समझ में वृद्धि हो सकेगी। इन गतिविधियों से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास को, सामाजिक संवेदना और भावात्मक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इनमें इन सब गतिविधियों का समावेश होगा: खेलकूद, नाटक, हॉबी, पिकनिक, शैक्षणिक यात्राएं, अवकाश-शिविर और गृह-गोष्ठियां आदि। अगर शिक्षक इन गतिविधियों का आयोजन करता है, तो वह छात्रों की आवश्यकताओं को अनौपचारिक रूप से समझ सकेगा। वह पाठ्यक्रमीय उद्देश्यों को सहपाठ्यक्रमीय गतिविधियों के साथ जोड़ सकेगा।

संस्थानिक आवश्यकताओं और प्रबंधात्मक उद्देश्यों से जुड़ी गतिविधियों से शिक्षक को अपने काम में सुविधा

होगी और वह उसे अधिक संलग्नता एवं समझ से कर सकेगा । इनमें उन गतिविधियों का समावेश होगा जिनमें समुदाय के सहयोग की आवश्यकता होती हैं और जिनसे स्कूल एवं समुदाय के बीच संबंध बेहतर बनते हैं । इनमें ऐसी गतिविधियां भी शामिल होंगी जिनके अंतर्गत माता-पिता एवं शिक्षक स्कूल में तथा घर पर भी आपस में विचार-विमर्श कर सकेंगे । आप जानते हैं कि पढ़ाई समुदाय से कटकर संभव नहीं हो सकती और वहाँ के वातावरण से भिन्न होना जरूरी है जहाँ बच्चा पल रहा है । इससे उसे पाठ्यक्रमीय सामग्री की पृष्ठभूमि को समझने में सहायता मिलेगी और साथ ही वह यह भी जान पाएगा कि माता-पिता को स्कूल एवं शिक्षक से क्या आशाएं-अपेक्षाएं हैं। इसलिए स्कूल एवं समूदाय से संबंधित क्रियाकलापों में शिक्षक का सहयोग बहुत जरूरी हैं । इससे शिक्षक अपनी भूमिका को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेगा और अपना काम बेहतर ढँग से कर सकेगा ।

"शिक्षक विकास गतिविधियों" का स्वाभाविक रूप से शिक्षक के व्यावसायिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ेगा । ये कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे : शिक्षक गोष्ठियां, व्याख्यानमालाएं, सेमिनार, कार्यशालाएं और कार्यकारी अनुसंधान योजनाएं आदि । इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि "शिक्षक गोष्ठी" है । इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की जा सकती है, स्कूल की सामान्य योजना पर विचार किया जा सकता है या संस्थान की विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठाया जा सकता है । इनके अलावा नवीकरण पर वाद-विवाद किया जा सकता है, शिक्षकों के अनुभवों और प्रयोगों पर दृष्टिपात किया जा सकता है और शिक्षकों को नया साहित्य दिया जा सकता है । "शिक्षक गोष्ठियों" के अलावा संस्थानिक योजना संबंधी गतिविधि भी योजना-निर्माण एवं शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। संस्थानिक योजना पर अलग से एक मॉड्यूल है । संस्थानिक योजना का लक्ष्य है गतिविधियों की वार्षिक योजना बनाना, बच्चों और माता-पिता के मार्ग-निर्देशन के लिए कैलेण्डर बनाना, स्कूल योजना के विभिन्न पहलुओं में शिक्षकों को लगाना और स्थानीय स्थितियों व परिस्थितियों को चुनौतियों में उन्हें हिस्सेदार बनाना । संस्थानिक योजना के अलावा संस्थानिक योजना के क्रियान्वयन से शिक्षकों को संस्थानिक परिप्रेक्ष्य को समझने और अपनी योजना व परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी । विशेषज्ञों द्वारा भाषणमाला से भी शिक्षकों को बहुत लाभ होगा । विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शिक्षकों के सामने विभिन्न विषयों पर बोलने के लिए बुलाया जा सकता है । इससे शिक्षकों को समुदाय के विभिन्न विशेषज्ञों से अनुभवों के आदान-प्रदान का अवसर मिलेगा और उनका सामाजिक दायरा बढ़ेगा ।

शिक्षकों के विकास के लिए ऊपर हमने जिन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष गतिविधियों का उल्लेख किया है वे उस समय और प्रभावात्मक होंगी जब शिक्षकों को स्वतंत्रता से सोचने-विचारने और गतिविधियों में भाग लेने दिया जाये । इसमें शक नहीं कि शिक्षकों द्वारा सक्रिय भाग लेने पर ही वांछित फल मिल सकेगा । स्कूल का माहौल आकर्षक व प्रेरक होना चाहिए जिससे शिक्षक रुचि से गतिविधियों में भाग लें । गतिविधियों के विशिष्ट संगठन को देखते हुए यह वांछनीय है कि गतिविधियों का चुनाव शिक्षक स्वयं करें, इन्हें उन पर थोपा नहीं जाना चाहिए लेकिन अन्तिम निर्णय उनके साथ बातचीत के पश्चात् ही लेना चाहिए । इसी प्रकार गतिविधियों की योजना, उनकी व्यवस्था और उनके क्रियान्वयन के बारे में शिक्षकों से सलाह-मशवरा किया जाना चाहिए और कार्यक्रमों की उपयोगिता के बारे में उनका विचार लिया जाना चाहिए ।

क्रियाकलाप–५

विद्यालय-आधारित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत के बाद के पहले साल में आपका स्कूल किन क्रियाकलापों को हाथ में ले सकता है ? लिखिए ।	**एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए ।**

मुख्याध्यापक

नए कार्यक्रम की सफलता स्कूल के मुख्याध्यापक पर निर्भर करती है। कार्यक्रम में उसके विश्वास और प्रोत्साहन के अलावा उसकी चुस्ती-फुर्ती और साधनसंपन्नता किसी भी क्रियाकलाप की सफलता में सहायक हो सकती है। कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मुख्याध्यापक में कुछेक आवश्यक गुण और उसका अपना व्यक्तित्व होना चाहिए। उसे एक ओर बच्चों, स्कूल और समुदाय की आवश्यकताओं का पता होना चाहिए, तो दूसरी ओर शिक्षकों के सामर्थ्य व योग्यता का मान होना चाहिए। इसके अलावा मुख्याध्यापक को यह पता होना चाहिए कि स्कूल में सही वातावरण कैसे बनाया जा सकता है और कार्यक्रम को साकार करने के लिए आवश्यक सुविधाओं को कैसे जुटाया जा सकता है। उसे कार्य की गणतन्त्रात्मक प्रक्रिया में और प्रशासन के विकेन्द्रीकरण में गहरा विश्वास होना चाहिए।

क्रियाकलाप—६

मुख्याध्यापक की कुछ ऐसी विशेषताओं की सूची बनाइए जो विद्यालय-आधारित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों का सहयोग पाने में सहायक हो सकती हैं।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

वातावरण

निर्णय लेते समय गणतंत्रात्मक नीति अपनाई जानी चाहिए। कार्यक्रम की सफलता के लिए विचारों का स्वतंत्र प्रवाह आवश्यक है। छात्रों, माता-पिता, समुदाय के सदस्यों, स्कूल के निरीक्षकों और पाठ्यक्रम के योजना-निर्माताओं जैसे स्कूल से जुड़े विभिन्न स्तरीय लोगों के बीच तालमेल होना चाहिए।

स्कूल का माहौल ऐसा होना चाहिए जिससे शिक्षकों को विभिन्न प्रयोग करने में सहायता मिल सके। वह अनम्य या तानाशाही नहीं होना चाहिए। सेवा नियम ऐसे होने चाहिए जिनसे शिक्षकों को व्यावसायिक वृद्धि का मौका मिल सके। जो शिक्षक कुछ विशेष करना चाहते हैं उन्हें अपनी योजनाएं और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बाह्य प्रोत्साहन, स्वतंत्र चिन्तन और गणतन्त्रात्मक रवैया कार्यक्रम के लिए बहुत आवश्यक है।

क्रियाकलाप—७

आपके अनुसार स्कूल के वातावरण के वे कौन-से महत्वपूर्ण पहलू हैं जो "विद्यालय-आधारित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम" की प्रभावपूर्ण व्यवस्था में सहायक हो सकते हैं?	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

सुविधाएं

हालाँकि नया कार्यक्रम किसी भी स्थिति या परिस्थिति में शुरू किया जा सकता है, पर उचित सुविधाएं जुटाकर उसे बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो इसके लिए एक अच्छे पुस्तकालय का होना बहुत जरूरी है। नए से नए साहित्य को खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए जिससे शिक्षक की शिक्षण एवं विषय की दृष्टि से जानकारी बढ़ सके। कार्यक्रम की सफलता के लिए स्कूल में शैक्षणिक पत्र-पत्रिकाओं का आना भी बहुत जरूरी है। स्कूल में अच्छे ढंग से सजा

हुआ एक ऐसा स्टाफरूम होना चाहिए जिसे शिक्षक गोष्ठियों, भाषणमालाओं, वर्कशाप और सेमिनार आदि के लिए इस्तेमाल किया जा सके। स्कूल के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वह नई बातों और नए रवैये पर शिक्षकों के सामने भाषण देने के लिए बाहर से विशेषज्ञों को बुला सके। शिक्षण-साधनों को खरीदने और बनाने के लिए भी उसके पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए।

क्रियाकलाप–८

"विद्यालय-आधारित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम" में शिक्षकों के पूर्ण सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक कम से कम सुविधाओं की सूची बनाइए।	एकत्र कीजिए, मिलान कीजिए, चर्चा कीजिए।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति शैक्षणिक विकास में शिक्षकों के सहयोग को प्राथमिकता देती है। विद्यालय-आधारित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निस्संदेह इस लक्ष्यपूर्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पूरा कार्यक्रम मुख्याध्यापकों और शिक्षकों के इर्दगिर्द घूमता हैं, इसलिए इससे संस्थानिक स्वायत्तता के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुधार लाया जा सकता है। स्वायत्तता का अर्थ है : स्वशासन जो "परायत्तता" या "परतंत्रता" का विपरीतार्थक है, जिसका मतलब है— "बाहर से नियंत्रण"। यह विचार "कोठारी आयोग" की देन है। अभी तक इस पर बहुत कम अमल किया गया है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस नए प्रशिक्षण कार्यक्रम से स्कूल और स्टाफ दोनों को "शैक्षणिक स्वायत्तता" का पूरा मौका मिलेगा। नए कार्यक्रम द्वारा शिक्षकों को समयानुकूल बनाकर हम "21वीं शताब्दी के नागरिकों" के लिए स्कूलों को तैयार कर सकेंगे।

क्रियाकलाप–

1–"विद्यालय-आधारित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम" की परिभाषा लिखिए।

2–आप अपने स्कूल में "विद्यालय-आधारित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम" को शुरू करने के लिए शिक्षक गोष्ठी में वाद-विवाद प्रारंभ करने के लिए क्या कदम उठाएंगे ? सुझाव दीजिए।

3–आपके विचार में "विद्यालय-आधारित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम" के अंतर्गत सहभागी योजना व्यवस्था के मुख्य सिद्धांतों का अनुसरण किस प्रकार किया जा सकता है ?

4–"विद्यालय-आधारित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम" को बढ़ावा देने में उप-मुख्याध्यापक या वरिष्ठ शिक्षकों की भूमिका क्या होनी चाहिए ?

5–"विद्यालय-आधारित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम" के कुछेक प्रतिबंधों की सूची बनाइए और सुझाव दीजिए कि उन पर विजय कैसे पाई जा सकती है ?

6–क्या आप इससे सहमत हैं कि "विद्यालय-आधारित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम" किसी भी स्कूल में, यहाँ तक कि कम से कम सुविधाओं से रहित स्कूल में भी, शुरू किया जा सकता है ? कारण दीजिए।

7–आपके विचार से "विद्यालय-आधारित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम" को बढ़ावा देने में "राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान" और "राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना व प्रशासन संस्थान" जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका क्या है ?

मॉड्यूल—रा १

जनपदीय परीक्षा समिति

भूमिका

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में शासकीय तथा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रमों के विभाजन, तदनुसार अध्यापन, गृह परीक्षाओं के आयोजन की मूल्यांकन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जनपदीय परीक्षा समितियों के गठन के कार्यकारी सिद्धांत लागू किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

उद्देश्य

–इस माड्यूल को पढ़ने से आपको जनपदीय परीक्षा समिति के गठन, दायित्व, कार्यप्रणाली के विषय में पता चलेगा।

–विषय उपसमितियों के गठन एवं दायित्व के विषय में ज्ञात होगा।

–जनपदीय परीक्षा समिति की समय-सारणी के अनुसार निर्धारित तिथियां ज्ञात होंगी।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में शासकीय तथा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रमों के विभाजन, तदनुसार अध्यापन, गृह परीक्षाओं के आयोजन, मूल्यांकन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जनपदीय परीक्षा समिति एवं विषय उपसमितियों के गठन के कार्यकारी सिद्धान्त।

१. परिभाषायें—

(1) में कार्यकारी सिद्धान्त उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में शासकीय तथा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रमों के विभाजन, तदनुसार अध्यापन, गृह परीक्षाओं के आयोजन, मूल्यांकन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जनपदीय परीक्षा समिति एवं विषय उपसमितियों के गठन के कार्यकारी सिद्धान्त कहलायेंगे।

(2) जनपदीय परीक्षा समिति का तात्पर्य जनपद में शासकीय तथा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से निर्धारित पाठ्यक्रमों के विभाजन, उनके अध्यापन, गृह परीक्षाओं के आयोजन, मूल्यांकन व्यवस्था आदि की प्रभावी एवं व्यवस्थित कार्यवाही सुनिश्चित कराने के लिए इस कार्यकारी सिद्धान्त के अनुसार गठित समिति से है।

(3) विषय उपसमितियों का तात्पर्य जनपद में पढ़ाये जाने वाले विषयों के लिए गठित उपसमिति से है। ये उपसमितियां प्रत्येक विषय की पृथक-पृथक हो सकती हैं अथवा सुविधानुसार एक से अधिक विषयों की एक उपसमिति गठित की जा सकती है। विषय उपसमितियां जनपदीय परीक्षा समिति के अधीनस्थ होंगी।

(4) जनपदीय परीक्षा कोष का तात्पर्य जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के संबंधित विद्यार्थियों से वसूल किये गये परीक्षा शुल्क की विभाग द्वारा निर्धारित अंश की जमा की गई धनराशि का किसी राष्ट्रीय-कृत बैंक की शाखा में खोले गये खाते से है, जिसका परिचालन जनपदीय परीक्षा समिति के अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

(क) जनपदीय परीक्षा समिति

(१) जनपदीय परीक्षा समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य

जनपदीय परीक्षा समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगें :—

(1) अध्यक्ष—पदेन जिला विद्यालय निरीक्षक

(2) उपाध्यक्ष—पदेन जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका (जहाँ पद स्थापित हों) अथवा राजकीय बालिका इंटर कालेज की वरिष्ठ प्रधानाचार्या।

(3) सचिव

(4) कोषाध्यक्ष

इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगें :—

(1) अशासकीय हाई स्कूल/इंटरमीडिएट विद्यालयों में से एक अनुभवी तथा शैक्षिक क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त प्रधानाचार्य।

(2) अशासकीय हाई स्कूल/इंटरमीडिएट बालिका विद्यालयों में से एक अनुभवी तथा शैक्षिक क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त प्रधानाचार्या।

(3) शासकीय हाई स्कूल/इंटरमीडिएट विद्यालयों में सें एक-एक अनुभवी तथा यथासम्भव वरिष्ठ प्रधानाचार्य।

(4) शासकीय हाई स्कूल/इंटरमीडिएट बालिका विद्यालयों में से एक अनुभवी तथा यथासम्भव वरिष्ठ प्रधानाचार्या।

(5) अशासकीय हाई स्कूल/इंटरमीडिएट विद्यालयों में से एक अनुभवी तथा शैक्षिक क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त अध्यापक प्रतिनिधि।

(6) अशासकीय हाई स्कूल/इंटरमीडिएट बालिका विद्यालयों में से एक अनुभवी तथा शैक्षिक क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त अध्यापिका प्रतिनिधि।

(7) शासकीय हाई स्कूल/इंटरमीडिएट विद्यालयों में सें एक अनुभवी तथा शैक्षिक क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त अध्यापक प्रतिनिधि।

(8) शासकीय हाईस्कूल/इंटरमीडिएट बालिका विद्यालयों में से एक अनुभवी तथा शैक्षिक क्षेत्र सें ख्याति-प्राप्त अध्यापिका प्रतिनिधि।

टिप्पणी—(*i*) ऐसे जनपद जहाँ राजकीय विद्यालय नहीं हैं वहाँ उपर्युक्त क्रम (3) तथा (7) पर क्रमशः (1) तथा (5) की भाँति अशासकीय विद्यालय के प्रतिनिधि होंगे।

(*ii*) अर्हताओं का विवरण परिशिष्ट-2 पर उल्लिखित है।

(२) जनपदीय परीक्षा समिति का गठन

(1) जनपदीय परीक्षा समिति के गठन हेतु सभी आठ सदस्यों का नामांकन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 31 मार्च तक कर लिया जायेगा।

(2) जनपदीय परीक्षा समिति का गठन प्रतिवर्ष 30 अप्रैल के पूर्व यथासम्भव माह अप्रैल के प्रथम शनिवार को समिति की बैठक में कर लिया जायेगा।

(3) पदेन पदाधिकारियों के अतिरिक्त सचिव तथा कोषाध्यक्ष का चुनाव जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में नामित सदस्यों के मध्य समिति की अप्रैल माह के प्रथम शनिवार को आयोजित बैठक में सर्वानुमति से किया जाय।

(4) पदेन पदाधिकारियों को छोड़कर जनपदीय परीक्षा समिति के शेष पदाधिकारी तथा सदस्य प्रतिवर्ष यथासम्भव बदलते रहें, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इस समिति में एक पदाधिकारी/सदस्य लगातार तीन वर्ष सें अधिक नहीं रह सकेंगे। ऐसे जनपद सें जहाँ पर बालक अथवा बालिका के मात्र एक शासकीय हाई स्कूल/इंटरमीडिएट विद्यालय हों, वहाँ के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या पर यह प्रतिबन्ध लागू न होगा।

(5) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जनपद के राष्ट्रीय अथवा राज्य पुरस्कार-प्राप्त प्रधानाचार्य का नामांकन सम्प्रेक्षक हेतु 30 अप्रैल के पूर्व आगामी सत्र (1 मई से 30 अप्रैल) के लिए किया जाय। राष्ट्रीय अथवा राज्य पुरस्कार-प्राप्त प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की अनुपलब्धता की स्थिति में राजकीय सेवा से अवकाशप्राप्त, जो द्वितीय श्रेणी से कम न हो, अधिकारी का नामांकन किया जाय।

(३) जनपदीय परीक्षा समिति का कार्यकाल

जनपदीय परीक्षा समिति का कार्यकाल एक शैक्षिक सत्र अर्थात 1 मई से 30 अप्रैल तक होगा।

(४) जनपदीय परीक्षा समिति की बैठक

(1) जनपदीय परीक्षा समिति की बैठक सामान्यत: प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को आयोजित की जायेगी। इस दिवस को शासकीय अवकाश पड़ने पर आगामी कार्यदिवस को यह बैठक होगी। माह जुलाई में यह बैठक द्वितीय शनिवार को आयोजित की जायेगी।

(2) तात्कालिक महत्व के प्रकरणों पर सचिव तथा अध्यक्ष निर्णय ले सकते हैं, किन्तु इससे संबंधित पूर्ण विवरण समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(५) जनपदीय परीक्षा कोष

(1) जनपदीय परीक्षा कोष का लेखा जनपद मुख्यालय के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में खोला जायेगा।

(2) इस लेखा का परिचालन अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

(3) जनपदीय परीक्षा कोष में जनपद के प्रत्येक बालक/बालिका के हाई स्कूल/इंटरमीडिएट विद्यालय के संबंधित छात्र/छात्रा से वसूल किये गये गृह परीक्षा शुल्क का वह अंश जमा होगा, जो विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित होगा।

(६) जनपदीय परीक्षा समिति के पदाधिकारियों के दायित्व

(1) अध्यक्ष—जनपदीय परीक्षा समिति तथा विषय समितियों के गठन तथा प्रभावी संचालन हेतु मार्ग-दर्शन तथा पर्यवेक्षण का सम्पूर्ण दायित्व।

(2) उपाध्यक्ष—अध्यक्ष द्वारा निर्देशित जनपदीय परीक्षा समिति तथा विषय समितियों से संबंधित सम्पूर्ण कार्य।

(3) सचिव—अध्यक्ष की अनुमति से बैठकों को आहूत करना, बैठक का कार्यवृत्त तैयार करना तथा अध्यक्ष से उसका अनुमोदन प्राप्त करना, विभिन्न व्यय का किया जाना तथा उनका सत्यापन, गोपनीयता-पूर्वक प्रश्नपत्रों के मुद्रण की कार्यवाही तथा अन्य कार्य जो अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जाय अथवा समिति द्वारा निर्णीत किया जाय।

(4) कोषाध्यक्ष—जनपदीय परीक्षा कोष का लेखा जनपद मुख्यालय के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में अध्यक्ष के साथ संयुक्त खाते का खोलना, संबंधित रोकड़ पंजिका (कैश बुक) का रखरखाव, जनपद के सभी विद्यालयों से निर्धारित दर से छात्र संख्या के अनुसार गृह परीक्षा शुल्क के अंश का प्राप्त कराना तथा उसे बैंक में जमा कराना, अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष एवं सचिव अथवा समिति के निर्देश/निर्णय के अनुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत भुगतान की व्यवस्था करना तथा संबंधित शैक्षिक सत्र (1 मई से 30 अप्रैल तक) के आय तथा व्यय का विवरण तैयार कर नये कोषाध्यक्ष को सौंपना।

(5) सम्प्रेक्षक—जनपदीय परीक्षा कोष के लेखे का सत्र में दो बार आडिट करना (माह अक्टूबर में तथा वार्षिक आडिट 3 से 10 मई के बीच) तथा अध्यक्ष एवं/अथवा समिति के निर्देश/निर्णय के अनुसार जनपदीय परीक्षा समिति के सम्प्रेक्षण संबंधी अन्य कार्य।

(७) जनपदीय परीक्षा समिति के कृत्य

(1) विभिन्न विषय समितियों द्वारा प्रस्तुत कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 तथा 12 के पाठ्यक्रमों के मासिक/त्रैमासिक विभाजन का अनुमोदन प्रदान करना तथा जनपद के प्रत्येक विद्यालय में उसके प्रसारित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करना।

(2) कक्षा 10 तथा 12 के पाठ्यक्रमों का विभाजन इस भाँति सुनिश्चित कराना कि सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का माह नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक अध्यापन हो जाय।

(3) विषय समितियों द्वारा प्रत्येक विषय के प्रत्येक प्रश्नपत्र निर्माण और परिमार्जन के लिए प्रस्तावित नामों के व्यक्ति द्वारा प्रश्नपत्र निर्माण और उनका परिमार्जन कराना।

(4) गोपनीयतापूर्वक प्रश्नपत्रों का मुद्रण कराना तथा विद्यालयवार उनकी आपूर्ति सुनिश्चित कराना।

(5) गृह परीक्षा कार्यक्रमों का निर्धारण कराना।

(6) उत्तर-पुस्तिकाओं के समय से मूल्यांकन की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।

(7) विभिन्न प्रश्नपत्रों के मूल्यांकन के निर्देशों का विद्यालय/परीक्षक को मूल्यांकन के समय उपलब्ध कराना।

(8) जनपद में अर्धवार्षिक गृह परीक्षा का यथासम्भव नवम्बर माह के द्वितीय पखवारे में आयोजन कराना तथा दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में परीक्षाफल पत्र (रेजल्ट कार्ड) के वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराना।

(9) जनपद में वार्षिक गृह परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल तक सुनिश्चित कराना तथा 30 अप्रैल तक परीक्षाफल की घोषणा सुनिश्चित कराना ।

(10) विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यानुभव तथा खेलकूद कार्यक्रमों की मूल्यांकन व्यवस्था का उचित रूप में लागू किया जाना सुनिश्चित कराना ।

(11) परीक्षा तथा उससे संबंधित अन्य शैक्षिक कार्यशालाओं का आयोजन कराना ।

(12) विषय उप-समितियों से पाठ्यक्रम के संशोधन आदि से संबंधित प्राप्त सुझावों पर विचार कर आवश्यकतानुसार संस्तुति/टिप्पणी सहित विभाग/माध्यमिक शिक्षा परिषद को प्रेषित कराना ।

(13) अन्य सुझाव जो परीक्षा व्यवस्था से संबंधित हो, उसे विभाग को प्रेषित कराना ।

(14) जनपदीय परीक्षा कोष के लेखे के आडिट के लिए समय से पूर्ण पत्रजातों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना ।

(15) परिशिष्ट-1 में उल्लिखित प्रमुख बिन्दुओं से सम्बन्धित समयसारणी का अनुपालन सुनिश्चित कराना ।

(16) परिषदीय परीक्षाओं के संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराना ।

(ख) विषय उपसमितियाँ

प्रत्येक जनपद में निम्नांकित विषयों के लिए विषय उपसमितियां गठित की जायेंगी :—

(1) हिन्दी, संस्कृत
(2) अंग्रेजी
(3) गणित
(4) जीव विज्ञान
(5) रसायन विज्ञान
(6) भौतिक विज्ञान
(7) वाणिज्य
(8) कृषि
(9) सामाजिक विज्ञान
(10) इतिहास
(11) नागरिकशास्त्र
(12) भूगोल
(13) समाजशास्त्र
(14) अर्थशास्त्र
(15) गृहविज्ञान
(16) उर्दू
(17) अन्य विषय (जनपद में पढ़ाये जाने वाले) ।

(१) विषय उप-समितियों के पदाधिकारी एवं सदस्य

प्रत्येक विषय की विषय उपसमिति के सदस्यों सहित निम्नलिखित पदाधिकारी होगें :—

(1) संयोजक—विषय उपसमिति

(2) सहसंयोजक—विषय उपसमिति

(3) सदस्य—2 (विषय विशेषज्ञ)

(4) अन्य सदस्य—अधिकतम 3 (विषय उपसमिति द्वारा सहयोजित विषय विशेषज्ञ)

(२) विषय उपसमितियों का गठन

(1) प्रत्येक विषय उपसमिति के संयोजक तथा सहसंयोजक, जो अपने विषय के जानकार व्यक्ति होंगे, के अतिरिक्त दो विषय विशेषज्ञों का नामांकन जनपदीय परीक्षा समिति द्वारा मई माह (प्रथम शनिवार) की बैठक में किया जायेगा।

(2) विषय उपसमिति के संयोजक तथा सहसंयोजक की स्वेच्छा पर होगा कि जब वे आवश्यक समझें उक्त विषय के अधिकतम तीन विशेषज्ञों को सहयोजित कर लें।

(3) विषय उपसमिति के संयोजक तथा सहसंयोजक का नामांकन यथासम्भव प्रतिवर्ष भिन्न-भिन्न व्यक्ति का किया जाय, किन्तु किसी भी परिस्थिति में एक विषय उपसमिति के उसी व्यक्ति को संयोजक तथा सहसंयोजक लगातार तीन वर्ष से अधिक न नामित किया जाय।

(३) विषय उपसमितियों का कार्यकाल

विषय उपसमितियों का कार्यकाल माह मई में जनपदीय परीक्षा समिति द्वारा नामांकन की तिथि से शैक्षिक सत्र की समाप्ति अर्थात 30 अप्रैल तक होगा।

(४) विषय उपसमितियों की बैठक

"विषय उपसमितियां" शीर्षक के अन्तर्गत उल्लिखित क्रम (1) से (9) तक के विषय की विषय उपसमितियों की बैठक सामान्यत: प्रत्येक माह की 10 तारीख तथा क्रम (10) से (17) तक के विषय की विषय उपसमितियों की बैठक सामान्यतः प्रत्येक माह की 12 तारीख को होगी। इन तिथियों को अवकाश पड़ने पर ये बैठकें आगामी कार्य-दिवस को होंगी।

(५) विषय उपसमितियों के पदाधिकारी के दायित्व

(1) संयोजक—संबंधित विषय उपसमिति की बैठक का आयोजन एवं कार्यवृत्त को तैयार करना, उस पर अगली बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना, जनपदीय परीक्षा समिति द्वारा निर्दिष्ट कार्यों का समय से निस्तारण करना तथा सुझाव देना और विषय उपसमिति के कृत्यों का तत्परतापूर्वक संलग्न समय-सारणी के अनुरूप निर्वहन।

(2) सहसंयोजक—विषय उपसमिति के संयोजक के निर्देश में कार्य करना तथा उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान करना।

(६) विषय उपसमितियों के कृत्य

(1) संबंधित विषय के कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 तथा 12 के पाठ्यक्रमों का मासिक/त्रैमासिक विभाजन कर जनपदीय परीक्षा समिति के अनुमोदनार्थ प्रेषित करना तथा अनुमोदनोपरान्त उसे विद्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित कराना ।

(2) कक्षा 10 तथा 12 के संबंधित विषय के पाठ्यक्रम का विभाजन इस भाँति किया जाना कि सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का अध्यापन माह नवम्बर के प्रथम सप्ताह में पूरा हो जाय ।

(3) विषय के प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए दो-दो नाम प्रश्नपत्र बनाने और उनके परिमार्जन के लिए जनपदीय परीक्षा समिति को प्रस्तावित करना ।

(4) विषय पाठन के संबंध में दिशानिर्देशन, प्रश्नपत्रों के निर्माण की रूपरेखा (ब्लूप्रिंट) तैयार करना।

(5) परीक्षा संबंधी तथा अन्य शैक्षिक कार्यशालाओं के आयोजन में जनपदीय परीक्षा समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करना ।

(6) संबंधित विषय के प्रतिदर्श प्रश्नपत्रों का निर्माण तथा उन्हें विद्यालयों में उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराना।

(7) गृह परीक्षाओं की समाप्ति पर विषयवार प्रश्नपत्रों के स्तर की समीक्षा करना तथा जनपदीय परीक्षा समिति को सुझाव भेजना।

(8) विद्यार्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तरों का विश्लेषण करना तथा निर्देश तैयार करना।

(9) विषय के पाठ्यक्रमों के संशोधन तथा परिवर्धन के लिए जनपदीय परीक्षा समिति को सुझाव भेजना।

(10) परिशिष्ट-1 में उल्लिखित प्रमुख बिन्दुओं से संबंधित समयसारणी का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

(11) प्रत्येक विषय के प्रयोगात्मक पक्ष की विवेचना कर उसके अनुरूप प्रयोगों के अभ्यास कराने के लिए विद्यालयों को मार्गदर्शन देना ।

(12) परिषदीय परीक्षाओं की प्रयोगात्मक परीक्षाओं के संचालन के संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्देशों का पालन करना ।

शरदिन्दु
उप-सचिव
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

परिशिष्ट–१

समयसारिणी

जनपदीय परीक्षा समिति

(1)	सदस्यों का नामांकन	31 मार्च
(2)	समिति का गठन	प्रथम शनिवार, अप्रैल
(3)	समिति का कार्यालय आरम्भ	1 मई
(4)	गत सत्र के लेखे का आडिट	1 से 10 मई तक
(5)	विषय उपसमिति द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के विभाजन का अनुमोदन	प्रथम शनिवार, मई
(6)	विभाजित पाठ्यक्रम का विद्यालयों को प्रेषण	15 से 20 मई तक
(7)	विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन	जून तथा जुलाई
(8)	31 जुलाई की स्थिति के आधार पर संख्यासूचक चक्र का संकलन	20 अगस्त
(9)	अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्नपत्रों का निर्माण	31 अगस्त
(10)	प्रश्नपत्रों का परिमार्जन	15 सितम्बर
(11)	जनपदीय परीक्षा कोष के लेखे का आडिट	अक्टूबर
(12)	प्रश्नपत्रों के मुद्रण के आदेश	प्रथम सप्ताह, अक्टूबर
(13)	मुद्रित प्रश्नपत्रों का विद्यालयवार थैलाभराई	31 अक्टूबर
(14)	विद्यालयों को प्रश्नपत्रों के थैलों का वितरण	1 से 10 नवम्बर
(15)	अर्धवार्षिक गृह परीक्षा, जिसमें अन्य कक्षाओं के अतिरिक्त कक्षा 10 तथा कक्षा 12 की परीक्षा	20 से 30 नवम्बर
(16)	उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा अर्धवार्षिक परीक्षाफल पत्र (रेजल्ट कार्ड) का वितरण	10 दिसम्बर
(17)	वार्षिक गृह परीक्षा के प्रश्नपत्रों का निर्माण	31 जनवरी
(18)	प्रश्नपत्रों का परिमार्जन	15 फरवरी
(19)	प्रश्नपत्रों के मुद्रण के आदेश	तीसरा सप्ताह, फरवरी
(20)	आगामी शैक्षिक सत्र के जनपदीय परीक्षा समिति के सदस्यों का नामांकन	31 मार्च
(21)	मुद्रित प्रश्नपत्रों का विद्यालयवार थैलाभराई	31 मार्च
(22)	विद्यालयों को प्रश्नपत्रों के थैलों का वितरण	1 से 9 अप्रैल तक
(23)	आगामी शैक्षिक सत्र की जनपदीय परीक्षा समिति का गठन	प्रथम सप्ताह, अप्रैल
(24)	वार्षिक गृह परीक्षा (6, 7, 8, 9 तथा 11)	10 से 20 अप्रैल तक
(25)	उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा वार्षिक गृह परीक्षाफल की घोषणा	30 अप्रैल तक ।

विषय उपसमितियाँ

(1)	आगामी शैक्षिक सत्र के लिए सम्बन्धित विषय उपसमिति द्वारा पाठ्यक्रम का मासिक/त्रैमासिक विभाजनवार जिला परीक्षा समिति के अनुमोदनार्थ प्रेषित करना ।	30 अप्रैल तक
(2)	विषय उपसमितियों का गठन	प्रथम शनिवार, मई
(3)	परीक्षा सम्बन्धी तथा अन्य शैक्षिक कार्यशालाओं का आयोजन/प्रतिदर्श प्रश्नपत्रों का निर्माण	जून तथा जुलाई
(4)	प्रतिदर्श प्रश्नपत्रों तथा विषयपाठन के दिशानिर्देशों का प्रेषण	31 जुलाई
(5)	प्रश्नपत्र निर्माण तथा परिमार्जनकर्ता के नामों की संस्तुति ।	14 अगस्त
(6)	अर्धवार्षिक गृह परीक्षा के प्रश्नपत्रों के स्तर की समीक्षा तथा जनपदीय परीक्षा समिति को टिप्पणी प्रेषित करना ।	15 दिसम्बर
(7)	उत्तरपुस्तिकाओं का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तरों का विश्लेषण कर निर्देश-पत्र तैयार करना ।	31 दिसम्बर
(8)	निर्देश-पत्रों का प्रेषण	15 जनवरी
(9)	वार्षिक गृह परीक्षा के प्रश्नपत्रों के स्तर की समीक्षा तथा जनपदीय परीक्षा समिति की टिप्पणी प्रेषित करना ।	30 अप्रैल
(10)	उत्तरपुस्तिकाओं का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तरों का विश्लेषण कर टिप्पणी तैयार करना ।	20 मई

परिशिष्ट—२

जनपदीय परीक्षा समिति तथा विषय उपसमितियों के गठन सम्बन्धी कार्यकारी सिद्धान्त के अन्तर्गत पदाधिकारी/सदस्य के नामांकन/चयन हेतु अर्हतायें निम्नवत् होंगी। इस कार्यकारी सिद्धान्त में जहाँ पर प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या का उल्लेख है, वहाँ पर निम्नांकित खण्ड "क" में उल्लिखित अर्हतायें लागू होंगी तथा जहाँ पर अध्यापक/अध्यापिका का उल्लेख है, वहाँ पर निम्नांकित खण्ड "ख" में उल्लिखित अर्हतायें लागू होंगी :—

खण्ड "क"

प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या का नामांकन/चयन के लिए निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाय :—

1. जिनका प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या / प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका के पद पर कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव हो,
2. जिनकी संस्था का हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में पृथक-पृथक परीक्षाफल विगत तीन वर्षों में माध्यमिक शिक्षा परिषद् के हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा के औसत परीक्षाफल से कम न हों,
3. जिनकी संस्था में कार्यानुभव तथा खेलकूद की मूल्यांकन व्यवस्था को लागू किया गया हो,
4. जिनकी संस्था में किसी अधिनियम अथवा प्रशासन योजना के अन्तर्गत साधिकार नियंत्रक/प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति न हो,
5. जिनकी संस्था विगत तीन वर्षो में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित परीक्षा में "सामूहिक नकल" के लिए दोषी न पायी गयी हो,
6. जो प्रधानाचार्य निर्धारित मानक के अनुसार स्वयं 12 वादन प्रति सप्ताह शिक्षण कार्य करते हों।

टिप्पणी :— उपर्युक्त क्रम 1 राजकीय संस्था के प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या / प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका के लिए लागू न होगा।

खण्ड "ख"

अध्यापक / अध्यापिकाओं के नामांकन / चयन में निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाय :—

1. जिनका सम्बन्धित विषय के अध्यापन का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो,
2. जिनके अध्यापन विषय का परीक्षाफल प्रतिशत विगत तीन वर्षों में अनिवार्य विषयों का 70 प्रतिशत से अधिक हो तथा अन्य विषयों का 60 प्रतिशत से अधिक हो, किन्तु किसी भी परिस्थिति में माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सम्बंधित विषय के औसत परीक्षाफल से कम न रहा हो,
3. जो माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा किसी प्रकार अथवा किसी प्रकरण में दोषी न पाये गये हों,
4. जिनको विगत तीन वर्षों में प्रतिकूल प्रविष्टि न दी गयी हो,
5. जिनकी संस्था में कार्यानुभव तथा खेलकूद मूल्यांकन व्यवस्था को लागू कराने में सक्रिय सहभागिता हो,

6. जो अध्यापन हेतु निर्धारित मानक के अनुसार तथा/अथवा संस्था द्वारा तैयार की गयी समयसारणी के अनुसार नियमित शिक्षण कार्य करते हों,
7. जिन अध्यापकों द्वारा स्वमूल्यांकन प्रपत्र नियमित रूप से भरा जाता हो,
8. जिन अध्यापक / प्रवक्ता द्वारा "अध्यापक डायरी" नियमित रूप से भरी गयी हो और तदनुसार शिक्षण कार्य किया जाता हो ।

क्रियाकलाप

आपके विचार से जनपदीय परीक्षा समिति के गठन से मूल्यांकन-प्रक्रिया किस प्रकार प्रभावी होगी ?

मॉड्यूल रा–२

विद्यार्थी विकास समिति एवं उनके कार्यकलाप

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत शिक्षा को वर्तमान समाज के सर्वांगीण विकास तथा उसके संतुलित भावी स्वरूप के संवर्द्धन का सबल माध्यम निरूपित किया गया है। इस दृष्टि से विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा के माध्यम से छात्र-छात्राओं में ऐसे गुणों एवं जीवन-मूल्यों का विकास अपेक्षित है जिससे वे अपने व्यक्तित्व के सम्यक् विकास के साथ-साथ देश तथा समाज के अभ्युत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकें। अतः स्तरानुसार निर्धारित विषयों की शिक्षा के साथ-साथ प्राथमिक, पूर्वमाध्यमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यानुभव, रोजगारपरक शिक्षा, स्काउटिंग-गाइडिंग, प्राथमिक चिकित्सा, नैतिक शिक्षा एवं अन्य शिक्षणेतर कार्यक्रमों—योग, व्यायाम तथा खेलकूद की शिक्षा को उचित दिशा में एवं गति प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के प्रमुख सचिव (शिक्षा) के पत्रांक 887/15-3-87 दिनांक 9 मार्च, 1987 द्वारा विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थी विकास समितियों के गठन की व्यवस्था की गयी है। इन समितियों के क्रियाकलापों को प्रभावी बनाने हेतु उनके स्वरूप एवं कार्यों की जानकारी आवश्यक है।

अतः इस मॉड्यूल में संबंधित पक्षों पर अपेक्षित जानकारी दी जा रही है। इस मॉड्यूल का अध्ययन करने के पश्चात् अध्येता :

शैक्षणिक विषयों की शिक्षा के अतिरिक्त कार्यानुभव, रोजगारपरक शिक्षा, स्काउटिंग-गाइडिंग, प्राथमिक चिकित्सा, नैतिक शिक्षा, योग, व्यायाम जैसे शिक्षणेतर कार्यक्रमों को सूचीबद्ध कर लेगा।

वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा छात्र-छात्राओं के सम्यक् विकास के बीच संबंध स्थापित कर लेगा।

वह उल्लिखित शिक्षणेतर कार्यक्रमों तथा विभिन्न स्तरीय अभिकरणों एवं सम्बद्ध अभिकर्मियों के दायित्वों एवं भूमिकाओं के मध्य संबंध देख लेगा।

वह विभिन्न स्तरों के अभिकरणों एवं अभिकर्मियों के साथ-साथ उनके कार्यों का पुनः स्मरण कर लेगा।

वह विविध स्तरों की विद्यार्थी समितियों की सूची बना लेगा।

वह आवश्यकतानुसार संबंधित अभिकरणों एवं अभिकर्मियों से संपर्क स्थापित कर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अपना अपेक्षित योगदान कर सकेगा।

वह शिक्षणेतर कार्यक्रमों के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले क्रियाकलापों को सूचीबद्ध कर लेगा।

वह विभिन्न कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की सहभागिता, कार्यक्षमता एवं उनकी सम्प्राप्तियों के मूल्यांकन की विधियों का पुनः स्मरण कर लेगा।

वह निर्देशानुसार कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु मौखिक, लिखित तथा अभिलेख रखने से संबंधित विधियों का प्रयोग कर सकेगा।

उपर्युक्त लक्ष्यों को दृष्टि में रखते हुए विद्यार्थियों के विकास के लिए गठित समितियों एवं उनके क्रिया-कलापों का उल्लेख प्रासंगिक होगा। विद्यालयों में उल्लिखित कार्यक्रमों का नियमित आयोजन करने, उन्हें अपेक्षित दिशा एवं गति प्रदान करने तथा विद्यार्थियों के विकास हेतु स्थानीय समुदाय का सहयोग प्राप्त करने के लिए राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के विकास खंड, नगर तथा जनपद स्तर पर विद्यार्थी विकास समितियां गठित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की है। इन स्तरों पर समितियों के गठन की व्यवस्था इस प्रकार है :—

विकास खण्ड विद्यार्थी विकास समिति :

(1) खंड विकास अधिकारी............अध्यक्ष

(2) जनपद के विकास खंड स्तर के लीड बैंक का प्रतिनिधि............सदस्य

(3-5) विकास खंड के तीन जू० हा० स्कूलों के प्रधानाध्यापक (स्कूल के अकारादि क्रम में एक शैक्षिक वर्ष के लिए)............सदस्य

(6-8) सहायक विकास अधिकारी............पंचायत/सहकारिता/उद्योग............सदस्य

(9-11) स्थानीय ग्रामोद्योग के तीन प्रतिनिधि............सदस्य

(12) जिला स्काउट कमिश्नर का प्रतिनिधि............सदस्य

(13) जिला गाइड कमिश्नर का प्रतिनिधि............सदस्य

(14) क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी ....सदस्य-सहसचिव

(15) क्षेत्रीय प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक अथवा सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका (जिनके कार्य-क्षेत्र में विकास खंड का सबसे अधिक क्षेत्र हो)............सदस्य

(16) उक्त के अतिरिक्त प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक अथवा सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका जिनके कार्यक्षेत्र में विकास खंड का कोई अंश हो।

इस समिति में अन्य सदस्य सहयोजित किये जा सकते हैं—विशेषतः ऐसे शिक्षक जो व्यवसायपरक शिक्षा का प्रशिक्षण जनपद सन्दर्भ केन्द्र पर प्राप्त कर चुके हों।

नगर विद्यार्थी विकास समिति :

प्रत्येक नगर महापालिका/नगरपालिका के लिए भी एक नगर विद्यार्थी विकास समिति की व्यवस्था होगी जिसका गठन इस प्रकार होगा :—

(1) प्रशासक, नगर महापालिका/अधिशासी अधिकारी............अध्यक्ष

(2) जनपद लीड बैंक का प्रतिनिधि............सदस्य

(3-5) महानगर/नगर-क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूलों के तीन प्रधानाध्यापक (स्कूल के अकारादि क्रम में) एक शिक्षा वर्ष के लिए............सदस्य

(6-8) स्थानीय लघु एवं गृह उद्योगों के तीन प्रतिनिधि .... सदस्य

(9) नगर चीफ वार्डन नागरिक सुरक्षा .... सदस्य

(10) जिला स्काउट कमिश्नर का प्रतिनिधि .... सदस्य

(11) जिला गाइड कमिश्नर का प्रतिनिधि .... सदस्य

(12) शिक्षा अधीक्षिका .... सदस्य

(13) शिक्षा अधीक्षक .... सदस्य-सचिव

इस समिति में अन्य सदस्य विशेषतः खेलकूद के विशेषज्ञ सहयोजित किये जा सकते हैं। व्यवसायपरक शिक्षा के जनपद सन्दर्भ केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक भी इसमें सहयोजित किये जायें।

विकास खण्ड तथा नगर विद्यार्थी विकास समिति के कार्य :

(1) अपने कार्यक्षेत्र के प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों में उनके विद्यार्थियों को कार्यानुभव, स्काउट-गाइड की गतिविधियों एवं शिविरों के आयोजन, रेड क्रास, सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग, व्यायाम, खेल, तथा नैतिक शिक्षा के कार्यक्रम तैयार करना।

(2) नगर या विकास खण्ड में यदि राजकीय दीक्षा विद्यालय को इकाई हो, तो उसे सुदृढ़ करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, तथा आवश्यक दिशा-निर्देश देना।

(3) समय-समय पर जनपद विद्यार्थी विकास समिति को प्रस्ताव भेजना तथा निर्देशों के कार्यान्वियन को सुनिश्चित करना।

(4) विकास खण्ड या नगर के प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों में खेलकूद, योग तथा व्यायाम के नियमित आयोजन की व्यवस्था करना तथा उनकी देखरेख करना।

) इन सभी कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन नियमित ढंग से कराना तथा अन्तर-विद्यालयी, विकास खण्ड/नगर स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करना तथा विजयी विद्यालयों की जनपद मण्डल एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेसे हेतु व्यवस्था करना।

6) कक्षा उत्तीर्ण कर और उपर्युक्त प्रशिक्षण करने के बाद पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों को कृषि, कुटीर उद्योग, तथा अन्य क्षेत्रों में स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिए आर्थिक एवं अन्य सहायता की व्यवस्था करना।

7) मनोनीत सदस्यों का नामांकन करना।

नपद विद्यार्थी विकास समिति :

प्रत्येक जनपद में एक जनपद विद्यार्थी विकास समिति के गठन की व्यवस्था है, जो इस प्रकार है :—

1) अपर जिला अधिकारी (विकास) / प्रोजेक्ट निदेशक .... अध्यक्ष

2) जनपद के लीड बैंक के प्रबन्धक .... सदस्य

-4) जनपद के व्यावसायिक शिक्षा सन्दर्भ केन्द्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य .... सदस्य

(5) जिला ग्रामोद्योग अधिकारी .... सदस्य

[6] जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी .... सदस्य

[7] जनपद के आई० टी० आई० के प्रधानाचार्य .... सदस्य

[8] नेहरू युवक केन्द्र के यूथ कोआर्डिनेटर .... सदस्य

[9] जिला खेलकूद अधिकारी .... सदस्य

[10+11] जिला स्काउट कमिश्नर/गाइड कमिश्नर

[12] जिला युवा कल्याण अधिकारी .... सदस्य, सहसचिव

[13] जिला विद्यालय निरीक्षक/सह जिला विद्यालय निरीक्षक .... सदस्य, सचिव

इस समिति में अन्य सदस्य भी सहयोजित किये जा सकते हैं, विशेषत: राज्य स्तर के सन्दर्भ केन्द्र (जैसे जन विद्यापीठ, हल्द्वानी) में प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक।

जनपद विद्यार्थी विकास समिति के कार्य :—

(1) जनपद के हाई स्कूलों तथा इण्टर कालेजों में छात्रों को कार्यानुभव, स्काउट-गाइड की गतिविधियों एवं शिविरों के आयोजन, सांस्कृतिक कार्य एवं नैतिक शिक्षा के लिए कार्यक्रम तैयार करना।

(2) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कराना तथा उनका सुदृढ़ीकरण कराना, माध्यमिक विद्यालयों को धीरे-धीरे कम्यूनिटी पॉलीटेकनीक के रूप में विकसित करना, इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना तथा उन्हें आवश्यक दिशा एवं गति प्रदान करना।

(3) विद्यालयों के बाहर विद्यार्थियों द्वारा सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु अन्तर्विभागीय सहयोग सुनिश्चित करना तथा आवश्यक कार्यक्रमों का निर्धारण कर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(4) विकास खण्ड तथा नगर स्तर की समितियों को समय-समय पर आवश्यक निर्देश देना तथा उनके प्रस्तावों पर अपेक्षित निर्णय करना।

(5) जनपद के हाई स्कूलों तथा इण्टर कालेजों में खेलकूद के नियमित आयोजन की व्यवस्था करना तथा उनकी देख-रेख करना।

(6) प्रसंगाधीन सभी कार्यक्रमों के कियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना तथा नियमित मूल्यांकन की व्यवस्था करना।

(7) विजयी विद्यालयों को मण्डल तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर देने हेतु व्यवस्था करना।

(8) माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों को कृषि, कुटीर उद्योग, तथा अन्य क्षेत्रों में स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिए आर्थिक एवं अन्य सहायता की व्यवस्था करना तथा ऐसे व्यवसायों के मॉड्यूलों का विकास करना।

(9) मनोनीत सदस्यों का नामांकन करना।

समितियों का कार्यकाल एवं बैठकें :—

विकास खण्ड, नगर तथा जनपद स्तर की समितियों के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल मनोनयन के कलेण्डर वर्ष तक होगा।

जब तक नया नाम मनोनीत न हो जाय, तब तक पुराने मनोनीत सदस्य काम करते रहेंगे। प्रत्येक समिति की बैठक त्रैमास में कम से कम एक बार होगी। समिति की कार्यप्रणाली, बैठक के स्थान, समय आदि के सम्बन्ध में सदस्य-सचिव अध्यक्ष के परामर्श से निर्णय करेंगे।

प्रश्न

1. किन-किन स्तरों पर विद्यार्थी विकास समितियों का गठन किया गया है ?
2. जनपद विद्यार्थी विकास समिति का गठन स्पष्ट कीजिए।
3. विकास खण्ड तथा नगर विद्यार्थी विकास समितियों के क्या कार्य हैं ?
4. जनपद विद्यार्थी विकास समिति के कार्यों का वर्णन कीजिए।
5. समितियों के कार्यकाल एवं बैठकों पर प्रकाश डालिए।

मॉड्यूल रा–३

छात्र कोषों का रख-रखाव

भूमिका :—

एक सफल प्रधानाचार्य को कुशल प्रशासक एवं शिक्षक के साथ-साथ कुशल वित्त नियंत्रक होता भी आवश्यक होता है। विद्यालय के सफल संचालन के लिए उसे लेखा सम्बन्धी कार्य करने होते हैं, जिनकी जानकारी बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से इस मॉड्यूल की रचना की गई है।

उद्देश्य :

1—विभिन्न छात्र निधियों की प्राप्ति, व्यय एवं पुस्तांकन की प्रक्रिया से अवगत हो सकेंगे।

2—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजों में छात्रों से वसूल किये जाने वाले शुल्क के विषय में जानकारी होगी।

3—शिक्षा परिषद के जूनियर हाई स्कूलों में ली जाने वाली दरों के विषय में जानकारी होगी।

लेखा सम्बन्धी कार्य :—

(1) इण्टरमीडिएट अधिनियम की धारा 16–क, 16–ख के अन्तर्गत बनाये गये अध्याय 1 के विनियम 10 के अन्तर्गत प्रधानाचार्य समस्त छात्र निधियों के नियन्त्रण तथा प्रशासन हेतु उत्तरदायी होता है। उसका यह कर्तव्य होता है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि जो निधि जिस कार्य के लिए स्वीकृत है उसी मद में व्यय की जाय। यदि किसी मद में बचत हो, तो उस निधि का शुल्क लेना बन्द कर दिया जाय। वह विद्यालय में निःशुल्कता तथा अर्द्ध-निःशुल्कता प्रदान करने, वृत्तियों तथा छात्र वृत्तियों की धनराशि को निकालने तथा वितरण करने के लिए उत्तरदायी होता है।

(2) छात्रों से शुल्क प्राप्त करना, दैनिक शुल्क-प्राप्ति पंजिका में लेखांकित कराना, अनुरक्षण निधि, वेतन संदाय खाते तथा छात्र निधियों की पंजिकाओं में पुस्तांकित करना तथा पोस्ट आफिस/बैंक में जमा करने की व्यवस्था करना, शिक्षकों के खाते में शुद्ध वेतन को हस्तान्तरित कराना, वेतन से की गई कटौतियाँ—जैसे सामान्य भविष्य निधि की कटौती आदि की कोषागार में जमा कराना।

(3) विभिन्न छात्र निधियों की प्राप्ति, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, छात्रों के हित में व्यय करना तथा व्यय का पुस्तांकन करना।

(4) विद्यालय में व्यवहृत की जाने वाली रोकड़ पंजिका में प्रतिदिन की आय एवं व्यय को उसी दि अंकित करना चाहिए। प्रतिदिन की प्रविष्टियाँ यथावश्यक प्रधानाचार्य/प्रबन्धक से हस्ताक्षरित होनी चाहिए अवशेष की गणना में बैंक एवं हस्तगत धनराशि का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है।

(5) विद्यालय में प्राप्त शुल्काय, अनुदान, क्षतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति या अन्य प्रकार की आय उसी तिथि ो रोकड़ पंजिका पर अंकित करके प्रधानाचार्य द्वारा आय को अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित करना चाहिए।

(6) सभी प्राप्तियाँ उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस को लेखों के बैंक/पोस्ट आफिस खातों में जमा ी जाय। व्यय के लिए पास बुकों से धन आहरित करके ही व्यय करना चाहिए। आय का सीधे व्यय करना त्तीय नियमों के विपरीत है।

(7) व्यय के सम्बन्ध में नियमित ढंग से व्यय प्रमाणक प्राप्त करना चाहिए। निधियों से अग्रिम धन के ुगतान की प्रथा को यथासम्भव हतोत्साहित किया जाना चाहिए। अपरिहार्य परिस्थिति में दिये गये अग्रिम को त्येक दशा में एक माह के अन्दर समायोजित कराया जाना चाहिए। अग्रिम का अलग रजिस्टर भी रखा जाना ाहिए।

(8) छात्र कोषों के आय-व्यय की पूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा संहिता के अनु० 81 एवं 101 तथा माध्यमिक क्षा अधिनियम के अध्याय एक, विनियम-10(2) के अनुसार प्रधानाचार्य की है। इन निधियों की आय शिक्षा हिता के अनुच्छेद 101 के नीचे दी गई टिप्पणियों के अनुसार उसी सत्र में उन्हीं मदों पर व्यय किया जाना चाहिए नाम मात्र का अवशेष रखना चाहिए। यदि किसी मद (कोष) में बचत हो, तो उस निधि का शुल्क लेना बन्द र देना चाहिए। इस सम्बन्ध में शुल्क के अनुच्छेद में विशेष विवरण दिया जा रहा है।

(9) छात्र कोषों से व्यय के पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति (यथा क्रीडाध्यक्ष/लाइब्रेरियन/स्काउट अध्यापक आदि) लिखित माँग प्राप्त करने की प्रक्रिया अपेक्षित है।

(10) रु० 500-00 से अधिक एक ही प्रकार की सामग्री क्रय करने के पूर्व विभिन्न फर्मों से तुलनात्मक प्राप्त कर न्यूनतम दरों का लाभ उठाते हुए नियमानुसार क्रय किया जाना चाहिए।

(11) फर्म को आदेश देने पर उससे खरीदी सामग्रियों के लिए फर्म बिल अथवा कैश मेमो देती हैं। कैश मेमो पर क्रय किया जाता है, तो यह ध्यान रखना चाहिए कि वही कैश मेमो मान्य होते हैं जिन पर फर्म नाम छपा हो एवं कैश मेमो मशीन नं० हो। अन्यथा रु० 20/- से ऊपर के क्रय पर रसीदी टिकट लगाकर ातान करना चाहिए। बिल की स्थिति में भुगतान करते समय फर्म से छपे रसीद फार्म पर रसीद प्राप्त करना हिए। यदि भुगतान रु० 20-00 से अधिक है, तो रसीदी टिकट लगाना चाहिए।

(12) कैश मेमो/बिल से प्राप्त सामग्रियों की विद्यालय में प्राप्ति के प्रमाण में सम्बन्धित स्टाक-होल्डर उसी बिल/कैश मेमो पर प्राप्ति लिखानी चाहिए। प्राप्त करते समय स्टाक-होल्डर का यह दायित्व है कि वह ान सही हालत में प्राप्ति एवं भण्डार पंजिका के जिन पृष्ठों पर उसे अंकित करे उसका संदर्भ भी उसी पर ्त करें।

(13) बिना भण्डार प्रविष्टि की पुष्टि किए प्रधानाचार्य को कोई भुगतान आदेश या भुगतान हेतु व्यय णक प्रबन्धक को अग्रसारित नहीं करना चाहिए।

(14) अध्यापकों/कर्मचारियों एवं फर्मों या अन्य को भुगतान बैंक के माध्यम से अथवा चेक से करने पर रु० 20-00 से अधिक के भुगतान-प्राप्तकर्ता से रसीदी टिकट पर रसीद प्राप्त करना अनिवार्य है।

(15) ऐसे व्यक्ति को, जो पढ़ा-लिखा न हो, भुगतान करने पर उसके द्वारा लगाये गये निशानी अंगू को किसी जानकार व्यक्ति से प्रमाणित कराया जाना चाहिए।

(16) एक मद से दूसरे मद में ऋण के लेन-देन की प्रक्रिया को हतोत्साहित करना चाहिए। अत्यावश्य होने पर जि० वि० नि०/म० बा० वि०नि० की लिखित अनुमति पर ही ऐसा किया जा सकता है। किन्तु शि संहिता के अनुच्छेद 81 की टिप्पणी के अनुसार ऋण 3 माह के भीतर वापस होना चाहिए।

(17) छात्रों से शुल्क-प्राप्ति के प्रमाण में उन्हें शिक्षा संहिता में निर्धारित फार्म पर रसीद देनी चाहिए

(18) छात्र एवं उपस्थिति पंजिका के माध्यम से ही सम्पूर्ण शुल्क लिये जाने चाहिए। कक्षा अध्या शुल्क उपस्थिति पंजिका के निर्धारित कॉलम पर शुल्क चढ़ाने एवं प्रतिदिन की आय कार्यालय में जमा करने के लि उत्तरदायी है।

(19) माह के अन्त में वसूल किए शुल्क का योग करके जमा शुल्क से मिलान करना चाहिए। इसे कि अन्य अध्यापक से जाँच कराकर सम्पूर्ण शुल्काय के जमा की पुष्टि प्रधानाचार्य को करना चाहिए।

छात्र निधि के रूप में व्यवहृत किये जाने वाले शुल्क

इस प्रकार छात्र निधियों में शुल्क की दरों में पुनरीक्षण वृद्धि एवं कतिपय प्रयोगात्मक विषय के नए ि से शुल्क लगाये जाने के फलस्वरूप राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजों में समेकित रूप से, छा छात्राओं से यथास्थिति वसूल की जाने वाली शुल्क की दरें निम्नवत् होंगी :—

	शुल्क विवरण	कक्षा 6	कक्षा 7–8	कक्षा 9–10	कक्षा 11–12	अन्य
	1	2	3	4	5	6
1.	श्रव्यदृश्य	0·50	0·50	0·50	0·50 प्रतिमास	
2.	जलपान	0·50	0·50	0·50	0·50 प्रतिमास	वर्ष में दो बार
3.	परीक्षा	5·00	5·00	8·00	8·00	कक्षा 10 तथा क 12 में केवल एक
4.	पत्रिका	3·00	3·00	5·00	5·00 वार्षिक	
5.	निर्धन छात्रकोष	0·06	0·06	0·06	0·06 प्रतिमास	
6.	स्काउटिंग	0·25	0·25	—	— प्रतिमास	
7.	रेड क्रास	0·10	0·10	0·15	0·15 प्रतिमास	
8.	प्रगतिपत्र	1·00	1·00	1·00	1·00 वार्षिक	
9.	वाचनालय	4·00	4·00	8·00	8·00 वार्षिक	
10.	कला	0·50	0·50	—	— प्रतिमास	

1	2	3	4	5	6
1. विज्ञान	0·25	0·25	1·00	2·00 प्रतिमास	
2. भूगोल	—	—	—	1·00 प्रतिमास	
3. सैन्य विज्ञान	—	—	—	1·00 प्रतिमास	
4. वाणिज्य	—	—	—	1·00 प्रतिमास	
5. गृहविज्ञान	—	—	—	1·00 प्रतिमास	

उक्त शुल्क छात्रनिधि में व्यवहृत किए जायेंगे तथा उनका लेखा-जोखा पृथक-पृथक नियमानुसार रखा ाये। यह निरीक्षण एवं अंकेक्षण में समय-समय पर उपलब्ध कराया जाएगा।

राजाज्ञा संख्या 5704/15–7–1 (112)/87 दिनांक 22–9–87 द्वारा बढ़े शुल्क की वसूली स्थगित कर दी ायी है। विद्यालयों को अवगत करायें।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) के पत्रांक बे० शि० प०/शुल्क/18134–504/86–87 दिनांक 18–7–86 द्वारा सिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाई स्कूलों में ली जाने वाली छात्रनिधि शुल्क की दरें निम्नवत् निर्धारित की ायी है :—

०सं०	लिये जाने वाले शुल्क का प्रकार	कक्षा 6, 7, 8
1	2	3
1.	परीक्षा शुल्क (वर्ष में दो बार से अधिक नहीं)	2·00 प्रति परीक्षा
	पुस्तकालय तथा वाचनालय शुल्क	2·00 प्रति वर्ष
3.	पंखा शुल्क (जहाँ हों)	1·50 प्रति वर्ष
4.	वाद्य संगीत शुल्क (जो विद्यार्थी यह विषय लिये हों)	2·00 मासिक
5.	जलपान शुल्क (जहाँ हो)	रु० 0·25 से 0·50 तक मासिक
6.	विज्ञान शुल्क	0·25 मासिक
7.	बालचर शुल्क	0·25 मासिक
8.	क्रीड़ा शुल्क	रु० 2·00 प्रतिमास (10 मास तक)
9.	कला तथा शिल्प शुल्क	0·12 मासिक
).	जूनियर रेड क्रास शुल्क	0·10 मासिक
1.	दृश्य तथा श्रव्य शुल्क	0·06 मासिक
	पंजिका शुल्क/अंग्रेजी शुल्क	शून्य

मॉड्यूल रा—४

उत्तर प्रदेश में + २ स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की संकल्पना

किसी भी राष्ट्र का विकास वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर होता है। शिक्षा के द्वारा बालक में जहाँ अने मानवीय गुणों का विकास होता हैं वहीं उसमें जीवनयापन की क्षमता उत्पन्न होती है। अतः राष्ट्र की सुदृढ़ता ए विकास ऐसी शिक्षा से संभव है जो बालक में जीवनयापन करने की योग्यता उत्पन्न कर सके। वर्तमान परिस्थिति में हु देखते हैं कि हमारे यहाँ के नवयुवक स्नातक व स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी नौकरी की तला में भटकते रहते हैं और प्रतिवर्ष अनेक नवयुवक बेरोजगारी की कतार में खड़े होते हैं। इस विषम परिस्थिति को देखक इसका एक ही उपाय मस्तिष्क में आता है और वह है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा की संकल्पना स्पष्ट कर से पूर्व इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करना न्यायोचित होगा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

वैसे तो वैदिक काल से ही हमारे देश में व्यावसायिक शिक्षा प्रचलित थी। उस समय हमारे देश में वर्ग-व्यवस्थ थी और बालक जातिगत व्यवसाय की शिक्षा अपने घर में ही प्राप्त करता था। इसी प्रकार मध्यकाल में भी व्यावसायि शिक्षा अनौपचारिक रूप में बालक घर में ही ग्रहण करते थे।

औपचारिक शिक्षा में इसका सर्वप्रथम समावेश वुड्स डिस्पैच (1854) में हुआ था और इसके पश्चा हर्टाग आयोग ने सन् 1929 में दो समानान्तर पाठ्यक्रमों का सुझाव दिया था।

(1) विश्वविद्यालयी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम।

(2) व्यावसायिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम।

इसके पश्चात वुड एवं एबट रिपोर्ट (1937) तथा सार्जेन्ट रिपोर्ट (1944) में भी व्यावसायिक शिक्षा प बल दिया गया। परन्तु उस समय हमारा देश स्वतन्त्र नहीं हुआ था। अतः व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत में को उल्लेखनीय कार्य नहीं हो सका। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात राधाकृष्णन आयोग (1948) में ऐसी शिक्षा पर बल दिय गया जो विभिन्न आवश्यकताओं पर आधारित हो तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा के साथ-साथ व्यवसायपरक भी हो मुदालियर आयोग (1952) में व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। इसकी सिफारिश के अनुसार व्या सायिक शिक्षा को अन्तस्थ शिक्षा के रूप में प्रस्तावित किया गया। इस आयोग की सिफारिश के उपरान्त बहुउद्देशी विद्यालयों की स्थापना की गई। हमारे प्रदेश में भी कई बहुउद्देशीय विद्यालय खोले गये। कोठारी आयोग (1964-66 में माध्यमिक स्तर पर दो प्रकार की शिक्षा को प्रस्तावित किया गया जिसमें एक शैक्षिक व दूसरी व्यावसायिक थी इस प्रकार स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार बहुत तीव्र गति से हुआ। फिर हमारा देश संसार के अन्य देशों की तुलना में इस दिशा में प्रगति नहीं कर सका है और अभी भी व्यावसायिक शिक्षा दिशा में सघन प्रयास की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर अत्यधिक बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कोठारी आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया गया है तथा यह भी सुझाव दिया गया है कि व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रभावी रूप में अन्तस्थ होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझाव के आधार पर एन.सी.ई.आर.टी. को व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम-निर्माण का कार्य सौंपा गया। एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के पुनरावलोकन हेतु सन् 1977 में डॉ० पी.सी. चन्दर, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री एवम् सभापति, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली ने डॉ० मालकाय आदिशेषैया की अध्यक्षता में एक "राष्ट्रीय पुनरीक्षण समिति" गठित की। इस समिति की रिपोर्ट 'लर्निंग टु डू' (1978) के नाम से प्रकाशित हुई।

'लर्निंग टु डू' की रिपोर्ट को आधार मानकर ही हमारे प्रदेश में + 2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में प्रशासन जनपदीय व्यावसायिक सर्वेक्षण, अध्यापकों के चयन एवं प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या एवं शैक्षणिक सामग्री इत्यादि सभी बिन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसमें प्रमुख रूप से व्यावसायिक शिक्षा को दो प्रकार से सामान्य शिक्षा के साथ सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया है।

(क) सामान्य शिक्षा की धारा में 15% व्यावसायिक विषय का समावेश।

(ख) व्यावसायिक शिक्षा की धारा में 70% व्यावसायिक विषय पर बल।

उपर्युक्त में से हमारे प्रदेश में खण्ड (क) में दिये गये सुझाव के अनुसार 15% के स्थान पर लगभग 20% व्यावसायिक विषय पर बल दिया गया है तथा खण्ड (ख) में वाणिज्य एवं कृषि में नवीन व्यावसायिक शाखा (ट्रेड्स) खोलकर 70% व्यावसायिक विषय पर बल दिया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा की विशेषताएँ :

(1) यह शिक्षा अन्य प्रचलित व्यावसायिक शिक्षा (आई.टी.आई.) पॉलीटेकनीक आदि से सर्वथा भिन्न है। इसमें छात्रों को केवल तकनीकी ज्ञान ही प्रदान नहीं किया जाता वरन् छात्रों को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वे समाज की आवश्यकता को समझते हुए उसके आर्थिक विकास में अपना सक्रिय योगदान कर सकें।

(2) इस शिक्षा के द्वारा हम ऐसे लोगों का निर्माण करना चाहते हैं जो मस्तिष्क के साथ-साथ हाथ से भी काम कर सकें। इस दृष्टि से व्यावहारिक कार्य एवं उसका प्रशिक्षण व्यावसायिक शिक्षा का अभिन्न अंग माना गया है।

(3) यह शिक्षा नौकरी के साथ-साथ छात्रों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है।

(4) इसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना तथा सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाना है। यह प्रशिक्षित जनशक्ति को तैयार करती है जिससे उत्पादन में सरलता से वृद्धि व सेवाओं में निपुणता उत्पन्न होती है।

(5) इसके पाठ्यक्रम का निर्माण जनपद के सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है। अतः जनपद में रोजगार मिलने की संभावनाएं अधिक रहती हैं।

(6) यह शिक्षा छात्रों को केवल औद्योगिक प्रशिक्षण ही प्रदान नहीं करती वरन् छात्रों में समाज की आर्थिक आवश्यकता को समझते हुए उसके विकास में योगदान करने की योग्यता उत्पन्न करती है।

(7) +2 स्तर पर सामान्य शिक्षा के साथ एक ही विद्यालय में समानान्तर व्यावसायिक शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें छात्रों की ऊर्ध्ववर्ती प्रगति बनी रहेगी अर्थात् यदि छात्र +2 स्तर तक की शिक्षा के बाद रोजगार नहीं करना चाहता है, तो भी वह सामान्य की भाँति उच्च शिक्षा हेतु किसी कालेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकता है।

अतः यह ऐसी शिक्षा की संकल्पना है जिसके पश्चात छात्र चाहे तो स्वरोजगार कर सकता है या पुनः उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकता है।

इस शिक्षा की अवधि दो वर्ष अथवा उससे कम हो सकती है। आदिशेषैया समिति ने इसे दो वर्ष तक ही स्वीकार किया है। उ. प्र. में इसकी अवधि को दो वर्ष ही स्वीकार किया गया है।

हमें आशा है कि "व्यावसायिक शिक्षा के दर्शन, उपयोगिता एवं विशेषताओं" को ध्यान में रखकर निर्मित की गई शिक्षा वर्तमान शिक्षा की कमियों को दूर करने में निश्चित रूप से सफल हो सकेगी।

मॉड्यूल रा—५

क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारूप एवं सम्भावनायें

भूमिका :

जीवन-विस्तार के अपरिमित क्षेत्र की विविधताओं तथा उनसे उत्पन्न मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का मात्र साधन अन्वेषण, शोध अथवा अनुसंधान है। अन्वेषण में आकस्मिक उपलब्धि की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, परन्तु शोध अथवा अनुसंधान एक सुविचार तथा सुनियोजित लक्ष्य है, जो श्रम द्वारा ही साध्य है। सम्प्रति लक्ष्य एवं भिन्नता के कारण शोध के निम्नलिखित रूप प्रचलित हैं :—

क—शास्त्रीय अथवा मौलिक शोध

ख—व्यावहारिक शोध

ग—विकासात्मक शोध

घ—क्रियात्मक शोध

उपर्युक्त सभी प्रकार के शोधों की प्रकृति लक्ष्य की विविधिता के कारण भिन्न है। शास्त्रीय अथवा मौलिक और क्रियात्मक शोध के बीच पर्याप्त दूरी है। धर्म शास्त्रीय शोध की प्रेरणा का मूल तत्व ज्ञान और ज्ञान की विषमता है, तो क्रियात्मक शोध की प्रेरणा का आधारस्रोत वर्तमान की मूर्त समस्याओं का समाधान है। एक का क्षेत्र अति व्यापक है, तो दूसरे का अपेक्षाकृत बहुत सीमित है।

क्रियात्मक शोध :

पृष्ठभूमि—क्रियात्मक शोध का इतिहास बहुत पुराना है। वस्तुत: वर्तमान शताब्दी के तृतीय दशक में तत्कालीन अमेरिकी समाज की आवश्यकताओं के फलस्वरूप अपेक्षाकृत कम समय, श्रम एवं धन से प्राप्त की जाने वाली अनुसंधान विधाओं की आवश्यकता एवं महत्व को रेखांकित किया गया। इसका बहुत कुछ कारण प्रशासनिक व्यवस्था की वर्तमान स्थिति में कसाव एवं लक्ष्य-बद्धता की ओर अग्रसर करने की इच्छा थी। साथ ही विशिष्ट एवं स्थानीय समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान की दृष्टि से भी यह चतन उपयुक्त समझा गया। सर्वप्रथम इस चिंतन का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में किया गया। इस क्षेत्र में लैण्ड और लैब की दूरी को कम करने से अत्यन्त उपयोगी एवं उत्साहवर्धक निष्कर्ष प्राप्त हुए। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी यह अनुभव किया जाने लगा कि उत्पादक और उपभोक्ता की दूरी को कम करके कम समय में अधिक काम किया जा सकता है। शिक्षा-विस्तार सेवा का जन्म भी इसी अवधारणा को अग्रसर करने के उद्देश्य से हुआ था। सम्प्रति सम्पूर्ण विश्व इसके महत्व को स्वीकार करता है, अपने यहाँ कार्यक्रम चलाता है तथा इसकी संभावनाओं के प्रति उत्सुक है।

उद्देश्य :

—शैक्षिक शोध के क्रमिक सोपानों से अवगत हो सकेंगे।

—समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर उनका समाधान कर सकेंगे।

—शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधारकर उसे रुचिकर बना सकेंगे।

संकल्पना एवं स्वरूप :

क्रियात्मक अनुसंधान की पृष्ठभूमि के अध्ययन से ही संकल्पना स्वतः स्पष्ट हो जाती है। कोटे के शब्दों में "क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं जिससे कि वे अपने निष्कर्षों द्वारा अपने निर्णयों एवं कार्यों का मार्गदर्शन कर सकें, तथा मूल्यांकन कर सकें।" फोशे तथा गुडसन क्रियात्मक अनुसंधान को "वह प्रक्रिया मानते हैं जो क्रिया में यथाविधि सुधार करती है। कनिंघम तथा मिल के अनुसार "क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जिसकी परिकल्पना का कथन समस्यात्मक स्थितियों के सुधार के कार्यक्रम के रूप में किया जाता है"।

स्वरूप—वस्तुतः क्रियात्मक शोध किसी भी गहन अथवा औपचारिक शोध-विधाओं से बहुत भिन्न नहीं है। इस विधा में भी सामान्यतया कार्यपद्धति की रूपरेखा वहीं होती है जो आत्म-अनुसंधानों की होती है। यह बात आवश्यक है कि सोपानों की शास्त्रीयता को क्रियात्मक अनुसंधान में शिथिल कर दिया जाता है। इसका मुख्य कारण सम्भवतः लक्ष्य के उद्देश्य से संबद्ध है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकालना उपयुक्त होगा कि अन्य अनुसंधान विधाओं की समीक्षक प्रवृत्ति से प्रकृति भिन्न है, क्योंकि इसका मुख्य लक्ष्य सृजनात्मकता है। क्रियात्मक अनुसंधान का साधन-तत्व विद्यालय और उसके शिक्षक अथवा प्रशासक होते हैं। उन्हें अपने द्वारा अपने विशिष्ट क्षेत्र में निश्चित समस्या का समाधान कम से कम समय, श्रम एवं धन के द्वारा प्राप्त करना होता है। इस प्रक्रिया के सोपानों की शास्त्रीयता को शीर्षक करना भी आवश्यक माना गया है।

क्रियात्मक शोध के सोपान :

(क) समस्या का अभिज्ञान

(ख) परिकल्पना का निर्माण

(ग) कार्य की रूपरेखा एवं कार्यान्वियन

(घ) परिकल्पना का परीक्षण

(ङ) निष्कर्ष-निरूपण

क्रियात्मक अनुसंधान के समस्त सोपानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान समस्या की समझ अथवा पहचान है। समस्या का चयन करते समय शोधकर्ता को अपनी भौतिक, वैधानिक आदि सीमाओं के साथ ही कार्यान्वयन की सुविधा तथा निष्कर्षों के प्रसार आदि को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है।

क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों को निश्चित करने के पश्चात शोध का प्रारूप तैयार किया जाता है। प्रचलित प्रारूप निम्नवत् हैं :—

1–शोध का शीर्षक

2–शोधकर्ता

3–पृष्ठभूमि चयन का औचित्य

4–समस्या का विश्लेषण

5–परिकल्पना

6–परिसीमन

7–शोध-योजना की कार्य-प्रणाली (क्रियात्मक परिकल्पना)

8–परिकल्पना का सत्यापन/मूल्यांकन

9–निष्कर्ष-निरूपण

10–अनुवर्ती कार्यक्रम

सम्भावनायें :–

क्रियात्मक शोध की संभावनाओं का क्षेत्र बहुत व्यापक है। शोध की इस क्रिया द्वारा जहाँ एक ओर विद्यालय से सम्बद्ध सभी घटकों यथा विद्यार्थी, शिक्षक, प्रशासन तंत्र, अभिभावक आदि की समस्याओं का समाधान सरलता एवं विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता है वहीं दूसरी ओर शिक्षण-अधिगम की समस्याओं का प्रभावी हल ढूंढना भी अपेक्षाकृत सरल है। उत्प्रेरक, सहभागिता, उपलब्धि मूल्यांकन, पश्चपोषण आदि की समस्याओं का समाधान भी इस विषय के द्वारा सम्भव है।

औद्योगीकरण का ज्ञान और प्रत्याशा विस्फोट के कारण हमारी शैक्षिक समस्याओं के संदर्भों में विस्तार के साथ विविधता का भी संचार हुआ है। अतः अब यह आवश्यक हो गया है कि शैक्षिक समस्याओं के निदान हेतु शोध की ऐसी विधाओं को स्वीकार किया जाय जिनसे कम से कम समय, श्रम तथा व्यय के द्वारा समाधान प्राप्त हो सकें। क्रियात्मक शोध में ये सभी गुण विद्यमान हैं। इसमें त्वरित तथा सिद्धि के साथ-साथ कार्यान्वयन की सरलता अध्ययन की वैज्ञानिकता तथा निष्कर्षों की विश्वसनीयता के गुण भी समाहित हैं। शिक्षा-जगत अपनी वर्तमान समस्याओं के समाधान तथा अर्द्धगामी प्रसार हेतु क्रियात्मक अनुसंधान से बहुत कुछ प्राप्त करने की आशा रखता है।

मॉड्यूल रा–६

छात्र-स्व-मूल्यांकन

(१) सिंहावलोकन :—

मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है, जिसके माध्यम से छात्र द्वारा अर्जित अधिगम अनुभवों के साथ-साथ उसके व्यावहारिक परिवर्तनों, बौद्धिक क्षमताओं और भावात्मक अभिवृत्तियों के विकास के स्तरों का पता लगाया जाता है। मूल्यांकन द्वारा प्राप्त विश्लेषण से शैक्षिक उद्देश्यों और अधिगम प्रक्रिया तथा शैक्षिक प्रतिमानों में परिवर्तन संभव होता है। इस प्रकार मूल्यांकन जहाँ छात्र की वर्तमान क्षमताओं का आकलन करता है वहीं दूसरी ओर भावी शैक्षिक प्रक्रिया का दिशाबोध भी करता है।

मूल्यांकन से व्यक्ति या वस्तु के अस्तित्व के स्तर का वास्तविक बोध होता है। वस्तु के मूल्यांकन की अपेक्षा मानव मूल्यांकन अधिक दुष्कर कार्य है, क्योंकि मनुष्य विचारशील और चेतन प्राणी है, फिर भी प्राचीन काल से ही मनुष्य ने कोई न कोई प्रविधि निकाल कर इस वास्तविकता का पता लगाने का प्रयास किया है कि किसी वस्तु में या व्यक्ति में कम या अधिक मात्रा में कौन-कौन-सी क्षमता विद्यमान है। इसकी आवश्यकता सदैव इसलिए अपरिहार्य रही है, क्योंकि वस्तु या व्यक्ति के गुण-दोषों के आधार पर ही इसके प्रयोजन की सफलता-असफलता निर्भर करती है। आधुनिक युग में जिस परीक्षा प्रणाली से बालकों का मूल्यांकन किया जाता है, उसमें भी छात्र के गुण-दोष का ही पता लगाते हैं, किन्तु छात्र के विकास स्तर का मूल्यांकन करने वाली यह प्रणाली एकांगी है—यह शिक्षक-आधारित है, इसमें छात्र को आत्माभिव्यक्ति करने का अवसर नहीं मिल पाता। छात्र-स्व-मूल्यांकन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में छात्र-मूल्यांकन की दिशा में एक अभिनव प्रयोग और प्रयास है।

(२) उद्देश्य :—

इस मॉड्यूल के सम्यक अध्ययनोपरान्त आप निम्नांकित तथ्यों से अवगत हो सकेंगे :—

–छात्र-स्व-मूल्यांकन का आशय

–छात्र-स्व-मूल्यांकन की प्रविधि

–छात्र-स्व-मूल्यांकन का प्रयोग

–छात्र-स्व-मूल्यांकन के विविध क्षेत्र

–छात्र-स्व-मूल्यांकन प्रपत्र की रचना का प्रारूप

(३) छात्र-स्व-मूल्यांकन का आशय :—

छात्र-स्व-मूल्यांकन का आशय है कि छात्र अपना मूल्यांकन अपने आप करे। हमारे देश में "आत्मानं विद्धि" का सिद्धान्त प्राचीन काल से ही प्रचलित रहा है। व्यक्ति अपने आपको जितना अधिक समझने का अधिकारी है, उतना

अन्य कोई नहीं। वर्तमान मूल्यांकन की परीक्षा प्रणाली वाह्य प्रेक्षण पर आधारित है। इस प्रणाली में निम्नांकित त्रुटियां विद्यमान हैं :—

–यह एकांगी है जो छात्र के बौद्धिक विकास का मूल्यांकन करती है।

–यह शिक्षकाधारित है जिसमें परिस्थितिजन्य प्रभाव और रुचि वैभिन्य के कारण वस्तुपरक नहीं हो जाती।

–इससे छात्र की रुचियों, अभिवृत्तियों और प्रवृत्तियों का वास्तविक पता नहीं लग पाता, जिससे छात्र के मार्ग-दर्शन में विफलता प्राप्त होती है।

छात्र-स्व-मूल्यांकन प्रणाली में उक्त दोषों का परिहार समाहित है। इसके अन्तर्गत छात्र के बौद्धिक ज्ञान के साथ-साथ नैतिक, सामाजिक, आचरण के स्तर और अवरोधक तत्वों का वास्तविक बोध होता है। उसकी रुचियों और अभिरुचियों का भी ज्ञान प्राप्त होता है। छात्र-केन्द्रित होने के कारण इसका प्रत्यक्ष लाभ छात्र को प्राप्त होता है। छात्र प्रश्नोत्तर के माध्यम सें अपने प्रत्येक व्यवहार का संश्लेषण-विश्लेषण करता है, अपनी सफलता-असफलता के कारणों का पता लगाता है। यह मानव स्वभाव है कि अपने आप कोई अपना अहित नहीं करना चाहता है। जब उसे किसी कार्य की सफलता-असफलता के कारणों का वास्तविक अनुभव होता है, तो वह उससे अपने आपको बचाना चाहता है। छात्र-स्व-मूल्यांकन के पीछे यही धारणा है कि छात्र अपने द्वारा कृत कार्यों और उनसे प्राप्त परिणामों पर आत्मचिन्तन करे, यदि उसे सफलता मिली हो, तो आगे की सफलता के लिए प्रयत्नशील होकर मार्ग की खोज करे। और यदि असफल हुआ है, तो उसके कारणों को अपने आप भली भाँति समझ सके और आत्मप्रेरणा द्वारा सुधार और विकास के प्रति सचेष्ट हो सके, क्योंकि स्वयं द्वारा लिये गये निर्णय और संकल्प में असीमित शक्ति निहित होती है।

(४) छात्र-स्व-मूल्यांकन की प्रविधि :—

छात्र-स्व-मूल्यांकन अभिनव विधा है। इस प्रविधि के अन्तर्गत सबसे पहले मूल्यांकन के क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। प्रत्यक्ष क्षेत्र पर शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नों की रचना करनी होती है, जिसमें छात्र बिना संकोच एवं हिचक के आत्माभिव्यक्ति कर सकें। प्रश्न-योजना इस प्रकार निरूपित करनी पड़ती है, जो छात्र के विविध अधिगम अनुभव की वास्तविकता के अवबोधक होते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र विद्यालय सें देर से आता है और इससे उसके समय के प्रति असंयमी होने का भय है। इसका कुप्रभाव उसके अध्ययन पर भी पड़ता है, ठीक समय से विद्यालय पहुँचना उत्तम परिणाम देता है, यदि इस विचार का छात्र को आत्मबोध कराना है, तो उसकी प्रश्नावली का विकास इस प्रकार किया जायगा :—

(क) समस्या सम्बोध—क्या आप विद्यालय प्रतिदिन समय सें/प्रतिदिन कभी-कभी/कभी नहीं पहुँचते हैं।
अनुभूति—जब आप विद्यालय देर से पहुँचते है,
तो आपको स्वयं कैसा अनुभव होता है। अच्छा/बुरा/बहुत बुरा
खोज— यदि आप विद्यालय देर से पहुँचते हैं,
तो आपकी समझ में उसके क्या कारण हैं।
प्रयास— उन कारणों का निवारण आप कैसे कर सकते हैं।
(सोचें, विचार करें, लिखें)

उक्त विश्लेषण में सर्वप्रथम "समय के पालन" के मूल्य (अनुशासन) का स्व-मूल्यांकन है। छात्र के समक्ष प्रथमतः समस्या के विषय का सम्बोध उपस्थित किया जाता है और तत्पश्चात् उसे स्वयं अनुभव और कारणों की खोज करनी पड़ती है। कारण की खोज के पश्चात वह किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है जो उसके लिए आत्मप्रेरणा का साधन बनता है, जिसके आधार पर वह आत्मसुधार की ओर अग्रसित होता है।

(५) छात्र-स्व-मूल्यांकन का प्रयोग :—

छात्र-स्व-मूल्यांकन का प्रयोग द्विस्तरीय होगा अर्थात् शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों इससे लाभान्वित होंगे। शिक्षक के लिए यह जानना सरल हो जायगा कि जीवन के विविध क्षेत्रों में छात्र की उपलब्धियां क्या है, जिसके आधार पर वह उनके उत्तरोत्तर विकास के लिए प्रयत्नशील होता है। छात्र-स्व-मूल्यांकन से छात्र की रुचि, अभिवृत्ति और प्रवृत्ति का भी पता चलता है, जिससे शिक्षक को उसके व्यवहार-परिवर्तन में सुविधा होती है। इससे छात्र के विकास की उन समस्याओं और अवरोधक तत्वों का भी पता चल जाता है, जो छात्र के शिक्षण में अधिक बाधक बनते है और जिनके निराकरण की दिशा में शिक्षक सचेष्ट हो सकता है। इसका दूसरा प्रयोग स्वयं छात्र के लिए है। छात्र अपनी वास्तविकता का पता लगाने का स्वयं प्रयास करता है, अपने द्वारा कृत कार्यों का विश्लेषण करता है, निष्कर्ष प्राप्त करता है और उसके अनुसार भविष्य में आत्मपरिष्कार के लिए स्वयं प्रयत्नशील होता है। वाह्य प्रेक्षण मूल्यांकन (परीक्षा पद्धति) का सबसे बड़ा दोष यह है कि छात्र को अपनी त्रुटियों का आत्मिक बोध नहीं हो पाता जिसके कारण या तो वह भाग्यवादी बन जाता है या हताश-निराश होकर उस मार्ग से ही भाग खड़ा होता है। छात्र-स्व-मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्ष उसके अपने होते हैं, उसके प्रति उसकी आत्मीयता होती है, आत्मप्रेरणा प्राप्त होती है और वह अपनी समस्याओं और त्रुटियों के सुधार के लिए स्वयं सचेष्ट हो जाता है।

छात्र-स्व-मूल्यांकन प्रपत्र की रचना का दायित्व शिक्षक का होता है। वह अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर छात्र के मूल्यांकन क्षेत्रों का निर्धारण करता है और उन क्षेत्रों पर वह प्रश्नावली की रचना करता है। प्रश्नावली रचना में शिक्षक को यह ध्यान रखना पड़ता है कि प्रश्न छात्र की वास्तविक दशाओं का उद्घाटन कर सकें और छात्र निःसंकोच तथा निर्भय होकर आत्माभिव्यक्ति कर सकें। शिक्षक इन मूल्यांकन प्रपत्रों को दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, षट्मासिक या वार्षिक के रूप में प्रयोग कर सकता है। प्रत्येक छात्र को निर्धारित अवधि के लिए छात्र-स्व-मूल्यांकन प्रपत्र को वितरित करता है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया लिखित रूप में प्रकट करने के लिए आवश्यक निर्देश देता है। इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि उत्तर लिखते समय छात्र किसी भय या तनाव की स्थिति में न रहे, अपितु उसे सही बात कहने का अवसर मिले। छात्र द्वारा स्व-मूल्यांकन प्रपत्र भरकर शिक्षक के पास जमा करना होगा और शिक्षक उसके आधार पर छात्र के क्रियाकलापों का, अधिगम अनुभवों का, उसमें उपस्थित होने वाले अवरोधक तत्वों का विश्लेषण करता है और उसके आधार पर अधिगम अनुभव के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी सफलता-असफलता और उसके कारणों को अंकित करता है। इसके आधार पर वह छात्र के विकास का अग्रिम कार्यक्रम तैयार करता है और इस प्रकार वह सत्र-पर्यन्त इन प्रपत्रों के माध्यम से छात्र के अनुभव संबर्द्धन तथा परिवर्धन की दिशा का निर्धारण करता है।

(६) छात्र-स्व-मूल्यांकन के विविध क्षेत्र :—

छात्र-स्व-मूल्यांकन के वे सभी विविध क्षेत्र हो सकते हैं, जिनके अन्तर्गत छात्रों का अनुभव सम्वर्द्धन होता है। इन्हें निम्नांकित रूपों में अभिव्यक्त किया जा सकता है :—

(1) शिक्षण अधिगम परिवेश (पाठ्यक्रमीय)

(2) शिक्षण अधिगम परिवेश (पाठ्य सहगामी)

  (क) विद्यालयीय क्रियाकलाप

  (ख) विद्यालयेतर क्रियाकलाप

(3) अनुशासनिक परिवेश (व्यवहारगत)
  (क) वैयक्तिक
  (ख) सामाजिक

(4) सामुदायिक परिवेश (व्यवहारगत)
  (क) परिवार
  (ख) पास-पड़ोस
  (ग) समाज

(5) भावात्मक परिवेश (राष्ट्रीय एवं मानवीय संबंध)

उक्त सभी क्षेत्रों में छात्र के स्तर का ध्यान रखकर प्रश्न-योजना का निर्माण करना पड़ता है। एक इकाई की पूर्ति के पश्चात् कुछ प्रेरणात्मक तथ्य छात्रों के समक्ष रखे जाते हैं, जिन पर वह आत्मचिन्तन करता है, अपने कृत कार्यों की स्वयं समीक्षा करता है, अपनी त्रुटियों का बोध करता है, और स्व-प्रयास के सुधार की दिशा में सचेष्ट होता है।

(७) छात्र-स्व-मूल्यांकन प्रपत्र की रचना का प्रारूप :—

छात्र के अधिगम अनुभव के विविध क्षेत्रों में छात्र-स्व-मूल्यांकन प्रपत्र की रचना का प्रारूप प्रस्तुत किया जा रहा है, आप इनका ध्यानपूर्वक मनन करें तथा अनुभव और विचार से इनमें संशोधन तथा परिवर्धन करें तथा छात्रों पर इनका प्रयोग करें।

छात्र-स्व-मूल्यांकन प्रपत्र में सामान्य सूचनायें :—

(क) शिक्षार्थी का नाम :—
(ख) कक्षा :—
(ग) वर्ग :—
(घ) विद्यालय :—
(ङ) सत्र :—
(च) घर का पता :—

छात्र-स्व-मूल्यांकन प्रपत्र—1

शिक्षण-अधिगम परिवेश (पाठ्यक्रमीय) कक्षागत एवं कक्षेतर

1. क्या आप प्रत्येक विषय की कक्षा मे निर्धारित अवधि तक उपस्थित रहते हैं ?	नित्य	कभी-कभी	कभी नहीं
(0) जब आप कक्षा में उपस्थित नहीं रहते हैं, तो उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है ?	अच्छा	बुरा	बहुत बुरा
(0) कक्षा में उपस्थित न रहने के किन्हीं तीन कारणों का उल्लेख कीजिए ।	1–	2–	3–
(0) आप इन कारणों / समस्याओं का निवारण किस प्रकार कर सकते हैं ? (सोचें, विचार करें और लिखें)	....		
2. क्या आप कक्षा में पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक विषय का पूर्व-अध्ययन करके विद्यालय आते हैं ?	नित्य	कभी-कभी	कभी नहीं
(0) जब आप प्रत्येक विषय का पूर्व-अध्ययन करके जाते हैं, तो कक्षा में उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है ?	विषय सरलता से समझ में आता है	विषय समझने में कठिनाई होती हैं	विषय समझ में नहीं आता है
(0) यदि आप घर पर विषयों का पूर्व-अध्ययन नहीं करते हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?	घर के कार्यों की व्यस्तता	सुविधाओं का अभाव	आलस्य
(0) आप इन समस्याओं का निराकरण स्वयं किस प्रकार कर सकते हैं ? (सोचें, विचार करें और लिखें)	....		
3. क्या आप कक्षा में शिक्षक की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं ?	हाँ	नहीं	कभी-कभी नहीं
(0) जब आप शिक्षक की बात ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं, तो उसके क्या कारण होते हैं ?	विषय का दुरूह होना	विषय में मन का न लगना	मन का कक्षा में एकाग्र न होना
(0) क्या कभी आप इस विषय पर गंभीरता-पूर्वक सोचते हैं ?	हाँ	कभी नहीं	कभी-कभी

(0) आप कक्षा में एकाग्र चित्त होने के लिए स्वयं क्या प्रयास करते हैं ? (सोचें और अपने प्रयासों का उल्लेख करें)	....		
4. क्या आप कक्षा में विषय न समझ पाने पर शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं ?	नित्य	कभी-कभी	कभी नहीं
(0) जब आप शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, तो उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता हैं ?	विषय समझ में आ जाता है।	समझ में नहीं आता है।	कुछ-कुछ समझ में आता है।
(0) क्या जब आप शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, तो वे अप्रसन्न होते हैं ?	हाँ	नहीं	कभी-कभी
(0) कक्षा में विषय न समझ पाने पर उसे पूरा करने के लिए आप स्वयं क्या प्रयास कर सकते हैं ?	....		
5. क्या आपके पास प्रत्येक विषय की पुस्तकें व अभ्यास-पुस्तिकाएँ उपलब्ध रहती हैं ?	हाँ	नहीं	कभी-कभी नहीं
(0) जब आपके पास उक्त सामग्रियाँ नहीं होती हैं, कक्षा में आप किस प्रकार अध्ययन करते हैं ?	दूसरे छात्रों से सहयोग लेकर	चुपचाप बैठकर	कक्षा का त्याग कर
(0) उक्त सामग्रियों का अभाव आपके पास क्यों है ?	धन की कमी	माता-पिता का असहयोग	लापरवाही
(0) आप इन अभावों की पूर्ति स्वयं किस प्रकार कर सकते हैं ? (विचार करें और लिखें)	....		
6. क्या आप कक्षा में दिये गये गृहकार्य को प्रतिदिन पूरा कर लेते हैं ?	नित्य	कभी-कभी	कभी नहीं
(0) जब गृहकार्य आप पूरा नहीं करते हैं, तो इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है ?	विषय समझ में नहीं आता है।	विषय आधा/ अधूरा समझ में आता है।	कक्षा दण्ड मिलता है।
(0) जो छात्र अपने नित्यप्रति का गृहकार्य पूरा करते हैं, कक्षा में उन पर क्या प्रभाव पड़ता है ?	पढ़ने में तेज होते हैं।	अच्छे अंक प्राप्त करते हैं।	शिक्षक द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है।
(0) आप अपना गृहकार्य पूरा करने के लिए स्वयं क्या उपाय कर सकते हैं ? (गम्भीरतापूर्वक सोचें और लिखें)	....		

7. क्या आप घर पर विद्यालय में पढ़ाये गये प्रत्येक विषय की पुनरावृत्ति करते हैं ?	नित्य	कभी-कभी	कभी नहीं
(0) यदि आप घर पर पढ़ाये गये विषयों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, तो उसका आपके परीक्षाफल पर क्या प्रभाव पड़ता है ?	अच्छा	बुरा	बहुत बुरा
(0) घर पर विषयों की पुनरावृत्ति न करने के क्या कारण हैं ?	विषय को न समझ पाना	समय की कमी	आलस्य (लापरवाही)
(0) आप इन कारणों को स्वयं किस प्रकार दूर कर सकते हैं ? (गम्भीरतापूर्वक सोचें और लिखें)	....		
8. क्या आप शिक्षक के समक्ष समय से गृहकार्य प्रस्तुत करते हैं ?	नित्य	कभी-कभी	कभी नहीं
(0) क्या आप शिक्षक द्वारा शुद्ध किये गये गृहकार्य का अवलोकन करके अपने में सुधार का प्रयास करते हैं ?	हां	कभी-कभी	कभी नहीं
(0) समय से गृहकार्य शिक्षक के समक्ष न प्रस्तुत करने का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है ?	अध्ययन में पिछड़ जाते हैं।	परीक्षा में कम अंक मिलते हैं।	आत्मग्लानि होती है।
(0) समय से शिक्षक के समक्ष गृहकार्य प्रस्तुत करने के लिए आप स्वयं क्या प्रयास कर सकते हैं ? (सोचें, विचार करें और लिखें)	....		
9. आपको कक्षा के प्रत्येक विषय की परीक्षा में क्या सर्वोत्तम अंक मिलते हैं ?	सदैव	कभी-कभी	कभी नहीं
(0) आपको परीक्षा में कम अंक क्यों मिलते हैं ?	विषय समझ में नहीं आता।	पढ़ने में मन नहीं लगता।	लिखने में त्रुटियाँ होती हैं।
(0) परीक्षा में कम अंक मिलने पर उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है ?	बुरा	बहुत बुरा	निराशाजनक
(0) आप अच्छे अंक पाने के लिए स्वयं क्या प्रयास कर सकते हैं ? (सोचें, समझें, विचार करें और लिखें)	....		

छात्र-स्व-मूल्यांकन प्रपत्र—2

शिक्षण अधिगम परिवेश—पाठ्य सहगामी क्रियाएँ

1. आपके विद्यालय में कौन-कौन-सी पाठ्य सहगामी क्रियाएँ सम्पन्न होती हैं ? ....

   (0) इनमें से आप किन-किन क्रियाकलापों में भाग लेते हैं ? ....

   (0) इन क्रियाकलापों में भाग लेने के पश्चात् आपको कैसा अनुभव होता है ? प्रोत्साहन मिलता है । सम्मान मिलता है । आनन्द मिलता है ।

   (0) इन क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता प्राप्त करने के लिए आपको क्या प्रयास करना चाहिए ? ....
   (गम्भीरतापूर्वक विचार करें और लिखें ।)

2. आप विद्यालय की किन-किन पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं ? ....

   (0) आपकी कक्षा के जो छात्र विद्यालय के सभी क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, उनमें और अपने में आप किस तरह का अंतर पाते हैं ? उन्हें प्रशंसा मिलती है । उन्हें पुरस्कार मिलता है । उन्हें आदर मिलता है ।

   (0) इन क्रियाकलापों में आप क्यों नहीं भाग लेते हैं ? भय लगता है । समय नहीं रहता । सुविधा नहीं है ।

   (0) यदि आपको सुविधाएँ उपलब्ध हो जाएँ, तो आप किस प्रकार इन क्रियाकलापों में रुचि-पूर्वक भाग लेंगे ? ....
   (सोचें, समझें और लिखें ।)

3. वर्ष में आपके पास-पड़ोस में कौन-कौन-से सामूहिक उत्सव मनाये जाते हैं ? ....

   (0) इन उत्सवों में आपकी क्या भूमिका होती है ? सदैव सक्रिय भाग लेते हैं । कभी-कभी सक्रिय भाग लेते हैं । कभी भाग नहीं लेते हैं ।

   (0) यदि आप कभी भाग नहीं लेते हैं, तो क्यों ? मन नहीं लगता समय नहीं मिलता थक जाते हैं ।

   (0) क्या आप इन कारणों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते ? ....
   (सोचें, समझें और लिखें ।)

4. क्या आपके मन में इन क्रियाकलापों में नेतृत्व करने की इच्छा नहीं होती ?	होती है	नहीं होती है।	कभी-कभी होती है।
(0) यदि आपके मन में इच्छा नहीं होती है, तो इसके क्या कारण हैं ?	धन की कमी	साहस की कमी	शक्ति की कमी
(0) क्या आप कभी सोचते हैं कि इससे आपके व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न होती है ?	सोचते हैं।	नही सोचते हैं।	कभी-कभी सोचते है।
(0) यदि आपको अवसर मिले, तो इन क्रिया-कलापों का नेतृत्व आप किस प्रकार करेंगे ? (गम्भीरतापूर्वक सोचें और लिखें।)	....		
5. क्या आप किसी विशेष क्रियाकलाप का नेतृत्व करना चाहते हैं ?	हाँ	नहीं	कभी नहीं
(0) क्या आपको अपनी रुचि के विशेष क्रिया-कलाप में नेतृत्व करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है ?	मिलता है।	नहीं मिलता हैं।	कभी-कभी मिलता है।
(0) यदि आपको अवसर नहीं मिलता है, तो आप उसके लिए क्या प्रयास करते हैं ?	सम्बन्धित शिक्षक से	चुप रह जाते हैं।	किसी से नहीं मिलते हैं।
(0) यदि आपको अवसर मिल जाय, तो आप किस प्रकार दल (टीम) का नेतृत्व करेंगे ? (सोचें, समझें और लिखें।)	....		
6. क्या आप कभी सोचते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेना उतना ही आवश्यक है जितना कक्षा में बैठकर अध्ययन करना ?	सोचते हैं।	कभी नहीं सोचते हैं।	कभी-कभी सोचते हैं।
(0) क्या आप कभी विचार करते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में भाग लेने वाले छात्र अधिक स्फूर्तियुक्त और कार्य करने में अधिक सक्षम होते हैं ?	विचार करते हैं।	कभी विचार नहीं करते हैं।	कभी-कभी विचार करते हैं।
(0) क्या आप अधिक स्फूर्तियुक्त और कार्य-सक्षम नहीं बनना चाहते हैं ?	चाहते हैं।	नहीं चाहते हैं।	कभी-कभी चाहते हैं।
(0) आप अपने प्रयास से किस प्रकार इन क्रिया-कलापों में भाग लेना चाहते हैं ? (सोचें, समझें और लिखें।)	....		

छात्र-स्व-मूल्यांकन प्रपत्र—3

अनुशासनिक परिवेश–वैयक्तिक एवं सामाजिक

1–क्या आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाते हैं ?	प्रतिदिन	कभी-कभी	कभी नहीं
(0) क्या आप नित्य क्रिया के पश्चात् ही चाय-नाश्ता ग्रहण करते हैं ?	हाँ	कभी-कभी	कभी नहीं
(0) क्या आप स्नान के पश्चात् भोजन करते हैं ?	हाँ	कभी	कभी नहीं
(0) सूर्योदय के पूर्व उठना, नित्य क्रिया के पश्चात् चाय-नाश्ता के बाद भोजन करना क्यों आवश्यक है ? (सोच-समझ कर उत्तर लिखें।)	....		
2–क्या आप प्रतिदिन विद्यालय समय से जाते हैं ?	प्रतिदिन	कभी-कभी	कभी नहीं
(0) क्या आप विद्यालय के प्रत्येक क्रियाकलाप एवं प्रत्येक विषय की कक्षा में समय से उपस्थित होते हैं ?	प्रतिदिन	कभी-कभी	कभी नहीं
(0) यदि आप ठीक समय से विद्यालय के प्रत्येक कार्य में उपस्थित होते हैं, तो आपको क्या लाभ मिलता है ? (गम्भीरतापूर्वक सोचकर लिखें।)	....		
3–क्या आप व्यायाम करते हैं ?	प्रतिदिन	कभी-कभी	कभी नहीं
(0) क्या आप व्यायाम करना पसन्द करते हैं ?	हाँ	कभी-कभी	कभी नहीं
(0) आप व्यायाम करना क्यों पसन्द करते हैं ?	स्वास्थ्य अच्छा रहता है।	मन प्रसन्न रहता है।	शक्ति और स्फूर्ति मिलती है।
(0) व्यायाम न करने से कौन-कौन हानियां हो सकती हैं ? (गम्भीरतापूर्वक सोचें, उत्तर लिखें।)	....		
4–क्या बड़ों की आज्ञा मानने में आपको आनन्द आता है ?	हाँ, सदैव	कभी-कभी	कभी नहीं
(0) क्या दीन-दुखियों की सेवा करने की इच्छा आपके मन में होती है ?	सदैव	कभी-कभी	कभी नहीं

(0) क्या आप अपने से बड़ों का बिना किसी भेदभाव के आदर करते हैं ?	सदैव	कभी-कभी	कभी नहीं
(0) क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ों की आज्ञा मानना, उनका आदर करना तथा दीन-दुखियों की सेवा करना प्रत्येक मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है ? (गम्भीरतापूर्वक सोचकर उत्तर लिखें।)	....		
5—क्या आप जो कहते हैं, उसका यथावत् पालन भी करते हैं ?	करते हैं।	कभी-कभी करते हैं।	कभी नहीं करते हैं।
(0) जब कोई अपने वचन का पालन नहीं करता है, तो आपको कैसा लगता है ?	अच्छा लगता है।	बुरा लगता है।	दुखद लगता है।
(0) क्या आप सोचते हैं कि झूठ बोलने से मनुष्य को अधिक सफलता मिलती है ?	सोचते हैं।	कभी-कभी सोचते हैं।	कभी नहीं सोचते हैं।
(0) अपने वचन का पालन करना और झूठ न बोलना मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है ? (सोच समझकर उत्तर लिखें)	....		

छात्र-स्व-मूल्यांकन प्रपत्र—4

सामुदायिक परिवेश (व्यवहारगत) परिवार : पास-पड़ोस और समाज

1. आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं ।	....		
(0) क्या आप परिवार के बड़ों को आदर और छोटों को स्नेह प्रदान करते हैं ?	नित्य	कभी नहीं	कभी-कभी
(0) क्या परिवार के सदस्यों से आपके सम्बन्ध मधुर नहीं रहते ?	रहते हैं	नहीं रहते	कभी-कभी
(0) क्या आप कभी सोचते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों से मधुर सम्बन्ध बनाये रखने में— बड़ों का आदर, छोटों को स्नेह ही आपका कल्याण है ? (सोचिए और उत्तर लिखिए।)	....		
2. क्या आपके माता-पिता आपका ध्यान रखते हैं और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं ।	हाँ	नहीं	कभी-कभी
(0) जब आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, तो आपके मन में उनके प्रति कैसी धारणा बनती हैं ।	अनुकूल	प्रतिकूल	कष्टकर
(0) क्या आप परिवार के अन्य सदस्यों की सुख-सुविधा का त्याग कर सकते हैं ?	हाँ	नहीं	कभी नहीं
(0) पशु स्वार्थी प्राणी है और मनुष्य त्यागशील प्राणी है। इस कथन के सम्बन्ध में आपकी क्या धारणा है ? (गम्भीरतापूर्वक सोचकर उत्तर लिखिए)	....		
3. आप अपने पड़ोसियों से स्नेह सम्बन्ध रखते हैं ।	हाँ	नहीं	कभी नहीं
(0) पड़ोसियों से स्नेह सम्बन्ध रखने में आपकी भलाई है ।	स्नेह में	संघर्ष में	किसी में नहीं
(0) क्या जब आप किसी विपत्ति में पड़ते हैं, तो आपके पड़ोसी आपकी सहायता करते हैं ?	हाँ	नहीं	कभी नहीं
(0) क्या आप अपने पड़ोसियों से सदैव मधुर व्यवहार बनाये रखना चाहते हैं ? (सोचें, उत्तर लिखें)	....		

4. जब आपके किसी पड़ोसी के घर कोई दुर्घटना हो जाय, तो आपको क्या करना चाहिए ।	चुपचाप रहना चाहिए	सहयोग करना चाहिए	सेवा करनी चाहिए
(0) क्या आप पास-पड़ोस के विविध उत्सवों में रुचिपूर्वक भाग लेते हैं ?	हाँ	नहीं	कभी-कभी
(0) क्या आप पास-पड़ोस के अपने समवयस्क बच्चों के साथ बिना किसी भेद भाव के खेलते हैं ?	हाँ	नहीं	कभी-कभी
(0) अकेले-अकेले रहने में और पास-पड़ोस में घुलमिल कर रहने में आपको कौन-सा अच्छा लगता है ? (गम्भीरतापूर्वक सोच-समझकर उत्तर लिखें ।)	....	....	....
5. जब आप बस या ट्रेन का टिकट लेते हैं, तो क्या पंक्ति में खड़ा होना पसन्द करते हैं ।	हाँ	कभी-कभी	कभी नहीं
(0) पंक्ति में खड़े होकर टिकट लेने में आपको कैसा लगता है ?	सरलता होती है	विलम्ब होता है	टिकट नहीं मिलता
(0) यदि सभी लोग एक साथ टिकट लेने के लिए खिड़की में हाथ डालें, तो क्या स्थिति होगी ?	संघर्ष होगा	जेब से पैसे निकल जायेंगे	किसी को टिकट नहीं मिलेगा
(0) क्या अपनी सुविधा के लिए दूसरों को असुविधा में डालना आप उचित समझते हैं ? (सोचे, विचार करें, उत्तर लिखें ।)	....	....	....
6. क्या दूसरे लोग आपके लिए त्याग करते हैं ?	हाँ	कभी-कभी	कभी नहीं
(0) क्या आप दूसरों की भलाई के लिए अपनी सुख-सुविधाओं का त्याग कर सकते हैं ?	हाँ	कभी-कभी	कभी नहीं
(0) स्वार्थी होने पर और दुसरों के लिए त्याग करने में आप किसे अच्छा समझते हैं ?	स्वार्थी होने में	त्याग करने में	किसी में नहीं
(0) क्या आप कभी सोचते हैं कि दूसरों के लिए त्याग करने में ही अपनी भलाई निहित होती हैं ? (सोच-समझकर उत्तर लिखें ।)	....	....	....

छात्र–स्व–मूल्यांकन प्रपत्र—5

भावात्मक परिवेश–राष्ट्रीय एवं मानवीय सम्बन्ध

1—जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।	सहमत	असहमत	कुछ नहीं
((0) अपने देश के विकास में आप किस प्रकार सहयोग करना चाहते हैं ?	सेवा करके	त्याग करके	एकता स्थापित करके
((0) आप अपने देश से क्यों प्रेम करते हैं ?	सुख मिलता है	शान्ति मिलती है	सुरक्षा मिलती है
((0) जब देश पर बाहरी आक्रमण हो, तो आप अपने कर्तव्य का किस प्रकार पालन करेंगे ? [सोचें, विचारें, उत्तर लिखें]	....		
2—क्या आप अपने देश के किसी भी निवासी से व्यवहार करने में गौरव और आनन्द का अनुभव करते हैं ?	हाँ	नहीं	कभी नहीं
((0) क्या आप अपने देश के किसी भू-भाग में जाने से भय या संकोच का अनुभव करते हैं ?	हाँ	कभी-कभी	कभी नहीं
((0) क्या आप अपने राष्ट्रगान, संविधान और राष्ट्रध्वज को अपने प्राणों से भी अधिक सम्मान देते हैं ?	हाँ	नहीं	कभी-कभी
((0) आप किस प्रकार अपने राष्ट्र का उत्थान करना चाहते हैं ? [सोचें, विचारें, उत्तर लिखें]	....		
3—एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से क्यों प्रेम करता है ?	शान्ति मिलती है	सुख मिलता है	सुविधाएँ मिलती हैं
((0) क्या आपके मन में समस्त मानव समुदाय के प्रति आदर की भावना निहित है ?	हाँ	नहीं	कभी नहीं
((0) क्या आप सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आयेगा जब सारा संसार एक राष्ट्र बन जायेगा ?	हाँ	नहीं	कभी नहीं

(0) मानवीय एकता स्थापित करने के लिए आपका क्या योगदान हो सकता है ? [सोचें, विचार करें, लिखें]	....		
4—यदि कोई विदेशी व्यक्ति विपत्ति में हो और आपकी सहायता माँगे, तो आप क्या करेंगे ?	सहायता करेंगे	सहायता नहीं करेंगे	चुप रह जायेंगे
(0) यदि आपको विदेश में किसी सहायता की आवश्यकता पड़े और कोई आपकी सहायता करने के लिए तैयार न हो, तो आपको कैसा अनुभव होगा ?	अच्छा	बुरा	बहुत बुरा
(0) जब आप किसी अपरिचित व्यक्ति की सहायता या सहयोग करते हैं, तो आपको कैसा अनुभव होता है ?	सुख मिलता है	उस समय कष्ट होता है	कष्ट होता है
(0) क्या आज की दुनिया में अन्य देशों के मनुष्यों के सहयोग के बिना कोई देश उन्नति कर सकता है ? [सोच-विचार कर उत्तर लिखें]	....		

मॉड्यूल रा—७

पत्राचार शिक्षा की उपयोगिता : प्रगति की सम्भावनाएं

पृष्ठभूमि

शिक्षा राष्ट्र के समग्र विकास एवं उसकी समृद्धि का एक सशक्त माध्यम है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा का प्रकाश प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होना आवश्यक है। अतः सर्वसुलभ शिक्षा हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता है। हमारी वर्तमान औपचारिक शिक्षा प्रणाली ने शिक्षा के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, किन्तु जनसंख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में औपचारिक शिक्षा के अभिकरणों में वृद्धि कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। आर्थिक पक्ष के अतिरिक्त औपचारिक शिक्षा प्रणाली समय, स्थान आदि प्रतिबन्धों से आबद्ध होने के कारण सर्वसुलभ शिक्षा के लक्ष्य को पूर्ण कर पाने में समर्थ नहीं हो पा रही है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों वश जीविकोपार्जन तथा घर-गृहस्थी में व्यस्त लोगों के लिए पूर्णकालिक औपचारिक शिक्षा ग्राह्य नहीं है। फलतः चिंतन की एक नई धारा औपचारिक शिक्षा का सम्पूरक विकल्प ढूंढने के प्रयास के रूप में प्रारम्भ हुई और अन्ततः पत्राचार शिक्षा की एक नवीन विधा का प्रादुर्भाव हुआ।

इस विशाल प्रदेश की शैक्षिक आवश्यकता को पूर्ण करने के उद्देश्य से पत्राचार शिक्षा माध्यमिक स्तर पर प्रारम्भ की गयी है। पत्राचार शिक्षा का संचालन पत्राचार शिक्षा संस्थान, उ. प्र., इलाहाबाद द्वारा किया जा रहा है जिसकी स्थापना सितम्बर, 1980 में की गयी।

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप—

1. पत्राचार शिक्षा के प्रत्यय, स्वरूप एवं उपयोगिता से परिचित हो सकेंगे।
2. पत्राचार शिक्षा में पाठ्य सामग्री के निर्माण एवं प्रेषण की प्रक्रिया समझ सकेंगे।
3. पत्राचार शिक्षा के शैक्षिक कार्य-नियोजन एवं स्वाधिगम प्रविधि से परिचित हो सकेंगे।
4. पत्राचार शिक्षा की प्रगति की संभावनाओं से अवगत हो सकेंगे।
5. पत्राचार शिक्षा के प्रचार-प्रसार में अध्यापकों के योगदान को समझ सकेंगे।

पत्राचार शिक्षा का प्रत्यय एवं स्वरूप

पत्राचार शिक्षा औपचारिक शिक्षा के सम्पूरक विकल्प के रूप में अभ्युदित हुई है। औपचारिक शिक्षा नियमों की कठोरता से आबद्ध होने एवं समय और स्थान की सीमाओं में बँधी होने के कारण सर्वसुलभ नहीं रह गयी है। सर्व-सुलभता एवं अधिगम प्रक्रिया की सहजता के गुणों से विभूषित पत्राचार शिक्षा लचीली एवं सर्वग्राह्य है। विद्यालयहीन शिक्षा जैसी क्रान्तिकारी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। इंग्लैण्ड का खुला विश्वविद्यालय तथा "ओपेन स्कूल" जैसी संस्थाओं का अभ्युदय भी इसी चिन्तन का परिणाम था। विभिन्न प्रकार के चिन्तन, प्रयोग एवं अनुभव के परिणामस्वरूप औपचारिक शिक्षा के विकल्प के रूप में दूर शिक्षा का अभ्युदय हुआ। पत्राचार शिक्षा दूर शिक्षा का ही प्रारम्भिक स्वरूप है। सम्प्रति पत्राचार शिक्षा के साथ जनमाध्यमों—दृश्य एवं श्रव्य का प्रयोग होने के कारण इसे दूर शिक्षा कहते हैं।

दूर शिक्षा वस्तुतः विविध शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बिखरे शिक्षार्थियों की एक बड़ी संख्या को, उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनकी सुविधा तथा गति से ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्ति प्रदान करने की एक विधा है, जिसमें उच्चकोटि की अधिगम सामग्री के निर्माण, उत्पादन तथा सम्प्रेषण में तकनीकी एवं प्रौद्योगिक माध्यमों का समुचित रूप से व्यापक प्रयोग किया जाता है ।

दूर शिक्षा के आधारभूत तत्व निम्नवत् है :—

1. दूर शिक्षा में शिक्षक-शिक्षार्थी का सीधा सम्पर्क नहीं रहता या अल्पतम रहता है । औपचारिक शिक्षा से यह भिन्न विधा है ।
2. इसका नियोजन किसी शैक्षिक संस्थान अथवा संगठन द्वारा किया जाता है, अतः यह 'स्वतंत्र व्यक्तिगत अध्ययन' से भिन्न हैं । इसके लिए शिक्षण-कक्ष की सामान्यतया आवश्यकता नहीं होती । यदा-कदा प्रायोगिक कौशलों के विकास हेतु इसका प्रयोग किया जाता है ।
3. मुद्रण जैसे तकनीकी माध्यम का इसमें प्रयोग किया जाता है । दूरदर्शन, रेडियो, आडियो कैसेट, वीडियो कैसेट का प्रयोग अनुपोषक अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है ।
4. दूर शिक्षा में शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य निरन्तर एक द्विपक्षीय सम्पर्क स्थापित रहता है जो अधिगम सामग्री के प्रस्तुतीकरण को समाकलित एवं सम्पोषित करता है ।
5. दूर शिक्षा अधिगम-केन्द्रित शिक्षा है । शिक्षार्थी को अपनी सुविधा तथा गति से शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अवसर इस प्रणाली में उपलब्ध रहता है ।
6. दूर शिक्षा शिक्षार्थी की आवश्यकता, स्तर और व्यवसाय के अनुरूप उसके ज्ञान तथा कौशल में अभिवृद्धि तथा मार्जन हेतु शिक्षण एवं पुनः शिक्षण का अवसर प्रदान करने में सक्षम है ।

दूर शिक्षा तथा औपचारिक शिक्षा का अन्तर वस्तुतः उनके साधन, विधि तथा लक्ष्यवर्ग में निहित है ।

दूर शिक्षा में शिक्षक-शिक्षार्थी के मध्य पत्र-व्यवहार तथा सार्वजनिक प्रचार माध्यम ही शिक्षण के प्रमुख साधन हैं । मुद्रित पाठ्य सामग्री, छात्र-उत्तरपत्र तथा उसके मूल्यांकन एवं सम्पर्क कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षक-शिक्षार्थी के मध्य निरन्तर अन्तर्क्रिया होती रहती है । पाठ्य सामग्री में निहित प्रश्नों एवं छात्र-उत्तरपत्र में शिक्षार्थी द्वारा दिये गये उत्तरों से शिक्षार्थी के शैक्षिक विकास और पाठ्य सामग्री की उपादेयता का मूल्यांकन होता रहता है ।

शैक्षिक अवसर की सार्वभौमिकता दूर शिक्षा दर्शन का प्रमुख तत्व है । दूर शिक्षा सभी वर्ग एवं सभी अवस्था के लक्ष्यसमूह के लिए उपादेय है । यह सभी को जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करने का अवसर देती है ।

दूर शिक्षा एक अधिगम प्रक्रिया है जो किसी कौशल एवं ज्ञान तक सीमित नहीं है वरन् जिसका संबंध सम्पूर्ण जीवन से होता हैं । इसके अन्तर्गत व्यावसायिक कौशल, सौन्दर्य-बोध तथा विश्लेषणात्मक चिन्तन एवं विभिन्न प्रकार के जीवन-मूल्यों से संबंधित ज्ञानात्मक उपलब्धियां समाहित हैं । उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर इन लक्ष्यों की सम्प्राप्ति हेतु पत्राचार शिक्षा संस्थान सतत प्रयासरत है ।

पत्राचार शिक्षा की उपयोगिता

देश के प्रत्येक नागरिक को साक्षर एवं शिक्षित बनाने का हमारा संवैधानिक दायित्व है । बढ़ती हुई जनसंख्या के सापेक्ष शैक्षिक लक्ष्य की सम्प्राप्ति अभीष्ट है, किन्तु वंचित, विरत एवं ह्रासमान विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है । दूसरी ओर शिक्षा से असेवित वर्गों में शिक्षा के प्रति नई ललक जगी है । कल्याणकारी राज्य ने नवीन शिक्षण संस्थाओं को —

दिया । छात्र-संख्या के परिप्रेक्ष्य में उतने विद्यालय नहीं खुल पाये जितने वांछित थे । परिणामस्वरूप अनौपचारिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा तथा पत्राचार शिक्षा विकल्प के रूप में आयी ।

दूर शिक्षा उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो दूरस्थ, विपन्न, साधनहीन तथा औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके । दूर शिक्षा समय और स्थान की सीमा से परे है और जन-जन तक पहुँचने वाली शिक्षा विधा है । यह मुक्त अधिगम की एक उपयोगी शिक्षा विधा है । दूर शिक्षा में मुद्रण माध्यम के साथ रेडियो, वीडियो, टेलीफोन जैसे जन-माध्यमों का प्रयोग होता है । हमारे देश में और इस प्रदेश में भी मुद्रित पाठ्य सामग्री के प्राधान्य के कारण इसे पत्राचार शिक्षा कहते हैं ।

दूर शिक्षा इस दृष्टि से उपयोगी है कि यह कम खर्चीली विधा है और बेहतर स्वाधिगम को अभिप्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश में पत्राचार शिक्षा संचालित किये जाने के उद्देश्यों का उल्लेख इसकी स्थापना से संबंधित शासनादेश में है ।

पत्राचार शिक्षा संस्थान

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाओं में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को पत्राचार शिक्षा योजनान्तर्गत पंजीकृत करके उन्हें उक्त परीक्षाओं के लिए पत्राचार विधि से शिक्षण देकर तैयार करने तथा कालान्तर में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों से संबंधित समस्त परीक्षा कार्यों का उत्तरदायित्व ग्रहण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा शासनादेश शिक्षा (7)/अनुभाग संख्या मा०/4747/15–7–1(64)/80 दि० 17-9-1980 के अन्तर्गत पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना की गयी है ।

उद्देश्य

1. व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की चुने हुए विषयों में पत्राचार विधि द्वारा शिक्षण की प्रभावी व्यवस्था करना ।
2. पत्राचार शिक्षण द्वारा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के शैक्षिक स्तर में गुणात्मक वृद्धि करना तथा उन्हें संस्थागत परीक्षार्थियों के समकक्ष स्तर तक पहुँचाने का प्रयत्न करना ।
3. व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के परीक्षाफल में गुणात्मक तथा धनात्मक वृद्धि करना ।
4. समग्र रूप से परीक्षा व्यवस्था को प्रभावी एवं अच्छा बनाना ।
5. शिक्षा की बढ़ती हुई माँग को पूर्ण करने में सहयोग देना ।

कार्य-क्षेत्र

पत्राचार शिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के पंजीकरण की व्यवस्था करना, पाठ-लेखन, परिमार्जन, मुद्रण एवं आवश्यकतानुसार आवृत्तियों में मुद्रित पाठों के प्रेषण की व्यवस्था करना, अभ्यर्थियों से प्राप्त रिस्पान्सशीट के मूल्यांकन तथा उक्त मूल्यांकन के आधार पर अभ्यर्थियों को निर्देशन प्रदान करने की व्यवस्था करना, पत्राचार शिक्षा के माध्यम से शिक्षित अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक उपयुक्तता प्रमाण-पत्र देना तथा समय-समय पर निदेशक/शासन द्वारा अधिसूचित अन्य कार्यों का सम्पादन करना ।

पत्राचार शिक्षण की अवधि सामान्यत: दो शैक्षिक सत्र है । सम्प्रति माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ. प्र., द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा के साहित्यिक, रचनात्मक तथा ललित कला वर्ग के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के शिक्षण

की व्यवस्था पत्राचार के माध्यम से की जा रही है। पत्राचार शिक्षण केवल हिन्दी माध्यम से दिये जाने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अन्तर्गत साहित्यिक वर्ग के 15, रचनात्मक वर्ग के 16 तथा ललित कला वर्ग के 17 विषयों को सम्मिलित किया गया है।

पत्राचार शिक्षा हेतु उपर्युक्त वर्गों के पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना पड़ता है।

पंजीकरण शुल्क—10 रुपया।

पत्राचार शिक्षण शुल्क

(क) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये दो समान किस्तों में देय।

(ख) अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये दो समान किस्तों में देय।

पंजीकरण की सुविधा प्रत्येक जनपद में तहसील स्तर पर पत्राचार शिक्षा केन्द्रों पर उपलब्ध है। प्रदेश में कुल 400 पत्राचार शिक्षा केन्द्र हैं जो पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के पंजीकरण हेतु बालक एवं बालिका इंटर कालेजों में अलग-अलग हैं। पंजीकरण एवं शुल्क संबंधी नियमों की जानकारी तथा मार्गदर्शन अभ्यर्थियों को इन केन्द्रों से प्राप्त होते हैं।

पत्राचार शिक्षा संस्थान, उ. प्र., इलाहाबाद द्वारा संचालित पत्राचार शिक्षण के लिए पंजीकरण हेतु निर्धारित पात्रता, अर्हता एवं आयुसीमा वही हैं जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ. प्र., द्वारा संबंधित परीक्षा में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस समय निर्धारित हैं अथवा समय-समय पर निर्धारित होती रहेगी।

पाठ्य सामग्री का निर्माण एवं प्रेषण-प्रक्रिया

पत्राचार शिक्षा में मुद्रित पाठ्य सामग्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः उत्तम गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री का निर्माण कराया जाता है। पाठ्य सामग्री दूरस्थ स्वयंपाठी की अधिगम आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार करायी जाती है जो सरल, मनोवैज्ञानिक, रोचक, सम्प्रेषणीय एवं अभिप्रेरक होती है; जो एक ओर विषयवस्तु एवं दूसरी ओर शिक्षक की भूमिका निभा सके। इस प्रकार इस पाठ्य सामग्री द्वारा स्वयंपाठी को निर्देशित अधिगम का अवसर प्रदान किया जाता है।

पाठ्य सामग्री निर्माण हेतु ख्यातिप्राप्त विषय विशेषज्ञों की विषयवार एक परामर्शदात्री समिति एवं लेखक-मंडल का गठन किया गया है जिनमें विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा इंटर कालेजों के अनुभवी एवं विद्वान विषय विशेषज्ञ तथा शिक्षा विभाग के संबंधित विषय के विशेषज्ञ अधिकारी सम्मिलित हैं।

प्रत्येक विषय के प्रत्येक प्रश्न-पत्र के पाठ्यक्रम का 7 सुविधाजनक इकाइयों में विभाजन परामर्शदात्री समिति करती है और लेखकों को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। परामर्शदात्री समिति में चार से पाँच सदस्य होते हैं। दो लेखक मिलकर पाठ लिखते हैं। एक इकाई में 3-5 पाठ होते हैं। इकाई की पांडुलिपि जब लेखकों द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो इसका सम्पादन एवं अनुमोदन परामर्शदात्री समिति करती है। प्रेस कापी तैयार होने पर वह प्रेस को मुद्रणार्थ भेजी जाती है। प्रूफ-संशोधन का कार्य अत्यन्त सावधानीपूर्वक किया जाता है। इकाई का निर्धारित फार्मेट होता है।

प्रेस से प्राप्त होने पर पंजीकृत स्वयंपाठी को एक समयबद्ध, कार्यक्रम के अनुसार उसके द्वारा चयनित विषयों की इकाइयां एक निर्देशपत्र के साथ प्रेषित कर दी जाती हैं। इस कार्य के सम्पादन हेतु संस्थान का एक प्रेषण अनुभाग है

घर बैठे यह पाठ्य सामग्री स्वयंपाठियों को उनके पते पर प्राप्त होती रहती है जिसका वे अध्ययन करते हैं। वे स्वत: अपना मूल्यांकन करते हैं तथा इकाई के अन्त में संलग्न रिस्पान्सशीट के प्रश्नों का उत्तर लिखकर संस्थान को मूल्यांकन हेतु भेजते हैं। संस्थान रिस्पान्सशीटों का मूल्यांकन कराकर स्वयंपाठियों को प्रत्यावर्तित करता है। मूल्यांकन के साथ उन्हें मार्गदर्शन एवं सुधार हेतु निर्देश भी दिया जाता है। इस प्रकार छात्रों को निर्देशित अधिगम की सुविधा दी जाती है।

शैक्षिक कार्य का नियोजन एवं स्वाधिगम प्रविधि

पत्राचार शिक्षा औपचारिक कक्षा-शिक्षण प्रणाली से भिन्न है। वहाँ औपचारिक शिक्षण में छात्र को प्रत्यक्ष शिक्षण तथा तत्क्षण कठिनाई-निवारण की सुविधा सुलभ होती है, वहीं पत्राचार शिक्षण में शिक्षण-शिक्षार्थी अन्तर्क्रियात्मक व्यवहार की कम संभावना होती है। अत: दूर शिक्षा में पाठ्य सामग्री ही पत्राचार शिक्षण अभिकरण एवं शिक्षार्थी के बीच अन्तर्क्रिया की कड़ी होती है।

औपचारिक शिक्षा में शिक्षण को महत्व दिया जाता है, जबकि पत्राचार शिक्षा में स्वाधिगम को। अत: पाठ्य सामग्री का निर्माण भी पाठ्य पुस्तक से भिन्न शैली में किया जाता है। यह सामग्री स्वत:स्पष्ट, स्वत:पूर्ण एवं स्वत:-निर्देशक होती है। इसीलिए पत्राचार शिक्षा के पाठों को "टीचर-इन-प्रिंट" कहते है। ये पाठ शिक्षार्थी को पढ़ाते हैं, अभिप्रेरित करते हैं और उसकी सहायता भी करते हैं। इनमें जीवन्तता एवं स्पन्दनीयता होती है। इनमें वह सहजता भी होती है जो कक्षा-शिक्षण के समय अध्यापक में होती है। अत: ये शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण करते हैं।

स्वाधिगम को प्रेरित करने वाले इन पाठों के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि स्वयंपाठी स्वत: सीखे, स्वत: मूल्यांकन करे तथा बाह्य मूल्यांकन के लिये तत्पर हो। इस प्रकार शैक्षिक कार्य के नियोजन में निम्नलिखित बातें सन्निहित हैं :—

(1) स्वाधिगम

(2) स्व-मूल्यांकन

(3) छात्र-उत्तर-पत्र-मूल्यांकन

(4) सम्पर्क कार्यक्रम में कठिनाई-निवारण

स्वाधिगम :

पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के उपरान्त स्वयंपाठी स्वाध्याय करता है। पाठ के पढ़ने का उसका कोई उद्देश्य होता है। अत: पाठ के प्रारम्भ में एक संक्षिप्त प्रस्तावना होती है। यहीं उसके अधिगम के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण कर दिया जाता है। उद्देश्यों का स्पष्टीकरण उसके अधिगमोपरान्त व्यवहार को दृष्टि में रखकर किया जाता है। अत: पाठ में विषयवस्तु का समायोजन एक क्रम में किया जाता है। उसके अधिगम के फलस्वरूप विकसित कौशल को उद्देश्यों के साथ जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार उद्देश्य का संबंध विषयवस्तु और अधिगमोपरान्त व्यवहार दोनों से होता है। विषय-वस्तु की आन्तरिक उप-इकाइयों में भी परस्पर सम्बद्धता होती है।

विषयवस्तु का संबंध ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्षों से होता है। विषयवस्तु के अन्तर्गत प्रत्यय को शब्दार्थ, परिभाषा, उदाहरण या निदर्शन से स्पष्ट कर दिया जाता है। एक प्रत्यय के प्रस्तुतीकरण के बाद संक्षिप्त सारांश दिया जाता है। इससे अधिगम का पुनर्बलन होता है। सम्पूर्ण पाठ में यही क्रम होता है। पाठ के अन्त में एक अन्तिम सारांश होता है जो समग्र पाठ पर आधृत होता है। एक बार पुनर्बलन का यहाँ अवसर दिया जाता है। इस प्रकार पाठ

पूर्ण होने पर स्वयं जाँच के 3-4 प्रश्न दे दिये जाते हैं जिनका उत्तर ढूँढने के लिये निर्देश होता है। स्वयंपाठी यहीं अपनी स्वाधिगम प्रगति का स्वतः आकलन करता है। इस प्रकार ये पाठ इतने समृद्ध हैं कि सम्पूर्ण अधिगम प्रक्रिया इसमें सन्निहित होती है। संक्षेप में पाठ के प्रारूप में निम्नलिखित बिन्दु होते हैं :—

(1) प्रस्तावना

(2) विषयवस्तु का प्रस्तुतीकरण

(3) सारांश

(4) विषय का प्रस्तुतीकरण

(5) सारांश

(6) अन्तिम सारांश

(7) स्व-मूल्यांकन के प्रश्न

स्व-मूल्यांकन :

पूर्व में यह संकेत दिया गया हैं कि पत्राचार शिक्षा के पाठों में स्व-मूल्यांकन के प्रश्न अन्त में दिये गये होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर ढूँढने में स्वयंपाठी को स्व-प्रयास का सहारा लेना पड़ता है। वह स्वयं सक्रिय होता है। सही उत्तर ढूंढ निकालने पर उसे आत्मसन्तोष मिलता है और आत्मविश्वास विकसित होता है। यही स्वाधिगम की विशेषता है।

छात्र-उत्तर-पत्र का मूल्यांकन :

स्वयंपाठी एवं दूर शिक्षा अभिकरण के मध्य अन्तर्क्रिया की कड़ी छात्र-उत्तर-पत्र होता है। इस बात का संकेत किया गया हैं कि इकाई के अन्त में एक छात्र-उत्तर-पत्र संलग्न होता है जिसमें इकाई के विभिन्न पाठों पर आधृत कुछ प्रश्न दिये गये होते है। इकाई का अध्ययन करने एवं स्व-मूल्यांकन का अवसर छात्र को पहले दिया जा चुका है। अब छात्र-उत्तर-पत्र के प्रश्नों के उत्तर लिखकर संस्थान को उसे भेजना है। वह भेजता है। छात्र-उत्तर-पत्र में छात्र द्वारा भेजे गये उत्तरों का मूल्यांकन करते समय यह अनुभव होता हैं कि छात्र बोल रहा है, अपनी बातें कह रहा है और अपनी कठिनाइयों की ओर संकेत भी कर रहा हैं। मूल्यांकनकर्ता को यह अनुभूति होती है कि कहाँ मार्गदर्शन की अपेक्षा है और कितना? मूल्यांकनकर्ता को संस्थान द्वारा विस्तृत मूल्यांकन निर्देश दे दिये जाते हैं जिनके आलोक में वह मूल्यांकन करता है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य प्रगति आकलन के साथ ही निर्देशक भी है। इसके बड़े ही उत्साहजनक परिणाम सामने आये हैं। पत्राचार शिक्षा विधा में छात्र-उत्तर-पत्र अन्तर्क्रिया के स्रोत है। इससे छात्र के स्वाधिगम में सुधार होता है।

सम्पर्क कार्यक्रम में कठिनाई-निवारण :

यह स्पष्ट किया गया है कि पत्राचार शिक्षा में छात्रों से प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं अथवा अत्यल्प हो पाता है। पाठ स्वतः पूर्ण एवं स्वतः निर्देशक होते हैं साथ ही स्वतः स्पष्ट भी। फिर भी स्वयंपाठी के लिये उनके अध्ययन में कठिनाई हो सकती है। इस संकल्पना के साथ वर्ष में दो बार संस्थान द्वारा सम्पर्क कार्यक्रम आयोजित करके पत्राचार शिक्षा केन्द्रों पर उनकी अध्ययन संबंधी कठिनाई का निराकरण किया जाता है। छात्र अपनी कठिनाइयों को पूछते हैं। अध्यापक भी इन कठिनाइयों को पहचान कर उनका निराकरण करते हैं। सम्पर्क कार्यक्रम में प्रत्यक्ष शिक्षण का अवसर दिया जाता है। 10-10 दिवसों की इस अवधि में स्वयंपाठियों को एक नया परिवेश मिलता है। वर्ष 1988 से इन सम्पर्क शिविरों में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी प्रारम्भ किया गया है। इससे उनमें और भी आत्मविश्वास पैदा हुआ है।

सम्पर्क शिक्षण में प्रयोगात्मक विषयों के प्रयोग की भी व्यवस्था की जाती है।

पत्राचार शिक्षा की प्रगति की सम्भावनाएं

इस प्रदेश में पत्राचार शिक्षा की प्रगति की प्रचुर संभावना है। वर्ष 1984 की इंटरमीडिएट परीक्षा हेतु पंजीकृत स्वयंपाठियों की संख्या 4,757 की तुलना में वर्ष 1987 में 10,405 और वर्ष 1988 में पंजीकृत छात्र-संख्या लगभग 22,000 इस शिक्षा विधा की द्रुत प्रगति का संकेत है। साहित्यिक, रचनात्मक एवं ललित कला वर्ग के अतिरिक्त शासन ने विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग के नियमों में पत्राचार शिक्षा की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन वर्गों में पंजीकृत छात्रों की संख्या बढ़कर 50,000 हो जाने की संभावना है।

छात्र-संख्या में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखकर 112 पत्राचार शिक्षा केन्द्रों को बढ़ाकर अब 400 कर दिया गया है। छात्र-सेवा को बेहतर बनाने के प्रयास किये गये हैं। इस दिशा में शैक्षिक, प्रशासनिक अधिकारियों एवं प्रधानाचार्यों के सम्मेलन के आयोजन द्वारा पत्राचार शिक्षा को प्रभावी बनाने के संबंध में सुझाव प्राप्त किये गये हैं। इसके व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की गयी है।

पत्राचार शिक्षा स्वयंपाठियों को अध्ययन सन्दर्शिका प्रदान कर उनको अध्ययन संबंधी निर्देशन प्रदान करने का प्रयास भी किया गया है। संस्थान का ध्यान निम्नलिखित की ओर भी गया है :—

(1) पत्राचार शिक्षा केन्द्रों का अध्ययन एवं संसाधन केन्द्र के रूप में विकास।

(2) दूर शिक्षा पुस्तकालय की स्थापना।

(3) आडियो-वीडियो प्रकोष्ठ की स्थापना।

(4) अतिरिक्त शिक्षण कक्ष।

(5) प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण।

(6) खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन।

इस प्रदेश में दूर शिक्षा की उपादेयता तथा शैक्षिक आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रगति की संभावनाएं बढ़ी हैं।

यह शिक्षा विधा सेवारत, वंचित एवं अवरुद्ध लोगों के लिये वरदान सिद्ध हुई है। महिलाएं इससे बड़ी संख्या में लाभान्वित हो रही हैं। यह व्यावसायिक शिक्षा एवं उत्पादकता से जुड़ सके, तो अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी और बड़ी संख्या में लोगों को कौशल प्रदान किया जा सकेगा। जीवन-समृद्धि की दिशा में पत्राचार शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह सतत शिक्षा से सीधे सम्बद्ध है।

अध्यापकों का योगदान :

पत्राचार शिक्षा के प्रचार-प्रसार में अध्यापकों का महत्वपूर्ण योगदान अपेक्षित है। यह योगदान निम्नलिखित क्षेत्रों में हो सकता है :—

(१) प्रचार-प्रसार

अध्यापक पत्राचार शिक्षा की आवश्यकता, उपयोगिता एवं महत्व के संबंध में विद्यालय सभाओं तथा प्रार्थना-स्थल पर सम्बोधनों एवं कक्षाओं में छात्रों को बताएं। वे यह भी बताएं कि जो लोग अवरुद्ध, वंचित एवं सेवारत हैं उनको पत्राचार से शिक्षा किस प्रकार सुलभ होती है।

(२) पाठ्य सामग्री-निर्माण :

पाठ्य सामग्री के निर्माण में अध्यापकों का सहयोग प्राप्त किया जाता है। अनुभवी और ख्यातिप्राप्त अध्यापकों को विषय विशेषज्ञ के रूप में आहूत करके संस्थान की पाठ्य सामग्री-निर्माण में सहयोग लिया जाता है। इस दृष्टि से उनका योगदान महत्वपूर्ण है।

(३) छात्र-उत्तर-पत्रों का मूल्यांकन एवं निर्देशन :

छात्र-उत्तरपत्रों के मूल्यांकन एवं निर्देशन में अध्यापकों का योगदान होगा। छात्र-उत्तर-पत्रों का मूल्यांकन पत्राचार शिक्षा केन्द्रों पर ही सम्पन्न कराया जाय तो इनकी सहायता ली जा सकती है। इनके द्वारा प्रदत्त निर्देशन छात्रों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे।

(४) सम्पर्क कार्यक्रम में सहयोग :

पत्राचार शिक्षा केन्द्रों पर सम्पर्क शिविर आयोजित किये जाते हैं जिनमें केन्द्र के अध्यापकों का सहयोग लिया जाता है। प्रभावी शिक्षण तथा कठिनाई-निवारण में अध्यापकों की अच्छी भूमिका होती है। इस प्रकार अध्यापकों का योगदान प्राप्त किया जा सकता है।

पत्राचार शिक्षा युग की मांग है। वंचित एवं अवरुद्ध लोगों के लिये यह वरदान है तथा महिलाओं एवं सेवारत लोगों के लिये जीवन-समृद्धि का माध्यम। यह लचीली शिक्षा विधा है तथा उत्तरोत्तर प्रगति की ओर उन्मुख है।

मूल्यांकन

अध्यापक निम्नलिखित प्रश्नों को कृपया पढ़ें और इस मॉड्यूल का मूल्यांकन करें :—

1—पत्राचार शिक्षा क्या है ?

2—इस प्रदेश में पत्राचार की शिक्षा की आवश्यकता क्यों है ?

3—पत्राचार शिक्षा का केन्द्रीय अभिकरण कहाँ है ?

4—पत्राचार शिक्षा की पाठ्य सामग्री-निर्माण की क्या प्रक्रिया है ?

5—पत्राचार पाठों की क्या विशेषताएं हैं ?

6—स्वाधिगम को प्रेरित करने की पत्राचार शिक्षा में क्या प्रविधि है ?

7—स्वाधिगम के लिए स्व-मूल्यांकन क्यों आवश्यक है ?

8—छात्र-उत्तर-पत्र की क्या उपयोगिता है ?

9—सम्पर्क कार्यक्रम में शिक्षक-शिक्षार्थी के मध्य अन्तर्क्रिया कैसे होती है ?

10—उत्तर प्रदेश में पत्राचार शिक्षा की प्रगति की क्या संभानाएं हैं ?

11—पत्राचार शिक्षा में शिक्षकों का योगदान किन रूपों में हो सकता है ?

बृहत शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम, 1988

दस-दिवसीय समयसारणी (माध्यमिक स्तर)

दिवस	सत्र का समय	विषय	मॉड्यूल संख्या
1	2	3	4
प्रथम दिवस	5·00–6·30	जागरण, चाय	
	6·30–7·30	प्रार्थना, आसन, व्यायाम	
	7·30–8·00	निरीक्षण	
	8·00–8·15	ध्वज शिष्टाचार	
	8·15–8·45	जलपान	
	8·45–10·00	स्काउट/गाइड प्रशिक्षण	
	10·00–11·00	उद्घाटन	
	11·00–11·15	चाय	
	11·15–12·15	राष्ट्रीय शिक्षा नीति—अध्यापकों के निहितार्थ	1 सी
	12·15– 1·15	माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का स्वरूप—एक प्रस्तावना	2 सी
	1·15– 2·15	भोजन	
	2·15– 3·15	वंचित वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में।	3 सी
	3·15–4·00	महिलाओं को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना	4 सी
	4·00–4·15	चाय	
	4·15–5·00	हमारे राष्ट्रीय प्रतीक	9 सी
		राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन	10 सी
	5·00–6·00	खेलकूद	
	6·00–7·00	स्काउट/गाइड	
	7·00–8·00	भोजन	
	8·00–9·30	कैम्प-फायर	
	9·30–10·00	मर्यादा सभा	

नोट :—अपेक्षा की जाती है कि प्रतिभागीगण प्रशिक्षण के प्रथम दिवस की पूर्व-संध्या पर पहुँचेंगे। उसी समय उनको साहित्य आदि उपलब्ध करा दिया जाय।

1	2	3	4
दूसरा दिवस	**पूर्वाह्न 5.00 से 10.00 बजे तक का कार्यक्रम पूर्ववत्**		
	10·00–10·15	पूर्व-दिवस के कार्यक्रम की आख्या प्रस्तुति	
	10·15–11·00	माध्यमिक स्तर पर कार्यानुभव	23 एस
	11·00–11·15	चाय	
	11·15–12·15	उपचारात्मक शिक्षा तथा सहायक उपागम	रा–1 सी
	12·15–1·15	छात्र-केन्द्रित दृष्टिकोण	6 सी
	1·15–2·15	भोजन	
	2·15–3·15	बच्चों में जिज्ञासा कौशल का विकास	7 सी
	3·15–4·00	विद्यालय में खेलकूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन	रा–2 सी
	4·00–4·15	चाय	
	4·15–5·00	पढ़ने-लिखने में कठिनाई अनुभव करने वाले बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति	5 सी
	अपराह्न 5.00 से रात्रि 10.00 बजे तक का कार्यक्रम पूर्ववत्		
तीसरा दिवस	**पूर्वाह्न 5.00 से 10.00 बजे तक का कार्यक्रम पूर्ववत्**		
	10·00–10·15	आख्या प्रस्तुति	
	10·15–11·00	मूल्यपरक शिक्षा	8 सी
		अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना व मानवाधिकार शिक्षा	11 सी
	11·00–11·15	चाय	
	11·15–12·15	कार्यानुभव	
	12·15–1·15	रेड क्रास : एक परिचय	रा–3 सी
	1·15–2·15	भोजन	
	2·15–3·15	स्कूलों में छात्रों का प्रवेश एवं प्रतिधारण	12 सी
	3·15–4·00	सामाजिक वानिकी	रा–5 सी
		प्रदूषण और इससे बचाव	रा–6 सी
	4·00–4·15	चाय	
	4·15–5·00	सामाजिक वानिकी	
	अपराह्न 5.00 से रात्रि 10.00 बजे तक का कार्यक्रम पूर्ववत्		

1	2	3	4
चौथा दिवस	**पूर्वाह्न 5.00 से 10.00 बजे तक का कार्यक्रम पूर्ववत्**		
	10·00–10·15	आख्या प्रस्तुति	
	10·15–11·00	स्काउट एवं गाइड—नियोजन एवं संचालन	रा 4 सी
	11·00–11·15	चाय	
	11·15–12·15	कार्यानुभव	
	12·15– 1·15	किशोरों की आवश्यकतायें और समस्यायें	19 एस
	1·15– 2·15	भोजन	
	2·15– 3·15	माध्यमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन	20 एस
	3·15– 4·00	सामाजिक वानिकी	रा 5 सी
	4·00– 4·15	चाय	
	4·15– 5·00	सामाजिक वानिकी	
	अपराह्न 5.00 से रात्रि 10.00 बजे तक का कार्यक्रम पूर्ववत्		
पांचवां दिवस	**पूर्वाह्न 5.00 से 10.00 बजे तक का कार्यक्रम पूर्ववत्**		
	10·00–10·15	आख्या प्रस्तुति	
	10·15–11·00	विद्यार्थी विकास समिति	रा 2 एस
	11·00–11·15	चाय	
	11·15–12·15	कार्यानुभव	
	12·15– 1·15	जनपदीय परीक्षा समिति	रा 1 एस
	1·15– 2·15	भोजन	
	2·15– 3·15	उत्तर प्रदेश में +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की संकल्पना	रा 4 एस
	3·15– 4·00	रेड क्रास/सेंट जॉन एम्बुलेंस	
	4·00– 4·15	चाय	
	4·15– 5·00	संस्था योजना एवं व्यवस्था	13 सी
	अपराह्न 5.00 से रात्रि 10.00 बजे तक का कार्यक्रम पूर्ववत्		

1	2	3	4
छठवां दिवस	**पूर्वाह्न 5.00 से 10.00 बजे तक का कार्यक्रम पूर्ववत**		
	10·00–10·15	आख्या प्रस्तुति	
	10·15–11·00	छात्र कोषों का रखरखाव	रा 3 एस
	11·00–11·15	चाय	
	11·15–12·15	कार्यानुभव	
	12·15– 1·15	क्रियात्मक अनुसंधान	रा 5 एस
	1·15– 2·15	भोजन	
	2·15– 3·15	समूह–1 द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण	24 एस
	3·15– 4·00	समूह–2 माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन	25 एस
	4·00– 4·15	चाय	
	4·15– 5·00	समूह–3 माध्यमिक स्तर पर द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का अध्यापन	28 एस
	अपराह्न 5.00 से रात्रि 10.00 बजे तक का कार्यक्रम पूर्ववत		
सातवां दिवस	**पूर्वाह्न 5.00 से 10.00 बजे तक का कार्यक्रम पूर्ववत**		
	10·00–10·15	आख्या प्रस्तुति	
	10·15–11·00	शैक्षिक विकास के लिए सामुदायिक प्रतिभागिता	14 सी
	11·00–11·15	चाय	
	11·15–12·15	कार्यानुभव	
	12·15– 1·15	माध्यमिक स्तर पर कला-शिक्षा	22 एस
	1·15– 2·15	भोजन	
	2·15– 3·15	माध्यमिक स्तर पर विज्ञान का अध्ययन	26 एस
	3·15– 4·00	माध्यमिक स्तर पर गणित का अध्यापन	27 एस
	4·00– 4·15	चाय	
	4·15– 5·00	ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड	16 सी
	अपराह्न 5.00 से 10.00 बजे रात्रि तक का कार्यक्रम पूर्ववत		

1	2	3	4
आठवां दिवस	**पूर्वाह्न 5.00 से 10.00 बजे तक का कार्यक्रम पूर्ववत**		
	10·00–10·15	आख्या प्रस्तुति	
	10·15–11·00	एप्रोप्रियेट टेक्नोलॉजी	रा 7 सी
	11·00–11·15	चाय	
	11·15–12·15	कार्यानुभव	
	12·15– 1·15	विद्यालय परिसर	15 सी
	1·15– 2·15	भोजन	
	2·15– 3·15	अल्पव्ययी शिक्षण के साधन	17 सी
	3·15– 4·00	जन-माध्यमों का प्रयोग	18 सी
	4·00– 4·15	चाय	
	4·15– 5·00	माध्यमिक स्तर पर स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा	29 एस
	अपराह्न 5.00 से रात्रि 10.00 बजे तक का कार्यक्रम पूर्ववत		
नवां दिवस	**पूर्वाह्न 5.00 से 10.00 बजे तक का कार्यक्रम पूर्ववत्**		
	10·00–10·15	आख्या प्रस्तुति	
	10·15–11·00	सेवारत स्कूल बेस्ड शिक्षक प्रशिक्षण	30 एस
	11·00–11·15	चाय	
	11·15–12·15	कार्यानुभव	
	12·15– 1·15	संदर्शिका परिचय	
	1·15– 2·15	भोजन	
	2·15– 3·15	ग्रुप–1 विज्ञान शिक्षण ग्रुप–2 गणित शिक्षण ग्रुप–3 सामाजिक विज्ञान शिक्षण	
	3·15– 4·00	प्रशिक्षण का मूल्यांकन प्रतिभागियों द्वारा	
	4·00– 4·15	चाय	
	4·15– 5·00	तदैव	
	अपराह्न 5.00 से रात्रि 10.00 बजे तक का कार्यक्रम पूर्ववत्		

1	2	3	4
दसवां दिवस	**पूर्वाह्न 5.00 से 10.00 बजे तक का कार्यक्रम पूर्ववत्**		
	10·00–10·15	आख्या प्रस्तुति	
	10·15–11·00	माध्यमिक स्तर पर जनसंख्या शिक्षा	21 एस
	11·00–11·15	चाय	
	11·15–12·15	छात्र-स्व-मूल्यांकन	रा 6 एस
	12·15– 1·15	पत्राचार शिक्षा की उपयोगिता : प्रगति की सम्भावनाएं	रा 7 एस
	1·15– 2·15	भोजन	
	2·15–	समापन	

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986

भाग 1

भूमिका

1.1 मानव इतिहास के आदिकाल से शिक्षा का विविध भांति विकास एवं प्रसार होता रहा है। प्रत्येक देश अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता को अभिव्यक्ति देने और पनपाने के लिए और साथ ही समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित करता है, लेकिन देश के इतिहास में कभी-कभी ऐसा समय आता है जब मुद्दतों से चले आ रहे उस सिलसिले को एक नई दिशा देने की नितान्त जरूरत हो जाती है। आज वही समय है।

1.2 हमारा देश आर्थिक और तकनीकी लिहाज से उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से हम अब तक के संचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए समाज के हर वर्ग को फायदा पहुंचाने का प्रबल प्रयास करें। शिक्षा उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रमुख साधन है।

1.3 इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जनवरी, 1985 में यह घोषणा की थी कि एक नई शिक्षा नीति निर्मित की जायगी। शिक्षा की मौजूदा हालत का जायजा लिया गया और एक देशव्यापी बहस इस विषय पर हुई। कई स्रोतों से सुझाव व विचार प्राप्त हुए, जिन पर काफी मनन-चिंतन हुआ।

1968 की शिक्षा नीति और उसके बाद

1.4 1968 की राष्ट्रीय नीति आजादी के बाद के शिक्षा के इतिहास में एक अहम कदम थी। उसका उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति को बढ़ाना तथा सामान्य नागरिकता व संस्कृति और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करना था। उसमें शिक्षा प्रणाली के सर्वांगीण पुनर्निर्माण तथा हर स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को ऊंचा उठाने पर जोर दिया गया था। साथ ही उस शिक्षा नीति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर नैतिक मूल्यों को विकसित करने तथा शिक्षा और जीवन में गहरा रिश्ता कायम करने पर भी ध्यान दिया गया था।

1.5 1968 की नीति लागू होने के बाद देश में शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ है। आज गांवों में रहने वाले 90 प्रतिशत से अधिक लोगों के लिए एक किलोमीटर के फासले के भीतर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं। अन्य स्तरों पर भी शिक्षा की सुविधाएं पहले के मुकाबले कहीं अधिक बढ़ी हैं।

1.6 पूरे देश में शिक्षा की समान संरचना और लगभग सभी राज्यों द्वारा 10+2+3 की प्रणाली को मान लेना शायद 1968 की नीति की सबसे बड़ी देन है। इस प्रणाली के अनुसार स्कूली पाठ्यक्रम में छात्र-छात्राओं को एक समान शिक्षा देने के अलावा विज्ञान व गणित को अनिवार्य विषय बनाया गया और कार्यानुभव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।

1.7 स्नातक स्तर की कक्षाओं के पाठ्यक्रम बदलने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ हुई। स्नातकोत्तर शिक्षा तथा शोध के लिए उच्च अध्ययन के केन्द्र स्थापित किए गए। हम देश की आवश्यकता के अनुसार शिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सके हैं।

1.8 यद्यपि ये उपलब्धियां अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, किन्तु यह भी सच है कि 1968 की शिक्षा नीति के अधिकांश सुझाव कार्यरूप में परिणत नहीं हो सके, क्योंकि क्रियान्वयन की पक्की योजना नहीं बनी, न स्पष्ट दायित्व निर्धारित किए गए, और न ही वित्तीय एवं संगठन संबंधी व्यवस्थाएं हो सकीं। नतीजा यह है कि विभिन्न वर्गों तक शिक्षा को पहुँचाने, उसका स्तर सुधारने और विस्तार करने और आर्थिक साधन जुटाने जैसे महत्वपूर्ण काम नहीं हो पाए, और आज इन कमियों ने एक बड़े अंबार का रूप धारण कर लिया है। इन समस्याओं का हल निकालना वक्त की पहली जरूरत है।

1.9 मौजूदा हालात ने शिक्षा को एक दुराहे पर ला खड़ा किया है। अब न तो अब तक होते आये सामान्य विस्तार से, और न ही सुधार के वर्तमान तौर-तरीकों या रफ्तार से काम चल सकेगा।

1.10 भारतीय विचारधारा के अनुसार मनुष्य स्वयं एक बेशकीमत संपदा है, अमूल्य संसाधन है। जरूरत इस बात की है कि उसकी परवरिश गतिशील एवं संवेदनशील हो और सावधानी से की जाये। हर इन्सान का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, जन्म से मृत्युपर्यन्त, जिन्दगी के हर मुकाम पर उसकी अपनी समस्याएं और जरूरतें होती हैं। विकास की इस पेचीदा और गतिशील प्रक्रिया में शिक्षा अपना उत्प्रेरक योगदान दे सके, इसके लिए बहुत सावधानी से योजना बनाने और उस पर पूरी लगन के साथ अमल करने की आवश्यकता है।

1.11 आज भारत राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें परम्परागत मूल्यों के ह्रास का खतरा पैदा हो गया है और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तथा व्यावसायिक नैतिकता के लक्ष्यों की प्राप्ति में लगातार बाधाएं आ रही हैं।

1.12 देहात में रोजमर्रा की सहूलियतों के अभाव में पढ़े-लिखे युवक गांवों में रहने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए गांव और शहर के फर्क को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विविध और व्यापक साधन उपलब्ध कराने की बड़ी जरूरत है।

1.13 आने वाले दशकों में जनसंख्या की बढ़ती हुई रफ्तार पर काबू पाना होगा। इस समस्या को हल करने में सबसे अहम उपाय कारगर साबित हो सकता है, वह है महिलाओं का साक्षर और शिक्षित होना।

1.14 अगले दशक नए तनावों और समस्याओं के साथ अभूतपूर्व अवसर भी प्रदान करेंगे। उन तनावों से निपटने और अवसरों का फायदा उठाने के लिए मानव संसाधन को नए ढंग से विकसित करना होगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह भी जरूरी होगा कि वे नए विचारों को सतत सृजनशीलता के साथ आत्मसात कर सकें। उन पीढ़ियों में मानवीय मूल्यों और सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता प्रतिष्ठित करनी होगी। यह सब अधिक अच्छी शिक्षा से ही संभव है।

1.15 अतएव इन चुनौतियों और सामाजिक आवश्यकताओं का तकाजा है कि सरकार एक नई शिक्षा नीति तैयार करे और उसको क्रियान्वित करे। इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है।

भाग 2

राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था

2.1 हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में "सबके लिए शिक्षा" हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है।

2.2 शिक्षा सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है। यह हमारी संवेदनशीलता और दृष्टि को प्रखर करती है, जिससे राष्ट्रीय एकता पनपती है, वैज्ञानिक तरीके के अमल की संभावना बढ़ती है और समझ और चिंतन में स्वतन्त्रता आती

है। साथ ही शिक्षा हमारे संविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतन्त्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रसर होने में हमारी सहायता करती है।

2.3 शिक्षा के द्वारा ही आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए जरूरत के अनुसार जनशक्ति का विकास होता है। शिक्षा के आधार पर ही अनुसंधान और विकास को सम्बल मिलता है जो राष्ट्रीय आत्म-निर्भरता की आधार-शिला है।

2.4 कुल मिलाकर, यह कहना सही होगा कि शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण का अनुपम साधन है। इसी सिद्धांत को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की धुरी माना गया है।

भाग 3

शिक्षा का सार और उसकी भूमिका

3.1 जिन सिद्धान्तों पर राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना की गई है वे हमारे संविधान में ही निहित हैं।

3.2 राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का मूल मंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर तक हर शिक्षार्थी को, बिना किसी जात-पात, धर्म, स्थान या लिंग भेद के, लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये सरकार उपयुक्त रूप से वित्तपोषित कार्यक्रमों की शुरूआत करेगी। 1968 की नीति में अनुशंसित सामान्य स्कूल प्रणाली को क्रियान्वित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाये जाएंगे।

3.3 राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत यह जरूरी है कि सारे देश में एक ही प्रकार की शैक्षिक संरचना हो। 10+2+3 के ढांचे को पूरे देश में स्वीकार कर लिया गया है। इस ढांचे के पहले दस वर्षों के संबंध में यह प्रयत्न किया जाएगा कि उसका विभाजन इस प्रकार हो। प्रारम्भिक शिक्षा में 5 वर्ष का प्राथमिक स्तर और 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर, तथा उसके बाद 2 वर्ष का हाई स्कूल स्तर।

3.4 राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के लिये एक राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के ढांचे पर आधारित होगी जिसमें एक "सामान्य केन्द्रिक" (कॉमन कोर) होगा और अन्य हिस्सों की बाबत लचीलापन रहेगा, जिन्हें स्थानीय पर्यावरण तथा परिवेश के अनुसार ढाला जा सकेगा। "सामान्य केन्द्रिक" में भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, संवैधानिक जिम्मेदारियों तथा राष्ट्रीय अस्मिता से संबंधित अनिवार्य तत्व शामिल होंगे। ये मुद्दे किसी एक विषय का हिस्सा न होकर लगभग सभी विषयों में पिरोये जाएंगे। इनके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों को हर इन्सान की सोच और जिन्दगी का हिस्सा बनाने की कोशिश की जायेगी। इन राष्ट्रीय मूल्यों में ये बातें शामिल हैं: हमारी समान सांस्कृतिक धरोहर, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, स्त्री-पुरुषों के बीच समानता, पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक समता, सीमित परिवार का महत्व और वैज्ञानिक तरीके के अमल की जरूरत। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी शैक्षिक कार्यक्रम धर्म निरपेक्षता के मूल्यों के अनुरूप ही आयोजित हों।

3.5 भारत ने विभिन्न देशों में शांति और आपसी भाई-चारे के लिये सदा प्रयत्न किया है, और "वसुधैव कुटुम्बकम्" के आदर्शों को संजोया है। इस परम्परा के अनुसार शिक्षा-व्यवस्था का प्रयास यह होगा कि नई पीढ़ी में विश्व-व्यापी दृष्टिकोण सुदृढ़ हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना बढ़े। शिक्षा के इस पहलू की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

3.6 समानता के उद्देश्य को साकार बनाने के लिये सभी को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध करवाना ही पर्याप्त नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था होना भी जरूरी है जिससे सभी को शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के समान अवसर

मिलें। इसके अतिरिक्त, समानता की मूलभूत अनुभूति केन्द्रिक शिक्षाक्रम के द्वारा करवाई जाएगी। वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य है कि सामाजिक माहौल और जन्म के संयोग से उत्पन्न पूर्वाग्रह और कुंठाएं दूर हों।

3.7 प्रत्येक चरण पर दी जाने वाली शिक्षा का न्यूनतम स्तर तय किया जायेगा। ऐसे उपाय भी किये जाएंगे कि विद्यार्थी देश के विभिन्न भागों की संस्कृति, परम्पराओं और सामाजिक व्यवस्था को समझ सकें। सम्पर्क भाषा को बढ़ावा देने के अलावा, पुस्तकों का एक से दूसरी भाषा में अनुवाद करने और बहुभाषी शब्द-कोशों और शब्दावलियों के प्रकाशन के लिये भी कार्यक्रम चलाये जायेंगे। युवा वर्ग को अपनी कल्पना और सूझ-बूझ के अनुसार देश की महिमा और गरिमा पहचानने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।

3.8 उच्च शिक्षा, खास तौर से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता रखने वाले हर छात्र को बराबरी के मौके दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर अध्ययन करने की सुविधा दी जायेगी। विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं के सार्वदेशिक स्वरूप पर जोर दिया जाएगा।

3.9 शोध और विकास तथा विज्ञान व तकनीकी शिक्षा के विषयों में देश की विभिन्न संस्थाओं के बीच व्यापक तानाबाना (नेटवर्क) स्थापित करने के लिये विशेष उपाय किए जायेंगे ताकि वे अपने-अपने साधन सम्मिलित कर राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में भाग ले सकें।

3.10 शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए, शिक्षा में असमानताओं को कम करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए, प्रौढ़ साक्षरता के लिए, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए तथा इस प्रकार के अन्य लक्ष्यों के लिए साधन जुटाने का दायित्व समूचे राष्ट्र पर होगा।

3.11 आजीवन शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया का एक मूलभूत लक्ष्य है, और सार्वजनीन साक्षरता उसका अभिन्न पहलू। युवा वर्ग, गृहिणियों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों आदि की अपनी पसंद व सुविधा के अनुसार अपनी शिक्षा जारी रखने के अवसर मुहय्या करवाए जायेंगे। भविष्य में खुली शिक्षा एवं दूरशिक्षण की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।

3.12 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा परिषद जैसी संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा ताकि वे राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को संवारने में अपनी भूमिका अदा कर सकें। इन सभी संस्थाओं को एक समेकित योजना के द्वारा जोड़ा जाएगा ताकि इनमें आपस में कार्यात्मक संबंध स्थापित हो तथा अनुसंधान और स्नातकोत्तर शिक्षा के कार्यक्रम मजबूत बन सकें। इन संगठनों को, तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान तथा अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थान को शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में सहभागी बनाया जाएगा।

सार्थक सहभागिता

3.13 वर्ष 1976 का संविधान संशोधन जिसके द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, एक दूरगामी कदम था। उसमें यह निहित है कि शैक्षिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक दृष्टि से राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण मामले में केन्द्र और राज्यों के बीच दायित्व की नई सहभागिता स्थापित हो। शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की भूमिका और उनके दायित्व में मूलत: कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित विषयों में अब तक से अधिक जिम्मेदारी स्वीकार करेगी :—शिक्षा के राष्ट्रीय तथा समाकलनात्मक (इंटेग्रेटिव) रूप को बल देना, गुणवत्ता एवं स्तर बनाए रखना (जिसमें सभी स्तरों पर शिक्षकों के शिक्षण-प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं स्तर शामिल है), विकास के निमित्त जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैक्षिक व्यवस्थाओं का अध्ययन और देख-रेख, शोध एवं उच्च अध्ययन की जरूरतों को पूरा करना; शिक्षा, संस्कृति तथा मानव संसाधन विकास के अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं की

ध्यान देना और सामान्य तौर पर शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्टता लाने का निरन्तर प्रयास। समवर्तिता एक ऐसी भागीदारी है जो स्वयं में सार्थक व चुनौतीपूर्ण है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसे हर मायने में पूरा करने की ओर उन्मुख रहेगी।

भाग 4

समानता के लिए शिक्षा

विषमताएं

4.1 नई नीति विषमताओं को दूर करने पर विशेष बल देगी और अब तक वंचित रहे लोगों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के समान अवसर मुहय्या करेगी।

महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा

4.2 शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जायेगा। अतीत से चली आ रही विकृतियों और विषमताओं को खत्म करने के लिए शिक्षा-व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा। राष्ट्रीय शिक्षा-व्यवस्था ऐसे प्रभावी दखल करेगी जिनसे महिलाएं, जो अब तक अबला समझी जाती रही हैं, समर्थ और सशक्त हों। नए मूल्यों की स्थापना के लिए शिक्षण संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से पाठ्यक्रमों तथा पठन-पाठन सामग्री की पुनर्रचना की जायेगी तथा अध्यापकों व प्रशासकों का पुनःप्रशिक्षण किया जायेगा। इस काम को सामाजिक पुनर्रचना का अभिन्न अंग मानते हुए इसे पूर्ण कृतसंकल्प होकर किया जायेगा। महिलाओं से संबंधित अध्ययन को विभिन्न पाठ्यचर्याओं के भाग के रूप में प्रोत्साहन दिया जायेगा और शिक्षा संस्थाओं को महिला विकास के सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

4.3 महिलाओं में साक्षरता प्रसार को तथा उन रुकावटों को दूर करने को जिनके कारण लड़कियां प्रारम्भिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, सर्वोपरि प्राथमिकता दी जायेगी। इस काम के लिए विशेष व्यवस्थाएँ की जायेंगी, समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए जायेंगे और उनके कार्यान्वयन पर कड़ी निगाह रखी जायेगी। विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर खास जोर दिया जायेगा। लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का भेद-भाव न बरतने की नीति पर पूरा जोर देकर अमल किया जायेगा ताकि तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पारम्परिक रवैयों के कारण चले आ रहे लिंगमूलक विभाजन (सेक्स स्टीरियोटाइपिंग) को खत्म किया जा सके तथा गैर-परम्परागत आधुनिक काम-धन्धों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ सके। इसी प्रकार मौजूदा और नई प्रौद्योगिकी में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जायेगी।

अनुसूचित जातियों की शिक्षा

4.4 अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर बल दिया जायेगा जिससे कि वे गैर अनुसूचित जाति के लोगों के बराबर आ सकें। यह बराबरी सभी क्षेत्रों और सभी स्तरों पर इन चारों आयामों में होनी जरूरी है: ग्रामीण पुरुषों में, ग्रामीण स्त्रियों में, शहरी क्षेत्रों के पुरुषों में और शहरी क्षेत्रों की स्त्रियों में।

4.5 इस मकसद के तहत नई नीति में ये उपाय सोचे गए हैं :—

(i) निर्धन परिवारों को इस प्रकार प्रोत्साहन दिया जाए कि वे अपने बच्चों को 14 साल की उम्र तक नियमित रूप से स्कूल भेज सकें।

(ii) सफाई कार्य, पशुओं की चमड़ी उतारने तथा चर्म शोधन जैसे व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा से शुरू की जायेगी। ऐसे परिवारों की आय पर ध्यान दिए बिना, उनके सभी बच्चों को इस योजना में शामिल किया जायेगा तथा उनके लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किये जाएंगे।

(iii) ऐसी सुनियोजित व्यवस्थाएं करना और जांच-पड़ताल की विधि स्थापित करना कि जिससे पता चलता रहे कि अनुसूचित जातियों के बच्चों के नामांकन होने, नियमित रूप से अध्ययन जारी रखने और पढ़ाई पूरी करने की प्रक्रिया में कहीं गिरावट तो नहीं आ रही है। साथ ही इन बच्चों की आगे की शिक्षा और रोजगार पाने की संभावना को बढ़ाने के उद्देश्य से उनके लिए उपचारात्मक पाठ्यचर्या की व्यवस्था करना।

(iv) अनुसूचित जातियों से शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान देना।

(v) जिला केन्द्रों पर अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधाएं क्रमिक रूप से बढ़ाना।

(vi) स्कूल भवनों, बालवाड़ियों और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का स्थान चुनते समय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सहूलियत पर विशेष ध्यान देना।

(vii) अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के साधनों का उपयोग करना।

(viii) अनुसूचित जातियों का शिक्षा की प्रक्रिया में समावेश बढ़ाने हेतु लगातार नये तरीकों की खोज जारी रखना।

अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा

4.6 अनुसूचित जनजातियों को अन्य लोगों की बराबरी पर लाने के लिए निम्नलिखित कदम तत्काल उठाए जाएंगे :—

(i) आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शालाएं खोलने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी। इन क्षेत्रों में स्कूल भवनों के निर्माण का कार्य शिक्षा के बजट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, जनजातीय कल्याण योजनाओं आदि के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जाएगा।

(ii) आदिवासियों की अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशिष्टता होती है और बहुधा उनकी अपनी बोलचाल की भाषाएं होती हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में तथा शिक्षण सामग्री तैयार करने में यह जरूरी है कि शुरूआत की अवस्था में आदिवासी भाषाओं का उपयोग किया जाये तथा ऐसा इन्तजाम किया जाये कि आदिवासी बच्चे शुरू के कुछ वर्षों के बाद क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकें।

(iii) पढ़े-लिखे प्रतिभाशाली आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण देकर अपने क्षेत्र में ही शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा।

(iv) बड़ी तादाद में आश्रमशालाएं और आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।

(v) अनुसूचित जातियों के लिए उनकी जिन्दगी के तौर-तरीकों और उनकी खास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रोत्साहन योजनाएं तैयार की जाएंगी जिनसे शिक्षा प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर हों। उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में तकनीकी और व्यावसायिक पढ़ाई को ज्यादा महत्व दिया जायेगा। सामाजिक तथा मानसिक अवरोधों को दूर करने के लिए विशेष उपचारात्मक पाठ्यचर्या और अन्य कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि आदिवासी शिक्षार्थी सफलता से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।

(vi) आंगन-वाड़ियां, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आदिवासी-बहुल इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर खोले जाएंगे।

(vii) आदिवासियों की समृद्ध सांस्कृतिक अस्मिता और विशाल सृजनात्मक प्रतिभा के बारे में चेतना सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों का जरूरी हिस्सा होगी।

शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए दूसरे वर्ग और क्षेत्र

4.7 शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए सभी वर्गों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, समुचित प्रोत्साहन दिया जायेगा। पहाड़ी रेगिस्तानी जिलों में, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में और टापुओं में पर्याप्त संख्या में शिक्षा संस्थाएं खोली जाएंगी।

अल्पसंख्यक

4.8 अल्पसंख्यकों के कुछ वर्ग तालीमी दौड़ में काफी पिछड़े और वंचित हैं। समाजी इन्साफ और समता का तकाजा है कि ऐसे वर्गों की तालीम पर पूरा ध्यान दिया जाये। संविधान में उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति की हिफाजत करने तथा अपनी शैक्षिक संस्थाएं कायम करने और उन्हें चलाने के जो अधिकार दिये गए हैं, वे भी इनमें शामिल हैं। साथ ही पाठ्यपुस्तकें तैयार करने में और सभी स्कूली क्रियाकलापों में वस्तुगतता रखी जायेगी तथा "सामान्य केन्द्रिक शिक्षाक्रम" के अनुरूप राष्ट्रीय लक्ष्यों और आदर्शों के आधार पर एकता को बढ़ावा देने के लिये सभी सम्भव प्रयास किये जाएंगे।

विकलांग

4.9 शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से विकलांगों को शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिये कि वे समाज के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चल सकें, उनकी सामान्य तरीके से प्रगति हो और वे पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ जिन्दगी जिएं। इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किये जायेंगे :—

(i) विकलांगता अगर हाथ पैर की या मामूली सी है, तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई आम बच्चों के साथ हो।

(ii) गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिये छात्रावास वाले खास स्कूलों की जरूरत होगी। इस तरह के स्कूल, जहां तक सम्भव होगा, जिला मुख्यालयों में बनाए जाएंगे।

(iii) विकलांगों के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

(iv) शिक्षकों, खासतौर से प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों, के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी नया रूप दिया जायेगा ताकि वे विकलांग बच्चों की कठिनाइयों को ठीक तरह से समझ कर उनकी सहायता कर सकें।

(v) विकलांगों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को हर संभव तरीके से प्रोत्साहित किया जायेगा।

प्रौढ़ शिक्षा

4.10 हमारे प्राचीन ग्रन्थों में कहा गया है : "सा विद्या या विमुक्तये", शिक्षा वह है जो अज्ञान और दमन से मुक्ति दिलाती है। शिक्षा की इस परिकल्पना के तहत हर व्यक्ति को लिखना-पढ़ना तो आना ही चाहिए क्योंकि आज के युग में यही सीखने का प्रमुख माध्यम है। इसी कारण साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा का महत्व अत्यन्त अधिक है।

4.11 आज विकास का अहम मुद्दा यह है कि किस तरह कुशलताओं को निरन्तर बढ़ाया जाए और समाज को जिस तरह की और जिस मात्रा में जनशक्ति की जरूरत हो उसे तैयार किया जाये। विकास के कार्यक्रमों में उन लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है जिनको उनका लाभ मिलना है। प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ा जायेगा। इन राष्ट्रीय लक्ष्यों में ये सब शामिल हैं : निर्धनता को दूर करना, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, लोगों की सांस्कृतिक

सृजनशीलता का संवर्धन, छोटे परिवार के आदर्श का पालन, महिलाओं की समानता, इत्यादि। प्रौढ़ शिक्षा के वर्तमान कार्यक्रमों का पुनरावलोकन करके उन्हें मजबूत बनाया जाएगा।

4.12 समूचे देश को निरक्षरता उन्मूलन के लिए निष्ठापूर्वक कटिबद्ध होना है, खासकर 15-35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों की। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, राजनैतिक दलों तथा उनके जनसंगठनों, जन-संचार के माध्यमों और शिक्षा संस्थाओं को विविध प्रकार के जन-साक्षरता कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। इस कार्य में शिक्षकों, युवावर्ग, छात्र-छात्राओं, स्वैच्छिक संस्थाओं और नियोजकों आदि को बड़े पैमाने पर शामिल करना होगा। शोध संस्थानों की सहायता से शैक्षिक पहलुओं में सुधार लाने के ठोस प्रयास किए जाएंगे। साक्षरता के अलावा, कार्यात्मक ज्ञान और कुशलताओं का विकास, तथा शिक्षार्थियों में सामाजिक-आर्थिक वास्तविकता की समझ पैदा करना और इस स्थिति को बदल सकने की संभावना के प्रति उन्हें सचेत बनाना प्रौढ़ शिक्षा का अंग होगा।

4.13 विभिन्न पद्धतियों और माध्यमों का उपयोग करते हुए प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अन्तर्गत निम्न प्रकार के कार्यक्रम आएंगे :—

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में सतत शिक्षा केन्द्रों की स्थापना;
(ख) नियोजकों, मजदूर संगठनों और संबंधित सरकारी एजेंसियों के द्वारा श्रमिकों की शिक्षा;
(ग) उच्च शिक्षा की संस्थाओं द्वारा सतत शिक्षा;
(घ) पुस्तकों के लेखन व प्रकाशन को तथा पुस्तकालयों और वाचनालयों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन;
(ङ) जन-शिक्षण और समूह शिक्षण के साधन के रूप में रेडियो, दूरदर्शन और फिल्मों का उपयोग;
(च) शिक्षार्थियों के समूहों और संगठनों का सृजन;
(छ) दूर-शिक्षण के कार्यक्रम;
(ज) स्वाध्याय और स्वयं-शिक्षण में सहायता की व्यवस्था; और
(झ) आवश्यकता और रुचि पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

भाग 5

विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन

शिशुओं की देखभाल और शिक्षा

5.1 बच्चों से संबंधित राष्ट्रीय नीति इस बात पर विशेष बल देती है कि बच्चों के विकास पर पर्याप्त विनियोग किया जाये, विशेषकर ऐसे तबकों पर जिनके बच्चों की पहली पीढ़ी बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर रही है।

5.2 बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता। पौष्टिक भोजन व स्वास्थ्य को और बच्चों के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और भावनात्मक विकास को समेकित रूप में ही देखना होगा। इस दृष्टि से शिशुओं की देखभाल और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसे जहां भी संभव हो, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के संदर्भ में शिशुओं की देखभाल के केन्द्र खोले जाएंगे, जिससे अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने वाली लड़कियों को स्कूल जाने की सुविधा मिल सके। साथ ही निर्धन तबके की कार्यरत स्त्रियों को भी इन केन्द्रों से मदद मिल सकेगी।

5.3 शिशुओं की देखभाल और शिक्षा के केन्द्र पूरी तरह बाल-केन्द्रित होंगे। उनकी गतिविधियां खेल-कूद पर

और बच्चों के व्यक्तित्व पर आधारित होंगी। इस अवस्था में औपचारिक रूप से पढ़ना-लिखना नहीं सिखाया जाएगा। इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय का पूरा सहयोग लिया जाएगा।

5.4 शिशुओं की देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रमों को पूरी तरह समेकित किया जायगा ताकि इससे प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा मिले और मानव संसाधन विकास में सामान्य रूप से सहायता मिल सके। इसके साथ ही स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को और सुदृढ़ किया जायेगा।

प्रारम्भिक शिक्षा

5.5 प्रारम्भिक शिक्षा की नई दिशा में दो बातों पर विशेष बल दिया जाएगा : (क) 14 वर्ष की अवस्था तक के सब बच्चों की विद्यालयों में भर्ती और उनका विद्यालय में टिके रहना, और (ख) शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार।

बाल-केन्द्रित दृष्टिकोण

5.6 बच्चों को विद्यालय जाने में सबसे अधिक सहायता तब मिलती है जब वहां का वातावरण प्यार, अपनत्व और प्रोत्साहन से भरा हो और विद्यालय के सब लोग बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे रहे हों। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की पद्धति बाल-केन्द्रित और गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए। पहली पीढ़ी के सीखने वाले बच्चों को अपनी गति से आगे बढ़ने देना चाहिए और उनके लिए पूरक और उपचारात्मक शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ज्यों-ज्यों बच्चे बड़े होंगे उनके सीखने में ज्ञानात्मक तत्व बढ़ते जाएंगे और अभ्यास के द्वारा वे कुछ कुशलताएं भी ग्रहण करते चलेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को किसी भी कक्षा में फेल न करने की प्रथा जारी रखी जायेगी। बच्चों का मूल्यांकन वर्ष भर में फैला दिया जाएगा। शिक्षा की व्यवस्था में से शारीरिक दण्ड को सर्वथा हटा दिया जाएगा और विद्यालय के समय और छुट्टियों का निर्णय भी बच्चों की सुविधा को देखते हुये किया जायेगा।

विद्यालय में सुविधाएं

5.7 प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। इनमें किसी भी मौसम में काम देने लायक कम से कम दो बड़े कमरे, आवश्यक खिलौने, ब्लैकबोर्ड, नक्शे, चार्ट और अन्य शिक्षण सामग्री शामिल है। हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षक होंगे, जिनमें एक महिला होगी। यथासंभव जल्दी ही प्रत्येक कक्षा के लिए एक-एक शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों की दशा को सुधारने के लिए एक क्रमिक अभियान शुरू किया जाएगा जिसका सांकेतिक नाम "आपरेशन ब्लैकबोर्ड" होगा। इस कार्य में शासन, स्थानीय निकाय, स्वयं सेवी संस्थाओं और व्यक्तियों की पूरी भागीदारी होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की निधियों का पहला उपयोग स्कूल की इमारतों के बनाने में होगा।

अनौपचारिक शिक्षा

5.8 ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ गए हैं या जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां स्कूल नहीं है या जो काम में लगे हैं और वे लड़कियां जो दिन के स्कूल में पूरे समय नहीं जा सकतीं, इन सबके लिए एक विशाल और व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाएगा।

5.9 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए आधुनिक टैक्नालॉजी के उपकरणों की सहायता ली जाएगी। इन केन्द्रों में अनुदेशक के तौर पर काम करने के लिये स्थानीय समुदाय के प्रतिभावान और निष्ठावान युवकों और युवतियों को चुना जाएगा और उनके प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की जाएगी। अनौपचारिक

धारा में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे योग्यतानुसार औपचारिक धारा के विद्यालयों में प्रवेश पा सकेंगे। इस बात पर पूरा ध्यान दिया जाएगा कि अनौपचारिक शिक्षा का स्तर औपचारिक शिक्षा के समतुल्य हो।

5.10 "राष्ट्रीय केन्द्रिक शिक्षाक्रम" की तरह का एक शिक्षाक्रम अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के लिये भी तैयार किया जाएगा, लेकिन यह शिक्षाक्रम विद्यार्थियों की जरूरतों पर आधारित होगा और इसका संबंध स्थानीय पर्यावरण से रहेगा। उच्चकोटि की शिक्षण सामग्री बनाई जाएगी और वह सभी विद्यार्थियों को मुफ्त दी जाएगी। अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम में सहभागी होते हुए शिक्षा प्राप्त करने का वातावरण उपलब्ध किया जाएगा, और इसमें खेल-कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण आदि की व्यवस्था की जाएगी।

5.11 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाने का अधिकतर कार्य स्वयंसेवी संस्थाएं और पंचायती राज की संस्थाएं करेंगी। इस कार्य के लिए इन संस्थाओं को पर्याप्त धन समय पर दिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की कुल जिम्मेवारी सरकार पर रहेगी।

एक संकल्प

5.12 नई शिक्षा नीति में स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों की समस्या के सुलझाने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। बच्चों को बीच में स्कूल छोड़ने से रोकने के लिये स्थानीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इस समस्या का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा और तदनुसार प्रभावशाली उपाय खोज कर दृढ़ता के साथ उनका प्रयोग करने हेतु देशव्यापी योजना बनाई जाएगी। इस प्रयत्न का अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था के साथ पूरा तालमेल होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 1990 तक जो बच्चे 11 वर्ष के हो जाएंगे उन्हें विद्यालय में 5 वर्ष की शिक्षा, या अनौपचारिक धारा में इसकी समतुल्य शिक्षा, अवश्य मिल जाए। इसी प्रकार 1995 तक 14 वर्ष की अवस्था वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अवश्य दी जाएगी।

माध्यमिक (सेकेण्डरी) शिक्षा

5.13 माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों की विशिष्ट भूमिकाओं का ज्ञान होने लगता है। इसी अवस्था पर बच्चों को इतिहास बोध और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य सही ढंग से दिया जा सकता है। साथ ही इस अवस्था पर अपने संवैधानिक दायित्व और नागरिकों के अधिकारों से भी उन्हें परिचित हो जाना चाहिए। अच्छे शिक्षाक्रम द्वारा उनमें चेतन रूप से कर्मशीलता के और करुणाशील सामाजिक संस्कृति के संस्कार डाले जाएंगे। इस स्तर पर विशेष संस्थाओं में व्यवसायों की शिक्षा के द्वारा और माध्यमिक शिक्षा की पुनर्रचना के द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिये मूल्यवान जनशक्ति जुटाई जा सकती है। जिन क्षेत्रों में अभी सेकेण्डरी शिक्षा नहीं पहुंची है वहां तक इसे पहुंचाकर अधिक सुलभ बनाया जाएगा। दूसरे क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण पर बल रहेगा।

गतिनिर्धारक विद्यालय

5.14 यह एक सर्वमान्य बात है कि जिन बच्चों में विशेष प्रतिभा या अभिरुचि हो, उन्हें अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराकर अधिक तेजी से आगे बढ़ने के अवसर दिए जाने चाहिए। उनकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, उनको ऐसे अवसर मिलने चाहिए।

5.15 इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये देश के विभिन्न भागों में एक निर्धारित ढांचे पर गतिनिर्धारक विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इनमें नई-नई पद्धतियों को अपनाने और प्रयोग करने की छूट रहेगी। मोटे तौर पर इन विद्यालयों का उद्देश्य होगा कि वे समता और सामाजिक न्याय के साथ शिक्षा में उत्कृष्टता लाएं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये इन विद्यालयों में आरक्षण रहेगा। इन विद्यालयों में देश के विभिन्न भागों के, मुख्यतया ग्रामीण

क्षेत्रों के, प्रतिभाशाली बच्चे एक साथ रहकर पढ़ेंगे जिससे उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होगा। इन विद्यालयों में बच्चों को अपनी क्षमताओं के पूरे विकास का अवसर मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये विद्यालय समूचे देश में विद्यालय सुधार के कार्यक्रम में उत्प्रेरक का काम करेंगे। ये विद्यालय आवासीय और निःशुल्क होंगे।

व्यवसायीकरण

5.16 शिक्षा के प्रस्तावित पुनर्गठन में व्यवस्थित और सुनियोजित व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को दृढ़ता से क्रियान्वित करना बहुत ही जरूरी है। इससे व्यक्तियों के रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी, आजकल कुशल कर्मचारियों की मांग और आपूर्ति में जो असंतुलन है वह समाप्त होगा और ऐसे विद्यार्थियों को एक वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा जो इस समय बिना किसी विशेष रुचि या उद्देश्य के उच्च शिक्षा की पढ़ाई किए जाते हैं।

5.17 व्यावसायिक शिक्षा अपने में शिक्षा की एक विशिष्ट धारा होगी जिसका उद्देश्य कई क्षेत्रों में चुने गए काम-धन्धों के लिये विद्यार्थियों को तैयार करना होगा। ये कोर्स आम तौर पर सेकेण्डरी शिक्षा के बाद दिए जायेंगे। लेकिन इस योजना को लचीला रखा जाएगा ताकि आठवीं कक्षा के बाद भी विद्यार्थी ऐसे कोर्स ले सकें। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी बड़ी व्यावसायिक शिक्षा के ढांचे के अनुसार चलेंगे ताकि इनमें प्राप्त सुविधाओं का पूरा लाभ उठाया जा सके।

5.18 स्वास्थ्य नियोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रबंध को उस क्षेत्र के लिये आवश्यक जनशक्ति प्रशिक्षण से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य संबंधी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होगी। प्राथमिक और मध्य स्तर पर स्वास्थ्य की शिक्षा पाने से व्यक्ति परिवार और समाज के स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्ध होगा। इससे उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्वास्थ्य से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ेगी। कृषि, विपणन, सामाजिक सेवाओं आदि के क्षेत्र में भी इसी प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार किये जायेंगे। व्यावसायिक शिक्षा में ऐसी मनोवृत्तियों, ज्ञान और कुशलताओं पर बल रहेगा जिनसे उद्यमीपन और स्वरोजगार की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले।

5.19 व्यावसायिक पाठ्यचर्याओं या संस्थाओं को स्थापित करने का दायित्व सरकार पर और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के सेवा नियोजकों (एम्प्लायर्स) पर होगा, तो भी सरकार स्त्रियों, ग्रामीण और जनजातियों के विद्यार्थियों और समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकता पूरी करने के लिये विशेष कदम उठाएगी। विकलांगों के लिये भी समुचित कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे।

5.20 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातकों को ऐसे अवसर दिये जायेंगे जिनके फलस्वरूप वे पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार व्यावसायिक विकास कर सकें, कैरियर में तरक्की पा सकें और सामान्य तकनीकी एवं उच्च स्तरीय व्यवसायों के कोर्सों में प्रवेश पा सकें।

5.21 नव साक्षर लोगों, प्राथमिक शिक्षा पूरी किये हुए युवाओं, स्कूल छोड़ जाने वालों और रोजगार में या आंशिक रोजगार में लगे हुये व्यक्तियों के लिये भी अनौपचारिक, लचीले और आवश्यकता पर आधारित व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जायेंगे। इस संबंध में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

5.22 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की अकादमिक धारा के स्नातक यदि चाहें तो उनके लिए उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों का प्रबंध किया जाएगा।

5.23 यह प्रस्ताव है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का दस प्रतिशत 1990 तक और 25 प्रतिशत 1995 तक व्यावसायिक पाठ्यचर्या में आ जाए। इस बात के लिये कदम उठाए जाएंगे कि व्यावसायिक शिक्षा पाकर निकले हुए विद्यार्थियों में से अधिकतर को या तो नौकरी मिले या वे अपना रोजगार स्वयं कर सकें। व्यावसायिक पाठ्य-

क्रमों का पुनरीक्षण नियमित रूप से किया जाएगा। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिये सरकार अपने अधीन की जाने वाली भर्ती की नीति पर भी पुनः विचार करेगी।

उच्च शिक्षा

5.24 उच्च शिक्षा से लोगों को इस बात का अवसर मिलता है कि वे मानव जाति की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में आई हुई समस्याओं पर विचार कर सकें। विशिष्ट ज्ञान और कुशलताओं के प्रसारण के द्वारा उच्च शिक्षा राष्ट्र के विकास में सहायक बनती है। इसलिये समाज के जीवन में उसकी निर्णायक भूमिका है, शैक्षिक पिरामिड के शीर्ष पर होने के नाते समूची शिक्षा व्यवस्था के लिये अध्यापक तैयार करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है।

5.25 आजकल ज्ञान का जो अभूतपूर्व विस्फोट हो रहा है उसे देखते हुए उच्च शिक्षा को पहले से कहीं ज्यादा गतिशील होना है और अनजाने अध्ययन-क्षेत्रों में निरन्तर कदम बढ़ाते रहना है।

5.26 आज भारत में करीब 150 विश्वविद्यालय और 5000 कालेज हैं। इन संस्थाओं में सभी प्रकार का सुधार लाने की दृष्टि से यह प्रस्ताव है कि निकट भविष्य में मुख्य बल विद्यमान संस्थाओं को दृढ़ करने और उनकी सुविधाओं के विस्तार पर हो।

5.27 उच्च शिक्षा-व्यवस्था को गिरावट से बचाने के लिए सभी संभव उपाय किये जायेंगे।

5.28 विश्वविद्यालयों से कालेजों के अनुबंधन (एफिलिएशन) की प्रथा का अनुभव कहीं सन्तोषप्रद और कहीं असंतोषप्रद रहा है। इसलिए अनुबंधन को घटाकर बड़ी संख्या में कालेजों को स्वायत्तता देने पर बल दिया जाएगा। उद्देश्य यह है कि वर्तमान अनुबंधन की प्रथा के स्थान पर विश्वविद्यालयों और कालेजों के बीच एक स्वतंत्र और अधिक सृजनशील संबंध का जन्म हो। इसी तरह विश्वविद्यालयों के कुछ चुने हुये विभागों को भी स्वायत्तता देने को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वायत्तता और स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही भी अवश्य ही रहेगी।

5.29 विशिष्टीकरण की मांग को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिये पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को नये सिरे से बनाया जायेगा। भाषिक क्षमता पर विशेष बल दिया जाएगा। विद्यार्थी कौन-कौन से कोर्स एक साथ ले सकते हैं, यह तय करने में अधिक लचीलापन रहेगा।

5.30 राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा का नियोजन और उच्च शिक्षा संस्थाओं में समन्वय संपन्न करने हेतु शिक्षा परिषदें बनाई जाएंगी। शिक्षा के स्तर पर निगरानी रखने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और ये परिषदें समन्वय पद्धतियां बनायेंगी।

5.31 न्यूनतम आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जाएगी और शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश उनकी ग्रहण-क्षमता के अनुसार किया जायेगा। शिक्षण विधियों को बदलने के प्रयास किये जाएंगे। दृश्य-श्रव्य साधनों और इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ होगा। विज्ञान और टेक्नालॉजी के शिक्षाक्रम और शिक्षण सामग्री के विकास पर और अनुसंधान अध्यापक प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जायेगा। इसके लिए अध्यापकों की सेवा-पूर्व तैयारी और बाद में उनकी सतत शिक्षा आवश्यक होगी। अध्यापकों के कार्य का मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से किया जायेगा। सभी पद योग्यता के आधार पर भरे जायेंगे।

5.32 विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के लिए अधिक सहायता दी जायेगी और उसकी उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जायेंगे। विश्वविद्यालय में किये जा रहे अनुसंधान और अन्य संस्थाओं द्वारा किये जा रहे अनुसंधान के बीच, विशेषकर विज्ञान और टेक्नालॉजी के अग्रवर्ती क्षेत्रों में तालमेल बनाये रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा उचित व्यवस्था की जायेगी। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं की सुविधाओं को विश्वविद्यालयीन

प्रणाली के अंतर्गत स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे और इन संस्थाओं में स्वायत्त प्रबंध की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

5.33 भारत विद्या, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के लिये पर्याप्त सहायता दी जायगी। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में संश्लेषण लाने की दृष्टि से अंतरविजयी अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस बात का भी प्रयत्न होगा कि भारत के प्राचीन ज्ञान के भंडार में पैठा जाए और उसे समकालीन वस्तुस्थिति से जोड़ा जाए। इसके लिये संस्कृत और अन्य श्रेष्ठ भाषाओं के गहन अध्ययन का विकास करना जरूरी होगा।

5.34 नीति में अधिक समन्वय और सामंजस्य लाने के लिये, उपलब्ध सुविधाओं का सबके द्वारा उपयोग करने और अंतरविजयी अनुसंधान का विकास करने की दृष्टि से सामान्य, कृषि, चिकित्सा, कानून और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय निकाय स्थापित किया जाएगा।

खुला विद्यालय और दूरस्थ अध्ययन

5.35 उच्च शिक्षा के लिये अधिक अवसर देने और शिक्षा को जनतांत्रिक बनाने की दृष्टि से खुले विश्वविद्यालय की प्रणाली शुरू की गई है।

5.36 इन उद्देश्यों के लिये 1985 में स्थापित "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय" को सुदृढ़ किया जायेगा।

5.37 इस प्रबल साधन का विकास एवं विस्तार सावधानी से और सोच समझकर करना होगा।

डिग्री को नौकरी से अलग करना

5.38 कुछ चुने हुए क्षेत्रों में डिग्री को नौकरी से अलग करने के लिये कदम उठाये जाएंगे।

5.39 विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्रों, जैसे इंजीनियरी, चिकित्सा, कानून, शिक्षण आदि में इस प्रस्ताव को लागू नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान आदि में, जहां विशेषज्ञों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, अकादमिक अर्हताओं की आवश्यकता बनी रहेगी।

5.40 डिग्री को नौकरी से अलग करने की योजना उन सेवाओं में शुरू की जाएगी जिनमें विश्वविद्यालय की डिग्री आवश्यक नहीं होनी चाहिए। इस योजना को लागू करने से विशेष कार्यों में अपेक्षित कुशलताओं पर आधारित नये पाठ्यक्रम बनने लगेंगे और इससे उन प्रत्याशियों के साथ अधिक न्याय हो सकेगा जिनके पास किसी विशेष काम को करने की क्षमता तो है लेकिन उन्हें वह काम इसलिये नहीं मिल सकता क्योंकि उसके लिये स्नातक प्रत्याशियों को अनावश्यक रूप से तरजीह दी जाती है।

5.41 नौकरियों को डिग्री से अलग करने के साथ-साथ क्रमिक रूप में एक राष्ट्रीय परीक्षण सेवा प्रारंभ की जाएगी। इसके द्वारा स्वैच्छिक रूप से विशिष्ट कामों के लिए प्रत्याशियों की उपयुक्तता की जांच की जाएगी और इससे देश भर में समतुल्य योग्यताओं के मानक स्थापित हो सकेंगे।

ग्रामीण विश्वविद्यालय

5.42 ग्रामीण विश्वविद्यालय के नये ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा और इसे महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी क्रांतिकारी विचारों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के उन्नयन के लिये सूक्ष्म रूप से आयोजन प्रक्रिया ग्राम स्तर पर चलाने की दृष्टि से योग्य शिक्षा दी जाय। महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा से संबद्ध संस्थाओं और कार्यक्रमों को सहायता दी जायगी।

भाग 6

तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा

6.1 यद्यपि तकनीकी शिक्षा और प्रबंध शिक्षा अलग धाराओं के रूप में चल रही हैं तथापि उनके आपसी घनिष्ठ संबंध और पूरक मकसदों को ध्यान में रखते हुए दोनों पर इकट्ठा विचार करना आवश्यक है। तकनीकी और प्रबंध शिक्षा का पुनर्गठन करते समय नई शताब्दी के आरंभ में जिस प्रकार की परिस्थिति की संभावना है, उसे ध्यान में रखना होगा। अर्थव्यवस्था, सामाजिक वातावरण, उत्पादन और प्रबंधकीय प्रक्रियाओं में संभावित परिवर्तन, ज्ञान में तेजी से होते फैलाव तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में होने वाली प्रगति को इस संदर्भ में देखना होगा।

6.2 अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे और सेवा क्षेत्रों के साथ-साथ असंगठित ग्रामीण क्षेत्र को भी उन्नत टेक्नालॉजी की ओर तकनीकी और प्रबंधकीय जनशक्ति की बेहद जरूरत है। सरकार द्वारा इस ओर ध्यान दिया जायेगा।

6.3 जनशक्ति सूचना के संबंध में स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से हाल ही में स्थापित तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली को आगे विकसित तथा सुदृढ़ किया जायेगा।

6.4 वर्तमान तथा उभरती प्रौद्योगिकी दोनों में सतत शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

6.5 क्योंकि संगणक (कम्प्यूटर) महत्वपूर्ण और सर्वव्यापक साधन बन गया है अतः संगणक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और उनके प्रयोग में प्रशिक्षण व्यावसायिक शिक्षा का अंग बनाया जायेगा। संगणक-साक्षरता (कंप्यूटर लिटरेसी) के कार्यक्रम स्कूल स्तर से ही बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाएंगे।

6.6 औपचारिक पाठ्यक्रमों में दाखिले की वर्तमान कड़ी शर्तों के कारण साधारण लोगों में अधिकांश को आजा तकनीकी तथा प्रबंधकीय शिक्षा नहीं मिलती। ऐसे लोगों के लिये दूर शिक्षण सुविधाएं, जिनमें जन संचार माध्यम का उपयोग भी शामिल है, प्रदान की जायेंगी। तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा कार्यक्रम, पालिटेक्निक शिक्षा सहित, लचीली मॉड्यूलर पद्धति के अनुसार चलेंगे और इसमें विभिन्न स्तरों पर प्रवेश की सुविधा होगी। इसके लिए पर्याप्त मार्गदर्शना और परामर्श सेवा भी उपलब्ध कराई जायेगी।

6.7 प्रबंध शिक्षा की प्रासंगिकता को, विशेष रूप से गैर-नियमित तथा कम व्यवस्थित क्षेत्रों में, बढ़ाने के उद्देश्य से प्रबंध शिक्षा प्रणाली द्वारा भारतीय अनुभव एवं अध्ययन पर आधारित दस्तावेजी जानकारी तैयार की जायेगी और ऊपर बताये गये क्षेत्रों के लिये उपयुक्त ज्ञान एवं शिक्षा कार्यक्रमों का भंडार तैयार किया जायेगा।

6.8 महिलाओं, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों एवं विकलांगों के लाभ के लिये तकनीकी शिक्षा के लिये समुचित औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रम तैयार किये जायेंगे।

6.9 व्यावसायिक शिक्षा और उसके विस्तार पर बल देने के लिये व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी पाठ्याक्रम विकास आदि के लिये अनेक शिक्षकों और पेशावरों की आवश्यकता होगी। इस मांग को पूरा करने के लिये कार्याक्रम शुरू किए जायेंगे।

6.10 यह आवश्यक है कि "स्वयं रोजगार" को छात्रगण जीविका-विकल्प के रूप में स्वीकार करें। इसके लिये उन्हें उद्यम-विषयक (आन्त्रप्रिन्योरशिप) प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसकी व्यवस्था डिग्री तथा डिप्लोमा स्तर पार मॉड्यूलर तथा वैकल्पिक कोर्सों द्वारा की जायेगी।

6.11 पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाने की सतत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नवीकरण द्वारा नई प्रौद्योगिकियों और विषयों को शुरू करना होगा तथा पुराने और अर्थहीन होते विषयों को क्रमशः हटाना होगा।

संस्थागत झुकाव की शिक्षा

6.12 ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ पालिटेक्निकों ने सामुदायिक पालिटेक्निकों की प्रणाली के माध्यम से कमजोर वर्गों को उत्पादक व्यवसायों में प्रशिक्षण देना शुरू किया है। सामुदायिक पालिटेक्निक प्रणाली का मूल्यांकन किया जायेगा औरर उसे समुचित रूप से मजबूत बनाया जायेगा ताकि इसकी गुणवत्ता और प्रसार को बढ़ाया जा सके।

नवाचार शोध और विकास

6.13 शिक्षा की प्रक्रियाओं के नवीकरण के साधनों के रूप में सभी उच्च तकनीकी संस्थाएं शोध कार्य में पूरी तत्परता से जुट जायेंगी। इनका पहला मकसद होगा उच्च कोटि की जनशक्ति उपलब्ध कराना, जो शोध और विकास में उपयोगी साबित हो सके। विकास के लिये शोध कार्य, मौजूदा प्रौद्योगिकी में सुधार, नई देशज प्रौद्योगिकी की ईजाद तथा उत्पादन और उत्पादकता की जरूरतों को पूरा करने से संबंधित होगा। प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखने और नये आविष्कारों का अनुमान लगाने के लिये भी उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

6.14 इस क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर काम करने वाली संस्थाओं और उनका उपयोग करने वाली प्रणालियों के बीच सहयोग, सहकार्य और आदान-प्रदान के रिश्ते कायम करने के अवसरों का पूरा लाभ उठाया जायेगा। उपयुक्त रख-रखाव तथा रोजमर्रा के जीवन में नये-नये प्रयोग करने के और उन्हें सुधारने की मनोवृत्ति को व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जायेगा।

सभी स्तरों पर दक्षता और प्राथमिकता बढ़ाना

6.15 तकनीकी और प्रबंध शिक्षा खर्चीली होती है। लागत के हिसाब से इसको कारगर बनाने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित मुख्य उपाय किये जायेंगे :—

(i) आधुनिकीकरण को उच्च प्राथमिकता दी जायगी और पुरानापन हटाया जायेगा। आधुनिकीकरण को महज फैशन के तौर पर या प्रतिष्ठा चिह्न के रूप में नहीं बल्कि कार्यात्मक दक्षता बढ़ाने के लिये अपनाया जायेगा।

(ii) जो संस्थाएं समाज को और उद्योगों को अपनी सेवाएं देने की क्षमता रखती हैं, उन्हें ऐसे अवसर देकर अपने संसाधन जुटाने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। उन्हें अद्यतन शिक्षण संसाधनों, पुस्तकालयों और कम्प्यूटर सुविधाओं से सज्जित किया जायेगा।

(iii) पर्याप्त छात्रावास व्यवस्था, विशेषत: लड़कियों के लिये, की जाएगी। खेल-कूद, रचनात्मक कार्य और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये सुविधाएं बढ़ाई जायेंगी।

(iv) प्रशिक्षकों की भर्ती में ज्यादा प्रभावशाली प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जायेगा। वृत्तिका विकास के अवसरों, सेवा शर्तों, कन्सलटेंसी के मानदंडों, तथा अन्य सुविधाओं को सुधारा जायेगा।

(v) शिक्षकों को बहुमुखी भूमिकाएँ निभानी होंगी, तथा शिक्षण, अनुसंधान, शिक्षण सामग्री तैयार करना तथा संस्था के प्रबंध में हाथ बंटाना। संकाय सदस्यों के लिये सेवापूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिये जायेंगे और पर्याप्त प्रशिक्षण रिजर्व उपलब्ध किये जायेंगे। स्टाफ विकास कार्यक्रम राज्य स्तर पर समेकित, तथा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर समन्वित किये जायेंगे।

(vi) तकनीकी और प्रबंध कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या का लक्ष्य यह होगा कि उद्योगों तथा उनका उपयोग करने वालों की वर्तमान और भावी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। तकनीकी अथवा प्रबंध संस्थानों और उद्योगों के बीच सक्रिय कार्य-संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा। यह संबंध कार्यक्रम-नियोजन में, कार्यान्वयन में, कर्मचारियों के विनिमय में, प्रशिक्षण-सुविधाओं और संसाधनों में, अनुसंधान और कन्सलटेन्सी (सलाहकारी) में और पारस्परिक लाभ के अन्य क्षेत्रों में स्थापित किया जायेगा।

(vii) संस्थाओं और व्यक्तियों के उत्कृष्ट कार्य को मान्यता दी जायेगी और पुरस्कृत किया जायेगा। घटिया स्तर की संस्थाओं का उभरना रोका जायगा। प्रशिक्षण संकाय के पूर्ण सहयोग से एक ऐसा संस्थागत माहौल तैयार किया जायेगा जिसमें उत्कृष्टता और नव-प्रयास को पनपने का अवसर प्राप्त हो सके।

(viii) चुनिन्दा संस्थाओं को शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता विभिन्न हदों तक दी जायेगी, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी के समुचित निर्वाह के लिये जवाबदेही की व्यवस्था भी की जायेगी।

(ix) तकनीकी शिक्षा का संबंध उद्योग, अनुसंधान और विकास संगठनों से, ग्रामीण और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से तथा पूरक स्वरूप वाले अन्य शिक्षा-क्षेत्रों से स्थापित किया जायेगा।

प्रबंध कार्यकलाप और परिवर्तन

6.16 प्रबंध पद्धतियों में संभावित परिवर्तनों को और इन परिवर्तनों के साथ कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, परिवर्तन प्रक्रिया के स्वरूप और दिशा को समझने की कारगर पद्धतियां तैयार की जायेंगी। परिवर्तन को पहचानने की दक्षता का विकास किया जाएगा।

6.17 इस कार्यक्रम के संश्लिष्ट स्वरूप को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इंजीनियरिंग, व्यावसायिक और प्रबंध शिक्षा के बीच, संतुलित विकास का समन्वय करेगा। इसी प्रकार तकनीशियनों और शिल्पियों की शिक्षा को भी समन्वित किया जायगा।

6.18 व्यावसायिक संघों को प्रोत्साहित किया जायेगा और उन्हें इस योग्य बनाया जायेगा कि वे तकनीकी और प्रबंध शिक्षा की प्रगति में अपनी भूमिका निभा सकें।

6.19 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को विधिक प्राधिकार प्रदान किया जाएगा। परिषद इस प्राधिकार के द्वारा तकनीकी शिक्षा का नियोजन करेगी, स्तरों और मानदंडों का निर्धारण और अनुरक्षण, प्रत्यापन, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के लिये वित्तीय व्यवस्था, अनुश्रवण और मूल्यांकन, प्रमाणन एवं पुरस्कारों की समकक्षता का निर्वहन, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा के बीच समन्वय–ये सब कार्य संपन्न करेगी। समुचित रूप से गठित एक मान्यताप्राप्त बोर्ड निश्चित अवधियों पर अनिवार्य रूप से तकनीकी शिक्षा की प्रक्रिया का मूल्यांकन करेगा।

6.20 शिक्षा प्रमाणों को बनाये रखने तथा अन्य अनेक माकूल कारणों को ध्यान में रखकर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के व्यापारीकरण को रोका जायेगा। इसके विकल्प के रूप में स्वीकृत मान-दंडों और सामाजिक लक्ष्यों के अनुरूप इन क्षेत्रों में निजी और स्वैच्छिक प्रयासों को शामिल करने की एक नई पद्धति तैयार की जायेगी।

भाग 7

शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना

7.1 यह स्पष्ट है कि शिक्षा से संबंधित ये तथा अन्य बहुत से नये कार्य अव्यवस्था की दशा में नहीं किये जा सकते। शिक्षा का प्रबंध परम बौद्धिक अनुशासन और गंभीर सोद्देश्यता की मांग करता है। अवश्य ही इसके साथ वह स्वतंत्रता भी होनी चाहिये जिसमें नये प्रयोगों और सृजनशीलता को पूरा अवसर मिले। शिक्षा की गुणवत्ता में और उसके विस्तार के संबंध में तो दूरगामी परिवर्तन करने ही होंगे, किन्तु जो कुछ आज की स्थिति है, उसी में अनुशासन स्थापित करने की प्रक्रिया का प्रारंभ तुरंत ही करना होगा।

7.2 देश ने शिक्षा-व्यवस्था में असीम विश्वास रखा है और लोगों को यह अधिकार है कि वे इस व्यवस्था से ठोस परिणामों की आशा करें। सबसे पहला काम तो इस तंत्र को सक्रिय बनाना है। यह आवश्यक है कि सभी अध्यापक पढ़ाएं और सभी विद्यार्थी पढ़ें।

7.3 इसके लिए निम्नलिखित युक्तियां अपनाई जायेंगी:

(क) अध्यापकों को अधिक सुविधाएं और साथ ही उनकी अधिक जवाबदेही।

(ख) विद्यार्थियों के लिये सेवा में सुधार और साथ ही उनके सही आचरण पर बल।

(ग) शिक्षा-संस्थाओं को अधिक सुविधाएं दिया जाना।

(घ) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर तय किये गये मानदंड के आधार पर शिक्षा-संस्थाओ के कार्य के मूल्यांकन की पद्धति का सृजन।

भाग 8

शिक्षा की विषय-वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना

सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य

8.1 इस समय शिक्षा की औपचारिक पद्धति और देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक परंपराओं के बीच एक खाई है, जिसे पाटना आवश्यक है। आधुनिक टेक्नालॉजी की धुन में यह नहीं होना चाहिए कि नई पीढ़ी भारतीय इतिहास और संस्कृति के मूल से ही कट जाये। संस्कृतिविहीनता, अमानवीयता और अजनबीकरण (एलिएनेशन) के भाव से हर कीमत पर बचना होगा। परिवर्तनपरक टेक्नालॉजी और सतत चली आ रही देश की सांस्कृतिक परंपरा में एक सुन्दर समन्वय की आवश्यकता है और शिक्षा इसे बखूबी कर सकती है।

8.2 शिक्षा की पाठ्यचर्या और प्रक्रियाओं को सांस्कृतिक विषयवस्तु के समावेश द्वारा अधिक से अधिक रूपों में समृद्ध किया जाएगा। इस बात का प्रयत्न होगा कि सौन्दर्य, सामंजस्य और परिष्कार के प्रति बच्चों की संवेदनशीलता बढ़े। सांस्कृतिक परंपरा में निष्णात व्यक्तियों को, उनके पास औपचारिक शैक्षिक उपाधि के न होने पर भी, शिक्षा में सांस्कृतिक तत्वों का योगदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस काम में लिखित और मौखिक दोनों परंपराएं शामिल होंगी। सांस्कृतिक परंपरा को कायम रखने और आगे बढ़ाने के लिए परंपरागत तरीकों से पढ़ाने वाले गुरुओं और उस्तादों की सहायता की जाएगी और उनके कार्य को मान्यता दी जाएगी।

8.3 विश्वविद्यालय प्रणाली के और कला, पुरातत्व, प्राच्य अध्ययन आदि की उच्च संस्थाओं के बीच संपर्क कायम किया जाएगा। ललित कलाओं, संग्रहालय-विज्ञान, लोक साहित्य आदि विशिष्ट विषयों पर उचित ध्यान दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की अधिक व्यवस्था की जायगी ताकि उनके लिए आवश्यक विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की कमी को पूरा किया जाता रहे।

मूल्यों की शिक्षा

8.4 इस बात पर गहरी चिन्ता प्रकट की जा रही है कि जीवन के लिए आवश्यक मूल्यों का ह्रास हो रहा है और मूल्यों पर से ही लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। शिक्षाक्रम में ऐसे परिवर्तन की जरूरत है जिससे सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विकास में शिक्षा एक सशक्त साधन बन सके।

8.5 हमारा समाज सांस्कृतिक रूप से बहु-आयामी है, इसलिए शिक्षा के द्वारा उन सार्वजनीन और शाश्वत

मूल्यों का विकास होना चाहिए जो हमारे लोगों की एकता की ओर ले जा सकें। इन मूल्यों से धार्मिक अंधविश्वास, कट्टरता, असहिष्णुता, हिंसा और भाग्यवाद का अन्त करने में सहायता मिलनी चाहिए।

8.6 इस संघर्षात्मक भूमिका के साथ-साथ मूल्य-शिक्षा का एक गंभीर सकारात्मक पहलू भी है जिसका आधार हमारी सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय लक्ष्य और सार्वभौम दृष्टि है, जिस पर मुख्य तौर से बल दिया जाना चाहिए।

भाषाएं

8.7 1968 की शिक्षा नीति में भाषाओं के विकास के प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार किया गया था। उस नीति की मूल सिफारिशों में सुधार की गुंजाइश शायद ही हो और वे जितनी प्रासंगिक पहले थीं उतनी ही आज भी हैं। किन्तु देश भर में 1968 की नीति का पालन एक समान नहीं हुआ। अब इस नीति को अधिक सक्रियता और सोद्देश्यता से लागू किया जाएगा।

पुस्तकें और पुस्तकालय

8.8 जन शिक्षा के लिए कम कीमत पर पुस्तकों का उपलब्ध होना बहुत ही जरूरी है। समाज के सभी वर्गों को आसानी से पुस्तकें उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही पुस्तकों की गुणात्मकता को सुधारने, पढ़ने की आदत का विकास करने और सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाये जाएंगे। लेखकों के हितों की रक्षा की जाएगी। विदेशी पुस्तकों के भारतीय भाषाओं में अच्छे अनुवादों को सहायता दी जाएगी। बच्चों के लिए अच्छी पुस्तकों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें पाठ्य पुस्तकें और अभ्यास पुस्तकें भी सम्मिलित होंगी।

8.9 पुस्तकों के विकास के साथ-साथ मौजूदा पुस्तकालयों के सुधार के लिए और नए पुस्तकालयों की स्थापना के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक शैक्षिक संस्था में पुस्तकालय की सुविधा के लिए प्रावधान किया जाएगा और पुस्तकालयाध्यक्षों के स्तर को सुधारा जाएगा।

संचार माध्यम और शैक्षिक प्रौद्योगिकी

8.10 आधुनिक संचार-प्रौद्योगिकी से यह संभव हो गया है कि पहले की दशाब्दियों में शिक्षा को जिन अवस्थाओं और क्रमों से गुजरना पड़ता था उनमें से कइयों को लांघकर आगे बढ़ा जाए। इस टैक्नालॉजी से देश और काल के बंधनों पर काबू पा सकना संभव हो गया है। हमारा समाज दो खंडों में बंटा न रहे, इसके लिए आवश्यक है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी संपन्न वर्गों के साथ-साथ उन क्षेत्रों में पहुंचे जो इस समय अधिक से अधिक अभावग्रस्त हैं।

8.11 शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग उपयोगी जानकारी के लिए, अध्यापकों के प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए और कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता और स्थाई मूल्यों के संस्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा में इस टैक्नालॉजी का प्रयोग होगा। मौजूदा व्यवस्थाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर) का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाएगा। जिन गांवों में बिजली नहीं है वहां प्रोग्राम चलाने के लिए बैटरी अथवा सौर ऊर्जा पैक से काम लिया जाएगा।

8.12 शैक्षिक टैक्नालॉजी के द्वारा मुख्य रूप से ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण होगा जो प्रासंगिक हों और सांस्कृतिक रूप से संगत हों। इस उद्देश्य के लिए देश में विद्यमान सभी संसाधनों का उपयोग किया जाएगा।

8.13 संचार माध्यमों का प्रभाव बच्चों और बड़ों के मन पर बहुत गहरा पड़ता है। आजकल इन संचार माध्यमों के कुछ प्रोग्राम अति उपभोग की संस्कृति और हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते प्रतीत होते हैं और उनका प्रभाव हानिकारक है। रेडियो और दूरदर्शन के ऐसे कार्यक्रमों को बंद किया जाएगा जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधक बन सकते हों।

फिल्मों और अन्य संचार माध्यमों में भी इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। बच्चों के लिए उच्च कोटि की और उपयोगी फिल्मों के निर्माण के लिए सक्रिय अभियान चलाया जाएगा।

कार्यानुभव

8.14 कार्यानुभव को सभी स्तरों पर दी जाने वाली शिक्षा का एक आवश्यक अंग होना चाहिए। कार्यानुभव एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण और सार्थक शारीरिक काम है जो सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है और जिससे समाज की वस्तुएं या सेवाएं मिलती हैं। यह अनुभव एक सुसंगठित और क्रमबद्ध कार्यक्रम के द्वारा दिया जाना चाहिए। कार्यानुभव की गतिविधियां विद्यार्थियों की रुचियों, योग्यताओं और आवश्यकताओं पर आधारित होंगी। शिक्षा के स्तर के साथ ही कुशलताओं और ज्ञान के स्तर में वृद्धि होती जाएगी। इसके द्वारा प्राप्त किया गया अनुभव आगे चलकर रोजगार पाने में बहुत सहायक होगा। माध्यमिक स्तर पर दिए जाने वाले पूर्व-व्यावसायिक कार्यक्रमों से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के चुनाव में सहायता मिलेगी।

शिक्षा और पर्यावरण

8.15 पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की बहुत जरूरत है और यह जागरूकता बच्चों से लेकर समाज के सभी आयुवर्गों और क्षेत्रों में फैलनी चाहिए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता विद्यालयों और कालेजों की शिक्षा का अंग होनी चाहिए। इसे शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में समाहित किया जायगा।

गणित शिक्षण

8.16 गणित को एक ऐसा साधन माना जाना चाहिए जो बच्चों को सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और अपनी बात को तर्कसंगत ढंग से प्रकट करने में समर्थ बना सकता है। एक विशिष्ट विषय होने के अतिरिक्त गणित को ऐसे किसी भी विषय का सहवर्ती माना जाना चाहिए जिसमें विश्लेषण और तर्कशक्ति की जरूरत होती है।

8.17 अब विद्यालयों में भी कम्प्यूटरों का प्रवेश होने लगा है। इससे शैक्षिक कम्प्यूटरी का मौका मिलेगा। कार्यकारण संबंध को और चरों की पारस्परिक क्रिया को समझने और सीखने की प्रक्रिया को नई दिशा मिलेगी। गणित-शिक्षण को इस प्रकार से पुनर्गठित किया जाएगा कि यह आधुनिक टेक्नालॉजी के उपकरणों के साथ जुड़ सके।

विज्ञान शिक्षा

8.18 विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि बच्चों में जिज्ञासा की भावना, सृजनात्मकता, वस्तुगतता, प्रश्न करने का साहस और सौंदर्यबोध जैसी योग्यताएं और मूल्य विकसित हो सकें।

8.19 विज्ञान शिक्षा के कार्यक्रमों को इस प्रकार बनाया जाएगा कि उनसे विद्यार्थियों में समस्याओं को सुलझाने और निर्णय करने की योग्यताएं उत्पन्न हो सकें और वे स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग तथा जीवन के अन्य पहलुओं के साथ विज्ञान के सम्बन्ध को समझ सकें। जो लोग अब तक औपचारिक शिक्षा के दायरे के बाहर रहे हैं उन तक विज्ञान की शिक्षा को पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

खेल और शारीरिक शिक्षा

8.20 खेल और शारीरिक शिक्षा सीखने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं और इन्हें विद्यार्थियों की कार्यसिद्धि के मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा। शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद की राष्ट्रव्यापी अधोरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) को शिक्षा व्यवस्था का अंग बनाया जाएगा।

8.21 इस अधोरचना के तहत खेल के मैदानों और उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की नियुक्ति होगी। शहरों में उपलब्ध खुले क्षेत्र खेलों के मैदान के लिए आरक्षित किए जाएंगे और यदि आवश्यक

हुआ तो इसके लिए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसी खेल संस्थाएं और छात्रावास स्थापित किए जाएंगे जहां आम शिक्षा के साथ-साथ खेलों की गतिविधियों और उनसे संबद्ध अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। खेलकूद में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उपयुक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। भारत के पारंपरिक खेलों पर उचित बल दिया जाएगा। शरीर और मन के समेकित विकास के साधन के रूप में योग शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। सभी विद्यालयों में योग की शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रयास किए जाएंगे और इस दृष्टि से शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में योग की शिक्षा भी सम्मिलित की जाएगी।

युवा वर्ग की भूमिका

8.22 शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से और उनके बाहर भी युवाओं को राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के कार्य में सम्मिलित होने के अवसर दिए जाएंगे। इस समय राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर आदि जो योजनाएं चल रही हैं उनमें से किसी एक में भाग लेना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा। संस्थाओं के बाहर भी युवाओं को विकास, सुधार और विस्तार के कार्य शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय सेवाकर्मी योजना को सुदृढ़ किया जाएगा।

मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा में सुधार

8.23 विद्यार्थियों के कार्य का मूल्यांकन सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंश है। एक अच्छी शैक्षिक नीति के अंग के रूप में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए परीक्षाओं का उपयोग होना चाहिए।

8.24 परीक्षा में इस प्रकार सुधार किया जाएगा जिससे कि मूल्यांकन की एक वैध और विश्वसनीय प्रक्रिया उभर सके और वह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में एक सशक्त साधन के रूप में काम आ सके। क्रियात्मक रूप में इसका अर्थ होगा :

(1) अत्यधिक संयोग (चान्स) और आत्मगतता (सब्जेक्टिविटी) के अंश को समाप्त करना;
(2) रटाई पर जोर को हटाना;
(3) ऐसी सतत और सम्पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास करना जिसमें शिक्षा के शास्त्रीय और शास्त्रेतर पहलू समाविष्ट हो जाएं और जो शिक्षण की पूरी अवधि में व्याप्त रहें;
(4) अध्यापकों, विद्यार्थियों और माता-पिता के द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रभावी उपयोग;
(5) परीक्षाओं के आयोजन में सुधार;
(6) परीक्षा में सुधार के साथ-साथ शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधि में भी सुधार;
(7) माध्यमिक स्तर से क्रमबद्ध रूप में सत्र-प्रणाली का प्रारंभ;
(8) अंकों के स्थान पर "ग्रेड" का प्रयोग।

8.25 ये उद्देश्य बाह्य परीक्षाओं और शिक्षा-संस्थाओं के अंदर के मूल्यांकन दोनों के लिए प्रासंगिक हैं। संस्थागत मूल्यांकन की प्रणाली को सरल बनाया जाएगा और बाहरी परीक्षाओं की प्रचुरता को कम किया जाएगा।

भाग 9

शिक्षक

9.1 किसी समाज में अध्यापकों के दर्जे से उसकी सांस्कृतिक-सामाजिक दृष्टि का पता लगता है। कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। सरकार और समाज को ऐसी परिस्थितियां

बनानी चाहिए जिनसे अध्यापकों को निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। अध्यापकों को इस बात की आजादी होनी चाहिए कि वे नये प्रयोग कर सकें और संप्रेषण की उपयुक्त विधियां और अपने समुदाय की समस्याओं और क्षमताओं के अनुरूप नये उपाय निकाल सकें।

9.2 अध्यापकों को भर्ती करने की प्रणाली में इस प्रकार परिवर्तन किया जाएगा कि उनका चयन उनकी योग्यता के आधार पर व्यक्ति-निरपेक्ष रूप से और उनके कार्य की अपेक्षाओं के अनुरूप हो सके। शिक्षकों का वेतन और सेवा की शर्तें उनके सामाजिक और व्यावसायिक दायित्व के अनुरूप हों और ऐसी हों जिनसे प्रतिभाशाली व्यक्ति शिक्षक-व्यवसाय की ओर आकृष्ट हों। यह प्रयत्न किया जाएगा कि पूरे देश में वेतन में, सेवा शर्तों में और शिकायतें दूर करने की व्यवस्था में समानता का वांछनीय उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। अध्यापकों की तैनाती और तबादले में व्यक्ति-निरपेक्षता लाने के लिए निर्देशक सिद्धांत बनाए जाएंगे। उनके मूल्यांकन की एक पद्धति तय की जाएगी जो प्रकट होगी, आंकड़ों एवं तथ्यों पर आधारित होगी और जिसमें सबका योगदान होगा। ऊपर के ग्रेड में तरक्की के लिए शिक्षकों को उचित अवसर दिए जाएंगे। जवाबदेही के मानक तय किये जाएंगे। अच्छे कार्य को प्रोत्साहित किया जाएगा और निष्क्रियता को निरुत्साहित। शैक्षिक कार्यक्रमों के बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी।

9.3 व्यावसायिक प्रामाणिकता की हिमायत करने, शिक्षक की प्रतिष्ठा को बढ़ाने और व्यावसायिक दुर्व्यवहार को रोकने में शिक्षक-संघों को अहम भूमिका निभानी चाहिए। शिक्षकों के राष्ट्रीय संघ शिक्षकों के लिए एक व्यावसायिक आचार-संहिता बना सकते हैं और उसका अनुपालन करा सकते हैं।

अध्यापकों की शिक्षा

9.4 अध्यापकों की शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है और इसके सेवापूर्व और सेवाकालीन अंशों को अलग नहीं किया जा सकता। पहले कदम के रूप में अध्यापकों की शिक्षा की प्रणाली को आमूल बदला जाएगा।

9.5 अध्यापकों की शिक्षा के नये कार्यक्रम में सतत शिक्षा पर और इस शिक्षा नीति की नई दिशाओं के अनुसार आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल होगा।

9.6 'जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान' स्थापित किए जाएंगे जिनमें प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की और अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। इन संस्थानों की स्थापना के साथ बहुत सी घटिया प्रशिक्षण संस्थाओं को बन्द किया जाएगा। कुछ चुने हुए माध्यमिक अध्यापक-प्रशिक्षण कालेजों का दर्जा बढ़ाया जाएगा ताकि वे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों के पूरक के रूप में काम कर सकें। राष्ट्रीय अध्यापक-शिक्षा परिषद को सामर्थ्य और साधन दिए जाएंगे जिससे यह परिषद अध्यापक-शिक्षा की संस्थाओं को मान्यता देने के लिए आधिकारिक हो और उनके शिक्षाक्रम और पद्धतियों के बारे में मार्ग-दर्शन कर सके। अध्यापक-शिक्षा की संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के शिक्षा-विभागों में आपस में मिलकर काम करने की व्यवस्था की जाएगी।

भाग 10

शिक्षा का प्रबन्ध

10.1 शिक्षा की आयोजना और प्रबंध की व्यवस्था के पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इस सम्बन्ध में जिन सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जायेगा वे निम्नलिखित हैं :—

(क) शिक्षा की आयोजना और प्रबंध का दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य तैयार करना और उसे देश की विकासात्मक और जन-शक्ति विषयक आवश्यकताओं से जोड़ना;

(ख) विकेन्द्रीकरण तथा शिक्षा संस्थाओं में स्वायत्तता की भावना उत्पन्न करना;

(ग) लोक-भागीदारी को प्रधानता देना, जिसमें गैर-सरकारी एजेंसियों का जुड़ाव तथा स्वैच्छिक प्रयास शामिल हैं;

(घ) शिक्षा की आयोजना और प्रबंध में अधिकाधिक संख्या में महिलाओं को शामिल करना;

(ङ) प्रदत्त उद्देश्यों और मानदण्डों के सम्बन्ध में जवाबदेही (अकाउंटेबिलिटी) के सिद्धांत की स्थापना।

राष्ट्रीय स्तर

10.2 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड शैक्षिक विकास का पुनरावलोकन करेगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तनों को सुनिश्चित करेगा और कार्यान्वियन संबंधी देखरेख में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। बोर्ड उपयुक्त समितियों के माध्यम से एवं मानव संसाधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सम्पर्क तथा समन्वयन के लिये बनाए गए प्रक्रमों के माध्यम से कार्य करेगा। केन्द्र तथा राज्यों के शिक्षा विभागों को सुदृढ़ बनाने के लिए इनमें व्यावसायिक दक्षता रखने वाले व्यक्तियों को लाया जायेगा।

भारतीय शिक्षा सेवा

10.3 शिक्षा के प्रबंध के उपयुक्त ढांचे के निर्माण के लिए तथा इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए यह आवश्यक होगा कि भारतीय शिक्षा सेवा का एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठन किया जाये। इस सेवा से सम्बन्धित बुनियादी सिद्धान्तों, कर्तव्यों तथा नियोजन की विधि की बाबत निर्णय राज्य सरकारों के परामर्श से किया जायेगा।

राज्य स्तर

10.4 राज्य सरकारें केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह के राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करेंगी। मानव संसाधन विकास से संबंधित राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के समाकलन के लिए कारगर उपाय किए जाने चाहिए।

10.5 शैक्षिक आयोजकों, प्रशासकों और संस्थाध्यक्षों के प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए मुनासिब चरणों में संस्थागत प्रबन्ध किए जाने चाहिए।

जिला तथा स्थानीय स्तर

10.6 उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए जिला शिक्षा बोर्डों की स्थापना की जाएगी तथा राज्य सरकारें यथाशीघ्र इस संबंध में कार्रवाई करेंगी। शैक्षिक विकास के विभिन्न स्तरों पर आयोजना, समन्वयन, मानिटरिंग तथा मूल्यांकन में केन्द्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर की एजेंसियां सहभागिता निभायेंगी।

10.7 शिक्षा व्यवस्था में संस्थाध्यक्षों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। उनके चयन तथा प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। लचीला रवैया अपनाते हुए विद्यालय संगमों (स्कूल काम्पलेक्सेज) को विकसित किया जायेगा ताकि वे शिक्षा संस्थाओं के आपसी ताने बाने (नेटवर्क) का माध्यम बनें तथा शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने और उनके द्वारा कर्त्तव्यनिष्ठा के मानदण्डों के पालन में सहायक हों। साथ ही विद्यालय संगमों के द्वारा, संबंधित संस्थाओं के लिए अनुभवों का आपसी आदान-प्रदान करना तथा एक दूसरे की सुविधाओं में साझेदारी का रिश्ता बनाना संभव हो सकना चाहिए। यह अपेक्षा की जा सकती है कि विद्यालय संगमों की व्यवस्था के जमने के साथ वे निरीक्षण कार्य का ज्यादातर जिम्मा संभाल लेंगे।

10.8 उपयुक्त निकायों के माध्यम से स्थानीय लोग विद्यालय सुधार कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे।

स्वैच्छिक एजेन्सियां तथा सहायता प्राप्त संस्थाएं

10.9 गैर-सरकारी तथा स्वैच्छिक प्रयासों को, जिनमें समाजसेवी सक्रिय समुदाय भी शामिल हैं, प्रोत्साहन दिया जाएगा और वित्तीय सहायता भी मुहय्या करवाई जाएगी बशर्ते कि उनकी प्रबन्ध व्यवस्था ठीक हो। इसके साथ ही ऐसी संस्थाओं को रोका जाएगा जो शिक्षा को व्यापारिक रूप दे रही हैं।

भाग 11

संसाधन तथा समीक्षा

11.1 शिक्षा आयोग (1964-66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) और शिक्षा से संबंधित अन्य सभी लोगों ने इस बात पर बल दिया है कि हमारे समतावादी उद्देश्यों और व्यावहारिक तथा विकासोन्मुख लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कि इस कार्य के स्वरूप और आयामों के अनुरूप शिक्षा में पूंजी निवेश हो।

11.2 जिस हद तक सम्भव होगा, इन विभिन्न तरीकों से साधन जुटाए जाएंगे—चन्दा इकट्ठा करना, इमारतों का रख-रखाव तथा रोजमर्रा काम में आने वाली वस्तुओं की पूर्ति में स्थानीय लोगों की मदद लेना, उच्च शिक्षा स्तर पर फीस बढ़ाना तथा उपलब्ध साधनों का बेहतर उपयोग करना। वे संस्थाएं जो अनुसंधान में या वैज्ञानिक जनशक्ति के विकास के क्षेत्र में काम कर रही हैं, अपने काम का उपयोग करने वाली एजेंसियों पर उपकर या प्रभार लगा कर कुछ साधन जुटा सकती हैं। इन एजेंसियों में सरकार और उद्योगों को शामिल किया जा सकता है। ये सभी उपाय न केवल राज्य संसाधनों पर बोझ को कम करने के लिये किये जाएंगे, अपितु शैक्षिक प्रणाली में जनता के प्रति जवाबदेही की व्यापक भावना को पैदा करने के लिए भी कारगर होंगे। तथापि, साधनों की समूची वित्तीय आवश्यकता के मुकाबले में इन उपायों से थोड़े ही अंश में योगदान हो पाएगा। वास्तव में सरकार तथा देशवासियों को ही मिलकर इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिये वित्तीय साधन जुटाने होंगे, यथा: प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, निरक्षरता निवारण, देश भर में सभी वर्गों के लिये समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, शिक्षा की सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिकता बढ़ाना, शैक्षिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता और कार्यात्मकता में वृद्धि करना, ज्ञान तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में स्वयं-स्फूर्त आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी का विकास, राष्ट्रीय अस्मिता बनाए रखने के लिये अनिवार्य माने गये मूल्यों के प्रति चेतन जागरूकता पैदा करना।

11.3 शिक्षा में आवश्यक पूंजी न लगाने या अपर्याप्त मात्रा में लगाने के हानिकारक परिणाम वास्तव में बहुत गम्भीर हैं। इसी तरह, व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान की उपेक्षा से होने वाली हानि अस्वीकार्य होगी। इन क्षेत्रों में पूरी तरह संतोषप्रद स्तर के कार्य का निष्पादन न होने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था की अपरिहार्य क्षति होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग को सुचारु बनाने के लिये स्वतन्त्रता से अब तक समय-समय पर गठित संस्थाओं के नेटवर्क को पर्याप्त मात्रा में और तत्परता से आधुनिक बनाने की जरूरत होगी क्योंकि ये संस्थाएं बड़ी तेजी से पुरानी पड़ती जा रही हैं।

11.4 इन अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुये शिक्षा को राष्ट्रीय विकास और पुनरुत्थान के लिये पूंजी लगाने का एक अत्यन्त आवश्यक क्षेत्र माना जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में यह निर्धारित किया गया था कि शिक्षा पर होने वाले निवेश को धीरे-धीरे बढ़ाया जाए ताकि वह यथा-शीघ्र राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत तक पहुंच सके। चूंकि तब से अब तक शिक्षा पर लगी पूंजी का स्तर उस लक्ष्य से काफी कम रहा है, अतः यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि अब

इस नीति में निर्धारित कार्यक्रमों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक दृढ़ संकल्प दर्शाया जाए। यद्यपि समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति के जायजे के आधार पर वास्तविक आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाएगा, पर इस नीति के कार्यान्वयन में पूंजी निवेश जिस हद तक जरूरी होगा, उस हद तक सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही बढ़ाया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना से शुरू करके वह राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत से सर्वदा अधिक हो।

समीक्षा

11.5 नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन की समीक्षा प्रत्येक पांच वर्षों में अवश्य ही की जाएगी। कार्यान्वयन की प्रगति और समय-समय पर उभरती हुई प्रवृत्तियों की जांच करने के लिये मध्यावधि मूल्यांकन भी होंगे।

भाग 12

भविष्य

12.1 भारत में शिक्षा का भावी स्वरूप इतना पेचीदा है कि उसके बारे में स्पष्ट रूपरेखा बना सकना सम्भव नहीं। फिर भी, हमारी उन परम्पराओं को देखते हुये कि जिन्होंने हमेशा बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों को महत्व दिया है, इसमें किसी तरह का शक नहीं कि हम अपने उद्देश्यों को हासिल करने में कामयाब होंगे।

12.2 सबसे बड़ा काम है शैक्षिक पिरामिड की बुनियाद को सुदृढ़ बनाना; उस बुनियाद को जिसमें इस शताब्दी के अन्त तक लगभग सौ करोड़ लोग होंगे। यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो इस पिरामिड के शिखर पर हों, वे विश्व में सर्वोत्तम स्तर के हों। अतीत में इन दोनों छोरों को हमारी संस्कृति के मूल स्रोतों ने भलीभांति सिंचित रखा, लेकिन विदेशी आधिपत्य और प्रभाव के कारण इस प्रक्रिया में विकार पैदा हो गया। अब मानव संसाधन विकास का एक राष्ट्रव्यापी प्रयास पुनश्च शुरू होना चाहिये जिसमें शिक्षा अपनी बहुमुखी भूमिका पूर्ण रूप से निभाए।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-4286
Date. 12/6/87

NIEPA DC
D04286